उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन / फैक्स 05942–236552, ई–मेल : **slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com**

उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत
एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम

भाग–1
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम – 1987

1. अधिनियम की संक्षिप्त जानकारी
2. अधिनियम का उद्‌देश्य

भाग–2
अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित मुख्य कृतकारियाँ°

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
2. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
3. उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति
4. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
6. तहसील विधिक सेवा समिति

भाग – 3
निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम

1. निःशुल्क कानूनी सहायता का अभिप्राय
2. निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के कौन अधिकारी है।

भाग – 4
लोक अदालत :

1. लोक अदालत पंच परमेश्वर का ही एक रूप है।
2. न्यायालय में लंबित मुकदमों एवं अन्य सभी झगड़ों को लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है।
3. लोक अदालतों का आयोजन
4. लोक अदालत में झगड़ों के निस्तारण की प्रक्रिया
5. लोक अदालत का अवार्ड या अधिनिर्णय अब न्यायालय की डिक्री के समान होंगे।
6. लोक अदालत की शक्तियाँ°
7. लोक अदालत द्वारा सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित लंबित वाद में लोक न्यायालय में जमा कोर्ट फीस वापिस मिल जायेगी।
8. लोक अदालत के सुलहकर्ता दल द्वारा अवार्ड कैसे तैयार किया जायेगा।

भाग – 5
स्थाई लोक अदालत संबंधी नये प्रावधान :

1. सिविल प्रक्रिया संहिता की नई धारा 89 के अनुसार लंबित मुकदमों को लोक अदालत द्वारा मध्यस्थता या सुलह समझौते से तय करने संबंधी नये प्रावधान।
2. मुकदमेबाजी से पहले सुलह समझौते से झगड़ा तय करने बावत् स्थाई लोक अदालत सम्बन्धी अधिनियम की धारा 22–क के अधीन नई व्यवस्था।
3. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत स्थाई लोक अदालत की स्थापना।

भाग – 6
उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों में कानूनी सहायता कार्यक्रम

1. अल्मोड़ा
2. बागेश्वर
3. चमोली
4. चम्पावत
5. देहरादून
6. हरिद्वार
7. नैनीताल

8. पौड़ी गढ़वाल
9. पिथौरागढ़
10. रूद्रप्रयाग
11. टिहरी गढ़वाल
12. उधम सिंह नगर
13. उत्तरकाशी

भाग—1

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम — 1987

1. अधिनियम की संक्षिप्त जानकारी :

''न्याय सबको मिले, के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी'' ?

जहां एक तरफ संविधान के अनुच्छेद 14 में सबको समानता का मौलिक अधिकार दिया गया हैं वही ऐसे मौलिक अधिकारों को उपलब्ध कराने हेतु उच्च न्यायालय से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत एवं उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के माध्यम से रिट दायर करके सभी मौलिक अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन न्यायालय की शरण में जाने के लिए वकील एवं मुकदमा लड़ने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है जो कि एक आम आदमी के लिए कठिन कार्य है। संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को आम आदमियों तक उपलब्ध कराने के लिए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में रिट के माध्यम से 200/—रुपये मात्र फीस देकर इनकी प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध करायी है, परन्तु दुख की बात यह है कि इसका लाभ केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति एवं अन्य उद्योगपति ही ले रहे है क्योंकि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में वकीलों की फीस हजारों रुपये होती है जो कि आम आदमी की शक्ति से बाहर है। यह स्थिति प्रायः जिला एवं तहसील स्तर पर न्यायालयों में भी देखने को मिली जिससे यह अनुभव किया गया कि आम आदमी के पास पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण वह न्याय प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पर रहा है। इसके परिणामस्वरूप जहाँ एक तरफ संविधान के अनुच्छेद 39 को संशोधित करते हुए 39—क के अन्तर्गत सरकारी नीति निर्देशक प्रावधानित किया गया तथा असहाय, निर्बल व दलित व्यक्ति के लिए इस बात की व्यवस्था की गई कि उसे निःशुल्क कानूनी सहायता सुलभ एवं सस्ता न्याय उपलब्ध हो सके। यह संशोधन 1976 में किया गया तथा इसको लागू करने के लिए कई कार्य योजनाएं बनायी गयी और केन्द्र स्तर एवं राज्य स्तर पर विधिक सहायता एवं परामर्श बोर्डों का गठन किया लेकिन इन सभी एजेंसियों के पास कोई कानूनी शक्ति नहीं थी इसलिए यह अनुभव किया गया कि कानून बनाकर इनकों शक्तियाँ उपलब्ध करायी जायें ताकि आम आदमी को न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य की वास्तविक प्राप्ति की जा सकें। इसी के अनुपालन में सन् 1987 में निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने एवं अन्य कानूनी सुविधा एवं अन्य कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 सृजित किया गया जिसमें इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि ऐसे प्राधिकरणो को व्यापक शक्तियाँ दी जायें और कानूनी सहायता कार्यक्रम चलाने के लिए उन्हें पर्याप्त धन भी उपलब्ध कराया जाये। इसी के परिणामस्वरूप अब जो भी कानूनी सहायता कार्यक्रम चलाये जाते है उनमें इन प्राधिकरणों को पर्याप्त शक्तियाँ एवं साधन उपलब्ध कराया गया है तथा जो भी सुलह द्वारा समझौते किये जाते हैं उसको न्यायालय की डिक्री का रूप भी दिया गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करने की व्यवस्था की गयी और उच्चतम न्यायालय के स्तर पर जो कानूनी सहायता समिति गठित की गयी है उनसे भी यह स्पष्ट अपेक्षा की गयी है कि अपने स्तर से हर प्रकार से निर्धन, असहाय एवं अक्षम व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें न्याय उपलब्ध कराने के सिद्वांतों को साकार करें। 1987 में यह कानून बनाकर सभी राज्यों में व्यापक रूप से कानूनी सेवा कार्यक्रमों को मूर्त रूप दिया गया और आम आदमी को उसके द्वार पर न्याय देने का प्रयास किया गया लेकिन अभी भी आम आदमी को न्याय मिलने की मंजिल बहुत दूर थी जिसके रास्ते को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सन् 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम संशोधित करते हुए इसमें सुलह—समझौते को और व्यापक रूप देने के उद्देश्य से स्थायी लोक अदालत का गठन करने की व्यवस्था की गयी है इस स्थायी लोक अदालत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उदेद्श्य से इसके क्षेत्राधिकार को और व्यापक बनाकर सभी प्रकार की लोक सेवाओं को आम आदमी तक सुनिश्चित करने के लिए स्थायी लोक अदालत को सशक्त किया गया। इसके अतिरिक्त अदालतों में जो भी मुकदमें दायर किये जायेंगे या लम्बित हैं उनको भी न्यायालयों की सेवाओं का प्रयोग करते हुए सुलह—समझौते से निस्तारण करने का प्रयास किया जायेगा, इसी परिप्रेक्ष्य में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89—क को संशोधित करते हुए सुलह—समझौते की

व्यवस्था की गयी है उसका प्रयोग इसी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। इसी प्रकार जो आम आदमी को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने का सपना सन् 1976 में देखा गया, जिसको प्रारम्भ में संविधान के अनुच्छेद 39—क द्वारा जोड़ा गया था, उसको विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के रूप में कानून बनाकर तहसील से लेकर उच्चतम न्यायालय तक कार्यरत करते हुए प्राधिकरणों एवं समितियों को पर्याप्त शक्तियाँ उपलब्ध करायी गयी और अन्ततोगत्वा 2002 में इसी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को व्यापक रूप से संशोधित करते हुए एक नई संस्था ''स्थायी लोक अदालत'' को जन्म दिया गया। इन सभी कानूनों को बनाने की मन्शा यह है कि इनके अन्तर्गत जो भी निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने की एजेंसियाँ है चाहें वह तहसील स्तर पर तालुका विधिक सहायता समिति हो या जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हो या राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हो, सब इस बात का प्रयास करें कि आम आदमी को न्याय मिलना सुनिश्चित हो सके और कोई भी व्यक्ति अपनी असमर्थता या असक्षमता के कारण न्याय से वंचित न हो।

2— अधिनियम का उद्‌देश्य :—

इस अधिनियम का उद्‌देश्य निःशुल्क एवं सक्षम कानूनी सहायता उपलब्ध कराना सुलह—समक्षौते के आधार पर वादों के निस्तापन हेतु पक्षकारों को प्रोत्साहन करना एवं लोक अदालतों का आयोजन करना तथा आम जनमानस में विधिक का प्रचार—प्रसार करना है। इसके अन्तर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करके समाज के कमजोर वर्गो को, जो आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित रहते हैं, उनकों निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराना तथा न्यायालय में लम्बित मामलों को सुलह समझौते द्वारा निस्तारण करने के लिये लोक अदालतों का आयोजन करना है। निःशुल्क कानूनी सहायता एक जन कल्याणकारी कार्यक्रम है क्योंकि हमारे देश में आज भी अधिसंख्य स्त्री, पुरुष और बच्चों को अशिक्षा एवं अज्ञानता से ग्रसित होने के साथ—साथ साधनों के अभाव में समाज के शक्तिशाली वर्ग के विरूद्व दृढ़तापूर्वक अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाते हैं जिससे ऐसे असहाय और निर्बल वर्ग के लिये विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवा समितियों के माध्यम से जनमानस को सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के लिये आश्वस्त किया जाता है। इस कार्यलम को कानूनी रूप देकर और सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है।

भाग—2

अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित मुख्य कृतकारियाँ°

निःशुल्क कानूनी सहायता तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से प्राप्त की जाती है। अब निःशुल्क कानूनी सहायता एवं लोक अदालत को इस अधिनियम के माध्यम से विधिक रूप दिया गया है और इनकी देखभाल करने का दायित्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जिला स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को उच्च न्यायालय स्तर पर तथा उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को उच्चतम न्यायालय स्तर पर सुपुर्द किया गया है इसलिये इनकी संक्षिप्त जानकारी होनी परम आवश्यक है कि इन सभी विभिन्न स्तरों पर कार्यरत एजेंसियों का कार्यक्षेत्र क्या है :—

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण :—

जहां प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारों द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया है जो अपने राज्य के अन्तर्गत सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समितियों का गठन करती है वहीं दूसरी और राष्ट्रीय स्तर पर इस अधिनियम के अन्तर्गत जो प्राधिकरण सृजित किया गया है उसका नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति की सलाह पर उच्चतम न्यायालय का एक सेवारत न्यायाधीश **या सेवानिवृत्त न्यायाधीश** इसका कार्यपालक अध्यक्ष होता है और एक सदस्य सचिव एवं अन्य सदस्य होते है जिसकी व्यापक व्यवस्था इस अधिनियम में की गयी है। इसी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ही उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा

समिति का **गठन** किया जाता है और यह प्राधिकरण विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिये नीतियाँ और सिद्धान्त अभिकथित करती है तथा विधिक सेवा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से प्रभावी एवं कम खर्चीली योजनाओं को तैयार करना तथा राज्य प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निधि का आबंटन करना और इसके साथ–साथ उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का समाज के कमजोर वर्गो के लिये सामाजिक न्याय सम्बन्धी मुकदमों के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त सभी विधिक समितियों के कार्यक्रमों को मोनिटर करना और विभिन्न स्वैच्छिक समाज सेवी संस्थाओं और राज्य तथा जिला प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिये सहायता एवं अनुदान देना है। अतः कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर जो भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किये गये है उन सभी का नेतृत्व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

2. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण :–

प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किये गये है एवं तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। इन सभी की देखरेख का दायित्व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का है जिसमें इस अधिनियम के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य संरक्षक बनाया गया है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इसके राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के आसीन **या** सेवारत न्यायाधीश में से की जाती है तथा इस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को सदस्य–सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्राधिकरण में महाधिवक्ता, सचिव राज्य परिषद, प्रमुख सचिव वित्त एवं न्याय विभाग, पुलिस महानिदेशक, अध्यक्ष अनुसूचित जाति, जनजाति एवं मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से दो जिला न्यायाधीश तथा बार कौंसिल के नाम निर्दिष्ट सदस्य एवं 6 अन्य सदस्यों के भी नाम निर्दिष्ट करने की व्यवस्था है जो समाजसेवी, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता एवं विधि क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति होते हैं। इस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कृत्यों में मुख्यतः विधिक सेवा देने सम्बन्धी मापदण्डों की पूर्ति करना, लोक अदालतों का संचालन करना, विधिक सहायता कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना है जो राज्यों विधिक सेवा प्राधिकरण केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श से सुनिश्चित करती है जिले में जो विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है उनका गठन भी इसी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ही किया जाता है एवं इसके कार्यो का मार्गदर्शन इसी के द्वारा किया जाता है।

3. उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति :–

उच्चतम न्यायालय में कार्यरत विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होता है जिसका चयन मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है और इस समिति के सचिव एवं अन्य सदस्यों की पदावधियां केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम द्वारा अभिनिर्धारित की जाती है क्योंकि पक्षकारों के मामले किसी भी स्तर पर लम्बित हो सकते है और उनके निस्तारण के लिये लोक अदालतों का आयोजन भी भिन्न–भिन्न स्तरों पर किया जाना वांछनीय है। अतः जहां जिला स्तर पर लोक अदालतों के आयोजन का दायित्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष का होता है वही उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय स्तर पर यह कार्य उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्षों का है। इस प्रकार हर स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन करने के लिये अलग–अलग व्यवस्था इस अधिनियम के अन्तर्गत की गयी है।

4. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति :–

उच्च न्यायालय से सम्बन्धित मामलों में विधिक सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिये एक समिति गठित की गयी है जिसको उच्च नयायालय विधिक सेवा समिति के नाम से जाना जाता है। जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होते है और उच्चतर न्यायिक सेवा का एक अधिकारी इसमें सचिव के रूप में कार्य करते है। इस समिति के कृत्य ऐसे सभी मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करना होता है जो उच्च न्यायालय में लम्बित है और समय–समय पर जो उच्च न्यायालय में लोक अदालत आयोजित की जाती है वह भी इसी समिति के माध्यम से की जाती है।

5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण :–

प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण में जिला न्यायाधीश अध्यक्ष होता है तथा सिविल न्यायाधीश के स्तर का अधिकारी इस प्राधिकरण में

सचिव के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण में जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला सरकारी अधिवक्ता–दीवानी, जिला सरकारी अधिवक्ता फौजदारी एवं **माल** एवं 6 अन्य सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो सामाजिक कार्यकर्ता या विधि क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति होते है जिनकी सेवाओं को प्राधिकरण द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जहाँ तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कृत्यों का प्रश्न है उसमें कानूनी निःशुल्क सहायता देना तथा लोक अदालतों का आयोजन करना एवं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अन्य सरकारी अभिकरणों, गैर सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के समन्वयन से कार्य करना भी सम्मिलित है प्रत्येक जिले में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त तहसील स्तर पर भी विधिक सेवा समितियों के गठन की व्यवस्था की गयी है जो तहसील में विधिक सेवाओं के क्रिया–कलापों का समन्वयन करने के साथ–साथ तहसील के अन्दर लोक अदालतों को आयोजन भी करती है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो कृत्यों को समुनादिष्ट किया जाता है उसका भी यह पालन सुनिश्चित कराती ळें उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणोंका गठन किया जा चुका है तथा समस्त जिला प्राधिकरणों में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति सचिव के पद पर स्वतंत्र रूप से की गयी है।

6. तहसील अथवा तहसील विधिक सेवा समिति :–

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरह ही तालुक अर्थात् तहसील के लिए अधिनियम की धारा 11–ए में यह व्यवस्था दी गयी है कि उसमें तहसील के वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी को उसका चेयरमैन बनाया गया है और इस समिति के जो सदस्य होंगे उनकी संख्या अनुभव एवं योग्यता आदि भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरह ही इसके सदस्य होते है, जिनको राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट से राय लेकर नामित किये जायेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुक विधिक सेवा समिति में जो भी सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश की राय से की जायेगी। परन्तु तहसील विधिक सेवा समिति में जो भी अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे उनकी नियुक्ति समिति द्वारा की जायेगी जहां तक इस के कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, मुख्यतः वही हैं जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का है परन्तु तहसील स्तर पर ऐसी कार्यवाही करने के लिए निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से लेने होंगे।

भाग – 3

निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम

1. निःशुल्क कानूनी सहायता का अभिप्राय :–

अक्सर गरीबी, निर्धन, असहाय एवं दुर्बल लोगों पर धनवान, शक्तिमान एवं बलवान हावी हो जाते है और इन कमजोर लोगों के पास मुकदमा लड़ने के लिये धन नहीं होता है जो उनका आर्थिक मजबूरी का कारण बन जाता है। अतः ऐसे दुर्बल व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता देकर उन्हें साहस एवं सामर्थ्या उपलब्ध कराना होता है। निःशुल्क कानूनी सहायता के अन्तर्गत तहसील स्तर पर विधिक सेवा समितियां, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है जहां पर न्याय की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति की पूरी बात सुनकर उपलब्ध कागजातों का अध्ययन करके विधि विशेषज्ञ लिखित रूप में अपना परामर्श प्रदान करते हैं और यदि इस परामर्श के अनुसार न्यायालय में वाद या प्रतिवाद प्रस्तुत करने की आवश्यकतानुसार न्याय शुल्क भी प्रदान किया जाता है। जहां दस्तावेजों की न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो तो ऐसे दस्तावेजों की नकल के लिये खर्चा भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त गवाहों को न्यायालय तक लाने व ले जाने एवं पैरवी का खर्चा भी विधिक सेवा प्राधिकरण या समितियों द्वारा ही वहन किया जाता हैं। इस प्रकार निःशुल्क कानूनी सहायता में दीवानी, फौजदारी और राजस्व के मुकदमों के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उत्साही एवं कुशल अधिवक्ताओं की सूची बनायी जाती है और जिन निर्धन एवं निर्बल वर्ग को कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है उनके उपस्थित होने पर उनके मुकदमों की प्रकृति को देखते हुये उसके अनुरूप चयनित अधिवक्ता की सेवा उसे उपलब्ध करायी जाती है। इन अधिवक्ताओं की फीस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आंवटित राशि से उपलब्ध की जाती है। अनेक बार ऐसा भी अवसर आता है कि जब उत्साही अधिवक्ता स्वयं निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिये तत्पर हो जाते है।

2. निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के कौन–कौन से पात्र है :–

सभी निर्धन, निर्बल एवं असहाय व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है। जहाँ तक निर्बल एवं असहाय व्यक्ति का प्रश्न है उसमें कोई आय की सीमा निर्धारित नहीं की गयी है यदि अनुसूचित जाति, जनजाति का सदस्य हो, स्त्री या बच्चा हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ हो या अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति इन सबके लिये वार्षिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है तथा यह सभी निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के पात्र है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई व्यक्ति जो उपर्युक्त श्रेणी में न आता हो तो वह भी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है किन्तु उनके संबंध में यह शर्त निर्धारित की गयी है कि उनकी समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रु. 3,00,0000/– (तीन लाख रुपया) तक हो। इसके अतिक्ति उत्तराखण्ड राज्य में भूत–पूर्व सैनिकों जो 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, हिजड़ा समुदाय, एच0 आई0 वी0/एड्स से संक्रमित व्यक्ति को भी विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों की श्रेणी में लाया गया है। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो निर्धन हो या निर्बल हो, जिसका विवरण उपर्युक्त दिया गया है उसे यदि कानूनी सहायता प्राप्त करनी है तो उसके लिये प्रत्येक जिले में गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को सादे कागज पर या संलग्न प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसमें मुकदमें का संक्षिप्त विवरण दिया जायेगा तथा पात्रता के संबंध में समस्त श्रोतों से आय का प्रमाण अथवा जाति का प्रमाण शपथ–पत्र दाखिल करके दिया जा सकता है जैसा कि इस अधिनियम की धारा 13(2) में व्यवस्था की गयी है।

भाग – 4

लोक अदालत

1. लोक अदालत पंच परमेश्वर का ही एक रूप है :

भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के सपनों के भारत में जिस रामराज्य की कल्पना की गयी थी वह वास्तव में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था पर टिका हुआ है और बापू की इस परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राम पंचायत के गठन और उनके विकास पर विशेष बल दिया गया था परन्तु दुख का विषय है कि ग्राम स्तर पर बढ़ती हुयी आपसी पार्टीबाजी के फलस्वरूप यह राजराज्य का वातावरण दूषित हो गया और गाँव के लोग छोटे–मोटे मुकदमों के निपटारे के लिये भी न्यायालय की शरण में आने लगे जिसमे मुकदमों का न्यायालय में अम्बार हो गया और छोटे–मोटे वाद भी वर्षो निर्णय की प्रतीक्षा में रहने लगे जिससे वादी और प्रतिवादी तारीख पर तारीख न्यायालयों के चक्कर लगाते है इससे उनके समय और धन की बर्बादी होती है। इस स्थिति से निपटने के लिये लोक अदालतों को प्रारम्भ किया गया। वैसे भले ही लोक अदालत वर्तमान स्वरूप में हमें एक नयी बात लगती हो परन्तु वास्तव में लोक अदालतें हमारे देश की प्रचलित न्याय की पुरातन परम्पराओं का ही नया रूप है। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व पंच परमेश्वर की ही प्रमुख भूमिका रहती थी जो गांव बस्ती या समाज के ऐसे लोग होते थे जिनकी न्यायप्रियता एवं निष्पक्षता में किसी को सन्देह नहीं होता था इनके द्वारा किया गया न्याय न केवल सही अर्थों में सच्चा न्याय होता था बल्कि ये उभय पक्षों की आपसी कटुता और मन मुटाव को सदैव के लिये दूर करते थे। चूंकि हमारे न्यायालयों में जहां एक तरफ मुकदमेबाजी में भारी खर्च उठाना पड़ता है वहीं दूसरी और मुकदमों के निस्तारण में विलम्ब तथा जटिल प्रक्रियाओं के कारण त्वरित एंव सस्ता न्याय उपलब्ध नहीं हो पाता और इन समस्याओं के समाधान के लिए लोक अदालतों को इस अधिनियम के माध्यम से अब कानूनी रूप दिया गया हैं।

2. न्यायालय में लम्बित मुकदमें एवं अन्य सभी झगड़ों का लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है :–

लोक अदालतों के माध्यम से केवल न्यायालय में लम्बित मामलों का ही निस्तारण सुलहकर्तादल द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि जो वाद न्यायालय में लम्बित नहीं है उनका भी लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया जा सकता है। चूंकि कभी–कभी पक्षकारों के मामले ऐसे होते हैं जिनमें अभी चिंगारी धधक रही होती है जो कभी भी ज्वाला बनकर दोनों पक्षकारों को जला सकती है। अतः दोनों पक्ष अथवा उनके हितैषियों की यह आन्तरिक कामना रहती हैं कि उनकी यह समस्या सुलझ जाये और ऐसे सभी पति–पत्नी के बीच झगड़े, भाई–भाई के बीच झगड़े या अन्य पारिवारिक झगड़े तथा पड़ोसियों के बीच मनमुटाव इत्यादि के मामलों का सुलह समझौते के माध्यम से लोक अदालतों में निस्तारण किया जाता है जिससे दोनों पक्ष फिर से आपस में भाई चारे को लेकर लौटते हैं और भविष्य में पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी से बच सकते है। अतः लोक अदालत केवल न्यायालय में लम्बित मामलों का ही निस्तारण नहीं करते हैं। बल्कि अदालतों में मुकदमा आने से पहले जो झगड़ा होता है उसका निस्तारण भी किया जाता है। इसके साथ–साथ न्यायालय में लम्बित मोटर दुघर्टना

प्रतिकर वादों एवं फौजदारी के ऐसे सभी मुकदमों, जो सुलह समझौते से निस्तारित किये जा सकते हैं तथा राजस्व मामलों का निस्तारण भी लोक अदालतों के माध्यम से किया जाता है क्योंकि सभी मामलों में कानूनी मुद्दा इनके निस्तारण में नहीं रहता है। मोटर दुर्घटना वादों में मृत्यु होती है अथवा यदि किसी को चोटें आती हैं उसके निस्तारण के लिये क्षतिपूर्ति के मापदण्ड भी निश्चित हैं जिनके बिना किसी परेशानी के सुलह बीमा कम्पनियों के सक्रिय सहयोग के द्वारा निस्तारण आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह फौजदारी के छोटे–मोटे मुकदमे जो जुर्माने से दण्डनीय होते हैं का सुलह के आधार पर निस्तारण हो सकता है उनको भी आसानी से तय किया जा सकता है इससे पक्षकारों को अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं और लोक अदालत की तिथि पर उनके द्वारा अपने अपराध की स्वीकृति करने पर उचित जुर्माना अदा करके अपने मुकदमे से छुटकारा पा सकते हैं और इससे न्यायालय के कीमती वक्त की भी बचत हो जाती है तथा कम समय में अधिक मुकदमों का निपटारा हो जाता है।

3. अदालतों का आयोजन :

अधिनियम के अध्याय 6 के अन्तर्गत धारा 19 से लेकर 22 तक लोक अदालतों के आयोजन सम्बन्धी प्रावधान किये गये है उसमें लोक अदालत को उन्हीं मुकदमों में सुलह–समझौता करने का क्षेत्राधिकार होगा, जो कि उनकी लोक अदालत के सम्मुख हो और जो उनके सम्मुख लाये जाते है, लेकिन ऐसी किसी भी आपराधिक मामलों को लोक अदालत को तय करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा जो कि ऐसे अपराध से सम्बन्धित हो जिसको कि विधि में उपशमन नहीं किया जा सकता है। लोक अदालत के सम्मुख मुकदमें का संज्ञान लेने सम्बन्धी प्रक्रिया का उल्लेख इस अधिनियम की धारा 20 में इस प्रकार किया गया है कि जब लोक अदालत में धारा 19(5) के अर्न्तगत मामलों को निर्दिष्ट किया जाता है तो उसमें दोनों ही पक्षकार जहां अपने मामले को तय करने के लिये सहमत होते हैं या उनमें से एक पक्षकार न्यायालय से अनुरोध करता है कि उसका मामला लोक अदालत में तय कर दिया जाये और न्यायालय इससे संतुष्ट होता है कि मुकदमें को तय करने की सम्भावना है तो उस स्थिति में लोक अदालत को मामला भेजा जाता है या अन्य स्थिति में ऐसे मामले में जो न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि वह लोक अदालत में तय किया जा सकता है उसको भी तय कराया जा सकता है। बशर्ते कि ऐसे मामले को लोक अदालत में देने से पहले दोनों पक्षकारों को सुनने का पर्याप्त अवसर दिया जाये। इस प्रकार लोक अदालत के सम्मुख जो मामला प्राप्त होता है उसको पक्षकारों के बीच सुलह–समझौते द्वारा निर्णीत करने का प्रयास लोक अदालत द्वारा किया जा सकता है।

जहाँ तक लोक अदालत के सम्मुख इन मुकदमों को तय करने का प्रश्न है, उसमें मात्र इतना ही ध्यान देना जरूरी है कि ऐसा समझौता करने सम्बन्धी कार्यवाही न्याय सम्मत एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों के ही अनुकूल हो। जहाँ ऐसे मामलों को लोक अदालत से तय होना सम्भावित नहीं होता है तो उस मामले को लोक अदालत द्वारा यदि वह न्यायालय में लंबित है तो वापस भेज दिया जाता है और यदि लंबित नहीं है तो उस स्थिति में पक्षकारों को न्यायालय द्वारा तय करने के लिए उचित कार्यवाही करने की सलाह दे दी जाती है। लोक अदालत द्वारा जो फैसला दिया जाता है उसको विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत एवार्ड की संज्ञा दी गयी है। अतः जब पक्षकारों के बीच में सुलह–समझौता होता है तो उस दस्तावेज को एवार्ड मानते हुए उसे न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यदि ऐसा मामला पहले न्यायालय में लंबित था तो उस स्थिति में पक्षकारों द्वारा मामला दायर करने पर जो कोर्टफीस अदा की गई थी उसको न्यायालय द्वारा उसी तरह सम्बन्धित पक्षकारों को वापस करने का आदेश करने का प्रावधान धारा 21 में दिया गया है जैसा कि कोर्टफीस अधिनियम 1870 के अन्तर्गत कोर्टफीस वापस करने का प्रावधान है। इस प्रकार जो न्यायालय द्वारा सुलह समझौता करके एवार्ड किया जाता है, वह दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है और उसके विरूद्ध कोई अपील भी दायर नहीं की जा सकती।

जहाँ तक लोक अदालत के द्वारा ऐसे मामलों को तय करने सम्बन्धी शक्तियों का प्रश्न है, उसके बाबत् इस अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि जो शक्तियाँ सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मुकदमों की सुनवायी के लिए दी गयी हैं वे सब शक्तियाँ लोक अदालत के पास होंगी, जिसमें गवाहान को सम्मन करना, दस्तावेज दाखिल करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना, न्यायालय या अन्य कार्यालय से पब्लिक रिकार्ड या पत्रावली का मंगवाना इत्यादि–इत्यादि।

इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता पड़े तो लोक अदालत मुकदमे को तय करने सम्बन्धी अपनी भी अलग कोई प्रक्रिया अपनाने में स्वतंत्र है। अधिनियम में लोक अदालत को इतना सशक्त कर दिया गया है कि लोक अदालत के सम्मुख जो भी कार्यवाही होगी वो न्यायालय कार्यवाही मानी जायेगी और यदि इसमें कोई गड़बडी करता है या झूठ बोलता है तो उसके विरूद्ध न्यायिक अदालत की तरह भारतीय दण्ड विधान की धारा 193, 219 एवं 228 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

4. लोक अदालत में झगडों के निस्तारण की प्रलिया :

इन लोक अदालतों के अन्तर्गत अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों एवं विधिवेताओं के सहयोग से मामलों को सुलह समझौते से निस्तारित कराया जाता है जिसमें जनपद के प्रतिष्ठित नागरिकों की सूची पहले से बना ली जाती है और सुविधानुसार लोक अदालत की प्रत्येक बेंच में 3 या 4 प्रतिष्ठित नागरिक बैठते हैं जो दोनों पक्षों को सुनकर इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि झगड़े की कठिनाई कहां पर है और गुत्थी कहां नहीं सुलझ पा रही है। इन सुलहकर्ता दल में सदस्यों के रूप में प्रायः अधिवक्तागण, अवकाश प्राप्त अधिकारीगण एवं सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं और वादकारियों एवं उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उन्हें इस बात को समझाने का प्रयास किया जाता हे कि उनकी भलाई किसमें है और कैसे दोनों पक्षकार सन्तुष्ट होते हुए आपस में समझौता करते है। प्रायः यह देखा गया है कि लोक अदालतों में सुलहकर्ता दल के सामने जब दोनों पक्षकार आमने–सामने बैठते हैं और यह सुलहकर्ता दल जो जिम्मेदार नागरिक होते हैं उनके विवादों को हल करने का प्रयास करते हैं तो मामले निपट जाते हैं क्योंकि दोनों पक्ष अपने बैर–भाव को भुलाकर आपस में संधि कर लेते हैं और इस प्रकार संधिपत्र न्यायालय की डिक्री का भाग बन जाता है जो दोनों पक्षों पर लागू होता है और जिसके विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती है। इससे जहाँ केवल मुकदमों का निस्तारण ही नहीं होता है बल्कि यह उभयपक्षों की आपसी कटुता और मनमुटाव को सदा के लिये भी दूर कर देता है।

5. लोक अदालतों के अवार्ड या अधिनिर्णय अब न्यायालय की डिक्री के समान होंगे :

इस अधिनियम के बनने के बाद लोक अदालतों द्वारा सुलह समझौते में जब संधिपत्र तैयार किये जाते है वह तब तक प्रभावी नहीं हो सकते थे जब तक कि न्यायालय द्वारा इन पर आदेश पारित करके डिक्री का हिस्सा नहीं बनाया जाता था परन्तु अब इस अधिनियम के बनने के बाद धारा 21(1) में यह स्पष्ट व्यवस्था कर दी गयी है कि लोक अदालतों को प्रत्येक अधिनिर्णय को सिविल न्यायालय की डिक्री का आदेश समझा जायेगा यह धारा 21 इस प्रकार है।

21:– 1– लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय, यथास्थिति सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जायेगा और जहां किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा–1 के अधीन उसको निर्दिष्ट किसी मामले में समझौता कराया या परिनिर्धारण किया गया है वहां ऐसे मामले में संदत न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के अधीन उपबन्धित रीति से लौटा दी जायेगी।

2– लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अन्तिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा तथा अधिनिर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।

6. लोक अदालतों की शक्तिया :

चूँकि अब इस अधिनियम के बनने के बाद लोक अदालतों को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां दे दी गयी हैं इसलिये अब लोक अदालतों में कार्यरत सभी सुलहकर्ता दल संधि पत्र तैयार किये जाते है उसको भी कानूनी रूप देकर जो न्यायालय को शक्तियां दी गयी थी वह सभी शक्तियां सुलहकर्ता दल को भी प्रदान की गयी हैं जो धारा 22 में उपबन्धित हैं वह इस प्रकार हैं।

22– (1) लोक अदालत की, इस अधिनियम के अधीन कोई अवधारणा करने के प्रयोजन के लिये, वही शक्तियां प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के, अधीन सिविल न्यायालय में निम्नलिखित में से किसी विषय की बाबत् विचारण करते समय निहित होती है, अर्थात्–

- कः– किसी साक्षी को सम्मन कराना, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना,
- खः– किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसको पेश किया जाना,
- गः– शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना,
- घः– किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना, और
- ङः– ऐसे अन्य विषय, जो विहित किये जाएं।

(2) उपधारा–1 में अन्तर्विष्ट शक्तियां की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक अदालत को उसके समक्ष आने वाले किसी विवाद के अवधारणा के लिये अपनी प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्ति होगी।

(3) लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, धारा 210 और धारा 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी और प्रत्येक लोक अदालत, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 प्रयोजन के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

लोक अदालतों का कार्य चूंकि न्यायालय की तरह पक्षकारों के विवादों का निस्तारण करना है जिसका प्रमुख माध्यम आपसी सुलह समझौता है इसलिये जो न्यायालय के पास अब शक्तियां थी वह सभी शक्तियां इस अधिनियम के माध्यम से लोक अदालतों को भी दी गयी है इसलिये अब लोक अदालतों के माध्यम से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के जमाव को कम करने में सहायता देगी और इस प्रकार हमारी न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाने में सहायता मिलेगी। अतः हम सबका यह कर्तव्य है कि लोक अदालतें, जो कि न्याय व्यवस्था में एक सहायक के रूप में है, हमें इसको अधिक बढ़ावा देना चाहिये ताकि न्याय की सेवा भली प्रकार की जा सके और हर निर्धन एवं बलवान व्यक्ति को समानता के आधार पर शीघ्र एवं सस्ता न्याय उपलब्ध हो सकें।

7:– न्यायालय में लम्बित वाद का लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण होने पर न्यायालय में जमा कोर्ट फीस वापस मिल जायेगी :

चूँकि सिविल कोर्ट में कोई भी मुकदमा कोर्ट फीस अदा करने के बगैर दायर नहीं किया जा सकता है इसलिये जितनी कीमत की झगड़े की सम्पत्ति होती है उस पर कुछ प्रतिशत धनराशि को मुकदमा दायर करते समय कोर्ट फीस के रूप में जमा करना पड़ता है। अब इस अधिनियम की धारा 20 में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि पक्षकार यदि न्यायालय में लम्बित वाद को लोक अदालत द्वारा सुलह समझौते से तय कराना चाहते हैं तो उस न्यायालय में आवेदन करने पर उस आवेदन पर विचार करने के बाद उनके मामले को लोक अदालत द्वारा तय करने के लिये निर्दिष्ट करेगी जहाँ पर लोक अदालत के सुलहकर्ता दल दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद उनके बीच सुलह करवाकर संधि पत्र तैयार करा देते हैं जिससे उनका विवाद सुलझ जाता है तो वह एवार्ड तैयार किया जायेगा जो कि इस अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत न्यायालय की डिक्री के रूप में माना जायेगा जो पक्षकारों पर बाध्य होगा और उसके विरूद्ध अपील नहीं की जा सकेगी। इस धारा 21 में यह व्यवस्था दी गयी कि उस मुकदमें में जो कोर्ट फीस पहले न्यायालय में जमा कर दी गई थी वह उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी जिसके द्वारा वह मुकदमें को दायर करते समय न्यायालय में जमा की गयी थी।

8. लोक अदालत के सुलहकर्तादल द्वारा एवार्ड कैसे तैयार किया जायेगा :–

जब पक्षकार यह चाहते हैं कि उनके झगड़े का निस्तारण लोक अदालत में सुलह समझौते से कराया जाये तो न्यायालय उस मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगी जिस पर लोक अदालत उस मामले या विषय विवाद का निपटारा करने के लिये अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता करवायेगी जब मामला सुलझ जाता है तो उसका जो संधिपत्र तैयार होता है उसे एवार्ड अर्थात् अधिनिर्णय कहा जाता है जिसको सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में माना जाता है। इस एवार्ड या अधिनिर्णय को यदि वह अचल सम्पत्ति के संबंध में है तो पंजीकृत किया जाना परम आवश्यक है और सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों के बाबत् झगड़े को निपटाने के अधिनिर्णय या अवार्ड का प्रश्न है उसको बिना स्टाम्प ड्यूटी के साधारण पेपर पर लेखबद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार मोटर दुर्घटना सम्बन्धी मामलों के सुलह समझौते के अवार्ड पर भी कोई स्टाम्प ड्यूटी की आवश्यकता नहीं होती। इसे साधारण पेपर पर बीमा कम्पनी एवं पक्षकारों का सुलहकर्ता दल के हस्ताक्षरों के साथ हस्ताक्षर होना पर्याप्त होता है। यदि यह ऐसा मामला हो जो न्यायालय में लम्बित था तो उसकी जो कोर्ट फीस न्यायालय में जमा करायी गयी थी उसको वापस लेने के लिए उस न्यायालय से अनुरोध किया जायेगा जो ऐसे झगड़े के लोक अदालत में निपटारे के कारण न्यायालय कोर्ट फीस वापिस करने के आदेश पारित करेगा। यदि न्यायालय में लम्बित मुकदमें का लोक अदालत से सुलह समझौते से निस्तारण नहीं हो पाता तो उसको पुनः न्यायालय में वापिस कर दिया जायेगा ताकि न्यायालय उसको विधिवत तय कर सके। यह कहना गलत न होगा कि लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दोनों पक्षों की जीत होती है तथा वातावरण में प्रेम और सौहार्द का सृजन होता है। इसलिये इस सेवा का पूरी तरह से प्रयोग करने से समाज निश्चित रूप से लाभान्वित होगा और इससे हमारी न्यायिक व्यवस्था को भी बल मिलेगा।

भाग–5

स्थाई लोक अदालत संबंधी नये प्रावधान

1– सिविल प्रक्रिया संहिता की नई धारा 89 द्वारा न्यायालय में लम्बित मुकदमों को लोक अदालत द्वारा मध्यस्थम या सुलह–समझौते से तय करने सम्बन्धी नये प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्ष 2002 के संशोधन के परिणाम स्वरूप अब अदालत में लंबित मुकदमों का निस्तारण भी लोक अदालत या मध्यस्थतम या सुलह–समझौते से करने हेतु प्रावधान किये गये हैं, उसके अनुसार सभी अदालतें मुकदमों को न्यायालय के बाहर भी तय कर सकती है। जब न्यायालय में लम्बित मुकदमों के बारे में यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच में सलुह–समझाते से ऐसे मामले तय हो सकते हैं तो इस बारे में पक्षकारों से पूछकर न्यायालय ऐसे किसी सम्भावित समझौते की सम्भावना में उसके बीच समझौता करने के लिए न्यायालय में लंबित झगड़ों को निम्नलिखित माध्यमों से न्यायालय के बाहर तय करने का आदेश पारित कर सकती है :–

1– मध्यस्थतम द्वारा।

2– सुलह–समझौते द्वारा।

3– लोक अदालत द्वारा।

4– मीडिएशन द्वारा।

जहाँ तक मध्यस्थतम द्वारा मुकदमों को तय करने का प्रश्न है, उसके लिए ऐसी कार्यवाही हेतु मध्यस्थतम अधिनियम 1996 के अन्तर्गत ही ऐसी कार्यवाही की जा सकती है और जब ऐसे मुकदमों को लोक अदालत के माध्यम से तय कराना हो तो उसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत न्यायालय ऐसे मुकदमों को लोक अदालत में तय करने के लिए निर्देश करेगी।

जहाँ तक मीडिएशन से मुकदमा तय करने का प्रश्न है, उसके लिए अलग से ऐसा कोई प्रावधान बनाने की आवश्यकता नहीं है मध्यस्थतम एवं सुलह–समझौते हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण के जो कानून हैं, वे अपने आप में पूर्णतया पर्याप्त हैं।

2– मुकदमेबाजी से पहले झगड़े को सुलह–समझौते से तय करने सम्बन्धी स्थाई लोक अदालतों के नये अधिनियम की धारा 22–ए के अधीन नई व्यवस्था

सन् 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में जो संशोधन करके स्थाई लोक अदालत की व्यवस्था की गयी है,
उसमें न्यायालय में दाखिल मुकदमें का रूप धारण नहीं करती है बल्कि उससे पहले झगड़ों को स्थाई लोक अदालत से तय करने सम्बन्धी व्यवस्था की गयी है उसमें लोक अदालत के अतिरिक्त स्थाई लोक अदालत को सीमित करने का प्रावधान नई धारा 22–बी में किया गया है, जिसके अनुसार स्थाई लोक अदालतों की स्थापना मे जो कि अधिसूचना द्वारा की जायेगी, उसमें एक सदस्य न्यायिक अधिकारी अतिरिक्त जिला जज स्तर के हो सकते है, वह अध्यक्ष होंगे और दो ऐसे सदस्य जिनको पर्याप्त सामाजिक सेवाओं का ज्ञान एवं अनुभव हो वह दूसरे सदस्य होंगे जो राज्य प्राधिकरण के द्वारा उनकी नियुक्ति की जायेगी। जहाँ तक इसकी प्रक्रिया का प्रश्न है, ऐसी स्थाई लोक अदालत के सम्मुख सम्बंधित पक्षकारों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है और उसके क्षेत्राधिकार के बाबत् भी पूर्ण व्यवस्था इसी अधिनियम की धारा 22क में की गयी है। अब ऐसे मामले झगड़ों के निस्तारण के लिए सीधे न्यायालय में नही जायेंगे, क्योंकि वह व्यक्ति इस झगड़े को स्थाई लोक अदालत के सम्मुख ले जाकर तय करा सकता है, बशर्ते कि ये झगड़े उस प्रकृति के हों जिसका उल्लेख इसमें किया गया है। इसलिए यह स्पष्ट करना उचित होगा कि लोक अदालत की कार्यवाही एवं स्थापना सम्बन्धी सारी व्यवस्था जहां धारा 19 से लेकर धारा 22 तक की गयी है, वहीं दूसरी और एक नया संशोधन कर स्थाई लोक अदालत स्थापित करने का प्रावधान किया गया है और इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ लोक अदालत में ऐसे मामले को निस्तारण होता है जो न्यायालय में लम्बित है, जबकि धारा 22–बी में स्थापित स्थाई लोक अदालत में केवल वही मुकदमें लिये जाते हैं, जिसने न्यायालय में मुकदमें का रूप धारण नहीं किया हो।

3– विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत स्थाई लोक अदालतों को स्थापित करना।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में सन् 2002 के अधिनियम संख्या 37 द्वारा संशोधित करके धारा 22ख के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थाई लोक अदालतों को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है जो इस प्रकार है। धारा 20–ख के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22–क के खण्ड–ख के अधीन यथा परिभाषित

समस्त जन उपयोगी सेवाओं के बारे में राज्य के प्रत्येक जनपद में स्थाई लोक अदालतें स्थापित की जायेंगी जो कि अपने ही क्षेत्रों में अधिकारिता का प्रयोग करेगी।

इस अधिनियम की धारा 22–ख की उप धारा 2 के खण्ड–ख के अधीन यथा परिकल्पित, आवश्यक सिफारिश करने तथा नाम निर्देशन के पश्चात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष की कालावधि के लिए इन स्थाई लोक अदालतों के अध्यक्षों द्वारा सदस्यों के रूप में नियुक्ति की जायेगी। जहाँ तक अध्यक्षों का प्रश्न है वह प्रायः जिला जज होंगे और अन्य दो सदस्य अलग स्तर से योग्य व्यक्ति हो सकते है। जहाँ तक स्थाई लोक अदालतों के स्थापन का प्रश्न है वह सीधे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। जिसके लिए सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी जनपदों के लिए या किसी विशेष जनपदों के लिए ऐसी किसी लोक अदालतों के स्थापन हेतु अधिसूचना जारी होगी, जिसमें स्थाई लोक अदालत का नाम व स्थान का उल्लेख करके अध्यक्ष, सदस्य का पद नाम या नाम एवं जिस क्षेत्र में स्थाई लोक अदालत का नाम व स्थान करायेगी वह स्थान एवं अधिनियम की धारा 22–क के अधीन यथा परिभाषित जन–उपयोगी सेवाओं का उल्लेख किया जायेगा। ऐसी लोक अदालतों में मुकदमें केवल आपसी एक दूसरे के झगड़े ही नहीं आते, बल्कि ऐसी सभी जन उपयोगी मामलों को निस्तारण किया जाता है। निश्चय ही यदि ध्यान से देखा जाये तो ये जन उपयोगी सेवा कुछ हद तक उपभोक्ता फोरम के अन्तर्गत मामलों की तरह ही होती है। लेकिन उसमें चूंकि विशेष अधिनियम बनाकर ऐसी शक्तियाँ दी गयी हैं वहीं दूसरी और जिला जज की अध्यक्षता में दो सदस्यों के साथ ही स्थाई लोक अदालत के अन्तर्गत भी जन उपयोगी सेवाओं का निर्धारण किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 22–ख के अन्तर्गत कई राज्यों के प्रायः सभी जिलों में स्थाई लोक अदालतों का सृजन किया गया है उत्तराखण्ड में भी स्थाई लोक अदालत स्थापित करने के अन्तर्गत चार जिलों देहरादून, हरिद्धार, ऊधम सिंह नगर, तथा नैनीताल में स्थायी लोग अदालत स्थापित की जा चुकी है तथा अन्य जिलों में शीघ्र ही ऐसी अदालतों की स्थापना हो जायेगी। अधिनियम की धारा 22–क के अधीन यथा परिभाषित जन उपयोगी सेवाओं का इस प्रकार उल्लेख किया गया है।

1– यात्रियों या माल के वायु, सड़क या जल द्वारा वहन के लिए कोई परिवहन सेवा।

2– कोई डाक, तार या दूरभाष सेवा।

3– किसी भी स्थापना जनता को किसी पावर रोशनी या जल का प्रदान।

4– जन सफाई या संशोधित स्वच्छता की प्रणाली।

5– अस्पताल या चिकित्सालय में सेवा।

6– कोई बीमा सेवा और इसके अतिरिक्त ऐसी कोई सेवा भी है, केंद्र सरकार या यथास्थापित राज्य सरकार अधिनियम के अध्याय 6–क के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा समय–समय पर लोक हित में जन–उपयोगी सेवा होना घोषित करें।

भाग–6

उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों में कानूनी सहायता कार्यक्रम

अल्मोड़ा

अल्मोड़ा एक प्राचीन स्थल है। जिसका उल्लेख विष्णु पुराण महाभारत में मिलता है। यह जनपद उत्तराखण्ड राज्य का एक महत्वपूर्ण जनपद है। जिसकी कुल जनसंख्या सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 6,22,506 है, जिसमें 2,91,081 पुरुष हैं और 3,31,425 महिलाएं है। जहाँ तक ग्रामीण जनसंख्या का प्रश्न है इसमें कुल 62,314 व्यक्तियों में से 33,722 पुरुष हैं और 28,592 महिलाएं है। इस प्रकार इस जनपद की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण है। यहाँ अधिकतर हिन्दी भाषा बोली जाती है और इस जनसंख्या में सभी धर्मो के लोग हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध इत्यादि इसमें निवास करते हैं। इस क्षेत्र का आधे से अधिक भाग वनों से घिरा

हुआ है इसलिए यहाँ का वनों पर आधारित व्यापार भी दस करोड़ से अधिक का है, उसमें जड़ी–बूटियाँ इत्यादि मुख्य हैं।

इस जिले में केवल ग्यारह तहसीलें हैं और ग्यारह नगर पंचायतें हैं। इस क्षेत्र की मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ कृषि हैं, परन्तु पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लोगों के पास छोटे–मोटे खेत हैं जहाँ खेती करना कठिन एवं अधिक लाभप्रद नहीं है इसलिए यहाँ के अधिकतर लोग जीवनयापन एवं धन्धा ढूँढने के लिए मैदानी इलाकों में चले जाते है और खेती का अधिकतर काम महिलाएं करती है। इसलिए सभी पारिवारिक समस्याओं का समाधान महिलाओं को ही करना होता है। हालांकि इस जनपद में कुछ स्थानों पर आवष्यक फैक्ट्री इत्यादि भी है और एक तो मैग्नेसाइड की इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि जहाँ 800 से अधिक लोग काम करते हैं तथा रानीखेत जैसे टूरिस्ट स्थल में ऊन की मिलें एवं फैक्ट्रियाँ हैं, तथा इस जनपद में केवल कृषि के साथ–साथ ताॅबे के बर्तन, ऊनी कपड़े इत्यादि का भी कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त टूरिज्म का भी भरपूर स्कोप है क्योंकि इस जनपद में रानीखेत जैसे प्रसिद्ध स्थल है। जहाँ पर हजारों की जनसंख्या में पर्यटक आते है इसलिए इस जनपद की जनसंख्या अन्य जनपदों के मुकाबले में बहुत समृद्ध है और जिसके कारण निश्चय ही कानूनी समस्याओं का होना भी स्वाभाविक ही है। इस जनपद में मुख्य त्यौहार बैशाखी, पूर्णिमा, मार, कोटभारमरी, नन्दाँदेवी, उत्तरायणी, शिवरात्रि, बीखोटी, स्यालदे, सोमनाथ, पूर्णागिरि, हरेला इत्यादि मनाये जाते हैं और प्राचीन मंदिरों की भी अधिक संख्या है जिनको विकसित करके भारतीय संस्कृति में योगदान किया जा सकता है। इस जनपद की जहाँ तक शिक्षित जनसंख्या का प्रश्न है इसमें केवल जनसंख्या 4,36,497 व्यक्तियों में 2,31,604 पुरुष एवं 2,04,893 महिलाएं हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ की सुविधा बहुत व्यापक स्तर पर है। जनपद अल्मोड़ा का कुल क्षेत्रफल 3,144 कि0मी0 है इसमे तीन तहसीलों का नाम भिकियासैंण, रानीखेत, अल्मोड़ा है।

उत्तराखण्ड देव भूमि में उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के बाद निश्चय ही लोगों की सरकार के प्रति आकांक्षा बढ़नी स्वाभाविक है। हर नागरिक चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो यह अपेक्षा करता है कि राज्य द्वारा चलायी जा रही सभी लाभकारी योजनाओं का उसे लाभ मिले और संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में जो मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं जिनमें मुख्य अधिकार न्याय की समानता का है उससे उसे वंचित न रखा जाये। सभी असहाय, निर्धन एवं निर्बल लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व जिला जज की अध्यक्षता में जनपद में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का है जिसका यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार के संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के साथ हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का समान अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। यह कड़वा सत्य है कि गरीब व असहाय व्यक्ति न्यायालय तक पहुँचने और अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ होते हैं। चूँकि विधि का अन्तिम उद्देश्य न्याय देना है और न्याय प्रदान करना राज्य का नैतिक तथा संवैधानिक कर्तव्य है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह कर्तव्य बनता है कि दलित, पीड़ित व निरक्षर व्यक्ति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों, महिलाओं और बच्चों को हर मायनों में सरल व सस्ता न्याय उपलब्ध कराया जाये ताकि वे अपना सामान्य जन–जीवन व्यतीत कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर लोक अदालतों एवं साक्षरता शिविरों का आयोजन करके एवं कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर की जा रही है। इस देवभूमि उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों में विधिक प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनको कानूनी सहायता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है उसका अब हम वर्णन करते हैं। अल्मोड़ा जिले में जो कानूनी सहायता कार्यक्रम किये गये वह इस प्रकार है :–

1. कुल आयोजित लोक अदालत	: 166
2. निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	: 27022
3. कुल निस्तारित वाद	: 10649
4. कुल दिलायी गयी प्रतिकर/समझौता की राशि	: रू. 20,20,59,402
5. वसूला गया अर्थदण्ड	: रू. 88,16,809
6. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 10684
7. कुल आयोजित साक्षरता शिविर	: 4847
8. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 1095528
9. कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 604
10. कानूनी सलाह प्रदत्त किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 1587

(ऑकड़े जनवरी, 2002 से दिसम्बर, 2021 तक के अंकित है)

बागेश्वर

बागेश्वर जनपद हिमालय पहाड़ से चारों ओर से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 2311 स्का0 कि0मी0 है। इस जनपद को 12–09–1997 में सृजित किया गया। जो कि उससे पहले अल्मोड़ा का ही भाग था। इस

जनपद की कुल जनसंख्या 2,59,898 है जिसमें 1,24,326 पुरुष एवं 1,35,572 महिलाएं हैं। इस जनपद की मुख्य जनसंख्या ग्रामीण है और मात्र 9,079 शहरी जनसंख्या है जिसमें 4,711 पुरुष एवं 4,368 महिलाएं हैं। इस क्षेत्र की अधिकतर भाषा कुमाउँनी है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बोलचाल की भाषा हिन्दी ही है। इस क्षेत्र के निवासी सभी धर्मो के है जिनमें हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध इत्यादि धर्मो के हैं। इस जिले में बागेश्वर, कपकोट दो तहसीलें हैं तथा तीन कम्यूनिटी डेवलेपमेन्ट ब्लाक हैं और केवल एक ही नगर पंचायत है। जबकि 800 के लगभग इस जिले में ग्राम हैं। इस क्षेत्र का मुख्य आधार कृषि है और अन्य पहाड़ी जिलों की तरह खेती की भूमि पहाड़ी होने के कारण यहाँ के अधिकतर लोग अपना जीवन यापन करने के लिए बाहर चले जाते हैं और महिलाओं को ही खेती का सारा कार्य देखना पड़ता है, लेकिन इस जनपद का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि खेती के अतिरिक्त यहाँ पशुपालन भी है। इस क्षेत्र का पहाड़ी एवं वनीय क्षेत्र होने के कारण टूरिस्टों के लिए ये अधिक उपयोगी है। धार्मिक दृष्टि से इस जनपद के मुख्य स्थल बागेश्वर, दूनागोली एवं पिगलोम हैं। इसी जनपद में बैजनाथ नगर पंचायत है। जहाँ पर भव्य पार्वती की मूर्ति एवं अन्य मूर्तियाँ देखने योग्य हैं। इस जनपद के मुख्य त्यौहार बैशाखी पूर्णिमा, कोट भरामरी, नन्दाँ देवी, उत्तरायणी, शिवरात्रि, बिखोटी स्यालदे, सोमनाथ, पूर्णागिरी, हरेला, देवीधूरा इत्यादि हैं। यहाँ इस जनपद की जनसंख्या अधिक शिक्षित है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या में जनसंख्या 2,59,898 है जिसमें 1,24,326 पुरुष एवं 1,35,572 महिलाएं हैं। जिनमें 1,79,483 व्यक्ति शिक्षित हैं उनमें 97,546 पुरुष एवं 81,937 महिलाएं शिक्षित हैं जो बात को प्रकट करता है कि यह जिला शिक्षित है। इस जिले में दो तहसीलें हैं जिनके नाम बागेश्वर एवं कपकोट हैं। इस जनपद का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थल कौसानी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बड़े भव्य होटल हैं और टूरिस्ट स्थान हैं।

इस जनपद का सृजन क्योंकि हाल में ही हुआ है और यहाँ के लोग अधिकतर ग्रामीण हैं जिनको निश्चय ही न तो अपने अधिकारों की जानकारी हो पाती है और न ही वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम हैं कि वे न्यायालय की शरण में आकर अपने अधिकारों की माँग कर सकें और न्याय प्राप्त कर सकें। इस जनपद के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों एवं राज्य द्वारा दिलायी जा रही लाभकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना परम आवश्यक है इसलिए इस जनपद में विधिक सेवा विशेष रूप से दूर दूरस्थ के ग्रामीण स्थलों या उपनगरों में सर्वथा शिविरों का आयोजन करके ही सम्भव हो सकता है। इसलिए लोक अदालत के आयोजन से उतना लाभ नहीं हो सकता क्योंकि न्यायालयों में बहुत कम मुकदमे लम्बित हैं। लेकिन लोगों को समृद्ध एवं उन्नतिशील बनाने हेतु उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ ही साथ उन्हें सरकार द्वारा दिलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। इसके लिए निश्चय ही इस नये सृजित जनपद में अधिक से अधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन का माध्यम अधिक प्रभावी एवं लाभप्रद होगा।

1. कुल आयोजित लोक अदालत	: 213
2. निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	: 14864
3. कुल निस्तारित वाद	: 6796
4. कुल दिलायी गयी प्रतिकर/समझौता की राशि	: रू. 7,79,50,891
5. वसूला गया अर्थदण्ड	: रू. 67,48,020
6. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 6615
7. कुल आयोजित साक्षरता शिविर	: 3360
8. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 1152296
9. कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 6874
10. कानूनी सलाह प्रदत्त किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 22330

(आँकड़े जनवरी, 2002 से दिसम्बर 2021 तक के अंकित है)

चमोली

इस जनपद का सृजन सन् 1960 में हुआ था। यह उत्तराखण्ड राज्य का बहुत पुराना पहाड़ी जनपद है। जो तिब्बत चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। यह जनपद प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। जहाँ पर बद्रीनाथ का मन्दिर स्थित है तथा पंचबद्री एवं पंचकेदार इसी जनपद में ही स्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा सर्वप्रथम मठ की स्थापना इसी जिले में ही प्रारम्भ की गयी थी। इस जिले की कुल जनसंख्या 3,91,605 है जिसमें 1,93,991 पुरुष हैं और 1,97,614 महिलायें है इस जिले की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण है और केवल मात्र 3,20,252 लोग शहरी है जिनमें 1,54,387 पुरुष और 1,65,865 महिलाएं हैं। इस जनपद की मुख्य भाषा हिन्दी है और सभी धर्मो के लोग इस जनपद में निवास करते हैं। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग जंगलों से घिरा हुआ है और अन्य भूमि खेती के प्रयोग में आती है। इस जिले में 12 तहसीलें एवं 09 उपनगर हैं। बद्रीनाथ मन्दिर के साथ–साथ फूलों की

घाटी शाखाएं, हेमकुण्ड साहब इसी जिले की **जोखीमठ**, गैरसैण, चमोली, कर्णप्रयाग, थराली, पोखारी और इसी जनपद के मुख्य उपनगर के नाम है। बद्रीनाथ, चमोली, गोचर, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, नन्दप्रयाग।

यह जनपद भौगिलिक, प्राकृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से देवभूमि उत्तराखण्ड का महत्वपूर्ण जनपद है। इसीलिए यहाँ के नागरिकों की खुशहाली पर ही देवभूमि उत्तराखण्ड की प्रसिद्धि निर्भर करती है लेकिन यह दुख की बात है कि इस जनपद की जनता खुशहाल नहीं है और इसीलिए पूरी तरह इन लोगों को राज्य द्वारा चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती जिसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ की जनसंख्या बहुत बड़े क्षेत्र मे पहाडों में बिखरी हुयी है और जनपद से गाँवों की दूरी पचासों मील की है जिससे लोगों को न तो उनके विधिक अधिकारी का ज्ञान होता है और न ही वे उसका लाभ प्राप्त कर पाते हैं। जहाँ एक तरफ यह जनपद 6 बड़ी तहसीलों में फैला हुआ है वहीं जनपद से तहसीलें भी पचासों मील दूर हैं। अतः इसे समृद्ध बनाने के लिए साक्षरता शिविरों का आयोजन करना ही सबसे प्रभावी एवं लाभप्रद है।

यह उल्लेखनीय है कि इस जनपद द्वारा जनता में अधिक से अधिक विधिक साक्षरता फलीभूत करने एवं समानता का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु सरल कानूनी ज्ञान मालाओं का प्रकाशन किया गया है। यह कि इन सरल विधिक ज्ञान मालाओं का लाभ जहाँ एक तरफ सभी महिलाओं को साक्षरता शिविरों का आयोजन करके एवं मेलों में विद्यार्थियों, महिलाओं, सैनिकों को उनके अधिकारों की जानकारी कराने के उद्देश्य से विचार गोष्ठियों, नाटकों के माध्यम से भी उन्हें सभी महत्वपूर्ण विधि विषयों पर सभी कानूनी जानकारी उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त इस जनपद द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से जनपद के सभी तीन सौ से अधिक महिला मंडलों के माध्यम से कानूनी सहायता एवं विधि का ज्ञान इस रूप में उपलब्ध कराया गया कि हर महिला मंडल की अध्यक्ष को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान मालाओं को छपवाकर उनकों उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध अनुदान राशि प्राप्त होने पर सैंकड़ों पुस्तकें इन सरल कानूनी विषयों पर छपवाकर सम्पूर्ण जिलों की तहसीलों एवं ब्लाकों में उपलब्ध करायी गयी ताकि जनता को उनसे सुशिक्षित करके सशक्त बनाया जा सके। इस जनपद का चूँकि हर प्रकार से विशेष महत्व है इसीलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर भी यह विशेष दायित्व है कि वह इस जनपद के दूर–दूराज में रहने वाले सभी ग्रामीणों को सरल कानूनी सहायता व पुस्तकें उपलब्ध कराके उन्हें सुशिक्षित कर उनकी सहायता करें। इस जनपद में जो कानूनी सहायता कार्यक्रम आयोजित किये गये। वह इस प्रकार हैं :–

1. कुल आयोजित लोक अदालत	: 132
2. निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	: 20233
3. कुल निस्तारित वाद	: 7797
4. कुल दिलायी गयी प्रतिकर/समझौता की राशि	: रू. 27,84,92,338
5. वसूला गया अर्थदण्ड	: रू. 46,47,319
6. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 8171
7. कुल आयोजित साक्षरता शिविर	: 4155
8. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 351394
9. कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 363
10. कानूनी सलाह प्रदत्त किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 6716

(ऑकड़ें जनवरी, 2002 से दिसम्बर, 2021 तक के अंकित है)

चम्पावत

इस जनपद का गठन 15 सितम्बर, 1997 में किया गया था। इससे पूर्व यह जनपद पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंह नगर का ही भाग था। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1,781 कि0मी0 है और इसकी जनसंख्या 2,59,648 है, जिसमें 1,31,125 पुरुष और 1,28,523 महिलाएं हैं और इसमें ग्रामीण जनसंख्या केवल मात्र 38,343 जिसमें 20,283 पुरुष और 18,060 महिलाएं है। इस क्षेत्र में अधिकतर कुमाऊँ भाषा ही बोली जाती है। क्योंकि यह जिला केवल पॉच तहसील एवं दो कम्यूनिटि डेवलपमेन्ट ब्लॉक्स को जोड़कर बनाया गया है इसलिए इस जिले में केवल 688 गाँव है। इस जनपद के प्रसिद्ध मुख्य उपनगर चम्पावत, लोहाघाट, टनकपुर, बनवसा है।

चूँकि यह जिला अभी हाल ही में सृजित किया गया है इसलिए इस जिले की उन्नति होने में निश्चय ही समय लगना स्वाभाविक ही है। चूँकि यहाँ की भूमि पहाड़ी इलाके की पथरीली एवं चट्टानी है इसलिए निश्चय ही लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है इसलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह दायित्व बन जाता है कि यहाँ के लोगों को विधिक जानकारी के साथ ही साथ उन्हें राज्य द्वारा चलायी जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाना सुनिश्चित करें। क्योंकि इस जिला में महिलायें अधिकतर खेती का कार्य देखती हैं और इसलिए उन्हीं पर आर्थिक एवं पारिवारिक बोझ पड़ता है इसलिए उनको विशेष रूप से

विधिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि वे अपने अधिकारों को सुरक्षित करने में वह स्वाभिमानी एवं समृद्धिशील बन सकें। यह जिला अभी हाल ही में सृजित किया गया है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन के उपरान्त ही किया गया। जिला प्राधिकरण का गठन करके उत्तराखण्ड राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण इस जिले के लिए कानूनी सहायता कार्यक्रमों के आयोजन कर आम जनमानस में कानूनी जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है।

1. कुल आयोजित लोक अदालत	: 146
2. निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	: 30293
3. कुल निस्तारित वाद	: 8296
4. कुल दिलायी गयी प्रतिकर/समझौता की राशि	: रू. 4,37,78,683
5. वसूला गया अर्थदण्ड	: रू. 61,93,141
6. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 8501
7. कुल आयोजित साक्षरता शिविर	: 4684
8. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 1016130
9. कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 669
10. कानूनी सलाह प्रदत्त किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 517

(ऑकड़ें जनवरी, 2002 से जनवरी, 2021 तक के अंकित है)

देहरादून

यह जनपद उत्तराखण्ड राज्य का एक सबसे महत्वूपर्ण एवं पौराणिक जनपद है जो कि उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी भी है। मुगल राज्य में औरंगजेब ने गुरूराम राय को देश निकाला किया तो उन्होंने यहाँ आकर अपना डेरा लगाया था और इसी प्रकार महाभारत के गुरुद्रोणाचार्य का आश्रम होने से भी देहरादून का नाम जोड़ा जाता है। इस जनपद का कुल क्षेत्रफल 3,088 स्का0 कि0मी0 है। इस जनपद देहरादून का जिक्र स्कन्द पुराण में भी आता है और अशोक के राज्य में भी तीसरी शताब्दी भी इसका उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसाार 16,96,694 है जिसमें 8,92,199 पुरुष है और 8,04,495 महिलाएं है। इस जनपद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की अधिक जनसंख्या है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जन जाति के लोगों की कुल जनसंख्या 2,28,901 हैं, 1,11,663 अन्य लोग हैं। इस जनपद में हिन्दी, पंजाबी, उर्दू इत्यादि भाषा बोली जाती है और सभी धर्मो के लोग इसमें निवास करते हैं जहाँ तक जनसंख्या का प्रश्न है तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो उपरोक्त कुल जनसंख्या में 4,74,424 हिन्दू लोग थे एवं 2,02,057 मुस्लिम, 20,108 सिक्ख, 1,642 बुद्धिस्ट, 3,628 जैन थे। इस जनपद में कुल 07 तहसील एवं 767 गाँव हैं। इसके मुख्य उपनगर के नाम चकराता कैन्ट, किलेमन्ट टाउन, देहरादून कैन्ट, देहरादून, लनडोर कैन्ट, ऋषिकेश, विकासनगर, वीरभद्र इत्यादि हैं। इस जनपद की तहसीलों के नाम हैं चकराता, देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश।

यह देवभूमि उत्तराखण्ड का एक प्रसिद्ध शहर होने के साथ ही साथ इसकी राजधानी भी है और इसलिए यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या होना स्वाभाविक है लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट है कि इस जनपद में अधिकतर संख्या अनुसूचित जाति के लोगों की है जो कि आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ नहीं हैं और विशेषतया महिलाओं एवं बच्चों को कानूनी सहायता की आवश्यकता होना स्वाभाविक है। इस जनपद में चकरौता तहसील भी स्थित है जो कि हैडक्वार्टर से पचासों मील दूर है और यहाँ की जनसंख्या भी अधिकतर अनुसूचित जनजाति के लोगों की है इसलिए उनके अनपढ़पन को दूर करने में कानूनी सहायता कार्यक्रम बहुत लाभप्रद हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसी जनपद में मंसूरी जैसा प्रसिद्ध टूरिस्ट शहर भी स्थित है जहाँ पर श्रमिकों की समस्याएं अधिक उग्र हैं क्योंकि प्रायः आस–पास के गाँव के निरक्षर एवं गरीब बच्चे यहाँ होटलों में बाल मजदूरी करते हैं इसलिए ऐसे बच्चों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर उनको विधिक रूप से सुशिक्षित नागरिक बनाना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का विषेष दायित्व है। इस जिले में आयोजित कानूनी सहायता कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है :–

1. कुल आयोजित लोक अदालत	: 239
2. निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	: 763558
3. कुल निस्तारित वाद	: 262412
4. कुल दिलायी गयी प्रतिकर/समझौता की राशि	: रू. 1,46,53,50,129
5. वसूला गया अर्थदण्ड	: रू. 4,98,67,302
6. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 275524

7. कुल आयोजित साक्षरता शिविर : 3957
8. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या : 1134917
9. कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या : 3456
10. कानूनी सलाह प्रदत्त किये गये व्यक्तियों की संख्या : 114

(ऑकड़ें जनवरी, 2002 से दिसम्बर, 2021 तक के अंकित है)

हरिद्वार

यह जनपद उत्तराखण्ड राज्य की महत्वपूर्ण एवं भारत की प्रसिद्ध धर्म नगरी है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2,360 कि0मी0 है, जैसा कि इसका नाम है कि यह हिमालय पर्वत जाने का मुख्य द्वार है और इसको मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका
उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। इस धार्मिक नगरी की कुल जनसंख्या 18,90,422 है जिसमें 10,05,295 पुरुष और 8,85,127 महिलाएं हैं और इस कुल जनसंख्या में 6,93,094 के लगभग जनसंख्या ग्रामीण है जिनमें से 3,71,511 के लगभग पुरुष हैं और 3,21,583 के लगभग महिलाएं हैं। इस जनसंख्या में गरीब लोगों की संख्या भी अधिक है जिसमें मुख्यतः अनुसूचित जाति के 4,11,274 के लगभग लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जबकि अनुसूचित जनजाति के लोग मात्र 6,323 के लगभग ही हैं। जहाँ तक इस जनसंख्या में धार्मिक व्यक्ति का प्रश्न है इनमें से उपरोक्त कुल जनसंख्या में 1,91,235 के लगभग हिन्दू हैं और 6,48,119 के लगभग मुस्लिम हैं तथा 1,993 के लगभग सिक्ख हैं। इस जनपद की चार तहसीलें एवं 06 कम्यूनिटी डवलपमेन्ट ब्लॉक्स हैं जबकि इसमें 643 गांव हैं। इस जनपद के मुख्य उपनगरों में भैल (बी.एच.ई.एल.), रानीपुर, हरिद्वार, झवेरा, लानडोरा, मंगलौर, रूड़की इत्यादि हैं। इस जनपद में कई मुख्य मेले और त्यौहार होते हैं। वहाँ कुम्भ का मेला सबसे बड़ा मेला जो कि विश्व प्रसिद्ध है वो भी इसी नगरी में होता है। इस जनपद में रूड़की, लक्सर एवं हरिद्वार तीन तहसीलें हैं।

हरिद्वार उत्तराखण्ड देवभूमि का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल होने के साथ ही साथ यह एक औद्योगिक नगरी भी है और इसके साथ ही साथ इसके आस–पास बहुत बड़े क्षेत्र ग्राम भी हैं इसलिए इसकी समस्याओं में भी विभिन्नता होना स्वाभाविक ही है। यहाँ लोगों के मुकदमों को त्वरित निस्तारित करने में लोक अदालतों का विशेष महत्व है क्योंकि गाँवों की अधिकता के कारण एवं इस धार्मिक नगरी में कुम्भ मेले एवं त्यौहारों की अधिकता के कारण यहाँ अपराधों में भी बहुत अधिकता है जिससे न्यायालयों में लम्बित
मुकदमों की संख्या भी बहुत है। अतः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर लोक अदालतों का आयोजन करके लोगों को त्वरित एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन भी विशेषतः मेले एवं त्यौहारों के अवसर पर लाभप्रद हो सकता है। यहाँ की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किये गये कानूनी सहायता कार्यक्रमों की तस्वीर इस प्रकार है :–

1. कुल आयोजित लोक अदालत : 279
2. निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या : 285675
3. कुल निस्तारित वाद : 93011
4. कुल दिलायी गयी प्रतिकर/समझौता की राशि : रू. 50,63,36,329
5. वसूला गया अर्थदण्ड : रू. 3,86,75,422
6. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या : 99819
7. कुल आयोजित साक्षरता शिविर : 3309
8. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या : 249590
9. कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या : 2303
10. कानूनी सलाह प्रदत्त किये गये व्यक्तियों की संख्या : 613

(ऑकड़ें जनवरी, 2002 से दिसम्बर 2021 तक के अंकित है)

नैनीताल

जनपद नैनीताल का कुल क्षेत्रफल 3,853 स्का0 कि0मी0 है और इसकी जनसंख्या 9,54,605 हैं। जिसमें 4,93,666 पुरुष और 4,60,939 महिलाएं हैं और इस कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 3,71,734 के लगभग है। जिसमें इसमें 1,94,409 पुरुष और 1,77,329 महिलाएं है । इस जनपद की चार तहसीले एवं 8 उपनगर हैं और इन उपनगरों के नाम इस प्रकार हैं– भीमताल, भवाली, हल्द्वानी, काठगोदाम, कालाढूँगी, लालकुआँ,

नैनीताल, रामनगर इत्यादि। इसकी नौ तहसीलों है इस जनपद में अनुसूचित जाति के लोग अधिक संख्या में हैं जो कि कुल जनसंख्या में 1,91,206 के लगभग हैं जिनमें । जहाँ तक अनुसूचित जनजाति का प्रश्न है इनकी भी पर्याप्त जनसंख्या इस जनपद में है जो कि 7,495 के लगभग हैं और इस अनुसूचित जनजाति में भोटिया, बुक्सा, थारू इत्यादि है। इस जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो कार्यक्रम किये गये। वह इस प्रकार है :–

1. कुल आयोजित लोक अदालत	: 205
2. निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	: 186340
3. कुल निस्तारित वाद	: 54801
4. कुल दिलायी गयी प्रतिकर/समझौता की राशि	: रू. 39,29,62,921
5. वसूला गया अर्थदण्ड	: रू. 4,98,91,226
6. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 53907
7. कुल आयोजित साक्षरता शिविर	: 5458
8. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 1979399
9. कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 1216
10. कानूनी सलाह प्रदत्त किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 471

(ऑकड़ें जनवरी, 2002 से दिसम्बर, 2021 तक के अंकित है)

पौढ़ी गढ़वाल

पौढ़ी गढ़वाल जनपद का क्षेत्रफल 5,397 स्का0 कि0मी0 है। इसकी कुल जनसंख्या 6,87,271 है। जिसमें 3,26,829 पुरुष हैं और 3,60,442 महिलाएं हैं। इस जनपद की कुल जनसंख्या में 1,12,703 के लगभग ग्रामीण लोग हैं और इसमें से भी 58,800 के लगभग महिलाएं और 53,903 के लगभग पुरुष हैं। इस क्षेत्र की अनुसूचित जाति की जनंसख्या अधिक है जो कि लगभग 1,22,361 के लगभग है और इसमें अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और जबकि अनुसूचित जन जाति की जनंसख्या बहुत कम जो मुश्किल से 2,215 से अधिक नहीं है। इस क्षेत्र की मुख्य भाषा हिन्दी है और अधिकतर जनसंख्या हिन्दुओं की है जबकि मुस्लिम मात्र 22,931 के लगभग हैं। इस जनपद में केवल 13 तहसीलें हैं और 3,483 के लगभग गाँव हैं। जहाँ तक इस शहर के उपनगर का प्रश्न है जिनमें मुख्यतः कालागढ़, कोटद्वार, लैंसडाउन कैंन्ट, पुरी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, बाह बाजार, दुगड्डा है। इस जनपद में 13 तहसीलें हैं।

यह जनपद उत्तराखण्ड देवभूमि के क्षेत्रफल एवं तहसीलों के क्षेत्रफल को देखते हुए सबसे बड़ा जनपद है और यहाँ की सभी तहसीलें भी हैडक्वार्टर से पचासों मील दूरी पर हैं इसलिए यहाँ के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने एवं उन्हें त्वरित एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिए लोग अदालत एवं साक्षरता शिविरों का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस जनपद द्वारा कानूनी सहायता कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है :–

1. कुल आयोजित लोक अदालत	: 144
2. निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	: 77919
3. कुल निस्तारित वाद	: 23319
4. कुल दिलायी गयी प्रतिकर/समझौता की राशि	: रू. 19,73,57,929
5. वसूला गया अर्थदण्ड	: रू. 97,60,759
6. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 24888
7. कुल आयोजित साक्षरता शिविर	: 2838
8. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 241934
9. कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 828
10. कानूनी सलाह प्रदत्त किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 966

(ऑकड़ें जनवरी, 2002 से दिसम्बर, 2021 तक के अंकित है)

पिथौरागढ़

इस जनपद का कुल क्षेत्रफल 7,118 स्का0 कि0मी0 है। इस जिले का गठन 24 फरवरी, 1960 में हुआ था। इसकी कुल जनसंख्या 4,83,439 है जिनमें 2,39,306 पुरुष और 2,44,133 महिलायें है, और इस जनसंख्या का अधिकतर भाग ग्रामीण जनसंख्या है। जिसका कि कुल 69,605 के लगभग है। जिसमें महिला एवं पुरुष का अनुपात बराबर है। इस क्षेत्र में भी हिन्दी भाषा ही बोली जाती है। इस जनपद की कुल छः तहसीलें हैं और इन मुख्य नगरों के नाम हैं धारचूला, डीडीहाट, पिथौरागढ़, मुनस्यारी इत्यादि। जहाँ तक तहसीलों का प्रश्न है वह है पिथौरागढ़, डीडीहाट, मुनस्यारी इत्यादि। इस जनपद में कुल जनसंख्या 1,20,378 के लगभग अनुसूचित जाति की है । जिनमें अनुसूचित जन जाति के लगभग 19,535 लोग रहते हैं यह जनपद चूँकि चीन सीमा से जुड़ा हुआ चीन तिब्बत की सीमा में है इसलिये इस जनपद के लोगों को कानूनी अधिकारों की जानकारी हेतु विधिक साक्षरता के आयोजन पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। इस जनपद में किये गये कानूनी सहायता कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :–

1. कुल आयोजित लोक अदालत	: 226
2. निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	: 48174
3. कुल निस्तारित वाद	: 17347
4. कुल दिलायी गयी प्रतिकर/समझौता की राशि	: रू. 16,95,52,116
5. वसूला गया अर्थदण्ड	: रू. 1,30,53,798
6. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 18692
7. कुल आयोजित साक्षरता शिविर	: 2444
8. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 436332
9. कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 423
10. कानूनी सलाह प्रदत्त किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 61

(ऑकड़ें जनवरी, 2002 से दिसम्बर, 2021 तक के अंकित है)

रुद्रप्रयाग

इस जनपद का सृजन सितम्बर, 1997 में किया गया था। जिसका कुल क्षेत्रफल 1,895 स्का0 कि0मी0 है। इस जनपद की कुल जनसंख्या 2,42,285 के लगभग है जिसमें 1,14,589 पुरुष हैं और 1,27,696 महिलाएं हैं, और इस जनपद की जनसंख्या में अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण है जो कि 9,925 के लगभग है जिसमें 5,849 के लगभग पुरुष और 4,076 के लगभग महिलाएं हैं । इस जनपद में अधिकतर गढ़वाली भाषा बोली जाती है। इस जनपद में चार तहसीलें और तीन ब्लॉक हैं। इसमें मुख्य तहसीलें रूद्रप्रयाग, ऊखीमठ, जखोली इत्यादि हैं।

1. कुल आयोजित लोक अदालत	: 178
2. निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	: 24199
3. कुल निस्तारित वाद	: 10982
4. कुल दिलायी गयी प्रतिकर/समझौता की राशि	: रू. 9,15,11,488
5. वसूला गया अर्थदण्ड	: रू. 57,81,858
6. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 10708
7. कुल आयोजित साक्षरता शिविर	: 1033
8. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 730491
9. कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 1513
10. कानूनी सलाह प्रदत्त किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 1350

(ऑकड़ें जनवरी, 2002 से दिसम्बर, 2021 तक के अंकित है)

टिहरी गढ़वाल

इस जनपद का कुल क्षेत्रफल 4,421 स्का0 कि0मी0 है और इसका हैडक्वाटर न्यू टिहरी में है। इसकी कुल जनसंख्या 6,18,931 के लगभग है जिसमें 2,97,986 के लगभग पुरुष एवं 3,20,945 के लगभग महिलाएं हैं और यहाँ की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण है जिसकी कुल जनसंख्या 70,139 के लगभग है जिसमें 38,605 के लगभग पुरुष और 31,534 के लगभग महिलाएं हैं। इसके अतिरिक्त शहरी जनसंख्या भी पर्याप्त रूप में है। इस जनपद में अनुसूचित जाति के लोगों की पर्याप्त मात्रा है जिनकी कुल जनसंख्या 17,030 के लगभग हैं जबकि अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या मात्र 226 ही है। इस जनपद की अधिकतर जनसंख्या हिन्दू है जो कि 1,12,877 के लगभग जनसंख्या मुख्यतः हिन्दुओं की है और बाकि अन्य धर्मो के लोग इस जनपद में निवास करते हैं। इस जनपद की केवल 14 तहसीलें एवं 9 ब्लॉक हैं। इन उपनगरों में मुख्यतया देवप्रयाग, कीर्तिनगर, मुनी–की–रेती, नरेन्द्रनगर, टिहरी हैं जहाँ तक तहसीलों का प्रश्न है तो वह घनषाली, टिहरी, प्रतापनगर, देवप्रयाग, नेरन्द्रनगर हैं। इस जनपद के अन्तर्गत किये गये कानूनी सहायता कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है :–

1. कुल आयोजित लोक अदालत	: 188
2. निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	: 35492
3. कुल निस्तारित वाद	: 10982
4. कुल दिलायी गयी प्रतिकर/समझौता की राशि	: रू. 20,51,35,757
5. वसूला गया अर्थदण्ड	: रू. 72,44,919
6. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 12327
7. कुल आयोजित साक्षरता शिविर	: 7377
8. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 1655260
9. कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 693
10. कानूनी सलाह प्रदत्त किये गये व्यक्तियों की संख्या	: 309

(ऑकड़ें जनवरी, 2002 से दिसम्बर, 2021 तक के अंकित है)

ऊधमसिंह नगर

इस जनपद का सृजन सितम्बर, 1995 में किया गया था। जिसका कुल क्षेत्रफल 2,911 स्का0 कि0मी0 है और इसकी जनसंख्या सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 16,48,902 है जिसमें 8,58,783 के लगभग पुरुष हैं और 7,90,119 के लगभग महिलायें हैं। इस जनपद में ग्रामीण जनसंख्या बहुत अधिक है जिनकी कुल जनसंख्या 5,86,760 के लगभग हैं जिसमें 3,08,313 पुरुष और 2,78,447 के लगभग महिलायें हैं। जहाँ तक शहरी जनसंख्या का प्रश्न है वह भी इस जनपद में पर्याप्त मात्रा में है। जहाँ तक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रश्न है वह भी इस जनपद में पर्याप्त मात्रा में बतायी जाती है। जहाँ तक इस जनपद के उप नगरों का प्रश्न है वह मुख्यतः बाजपुर, गदरपुर, जसपुर, काशीपुर, खटीमा, किच्छा, रूद्रपुर, सितारगंज इत्यादि है। इस प्रकार इस जनपद की जहाँ तक तहसीलों का प्रश्न है वह काशीपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज।

इस जनपद की जनसंख्या को देखते हुये जहाँ अपराधों की अधिकता होना स्वाभाविक है और पूर्णतः मैदानी एवं समृद्धिशील क्षेत्र होने के कारण यहाँ अपराध बहुत अधिक है। जहाँ एक तरफ लम्बित मुकदमों के निस्तारण के लिए समय–समय पर लोक अदालतों का आयोजन करके सस्ता एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है वहीं दूसरी ओर लोगों को विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से भी उन्हें शिक्षित एवं समृद्ध बनाया जा सकता है। विशेषतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की इसमें अधिकता है और विशेषतः बच्चों को उनके अधिकारों से सर्वथा शिविरों के माध्यम से सुशिक्षित करके उन्हें लाभ पहुँचाना अधिक प्रभावी हो सकता है। इस जनपद में कानूनी सहायता कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है :–

1. कुल आयोजित लोक अदालत	: 228
2. निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या	: 295212
3. कुल निस्तारित वाद	: 83671
4. कुल दिलायी गयी प्रतिकर/समझौता की राशि	: रू. 1,17,53,15,319
5. वसूला गया अर्थदण्ड	: रू. 5,29,10,468
6. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या	: 88331
7. कुल आयोजित साक्षरता शिविर	: 21037

8. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या : 1850902
9. कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या : 2651
10. कानूनी सलाह प्रदत्त किये गये व्यक्तियों की संख्या : 782
(ऑकड़ें जनवरी, 2002 से दिसम्बर, 2021 तक के अंकित है)

उत्तरकाशी

इस जनपद का सृजन 14 फरवरी, 1960 को किया गया था। जिसका कुल क्षेत्रफल 7,950 स्का0 कि0मी0 है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह वाराणसी की काशीनगरी से सम्बन्धित है और इसी जनपद में गंगा ने भागीरथी के रूप में जन्म लिया था जो कि विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। इस जनपद की कुल जनसंख्या 3,30,086 के लगभग है जिसमें 1,68,597 पुरुष और 1,61,489 के लगभग महिलायें हैं जो कि ग्रामीण हैं यह 24,305 के लगभग हैं। जिसमें 13,222 के लगभग पुरुष और 11,083 के लगभग महिलायें हैं। जहाँ तक अनुसूचित जनजाति का प्रश्न है वह इस जनपद में अधिक मात्रा में है जिसकी कुल जनसंख्या 80,567 के आसपास हैं और अनुसूचित जाति के केवल 3,512 लोग रहते हैं। इस जनसंख्या में अधिकतर जनसंख्या हिन्दुओं की है अन्य धर्म के लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं। इस जनपद में 06 तहसीलें एवं 06 कम्यूनिटी डेवलेपमेन्ट ब्लाक्स हैं। कुल 707 गाँव हैं। जहाँ तक इन तहसीलों का प्रश्न है वह बड़कोट, पुरोला, भटवाड़ी, डुण्डा हैं। इस जनपद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अर्न्तगत पूरे वर्षो में किये गये कानूनी सहायता कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :–

1. कुल आयोजित लोक अदालत : 214
2. निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या : 33765
3. कुल निस्तारित वाद : 14407
4. कुल दिलायी गयी प्रतिकर / समझौता की राशि : रू. 12,66,95,733
5. वसूला गया अर्थदण्ड : रू. 91,28,216
6. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या : 16506
7. कुल आयोजित साक्षरता शिविर : 13482
8. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या : 776369
9. कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या : 462
10. कानूनी सलाह प्रदत्त किये गये व्यक्तियों की संख्या : 251
(ऑकड़ें जनवरी, 2002 से दिसम्बर, 2021 तक के अंकित है)

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर द्वारा आयोजित शिविरों का विवरण निम्नानुसार है :—

1— कुल आयोजित विधिक शिविरों की संख्या : 46
2— शिविर में लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या : 1,20,082
3— कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या : 1237

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम—1987 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना द्वारा दिनांक 09.07.2003 से एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया है। इसका कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में स्थित है। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल के तत्वाधान में उच्च न्यायालय में लम्बित ऐसे वादों के लिए, जिनका कि निस्तारण आपसी सुलह सफाई द्वारा किया जा सकता है, समय—समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल के तत्वाधान में आयोजित लोक अदालतों का विवरण निम्नानुसार है :—

1. कुल आयोजित लोक अदालत : 38
2. निस्तारण हेतु रखे गये वादों की संख्या : 9698
3. कुल निस्तारित वाद : 1521
4. कुल दिलायी गयी प्रतिकर/समझौता की राशि : रू. 60,58,56,592
5. वसूला गया अर्थदण्ड : रू. 0
6. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या : 2235
7. कुल आयोजित साक्षरता शिविर : 0
8. कुल लाभान्वित लोगों की संख्या : 0
9. कानूनी सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या : 1075
10. कानूनी सलाह प्रदत्त किये गये व्यक्तियों की संख्या : 75

(ऑकड़ें जनवरी, 2002 से जून, 2018 तक के अंकित है)

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32.	सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33.	सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34.	सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35.	सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक

36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक

12. HIV/एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कार्यपालक अध्यक्ष

सदस्य–सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला – 2

पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन /फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण

1— पशुओं से दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए :—

पशु बोल नहीं सकता और न ही अपने कष्ट को व्यक्त कर सकता है इसलिए पशुओं के साथ बरती क्रूरता के निवारण के लिये कानून बनाये गये ताकि पशुओं के प्रति हमारा दोस्ताना व्यवहार हो और उसके साथ हम क्रूरता का व्यवहार न करें। पशुओं की सुरक्षा हेतु राज्य में निम्नांकित मुख्य अधिनियम बनाये गये हैं।

1— उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम — 2007
2— उ0 प्र0 गोशाला अधिनियम — 1964
3— उ0 प्र0 पशुधन सुधार अधिनियम — 1964
4— पशु क्रूरता निवारण अधिनियम — 1960

उत्तराखण्ड में गायों एवं गायें के वश के संरक्षण हेतु उत्तराखण्ड गो वशं संरक्षण अधिनियम, 2007 अधिनियीमत किया गया है। जोकि 19 जुलाई, 2007 से समस्त उत्तराखण्ड में लागु है। इससे पूर्व गो— वध के निवारण हेतु उ0 प्र0 गो—वध निवारण अधिनियम 1955 ही उत्तराखण्ड में प्रभावी था।

1— गो—वध करना, गो—मांस कब्जे में रखना अपराध है :—

उत्तराखण्ड गो वश संरक्षण अधिनियम के अनुसार "गो—वश" में गाय, बैल, सांड, बछिया अथवा बछड़ा अभिप्रेत है। इस अधिनियम के अन्तगर्त गो—वध करने, गौ मांस कब्जे में रखने एवं बेचने तथा गो—वंश के शहरी क्षेत्र में स्वतंत्र विचरण का प्रतिषेध किया गया है।

'वध' से किसी ढंग द्वारा, चाहे जो भी हो, मारना अभिप्रेत है, और इसमें ऐसी शरीरिक चोट पहुँचाना व अपंग करना अथवा विष देना साम्मीलित है, जो सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करेगा। कोई व्यक्ति गाय का या गौ—वंश का न तो वध करेगा और नही वध करेगा, ना ही ऐसा प्रस्ताव करेगा या प्रस्ताव कराएगा। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी भी रूप में गौ—मांस अथवा तत्संबंधी पदार्थ को प्रत्यस अथवा परोस रू‍ से न तो कब्जे में रखेगा, न ही बेचेगा, न परिवहन के लिए प्रस्तावित करेगा और न बिकवायेगा अथवा परिवहन करवायेगा।

उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंधन करने वाले व्यक्ति को धारा — 11(1) के अन्तगर्त तीन वर्ष से दस वर्ष तक की अवधि के धारावास एवं रू0 5000/— से रू0 10,000/— तक के जुमाने से दण्डित किया जाना उपवंधित किया गया है।

2— रोगी अथवा आहत गौ—वंश का वध की अनुमति —

परन्तु ऐसा कोई गो—वंश जो कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित किसी असाहय एवं पीड़ासन का परिस्थिति में हो अथवा किसी ऐसे सांस्पर्शीक रोग से ग्रस्त हो, जिसके संक्रमण से पशुधन के साथ—साथ मानव के लिए खतरा उत्पन्न हो गया हो, तब स्थानीय प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ऐसे रोगी या आहत गौ—वशं के वध की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

3— गौ—वंश का परिवहन का विनियमन

धारा—6 में गौ—वंश के परिवहन के विनियमन के विषय में प्रावधान किया गया है। तदानुसार कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान पर बिना प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुझा पत्र के गौ—वंश का न तो परिवहन करेगा, न परिवहन करने के लिए प्रस्तुत करेगा। और न परिवहन करायेगा। परिवहन हेतु अनुमति केवल गौ वंश के पालन, संरक्षण या संम्बर्धन के लिए प्रदान की जा सकती है। सक्षम अधिकारी सन्तुष्ट होन पर प्रत्येक गौ—वंश के लिए रू0 500/— शुल्क का संचय करने पर अनुझा—पत्र जारी करेगा। गौ—वंश के राज्य के बाहर परिवहन हेतू प्रत्येक जनपद का जिलाधिकारी सक्षम अधिकारी होगा।

यदि कोई व्यक्ति बिना अनुक्षा–पत्र के गौ–वंश का परिवहन करेगा तो वह तीन वर्ष तक की अवधि के धारावास तथा जुर्माना, जो न्यूनतम रू0 2000/– एवं अधिकतम रू0 2500/– प्रति गौ–वंश तक हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

4– गौ–वंश के स्वतंत्र विचरण का प्रतिषेध

कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र (नगर निगम नगरपालिका) में गौ–वंश को आवारा नही छोड़ेगा तथा गाय को डुडने के पश्चात स्वतंत्र विचरण नही करने देगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में गौ–वंश पालन के लिए सम्बन्धित नगर के मुख्य नगर अधिकारी अधिशासी अधिकारी से गौ–वंश के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना बाध्यकारी होगा तथा रेडियो फ्रिववेन्सी पहचान अथवा इससे बेहतर किसी तकनीक से, प्रत्येक गौ–वंश की व्यक्तिगत पहचान स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त उपवधी का उल्लघंन किये जाने पर धारा – 7,8/11(3) के अन्तर्गत न्यूनतम एक सप्ताह से अधिकतम एक माह तक के साधारण धरावास या एक हजार रूपये तक जुर्माने से प्राप्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।

5– अलाभकर गायों की देख–रेख के लिए संस्थायें स्थापित करनाः–

राज्य सरकार तथा कोई गैर सरकारी संस्था अलाभकर गायों (भटकती हुई दुर्लभ, असाहय रूण अथवा बन्छया गाय) के लिए आवश्यकतानुसार संस्थाएं स्थापित कर सकेगी। परन्तु गैर सरकारी संगठनों के संस्थायें स्थापित करने से पूर्व सूचना विहित प्ररूप पर जिले के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के देनी होगी। अलाभकरी गौं–वंश के संस्थाओं में रखे जाने पर उसके परिवहन, भरण पोषण और चिकित्सा आदि व्यय जिला माजिस्ट्रेट द्वारा विहित की जाने वाली दरों पर गौ–वंश के स्वामी द्वारा संबंधित संस्था के भुगतान करना होगा।

6– गोशालाओं का प्रबन्ध एवं नियंत्रण करने सम्बन्धी विधि :–

उ0 प्र0 गोशाला अधिनियम 1964 के अन्तर्गत गोशालाओं के अपेक्षाकृत अच्छे प्रबन्ध तथा नियंत्रण का प्राविधान किया गया है। गोशाला से तात्पर्य ऐसी धर्मार्थ संस्था से है जो पशु रखने, उनका अभिजनन, पालन या भरण–पोषण करने के प्रयोजन से अथवा दुर्बल, बूढ़े, अशक्त या रोगी पशुओं को भर्ती व प्रस्तुत करने और उनका उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गई हो। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह राज्य में एक संघ स्थापित करायें, जो प्रदेश में गोशाला संघ कहलायेगा और संघ में गौशालाओं के न्यासियों के द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किय गये उतने व्यक्ति होंगे जितने नियत किये जायें। राज्य में स्थापित सभी गोशालाओं का विवरण इस प्रदेश गोशाला रजिस्टर में रखा जायेगा जिसमें निबन्धक द्वारा किसी भी समस्या तो स्वयं या गोशाला में स्वत्व रखने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा नियत रीति से जाँच की जाती है।

7– बिना अनुमोदित सांड को पालना अपराध है :–

उ0 प्र0 पशुधन सुधार अधिनियम 1964 प्रदेश में पशुधन के सुधार की व्यवस्था करने हेतु बनाया गया है जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा सांड नहीं पालेगा जो अनुमोदित सांड न हों। पशुधन अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति से जो अनुमोदित सांड पालता है, निरीक्षण के लिये सांड को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और तदोपरान्त वह व्यक्ति उसे निरीक्षण के लिये नियत दिनांक पर ऐसे समय तथा स्थान पर प्रस्तुत करेगा जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाये, बशर्ते निरीक्षण उसी गाँव अथवा नगर में होगा जिसमें सांड पालने वाला व्यक्ति सामान्यतया रहता हो। इस प्रकार यदि सांड निरीक्षण करने पर पशुधन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि सांड प्रयोजनों के काम में लाये जाने योग्य है और वह दोषपूर्ण या निम्न स्वरूप का नहीं है या असाध्य प्रकार के ऐसे सांसर्गिक या सांक्रमिक रोग से या किसी ऐसे अन्य रोग से पीड़ित नहीं है जिससे कि सांड जनन प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त हो जाय और उक्त क्षेत्र के लिये उपयुक्त घोषित न किया गया हो तो वह उस सांड को अनुमोदित सांड के रूप में प्रमाणित करेगा और तदर्थ नियत चिन्ह से उसे दगवायेगा। यदि निरीक्षण करने पर पशुधन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि कोई सांड प्रमाणित किये जाने या दागे जाने में उपयुक्त नहीं है तो वह लिखित आज्ञा द्वारा सांड पालने वाले व्यक्ति को यह निदेष देगा कि वह

सांड को ऐसी अवधि में बधिया करा लें, बधिया करने का कार्य पशुधान अधिकारी करेगा या करवायेगा और जब तक सांड का स्वामी या उसको पालने वाला अन्य व्यक्ति आज्ञा का पालन करने के लिए स्वयं की इच्छा प्रकट न करें, इस अधिनियम के अन्तर्गत पशुधन अधिकारी ऐसे रजिस्टरों को रखेगा या रखवायेगा जिनमें सांडों के निरीक्षण, बधिया किये जाने, प्रमाणीकरण और दागे जाने के विवरण तथा अन्य सूचनायें दी जायेगी। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकारी के इस अधिनियम के अधीन नियत किसी चिन्ह से अथवा नियत चिन्ह सदृश्य किसी चिन्ह से जिसका अभिप्राय धोखा देकर किसी सांड को दागता है या दगवाता है तो उसे 3 माह का कारावास या 500/– रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है परन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों का संज्ञान तभी लिया जा सकता है जबकि पशुधन अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिवाद प्रस्तुत न किया जाये तब तक कोई न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं कर सकता।

8– पशुओं को पीड़ा या यातना देना अपराध है :–

पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना दिये जाने से रोकने के लिए पशु निर्दयता निवारण सम्बन्धी विधि को सृजित किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पशु से तात्पर्य मनुष्य से भिन्न कोई प्राणधारी जीव से है। इसी प्रकार बन्द पशु से तात्पर्य कोई भी ऐसे पशु से है जो पालतू नहीं है, जो बन्दी अवस्था या बन्धन वह चाहे स्थायी हो अथवा अस्थायी रूप में हो अथवा जिसे बन्दी अवस्था या बन्धन से उसके पलायन को अवरूद्ध या निरूद्ध करने हेतु किसी उपकरण या युक्ति के अधीनस्थ किया गया हो अथवा जिसके पंख काटे गये हों अथवा जिसे अपंग किया गया हो या किया गया प्रतीत होता हो। इसी प्रकार पालतू पशु से तात्पर्य कोई भी पशु से है जिसे पाला गया है अथवा जिसे मनुष्य के उपयोग के हेतु किसी प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए पर्याप्ततः पालतू कर लिया गया है या किया जा रहा है, पालतू पशु कहलायेगा। किसी भी पशु का प्रभार धारण करने या देख–रेख करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे पशु के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु तथा ऐसे पशु को अनावश्यक पीड़ा या यातना दिये जाने से रोकने के लिए समस्त युक्तियुक्त उपाय करें।

इस अधिनियम से यह भी अपेक्षा की गई है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड का गठन किया जाय ताकि यह बोर्ड पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण के लिए भारत में प्रवृत विधि का निरन्तर अध्ययन करते रहे तथा समय–समय पर ऐसी किसी विधि में किये जाने वाले संशोधन पर शासन को परामर्श देता रहे।

सामान्यतः पशुओं के प्रति आवश्यक पीड़ा या यातना का निवारण करने की दृष्टि से और विशेषतः जबकि उनका एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन किया जा रहा हो अथवा जबकि उनका प्रयोग करतब दिखाने वाले पशुओं के रूप में किया जाता है अथवा तब जब कि उन्हें बन्दी अवस्था में बन्धन में रखा जाता है, इस अधिनियम के अधीन नियमों के बनाने में केन्द्रीय सरकारी को परामर्श देना भी बोर्ड का कार्य है।

9– वध शालाओं में क्या सर्तकता बरतना आवश्यक है :–

वध–शालाओं की रूपरेखा अथवा वध–शालाओं के साधारण से विषय पर अथवा पशुओं के हनन के सम्बन्ध में सरकार किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को परामर्श देना, ताकि वध से पूर्व की अवस्थाओं में आवश्यक पीड़ा या यातना जो चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो यथा–सम्भव दूर किया जा सकें और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, पशुओं की हत्या यथा–सम्भव मानुशिक ढंग से की जाये।

ऐसी समस्त कार्यवाही करना जो यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड उपयुक्त समझे कि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जब तभी ऐसा करना आवश्यक हो, अवांछनीय पशुओं को या तो तत्काल या पीड़ा अथवा यातना से संज्ञाहीन किये जाने के पश्चात् विनष्ट किया जाये।

10– सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा गृह पशु एवं पशु आश्रम स्थल बनाने के लिए प्रेरित करना :–

आर्थिक सहायता के अनुदान द्वारा या अन्यथा पिंजरापोल, बचाव–गृह, पशु आश्रय, शरण्य–स्थल इत्यादि पाये जाने और स्थापित करने को प्रोत्साहित करना, जहाँ पशु या पक्षी, जबकि वे वृद्ध और निरूपयोगी हो गये हों जब उन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो, आश्रय पा सकें। पशुओं को आवश्यक पीड़ा या यातना दिये जाने से रोकने के प्रयोजनार्थ अथवा पशु और पक्षियों के अनुसरण के लिए स्थापित संस्थाओं एवं निकायों के साथ सहयोग करना और कार्यो का समन्वय करना। किसी स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने वाले पशु कल्याण संस्थाओं को आर्थिक तथा अन्य सहायता देना अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में पशु कल्याण संस्थाओं के विरचन को प्रोत्साहित करना जो बोर्ड की सामान्य देख–रेख और निर्देशन के अधीन कार्य करें। चिकित्सीय देखभाल तथा सावधानी सम्बन्धी मामलों में जिनकी कि व्यवस्था पशु अस्पतालों में

की जा सकें। सरकार को परामर्श देना तथा पशु अस्पतालों को आर्थिक तथा अन्य सहायता देना जब कभी बोर्ड ऐसा करना आवश्यक समझें।

11— पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु शिक्षा प्रदान करना :—

पशुओं के साथ सभ्य व्यवहार के सम्बन्ध में शिक्षा प्रदान करना तथा व्याख्यानों, पुस्तकों, प्रचार—पत्रों, चलचित्र इत्यादि के माध्यम से पशुओं को आवश्यक पीड़ा या यातना पहुँचाये जाने के विरूद्ध एवं पशु कल्याण के उत्कर्ष के लिए जनमत बनाने में प्रोत्साहन देना। पशु कल्याण अथवा पशुओं को पहुँचाने वाली आवश्यक पीड़ा या यातना के निवारण से सम्बद्ध किसी भी विषय में सरकार को परामर्श देना बोर्ड के कर्तव्य होंगे।

12— पशुओं के प्रति कौन—कौन से व्यवहार क्रूरता की श्रेणी में आते है :—

पशुओं के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार करना अपराध है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा—11 के अन्तर्गत निम्नांकित कृत्य पशुओं के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने की श्रेणी में आते हैं :—

क— यदि कोई व्यक्ति किसी पशु को पीटता है, लात मारता है, दौड़ा—दौड़ा कर थका डालता है, बहुत बोझ लाद लेता है, शारीरिक यंत्रणा देता है अथवा अन्यथा उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना के वशीभूत करे अथवा किसी पशु के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है अथवा स्वामी होते हुये, होने देता है।

ख— किसी पशु को किसी ऐसे काम या परिश्रम में या किसी प्रयोजन के लिए लगाता है जो अपनी आयु या किसी रोग, निर्बलता, घाव, फोड़ा, फुन्सी के कारण अथवा अन्य किसी कारण से इस प्रकार के काम में लाये जाने के उपयुक्त नहीं है अथवा स्वामी हुये, ऐसे किसी सक्षम पशु को इस प्रकार काम में लाये जाने की अनुमति देता है अथवा

ग— जानबूझकर तथा अयुक्तियुक्त रूप से किसी पशु को हानिकारक औषधियाँ या पदार्थ खिलाता—पिलाता है अथवा जान—बुझकर किसी पशु द्वारा ऐसी अवधि या पदार्थ ग्रहण किये जाने का कारणभूत होता है या होने का कारणभूत होता है या होने का प्रयास करता है अथवा

घ— किसी पशु को चाहे यान में या उस पर अथवा नहीं, इस रीति या स्थिति में वहन करता है या ले जाता है जिससे कि वह अनावश्यक पीड़ा या यातना के वशीभूत हो अथवा

ङ— किसी पशु को किसी ऐसे पिंजरे या भाजन में रखता है या बन्द करता है जिसकी ऊँचाई, लम्बाई और चौड़ाई माप में इतनी पर्याप्त नहीं है कि उस पशु को हिलने—डुलने का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त हो सके अथवा

च— किसी पशु को अयुक्तियुक्त काल तक जंजीर या रस्सी से बाँधे रखता है अथवा अयुक्तियुक्त रूप से छोटी या अयुक्तियुक्त रूप से भारी जंजीर या रस्सी से बाँधकर रखता है अथवा

छ— स्वामी होते हुये, किसी कुत्ते को जो नित्यतः जंजीर में बँधा रहता है या संकीर्ण परिरोध में रखा जाता है, युक्तियुक्त रूप में घुमाने—फिराने या घुमवाने या फिरवाने में अवहेलना करता है अथवा

ज— किसी पकड़े हुये पशु का स्वामी होते हुये उस पशु को पर्याप्त खाना पीना या आश्रय नहीं देता है, अथवा

झ— युक्तियुक्त कारण के बिना किसी पशु का इन परिस्थितियों में परित्याग करना जिनसे यह सम्भाव्य हो जाता है कि उसे भूख और प्यास के कारण पीड़ा सहन करनी होगी अथवा

ञ— किसी पशु को जिसका कि वह स्वामी जान—बूझकर किसी सड़क पर मुक्त रूप से जाने देता है जबकि वह पशु संक्रामक रोग से ग्रस्त अथवा युक्तियुक्त कारण के बिना किसी रोगग्रस्त या अपंग पशु को जिसका कि वह स्वामी है, किसी सड़क पर मरने देता है अथवा

ट– किसी ऐसे पशु को विक्रय के लिये प्रदर्शित करता है या युक्तियुक्त करने के बिना अपने आधिपत्य में रखता है जो कि अंग–विच्छेद, भूख, प्यास, अतिसंकुल या अन्य दुर्व्यवहार के कारण पीड़ाग्रस्त है अथवा

ठ– किसी पशु को विकृत करता है या किसी पशु को (आवारा कुत्तों को सम्मिलित करते हुए) हृदया में स्ट्राइकनाइन इंजेक्शनों की पद्धति के प्रयोग द्वारा अथवा किसी अन्य अनावश्यक रूप से निर्दयतापूर्वक रीति में भार डालता है, अथवा

ड– केवल मनोरंजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से –

(1) किसी पशु का निरोधन करता है या कराता है (किसी टाइगर या अन्य अभ्यारण में चारे के रूप में किसी पशु को बाँधने को सम्मिलित करते हुये) जिससे कि वह किसी अन्य पशु को आहार बन सकें, या

(2) किसी पशु को लड़ने या अन्य पशु को सताने को उद्दीप्त करता है अथवा

ढ– अपने व्यापार के प्रयोजनार्थ पशु युद्ध या किसी पशु को संत्रस्त करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान कोप विन्यस्त करता है प्रयोग में लाता है या उसके प्रबंध में कार्य करता है अथवा ऐसे किसी प्रयोजन के लिऐ किसी स्थान को प्रयोग में लाये जाने की अनुज्ञा देता है या प्रस्तुत करता है अथवा ऐसे किन्हीं प्रयोजनों से लिये रखे गये या प्रयोजित किसी स्थान में किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश के लिये धन प्राप्त करता है, अथवा

ण– किसी लक्ष्यभेद प्रतियोगिता या प्रतिद्वन्द्विता को दुष्प्रेरित करता है या उसमें भाग लेता है जिसमें कि ऐसे लक्ष्य भेद के प्रयोजनार्थ पशुओं को बन्दी अवस्था से मुक्त किया जाता है।

वह प्रथम अपराध की दशा में, जुर्माने से जो दस रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास रूपये तक को हो सकेगा तथा पहले अपराध से तीन वर्ष के भीतर कारित किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में जुर्माने से जो पच्चीस रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रूपये तक को हो सकेगा या तीन मास तक की अवधि के कारावास से या दोनों से दण्डनीय होगा।

13– पशुओं को इन्जेक्शन देकर दूध प्राप्त करना अपराध है :–

यदि कोई व्यक्ति किसी गाय या अन्य दूध देने वाले पर फूँका या दूमदेव कहलाने वाली क्रिया या दूध देने के सुधार की कोई अन्य क्रिया (किसी पदार्थ के इंजेक्शन सम्मिलित करते हुये) को प्रयोग करता है अथवा अपने कब्जे के अधीन या नियन्त्रणाधीन ऐसे किसी पशु पर ऐसी क्रिया होने देता है, तो वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकता है अथवा दो वर्ष की अवधि का कारावास से, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा और उस पशु को जिस पर ऐसी क्रिया की गई है सरकार के पक्ष में समपहरण कर लिया जायेगा।

14– पशुओं का करतब दिखाने में प्रयोग करना निषेध है :–

इस अधिनियम की धारा–22 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी करतब दिखाने वाले पशु को जब तक कि वह इस अध्याय के उपबन्धों के अनुरूप रजिस्ट्रीकृत न हो, करतब दिखाने वाले पशु के रूप में किसी पशु को जिसे कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे पशु के रूप में विनिर्दिष्ट करे कि करतब दिखाने वाले पशु के रूप में, प्रदर्शित या प्रशिक्षित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा–23 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया –

1– किसी करतब दिखाने वाले पशु को प्रदर्शित या प्रशिक्षित करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, विनिर्दिष्ट फार्म पर आवेदन–पत्र देने पर तथा विहित शुल्क का शोधन करने पर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा जब तक कि वह ऐसा व्यक्ति न हों जो इस अध्याय के अधीन पारित न्यायालय के आदेश के कारण, इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किये जाने को अधिकारी न हो।

2– इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन–पत्र में पशुओं के संबंध में तथा उन खेल तमाशों की सामान्य प्रकृति के सम्बन्ध में जिनमें कि पशुओं का प्रदर्शन किया जाना है अथवा जिनके लिए कि उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है, ऐसे विवरण अन्तर्विष्ट होंगे जैसे कि विहित किए जाएँ और इस प्रकार दिये गये विहित प्राधिकारी द्वारा संधारित पंजी में प्रविष्ट किए जायेंगे।

3– विहित प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति जो जिसका कि नाम उसके द्वारा रखी गई पंजी में है विहित प्रपत्र पर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र देगा जिसमें रजिस्टर में प्रविष्ट विवरण अन्तर्विष्ट होंगे।

4– इस अध्याय में अधीन रखे जाने वाले प्रत्येक रजिस्टर समस्त युक्तियुक्त समयों पर विहित शुल्क देने पर, उसकी प्रतिलिपियाँ अभिप्राय करने, अथवा उनके संक्षिप्त–उद्धरण तैयार करने का अधिकारी होगा।

5– कोई भी व्यक्ति जिसका नाम पंजी में है, न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अधीन तद्प्रयोजनार्थ आवेदन–पत्र देने पर, अपने सम्बन्ध में पंजी में प्रविष्ट विवरणों को परिवर्तित करने का अधिकारी होगा और जहाँ कि कोई ऐसे विवरण इस प्रकार परिवर्तित किये जायें तब विद्यमान होगा और जहाँ कि कोई ऐसे विवरण इस प्रकार परिवर्तित किये जायें तब विद्यमान प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और नया प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

15– पशु हमारी राष्ट्र की संपदा है :–

पशु हमारे दोस्त ही नहीं बल्कि हमारे सेवक भी हैं क्योंकि जीवन का महत्वपूर्ण आधार पोष्टिक आहार है, जो हमारे बच्चों को पशुओं से ही प्राप्त होता है। यदि गाय–भैंसे नहीं होती तो हमें दूध भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमें पशुओं का ऋणी होना चाहिए और जो भी उनके प्रति क्रूरता का व्यवहार करें उसको दण्डित किया जाना चाहिए। असहाय पशुओं को शरण देना हमारा कर्तव्य है। पशु राष्ट्र की महत्वपूर्ण धन सम्पदा है जिनकी सुरक्षा के लिये कानून तो बनाये गये हैं परन्तु उनका लाभ पशुओं को नहीं मिल पाता। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि जब भी पशु संकट में हों तो हमें उनके संकट के निवारण के लिए अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से सरल भाषा में जहाँ पशुओं के कल्याण के लिए जानकारियाँ दी गई हैं वहीं हर व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विधिक ज्ञान से निष्चय ही पशुओं को लाभ पहँचायेंगे जो पशुओं के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित हो सकें।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
(ग) स्त्री या बालक
(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
(च) औद्योगिक कर्मकार
(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित
(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊॅगा/छुपाऊॅगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी
पता –
नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)

32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42	शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43	समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44	कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46	आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47	उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कार्यपालक अध्यक्ष

सदस्य–सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला – 3

वन सम्बन्धी कानून की संक्षिप्त जानकारी

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

वन सम्बन्धी कानून की संक्षिप्त जानकारी

1. हमारा जीवन वन पर आधारित है –

उत्तराखण्ड राज्य का अधिकतर क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है और वनों की सुरक्षा में ही राज्य की समृद्धि निर्भर है। पहाड़वासियों के रोजमर्रा के जीवन में वन का विशेष महत्व है। वन हमारी लकड़ी, ईंधन, चारा–पत्ती इत्यादि की मांग को पूरा करने के साथ–साथ प्राकृतिक सौन्दर्य में वृद्धि करके हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकता है। वन के कारण ही जलवायु को स्वच्छ रखने के साथ–साथ भूमि एवं जल का संरक्षण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वन्य जीवों के निवास स्थल होने से वन हमारे जीवन को सुखमय भी बनाते हैं। अतः वन एवं वन्यजीव हमारी बहुमूल्य संपदा है जिसकी सुरक्षा करने में योगदान देना हम सबको विधिक एवं नैतिक दायित्व है।

2. वनों की सुरक्षा सम्बन्धी बनाये गये महत्वपूर्ण कानून वनों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाये गये हैं, उनका विवरण इस प्रकार से है –

(क) भारतीय वन अधिनियम, 1927
(ख) वन संरक्षण अधिनियम, 1980
(ग) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972
(घ) पशु अतिचार अधिनियम, 1871

भारतीय वन अधिनियम, 1927

वनों की सुरक्षा के लिए आजादी से पहले से ही कानून बनाकर इसकी सुरक्षा की व्यवस्था थी। वनों के उपज के अभिवहन और ईमारती लकड़ी और वन्य उपज के उद्ग्रहण के शुल्क में सम्बद्ध सभी मामलों की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार किसी वन भूमि या बंजर भूमि या अन्य भूमि जो सरकार की सम्पत्ति है, को अधिनियम की धारा–3 में प्राविधानित ढंग से संरक्षित वन नियत कर सकती है।

(प) अधिनियम के मुख्य–मुख्य प्राविधान –

वनों, वन उपज के अभिवहन और इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज पर उद्ग्रहणीय शुल्क से सम्बद्ध विधि का समेकन करना।

♦ राज्य सरकार को किसी वन भूमि या बंजर भूमि या अन्य भूमि जो सरकार की सम्पत्ति है, इस अधिनियम की धारा–3 में प्राविधानित ढंग से संरक्षित वन नियत करना।

♦ चारागाह या वन उपज के अधिकारों से सम्बद्ध दावों पर वन व्यवस्थापन्न अधिकारी पूर्णतः या भागतः टूट या खारिज करने का आदेश पारित करेगा।

♦ यदि वन अधिकारी द्वारा इस अधिकार को नामंजूर कर दिया जाता है, इस आदेश के विरूद्ध 3 माह के अंदर जिला जज के यहां अपील दायर की जा सकती है।

♦ इस अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारी को आरक्षित वनों के पथों और जल मांगों को बन्द करने की शक्ति होगी।

♦ आरक्षित वनों में आग लगाने तथा पशुओं पर अत्याचार करने पर दण्डित किया जा सकता है अर्थात यदि कोई व्यक्ति पेड़ गिराएगा, छेदेगा या जलाएगा, खेती के लिए किसी भूमि को साफ करेगा इत्यादि।

♦ अधिनियम की धारा–26 के अंतर्गत वन को नुकसान पहुँचाने के कारण इस अमिनियम 6 माह तक का कारावास या 500/– रुपये तक का अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

♦ यदि कोई आरक्षित वन को जानबूझकर नुकसान पहुँचाता है या किसी अपेक्षा द्वारा आग लगायी जाती है तो राज्य सरकार उसके किसी प्रभाग में चारागाह या वन उपज, के सब अधिकारों का प्रयोग उतनी काल्पवधि के लिए, जितनी वह ठीक समझती है निलंबित कर सकती है।

♦ अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेष दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन आरक्षित कोई वन या उसका प्रभाग, ऐसी अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से, आरक्षित वन नहीं रह जाएगा।

(पप) ग्राम वनों का निर्माण –

राज्य सरकार किसी आरक्षित वन पर सरकार के अधिकारों को किसी ग्राम समुदाय को समनुदेशित कर सकेगी या समनुदेशित को निरस्त कर सकेगी। इस प्रकार समनुदेशित सभी वनों को ग्राम वन कहा जायेगा। इस प्रकार जिसे ऐसा समनुदेशन किया गया है, को इमारती लकड़ी या अन्य वन उत्पाद या चारागाह और ऐसे वन के संरक्षण और सुधार के लिए उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में प्रावधान किया जायेगा और नियम बना सकेगी।

(पपप) आरक्षित वनों को नुकसान पहुंचाने पर दण्डित किया जा सकता है –

अधिनियम की धारा–33 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात् –

♦ धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष को गिरायेगा, छांटेगा, छेदेगा या जलायेगा या किसी वृक्ष की छाल उतारेगा या पत्तियां तोड़ डालेगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचायेगा।

♦ किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल पत्थर की खुदाई करेगा या चूने या लकड़ी का कोयला फूंकेगा, या किसी वन उपज का संग्रहण करेगा या उसे हटायेगा।

♦ किसी संरक्षित वन में, किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल किसी भूमि को खेती या अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ेगा या साफ करेगा।

♦ ऐसे वन को आग लगायेगा, या धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष तक, चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो या गिराया गया हो, ऐसे वन के बन्द किये गये किसी प्रभाग तक फैल जाने से रोकने के लिए युक्तियुक्त पूर्ण सावधानी बरते बिना आग जलाएगा।

♦ ऐसे किसी पेड़ या वन प्रभाग के समीप में अपने द्वारा जलाई गई किसी आग को जलता छोड़ देगा।

♦ किसी पेड़ को इस प्रकार गिरायेगा या किसी इमारती लकड़ी को इस प्रकार गिरायेगा कि यथापूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुँचाता है।

♦ पशुओं को ऐसे किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने देगा।

♦ धारा–32 के अधीन बनाये गये किन्ही नियमों का अतिलंघन करेगा।

♦ वह उस अवधि के लिए कारावास से, जो 6 माह तक की हो सकेगा या जुर्माना से जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(पअ) स्वामियों की प्रार्थना पर वनों का संरक्षण –

धारा–38 के अंतर्गत स्वामियों की प्रार्थना पर वनों का संरक्षण किया जा सकता है। इसका प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर को देना होगा कि इस भूमि पर वनों का रोपण या संरक्षण किया जाये।

(अ) वनों के प्रबन्ध ग्रहण करने की शक्ति –

यदि राज्य सरकार लोकहित में किसी विशिष्ट वन भूमि का प्रबन्धन ग्रहण करना लोकहित में उचित समझती है, तो वह अधिनियम की धारा 38 ज के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करके शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा आदेश पारित कर सकती है।

(अप) वारण्ट के बिना वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करने की शक्ति –

1. अधिनियम की धारा–64 में व्यवस्था की गई है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके विरूद्ध यह युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि वह एक मास या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी वन विषयक अपराध से सम्पृक्त है, कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी मजिस्ट्रेट के आदेशों के और किसी वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।

2. इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाला हर अधिकारी किसी अनावश्यक विलम्ब के बिना और बन्ध पत्र पर निर्मुक्त करने सम्बन्धी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट के जिसे इस मामले में अधिकारिता प्राप्त है, समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन में भारसाधक अधिकारी के पास ले जायेगा या भेजेगा।

(अपप) किसी गिरफ्तार व्यक्ति को बन्धपत्र पर निर्मुक्त करने की शक्ति–

अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत, रेंजर के निम्न पंक्ति का कोई वन अधिकारी, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने धारा–64 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा यह बंधपत्र निष्पादित कर दिये जाने पर निर्मुक्त कर सकेगा कि जब ऐसी अपेक्षा की जायेगी तो तब वह मामले के बारे में अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट के समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी के समक्ष उपसंजात हो जायेगा।

(अपपप) अपराधों के संक्षिप्ततः निवारण करने की शक्ति –

धारा–67 के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन किसी ऐसे विषयक अपराध का विचारण संक्षिप्ततः कर सकेगा, जो 6 माह से अनधिक कारावास या पाँच सौ रुपये से अधिक जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय है।

(पग) अपराधों का शमन करने की शक्ति –

1. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी वन अधिकारी को शक्ति प्रदान कर सकेगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध ऐसा युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा–62 या धारा –63 में विर्निदिष्ट किसी अपराध में भिन्न कोई वन विषयक अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिग्रहित कर लें और जब कोई संपत्ति अधिहरणीय होने के नाते अभिग्रहीत की गई है, तब ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित उसके मूल्य के दे दिए जाने पर सम्पत्ति को निर्मुक्त कर दें।

2. ऐसे अधिकारी के यथास्थिति, ऐसी धनराशि या मूल्य या दोनों को दे दिये जाने पर संदिग्ध व्यक्ति को यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जायेगा और वह सम्पत्ति यदि कोई हो, जो अभिग्रहीत की गई है, निर्मुक्त कर दी जायेगी ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(ग) पशु अतिचार अधिनियम, 1871 का लागू होना –

किसी आरक्षित वन में या किसी संरक्षित वन के किसी प्रभाग में जो विधिपूर्णतः चारागाह के लिए बन्द किया गया है, अतिचार करने वाले पशुओं को पशु अतिचार अधिनियम, 1871 की धारा –11 के अर्थ में लोक बागान को नुकसान करने वाले पशु समझा जायेगा, और किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा उन्हें अभिग्रहीत और परिबद्ध किया जा सकेगा।

(गप) राज्य सरकार वन अधिकारियों में कतिपय शक्तियाँ विनिहित कर सकेगी –

1. राज्य सरकार किसी वन अधिकारी में निम्नलिखित सब शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति विनिहित कर सकेगी। अर्थात् किसी भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण, सीमांकन और नक्शा तैयार

करने की शक्ति, साक्षियों को हाजिर होने के लिए और दस्तावेजों और सारवान् वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने वाली सिविल न्यायालय की शक्तियाँ, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन तलाशी वारण्ट निकालने की शक्ति, वन विषयक अपराधों की जाँच करने और ऐसी जाँच के दौरान साक्ष्य लेने और उसे अभिलिखित करने की शक्ति –

2. उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन अभिलखित कोई साक्ष्य मजिस्ट्रेट के सामने किसी पश्चातवर्ती विचारण में ग्राह्‌य होगा, परन्तु यह तब जबकि अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में वह साक्ष्य किया गया हो।

(गपप) बहती हुई और अटकी हुई इमारती लकड़ी के सहरण के सम्बन्ध में –

बहती हुई, किनारे पर लगी हुई, अटकी हुई, डूबी हुई इमारती लकड़ी पर यदि कोई व्यक्ति अपना अधिकार या हक सिद्ध न कर दें वह सरकार की सम्पत्ति समझी जायेगी। इसके लिए सरकार धारा–46 में वन अधिकारी, लोक सूचना जारी करेगा जिसकी सूचना की तारीख में दो माह के अन्दर दावा करने वाले व्यक्ति को दावे का लिखित कथन उपस्थित करना होगा। वन अधिकारी जांच करने के बाद कारणों की उल्लिखित करके इसका निस्तारण करेगा।

(ख) वन संरक्षण अधिनियम – 1980

(प) केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना राज्य सरकार गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि का प्रयोग नहीं कर सकती।

इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय यह निर्देशित नहीं कर सकेगा कि –

1. कोई आरक्षित वन या उसका कोई भाग आरक्षित होना समाप्त हो जायेगा।

2. कोई वन भूमि या उसका कोई भाग किसी गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकेगा।

3. कोई वन भूमि या उसका कोई भाग पट्‌टा या अन्यथा रूप में किसी प्राइवेट व्यक्ति या अन्य संगठन को समनुदेशित किया जा सकेगा।

4. कोई भी वन भूमि या उसके किसी भाग में से पेड़ों को, जो उस भूमि या उसके भाग में प्राकृतिक रूप से उपजा हो, पुनः वनरोपण के लिए इसके प्रयोग के प्रयोजन के लिए उन्मूलित किया जा सकेगा।

(पप) गैर वन प्रयोजन से तात्पर्य –

चाय, काफी, मसाले, रबड़, नारियलों, तेल उत्पादन संयत्र, बागवानी फसलें, या मेडिकल वनस्पति के लिए या पुनः रोपण के अतिरिक्त किसी प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि या उसके भाग के उन्मूलन या सफाई से है।

(पपप) अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन अपराध है –

जो कोई उपरोक्त उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है वह 15 दिन के साधारण कारावास से दण्डित किया जा सकेगा।

(पअ) इस अधिनियम में सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा –

जो कोई उपरोक्त अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान करेगा और इसकी संरचना वन संरक्षण नियम 1981 की धारा –2 (क) में समिति की संरचना निम्नलिखित सदस्यों से की जायेगी –

1. वन महानिरीक्षक, वन और पर्यावरण मंत्रालय – अध्यक्ष
2. अपर वन महानिरीक्षक, वन और पर्यावरण मंत्रालय – सदस्य
3. संयुक्त आयुक्त (भूमि संरक्षण), कृषि मंत्रालय – सदस्य
4. उप वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), वन और पर्यावरण मंत्रालय – सदस्य

(अ) राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव करने की प्रक्रिया –

प्रत्येक राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी धारा–2 के अधीन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए अपना प्रस्ताव भेजेगी जो भारत सरकार का सचिव, पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग, पर्यावरण भवन केन्द्रीय सरकार अधिकारी, लोधी रोड, नई दिल्ली को भेजा जाएगा। परन्तु एक हैक्टेयर से कम वन भूमि को अन्तर्ग्रस्त करने वाले सभी प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक को भेजे जायेंगे।

(अप) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर सलाह देने के लिए समिति –

1. केन्द्रीय सरकार नियम (4) के उप नियम (2) के अधीन प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव को उस पर अपना निर्णय देने के लिए समिति को निर्दिष्ट करेगी यदि अन्तर्गमन वन भूमि का क्षेत्रफल दस हैक्टेयर से अधिक हो।

2. समिति उप नियम (2) के अधीन अपने निर्दिष्ट प्रस्तावों पर अपना विचार देते समय निम्न मामलों में से किसी या सभी पर सम्यक् ध्यान देगी, यथा

3. कि गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने के लिए प्रस्तावित वन भूमि प्रकृति आरक्षित, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण,जीव मण्डल आरक्षित भाग है या वनस्पति और जीव जन्तु के किसी संकटापन्न या संकट में जाति के आवास या गंभीर रूप से अपरदित आवास में पड़े हुए क्षेत्र का भाग है।

4. कि किसी वन भूमि का प्रयोग कृषीय प्रयोजन के लिए या किसी नदी घाटी या जल विद्युत परियोजना के कारण अपने आवासों से निर्वासित किये गये व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए हैं।

5. कि राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी ने अभिप्रमाणित किया है कि उसने सभी अन्य विकल्पों पर विचारण किया है और कि परिस्थिति में अन्य विकल्प साध्य नहीं हैं और अपेक्षित क्षेत्र प्रयोजन के लिए आवश्यक में से कम से कम है।

6. कि राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी समान क्षेत्र के भूमि के अर्जन और उसके वनरोपण के लिए अपनी लागत पर प्रदान करने का वचन देता है।

7. सलाह देते समय समिति किसी गैर वन प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि के प्रयोग पर किसी शर्त पर निर्बन्धन का सुझाव दे सकेगी जो उनके विचार में प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेगा।

(ग) वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम–1972

यह अधिनियम वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है जिसके अंतर्गत वन्य जीव को आखेट द्वारा या किसी अन्य तरीके से नुकसान पहुंचाना अपराध है। इन वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु व्यापक व्यवस्था इस अधिनियम में की गयी है।

(प) आखेट के निम्न प्रकार हैं –

1. किसी वन्य पशु को पकड़ना, मारना, विष देना, जाल में फंसना, फन्दे में फंसाना और इसके लिए प्रत्येक प्रयास करना है।

2. उपखण्ड (अ) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए किसी वन्य पशु का पीछा करना है।

3. किसी वन्य पशु को आघात पहुंचाना, नष्ट करना या उक्त पशु के शरीर के किसी भाग को ले जाना या जंगली पक्षी या रेंगने वाले अण्डों को क्षति पहुंचाना या उक्त पक्षी या रेंगने वाले अण्डों और घोंसलों को नुकसान पहुंचाना सम्मिलित है।

4. राष्ट्रीय उद्यान से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है, जो धारा–35 से धारा–38 के अंतर्गत ''राष्ट्रीय उद्यान'' घोषित किया गया हो या धारा–66 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया माना गया हो।

5. शस्त्र के अंतर्गत गोली, बारूद, धनुष और तीर, विस्फोटक, आग्नेयास्त्र, कांटा, चाकू, फन्दा, जहर, जाल और अन्य औजार या यंत्र जो पशु को बेहोश करने, सड़ाने, नष्ट करने, आघात पहुंचाने या मारने के योग्य हों, सम्मिलित हैं।

6. वन्य पशु से अभिप्राय प्रकृति द्वारा जगंली दशा में पाये पशु से हैं और इसमें अनुसूची 1 से 5 में विनिर्दिष्ट सभी पशु सम्मिलित हैं चाहे वे कहीं भी पाये गये हों।

7. वन्य जीव से अभिप्राय कोई पशु, मधुमक्खी, तितली, कस्टेसिया, मछली, पतंगा और जलीय या भूमि वनस्पतिक जीव जो पशु–पक्षी के प्राकृतिक निवास का अंग हो, सम्मिलित हैं।

8. यदि कोई पशु खतरनाक होगा तो उसको मारने के लिए धारा–11 (क) के अंतर्गत अनुमति दी जायेगी।

(पप) आखेट या वन्य जीवों के शिकार पर निषेध –

धारा–15 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, जब तक विशेष रूप से लाइसेंस द्वारा अधिकृत न हो, हानिकारक वन पशु को छोड़कर किसी वन पशु के बच्चे या ऐसे पशु के मादा या चिकनी बारहसिंगा सहित हिरण का शिकार नहीं करेगा।

धारा–17 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति –

क– पहिये वाली या मशीन से चलने वाले वाहन से या उसके माध्यम से जल में भूमि पर या वायुयान द्वारा किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा।

ख– किसी वन जीवन को खदेड़ने या भगदड़ पैदा करने के प्रयोजन के लिए वायुयान, मोटरयान या लाँच का प्रयोग नहीं करेगा।

ग– रसायन, विस्फोटक, जाल, गिरने या गड्ढा, जहर, जहरीले अस्त्र, जाल या फंदे से किसी वन्य जीव का शिकार नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जहां तक वे वन पशु फंदा–लाइसेंस के अंतर्गत वन्य जीवों के पकड़ने से सम्बन्धित हों।

घ– जब तक सिंगल स्लग बुलेट का उपयोग करते हुए गोली दागकर शिकार करने का अधिकार लाइसेंस द्वारा न हो, तब तक कोई विशेष आखेट या बड़े आखेट, राइफल से छोड़कर शिकार नहीं करेगा।

ड़ – शिकार के प्रयोजन के लिए किसी वनस्पति में आग नहीं लगायेगा।

च– मरी (गाय) पर मांसाहारी पशु के सम्बन्ध में, जब ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अधिकृत होने के अतिरिक्त, शिकार के प्रयोजन के लिए नकली, प्रकाश का उपयोग नहीं करेगा।

छ– मरी (गाय) पर मांसाहारी पशु के सम्बन्ध में, जब ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अधिकृत होने के अतिरिक्त, रात्रि के समय यथा सूर्य के डूबने और सूर्य के उगने के मध्य किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा।

ज– सैड ग्राउस एवं जल पीने को छोड़कर साल्ट लीक पर या जल स्रोत पर या पानी पीने के अन्य स्थान पर या मार्ग पर या उनके पहुंच मार्ग पर किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा।

झ– ऐसी किसी भूमि पर जो शासकीय न हो, तब उसके स्वामी या उसके अभिकर्ता या वैधानिक कब्जे वाले व्यक्ति की सहमति के बिना किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा।

ञ– वह उस कार्य के लिए अनुज्ञप्ति धारण करते हुए भी धारा–16 में उल्लिखित बंद समय के दौरान किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा।

ट– कुत्तों के सहयोग से किसी वन प्राणी का शिकार नहीं करेगा, केवल पानी–पक्षी के चकोर और पेटीज अथवा कोयल का शिकार कर सकेगा। उप धारा (1) के प्रावधान हानिकारक पशुओं के लिए लागू नहीं होंगे।

(पपप) राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा –

1. जब कभी राज्य सरकार को ऐसा महसूस हो कि कोई क्षेत्र चाहे वह अभ्यारण्य हो या न हो, इकोलोजिकल, क्षेत्रीय पशु वर्ग, वनस्पति सम्बन्धी जिओफार्मोलोजिक या जन्तु विज्ञान संघ या महत्व के कारणों से उसमें या उसके आस–पास वन पशु के संरक्षण, उन्नति या विकास के प्रयोजन के लिए उसका राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठन किया जाना आवश्यक है। तब वह अधिसूचना द्वारा उक्त क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने का आशय घोषित कर सकती है।

2. उपधारा (1) में उल्लिखित नोटिफिकेशन उस क्षेत्र की मियाद परिभाषित करेगा जो कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किये जाने के लिए आशयित है।

3. जहां कोई क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित होने के लिए आशयित है यथा साध्य जांच और दावों के विनिश्चियन के लिए उक्त क्षेत्र में किसी भूमि के सम्बन्ध में अधिकारों की, समाप्ति के लिए धारा 19 से धारा –26 (दोनों सहित) के प्रावधान लागू होंगे। जैसा कि वे अभयारण्य की किसी भूमि के सम्बन्ध में कथित मामलों में लागू होते हैं।

4. जब निम्नलिखित घटना हो जाये, अर्थात –

(अ) दावा प्रस्तुत करने की मियाद समाप्त हो गई हो और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किये जाने के लिए आशयित क्षेत्र की किसी भूमि के सम्बन्ध में किये गये और –

(ब) राष्ट्रीय उद्यान के भीतर अन्तविष्ट किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में सभी अधिकार राज्य सरकार में निहित कर लिये गये हों। तब राज्य सरकार, उक्त क्षेत्र की मियाद विनिर्दिष्ट करते हुए जो कि राष्ट्रीय उद्यान के भीतर शामिल किया जायेगा, नोटिफिकेशन प्रकाशित करेगी और घोषित करेगी कि ऐसी तिथि को या तिथि से जो नोटिफिकेशन में विनिर्दिष्ट की जाये, कथित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान होगा।

5. राज्य विधान मण्डल का प्रस्ताव पारित हुए बिना राष्ट्रीय उद्यान की मियाद में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

6. कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय उद्यान से किसी वन्य प्राणी को नहीं ले जायेगा। नष्ट नहीं करेगा, अपने हित में उपयोग नहीं करेगा या किसी वन पशु के प्राकृतिक निवास को नष्ट नहीं करेगा या नुकसान नहीं पहुंचायेगा या उद्यान की मियाद में किसी वन पशु को उसके प्राकृतिक निवास से वंचित नहीं करेगा, केवल मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक द्वारा प्रदान की गयी अनुज्ञा के अंतर्गत या उसके अनुसार ही ऐसा कर सकेगा और ऐसी कोई अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगा जब तक कि राज्य सरकार इस बात के लिए संतुष्ट होते हुए कि राष्ट्रीय उद्यान से वन प्राणियों को ले जाना, नष्ट करना और अपने खुद के उपयोग में लाने, उसमें से वन प्राणी की उन्नति और समुचित व्यवस्था के लिए आवश्यक है और वह ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं कर देती है।

7. जहां उक्त राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसा पशु वाहन के रूप में उपयोग में लाया जाये, उक्त अतिरिक्त राष्ट्रीय उद्योग में किसी भी पशु के चरने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी और उसमें किसी भी पशु को प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।

8. धारा–27 और धारा–28, धारा–30 से धारा–32 (दोनों सम्मिलित) और धारा–33 के खण्ड (अ), (ब) और (स) औरधारा–34 के प्रावधान जहां तक हो सके, राष्ट्रीय उद्यान के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे अभयारण्य केसम्बन्ध में लागू होते हैं।

(पअ) वन जीव संरक्षण हेतु प्रदेश द्वारा क्रियान्वित योजनाएं –

प्रदेश में वन्य जीवों को संरक्षण देने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की गयी है –

1. प्रोजेक्ट टाइगर
2. प्रोजेक्ट एलीफेन्ट
3. स्नो लैपर्ड योजना

4. उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान
5. वायेस्फियर रिजर्व योजना

(घ) पशु अतिचार अधिनियम, 1871

यह अधिनियम पशुओं द्वारा अतिचार से सम्बद्ध विधि को समेकित करता है –

→ काजी हौस ऐसे स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे जिनके बारे में जिला मजिस्ट्रेट, समय–समय पर निर्देश दें।

→ काजी हौस जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन होंगे, और वह परिबद्ध पशुओं को खिलाने–पिलाने के लिए प्रभारों की दरों को नियत करेगा और समय–समय पर परिवर्तन कर सकेगा।

(प) काजी हौस रखवालों के कर्तव्य –

प्रत्येक काजी हौस रखवाला ऐसे रजिस्टर रखेगा और ऐसी विवरणियां देगा जैसी राज्य सरकार समय–समय पर निर्दिष्ट करे। जब पशु कांजी हौस में लाए जाएं तब काजी हौस रखवाला अपने रजिस्टर में निम्नलिखित प्रविष्टि करेगा –

क– जीव जन्तुओं की संख्या और वर्णन।
ख– वह दिन और समय जब वे वहां ऐसे लाए गए।
ग– अभिग्रहण करने वाले का नाम और निवास स्थान और
घ– स्वामी का, यदि ज्ञान हो, नाम और निवास स्थान तथा अधिग्रहण करने वाले या उसके अभिकर्ता को प्रविष्टि की एक प्रति देगा।

कांजी हौस रखवाला पशुओं का तब तक जब तक कि उनका इसमें इसके पश्चात निर्दिष्ट रूप में व्यक्त नहीं कर दिया जाता, भार ग्रहण करेगा, उन्हें खिलायेगा और पिलायेगा।

(पप) सार्वजनिक सड़कों, नहरों और बाँधों को नुकसान पहुंचाने वाले पशु :

सार्वजनिक सड़कों, आमोद–प्रमोद स्थलों, बागानों, नहरों, जल–निकास संकर्मो, बांधों आदि के भारसाधक व्यक्ति और पुलिस के अधिकारी, ऐसी सड़कों स्थलों, बागानों, नहरों जल निकास, संकर्मो, बांधों आदि अथवा ऐसी सड़कों, जल निकास संकर्मो या बांधों के पाश्वों या ढलानों को नुकसान पहुंचाने वाले या वहां भटकते हुए पाए गए किन्ही पशुओं को अधिगृहीत करा सकेंगे और उनको 24 घण्टे के अन्दर निकटतम कांजी हौंस को भेजेंगे या भिजवायेंगे।

यदि पशुओं के लिए दावा सूचना की तारीख से सात दिन के अन्दर न किया जाये तो उक्त अधिकारी डोरी पिटवाकर उस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्ति उसके स्थापना के किसी अधिकारी द्वारा ऐसे स्थान और समय पर ऐसी शर्तो के अध्यधीन, जैसे जिला मजिस्ट्रेट साधारण या विशेष आदेश द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट करे, उनका सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय कर दिया जायेगा।

(पपप) पशुओं द्वारा अतिचार कारित करने में हुई रिष्टि के लिए शास्ति की वूसली –

ठीक आगामी धारा के अधीन या पशुओं या किसी भूमि पर अतिचार कारित करने से पूर्व हुई रिष्टि के अपराध के लिए अधिरोपित कोई जुर्माना उन सब पशुओं या उनमें से किसी की विक्रय द्वारा वसूल किया जायेगा जिनके द्वारा अतिचार किया गया था, चाहे वे अतिचार करते हुए अभिग्रहीत किये गये थे या नहीं, चाहे वे अपराध के लिए सिद्धदोष व्यक्ति की सम्पत्ति हो या अतिचार किये जाने के समय उसके भाराधीन ही हो।

(पअ) पशुओं द्वारा भूमि को कारित क्षति के लिए शास्ति –

पशु का कोई स्वामी पालक या परिचारक जो अपेक्षा से या अन्यथा ऐसे पशु को भूमि पर अतिचार करने के लिए अनुज्ञान करके किसी भूमि या किसी फसल या भूमि के उत्पाद का नुकसान पहुंचाता है या कारित करता है या नुकसान पहुंचाने की अनुज्ञा देता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध

पर 10 रुपये से कम नहीं, के दण्ड के लिए दायी होगा, किन्तु जो 250 रुपये से अनधिक या तीन महीने से अनधिक के कारावास या दोनों से दण्डनीय होगा।

वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण एवं उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्य प्राविधान –

(1) किसी वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की प्रक्रिया –

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में यह व्यवस्था है कि किसी भी वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि भारत सरकार की इस हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली हो। इसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण को देहरादून भेजी जायेगी।

(2) वन या वन भूमि पर पेड़ों को काटने के लिए अनुमति प्राप्त करना और उसकी प्रक्रिया –

वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जन साधारण को वन या वन भूमि में स्थित वृक्षों को काटने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है इसके लिए निम्नवत् प्रक्रिया में प्रार्थना पत्र दिया जाना होगा।

संलग्न –1
उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अंतर्गत निजी
वृक्षों के कटान एवं निस्तारण के लिए प्रार्थना पत्र

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
.... वन प्रभाग,
.... (जनपद का नाम)

द्वारा : वन क्षेत्राधिकारी ....

महोदय,
मैं/हम .... पुत्र/पुत्रगण .... निवासी ग्राम .... पोस्ट ....
थाना .... तहसील .... जिला .... का निवासी हूँ/हैं। मेरी/हमारी निजी भूमि ग्राम .... तहसील .... जिला .... के खसरा (प्रतिलिपि संलग्न) प्लाट संख्या ....क्वा .... के निम्नानुसार वृक्ष खड़े हैं।

क्रम सं.	प्रजाति	संख्या	पातन का कारण

---

1. मैं/हम उपरोक्त वृक्षों को काटकर निस्तारित करने के पश्चात् वृक्ष फलदार वृक्ष ईधन प्रजाति के कुल वृक्षों को अपनी निजी भूमि ग्राम तहसील जिला पर अगली वर्षा ऋतु (जुलाई वर्ष) तक रोपित करूँगा/करेंगे, जिसके लिए नियमानुसार प्रतिभूति जमा करने को तैयार हूँ/हैं।

2. मेरी/हमारी ओर से वृक्षों के कटान ढुलान के लिए श्री .... पुत्र श्री .... निवासी .... ग्राम/मोहल्ला .... तहसील .... जिला .... को एजेन्ट नियुक्त किया जाता है, जिसका एजेन्टनामा दो प्रतियों में संलग्न है।

3. मैं/हम इकरार करता/करते हैं कि मैं/हम उपरोक्त वृक्षों के कटान व निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अधीन दिए गए परमिट की शर्तो का पालन करूंगा/करेंगे जिसके उल्लंघन के फलस्वरूप इस अधिनियम के तहत सजा का भागी रहूंगा/रहेंगे।

कृपया नियमानुसार फेलिंग परमिट तथा निकासी देने की कृपा करें।

नोट : यदि वृक्ष शामिल खाते में हैं तो सभी हिस्सेदार हस्ताक्षर करके विवरण लिखें।

प्रार्थी,
हस्ताक्षर ....
नाम ....
पुत्र ....
ग्राम ....
तहसील ....
जिला ....

4. मैं .... पुत्र श्री .... निवासी ग्राम .... पोस्ट ... . थाना .... तहसील .... जिला .... का निवासी हूँ और ग्राम .... तहसील .... जिला .... का प्रधान होने के नाते उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगणों के हस्ताक्षर प्रमाणित करता हूँ।

हस्ताक्षर ग्राम प्रधान

सील

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पुत्र श्री .... ग्राम .... तहसील .... जिला .... ग्राम .... में स्थित खसरा प्लाट संख्या .... के स्वामी हैं और जीवित हैं। उक्त खसरा प्लाट में वृक्षों की वर्णित संख्या सही है और इस पर कोई विवाद नहीं है।

हस्ताक्षर

तहसीलदार/परगना मजिस्टेन्ट

नाम ....

....

सील ....

....

(3) किन पेड़ों को काटने के लिए अनुज्ञा आवश्यक नहीं है –

उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जन साधारण को वन या वन भूमि में स्थित वृक्षों से भिन्न वृक्षों के पातन हेतु निम्न व्यवस्था लागू है –

1. ऐसी 27 प्रजातियों जिनके पातन हेतु किसी अनुमति की आवश्यक नहीं, वे निम्न प्रकार हैं –

अगस्त, अरू, उतीस, कैजूरीना, जंगल, जलेबी, पौपलर, फारस, बकैन, बबूल, विलायती बबूल, यूकेलिप्टस, रोबीनिया, बाटल, विलो, सिरिस, सुबसूल, अयार, कठबेर, खड़िक, जामुन/जमोआ, ढाक/पलास, पेपर, मलबरी, बेर, भीमल/बुकुला, मेहल/मेवली, सहजन एवं शहतूत।

(4) किन–किन प्रजातियों के पेड़ों के काटने पर प्रतिबन्ध है –

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निम्न 12 वृक्ष प्रजातियों के पातन पर प्रतिबन्ध है– अखरोट, अंगू, चमखड़िक, जमनोई, नीम, बांज/खरसू/मोरू, महुआ, साल, पीपल, बरगद, देवदार एवं आम (देशी, तुकमी, कमली)

(5) वनों के समीप रहने वाले ग्रामवासियों का वन बन्दोबस्त के अंतर्गत अधिकार क्या है –

पर्वतीय क्षेत्र के वनों के समीप रहने वाले ग्रामवासियों को वन बन्दोबस्त के समय से ही वनों से इमारती लकड़ी, जलौनी, कृषि यंत्रों हेतु लकड़ी, चराई, शाखकर्तन व खदान के हक–हकूक स्वीकृत किए गए हैं। सम्बन्धित प्रकाशित गजट में प्रत्येक प्रकार के हक–हकूक की स्वीकृत की मात्रा दी गई है। हक–हकूक वितरण के सम्बन्म में माननीय उच्चतम न्यायालय प्रत्येक वर्ष अधिकतम 32000 घन मी0 वनोपज का उपयोग किया जा सकता है। इमारती लकड़ी व कृषि पट्टों हेतु स्वीकृत लकड़ी 3 वर्ष तक जमा रह सकती है और आवश्यकता पड़ने पर एक वर्ष पूर्व अग्रिम भी स्वीकृत किए जा सकते हैं। स्वीकृत हक की लकड़ी की प्राप्ति ग्राम प्रधान द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से सम्पर्क कर की जायेगी तथा ग्राम सभा की हम वितरण समिति के माध्यम से वितरित की जायेगी।

(6) वन्य जीवों से जान माल की हानि की दशा में क्षतिपूर्ति –

शासनादेश संख्या – 2384 / 14–4–96–836 / 92 दिनांक 06.12.1996 में वन्य पशुओं द्वारा मारे या घायल व्यक्तियों को या वासियों को तथा वन्य पशुओं द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने पर एवं जंगली हाथियों द्वारा ग्रामवासियों के मकान व फसल की क्षति की दशा में अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

पालतू पशु के मारे जाने पर देय अनुग्रह आर्थिक सहायता –

जंगली शेर व गुलदार द्वारा ग्रामवासियों के पालतू पशुओं के मारे जाने की दशा में उनके मालिकों को देय आर्थिक अनुग्रह सहायता :

1.	गाय, घोड़ा, खच्चर या ऊँट	रु.	1,200.00
2.	बैल (तीन वर्ष या अधिक)	रु.	2,300.00
3.	भैंस (तीन वर्ष या अधिक)	रु.	2,500.00
4.	गाय का बछड़ा / बछिया तथा भैंस का पडवा / पडिया		
क–	दो वर्ष से ऊपर तथा तीन वर्ष से कम आयु	रु.	600.00
ख–	एक वर्ष से कम आयु का	रु.	600.00
5.	गधा	रु.	500.00
6.	बकरी / भेड़ जिसकी आयु एक वर्ष या उससे अधिक (एक वर्ष से कम आयु के लिए कुछ अनुमन्य नहीं होगा)	रु.	150.00

उक्त अनुग्रह सहायता निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत अनुमन्य होगी :–

1. किसी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव विहार में उपरोक्त पालतू पशुओं के जंगली शेर / गुलदार द्वारा मारे जाने की दशा में अनुग्रह आर्थिक सहायता तभी देय होंगे जब प्रश्नगत पालतू पशुओं को प्रवेश की अनुज्ञा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई हो।

अन्य अनुग्रह सहायता का भुगतान निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :–

1. घटना की सूचना घटना के 24 घण्टे के अन्दर निकटतम वनाधिकारी को वनविद या सहायक वन्य जन्तु प्रतिपालक से कम स्तर का न हो, को दी जानी चाहिए तथा स्थानीय वनाधिकारी को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच कर जांच कर लेनी चाहिए जिसमें यथासंभव क्षेत्र के ग्राम प्रधान एवं किसी सम्मानित व्यक्ति को भी सम्बद्ध किया जाना चाहिए। जांच रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र स्थानीय वन्य जन्तु प्रतिपालक / प्रभागीय वनाधिकारी को भेज देनी चाहिए।

2. कृषि फसलों की आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की दशा में हानि का प्रतिशत आंकलन कर सम्पूर्ण क्षति हेतु उपरोक्त निर्धारित धनराशि के उतनी ही प्रतिशत दर से आर्थिक अनुग्रह सहायता देय होगी।

उदाहरणार्थ यदि किसी क्षेत्र में गेहूँ के क्षेत्र में (एकड़ में फसल एवं) एकड़ में 40 प्रतिशत फसल क्षतिग्रस्त हुई है तो उस दशा में) रु. 2,000.00 (1) + (रु. 2,000.00, 0.04 अर्थात् रु. 1,000. 00 + रु. 200.00 – रु. 1,200.00 की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

3. घटना की अंतिम जांच उक्त क्षेत्र में वन्य जीव प्रतिपालक/सहायता वन संरक्षक द्वारा की जानी चाहिए।

4. जांच के बाद मुआवजे सम्बन्धी संस्तुति उक्त क्षेत्र में वन संरक्षक द्वारा मुख्य जीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को की जानी चाहिए जो ऐसे मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।

उपरोक्त समस्त आर्थिक अनुग्रह सहायता पर व्यय अनुदान संख्या–60 के लेखाशीर्षक सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण आयोजनेत्तर–60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–03 हिंसक वन्य पशुओं द्वारा मारे/घायल किये गये व्यक्तियों एवं मवेशियों के मालिकों को मुआवजे का भुगतान–14 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाले जाएगा। ये आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8 के अशासकीय संख्या – ई–8–1488/दस–96 के 29 नवम्बर 1996 में प्रदत्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(7) नील गाय द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुँचाने पर उन्हें नष्ट करना –

प्रदेश में नील गायों द्वारा फसल नष्ट करने पर उन्हें मारने/मरवाने के लिए शासन द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी को अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया है।

वन विभाग एवं वन विकास निगम में कार्यरत दैनिक श्रमिकों की सामूहिक बीमा वन विभाग एवं वन विकास निगम द्वारा अपने कार्यरत दैनिक श्रमिकों के लिए कार्य के लिए कार्य के दौरान मृत्यु एवं अपंगता के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू की गयी है। वन विभाग द्वारा मृत्यु की दशा में रु. 40,000.00 एवं अपंगता की दशा में रु. 12,500/– की क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। वन विकास निगम द्वारा मृत्यु एवं अपंग होने की दशा में क्रमशः 10,000/– एवं 5,000/– की क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। अग्रिम जानकारी निकटवर्ती प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभागीय लौगिक प्रबन्धक, वन विकास निगम से प्राप्त की जा सकती है।

(8) वन विकास निगम से लकड़ी कैसे क्रय की जा सकती है –

(क) विक्रय केन्द्र :–

वन विकास निगम द्वारा विभिन्न कस्बो/शहरों के निवासियों को उचित दरों पर इमारती लकड़ी एवं जलौनी लकड़ी की आपूर्ति हेतु विक्रय केन्द्र खोले गये हैं जिनकी सम्बन्धित प्रभागीय लौगिक प्रबन्धक से प्राप्त की जा सकती है।

(ख) भवन निर्माण हेतु प्रकाष्ठ :–

जन सामान्य की मांग की पूर्ति हेतु भवन निर्माण के लिए एक बार में 3 घनमीटर की सीमा तक इमारती दिए जाने की व्यवस्था है। फुटकर बिक्री की आपूर्ति दर आधार मूल्य का 120 प्रतिशत निर्धारित है तथा देय कर अतिरिक्त होगा।

(ग) जलौनी लकड़ी :–

वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को 150/– रु. कुन्तल की दर से 3 कुन्तल लकड़ी डिपो पर आपूर्ति की जाती है।

(घ) शवदाह हेतु जलौनी लकड़ी :–

उत्तराखण्ड में विभिन्न स्थानों पर शमशान घाटों में शवदाह हेतु डिपो खोले गये हैं। जहां 150/रु. कुन्तल की दर से लकड़ी प्राप्त की जा सकती है।

(ड़) अन्य वनोपज की आपूर्ति :–

स्थानीय नागरिकों को निम्न वन उपज निर्धारित दरों पर दी जाती है –

वनोपज	अधिकतम सीमा
बांस	3 कोड़ी
तारबाड़ के खम्बे	200 नग
फर्रा	3 घ. मी0
बुरादा	2 कुन्तल

(9) वन जीवों से जान–माल हानि की दशा में आर्थिक अनुग्रह सहायता की दरों का विवरण –

1. वन्य पशुओं द्वारा मारे गये व्यक्तियों के वारिशों को अनुग्रह आर्थिक सहायता जंगली शेर, तेन्दुआ, भालू, लकड़बग्गा, भेड़िया, हाथी, मगर एवं घड़ियाल द्वारा व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर देय आर्थिक सहायता।

1.	वयस्क व्यक्ति की मृत्यु होने पर	रु. 50,000.00
2.	अवयस्क व्यक्ति की मृत्यु होने पर	रु. 25,000.00
3.	पूर्ण रूप से अपंग (इन्वेल्डि) होने पर	रु. 50,000.00
4.	आंशिक रूप से अपंग (विकलांग) होने पर	रु. 10,000.00
5.	गंभीर रूप से घायल होने पर	रु. 5,000.00

उक्त अनुग्रह सहायता की धनराशि का भुगतान निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अंतर्गत किया जायेगा –

1. वन विभाग के उप वन संरक्षक अथवा उच्चतर स्तर के अधिकारी संबंधित व्यक्ति के उक्त वन्य पशुओं द्वारा मारे जाने/अपंग/घायल कर दिये जाने की पुष्टि एवं राजकीय चिकित्सक द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया जाए।

2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप वन संरक्षक को अधिकार होगा कि ये किसी व्यक्ति की मृत्यु उपरोक्त वन पशुओं के द्वारा होने पर अन्त्येष्टि आदि क्रिया के लिए वह उसके परिवार स्वजन को रु. 3,00,000 की धनराशि का भुगतान तत्काल करेंगे जो बाद में स्वीकृत अनुग्रह सहायता से काट ली जायेगी।

3. अनुग्रह सहायता की धनराशि स्वीकृति करने हेतु अंतिम जांच रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) को प्रस्तुत की जायेगी जो ऐसे मामले में निर्णय लेने हेतु एक अधिकारी होंगे।

4. अनुग्रह राशि का भुगतान करने से पूर्व मृतक/पूर्णतः अपंग होने वाले व्यक्तियों के संबंध में राजस्व विभाग के समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊॅगा/छुपाऊॅगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)

32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42	शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43	समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44	कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46	आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47	उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

7. जेल / कारागार / संरक्षण गृह / किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV / एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कार्यपालक अध्यक्ष

सदस्य–सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला – 5

सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

भूमिका

सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिये डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेण्ट स्थापित किया गया है जो कि नई दिल्ली में आर.के. पुरम में स्थित है। राज्य स्तर पर एक राज्य सैनिक बोर्ड एवं प्रत्येक जिले में जिला सैनिक बोर्डो की स्थापना की गई है तथा केन्द्र स्तर पर अलग से केन्द्रीय सैनिक बोर्ड स्थापित है। राज्य सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनायें बनाई गई हैं, उनका लाभ पहुंचाने का दायित्व राज्य स्तर पर राज्य सैनिक बोर्ड एवं जिला स्तर पर जिला सैनिक बोर्ड का है इसलिये प्रत्येक सैनिक एवं उसके परिवार को जब भी राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना हो तो उनको संबंधित सैनिक बोर्डो से सम्पर्क करना चाहिए।

उत्तराखण्ड राज्य में जिला स्तर पर सैनिक बोर्ड हैं जिनका यह दायित्व है कि जिले के अन्तर्गत आने वाले सैनिक के परिवारों के लिये जो भी कल्याणकारी योजनायें हैं, या उनका लाभ उन्हें प्राप्त करावें। जिले के अधीन जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं या निवास कर रहे हैं, उनका जिला सैनिक बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है। ताकि कोई सैनिक यहां पंजीकृत नहीं है तो वह यहाँ पंजीकरण होना आवश्यक है। यदि कोई सैनिक बोर्ड द्वारा जो भी लाभ लिये जाने हैं, उनको दिया जा सके। राज्य सैनिक बोर्ड एवं जिला सैनिक बोर्ड के स्तर पर सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं को निम्न भागों में विभाजित किया गया है :—

1— सरकारी या अर्द्धसरकारी सेवाओं में रोजगार प्राप्त करने संबंधी।

2— स्वयं अपना रोजगार चलाने संबंधी।

3— सैनिक एवं उनके परिवारों को शिक्षा, डॉक्टरी इलाज, वित्तीय सहायता, यात्रा सुविधायें आदि कल्याणकारी योजनायें।

1— सरकारी या अर्द्धसरकारी सेवाओं में रोजगार प्राप्त करने संबंधी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण निम्न प्रकार किया गया है :—

(अ) केन्द्र सरकार के विभागों में वर्ग 'ग' के पदों के लिये 10 प्रतिशत तथा वर्ग 'घ' के पदों के लिये 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

(ब) पब्लिक सेक्टर, अण्डर टेकिंग्स अर्थात् बैंक, बिजली बोर्ड इत्यादि सरकारी संस्थाओं में वर्ग 'ग' के पदों के लिये 14.5 प्रतिशत तथा वर्ग 'घ' के पदों के लिये 24.5 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं।

इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा भी पूर्व सैनिकों के लिए अर्द्ध सैनिक बलों में भी 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अधीन सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था भूतपूर्व सैनिकों के लिए की है जो 2 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक है।

उत्तराखण्ड राज्य ने हाल ही में पुलिस में भर्ती की है जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी लाभ दिया गया है। इसलिए जो भी भूतपूर्व सैनिक इसमें रुचि रखते हों उनको चाहिए कि वे अपने जिले के जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करें ताकि वह चाहें तो उत्तराखण्ड पुलिस में भर्ती होने का लाभ उठा सकें। इस प्रकार जहां एक तरफ फौज में 30 से 40 वर्ष की आयु में ही कई जवानों को सेवा निवृत्त सैनिकों के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है जिसका वे लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

2— स्वयं अपना रोजगार चलाने सम्बन्धी :

चूंकि फौज में सैनिकों को एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है इसलिए यह जरूरी नहीं है कि सेना से सेवानिवृत्त होने पर वे अपना स्वयं का रोजगार चला सकें इसलिए सेवा निवृत्त सैनिकों को अपना रोजगाार चलाने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ सकती है और ऐसे रोजगार के लिए केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई ट्रेनिंग चलायी जा रही है और जो भी सैनिक ऐसे विशेष रोजगार को शुरू करना

चाहता है तो उसे ट्रेनिंग का लाभ प्राप्त करना चाहिए जिसमें उसे न केवल ट्रेनिंग दी जायेगी बल्कि उसकों ट्रेनिंग पूरी करने के बाद रोजगार चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार के स्वयं रोजगार को चलाने हेतु ट्रेनिंग के पचासियों व्यवसाय हैं जिसके बाबत् ट्रेनिंग प्राप्त की जा सकती है। स्वयं रोजगार चलाने के संबंध में 15 लाख रूपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है जिसमें सैनिकों द्वारा रोजगार चलाने के लिए ब्याज में छूट दी गयी है। इस रोजगार के अतिरिक्त जो सैनिक किसान हैं वह भी अपनी खेती में सुधार करने एवं खेती से रोजगार चलाने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें भी कर्जा कम ब्याज पर देने की सुविधा है। जिनका लाभ वे संबंधित सैनिक बोर्डो से प्राप्त कर सकते हैं। इन रोजगारों को चलाने संबंधित विधिक औपचारिकताओं की जानकारी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं।

3– सैनिक एवं उनके परिवारों को शिक्षा, डॉक्टरी इलाज, वित्तीय सहायता, यात्रा सुविधायें आदि कल्याणकारी योजनायें।

(अ) मिट्टी तेल रसाई गैस एजेन्सियों एवं पेट्रोल पम्प के आबंटन में आरक्षण की सुविधा :

सेना में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही लाभकारी योजनाओं में मिट्टी का तेल, गैस एजेन्सियों, पेट्रोल पम्प इत्यादि उपलब्ध करना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा अपने पत्र संख्या पी. 19011/17/91 ओ.आई.सी. दिनांक 4 अगस्त, 1993 द्वारा रसोई गैस, मिट्टी तेल एजेन्सियों एवं पेट्रोल पम्पों के आबंटन में सेना में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार ऐसे सभी परिवार जिनमें पति सेना में शहिद हुए हैं उनकी विधवाओं या आश्रितों जिनकी आयु 21 से 50 वर्ष के बीच हो और जो कक्षा–10 तक शिक्षा ग्रहण किये हों और जो उसी क्षेत्र में निवास करते हों उनको ही उस क्षेत्र से संबंधित पेट्रोल पम्प, मिट्टी तेल एवं रसोई गैस एजेन्सियों के आबंटन में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त आरक्षण की व्यवस्था का लाभ सेना में शहीद हुए सैनिकों के अलावा ऐसे सैनिकों को भी प्रदान की गयी है जो युद्ध में या सेवा के दौरान अपंग हो गए हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से प्राप्त की जा सकती है।

(ब) फौज की निष्प्रयोज्य वाहनों को प्राप्त करने की सुविधा :

फौज में निश्चय ही लाखों गाड़ियों का प्रयोग होता है और समय–समय पर गाड़ियों को निष्प्रयोज्य किया जाता है। इन गाड़ियों को जिनमें जीप, जोंगा, मोटर साइकिल, ट्रक इत्यादि हैं जिसको असानी से आम जीवन में प्रयोग में लाया जा सकता है इसलिए ऐसी सभी गाड़ियों को जो फौज के नजरिये से फालतू हों, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड व राज्य सैनिक बोर्ड के माध्यम से कम कीमत पर प्राप्त करने के लिए सभी भूतपूर्व सैनिकों या उनके परिवारों द्वारा इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

(स) मकान निर्माण, मरम्मत करने से संबंध में वित्तीय सुविधा :

प्रत्येक राज्य सरकार की ओर से भूतपूर्व सैनिकों को अपने मकान को बनाने या मरम्मत करने के लिए ऋण देने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। सभी शहीद होने वाले सैनिकों को परिवारों के लिए यदि मकान बनाना है या उसकी मरम्मत की जानी है तो उसके लिए 10,000.00 रुपये तक की धनराशि केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से ग्राण्ट के रूप में उपलब्ध करायी जाती है इसलिए यदि शहिद सैनिक के परिवार को मकान बनाना या उसकी मरम्मत करनी हो तो इस सम्बन्ध में सैनिक बोर्ड से सम्पर्क करना चाहिए।

(द) भूतपूर्व सैनिक, सैनिकों की लड़कियों के विवाह में अत्यधिक सहायता :

सभी मंत्री सुरक्षा फण्ड के माध्यम से वृद्ध एवं असहाय सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के लिए 500.00 प्रतिमाह पेंशन के रूप में तथा लड़की की शादी के लिए 10,000.00 डाक्टरी इलाज के लिए 8,000.00 रूपये तथा बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक बच्चे को 35.00 रूपये प्रतिमाह बारहवीं कक्षा तक यह सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इसी तरह कई अन्य आर्थिक लाभ भी प्राप्त किये जा सकते हैं जिनका विस्तृत विवरण जिला सैनिक बोर्ड से प्राप्त किया जा सकता है।

(य) भूतपूर्व सैनिकों/सैनिकों को सैनिक विश्राम गृह में ठहरने की सुविधा :

सभी सैनिकों को ठहरने हेतु सैनिक विश्राम गृहों की सुविधा है। सैनिक जो गाँवों में या कस्बों में रहते हैं उन्हें प्रायः अपने कार्य हेतु अन्य जिलों में भी जाना पड़ता है। अन्य राज्यों के साथ–साथ उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के कई जिलों में सैनिक रेस्ट हाउस बने हुए हैं जिनका लाभ सैनिक उठा सकते हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है उसमें अलीगढ़, आजमगढ़, बलिया, बरेली, बुलंदशहर, कानपुर, आगरा, बाराबंकी, गौण्डा इत्यादि कई जिलों में सैनिक विश्राम गृह निर्मित है। जहाँ तक उत्तराखण्ड का प्रश्न है, यह अल्मोड़ा, लैन्सडाउन, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चम्पावत, हल्द्वानी, बागेश्वर, रानीखेत, ऋषिकेश, कोटद्वार, देवथान, डौडीखाल सभी जगहों पर निर्मित हैं तथा इनमें ठहरने हेतु सैनिकों को आरक्षण प्राप्त किया जा सकता है और वहाँ निःशुल्क ठहरने की सुविधा है। इसलिए सभी सैनिक एवं उनके परिवारों को जब भी बाहर जाना हो तो उन्हें सबसे पहले इस बात की जानकारी रखनी चाहिए ताकि वह इसका लाभ प्राप्त कर सकें। इस बाबत् विस्तृत जानकारी सैनिक बोर्ड से प्राप्त की जा सकती है।

(र) सैनिकों के परिवार को शिक्षा संबंधी सुविधा :

1— जहाँ सैनिकों की लड़ाई में मृत्यु होती है या अपंग हो चुके हों उन सबके परिवारों को शिक्षण संस्थाओं में कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। इसी प्रकार पुस्तकों लेखन सामग्री व यूनिफॉर्म पर जो खर्चा होता है वह भी निःशुल्क है। यह सारा भार रक्षा मंत्रालय को उठाना पड़ता है जो शिक्षण संस्थाएं वहाँ से प्राप्त करें तथा शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए सैनिक स्कूल में 25 प्रतिशत और मिलिट्री स्कूल में 67 प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है।

2. व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का लाभ :

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कालेज संचालित हैं एवं जो भी दाखिला इनमें होता है उनमें प्रत्येक राज्य में जो भी मेडिकल कालेज होंगे उन सभी मेडिकल कालेजों की कुल सीटों में से एम. बी.बी.एस. की 25 सीटें तथा बी.डी.एस. की एक सीट शहीद सैनिकों, सेवा के दौरान अपंग हुए सैनिकों एवं सेना पदक से सम्मानित सैनिकों के परिवारों के लिए आरक्षित हैं।

इसी प्रकार इंजीनियरिंग कालेजों में अलग–अलग हर प्रान्त में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है जिसका विवरण सैनिक कल्याण बोर्ड से प्राप्त किया जा सकता है।

आई.आई.टी. पूरे भारतवर्ष में मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़कपुर, चैन्नई, बनारस एवं रूड़की में हैं इन प्रत्येक आईआई.टी. में प्रवेश की परीक्षा ली जाती है और प्रत्येक आई.आई.टी. में 2 सीटें सैनिकों के परिवार हेतु आरक्षित हैं। चूंकि पूरे भारत में सात आई.आई.टी. हैं और जिसके लिए कुल 14 सीटें आरक्षित की गयी हैं जिनका लाभ वे प्राप्त कर सकते हैं।

(अ) रेल द्वारा यात्रा :

सैनिक विधवाओं को रेल यात्रा करने पर 75 प्रतिशत तक की छूट दी गयी है जिसका लाभ केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से परिचय पत्र के जरिये प्राप्त किया जा सकता है। इसमें संबंधित विधवा को परिचय पत्र एक बार मिल जाने के बाद उसको दिखाकर टिकट में 75 प्रतिशत की छूट देकर 25 प्रतिशत किराया ही देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऐसे सैनिक जिन्हें पी.वी.सी., एम.वी.सी., अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया हो उन सबको रेल से यात्रा करने पर 50 प्रतिशत किराये की छूट दी गयी है जिसका लाभ वे प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(ब) हवाई यात्रा :

सभी सैनिकों जिन्हें पी.बी.सी., एम.बी.सी., अशोक चक्र, कीर्ति चक्र से नवाजा गया हो या सभी ऐसे सैनिक जो स्थाई रूप से अपंग हो चुके हों उन्हें एवं उनके आश्रितों को एवं युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं को भी हवाई यात्रा करने में 50 प्रतिशत की किराये में छूट का प्राविधान रखा गया है।

(स) विधिक सहायता :

भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवा में कार्यरत सैनिकों की निजी सम्पति के संबंध में विवाद होना भी स्वाभाविक है जिसमें मुकदमेबाजी का मन भी वे धारण कर सकते हैं। ऐसे सभी झगड़ों के निवारण हेतु जहाँ एक तरफ निःषुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति स्थापित है वहीं सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सुलह समझौते का भी प्रयास किया जाता है ताकि परिवार में अन्तर्कलह समाप्त किया जा सके और सैनिक अपनी ड्यूटी को बिना किसी तनाव के निर्वहन कर सके इसलिए ऐसे सभी सैनिक जिनकी विवाह संबंधी

कोई समस्या हो जिसमें वह चाहे भरण पोषण के लिए खर्चे की समस्या हो या तलाक या दहेज संबंधी समस्या हो इन सबके निवारण के लिए वे कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति के सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजनै या अध्यक्ष, जिला जज को प्रार्थना पत्र देकर उनके निवारण करने के लिए सम्पर्क कर सकते हैं। जिला न्यायालय में ऐसे सैनिक जिनकी कोई पारिवारिक सम्पति या झगड़े संबंधी कोई समस्या हो तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए सचिव या अध्यक्ष के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के सदस्य सचिव से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

अर्द्धसैनिक बल एवं उनके परिवारों को भी राज्य सरकार की ओर से सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। चूंकि अर्द्ध सैनिक बल रक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होते है इसलिए वह जिला स्तर पर स्थापित सैनिक बोर्ड से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते है। इसलिए ऐसे सभी कार्यरत एवं भूतपूर्व अर्द्धसैनिक बल जिनमें सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., आई.टी.बीपी., एस.एस.बी., सी.आई.एफ. इत्यादि का जहाँ तक संबंध है उन्हें व उनके परिवारों को भी निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है और ऐसे बल के लोगों को भी राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलायी गयी हैं जिनकी जानकारी वे संबंधित जिलाधिकारी से सीधे सम्पर्क करके कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त कोई विस्तृत जानकारी करनी हो तो समिति से पत्राचार करके कर सकते है। जहाँ तक इन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श देने का प्रश्न है उनके लिए भी पारिवारिक कलह के निवारण हेतु जिसमें भरण–पोषण संबंधी खर्चा, तलाक संबंमी मुकदमें दायर करने के लिए निःशुल्क वकील की सेवा एवं सुलह समझौते का लाभ समिति / प्राधिकरण से निःशुल्क प्राप्त करने हेतु सैनिक व भूतपूर्व सैनिक की तरह वे पाने के अधिकारी हैं।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊॅगा/छुपाऊॅगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)

32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

7. जेल / कारागार / संरक्षण गृह / किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV / एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः— क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :—

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कार्यपालक अध्यक्ष

सदस्य—सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला – 6

महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in , ukslsanainital@gmail.com

प्रस्तावना

बहादुर महिलाएं उत्तराखण्ड की शान हैं। उत्तराखण्ड राज्य के सृजन में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। वैसे भी हमारे देश में 50 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है इसलिए महिलाओं के उत्थान एवं उनको आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए, उनके अधिकारों से अवगत कराया जाना राष्ट्र के हित में अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महिलाओं के अधिकार शीर्षक नामक इस पुस्तक को सरल हिन्दी भाषा में लेखबद्ध किया गया है। जिसको दो भागों में विभाजित किया गया है जिसके द्वारा महिलाओं के अधिकारों के सभी आयामों पर प्रकाश डाला गया है। प्रथम भाग महिलाओं के महत्वपूर्ण सिविल अधिकार और द्वितीय भाग में दण्डित विधि में महिलाओं की सुरक्षा का वर्णन किया गया है।

चूंकि उत्तराखण्ड राज्य में पुरुषों की अधिकतर संख्या सेना में रहकर राष्ट्र की रक्षा करती हैं और यहां की महिलाएं घर की सुरक्षा करती हैं। इसलिए उत्तराखण्ड की महिलाओं को विधि के अंतर्गत अधिकारों की जानकारी देकर अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। आशा है कि यह पुस्तक उत्तराखण्ड राज्य की महिलाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

– इन्द्रजीत मल्होत्रा

विषय सूची

भाग – 1

महिलाओं के महत्वपूर्ण सिविल अधिकार

1. **महिलाओं के श्रमिक अधिकार –**
   - (क) न्यूनतम मजदूरी
   - (ख) प्रसूति संबंधित विशेष सुविधाएं
   - (ग) मजदूरी का काम करने पर दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति
   - (घ) ठेकेदारों द्वारा प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं देने संबंधी कानून
2. **महिलाओं के सामाजिक अधिकार –**
   - **(क) गोद लेने का कानून –**
   - (प) बच्चे को कौन गोद ले सकता है ?
   - (पप) अनाथालय से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया
   - (पपप) क्या बच्चे को गोद लेने और देने के लिए लिखा–पढ़ी जरूरी है ?
   - (पअ) गोद लेने संबंधी आवश्यक शर्ते
   - (अ) बच्चे को गोद लेने के स्थान पर उस बच्चे को केवल संरक्षक बना जा सकता है।
   - **(ख) महिला को छुआछूत से छुटकारा पाने का कानून**
   - **(ग) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989)**
   - **(घ) बंधुआ मजदूरी से कैसे छुटकारा दिलाया जा सकता है ?**
3. **महिलाओं के विवाह एवम् तलाक संबंधी अधिकार –**
   - **(क) हिन्दू शादी का कानून –**
   - (प) कानूनी विवाह करने के लिये निम्न शर्तो का पूरा होना आवश्यक है,
   - (पप) हिन्दुओं में महिला द्वारा तलाक प्राप्त करने के आधार,
   - (पपप) विवाहित जीवन के कर्तव्यों को कब पूरा करने के लिये कहा जा सकता है
   - (पअ) पत्नी–पति के आपसी समझौते से विवाह का तलाक करना,
   - **(ख) मुस्लिम शादी का कानून –**
   - (प) जायज विवाह आवश्यक शर्ते,
   - (पप) निकाह की किस्में,
   - (पपप) मुस्लिम महिला कब तलाक ले सकती है ?
     - 1. अदालत के बिना तलाक,
     - 2. अदालत के जरिये तलाक लेना
   - (पअ) पत्नी को अपने वैवाहिक कर्त्तव्य निभाने पर कब मजबूर किया जा सकता है ?
     - (अ) तलाक होने पर पत्नी को क्या अधिकार हैं ?
   - **(ग) ईसाई विवाह का कानून –**
   - (प) विधिवत् विवाह की शर्त
   - (पप) विवाह में कौन से रीति–रिवाज वैध है,
   - (पपप) ईसाई विवाह में पत्नी किन–किन आधारों पर तलाक ले सकती हैं ?
   - **(घ) बाल विवाह कानूनी अपराध**
   - **(ङ) बाल विवाह कैसे रोका जा सकता हैं ?**
4. **महिलाओं की अभिरक्षा, भरण–पोषण एवम् संपति अधिकार –**
   - (क) वैवाहिक महिलाओं के बच्चों को अभिरक्षा के अधिकार,
   - (ख) महिलाओं के भरण–पोषण संबंधी पति से अधिकार,
   - (ग) महिलाओं का भिन्न–भिन्न धर्मो के पुरुषों से विधिवत् आपसी विवाह कैसे किया सकता है ?
   - (घ) महिलाओं के संपति अधिकार
   - (ड) हिन्दू स्त्रियों के संपति अधिकार,
   - (च) हिन्दू महिला का स्त्री धन,
   - (छ) हिन्दू खानदानी संपति में महिला का अधिकार,
   - (ज) हिन्दू महिला अपनी संपति की वसीयत कर सकती है,
   - (झ) मुस्लिम महिला का जायदाद का हक,
   - (ञ) मुस्लिम महिला किन–किन रूपों में वारिस बन सकती है,
   - (ट) मुस्लिम महिला का मेहर पाने का अधिकार,
   - (ठ) मुस्लिम महिला का नफका अधिकार,
   - (ड) मुस्लिम महिला का हिबा करने का अधिकार
   - (ढ) मुस्लिम महिला का वसीयत करने का अधिकार
   - (ण) मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी के साथ भेदभाव क्यों ?

भाग – 2

दण्डिक विधि में महिलाओं की सुरक्षा –

(क) दहेज के अत्याचार से महिला की सुरक्षा का उपाय,
(ख) दहेज के लिए तंग करने या जलाने वाले अपराधियों के विरूद्ध विशेष कानूनी उपबंध
(ग) महिला के प्रति बलात्कार और अपहरण से संबंधित अपराधों से कानूनी सुरक्षा
  (प) महिला के साथ बलात्कार का अपराध,
  (पप) पति–पत्नी के संभोग को कब बलात्कार कहा जाएगा ?
  (पपप) बलात्कार होने पर महिला को क्या करना चाहिए ?
  (पअ) बलात्कार अपराध में पुलिस का दायित्व,
  (अ) न्यायालय की कार्यवाही में स्त्री के लिए विशेष व्यवस्था
(घ) अपहरण अपराध में महिलाओं की सुरक्षा,
(ङ) वेश्यावृति से महिलाओं की कानूनी रक्षा,
(च) पुलिस से सम्बन्धित महिला के अधिकार,

भाग – 1
महिलाओं के महत्वपूर्ण सिविल अधिकार

भारतवर्ष में महिला एवम् पुरुष को संविधान में बराबरी का अधिकार दिया गया हैं और इन सांविधानिक अधिकारों को उपलब्ध कराने हेतु भिन्न–भिन्न क्षेत्रों से संबंधित अधिनियम भी बनाए गए हैं। इनका लाभ महिलाओं तक पहुंचाने के लिए एक युवा प्रशासक को यह जानकारी रखना जरूरी है कि महिलाओं के महत्वपूर्ण सिविल कानून क्या हैं और इनका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जा सकता है?

1. महिला के श्रमिक अधिकार

(क) न्यूनतम मजदूरी –

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत हर काम करने वाली औरत या आदमी को कम से कम उतना वेतन मिलना चाहिए, जितना सरकार ने तय किया है। अगर कोई व्यक्ति मजदूरी के कारण न्यूनतम वेतन से कम पर काम करने पर राजी भी हो तो भी ठेकेदार या काम पर लगाने वाले व्यक्ति पर यह बाध्यकर है कि वह न्यूनतम वेतन से कम पैसे न दे।

इस अधिनियम में निम्न श्रेणी के सभी कामगार, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत होती है, न्यूनतम वेतन पाने के अधिकारी हैं :

(प) अस्थाई रूप से काम करने वाले मजदूर, जैसे – पत्थर तोड़ने या सड़क बनाने वाले,
(पप) दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर, जैसे – भवन निर्माण या कारखानों में काम करने वाले,
(पपप) किसी बागान या बीड़ी के कारखानों में काम करने वाले मजदूर,
(पअ) खेती में काम करके अपनी जीविका कमाने वाले खेतीहर मजदूर,

न्यूनतम वेतन का पैसा काम करने वाले व्यक्ति की उम्र के अनुसार निश्चित किया जाता है, इसलिए 14 से 18 साल तक के व्यक्ति के लिए भिन्न न्यूनतम वेतन होगा और 18 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए न्यूनतम वेतन भिन्न होगा। परन्तु जहां तक पुरुष या महिला के मजदूर होने का प्रश्न है, उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता और दोनों व्यक्ति बराबर का न्यूनतम वेतन पाने के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त औरतों को गर्भावस्था व प्रसूति से संबंधित एवम् अन्य अधिकार अलग से दिए गए हैं। यदि एक ही तरह के काम के लिए स्त्री या पुरुष को एक जैसा वेतन नहीं दिया जाता तो वह समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत अपराध है जो कि एक माह का कारावास एवम् 1000/– रूपये से दण्डित किया जा सकता है।

फैक्टरी अधिनियम 1948 जो कि फैक्टरी में काम करने वालों को अधिकार उपलब्ध कराता है, उसमें महिलाओं को निम्नलिखित विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनको वह पाने की अधिकारी है :–

(प) जहां 50 से अधिक महिलाएं काम करती हैं, उस फैक्टरी में बच्चों की देखभाल के लिए शिशुकक्ष (Creche) होना आवश्यक है।
(पप) महिलाओं से फैक्टरी में ओवर टाइम काम नहीं लिया जा सकता और महिलाओं से एक सप्ताह में 48 घंटों से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। जिसमें एक सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलना जरूरी है और उसके साथ–साथ 5 घंटों से अधिक लगातार काम नहीं कराया जा सकता। इसके अतिरिक्त काम सुबह 6 बजे से रात 7 बजे के बीच ही कराया जा सकता है।

अलग–अलग कामों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। किस काम में क्या न्यूनतम वेतन होगा, इसकी भी व्यवस्था की जाती है और यदि कोई ठेकेदार या मालिक न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी देता हैं तो उसके विरूद्ध श्रम इंस्पेक्टर को लिखित शिकायत की जा सकती है जो कि एक कानूनी अपराध है और न्यूनतम मजदूरी अमिनियम, 1948 में सजा या जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। न्यूनतम मजदूरी के अधिकार के अतिरिक्त यह भी प्रावधानित है कि किसी मजदूर से एक दिन में कितने घंटे काम लिया जा सकता है। इसलिए यदि निश्चित अवधि में अधिक काम लिया जाता है तो उसकी बाबत् मजदूर ओवर टाइम के लिए अतिरिक्त पैसा पाने का अधिकारी है। प्रत्येक मजदूर से काम लेने की निश्चित अवधि नौ घंटे तय की गई है अर्थात् किसी मजदूर से कुल 9 घंटे से अधिक मजदूरी नहीं कराई जा सकती और इस अवधि में उसे आराम का समय भी दिया जाना सम्मिलित है। यदि किसी मजदूर से 9 घंटे से अधिक अवधि का काम लिया जाता है तो वह ओवर टाइम के रूप में अपनी न्यूनतम वेतन के अतिरिक्त ओवर टाइम अवधि का दुगुना वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। **इर** खेतिहर मजदूर भी अपने इस अधिकार की मांग कर सकता है और उसको न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त ओवर टाइम की अवधि की मजदूरी डेढ़ गुनी मिलनी चाहिए।

प्रत्येक काम करने वाले मजदूर, जिनमें निश्चय ही महिलाएं भी सम्मिलित है, अपने मालिक से आराम या छुट्टी को भी प्राप्त करने का अधिकारी है। क्योंकि काम करने वाले को सप्ताह में एक दिन आराम या छुट्टी प्राप्त करने का अधिकार है। यदि किसी मजदूर से दिहाड़ी पर काम लिया जाता है और मालिक ने पूरे दिन में केवल दो घंटे या तीन घंटे का काम करवाया है तो भी वह मजदूर पूरे दिन की न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकारी है। इसी प्रकार यदि कोई मजदूर काम पर हाजिर रहे परन्तु उससे दिन भर काम न लिया जाए तो वह उसकी छुट्टी नहीं मानी जाएगी और वह पूरे दिन का वेतन पाने का अधिकारी है।

यदि कोई मजदूर किसी फैक्टरी में काम करता है जहां मजदूरों की संख्या एक हजार से अधिक है, वहां काम करने वाले मजदूर को माह के सातवें दिन से पहले वेतन मिल जाना चाहिए। बाकी काम करने वाले अन्य मजदूरों को माह की दसवीं तारीख तक वेतन मिल जाना चाहिए। खेतिहर मजदूर वेतन कुछ नकद में और कुछ अनाज के रूप में ले सकते हैं परन्तु मालिक किसी मजदूर को वेतन के बदले कुछ लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

क्या किसी मजदूर से यदि उसकी लापरवाही के कारण नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई वेतन में कटौती करके की जा सकती है ? यदि वास्तव में मजदूर की लापरवाही से मालिक को नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए मालिक को चाहिए कि वह मजदूर को इस बाबत् नोटिस दे ताकि वह अपनी सफाई में कुछ कह सकें और उसके पश्चात् ही नुकसान की भरपाई के लिए कटौती की जा सकती है।

(ख) प्रसूति संबंधित विशेष सुविधाएं –

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अन्तर्गत काम करने वाली स्त्रियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जो कि काम करने वाली स्त्री के गर्भावस्था से संबंधित हैं। ये सुविधाएं गर्भावस्था के दौरान, बच्चा पैदा होने के बाद ओर मातृत्व के शुरूआत के महीने में दी जाती है।

कामकाजी महिलाएं प्रसूति से पहले पूरे वेतन पर 08 हफ्ते की छुट्टी और प्रसूति के बाद 18 हफ्ते की छुट्टी पाने की अधिकारी है परन्तु तीसरी संतान हेतु अवकाश की अवधि 12 सप्ताह तक प्राप्त की गयी है, जो कि 6 सप्ताह प्रसूति पूर्व व 6 सप्ताह प्रसूति पश्चात हो सकती है। यदि मालिक प्रसूति से पहले और प्रसूति के बाद की आवश्यक डॉक्टरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता है तो उस स्थिति में उसे इसके बदले 250/– रू0 मेडिकल बोनस यानि की डॉक्टरी चिकित्सा का खर्च भी देना होगा। कोई भी मालिक या ठेकेदार किसी स्त्री से गर्भावस्था में आखिरी एक महीने के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं करा सकता जो स्त्री को शरीर से थका दे या स्त्री को लम्बे समय के लिए खड़ा रहना पड़े या भारी वजन उठाना पड़े। महिला मजदूर कोई भी ऐसा काम करने से इंकार कर सकती है जिससे पेट में पल रहे बच्चे को किसी भी प्रकार का खतरा हो।

यदि किसी कामगार महिला का गर्भावस्था में बच्चा गिर जाता है तो बच्चा गिरने के बाद वह छह हफ्ते की छुट्टी पूरे वेतन पर प्राप्त करने की अधिकारी है। इसके अतिरिक्त यदि 9 महीने से पहले बच्चा पैदा हो जाने के कारण, प्रसूति के कारण या बच्चा गिरने के कारण वह महिला बीमार पड़ सकती है तो उसे एक माह से अधिक की छुट्टी पूरे वेतन पर दी जाएगी। इस प्रकार प्रसूति संबंधी कुल 12 हफ्ते और एक माह अर्थात् कुल लगभग ढाई महीने तक पूरे वेतन पर छुट्टी प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चे का जन्म होने के पश्चात जब भी महिला काम पर लौटती है तो उसे बच्चे को दूध पिलाने के लिए दिन में दो बार अलग समय मिलेगा जो कि आराम के लिए दिए गए समय के अलावा होगा।

इन प्रसूति संबंधी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि काम करने वाली महिला ने प्रसूति से पहले के 12 महीने में उसी मालिक के पास कम से कम 80 दिन काम किया हो। इसलिए महिला के गर्भावस्था की सूचना देनी होगी परन्तु यदि किसी कारण सूचना नहीं दी गई तो उसे प्रसूति के बाद भी सूचित किया जा सकता है। प्रसूति के पहले की छुट्टी के पैसे छुट्टी पर जाने से पहले वो प्राप्त करने की अधिकारी हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि गर्भावस्था की सुविधा लेने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि महिला शादी–शुदा हो। यदि काम लेने वाला व्यक्ति इन सुविधाओं को देने से इंकार करता है तो उसके विरूद्ध संबंधित श्रम अधिकारी के यहां शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। परन्तु इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह सुविधाएं उन काम करने वाली स्त्रियों को नहीं दी जाएगी जो छुट्टी तो लेती हैं मगर छुट्टी के दौरान किसी दूसरी जगर काम करने लगती हैं।

(ग) मजदूर की काम के दौरान दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति –

यदि कोई और मजदूर खेतिहर है जिनमें महिलाओं का होना भी स्वाभाविक है, और काम करते हुए थ्रेशर से उसका हाथ कट जाता है या भवन निर्माण में मजदूरी करते हुए किसी मजदूर की गिरने से मृत्यु हो जाती है। ऐसी किसी भी दुर्घटना में मजदूर के चोट आने या मृत्यु होने पर उसको अथवा उसके आश्रितों को

मुआवजा अर्थात् नुकसान पूरा करने के उद्देश्य से कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 को सृजित किया गया है। मजदूरों की कई श्रेणियां हैं जिन्हें मजदूरी करते समय चोट आने या मृत्यु होने पर प्रतिकर या मुआवजा देने की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। उदाहरणतया किसी मजदूर द्वारा वाहन पर सामान चढ़ाने की मजदूरी के दौरान, इमारत, सड़क, पुल बनाने के दौरान चोट आने, ट्रैक्टर या अन्य यंत्रों से खेती का काम करते हुए मजदूर को चोट आने इत्यादि की परिस्थितियों में इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ण हेतु चोट की स्थिति में स्वयं मजदूर द्वारा और मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित द्वारा विधिवत् मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार यदि महिला स्वयं श्रमिक है और दुर्घटना का शिकार हो जाती है या उसका पति शिकार हो जाता है, जिस पर वह आश्रित है, दोनों स्थितियों में इस अमिनियम के अन्तर्गत मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है।

मुआवजा देने का दायित्व मालिक का होता है क्योंकि दुर्घटना के समय मजदूर मालिक का काम कर रहा होता है। परन्तु यह जरूरी नहीं है कि मालिक की गलती के कारण ही चोट आई हो या दुर्घटना हुई हो। यदि मजदूर मालिक की नौकरी पर है और उस दौरान मालिक का काम करते समय किसी अन्य गलती के कारण दुर्घटना घटित हो जाती है तो भी मुआवजा मालिक से प्राप्त किया जा सकता है। कई मालिक मजदूरों को ठेकेदार के जरिए रखते हैं तो उस स्थिति में मुआवजा ठेकेदार या मालिक से प्राप्त किया जाए या दोनों से संयुक्त रूप से प्राप्त किया जाए, यह मजदूर की इच्छा पर निर्भर करता है परन्तु दोनों का दायित्व बराबर है। यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि यदि कामगार तीन दिन के बाद काम करने लायक हो जाता है अर्थात् चोट की प्रकृति ऐसी है कि जिसे ठीक होने में तीन दिन से अधिक का समय लगता है तो मजदूर मुआवजा पाने का अधिकारी है। जब कभी दुर्घटना श्रमिक की लापरवाही के कारण या शराब के नशे में हो जाती है जिसका परिणाम श्रमिक की मृत्यु होती है तो उस स्थिति में भी मालिक को मुआवजा मृत श्रमिक के आश्रितों को देना होगा। भले ही मृत्यु किसी की भी गलती या लापरवाही से हुई हो।

मुआवजा की क्या मात्रा होगी, यह चोट की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि चोट लगने के समय वह श्रमिक कितना कमाता था। कभी–कभी मजदूरी करने से श्रमिक का शिकार हो जाता है अर्थात् कुछ पदार्थ की कमी के कारण टी.बी. दमा या कैंसर भी हो जाता है, उस स्थिति में किन बीमारियों के होने से कितना प्रतिकर मिल सकता है, इसकी सूची कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में दी गई है। यदि किसी कर्मकार ने नौकरी छोड़ दी है तो उस स्थिति में नौकरी छोड़ने के दो वर्ष के अंदर यदि कामगार को बीमारी लग जाती है तो वह मालिक से प्रतिकर प्राप्त कर सकता है परन्तु नौकरी छोड़ने के दो साल बाद कोई बीमारी लगती है तो उस स्थिति में मालिक का कोई प्रतिकर देने का दायित्व नहीं है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत दुर्घटना से चोटे आने या मृत्यु होने पर मालिक से मुआवजा पाने के लिए दुर्घटना के तुरन्त बाद मालिक को एक नोटिस देना होगा जिसमें दुर्घटना का कारण, दुर्घटना की तिथि एवं समय का उल्लेख करना होगा। यदि इस नोटिस के बाद मालिक मुआवजा देने से इंकार करे या पर्याप्त मुआवजा न दे तो अधिनियम के अन्तर्गत कमिश्नर को अर्जी देनी होगी। वैसे भी यदि दुर्घटना व चोट किसी महिला कामगार को लगती है और मालिक द्वारा मुआवजा की इकट्ठी रकम दी जा रही है तो यह प्रतिकर की धनराशि कमिश्नर के द्वारा दी जा सकती है। इसी प्रकार किसी कामगार की मृत्यु हुई हो तो भी मालिक उसके रिश्तेदारों को सीधा मुआवजा नहीं दे सकता बल्कि प्रतिकर की धनराशि को कमिश्नर के यहां जमा करानी होगी। तत्पश्चात् कमिश्नर से मृतक कामगार के आश्रित प्रतिकर की धनराशि प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक दुर्घटना के शिकार श्रमिक या अन्य आश्रितों को मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए :

(1) दुर्घटना के कारण आई चोटों की डॉक्टरी जांच करवाएं और हो सके तो यह जाचं सरकारी डॉक्टर से करवाएं। जांच कराने के बाद डॉक्टर से रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त कर लें।

(2) थाने पर जाकर भी इस दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दें और इस रिपोर्ट की भी कॉपी प्राप्त कर लें। यदि आप समझते हैं कि चोटों के कारण थाने नहीं जा सकते तो किसी को भेजकर यह रिपोर्ट थाने में लिखवाई जा सकती है।

(3) दुर्घटना के बाद मालिक को नोटिस देना होगा और उसके द्वारा मुआवजा देने से इंकार करने पर या पर्याप्त मुआवजा न देने के परिणाम स्वरूप अर्जी को कमिश्नर के यहां दिया जाएगा जिससे मुआवजे के लिए मांग की जाएगी।

(4) कमिश्नर के यहां मुआवजा प्राप्त करने के लिए अर्जी दुर्घटना के दो साल के अंदर देनी होगी और उसके बाद यह अर्जी कमिश्नर तभी ग्रहण कर सकता है यदि दो साल के दाखिल न करने के विशेष उपस्थित हों इसलिए उचित यही होगा कि अर्जी दुर्घटना के बाद शीघ्र दो वर्ष की अवधि में दे दी जाए।

(5) डॉक्टरी रिपोर्ट, थाने में लिखाई रिपोर्ट इत्यादि की प्रतियों को कमिशनर के यहां दाखिल किया जाएगा ताकि प्रतिकर की मात्रा निर्धारित करने में उनकी मदद ली जा सकें। इसलिए थाने में लिखाई रिपोर्ट, जिसमें दुर्घटना के गवाह अर्थात् जो लोग दुर्घटना के समय मौजूद थे एवं डॉक्टरी रिपोर्ट महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं और इनकी प्रतियों को प्राप्त कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है।

(घ) ठेकेदारों द्वारा प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं देने संबंधी कानून :–

ठेका मजदूरी में लगे मजदूर रोजी कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। ऐसे मजदूरों को कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970 सृजित किया गया है जिसके अन्तर्गत ठेकेदार को निम्नलिखित सुविधाओं को उपलब्ध कराना कानूनी दायित्व है।

जो भी मजदूर, जिनमें महिलाएं भी होती हैं, ठेकेदार के यहां काम करेंगे, उन मजदूरों के छह साल के छोटे बच्चों के लिए कम से कम दो कमरे अवश्य देने होंगे जिसमें एक कमरा बच्चों के सोने के लिए तथा दूसरा कमरा उन बच्चों को खेलने के प्रयोग में आ सकें। जिस जगह पर मजदूर को ठहराया जाएगा, वहां मजदूरों के लिए स्वच्छ पीने का पानी, शौचालय एवं प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना बाध्यकारी है। यदि ठेकेदार का छह महीने अवधि तक काम चलता है और मजदूरों की संख्या 100 से अधिक है तो उसे उस स्थिति में ठेकेदार को एक कैंटीन या भोजनालय का प्रबंध करना होगा और कैंटीन में उचित दर से खाने–पीने का सामान उपलब्ध कराना होगा और इस कैंटीन को कमाई न करने के उद्देश्य से चलाना होगा। यदि ठेकेदार इस सबका प्रबंध नहीं करता तो मालिक को इसका प्रबंध करना होगा। प्रत्येक प्रशासक चाहे वह इंजीनियर हो या जंगल अधिकारी, जो प्रायः ठेके पर कार्य उठाते हैं, उनको अपने आप से पूछना होगा कि क्या इन कानूनों का लाभ मजदूर महिलाओं को उपलब्ध कराया जाता है।

प्रायः यह भी शिकायत मिलती है कि मालिक ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी दे देता है और ठेकेदार अपना कमीशन काटने के बाद मजदूर को वेतन देता है जो कि अवैध है क्योंकि ठेकेदार को कमीशन देना मालिक की जिम्मेदारी है और मजदूर को अपनी पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। ऐसे सभी काम करने वाले मजदूर स्थाई कर्मचारी की तरह छुट्टियों के हकदार होते हैं। यदि ठेकेदार इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी को लिखित रिपोर्ट की जा सकती हैं।

प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंतर राज्र्यक प्रवासी मजदूर अमिनियम 1979 का सृजन किया गया है जिसके अन्तर्गत जो भी ठेकेदार किसी दूसरे प्रदेश से 5 या उससे ज्यादा मजदूरों को भर्ती करता है तो उसके पास उस प्रदेश की सरकार का दिया हुआ लाइसेंस यानि आज्ञा पत्र होना चाहिए। यदि पंजाब का रहने वाला व्यक्ति उत्तराखण्ड के मजदूरों को पंजाब ले जाने के लिए भर्ती करता है तो उसको पंजाब द्वारा इस बाबत् लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए और उस लाइसेंस में वैधता की तिथि और मजदूरों के भर्ती करने का सरकारी उल्लेख होना चाहिए।

ऐसे ठेकेदार को भर्ती करने वाले प्रत्येक प्रवासी मजदूर के नाम की पास–बुक तैयार करनी जरूरी है जिसमें उस मजदूर की फोटो, नाम, काम की जगह, मजदूरी की दर, विस्थापन भत्ता, वापसी किराए की दर, भर्ती की तारीख, नजदीकी रिश्तेदार का नाम इत्यादि सभी तथ्यों का उल्लेख करना होगा। यह पास–बुक प्रवासी मजदूर के पास रहेगी। काम करते समय कई बार गंभीर घटना भी घट सकती है और चोट भी लग सकती है या जान भी जा सकती है। ऐसी दुर्घटना में ठेकेदार की यह जिम्मेदारी है कि वह तुरन्त ही कामगार के नजदीकी रिश्तेदार और सरकार को दुर्घटना की सारी जानकारी भेजे और मौत हो जाने पर नजदीकी रिश्तेदार को कानून के मुताबिक क्षतिपूर्ति की रकम दी जायेगी। प्रवासी मजदूर को मजदूरी देने की जिम्मेदारी पहले ठेकेदार की है और अगर वह वेतन नहीं देता तो जिस मालिक का काम किया जाता है उससे मजदूरी प्राप्त की जा सकती है। यह मजदूरी महीने में कम–से–कम एक बार मिलनी चाहिए। यदि काम करने की जगह ठण्ड है तो ठेकेदार को गर्म कपड़े देने होंगे और ज्यादा ठण्डी जगह पर तीन साल में एक ओवर कोट देना होगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदार प्रवासी मजदूर को मकान की सुविधा, डॉक्टरी देखभाल, पीने का पानी, शौच इत्यादि सुविधाओं को उपलब्ध कराना होगा। अगर प्रवासी मजदूरों में 20 से अधिक औरतें तीन महीने से ज्यादा अवधि के लिए काम करती हैं तो उनके लिए बालवाड़ी की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। यदि पुरुष और उसकी पत्नी दोनों मजदूरी करते हैं तो दोनों को बराबर वेतन प्राप्त करने का अधिकार है जो कि उस प्रदेश में निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं हो सकती।

यह उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम का लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मजदूर को उसके प्रदेश से ले जाकर दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए लाया जाता है। परन्तु यदि उसने ठेकेदार का काम छोड़ दिया तो वह मजदूर प्रवासी मजदूर की परिभाषा में नहीं रहेगा और इस अधिनियम का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यदि ठेकेदार और मालिक इस अमिनियम के अन्तर्गत दायित्वों का पालन नहीं करते तो

उनके विरूद्ध शिकायत श्रम विभाग में दर्ज कराई जा सकती है जो कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। यह शिकायत गांव वापस आकर भी छह माह की अवधि में की जा सकती है।

2– महिलाओं के सामाजिक अधिकार

(क) गोद लेने का कानून :

मुस्लिम विधि में गोद लेने की व्यवस्था नहीं की गई हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कोई हिन्दू, जिसमें सिक्ख, जैन, बौद्ध भी सम्मिलित हैं, द्वारा कोई बच्चा विधिवत् गोद लिया जा सकता है। इस अधिनियम में किसी लड़के या लड़की को गोद लेने के लिए कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा जो इस प्रकार है :

(1) गोद लेने वाला व्यक्ति स्वस्थचित होना चाहिए अर्थात् वह पागल न हो और ऐसे व्यक्ति की आयु कम–से–कम 21 वर्ष होना जरूरी है। यदि वह शादीशुदा है तो उसकी पत्नी की सहमति या मंजूरी आवश्यक है। परन्तु जहां पत्नी पागल है या उसने सन्यास लिया है या वह हिन्दू नहीं है तो पत्नी की सहमति की जरूरत नहीं है।

(2) विधवा, तलाकशुदा या जिस महिला ने शादी नहीं की है वह हिन्दू महिला भी बच्चा गोद ले सकती है।

(3) परन्तु यदि हिन्दू महिला शादीशुदा है तो स्वयं गोद नहीं ले सकती बल्कि उसका पति केवल गोद ले सकता है। यदि ऐसी हिन्दू विवाहित महिला का पति पागल है या हिन्दू नहीं रहा, या सन्यासी बन चुका है तो वह हिन्दू महिला को बच्चा लेने का अधिकार होता है।

(ख) बच्चे को कौन गोद दे सकता है ?

जहां तक बच्चों को गोद देने का प्रश्न है उसके लिए इस अधिनियम में यह उपबंधित किया गया है कि बच्चे के पिता गोद दे सकते हैं परन्तु गोद देने के लिए बच्चे की माता की अनुमति आवश्यक है। यदि बच्चे के पिता नहीं है तो उसकी माता गोद दे सकती है परन्तु जहां बच्चों के माता–पिता जिन्दा नहीं हैं तो उस स्थिति में ऐसे हिन्दू बच्चे को उसके संरक्षक गोद दे सकते हैं। परन्तु इसमें एक शर्त यह है कि संरक्षक केवल कोर्ट की अनुमति से ही बच्चा दे सकता है। इसलिए कोर्ट से अनुमति प्राप्त करना जरूरी है जिसमें कोर्ट यह सुनिश्चित करती है कि बच्चे की भलाई के लिए ही संरक्षक से बच्चे को गोद लिया जा रहा है।

(ग) अनाथालय से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया –

ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनके माँ–बाप नहीं होते हैं और अनाथालय वाले कई ऐसे बच्चों के संरक्षक होते हैं। इसलिए यदि ऐसे किसी बच्चे को गोद लेना है तो अनाथालय में जाकर अर्जी देनी जरूरी है जिस पर वहां के कल्याण कार्यकर्ता गोद लेने वाले व्यक्ति के घर, परिवार, आमदनी, स्वास्थ्य संबंधी बाबत् जांच करके संतुष्ट होने के बाद आपको बच्चा गोद देंगे परन्तु ऐसे बच्चे को गोद लेने के लिए अदालत से अनुमति प्राप्त करना जरूरी है।

(घ) क्या बच्चे को गोद लेने और देने के लिए लिखा–पढ़ी जरूरी है ?

यदि किसी बच्चे को गोद देने के लिए माता–पिता जिंदा हैं तो दोनों दत्तक देने और दत्तक लेने वालों का इरादा ठीक है तो गोद किसी भी रस्म से लिया जा सकता है। प्रायः प्रयोग में आने वाली 'होम' रस्म अधिक प्रचलित है। परन्तु गोद के लिए किसी विशेष रस्म का होना जरूरी नहीं है। गोद के लिए स्टाम्प पेपर पर भी लिखा–पढ़ी हो सकती है और ऐसा करना दोनों के लिए हितकर है क्योंकि यदि स्टाम्प पेपर पर लिखा–पढ़ी हो जाए तो उसे रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए ताकि दत्तक को आसानी से नकारा न जा सकें।

(ड़) गोद लेने संबंधी आवश्यक शर्ते :

(1) जिस व्यक्ति की बेटिया हैं तो वह बेटा गोद ले सकता है और जिसके केवल बेटे हैं वह बेटी गोद ले सकता है परन्तु जिसके बेटा–बेटी दोनों हैं वह बच्चा गोद नहीं ले सकता। इसी प्रकार हिन्दू व्यक्ति का बेटा, पोता या पड़पोता है तो वह व्यक्ति बेटा नहीं गोद ले सकता। यदि उसकी बेटी या पोती हैं और वह हिन्दू हो ता वह व्यक्ति बेटी गोद नहीं ले सकता।

(2) गोद लेने वाला बच्चा चाहे वह लड़का है या लड़की वास्तव में हिन्दू होना चाहिए।

(3) गोद लेने वाले बच्चे की आयु 15 वर्ष से अधिक न हो और उसे पहले किसी ने गोद न लिया हो और उसकी शादी न हुई हो।

(4) दोनों, बच्चे गोद लेने वाला एवम् गोद देने वाला हिन्दू होने चाहिए।

(च) बच्चे को गोद लेने के स्थान पर उस बच्चे का केवल संरक्षक बना जा सकता है :

क्योंकि ईसाई या मुसलमान कानूनी गोद नहीं ले सकते इसलिए वह बच्चे को गोद लेने के स्थान पर उसका संरक्षक बन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बच्चे को गोद न लेकर केवल मात्र संरक्षक बनना चाहता है तो उस स्थिति में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अन्तर्गत ऐसे बच्चे का संरक्षक बनाया जा सकता है। बच्चे के गोद लेने से वह परिवार का वास्तविक सदस्य बन जाता है जैसे कि उसने उसी परिवार में जन्म लिया हो परन्तु बच्चे के संरक्षक बनने की स्थिति में बच्चा या बच्ची का पुराना नाम रहेगा और 21 साल का हो जाने पर वह आजाद हो जायेगा। चूंकि ऐसे बच्चे को कोर्ट की निगरानी में रहना होता है इसलिए यदि संरक्षक कोर्ट की निगरानी में अच्छे पालक नहीं हैं या बच्चा उसको तंग करता है तो संरक्षक के दायित्व को रद्द किया जा सकता है। चूंकि ऐसे बच्चे का वह केवल संरक्षक है इसीलिए इस बच्चे या बच्ची को संरक्षक संतान नहीं माना जायेगा और संरक्षक उसके मां–बाप नहीं बल्कि मात्र पालक होंगे।

(ख) महिला को छुआछूत से छुटकारा पाने का कानून :

प्रत्येक प्रशासक को यह भलीभांति जानना चाहिए कि हमारे देश की आत्मा उसका संविधान है जिसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं। इसलिए कोई भी स्त्री या पुरुष किसी धर्म या जाति का हो, धनी या निर्धन हो वह भारत का समान नागरिक है। कोई भी महिला चाहे वह घास काटती हो या सब्जी बेचकर या अन्य मजदूरी करती हो उसको धनी एवम् ऊंची जाति की महिता की तरह समान स्वतंत्रता से जीवन बिताने एवम् समाज में समान हक प्राप्त करने के संविधानिक अधिकार हैं। परन्तु यह भी कड़ुवा सत्य हैं कि नीची जाति, अनुसूचित जाति का अछूत कहलाने वाले के साथ अत्याचार होते रहे हैं और उनसे भेद्भाव पूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है।

छुआछूत के कलंक को समाप्त करने के उद्देश्य से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का सृजन किया गया है। इसके अन्तर्गत छुआछूत के आधार पर किसी भी तरह की रोक–टोक लगाने वालों को सजा दी जा सकती है। यदि धर्म–स्थल के स्थान पर जाने की छुआछूत के आधार पर मनाही की जाती है तो वह इस अधिनियम में दण्डनीय है। इस अधिनियम के मुख्य अपराध इस प्रकार हैं :

(1) छुआछूत या जाति भेद के नाम पर रोक लगाना अपराध है। उदाहरणतया यदि चाय की दुकान वाला चाय बेचने को इस आधार पर मना करे कि वह अछूतों को चाय नहीं पिलाता है तो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध है। इसी तरह यदि वह चाय तो दे परन्तु यह कहे कि चाय का कप साफ करके अलग रखना क्योंकि वह अछूतों के लिए अलग बर्तन रखता है तो वह भी दण्डनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे चाय वाले को धमकाए कि उसने क्योंकि अछूत को चाय बेची है और उसके बर्तन का प्रयोग अछूत ने किया तो वह व्यक्ति भी इस अधिनियम में अपराध दोष है। ऐसे सभी व्यक्तियों के विरूद्ध इस अधिनियम में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है कि जाति भेद एवं छुआछूत के लिए इन्होंने धमकाया है जो कि दण्डनीय अपराध है।

(2) जाति के कारण किसी से जबरदस्ती काम करवाना अपराध है। उदाहरणतया यदि कोई लड़की के पिता भंगी है और सड़क पर कहीं कूड़ा पड़ा हो तो उस लड़की को यह कहकर उठाने से मजबर किया जाए कि तू भंगी है तो वह भी कानूनी अपराध है।

(3) अस्पृश्यता या छुआछूत के लिए किसी को गाली देकर पुकारना या नीचा दिखाना अपराध है। उदाहरणतया किसी ऐसी महिला को किसी व्यक्ति ने मारपीट किया हो और वह थाने रिपोर्ट लिखाने जाए और वहां दरोगा यह कहकर उसे भगा दे कि तू चमारन है भाग जा यहां से, तो उसने गाली देकर पुकारने और नीचा दिखाने का जो कृत्य किया है वह दण्डनीय है।

(4) सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग करने का अधिकार सबको बराबर है इसलिए यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता या छुआछूत के कारण रोकता है तो वह दण्ड का भागी है चूंकि इसे दण्डनीय अपराध बनाया गया है। इसलिए हर जाति के लोग सार्वजनिक कुए, हैण्डपम्प, अस्पताल और स्कूल, कालेज के समान प्रयोग के अधिकारी हैं और जो ऐसा करने से रोकता है उसके विरूद्ध इस धारा में मुकदमा चलाया जा सकता है।

(ग) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) :

अनुसूचित जाति व जनजातियों के लोगों के प्रति भेदभाव रोकने एवं उन्हें सम्मान जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को सृजित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के साथ भद्दा व्यवहार करता है तो वह इस अधिनियम में सजा एवं जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्न प्रकृति के सभी कार्यो को अनूसूचित जाति व जनजाति के विरूद्ध अपराध माना जायेगा।

(1) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अहाते में किसी तरह की गंदगी जैसे गोबर, मरे हुए पशु इत्यादि फेंकना।

(2) किसी को ऐसी चीज खाने या पीने के लिए मजबूर करना जो खाने पीने लायक नहीं है।

(3) किसी सार्वजनिक स्थान पर उन्हें नंगा करके या उनके मुंह या शरीर को रंग कर अपमानित करना।

(4) किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला को शारीरिक या मानसिक ढंग से तंग करना अथवा शक्तिशाली स्थिति का फायदा उठाकर इन महिलाओं को परेशान करना।

(5) उनके पीने के पानी के स्रोत जैसे कुएं, झरने आदि को गंदा करना या उन्हें प्रयोग न करने देना और घर–गांव से निकलने को मजबूर करना।

(6) उन्हें परम्परा के अनुसार सार्वजनिक रास्तों व स्थानों का इस्तेमाल करने से रोकना।

यदि उपरोक्त कोई भी अपराध किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य या सदस्यों के साथ किया जाता है तो दोषी को दण्डित करने के लिए इसकी रिपोर्ट तुरन्त पुलिस में करानी होगी। पुलिस के लिए यह बाध्यकर है कि वह रिपोर्ट लिखकर तुरन्त तफ्तीश आरम्भ करे और दोषी को गिरफ्तार करे यदि पुलिस कर्मी ऐसा करने में अनदेखी करता है तो वह भी इस अमिनियम में अपराधी है और उसके विरूद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों में मुकदमों को शीघ्र सुनवाई करने एवं दोषी को दण्डित करने के लिए विशेष अदालतें बनाई है। चूंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध को गंभीर अपराध माना है इसलिए यह अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट श्रेणी की अदालत न करके विशेष अदालतें करती हैं जिनके पीठासीन अधिकारी, सेशन जज के स्तर के होते हैं। सरकार इन मुकदमों को लड़ने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता देती है और पीड़ित व्यक्ति को आने–जाने का खर्चा भी देती है। इन इत्याचारों से पीड़ित व्यक्ति आर्थिक मुआवजे अर्थात् जो उसे हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति पाने का भी अधिकारी है।

(घ) बंधुआ मजदूरी से कैसे छुटकारा दिलाया जा सकता है ?

बंधुआ मजदूरी गुलामी या दासता है जिसमें मजदूर को किसी धनी व्यक्ति से कुछ पैसे या धन उधार लेने पर उस कर्ज को उतारने के लिए काम करना पड़ता है। इस प्रकार वह मजदूर भी काम करता है और उसके बच्चों और परिवारों से काम करवाया जाता है और कर्ज चुकाने के बदले यह काम करना होता है तथा मजदूरी के बदले कोई पैसा नहीं दिया जाता। खाने के लिए अनाज वगैरह दिया जाता है ताकि वह जिन्दा रह सकें।

गुलामी की इस दासता से छुटकारा देने के उद्देश्य से बंधिक श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम 1976 बनाया गया है जिसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अब बंधुआ नहीं रखा जा सकता और कोई ऐसा करता है तो वह दण्डनीय अपराध है। यह कानून बंधुआ मजदूर को आजाद करने में इस प्रकार सहायक है :

(1) बंधुआ मजदूर अब सभी पुराने कर्जो से मुक्त कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप वह आजाद है क्योंकि अब उसे जिस कर्ज के लिए बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी वह कर्ज मुक्त होने से उसे वापिस नहीं करना होगा और उसके लिए उससे बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकेगी।

(2) यदि ऐसे कर्ज के लिए कोई मुकदमा साहूकार ने न्यायालय में किया है तो वह भी स्वतः खारिज हो जायेगा।

(3) कर्ज के बदले में यदि साहूकार ने कोई सम्पत्ति गिरवी रखी है तो वह भी छोड़ दी जायेगी और साहूकार उस कर्ज की वसूली भी नहीं कर सकता।

(4) यदि बंधुआ मजदूरी करने के समय रहने के लिए जगह मिली है तो उस जगह से बंधुआ होने वाले मजदूर को बेदखल नहीं किया जा सकेगा।

3– महिलाओं के विवाह एवं तलाक संबंधी अधिकार

प्रत्येक युवा को समाज को सुव्यवस्थित करने में सहयोग देना जरूरी है और वह अधिक प्रभावी वैवाहिक विधियों से वह अवगत हो ताकि समाज सेवी संस्थाओं को अपने साथ लेकर समाज निर्माण में अपना सक्रिय योगदान कर सकें।

(1) हिन्दू शादी का कानून :

हिन्दू बौद्ध, जैन, सिख इत्यादि धर्म मानने वाले पुरुष, महिला विवाह पर हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 लागू होता है। आमतौर पर अनुसूचित जनजातियों पर यह कानून लागू नहीं होगा जब तक सरकार विशेष आदेश द्वारा किसी जनजाति पर इसे लागू न करें।

(1) कानूनी विवाह करने के लिए निम्नवत् शर्तों पर पूरा होने आवश्यक हैं :

(क) वर और कन्या दोनों हिन्दू हों अर्थात् वह हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख किसी भी धर्म के मानने वाले हों।

(ख) वर और कन्या की पहले शादी न हुई हो जिसमें वर या कन्या की जीवित पत्नी या पति शामिल हैं अर्थात् तलाकशुदा पति या पत्नी या जिसके पति या पत्नी की मृत्यु हो जाये वह विधिवत् दुबारा शादी कर सकते हैं।

(ग) वर और कन्या एक दूसरे के नजदीकी रिश्तेदार जो चाचा, मामा, मौसी या बुआ के लड़के–लड़कियों के अन्तर्गत नहीं आते। परन्तु जहां पर आपस में ऐसे नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह करने का रिवाज है तो उस स्थिति में नजदीकी रिश्तेदारों में विधिवत् विवाह किया जा सकता है।

(घ) विवाह के समय पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष होना जरूरी है क्योंकि 21 साल की कम आयु के लड़के और 18 साल से कम आयु वाली लड़की का विवाह कानूनी अपराध है परन्तु जो विवाह है वह गैर कानूनी नहीं है।

(ङ) वर और कन्या दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए क्योंकि कोई भी दिमागी रूप से अस्वस्थ व्यक्ति विवाहित जीवन नहीं निभा सकता।

जब हिन्दू वर और कन्या में विवाह हो तो क्या किसी विशेष रस्म का होना जरूरी है। इस संबंध में हिन्दू विवाह अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि वर और कन्या के बीच रीति–रिवाज में सप्तपदी की रीति शामिल है तो उस स्थिति में सप्तपदी की रीति के अनुसार विवाह करना जरूरी है। परन्तु जहां विवाह जैन, बौद्ध या सिक्ख रीति या उन व्यक्तियों के समाज में प्रचलित रिवाज के अनुसार किया जाता है जिससे सप्तपदी की रीति सम्मिलित नहीं है तो ऐसा विवाह भी कानूनी है और बिन सप्तपदी की रीति से सम्पन्न हो सकता है।

हालांकि हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है परन्तु यदि कोई विवाह पंजीकरण कराना चाहता है तो अधिनियम के अन्तर्गत विवाह को बाद में पंजीकृत भी कराया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति विवाह उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करके करता है तो वह विवाह वैध विवाह नहीं कहा जा सकता। परन्तु ऐसे अवैध विवाह से जो संतान उत्पन्न होती है वह अवैध संतान नहीं मानी जायेगी अर्थात् ऐसे लड़का या लड़की अपने माता–पिता की सम्पत्ति को अन्य वैध संतान के रूप में हक प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

(2) हिन्दुओं में महिला द्वारा तलाक प्राप्त करने के आधार :

(1) पति द्वारा व्यभिचार या दूसरे के साथ संभोग करना। यदि कोई पति किसी दूसरी स्त्री के साथ दूसरा विवाह भी कर लेता है वह भी व्यभिचार या दूसरे के साथ संभोग करना माना जायेगा और तलाक पाने का आधार होगा।

(2) परित्याग – यदि कोई पति अपनी पत्नी को बिना उचित कारण के छोड़ देता है तो तलाक प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु ऐसे परित्याग में इस बात का ध्यान रखना होगा कि पति ने अपनी पत्नी को दो वर्ष से अधिक अवधि तक बिना उचित कारण से परित्याग कर रखा है।

(3) क्रूरता – यदि पति पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता का दुर्व्यवहार करे या अत्याचार करे तो पत्नी ऐसे पति से तलाक ले सकती है। पत्नी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाना एवं दहेज की मांग करना, गाली–गलौच करना क्रूरता के अंतर्गत आते हैं और तलाक पाने के आधार हैं। यदि पति नपुंसक है तो वह मानसिक क्रूरता के घेरे में आता है और इस आधार पर तलाक प्राप्त किया जा सकता है।

(4) धर्म बदलाव या संन्यास होना : यदि पति धर्म बदल ले या संन्यास ले तो उस आधार पर पत्नी तलाक ले सकती है।

(5) **असाध्य पागलपन** : यदि पति असाध्य पागलपन का शिकार हो जाये या पागलपन के ऐसी स्थिति हो कि कोई भी स्त्री अपना वैवाहिक जीवन चलाना संभव न पाये तो उस स्थिति में पत्नी ऐसे पागलपन के शिकार पति से तलाक प्राप्त करने की अधिकारी है।

(6) **कोढ़ से ग्रस्त होना** : यदि पति कोढ़ की बीमारी से ग्रसित है तो पत्नी को ऐसी बीमारी के आधार पर तलाक प्राप्त करने का अधिकार है।

(7) **सात साल से पति का लापता होना**: यदि पति सात साल या उससे अधिक समय तक लापता है अर्थात् उसकी उसके सगे संबंधियों या उसके मित्रों को भी कोई खबर नहीं है तो सात साल की अवधि के बाद पत्नी ऐसे विवाह में तलाक प्राप्त कर सकती है।

(8) **पति का बलात्कार या बदकारी में दोषी होना** : यदि कोई व्यक्ति शादी के बाद बलात्कार या बदकारी का दोषी है तो उसकी पत्नी इस आधार पर तलाक ले सकती है।

(9) **बाल अवस्था में विवाह होने पर** : क्योंकि बाल अवस्था में विवाह को गैर–कानूनी नहीं माना गया परन्तु ऐसे विवाह को तलाक द्वारा समाप्त करने का अधिकर विशेष परिस्थितियों में पत्नी को दिया गया है। इसके अन्तर्गत यदि किसी लड़की की शादी 15 साल की कम उम्र में हो गई हो तो वह 15 साल की उम्र के बाद और 18 साल की उम्र होने से पहले उस विवाह को मानने से इन्कार कर सकती है और यह विवाह तलाक से समाप्त किया जा सकता है।

(3) विवाहित जीवन के कर्त्तव्यों को कब पूरा करने के लिए कहा जा सकता है :

विवाहित जीवन में पति और पत्नी के एक–दूसरे के प्रति कुछ कर्त्तव्य होते हैं। यदि पति या पत्नी अपने विवाहित कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते तो उनको पूरा कराने के लिए न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है। यदि पत्नी के कोई गलती न करने पर भी पति उसका परित्याग कर देता है और अपने वैवाहिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता तो न्यायालय ऐसे पति को वैवाहिक कर्त्तव्यों का पालन करने का आदेश पारित करती है और उसका अनुपालन न करने पर पत्नी अपने पति के विरूद्ध तलाक प्राप्त करने की अधिकारी है।

यदि पत्नी ने अपने पति को ठोस कारण से परित्याग किया है अर्थात् पति ने दूसरा विवाह कर लिया है या पति कोढ़ का मरीज है या वह अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करता है या जान–बूझकर लापरवाही बरतता है तो उपरोक्त परिस्थितियों में पति की अर्जी पर न्यायालय पति को अपने वैवाहिक कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

(4) पत्नी पति के आपसी समझौते से विवाह का तलाक करना :

कभी–कभी पति–पत्नी के आपस में इतने मन–मुटाव हो जाते हैं कि विवाह की गाड़ी चलाना असंभव होता है तो दोनों अपनी मर्जी से ऐसे विवाह को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जब वर और कन्या आपसी मर्जी से विवाह समाप्त करना चाहें तो वह आपसी समझौते से तलाक प्राप्त करने के अधिकारी हैं, इसके लिए निम्नलिखित शर्तो का पूरा किया जाना जरूरी होता है :–

(1) पत्नी–पति विवाह होने के बाद कम–से–कम एक साल से अलग रह रहे हों।

(2) पति–पत्नी दोनों सहमत हों कि उनका रहना अब असंभव है।

(3) पत्नी–पति को अदालत में संयुक्त अर्जी देनी जरूरी है और तलाक के लिए किसी कारण का बताना भी जरूरी नहीं है परन्तु ऐसी अर्जी के लिए आपस में कोई दबाव नहीं होना चाहिए।

(4) सहमति से तलाक की अर्जी पर अर्जी देने की तारीख से छः माह तक कोर्ट कोई कार्यवाही नहीं करेगी ताकि इस अवधि में पति–पत्नी को सोचने का मौका मिल जाए और वह यदि अर्जी वापस लेना चाहे तो वह ऐसा कर सकें।

(5) कम–से–कम छः माह बीतने के बाद न्यायालय पति–पत्नी से यह जानकारी करेगी कि वह अपनी सहमति से यह तलाक चाहते हैं और उसके पश्चात् पति–पत्नी से तलाक की डिक्री पारित कर दी जाएगी।

(ख) मुस्लिम शादी का कानून :

मुस्लिम विधि दो हिस्सों में बटी है। सुन्नी मुसलमानों के लिए नफी कानून है और शिया मुसलमानों के लिए इस्नाआशरी कानून है। मुस्लिम विधि में विवाह एक संविदा है जिसमें शादी का प्रस्ताव लड़के की तरफ से किया जाता है और लड़की उसको कबूल या स्वीकार करती है। ऐसे विवाह को निकाह कहा जाता है।

(1) जायज विवाह की आवश्यक शर्तें –

(क) निकाह के वक्त मौलवी और गवाहान की मौजूदगी होना जरूरी है। निकाह के समय मौलवी के पास एक किताब होती है जिस पर मौलवी निकाह दर्ज करते हैं और इस पर दूल्हा और दुल्हन दोनों हस्ताक्षर करते हैं या अंगूठा लगाते हैं और उस पर गवाहान के दस्तखत होते हैं और बाद में मौलवी अपने हस्ताक्षर करता है।

(ख) निकाह का निकाहनामा लिखा जाता है। विवाह में मौलवी दूल्हा और दुल्हन को एक–एक पर्चा देते हैं, जिसमें दूल्हा, दुल्हन की मंजूरी, विवाह की शर्ते और गवाहन की मौजूदगी लिखी होती है और इस पर्चे पर उन सब लोगों के दस्तखत होते हैं जिन्होंने शादी की किताब में गवाह के रूप में दस्तखत किए थे।

(ग) निकाह जायज होने के लिए यह जरूरी है कि मेहर की रकम तय हो और इस रकम का जिक्र निकाहनामा में होना जरूरी है। यह वह रकम होती है जो लड़का, लड़की को शादी के बदले में देता है यह मेहर तुरंत शादी में भी देय होती है और शादी के बाद भी पत्नी जब चाहे इस मेहर को मांग सकती है जो कि लड़के को देना बाध्यकर है। परन्तु ज्यादातर लड़के निकाह के समय यह रकम नहीं देते और लड़का वादा करता है कि वह जब भी मेहर की रकम उसके द्वारा मांगी जाएगी, यह अदा करेगा। यह वादा निकाहनामें और शादी की किताब में लिखा जाता है। उल्लेखनीय है कि जो दहेज और तोहफे ससुराल या मायके वालों से दुल्हन को मिलते हैं, वे सब दुल्हन के हो जाते हैं, उस पर किसी और का हक नहीं होता।

(घ) लड़का और लड़की दोनों का मुसलमान होना जरूरी है और दूल्हा और दुल्हन की आयु कम से कम 15 साल की होनी चाहिए। हालांकि देश के आम कानून के अनुसार लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए परन्तु इस्लामी कानून के तहत यह शादी जायज हो जाती है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 में बाल विवाह को अपराध मानता है और इसके अतंर्गत दण्डित किया जा सकता है।

(ड़) निकाह के समय जहाँ तक गवाहान की मौजूदगी का प्रश्न है सुन्नी विवाह में गवाह बालिग होने चाहिए। 18 साल की आयु से ज्यादा और यदि वह पुरुष दो हों और यदि दोनों पुरुष नहीं हैं तो एक पुरुष और दो औरतें भी गवाह बन सकते है परन्तु गैर मुसलमानों की शादी में गवाहों की मौजूदगी जरूरी नहीं है।

(च) मुस्लिम निकाह में यह जरूरी है कि शादी के समय लड़का और लड़की दोनों दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक हों क्योंकि पागल से शादी करना जायज नहीं है।

(2) निकाह की किस्में –

मुस्लिम शादी तीन तरह की होती हैं –

(1) **सही यानि जायज शादी** : यह शादी कानूनी तौर पर जायज शादी होती हैं जिसमें इस्लामी शादी के सारे शरीयत अर्थात् निकाह, मौलवी और बाकी शर्ते पूरी की जाती है।

(2) **बातिल यानि नाजायज शादी :** यह वह शादी है जिसमें कोई जरूरी इस्लामी शरा सुरा नह हुई हो। ऐसी शादी कानूनी तौर पर नाजायज है।

(3) **कासिद** : यदि शादी में किसी इस्लामी शरा की कमी हो अर्थात् कोई मुस्लिम व्यक्ति हिन्दू लड़की से शादी कर ले परन्तु बाद में यह कमी पूरी हो जाए अर्थात् बाद में लड़की मुसलमान बन जाए तो शादी को जायज करार दिया जाता है। इस शादी को कासिद शादी बोलते हैं।

उपरोक्त तीन किस्म की शादियों में शियाओं में केवल शादी जायज या नाजायज मानी जाती है, तीसरे किस्म की कासिद शादी को इनके यहां कोई मान्यता नहीं है।

(3) मुस्लिम महिला कब तलाक ले सकती है :

1. **अदालत के बिना तलाक** – मुसलमान औरत कुछ परिस्थितियों में अदालत के बिना अपने पति से तलाक प्राप्त कर सकती है जो इस प्रकार है –

(1) **तलाक–ए–तकबीज** – इसमें पति अपनी पत्नी को तलाक देने का हक दे सकता है। यह हक शादी के समय, शादी के पहले या शादी के बाद आपसी समझौते से दिया जा सकता है। इस समझौते में यह भी तय किया जाता है कि कोई खास घटना घटने पर बीबी शौहर की तरफ से तलाक ले सकती है। इसमें ऐसा माना जाएगा कि पति ने ही पत्नी को तलाक दिया है। ऐसेमें पति को पत्नी का खर्चा देना होगा।

(2) खुला – इस तरह के तलाक से पत्नी और पति यदि शादी–शुदा की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो वे आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। इसमें पत्नी को तलाक की कीमत चुकानी होती है अर्थात् अपना मेहर माफ करना होता है और उस कीमत के बदले पति उसे तलाक देता है।

2. अदालत के जरिए तलाक लेना –

मुस्लिम विधि में पुरुष को तलाक लेना बहुत ही आसान है। उनको केवल तलाक कहकर विवाह को समाप्त करने का अधिकार दिया गया है जिसमें न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहती जबकि महिला को तलाक प्राप्त करने के लिए बहुत ही पाबंदी है। कोई भी मुस्लिम महिला न्यायालय से तलाक केवल मात्र मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 में दिए गए आधारों को सिद्ध होने पर ही प्राप्त कर सकती है। जिन आधार पर तलाक प्राप्त किया जा सकता है, वह इस प्रकार है :–

(1) यदि पति–पत्नी को मारे–पीटे या और परेशान करे,

(2) पत्नी की यदि पति जायदाद बेच दे या उसमें अपना हक न जताने दे,

(3) जब एक से ज्यादा बीबी हो तो सबको बराबरी का हक न दे,

(4) यदि पति–पत्नी से जबर्दस्ती करे कि वह गैर मर्दो से नाजायज ताल्लुकात रखे।

(5) यदि पति लम्बे अरसे तक गायब हो जाए तब भी पत्नी तलाक प्राप्त कर सकती है बशर्ते गायब होने की अवधि कम से कम चार वर्ष की होनी चाहिए।

(6) यदि पति–पत्नी को रहन–सहन का खर्च दो साल तक न दे तो इस आधार पर भी पत्नी–पति के विरूद्ध न्यायालय से तलाक प्राप्त कर सकती है।

(8) यदि पति ने किसी अपराध में सात साल तक सजा काटी है तो इस आधार पर पत्नी तलाक प्राप्त करने की अधिकारी है।

(9) यदि पति पागल हो जाए और यह पागलपन कम से कम दो साल का हो तो पत्नी तलाक प्राप्त कर सकती है।

(10) यदि पति नपुंसक है और विवाहित जीवन गुजारने लायक न हो तो पत्नी को तलाक मिल सकता है।

(11) यदि पति को कोढ़ या रतिज रोग की बीमारी हो तो पत्नी तलाक ले सकती है। यदि किसी लड़की की शादी 15 साल की आयु पूरी होने से पहले कर दी गई हो और उसने शादी की रात पति के साथ न बिताई हो तो 18 साल की आयु पूरी होने से पहले वह तलाक के लिए न्यायालय से अनुरोध कर सकती है।

इनके अतिरिक्त मुस्लिम विधि के अंतर्गत यदि पति ने पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध रखने का झूठा आरोप लगाया हो या पति ने अपना धर्म बदल दिया हो तो इस आधार पर भी न्यायालय से पत्नी तलाक प्राप्त करने की अधिकारी है।

(4) पत्नी को अपने वैवाहिक कर्त्तव्य निभाने पर कब मजबूर नहीं किया जा सकता –

यदि पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है या मेहर मांगने पर नहीं देता या अपने दायित्वों का पालन नहीं करता तो पत्नी को अपने पति के साथ रहने या वैवाहिक कर्त्तव्यों को निभाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

(5) तलाक होने पर पत्नी को क्या अधिकार हैं ?

तलाक होने पर पत्नी अपने पति से निम्न हक पाने की अधिकारी है –

(1) निकाहनामें में दी गई मेहर की बकाई रकम,

(2) शादी के समय बीबी को दिए गए सभी तोहफे,

(3) यदि बच्चों की देखभाल पत्नी करती है तो उन बच्चों के दो साल की उम्र होने तक का खर्चा,

(4) इद्दत के दौरान का खर्चा जो कि तीन महावारी तक को होता है और यदि औरत के पेट में बच्चा है तो बच्चे के जन्म तक की अवधि का होता है। यदि इनको पति नहीं देता तो पत्नी संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आवेदन देकर इन सबको पति से प्राप्त कर सकती है।

(ग) ईसाई विवाह का कानून –

ईसाई धर्म के लोगों का अपना निजी कानून है जो कि भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872 है। चूंकि यह बहुत पुराना हो चुका है इसलिए नया अधिनियम बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस अधिनियम के अनुसार विधिवत् विवाह के लिए वर और कन्या ईसाई धर्म को मानते हों जो कि रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्ट्रैंट दोनों में से एक हो सकता है। यदि दोनों में एक भी ईसाई धर्म का है तब भी यह विधिवत् विवाह हो सकता है। वह भारतीय क्रिश्चियन है जिससे अभिप्राय ऐसे भारतीय से है जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया है।

(1) विधिवत् विवाह की शर्ते –

(क) वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष और कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए,

(ख) विवाह के समय वर या कन्या दोनों के कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होने चाहिए। तलाकशुदा पति या पत्नी दुबारा विवाह कर सकते हैं।

(ग) वर और कन्या को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

(घ) पति और पत्नी का नजदीकी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए अर्थात् जैसा कि भाई–बहन, या माँ–बेटा।

(ङ) दोनों का ईसाई होना जरूरी नहीं है अर्थात् यदि पति–पत्नी में से एक ईसाई है तो भी इस अधिनियम में विधिवत् विवाह हो सकता है।

(2) विवाह में कौन से रीति–रिवाज वैध हैं –

ईसाई कानून के अनुसार तीन प्रकार से विवाह सम्पादित किया जा सकता है –

(क) धार्मिक विवाह : यदि चर्च द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा विवाह सम्पन्न कराया जाता है। यदि किसी पादरी द्वारा विवाह चर्च के नियमों, धार्मिक, कृत्यों, रस्मों और रिवाजों के अनुसार सम्पन्न कराया जाए अथवा ऐसे किसी धर्म पुरोहित द्वारा जिसे राज्य सरकार ने नियुक्त किया हो। ऐसे विवाह के अपने कुछ नियम होते हैं। जैसे कि वर या कन्या को धर्म पुरोहित को लिखित सूचना देना, विवाह में दो गवाहों की उपस्थिति और धर्म पुरोहित के सामने घोषणा करना कि इस विवाह में कोई कानूनी अड़चन नहीं है।

(ख) धर्म निरेपक्ष विवाह : यह विवाह सरकारी विवाह रजिस्ट्रार द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इसमें भी लिखित सूचना ओर दो गवाहान की उपस्थिति जरूरी है। रजिस्ट्रार के सामने वर या वधू को यह घोषणा करनी पड़ती है कि इस विवाह में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो विवाह के प्रमाण–पत्र देने के लिए इस अधिनियम के अनुसार नियुक्त किया गया हो, विवाह करवा सकता है। इस प्रकार से केवल भारतीय क्रिश्चियन विवाह कर सकते हैं रोमन कैथोलिक इस ढंग से विवाह नहीं करवा सकते।

(3) ईसाई विवाह में पत्नी किन–किन आधारों पर तलाक ले सकती है ?

कोई भी ईसाई पत्नी निम्नलिखित आधारों में से किसी एक आधार पर तलाक प्राप्त कर सकती है –

(1) धर्म बदलना : यदि पति ने अपना धर्म त्याग कर दूसरा धर्म अपनाया हो और दूसरी शादी कर ली हो तो इस आधार पर पत्नी तलाक प्राप्त कर सकती है।

(2) द्वि–विवाह और व्यभिचार : यदि शादी हो जाने के बाद पति का किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध हुआ हो अर्थात् व्यभिचार किया गया हो और दूसरी शादी करता है तो पत्नी तलाक ले सकती है।

(3) व्यभिचार और क्रूरता : यदि पति–पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करे या अत्याचार करे और व्यभिचारी हो तो पत्नी तलाक ले सकती है। क्रूरता शारीरिक एवम् मानसिक किसी में एक हो सकती है। मारपीट करना शारीरिक क्रूरता है और गैर–वफादारी का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है।

(4) अगम्यागमनी व्यभिचार : यदि ईसाई पति ऐसी किसी स्त्री से शारीरिक संबंध रखता है जो स्त्री उस व्यक्ति के नजदीकी रिश्ते में हो अर्थात् बहन, मां इत्यादि हो तो इस आधार पर पत्नी तलाक लेने की अधिकारी है।

(5) व्यभिचार और परित्याग : बिना किसी पर्याप्त कारण पति या पत्नी का एक दूसरे से अलग रहने और अपने वैवाहिक संबंधों का पालन न करने को परित्याग कहते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि पति ने पत्नी को दो साल से अधिक अवधि से छोड़ा हो और व्यभिचार का दोषी हो अर्थात् परित्याग के साथ–साथ व्यभिचार का भी दोषी होना जरूरी है।

(6) पति बलात्कार या बदकारी का दोषी हो : यदि विवाह के बाद पति ने बलात्कार का कोई अपराध किया है या यह बदकारी का दोषी है तो उसकी पत्नी इस आधार पर तलाक प्राप्त करने की अधिकारी है।

उल्लेखनीय है कि ईसाई कानून के अन्तर्गत पति और पत्नी के तलाक लेने के अधिकार अलग–अलग हैं। स्त्री को क्रूरता, परित्याग, द्वि विवाह के आधारों पर तलाक लेने के लिए यह साबित करना पड़ता है कि उसका पति व्यभिचारी है जबकि हिन्दू विवाह अधिनियम में किसी एक आधार पर तलाक प्राप्त किया जा सकता

है। महिला के प्रति इस अपमानता को समाप्त करने के लिए नया कानून अभी बनाने के लिए बिल संसद में लम्बित है जो कि निकट भविष्य में पारित होने के बाद इस असमानता को समाप्त कर देगा। परन्तु वर्तमान स्थिति यह है कि ईसाई महिला को अपने पति का दुर्व्यवहार या परित्याग सहना पड़ेगा और यह अपने आप में तलाक के आधार नहीं है जब तक कि इनके साथ पति व्यभिचार का दोषी न हो। यह अपने आप में अनुचित है क्योंकि व्यभिचार को साबित करना बहुत ही कठिन है।

4. दूसरी शादी करना कानूनी अपराध :

हिन्दू एवम् ईसाई धर्म को मानने वाले पति एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते और पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना अपराध है। केवल मात्र मुस्लिम विधि एक मुसलमान पति को एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार देते हैं जिसके फलस्वरूप चार पत्नियों को कानूनन रख सकता है। परन्तु जहां तक हिन्दू और ईसाई पति का प्रश्न है उसको दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है।

यदि पत्नी के जीते पति ने दूसरी शादी कर ली है तो पहली पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ थाने में या मजिस्ट्रेट के कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकती है और ऐसे पति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 में सात साल कैद ओर जुर्माने की सजा हो सकती है और ऐसी दूसरी शादी को कानून में वैध नहीं माना जाता। इसी प्रकार यदि पत्नी की सहमति से भी पति दूसरा विवाह कर लेता है तो भी यह शादी गैर कानूनी होगी। जहां तक ऐसी अवैध शादी से हुई संतान का प्रश्न है वह पिता की सम्पत्ति से एक वैध संतान के रूप में सभी अधिकार पा सकते हैं।

(घ) बाल विवाह कानूनी अपराध :

यह सर्वविदित है कि बच्चों की शादी घोर अन्याय है क्योंकि यह बच्चे घड़े की तरह होते हैं जो कि वैवाहिक जीवन की कठोरता को सहन करने एवं अपने दायित्वों को निभाने में सक्षम नहीं होते। इसलिए एक बाल विवाह से कमजोर संतान एवं परिवार की नींव बनती है जो कि समाज के लिए घातक है। अतः यह समाज सेवी संस्थान का ही कर्त्तव्य है कि यह जन–प्रचार से इसकी रोक–थाम करे अपितु सजग प्रशासन को भी अपना सक्रिय सहयोग देना जरूरी है। बाल–अवरोध कानून की जानकारी हर महिला को होनी परम आवश्यक है। इस बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1923 के महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं :–

18 साल से ऊपर का लेकिन 21 साल से कम उम्र का लड़का अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे 15 दिन तक का कारावास और 1,000/– रू0 जुर्माना या दोनों इस अधिनियम की धारा–3 में किए जा सकते हैं। इसी प्रकार यदि 21 साल से अधिक उम्र का लड़का 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे धारा–4 में तीन माह की कैद और जुर्माना किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह करवाने वाले माता–पिता, रिश्तेदार, बाराती, विवाह करवाने वाले पंडित को भी बाल–विवाह करवाने में अपना सक्रिय योगदान देने के परिणाम स्वरूप इस अधिनियम के अंतर्गत तीन माह की कैद और जुर्माना हो सकता है।

(ड़) बाल विवाह कैसे रोका जा सकता है :

यदि किसी व्यक्ति की जानकारी में है कि बाल विवाह करवाया जा रहा है तो वह इसकी सूचना संबंधित इलाके के मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे सकता है जिससे वह पुलिस एवं मजिस्ट्रेट का दायित्व बन जाता है कि वह बाल विवाह को तुरन्त रूकवायें क्योंकि ऐसा आदेश पारित करने में इलाका मजिस्ट्रेट विधिवत् सक्षम है। यदि ऐसे आदेश होने के बावजूद भी बाल–विवाह रोका नहीं जाता तो उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को तीन माह का कारावास एवं 1,000/– रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। इसलिए केवल पुलिस या मजिस्ट्रेट का ही दायित्व नहीं है बल्कि बाल विवाह करवाने से संबंधित कोई रिश्तेदार, दोस्त या जानकार को चाहिए कि वह इसकी जानकारी पुलिस थाने में दे या मजिस्ट्रेट को दे ताकि ऐसे बाल विवाह की कुप्रथा को इस अधिनियम की सहायता से समाप्त किया जा सके।

4. महिलाओं की अभिरक्षा, भरण–पोषण एवं सम्पत्ति अधिकार

महिलाओं को यह महत्वपूर्ण अधिकार है जिसका विवरण निम्न है :–

1. वैवाहिक महिलाओं के बच्चों की अभिरक्षा के अधिकार :–

एक सुखी परिवार की आधारशिला पति–पत्नी में आपसी सौहार्द होता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे से कटते हैं तो परिवार टूटने लगते हैं और इसका वास्तविक कठोराघात बच्चों पर होता है। इसलिए पति पत्नी के आपसी झगड़ों में बच्चों की सुरक्षा माता के पास होगी या पिता के पास इसको निष्पक्ष रूप से न्यायालय ही जान सकता है। अतः न्यायालय के आदेश पर ही बच्चों की अभिरक्षा निर्भर करती है जिसमें बच्चों के हित को देखना सर्वोपरि होता है। इसलिए पति पत्नी दोनों में से किसी को भी न्यायालय बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभिरक्षा रखने का आदेश पारित कर सकती है।

यदि तलाक के मुकदमें के दौरान बच्चों की अभिरक्षा का प्रश्न है तो संबंधित न्यायालय से महिला आवेदन देकर बच्चे को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए अनुरोध कर सकती है। परन्तु जहां आपसी पति पत्नी का झगड़ा अभी न्यायालय में लम्बित न हो तो बच्चों को अभिरक्षा में रखने के लिए संरक्षक अधिनियम 1890 के अतंर्गत जिला न्यायालय में आवेदन करना होगा और बच्चे के हित को सर्वोपरि देखते हुए न्यायालय अभिरक्षा संबंधी आदेश पारित कर सकती है।

अभिरक्षा के संबंध में साधारण विधि यह है कि बच्चा अगर छोटा होता है तो मां को कानूनी अधिकार है कि सात साल तक होने तक बच्चा उसके पास रहे। सभी हालात को देखकर अदालत तय करेगी कि बच्चा मां के पास रहेगा या पिता के पास और यह भी जानने की कोशिश करेगी कि बच्चा खुद किसके पास रहना पंसद करेगा। यदि मां की अपनी कोई आमदनी न हो तो भी बच्चे का हित अगर मां के पास रहने में है तो बच्चा मां को ही दिया जायेगा और पिता को उसका पूरा खर्चा देना होगा।

2. महिलाओं के भरण–पोषण संबंधी पति से अधिकार :

प्रत्येक महिला चाहे वे किसी भी धर्म की हो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–125 के अंतर्गत अपने पति से भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है। इस धारा के अंतर्गत महिला को सक्षम न्यायालय में एक साधारण आवेदन देकर अपने पति के विरूद्ध भरण–पोषण की मांग करनी होती है। न्यायालय का यह दायित्व है कि वह भरण–पोषण के आवेदन को छह माह के अंदर यथाशीघ्र तय करने का प्रयास करें। इस आवेदन के निस्तारण करने में कोई कानूनी पेचीदगियों को न अपनाकर साधारण जांच के रूप में तुरन्त तय करना होता है। यदि भरण–पोषण आवेदन के तय होने के बीच देना जरूरी समझा जाता है तो न्यायालय आवेदन तय होने तक अंतरिम भरण–पोषण देने का आदेश पारित कर सकती है। उपरोक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–125 के अंतर्गत भरण–पोषण प्राप्त करने के साथ–साथ हिन्दू महिलाएं यदि चाहें तो वह हिन्दू भरण–पोषण अधिनियम के अंतर्गत एवं जहां तलाक संबंधी मुकदमा चल रहा हो तो हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा–24 में भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि हिन्दू पति पत्नी का तलाक भी हो जाए तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–125 में भरण–पोषण प्राप्त करने की हकदार है और साथ–साथ हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा–25 में तलाक होने पर भी यह स्थायी भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है।

जहां एक मुस्लिम विवाहित महिला का प्रश्न है वह तलाक होने पर मेहर की बकाया राशि, इद्दत के दौरान खर्चा, शादी के वक्त बीबी को दिए गए सभी तोहफे यदि किसी ने दिए हों, इत्यादि प्राप्त करने की अधिकारी है। चूंकि भरण–पोषण की अवधि इद्दत तक सीमित रखी गई इसलिए इद्दत के अर्थ को समझना जरूरी है। इद्दत का अभिप्रायः यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी गर्भवती तो नहीं है और इस इद्दत की अवधि तीन महावारी तक होती है और यदि औरत को महावारी न हो और औरत के पेट में बच्चा हो तो बच्चे के जन्म तक होती है। मुस्लिम विधि में पत्नी तलाक के बाद केवल इद्दत की अवधि तक ही पति से खर्चा प्राप्त करने की अधिकारी है। अब प्रश्न यह उठता है कि तलाक के बाद यह मुस्लिम महिला कहां जाये और किससे अपना भरण–पोषण प्राप्त करें। इस संबंध में मुस्लिम विधि यह कहती है कि ऐसे तलाक शुदा मुस्लिम महिला को अपने मां–बाप, बच्चों या रिश्तेदार जो उसकी जायदाद के वारिस होंगे उनसे भरण–पोषण की मांग कर सकती है।

जब कोई मुस्लिम महिला भरण–पोषण संबंधी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–125 के लाभ को सुनिश्चित करवाना चाहती है तो उसके लिए एक उपाय यह है कि वह अपने निकाहनामा में यह संयुक्त घोषणा सम्मिलित करवा दे कि 'दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–125' में अर्जी देने से तलाकशुदा औरत शौहर से खर्चा ले सकती है तो तत्पश्चात् केवल इद्दत अवधि तक ही खर्चा नहीं प्राप्त किया जा सकता बल्कि इस दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–125 का लाभ प्राप्त करते हुए तलाकशुदा मुस्लिम अन्य महिलाओं की तरह असीमित अवधि तक अपने तलाकशुदा पति से भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है।

3. महिला का भिन्न धर्मों के पुरुष से विधिवत् आपस में विवाह कैसे किया जा सकता है ?

भारत एक धर्म–निरपेक्ष देश है और धर्म निरपेक्षता को बल देने के लिए यह उचित होगा कि समाज को भी धर्म निरपेक्ष बनाया जाये अतः भिन्न धर्मो के स्त्री–पुरुषों में यदि आपस में विवाह होगे तो बहुत हद तक सांप्रदायिक समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। इसलिए यदि हिन्दू धर्म की स्त्री मुस्लिम धर्म के पुरुष से विवाह करना चाहती है या मुस्लिम लड़की हिन्दु लड़के से विवाह करना चाहती है तो यह कानूनन विवाह कर सकते हैं। ऐसे विवाह को विधिबद्ध बनाने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 सृजित किया गया है।

आपसी धर्म में किसी हिन्दू महिला की मुस्लिम पुरुष से शादी करने या ईसाई की मुस्लिम से शादी करने या हिन्दू की ईसाई से शादी करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 में निम्नलिखित आवश्यक शर्तो को पूरा करना जरूरी है :–

(1) किसी भी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए,

(2) कोई भी पक्षकार जड़ या पागल न हो,

(3) पुरुष ने इक्कीस वर्ष की आयु और स्त्री ने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो,

(4) पक्षकारों में प्रतिषिद्धि कोटि की नातेदारी न हो,

(5) जहां विवाह जम्मू–कश्मीर राज्य में अनुष्ठापित किया गया हो वहां दोनों पक्षकार उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित भारत का नागरिक हो।

इसके लिए प्रक्रिया में शादी करने हेतु तत्काल लिखित सूचना जिले के विवाह अधिकारी को देनी होगी जिसमें यह उल्लेख करना जरूरी है कि सूचना दिए जाने की तारीख से ठीक पहले तीस दिन से अधिक अवधि से वहां निवास किया है। तत्पश्चात् सूचना को प्रकाशित किया जाएगा और तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि किसी के द्वारा इस विवाह के प्रति कोई आपत्ति नहीं की जाती तो विवाह अधिकारी अपने कार्यालय से या ऐसे अन्य स्थान पर जहाँ दोनों पक्षकार चाहें ओर ऐसी शर्तो पर तथा ऐसा अतिरिक्त खर्च देने पर जिन्हें विदित किया जाएगा विवाह अनुष्ठापित करेगा। विवाह किसी भी रूप में जिसे पक्षकार अपनाना पसंद करें अनुष्ठापित किया जायेगा। परन्तु जब एक प्रत्यक्ष दूसरे पक्षकार से विवाह अधिकारी और तीन साथियों की उपस्थिति में तथा ऐसी भाषा में जिसे पक्षकार समझ सकें यह न कहें कि 'मैं (क) तुम (ख) को अपनी विधिपूर्ण पत्नी स्वीकार करता हूं (या अपना विधिपूर्ण पति स्वीकार कर रही हूं) तक वह विवाह पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जब विवाह अनुष्ठापित हो जाए तब विवाह अधिकारी इसका प्रमाण अपने विवाह रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा और ऐसे प्रमाण–पत्र पर विवाह के पक्षकार और तीनों साथी हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार विवाह प्रमाण पुस्तक में विवाह अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र प्रविष्ट किए जाने पर वह प्रमाण–पत्र इस तथ्य का निश्चयात्मक साक्ष्य समझा जायेगा कि इस अधिनियम के अधीन विवाह अनुष्ठापित हो गया है तथा साक्षियों के हस्ताक्षरों के संबंध में औपचारिकता का अनुपालन हो गया है।

4. महिलाओं के सम्पत्ति संबंधी अधिकार :–

संविधान के अनुच्छेद–44 में सामान्य संहिता सृजित करने का महत्वपूर्ण निर्देशक तत्व दिया गया है जो दायित्व सरकार द्वारा अभी पूरा नहीं किया गया। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग कराने के साथ–साथ उन्हें उपलब्ध कराना भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 39–क में महिलाओं को निःशुल्क विधि सहायता देने का महत्वपूर्ण निर्देशक तत्व उपबंधित किया गया है जिसके अंतर्गत यह दायित्व प्रत्येक राज्य सरकार का है कि वह जिले में कानूनी सहायता समितियां गठित करके महिलाओं, बच्चों एवं अनुसूचित जातियों और जनजातियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। महिलाओं के सम्पत्ति संबंधी क्या अधिकार है वह हिन्दू विधि एवं मुस्लिम विधि में भिन्न–भिन्न हैं अतः दोनों का अलग से उल्लेख करना उचित होगा।

मौटे तौर पर अब कानून सभी पुरुषों एवं महिलाओं को बराबर अधिकार देता है और प्रत्येक महिला अपने नाम से सम्पत्ति खरीद सकती है और उसे सम्पत्ति का मालिक होने का हक है। कोई भी महिला अपनी सम्पत्ति का जो चाहे करे और पुरुषों की तरह सम्पत्ति खरीदे या बेचे। उन्हें अपने माता–पिता या दूसरे रिश्तेदारों की सम्पत्ति का हिस्सा भी मिल सकता है परन्तु हिस्सा कितना मिल सकता है यह महिला से संबंधित निजी विधि पर निर्भर करता है जिसमें हिन्दू विधि एवं मुस्लिम विधि भिन्न–भिन्न है।

5. हिन्दू स्त्रियों के सम्पत्ति अधिकार :–

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसने अपनी सम्पत्ति की वसीयत नहीं छोड़ी तो ऐसी सम्पत्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार मृतक के बेटे, उसकी बेटियों, उसकी पत्नी, उसकी मां के बीच बराबर हिस्से में बंटेंगी। यदि ऐसे व्यक्ति के मरे हुए बेटे के बच्चे हैं या बेटियां हैं और उस मरे बेटे की विधवा है या मरे हुए बेटे के पोता है तो उस मृतक व्यक्ति के मरे हुए बेटे का हिस्सा उसके जीवित बेटों, बेटियों और विधवा के बीच बराबर हिस्सा होगा।

कोई पुरुष या महिला अपनी छोड़ी सम्पत्ति चाहे वह स्व अर्जित है या पैतृक में हिस्सा है के बाबत् वसीयत करने की अधिकारी है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु के बाद वह सम्पत्ति केवल उसी व्यक्ति को मिलेगी जिनके नाम वसीयत की गई हैं यदि किसी महिला को अपने मृतक पति की सम्पत्ति में हिस्सा मिला है तो वह उसकी मालिक हो जाती है जिसको वह जैसे प्रयोग करना चाहे वह कर सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि अगर ऐसी विधवा महिला दुबारा शादी कर लेती है तो गुजरे हुए पति से मिली सम्पत्ति उसकी अपनी ही रहेगी।

किसी हिन्दू महिला के मरने पर उसकी सम्पत्ति उसके वारिसों को मिलेगी जिसमें उसका बेटा, बेटी, पति बराबर का हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त यदि ऐसी महिला का बेटा मर चुका है और उस मरे हुए बेटे का बेटा या बेटी या उनके बच्चे मृतक बेटे के हिस्से की सम्पत्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। हिन्दु महिला को पैतृक आवसीय भवन में विभाजन का अधिकार है। हिन्दू विधवा को अपने मृत पति की सम्पत्ति में भी अधिकार चाहे उसने पुनः शादी कर ली है।

6. हिन्दू महिला का स्त्री धन :–

गहने या अन्य उपहार जो महिला को विवाह में मिलते हैं, वह उसका स्त्री धन कहलाता है। ऐसी स्त्री धन पर हमेशा स्त्री का ही अधिकार होता है। ऐसे धन पर केवल मात्र महिला का अधिकार ही रहता है और जैसे चाहे वह उसका प्रयोग कर सकती है।

7. हिन्दू खानदानी सम्पत्ति में महिला का अधिकार :–

खानदानी सम्पत्ति से अभिप्राय वह सम्पत्ति से है जो हिन्दू पुरुष को अपने पुरुष पूर्वजों से मिलती है। हिन्दू पुरुष व महिला को जन्म से ही अपने परिवार की खानदानी सम्पत्ति पर अधिकार होता है। यह व्यवस्था हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में धारा 6 में 2005 के संषेाधन के उपरान्त दी गई है। हिन्दू महिला का हिन्दू पुरूष के समान ही पैतृक सम्पत्ति में अधिकार है।

8. हिन्दू महिला अपनी सम्पत्ति की वसीयत कर सकती है :–

कोई भी महिला चाहे वह विवाहिता हो या अविवाहित, अपनी निजी सम्पत्ति की वसीयत कर सकती है। जब भी किसी महिला द्वारा वसीयत लिखनी हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह उसमें अपना नाम और पता लिखे और अपने पिता या पति का भी नाम लिखे। जिस सम्पत्ति की वसीयत करना चाहती है, उसका विस्तृत उल्लेख किया जाए और यह जरूर लिखना चाहिए कि वह वसीयत अपनी खुली मर्जी से बिना दबाव के और पूरे होश में लिख रही है यह भी ध्यान रखे कि वसीयत की तारीख के साथ–साथ अपने हस्ताक्षर को और दो गवाहन के हस्ताक्षर नाम और पति सहित होना परम आवश्यक है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वसीयत किसी साधारण कागज पर लिखी जा सकती है और इसके लिए कोई विशेषतः तकनीकी भाषा की जरूरत नहीं हैं। इसलिये बिना वकील की सहायता के वसीयत लिखी जा सकती है। पर यह महत्वपूर्ण है कि किसी वसीयत को पंजीकृत करना जरूरी है।

9. मुस्लिम महिला का जायदाद का हक :–

मुसलमानों में शादी, तलाक और जायदाद के निजी मामलों में इस्लामी कानून लागू होता है। सुन्नी मुसलमानों पर हनफी कानून लागू होता है जिसके अनुसार सम्पत्ति के वारिस केवल यह रिश्तेदार होते हैं जिनका रिश्ता मरे हुये व्यक्ति से मर्द जात के जरिए हो यानि बेटी के बेटे का सम्पत्ति में कोई हक नहीं होगा। शिया मुसलमानों में ऐसा नहीं है क्योंकि वारिस का रिश्ता औरत के जरिए भी माना जाता है जिसके अन्तर्गत बेटी का बेटा, बेटी की बेटी इत्यादि भी वारिस हैं और सम्पत्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

मुस्लिम विधि में विरासत पाने के शरए सारे करीबी रिश्तेदारों का बराबर हक है और आदमी का औरत से दुगुना हिस्सा होता है। अगर मरने वाले का रिश्ता किसी के जरिए हो तो जब तक वह जरिया जिन्दा है, तब तक दूसरा वारिस नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दूर के रिश्तेदारों के हक कट जाते हैं। जायदाद का बंटवारा और हिस्सा इन बातों पर निर्भर है कि कितने वारिस हैं और मरे हुए व्यक्ति से उनकी क्या रिश्तेदारी है।

10. मुस्लिम महिला किन–किन रूपों में वारिस बन सकती है :–

मुसलमान विधवा महिला का अपने मृतक पति की सम्पत्ति पर हक है। यदि पति के कोई औलाद नहीं तो विधवा को हिस्सा मिलेगा। अगर मृतक पति के बच्चे है तो उस स्थिति में विधवा को कुल आठवां हिस्सा मिलेगा।

मुस्लिम विधि में बेटी को अपने मृतक पिता की जायदाद का वारिस माना जाता है। यदि उसके पति ने कोई बेटा नहीं छोड़ा तो बेटी को बाप की जायदाद में आधा हिस्सा पाने की अधिकारी है। यदि मृतक पिता ने बेटा छोड़ा है तो उस स्थिति में भाई का हमेशा बहन से दुगुना हिस्सा होता है।

मुस्लिम महिला को अपने बेटे की जायदाद पर भी वारिस होने का हक है। इसलिए यदि बेटे की कोई औलाद न हो तो मां को एक तिहाई हिस्सा मिलेगा और यदि बेटे की औलाद हो तो उसके मरने पर मां को छटा हिस्सा मिलेगा।

11. मुस्लिम महिला का मेहर पाने का अधिकार :–

मेहर वह रकम होती है जो शादी होने पर पति–पत्नी को देता है इसलिए मेहर इस्लामी शादी का जरूरी हिस्सा होता है। मेहर की रकम शादी से पहले या शादी के वक्त तय की जाती है। इस मेहर की पत्नी को अधिकार है कि वह जब चाहे इसकी तुरन्त मांग कर सकती है। जबकि मुवज्जल मेहर से अभिप्राय वह रकम जो कि पत्नी को तलाक होने पर मिलती है या तब मिलती है जब पति का देहान्त हो जाता है। मेहर की रकम पति पर कर्ज मानी जाती है और यदि पति यह धनराशि न दे तो पत्नी इस धनराशि को कर्ज के रूप में

न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर सकती है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पति ने अपने जीवनकाल में मेहर की रकम न दी तो पत्नी को अपने मृतक पति की सम्पत्ति में हिस्से के अतिरिक्त मेहर की रकम भी मिलेगी।

12. मुस्लिम महिला का नफ्का अधिकार :–

नफ्का वह है जो मुस्लिम पति अपनी पत्नी के रहन–सहन और खाने, कपड़े पर खर्च करता है और इसका दायित्व पति पर होता है। पत्नी नफ्का अधिकार के तौर पर अपने पति से मांग कर सकती है। यदि पति अपने दायित्व की पूर्ति नहीं करता तो इसको वह अदालत की मदद से प्राप्त कर सकती है। नफ्का की राशि पति की आय स्रोत के आधार पर और पत्नी की जरूरतों और रहन–सहन के तरीके को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है।

13. मुस्लिम महिला का हिबा करने का अधिकार :–

मुस्लिम विधि में हिबा एक तरह का तोहफा होता है जो किसी मुस्लिम महिला या पुरुष द्वारा मुफ्त कोई चीज या पैसा या जायदाद दी जाती है और लेने वाला व्यक्ति उस चीज, पैसा या जायदाद को स्वीकार करता है और इसके देने के बदले में कुछ नहीं लिया जाता, वह हिबा होता है। कोई भी स्वस्थ महिला जो दिमागी तौर पर स्वस्थ है, अपनी संपत्ति का हिबा करने के या हिबा में संपत्ति प्राप्त करने की अधिकारी है। परन्तु हिबा करते समय कोई जोर–जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिए। हिबा की स्वीकृति प्रकट करना जरूरी होता है। इसलिए यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मकान हिबा करके उसकी चाबियाँ दे, दे तो वह मकान हिबा माना जाएगा और वह पत्नी की संपत्ति हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि हिबा का लिखित होना जरूरी नहीं है। केवल यह आवश्यक है कि हिबा की सारी शर्ते जिनका उपरोक्त वर्णन किया गया है, वह पूरी कर ली गई है परन्तु यदि लिखित हिबा कर दिया जाए तो अधिक सुविधाजनक हो सकता है।

14. मुस्लिम महिला को वसीयत करने का अधिकार :–

मुसलमान पुरुष अपनी संपत्ति के एक तिहाई से अधिक वसीयत नहीं कर सकता परन्तु जहां तक मुस्लिम महिला का प्रश्न है, यदि मुस्लिम महिला का वारिस उसका केवल पति है और कोई सगा रिश्तेदार नहीं है तो उस स्थिति में मुस्लिम महिला दो तिहाई हिस्से की वसीयत कर सकती है। वैसे वह भी केवल मात्र एक तिहाई हिस्से की अपनी संपत्ति वसीयत कर सकती है।

उल्लेखनीय है कि यह एक तिहाई का हिसाब तब लगाया जाता है जब क्रियाकर्म और कर्ज उतार दिए जाते है और उसके बाद मृतक की जो संपत्ति बचती है। यदि मियां–बीबी अपनी शादी विशेष विवाह कानून के अंतर्गत विवाह रजिस्टर करवाते हैं तो उस स्थिति में वह जिसे अपनी पूरी जायदाद की वसीयत कर सकते है। मुस्लिम विधि में वसीयत मुँह–जुबानी या लिखित किसी रूप में की जा सकती है। परन्तु यह जरूरी है कि वसीयत करने का इरादा साफ होना चाहिए। परन्तु लिखित वसीयत पक्की होती है इसलिए वसीयत लिखना ज्यादा सुविधाजनक होता है। वसीयत किसी भी आम कागज पर लिखी जा सकती है।

15. मुस्लिम तलाक–शुदा पत्नी के साथ भेदभाव क्यों ?

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज की आधारशिला परिवार होती है और परिवार को जन्म देने वाली संस्था विवाह है। कभी हमने सोचा कि बच्चे न हों तो इस समाज का क्या रूप होगा ? बच्चे ही इस सृष्टि एवं प्रकृति के चलते रहने या यूं कहा जाए कि सुहावनेपन का द्योतक हैं। जहां बच्चों पर प्राकृतिक की शोभा टिकी हुई है, वहां बच्चों का भविष्य सुखी परिवार पर निर्भर करता है और यह परिवार का जन्म तब होता है जब स्त्री और पुरुष विवाह के सूत्र में बंधकर वैवाहिक जीवन प्रारम्भ करते हैं। विवाह को सभी धर्म के लोग मान्यता देते है तथा विवाह से पति–पत्नी के बीच संभोग द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होती है, उसकी प्रक्रिया भी एक ही है और हर धर्म दम्पत्तियों को चाहे वह हिन्दू ईसाई या मुस्लिम हो, संभोग की प्रक्रिया से गुजरना होता है, तभी वैवाहिक जीवन प्रारम्भ होता है। इस विवाह के सूत्र में बंधने के लिए दोनों पक्षकारों की रजामंदी होती है और विवाह एक संविदा के रूप में प्रारम्भ होता है एवं इस संविदा को तलाक के द्वारा भंग भी किया जा सकता है।

जब किन्हीं दो पक्षकारों के बीच में कोई संविदा होती है तो यह समझा जाता है कि वह स्वेच्छा से एवं समता के आधार पर हुई है। परन्तु मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह रूपी संविदा में जहां पुरुष पक्षकार को चार विवाह करने का विशेष अधिकार दिया गया है, वहां स्त्री पक्षकार को केवल एक ही विवाह करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त पुरुष विवाह के बंधन में बंधने के बाद अपनी पत्नी को बिना किसी कारण तलाक दे सकता है जिससे मुस्लिम पत्नी उसकी पत्नी नहीं रहती है और उसको अपने रिश्तेदारों के आश्रय पर जीवन बिताना पड़ता है। उदाहरणतया यदि किसी समृद्ध मुस्लिम व्यक्ति ने एक खूबसूरत गरीब मुस्लिम लड़की से विवाह करके उसको अपने घर लाया और कुछ साल अपने पास रखने के बाद अब वह मुस्लिम व्यक्ति उस पत्नी को रखना नहीं चाहता तो केवल तलाक देकर अपने रिश्ते को समाप्त कर सकता है। जब एक बार तलाक हो जाता है तो उसके पश्चात पत्नी पर यह दायित्व कि वह निश्चित अवधि के लिए इद्दत में रहे और इद्दत की अवधि समाप्त होने के पश्चात पति को कोई दायित्व नहीं है कि तलाकशुदा पत्नी के प्रति किसी प्रकार का कोई दायित्व उठाए। यदि वह गरीब परिवार की लड़की पति द्वारा तलाक दिए जाने पर बेसहारा है

और उसके पास मेहर का धन पर्याप्त नहीं है तो भले ही वह दर–दर भटके परंतु उसके पति का या दायित्व नहीं है कि वह उसकी कोई सहायता करे। वैवाहिक जीवन का पूरा सुख तो पति ले और बिना पत्नी की कोई गलती के तलाक देकर अपना रिश्ता तोड़ दे, तो अब यह तलाकशुदा पत्नी कहां जाए।

किसी भी स्त्री का आभूषण उसका घर, पति एवं बच्चे होते हैं। सच तो यह है कि स्त्री पति के बिना जंगल में भटकी हुई हिरनी की तरह है जिस पर कोई भी हमला करके अपना शिकार बना सकता है। स्त्री प्रायः केवल एक बार विवाह करती है, दूसरी बार का वैवाहिक जीवन स्त्री के लिए नरक के समान होता है। इसलिए यह देखा गया है कि कोई भी तलाकशुदा स्त्री सामान्यतः दूसरी शादी नहीं करती। इसके विपरीत पुरुष जो स्त्री के मुकाबले अधिक स्वार्थी होता है, वह किसी सुंदर स्त्री को देखकर जल्दी भटक जाता है। वह स्वार्थी सुंदरता का पुजारी होता है जबकि स्त्री त्याग की देवी होती है। इसलिए जहां पर हिन्दू, ईसाई या अन्य किसी धर्म की किसी पत्नी को तलाक दे दिया गया होता है तो उसमें पति के दायित्व पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाते अपितु उस तलाकशुदा पत्नी को यह अधिकार होता है कि यदि वह स्वयं अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है तो उसको यह कानूनी अधिकार है कि वह अपने पति से जिसने उसको तलाक दे दिया है, ऐसा भरण–पोषण का खर्चा प्राप्त करें।

परन्तु एक मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी ही दुर्भाग्यशाली होती है जिसको कानून ने अपने पति के विरूद्ध भरण–पोषण के अधिकार से वंचित किया है। जहां पर मुस्लिम पत्नी को हर समय तलाक के भय में जीवित रहना पड़ता है, वहां भरण–पोषण का अधिकार छीनकर उसकी असुरक्षा को और कमजोर करना कहां तक उचित होगा। इस संबंध में तलाकशुदा पत्नी के क्या अधिकार होंगे, उसके बाबत् अधिनियम बनाया गया है जो कि मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 से जाना जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी को अपने पति से केवल उस अवधि तक भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार है जो अवधि इद्दत की होती है। अतः जहां तलाक के बाद इद्दत की अवधि समाप्त हुई, उसके पश्चात तलाकशुदा पत्नी पति से किसी प्रकार का भरण–पोषण प्राप्त नहीं कर सकती। उदाहरणतया यदि कोई मुस्लिम स्त्री विवाह के समय बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता से मोहित होकर किसी मुस्लिम व्यक्ति ने उससे विवाह कर लिया। दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ वर्ष पश्चात् उसका स्वास्थ्य ठीक न रहे और पति उससे यह सुख न पा रहा हो जो कि उसको पहले मिलता था तो उससे वह अपना रिश्ता तलाक देकर तोड़ पाता है। अब इस मुस्लिम पत्नी के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं कि वह इस तलाक से बच सके और बिना किसी कुसूर के तलाक की तलवार उसके रिश्ते को तोड़ देती है। जहां वह स्त्री एक ओर बीमार है ओर उसके इलाज के लिए इसे धन की आवश्यकता है, वहां तलाक पर जो कुछ मेहर की राशि उसको मिलती है, वह खर्च करने के बाद भी वह अपना भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकार नहीं है। जहां इद्दत की अवधि समाप्त हुई, वहां पर तलाकशुदा पत्नी को यह अधिकार नहीं है कि भले वह भूख से मर रही हो, उसके सिर पर कोई छत न हो और फिर भी यह पति जो कि धनवान है, उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह ऐसी बेसहारा स्त्री को, कभी उसकी पत्नी थी, जिससे उसने संबंध किया था, उसकी सहायता करे। यदि किसी घर का कुत्ता बीमार होने पर उसको घर वाले घर से निकाल देते हैं तो वह भूले–भटके घर में फिर आ जाए तो उस पर दया करके कुत्ते का मालिक रोटी डाल देता है। शायद उसको इस बात का आभास हो जाता है कि कभी तो वह उस कुत्ते का मलिक था। परन्तु इस अधिनियम में तो तलाकशुदा पत्नी को इससे भी नीचे गिरा दिया है। तलाकशुदा पत्नी अपने पति से किसी प्रकार का भरण–पोषण नहीं प्राप्त कर सकती चाहे वह बिना रोटी, कपड़ों एवं मकान के मर रही हो। बल्कि अधिनियम यह प्रावधानित करता है कि तलाकशुदा पत्नी की तलाक होने के पश्चात देखभाल करने का दायित्व उस पत्नी के रिश्तेदारों का है। क्या विडम्बना है कि पति जो धनवान है जिसने पत्नी की भरपूर जवानी का मजा लिया है और अब उसका मन भर जाए तो वह तलाक द्वारा अपना रिश्ता सदा के लिये समाप्त कर दे। यहां तक कि यदि तलाकशुदा पत्नी भूख–प्यास या बेघर होने की पीड़ा से सहायता की मांग करे तो उसको भी अनदेखी कर दे क्योंकि कानून ऐसा करने का उसको अधिकार देता है। मानवता कानून के बिना रह सकती परन्तु कानून मानवता के बिना नहीं पनप सकता। फिर कानून द्वारा मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी के साथ दानवता जैसा व्यवहार क्यों ? क्या तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी से पति के विरूद्ध भरण–पोषण के अधिकार को छीनना उचित है।

भाग – 2
दण्डिक विधि में महिलाओं की सुरक्षा

क– दहेज के अत्याचार से महिला की सुरक्षा का उपाय :–

महिला का शोषण सदियों से होता रहा है। इस शोषण में सबसे बड़ा योगदान घिनौनी दहेज परम्परा का रहा है जिसको समाप्त करने के उद्देश्य से दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 सृजित किया गया। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात अब दहेज लेना ही अपराध नहीं है अपितु दहेज देना भी अपराध बना दिया गया है। इसी प्रकार दहेज माँगना या दहेज लेने या देने में सहायता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम में पांच साल तक की कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

दहेज को गंभीर अपराध मानते हुए माँगने वाले को कम से कम से छह माह का कारावास और यदि कोई दहेज का विज्ञापन देता है तो वह भी इतने ही अपराध से दण्डनीय होगा। आमतौर पर शादी के रिश्ते किसी बिचौलिए या रिश्तेदार की सहायता से तैयार किए जाते हैं। चूंकि यह दलाल या रिश्तेदार दहेज की रकम तय करवाता है इसलिए इस अधिनियम में यह भी अपराधी है। शादी से पहले भी यदि दहेज की माँग की जाती है तो यह भी अपराध होगा।

परन्तु जहाँ दहेज कानून के अनुसार दिया जाए तो वह अपराध नहीं होगा अर्थात् दिए गए उपहारों की एक सूची बनानी होगी और ऐसे उपहारों की माँग न की गई हो या उनके लिए दबाव न डाला गया है। वधू को दिए जाने वाले उपहार पारम्परिक तौर के होने चाहिए। उनकी कीमत देने वाले की हैसियत या आर्थिक स्थिति के हिसाब से होनी चाहिए।

महिला के लिए दहेज संबंधी कुछ विशेष सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। यदि दहेज शादी के पहले दिया गया हो तो शादी की तारीख से तीन महीने के अंदर दहेज लड़की को देना होगा। यदि दहेज शादी के समय या शादी के बाद लिया गया हो तो लेने की तारीख से तीन महीने के अंदर लड़की को देना चाहिए। अगर दहेज जब लिया गया था, लड़की की आयु 15 वर्ष की थी अर्थात् वह अवयस्क थी तो 18 साल की उम्र होने के तीन महीने के अंदर उसे दहेज दिया जाना चाहिए।

दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 में यह भी व्यवस्था की गई है कि जब तक दहेज लड़की के अलावा किसी और के पास होता है जब तक वह उस व्यक्ति के ट्रस्ट में होता है जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि दहेज के सामान या रकम को सुरक्षित रखेगा और उचित समय पर लड़की को लौटा दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कानून द्वारा तय किए गए समय से दहेज लड़की को नहीं लौटाता तो वह इस अधिनियम में अपराध है और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा किया जा सकता है जिसमें ऐसे व्यक्ति को छहः माह से दो साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। दहेज लड़की की अपनी अमानत होती है, जिसकी वह मालिक है। यह महिला के स्त्री धन में आता है। दहेज संबंधी अपराधों को दण्डित करने का यह अधिनियम महिला को इसमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति दहेज संबंधी अपराध करता है तो उसकी रिपोर्ट तुरन्त थाने में करनी चाहिए ताकि दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके अन्वेषण प्रारम्भ किया जा सके। इसकी रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति जो दहेज से पीड़ित हो या किसी दहेज से पीड़ित व्यक्ति के माता–पिता या अन्य रिश्तेदार या सरकार द्वारा मान्य कोई समाज सेवी संस्था करवा सकती है। दहेज संबंधी अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं अर्थात् पुलिस को इसकी रिपोर्ट मिलने पर वह मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना सीधे अन्वेषण प्रारम्भ कर सकती है परन्तु जहां तक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रश्न है, वह पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त दहेज संबंधी अपराध अशमनीय है अर्थात् इसको राजीनामें से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ–साथ यह अपराध अजमानतीय है अर्थात् मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जमानत पर नहीं छोडा जा सकता।

ख– दहेज के लिए तंग करने या जलाने वाले अपराधियों के विरूद्ध विशेष कानूनी उपबंध :–

यह कटु सत्य है कि दहेज को समाप्त करने का कानून बने 57 साल हो गए हैं परन्तु दहेज का जहर अभी भी फैल रहा है और कई लड़कियों को तंग किया जाता है और कई तो जला भी दी जाती है। कई लड़कियां इन अत्याचारों को सह नहीं पाती और वे आत्महत्या कर लेती हैं। इन सब स्थितियों से निपटने के लिए फौजदारी कानूनों में कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं जिनसे दहेज के लिए लड़कियों को तंग करने वाले अपराधियों को दण्ड दिया जा सके।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–क में यदि किसी औरत का पति या पति के रिश्तेदार उसके साथ क्रूर व्यवहार करें अर्थात् उसे मारे, सताएं या ऐसे सताने से औरत के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो या ऐसा व्यवहार करे जिससे औरत आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए तो वह इस धारा में अपराध होगा जिसमें तीन साल तक का कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। क्रूरता से व्यवहार करने के अन्तर्गत किसी औरत को अगर धन या सम्पत्ति लाने के लिए परेशान किया जाता है या उससे बुरा बर्ताव किया जाता है तो यह भी क्रूरता होगी और वह भी दण्डनीय अपराध है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–ख के अन्तर्गत यदि किसी महिला के साथ दहेज के लिए ऐसा क्रूर व्यवहार होता है और शादी के सात साल के अंदर किसी गैर प्राकृतिक कारण से महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या अन्य ससुराल वालों को उसकी मृत्यु के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो कि इस धारा में कम से कम सात साल के कारावास से दण्डित किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114–ख के अन्तर्गत यह भी उपबंध है कि दहेज के कारण हुई मृत्यु की स्थिति में अदालत यह मानकर चलेगी कि औरत की मृत्यु पति या ससुराल वालों के कारण हुई और इसको साबित करना पति एवं ससुराल वालों पर होगा कि महिला की अप्राकृतिक ढंग से हुई मृत्यु में उन्होंने दहेज में कभी परेशान नहीं

किया था और वह इसके लिए दोषी नहीं है। अभियोजन पक्ष को केवल यह साबित करना होगा कि महिला के पति एवं रिश्तेदारों ने ऐसी अप्राकृतिक मृत्यु से पहले दहेज के लिए परेशान किया था।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 जो कि दोषी व्यक्ति को दण्ड देने की प्रक्रिया उपबंधित करती है उसमें धारा 498–क के अन्तर्गत यदि किसी शादी–शुदा महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार होता है तो उसकी शिकायत लड़की खुद या लड़की के माता–पिता, भाई या बहन रिपोर्ट कर सकते हैं। परन्तु जहां तक रिश्तेदारों द्वारा रिपोर्ट करने का प्रश्न है, वह केवल कोर्ट की इजाजत से ही की जा सकती है। इसी प्रकार यदि कोई महिला आत्महत्या करती है या ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस को तुरन्त की जानी चाहिए और पुलिस अधिकारियों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही करना बाध्यकर है।

पुलिस स्टेशन का भार साधक अधिकारी ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसकी सूचना नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को करेगा और स्वयं घटना स्थल पर जाकर मृत्यु के कारणों की समीक्षा करेगा और मरी हुई महिला का पंचनामा तैयार करके और लाश को सील करके सिविल सर्जन के पास शव परीक्षण के लिए भेजगा। पुलिस अधिकारी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंचनामें में मृत्यु का क्या कारण प्रतीत होता है, घाव किस तरह के हैं, लाश की क्या स्थिति थी, इत्यादि बातों का उल्लेख करना जरूरी है। ऐसे तैयार किए गए पंचनामे पर मोहल्ले के दो जाने माने व्यक्तियों, जिनके सामने पंचनामा तैयार किया गया, उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त होना जरूरी है।

मजिस्ट्रेट ऐसी अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–176 के अंतर्गत स्वतंत्र प्रशासनिक जांच करता है और आवश्यकता पड़ने पर अप्राकृतिक मृत्यु यदि दहेज के कारण विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई है तो दोषी को दण्ड दिलाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा–304–बी में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करनी होगी।

ग– महिला के प्रति बलात्कार और अपहरण से सम्बन्धित अपराधों से कानूनी सुरक्षा :–

(1) **बलात्कार का अपराध :–** यदि किसी महिला के साथ किसी पुरुष द्वारा उसकी इच्छा या सहमति के बिना संभोग किया जाए या संभोग के लिए डरा–धमका कर उसकी सहमति ली जाए या उससे यह कहकर संभोग किया जाए कि वह पुरुष उसका पति है जबकि वास्तव में वह पति नहीं है या ऐसी स्त्री के साथ संभोग किया जाए जो दिमागी रूप से कमजोर हो या जो किसी तरह नशे के प्रभाव में हो तो ऐसी प्रत्येक स्थिति में किया जाने वाला संभोग बलात्कार कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त सोलह साल से कमउम्र की किसी लड़की के साथ यदि संभोग उसकी मर्जी या उसके मर्जी के खिलाफ किसी भी दशा में किया जाए तो यह भी बलात्कार का अपराध माना जाता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 में बलात्कार एक दण्डनीय अपराध है जिसमें अपराधी को उम्र कैद हो सकती है।

(2) **पति पत्नी के संभोग को कब बलात्कार कहा जाएगा :–** यदि पत्नी की आयु विवाह के समय 15 वर्ष से कम हो तो पति पत्नी से जबरदस्ती संभोग करता है तो वह बलात्कार का दोषी है। इसी प्रकार यदि न्यायालय के आदेश से पति पत्नी अलग रह रहे हों और पति पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध संभोग करता है तो वह बलात्कार का अपराधी है। क्योंकि छोटी उम्र मे लड़किया संभोग क्रिया सहन नहीं कर पाती और कई बार उन्हें गंभीर चोट भी आ सकती है और कभी–कभी तो उनकी मृत्यु भी होजाती है और लड़कियां संभोग क्रिया को भय की नजर से देखती है। इसलिए उनकी सुरक्षा हेतु विशेष कानूनी व्यवस्था जरूरी समझी गई। इसी प्रकार पति पत्नी एक–दूसरे के बराबर भागीदार हैं पत्नी पति की दास नहीं कि जब चाहे पति उससे जोर–जबर्दस्ती करेगा। महिला को विवाह में बराबरी देने के उद्‌देश्य से यह व्यवस्था की गई है कि पति पत्नी से जोर जबर्दस्ती करके संभोग नहीं कर सकता और यदि दोनों न्यायालय के आदेशों से अलग–अलग रह रहें हो तो उस स्थिति में पति यदि पत्नी से जबर्दस्ती संभोग करता है तो वह बलात्कारी है जिसमें उसको उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। बलात्कार के अपराध में केवल पुरुष को ही अपराधी माना जाता है चाहे वह कम उम्र का क्यों न हो, यदि वह जानता है कि वह क्या कुकर्म कर रहा है। इसी प्रकार यदि कोई दूसरा व्यक्ति चाहे वह स्त्री ही क्यों न हो किसी पुरुष को बलात्कार करने में मदद करे तो उसे बलात्कार में सहयोग होने के कारण दण्डित किया जा सकता है।

(3) **बलात्कार होने पर महिला को क्या करना चाहिए –** चूंकि बलात्कार का दारोमदार मुख्यतः संभोग की परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है इसलिए महिला को चाहिए कि डॉक्टरी जांच होने तक वह पहने हुए कपड़ों को न धोए और न ही उसे बदले। इस बात की सावधानी भी बरतनी चाहिए कि वह न नहाए। बलात्कार की शिकार हुई महिला को इस घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को बतानी चाहिए और उनको साथ लेकर पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिएं चूंकि डॉक्टरी जांच जरूरी होती है इसलिए पास के डॉक्टर के यहाँ जांच करवा ली जाए अन्यथा पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस को डॉक्टर से जांच करवानी जरूरी होती है। इस डॉक्टर जांच में लेडी डॉक्टर स्त्री की जांच करके देखेंगे कि उसके आसपास वीर्य है या

नहीं। इसके अतिरिक्त स्त्री की जांघ या आसपास चोटों की जांच करेंगे तथा स्त्री की मानसिक स्थिति भी देखेंगे जिन सबका उल्लेख डॉक्टर के अपनी जांच रिपोर्ट में करना होगा।

(4) बलात्कार अपराध में पुलिस का दायित्व क्या है ? – थाने के भार साधक अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि बलात्कार की घटना को वह गंभीरता से ले और इसकी रिपोर्ट तुरन्त लिखकर उस पर कार्यवाही शुरू करे। जब थाने में रिपोर्ट लिखी जाए तो उसको स्त्री को पढ़कर बताया जाएगा कि उसमें क्या लिखा है और तत्पश्चात् हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने के लिए कहा जाएगा। यदि रिपोर्ट लिखित रूप में है तो उसको उसी रूप में पुलिस अपने यहां लिखेगी। शिकायत लिखने के बाद पुलिस का यह कर्त्तव्य है कि वह उसकी एक प्रति उस रिपोर्ट करने वाली स्त्री को भी दे दे। यदि पुलिस स्टेशन का अधिकारी या दरोगा स्त्री की रिपोर्ट लिखने से इन्कार करता है तो पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत करनी चाहिए या स्वयं मिलना चाहिए ताकि इस पर पुलिस अधीक्षक तुरन्त कार्यवाही कर सकें। यदि फिर भी पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर दें तो स्थानीय मजिस्ट्रेट के यहां इसकी रिपोर्ट करनी होगी।

यदि बलात्कार करने वाला पुरुष प्रभावशाली या बलशाली है और पुलिस एवं स्थानीय मजिस्ट्रेट स्त्री की रिपोर्ट लिखने से इन्कार कर दे तो उस स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री, पुलिस महानिरीक्षक, स्थानीय विधायक एवं जिला अधिकारी को लिखित रिपोर्ट दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि उचित समझें तो इस घटना की रिपोर्ट किसी समाज सेवी या स्थानीय या राष्ट्रीय समाचार–पत्र को भी पत्र लिखकर की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि जो स्त्री बलात्कार की शिकार होती है, उसकी स्थिति कितनीदयनीय होती है इसलिए उसके विश्वास एवं सम्मान को जगाना जरूरी होता है। यही कारण है कि पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि जांच में जहां तक जरूरी होगा, स्त्री के घर जाकर ही उससे पूछताछ करनी चाहिए और उसे थाने पर आने के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। यदि कोई पुलिस अधिकारी परेशान करता है या उचित व्यवहार नहीं करता तो पुलिस कर्मी को दण्डित किया जा सकता है।

(5) न्यायालय की कार्यवाही में स्त्री के लिए विशेष व्यवस्था – जिस स्त्री का बलात्कार होता है, उसकी मानसिक स्थिति बहुत घबराई हुई होती है इसलिए उसमें न्यायालय को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। चूंकि स्त्री कोर्ट में यह कहने में घबराती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ क्योंकि वह सोचती है कि लोग क्या कहेंगे और इन बातों से घबराहट में सारी जरूरी बातें कोर्ट में बिखर सकने का डर रहता है। इसलिए ऐसे मामलों की सुनवाई में न्यायालय आम जनता को सुनवाई देखने या सुनने की अनुमति नहीं देता और यह कैमरा कार्यवाही अर्थात् बंद न्यायालय में की जाती है। न्यायालय को इस बात का भी ध्यान रखना होता हे कि जो स्त्री बलात्कार का शिकार हुई है, उससे उल्टे और परेशान करने वाले उलझनपूर्ण प्रश्न वकील न पूछे और पूर्ण सत्यता को साक्ष्य में लाया जा सकें। यदि किसी स्त्री से संभोग हवालात में या इन्य संरक्षण में जैसे कि अस्पताल, नारी निकेतन बगैरा बगैरह में किया जाता है तो उस स्थिति में उस पुरुष को यह साबित करना होता है कि वह निर्दोष है और स्त्री को अपने बलात्कार का सबूत नहीं देना होता। न्यायालय बलात्कार के अपराध में अन्य स्वतंत्र गवाह के बिना केवल बलात्कार की पीड़ित स्त्री के अकेले साक्ष्य पर भी अपराधी को दोषी सिद्ध करने में सक्षम है। अतः बलात्कार करने वाले को सात से दस साल या उम्र कैद भी दी जा सकती है। यदि कोई पुरुष यह पता होने पर कि स्त्री गर्भवती है, उसके साथ बलात्कार करता है तो उसे कम से कम दस वर्ष की सजा होगी। यदि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से साथ बलात्कार किया जाता है तो अपराधी को कम से कम दस वर्ष का कारावास जो कि उम्र कैद तक हो सकता है दिया जाएगा। जब कई पुरुष एक या अधिक स्त्रियों में एक समय बलात्कार करते हैं जिसे सामूहिक बलात्कार कहा जाता है तो हर अपराधी को कम से कम 10 वर्ष की सजा होगी।

(6) अपहरण अपराध में महिलाओं की सुरक्षा –

यदि कोई लड़की जिसकी आयु 18 साल से कम है यानि वह अवयस्क है और उसके संरक्षक का अधिकार उसके माता–पिता का है तो ऐसी लड़की को कोई बहला–फुसलाकर ले जाए, चाहे उसमें उस लड़की की मर्जी ही क्यों न हो, वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 में अपहरण का अपराधी है। इसी प्रकार यदि किसी लड़की को जबर्दस्ती उठा लिया जाता है तो वह भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 में गंभीर अपराध है। इस प्रकार किसी अपहरण होने की स्थिति में इसकी रिपोर्ट तुरन्त थाने पर करनी होगी जिसमें अपराधी का नाम, पता इत्यादि सभी ब्यौरा देना जरूरी है। जिसको उठाया गया है, फुसलाकर भगाया गया है, उसकी बावत् भी पर्याप्त विवरण देना होगा ताकि वह बरामद करने में पुलिस को सहायक हो सके। इसी प्रकार यदि किसी महिला को जबर्दस्ती कब्जे में रखा जाता है तो वह भी अपराध है। इसके लिये मजिस्ट्रेट से भी अनुरोध किया जाता है। यहां तक कि उच्च न्यायालय में भी सीधे रिट की जा सकती है।

(7) वेश्यावृत्ति से महिलाओं की कानूनी रक्षा –

महिलाओं को वैश्यावृत्ति से बचाने का जो पहले कानून था, वह वेश्यावृत्ति को दबाना था जबकि नया अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 वेश्यावृत्ति को समाप्त करने का है अर्थात् जो वेश्यावृत्ति की जड़ महिलाओं की आर्थिक गरीबी है उसका निवारण करने हेतु महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बनाना

है ताकि वह आर्थिक मजबूरी के कारण अपने शरीर को बेचने के लिए मजबूर न हो सके। प्रायः जो पहले पुलिस के माध्यम से मजबूर वेश्याओं पर अत्याचार किए जाते थे, वह नए अधिनियम के आने से सामाजिक संस्थाओं द्वारा उनके उत्थान के प्रयत्न किए गए। वेश्यावृत्ति का व्यापार करने वाली महिला एवं दलालों को दण्ड देने पर अब अधिक जोर दिया जाएगा ताकि बेसहारा गरीब वेश्याओं पर यह अत्याचार न किए जाएं।

अब प्रशासन एवं विधायिका द्वारा यह अनुभव किया जाने लगा है कि वेश्यावृत्ति के समाधान के लिए पुलिस की ताकत वेश्याओं के विरूद्ध प्रयोग न करके वेश्यावृत्ति के दलालों के दमन में इसका प्रयोग करना होगा और वेश्यावृत्ति को सामाजिक एवं आर्थिक मंच पर निवारण करने का प्रयत्न किया जाएगा। चूंकि वेश्यावृत्ति करने वाले और कराने वाले दलाल वास्तव में महिला की आर्थिक एवं सामाजिक असमर्थता का लाभ उठाते हैं इसलिए इनको दण्डित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुलिस अधिकारी की शक्तियां देने की व्यवस्था की गई है ताकि पुलिस इन पैसे वाले असामाजिक तत्वों के प्रभाव में आकर वेश्याओं को केवल मोहरा न बनाएं ताकि वेश्यावृत्ति का बाजार गरम न रहे।

नए अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 में बच्चे से अभिप्राय वह व्यक्ति होगा जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है और अवयस्क का अर्थ जिसकी आयु 16 से 18 वर्ष की है और 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वयस्क की परिभाषा दी गई है। अब वेश्यावृत्ति की परिभाषा को भी और व्यापक कर दिया गया है जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति की आय पर निर्भर करते हैं, उनको दण्डित करने की भी व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। यदि कोई व्यक्ति बच्चे या अवयस्क से वेश्यावृत्ति करके अपनी जीविका कमाता है तो उसे गंभीर अपराध मानते हुए कम से कम 7 वर्ष का कारावास जो कि 10 वर्ष तक हो सकता है, दण्डित करने की व्यवस्था की गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को वेश्यावृत्ति के लिए उकसाता है ओर धंधे में कमाता है, ऐसे व्यक्ति को कम से कम तीन वर्ष का कारावास जो कि 10 वर्ष तक हो सकता है, दण्डित करने की व्यवस्था की गई है। महिलाओं की वेश्यावृत्ति से छुटकारा पाने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कदम नए अधिनियम में लिखा गया है कि वास्तविक अपराधी ग्राहक और दलाल होता है वेश्या नहीं। इसलिए इसको दण्डित करने पर बल देना और वेश्या को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उचित उपाय कराने पर बल दिया गया है। अब वेश्यावृत्ति संबंधी सभी अपराधों को संगीन बनाया गया है अर्थात् विशेष पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी एवं जहां वेश्यावृत्ति कराई जाती हैं, उस स्थान की तलाशी लेने में सक्षम हैं। अपराधियों को शीघ्र दण्ड दिलाने के उद्देश्य से संक्षिप्त विचारण की भी व्यवस्था की गई है। यदि कहीं महिला का निर्दयता से समाज में शोषण हुआ है तो वह वेश्यावृत्ति ही है जिसको अब निवारण करने के जो नए कदम इस अधिनियम में उठाए गए हैं, वह निश्चय ही महिला के सम्मान को बढ़ाने में मील का पत्थर सिद्ध होंगे।

(8) पुलिस से संबंधित महिला के अधिकार –

पुलिस को कानून के घेरे में अंदर अपनी शक्तियों को प्रयोग करना होता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में पुलिस को महिला के गिरफ्तार करने की क्या शक्तियां हैं, अथवा उनको महिला के प्रति कैसे व्यवहार करना है इत्यादि संबंधित विधि का विस्तृत वर्णन किया गया है। यदि पुलिस दुर्व्यवहार करती है तो उसे दण्ड भी दिया जा सकता है। इसलिए महिला को अपने अधिकार के बिना झिझक दावा करना चाहिए। इस प्रकार भारतीय दण्ड संहिता में यह लिखा है कि कौन–कौन से अपराध होते हैं और उनकी सजा क्या है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में इन अपराधों को रोकने एवं अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को कार्यवाही कैसे करनी होगी।

पुलिस को गिरफ्तारी के समय जोर–जबर्दस्ती करना गैर–कानूनी है। पुलिस को यह भी बताना होगा कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और जुर्म क्या है ? सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं है कि शिकायत दर्ज हुई है। किसी महिला को थाने ले जाने के लिए हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। यदि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति स्वयं अपने आपको पुलिस हिरासत में दे दे तो उसे हाथ लगाना भी उचित नहीं होगा। हथकड़ी केवल उनको लगाई जा सकती है जो जाने–माने अपराधी हों या जिनके भागने की आशंका हो। पुलिस संज्ञेय अपराधें के अन्तर्गत बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि गिरफ्तारी के समय पुलिस वारंट दिखाए। गिरफ्तारी के समय या बाद में महिला किसी वकील को बुलाकर कानूनी सहायता ले सकती है। अपनी सुरक्षा के लिए अपने जानने वाले या रिश्तेदारों को अपने साथ पुलिस स्टेशन जाने का अधिकार है। गिरफ्तार करने पर यह पुलिस बाध्यकर है कि वह 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करे। क्योंकि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना गैर–कानूनी है। जिसे हिरासत में दुर्व्यवहार करना, सताना, मारपीट करना या किसी अन्य तरह की यातना देना गंभीर अपराध है। अगर पुलिस स्टेशन पर कोई मारपीट होती है तो तुरंत डॉक्टरी जांच की मांग करनी चाहिए और इस घटना की शिकायत मजिस्ट्रेट को करनी चाहिए। किसी महिला को महिला पुलिस द्वारा ही गिरफ्तार किया जा सकता है और पुलिस स्टेशन पर महिला पुलिस उपस्थित रहे, इस बात की भी मांग करनी चाहिए। वैसे तो अब कई मुख्य नगरों में महिला थाने का भी सृजन किया है, जहां महिला से संबंधी अपराधों का अन्वेषण इत्यादि सभी महिला पुलिस ही करती है।

जब भी पुलिस महिला को किसी अपराध में गिरफ्तार करे तो वह अपराध की प्रकृति जमानतीय या अजमानतीय दोनों में से एक होगा। कौन से अपराध जमानतीय होते हैं और कौन से अजमानतीय, इसका पूर्ण विवरण दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिया होता है। जमानतीय अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से है जिसमें जमानत की अधिकार के रूप में मांग की जा सकती है। अर्थात् यदि पुलिस जमानतीय अपराध में गिरफ्तार करती है तो यह पुलिस का दायित्व है कि जमानत देने पर गिरफ्तार किए व्यक्ति को तुरन्त छोड़ दे जबकि अजमानतीय अपराध में गिरफ्तार किए जाने पर जमानत को अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। पुलिस को किसी तलाशी के समय सामान्यतः आस–पास रहने वाले किन्हीं अपक्षपाती और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का होना जरूरी है। तलाशी लेने के बाद पंचनामा बनाना जरूरी होता है जिसमें तलाशी से बरामद की गई वस्तुओं का पूर्ण विवरण दिया जाता है। इस पंचनामे पर उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिनकी उपस्थिति में तलाशी ली गई जो कि प्रायः दो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। इस पंचनामे की एक प्रति उस व्यक्ति को देना जरूरी होता है जिसकी तलाशी की गई हो।

यदि महिला को किसी अपराध में पुलिस ने हिरासत में लिया है और वह वकील करने में असमर्थ है तो वह महिला निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की अधिकारी है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति गठित होती है जिनका अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है। इसके अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा लम्बित होता है तो उसका भी यह कर्त्तव्य है कि वह भी निःशुल्क वकील सरकारी खर्चे पर उपलब्ध कराए।

यदि महिला की शिकायत थानाध्यक्ष नहीं लिखते हैं तो वह पुलिस अधीक्षक से मिलकर इसकी रिपोर्ट कर सकती है या वह अलग से लिखित रिपोर्ट सीधे पुलिस अधीक्षक को भी भेज सकती है। यदि फिर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो महिला सीधे मजिस्ट्रेट के यहां भी रिपोर्ट देकर जांच का अनुरोध कर सकती है। पुलिस के यहां जो रिपोर्ट लिखी जाती है, उसे प्रथम इत्तला रिपोर्ट कहते हैं और यदि अजमानतीय अपराध है तो इसके लिये संबंधित मजिस्ट्रेट के सम्मुख जमानत प्रार्थना–पत्र देना होता है जिसके स्वीकार होने के पश्चात् ही जमानत पर छोड़ा जा सकता है। किसी भी महिला को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए पुलिस अधिकारी को लिखित आदेश देने होंगे अन्यथा महिला थाने में किसी पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि 15 साल से कम उम्र के पुरुष को ओर किसी भी महिला को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। इसलिए यदि किसी भी महिला से पुलिस ने कुछ सवाल पूछने हैं तो महिला के घर पर ही पूछताछ की जा सकती हे यदि पुलिस महिला के घर सवाल पूछने ऐसे समय आती है जिसमें उसे शर्मिन्दगी होती है या मर्यादा का उल्लंघन होता है तो महिला संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर सकती है कि पुलिस निश्चित समय पर ही सवालात पूछने उसके घर पर आए। यदि महिला चाहे तो पुलिस द्वारा सवालात पूछने के समय किसी वकील या दोस्त या रिश्तेदार की मदद ले सकती है। यदि यह लगे कि पुलिस सवाल पूछने पर झूठा फंसाना चाहती है तो ऐसे सवालों का जवाब देने से इंकार किया जा सकता है पुलिस ऐसे सवालात की पूछताछ में किसी कागज पर दस्तखत या अंगूठा लगाने के लिए नहीं कह सकती और न ही डरा धमका सकती है। इसके अतिरिक्त पुलिस को यह शक्ति नहीं है कि वह केवल सवाल या पूछताछ के लिए हिरासत में ले या थाने में रखें।

महिला की तलाशी लेते समय उसकी मर्यादा का विशेष ध्यान रखा गया है इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधानित है कि सिर्फ एक महिला पुलिस किसी महिला के शरीर की तलाशी नहीं ले सकती है और कोई पुरुष पुलिस अधिकारी किसी महिला के शरीर की तलाशी नहीं ले सकता। यदि महिला की तलाशी ली जाती है और जो तलाशी मेमो तैयार होता है, उसकी प्रतिलिपि को प्राप्त करने का उसका अधिकार है जिसकी वह माँग कर सकती है। यदि महिला रिपोर्ट नहीं लिख सकती तो वह रिपोर्ट जुबानी भी बताई जा सकती है जिसको पुलिस लिखकर और पढ़कर सुनायेगी और उस पर उसके दस्तखत या अंगूठा लगवाएगी। इस रिपोर्ट को लिखाने को कोई निश्चित तरीका नहीं होता बल्कि जैसा चाहे लिखकर दी जा सकती है, बशर्ते उसमें घटना से संबंधित पर्याप्त विवरण मिल सके। अर्थात् अपराधी का नाम, पता यदि मालूम हो या उसका हुलिया, क्या अपराध हुआ, कैसे अपराध हुआ, कहां हुआ इत्यादि की जानकारी उसमें होनी चाहिए। हर प्रथम रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने का अधिकार उस व्यक्ति को है, जिसने इसको लिखाया है।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / उपसमिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र / पुत्री / पत्नी / विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता / परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता / करती हूँ°–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000 / – (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ / आती हूँ°(जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ
व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने / प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी / व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ / दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण / उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा / करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा / छुपाऊँगी।

प्रार्थी / प्रार्थिनी
पता –
नाम –

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,
तहसील –   जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ°–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ°(जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी
पता –
नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोशण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निशेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नषीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)

32.	सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33.	सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34.	सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35.	सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36.	सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37.	सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38.	सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39.	सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40.	सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41.	सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42.	सरल कानूनी ज्ञान माला–42	शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा
43.	सरल कानूनी ज्ञान माला–43	कानून की जानकारी आखिर क्यों?

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

यदि ऐसे व्यक्तिः–

1– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक,
2– संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,

3– सभी महिलायें एवं बच्चे,

4– सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,

5– बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,

6– औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

7– जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,

8– भूतपूर्व सैनिक,

9– हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,

10– वरिष्ठ नागरिक,

11– एच0आई0वी0/एडस से संक्रमित व्यक्ति,

12– ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 3,00,000 / – से कम हो।

<u>नोट</u> :– क्रम संख्याः 1 से 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य–सचिव

कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

मध्यस्थम एवं सुलह विधि

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन/फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in ukslsanainital@gmail.com

भूमिका

पक्षकारों के बीच विवाद को तय करने के तीन ही तरीके हैं, पहला यह कि विवाद के निस्तारण हेतु न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाये जिसमें न्यायालय दोनों पक्षकारों का साक्ष्य लेखबद्व करके अपने निर्णय द्वारा डिक्री पारित करती है। न्यायालय द्वारा विवाद निस्तारण करने के तरीके में पहले वाद योजित करना होता है जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता की सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है और सुनवाई के दौरान पक्षकारों द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है उसको भी साक्ष्य अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ही ग्राह्रय किया जा सकता है। अतः न्यायालय की प्रक्रिया तकनीकी एवं क्लिष्ठ होती है और इसमें समय लगना स्वाभाविक ही है। विवाद निस्तारण करने का दूसरा तरीका पक्षकारों की सहमति से मध्यस्थ की नियुक्ति करके उसको विवाद के निस्तारण के लिए निर्दिष्ट करना है जिसमें मध्यस्थ के लिए यह बाध्यकर नहीं होता है कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन करें। इसमें मध्यस्थ द्वारा जो विवादों के निस्तारण सम्बन्धी निर्णय दिया जाता है उसे अवार्ड या पंचाट कहते हैं, जो कि न्यायालय की डिक्री के समान होता है। विवाद निस्तारण का तीसरा तरीका सुलह के माध्यम से किया जाता है जिसमें पक्षकार अपने विवाद को सुलह द्वारा तय करने के लिए जब तैयार हो जाते हैं तो उनके बीच सुलहकर्ता दोनों पक्षकारों की दलीलों को पढ़कर इस बात का प्रयास करते हैं कि दोनों पक्षकारों के बीच सुलह हो जाये और पक्षकारों द्वारा ही सुलहकर्ता के सहयोग से समझौता निष्पादित किया जा सकता है जिसकी सुलहकर्ता पुष्टि करता है, इसमें न तो किसी प्रकार का साक्ष्य लेखबद्व करना पड़ता है और न ही किसी प्रकार के सिविल प्रक्रिया संहिता या साक्ष्य अधिनियम के प्राविधानों के पालन करने की आवश्यकता है और यह सीधा एवं सुगम तरीका सुलहकर्ता के माध्यम से पक्षकारों के विवादों को निस्तारण सुलह करने का है। मध्यस्थ एवं सुलहकर्ता द्वारा विवादों के निस्तारण सम्बन्धी कानून का नाम मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 है, जिसके मुख्य महत्वपूर्ण प्राविधानों का यहां संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है।

1. पक्षकारों के चुने हुए मध्यस्थों द्वारा विवादों का निस्तारण कराने को माध्यस्थम कहते हैं :–

पक्षकारों के बीच जब विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों के समाधान के लिए किसी पक्षकार को न्यायालय की शरण लेकर दूसरे पक्षकार के विरूद्व मुकदमा दायर करना पड़ता है। इस मुकदमे के दायर करने से पहले न्यायालय में उसकी विधिवत कोर्ट फीस भी अदा करनी होती है और मुकदमे को दायर करने की औपचारिकता पूरी करने के लिए वकीलों की सहायता ली जाती है तब न्यायालय में मुकदमों की कार्यवाही प्रारम्भ होती है। परन्तु जहां तक माध्यस्थम द्वारा पक्षकारों के विवादों के निस्तारण का प्रश्न है उसमें केवल मात्र पक्षकार अपने ही चुने हुए मध्यस्थों को विवाद के निस्तारण हेतु निर्दिष्ट करके मध्यस्थ के सम्मुख कार्यवाही प्रारम्भ कर सकते हैं जो दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपना निर्णय अर्थात पंचाट देता है जिसमें न्यायालय की किसी प्रकार की औपचारिकता का झंझट नहीं उठाना पड़ता है। इस प्रकार जहां पक्षकार अपने विवादों के हल के लिए न्यायालय में मुकदमा न दायर करके किसी ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ बनाने के लिए सहमत हो जाते हैं जो उनके विवादों का निपटारा करें तो पक्षकारों की रजामन्दी से नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जो विवादों का निपटारा किया जाता है उसको माध्यस्थम कहा जाता है।

2. माध्यस्थम से विवादों के निस्तारण करने के मुख्य लाभ :–

(क) पक्षकारों के कई मामले तकनीकी प्रकृति के होते हैं जिनको समझने के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है इसलिए ऐसे तकनीकी मामलों के झगड़ों का निस्तारण ऐसा ज्ञान रखने वाले विशेष व्यक्तियों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करके विवादों का समाधान आसानी से कराया जा सकता है। जबकि दूसरी ओर ऐसे विशेष तकनीकी मामलों के संबंध में न्यायालय को तकनीकी ज्ञान की जानकारी लेनी पड़ती है इसलिए शायद न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों का आसानी से तय किया जाना कठिन हो जब कि तकनीकी ज्ञान वाले किसी

इंजीनियर को मध्यस्थ के रूप में अपने विवादों का निस्तारण करने हेतु नियुक्त किये जाने पर वह सुगमता से इसमें अपना निर्णय दे सकता है।

(ख) माध्यस्थम में न्यायालयों की अपेक्षा शीघ्र वादों का निपटारा किया जाता है क्योंकि न्यायालय में वैसे ही मुकदमे का अम्बार होता है और यह भी निश्चित नहीं होता कि मुकदमा निर्धारित तिथि पर सुनवाई के लिए लिया जाता भी है या नहीं। न्यायालय में प्रायः मुकदमों में तारीख पर तारीख पड़ती रहती है इसलिए यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि गवाह नियत तिथि पर उपस्थित हों तो उनका साक्ष्य भी न्यायालय द्वारा उसी तारीख पर लिया जाना सम्भव होगा जबकि दूसरी तरफ माध्यस्थम के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है उसके पास यही एक मामला सुनवाई के लिए होता है, जिससे कि वह निर्धारित तिथि पर न केवल सुनवाई कर सकता है बल्कि इसका निर्णय भी शीघ्रातिशीघ्र करने में सक्षम होता है। जिससे पक्षकारों को कम परेशानी होती है और माध्यस्थ कार्यवाही न्यायालय के सम्मुख चल रही कार्यवाही से कम खर्चीली होती है।

(ग) चूंकि पक्षकारों की सहमति से ही मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है इसलिए पक्षकारों की सुविधा को देखते हुए विवादों की सुनवाई का स्थान व समय भी बदला जा सकता है। इसी प्रकार माध्यस्थ विवादग्रस्त स्थल, विषय या वस्तु का निरीक्षण कर सकता है जबकि न्यायालय के समक्ष समय का अभाव होने के कारण निरीक्षण करना सम्भव नहीं होता है। इसलिए मध्यस्थ द्वारा विवादग्रस्त वस्तु का अवलोकन एक बार हो जाने से पक्षकारों के विवादों को समझने एवं शीघ्र निपटारा करने में सहायता मिलती है।

(घ) न्यायालय को कार्यवाही को विधिसम्मत प्रक्रिया एवं औपचारिकताओं से पूरी करना होता है जबकि माध्यस्थ कार्यवाही में उभय पक्षकार अपनी सहमति से सरल प्रक्रिया अपना सकते हैं और मध्यस्थ पर यह बाध्यकर नहीं होता कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम की जटिल एवं तकनीकी प्रक्रिया को ही अपनाये। अतः मध्यस्थम द्वारा की गयी कार्यवाही न्यायालय की तरह मुख्य दर्शष्ट तकनीकी एवं जटिल प्रक्रिया की न रहकर विशेष रूप से वास्तविक न्याय पर केन्द्रित रहती है।

3. माध्यस्थम के लिए आवश्यक तत्व क्या है :—

माध्यस्थम के लिए आवश्यक तत्वों में मुख्य तत्व यह है कि पक्षकारों के बीच लिखित माध्यस्थम करार अस्तित्व में होना चाहिए, जिसके अंतर्गत विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उसका निस्तारण मध्यस्थों द्वारा करने की व्यवस्था हो तथा इस माध्यस्थम करार के अनुसार ही पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर नियुक्त किये गये मध्यस्थ को विवादों का निस्तारण कराने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। मध्यस्थ पक्षकारों के कथनों पर विचार करने एवं साक्ष्य लेखबद्व करने के बाद अपना निर्णय पंचाट के रूप में देता है, जिस पर यदि किसी पक्षकार की कोई आपत्ति हो तो उसका निस्तारण करने के बाद वह पंचाट पक्षकारों पर बाध्यकर होता है। अतः माध्यस्थम के मुख्य तत्वों को इस प्रकार उल्लिखित किया जा सकता है।

(1) पक्षकारों के मध्य लिखित करार का अस्तित्व में होना।

(2) विवादों का उत्पन्न होना, जो कि माध्यस्थ द्वारा तय किया जाता है।

(3) विवादों के निस्तारण करने हेतु मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाना।

(4) मध्यस्थ द्वारा पक्षकारों को सुनने के बाद पंचाट तैयार किया जाना।

(5) पंचाट पर पक्षकारों की यदि कोई आपत्ति हो तो उसका निस्तारण करने के बाद पंचाट का उभय पक्षकारों पर आबद्वकर होना।

4. माध्यस्थम सम्बन्धी विधि के मुख्य प्राविधान :

(क) माध्यस्थम संबंधी पूर्ण विधि की व्यवस्था माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 में की गयी है :—

इस अधिनियम की धारा–7 में यह उपबन्ध किया गया है कि जब पक्षकार अपने विवादों का निपटारा न्यायालय से न कराकर अपनी सहमति से नियुक्त किये गये मध्यस्थों से कराना चाहते हैं तो उनके बीच माध्यस्थम करार होना परम आवश्यक है। पक्षकारों के बीच ऐसे माध्यस्थम करार के लिए आवश्यक है कि

वह लिखित रूप में होनी चाहिए और यदि माध्यस्थम करार किसी दस्तावेज के रूप में हो तो उसमें दोनों ही पक्षकारों के हस्ताक्षर होने परम आवश्यक है। यदि पक्षकारों के बीच में लिखे गये पत्राचार इत्यादि पर पक्षकारों द्वारा विवादों को निस्तारण करने हेतु सहमति जताई जाती है तो वह भी माध्यस्थम करार की प्रकृति में सम्मिलित होगा और उस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होने आवश्यक नहीं है।

(ख) मध्यस्थों की नियुक्ति करके उनको विवादों को निपटाने हेतु निर्दिष्ट किया जाना :–

जब पक्षकारों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण पक्षकारों के बीच माध्यस्थम करार के अनुसार सीधे न्यायालय से कराया नहीं जा सकता बल्कि उसे माध्यस्थम द्वारा ही कराया जाना बाध्यकर है। इस माध्यस्थम करार के अनुसार मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है और तभी मध्यस्थ पक्षकारों के विवादों की सुनवाई प्रारम्भ कर सकते हैं। यदि कोई भी पक्षकार करार के अनुसार मध्यस्थों की नियुक्ति करने में आनाकानी करता है तो दूसरा पक्षकार इस अधिनियम की धारा–11 के अनुसार न्यायालय की सहायता से मध्यस्थ की नियुक्ति करा सकता है। इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को नोटिस मिलने के 30 दिन के अन्दर वह पक्षकार माध्यस्थम करार के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं करता तो अधिनियम की धारा–11 के अनुसार न्यायालय की सहमति से मध्यस्थ की नियुक्ति करायी जा सकती है और जिसके पश्चात नियुक्त किये गये मध्यस्थ को कार्यवाही प्रारम्भ करके अपना निर्णय देना होता है।

(ग) मध्यस्थ की शक्तियां :–

मध्यस्थ का कार्य न्यायालय के न्यायाधीश की तहत ही पक्षकारों को सुनने के बाद अपना निर्णय पंचाट के रूप में देना होता है परन्तु मध्यस्थ की शक्तियां माध्यस्थम करार से ही जुड़ी होती है हैं जिसके अनुरूप ही मध्यस्थ को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होता है। इस अधिनियम की धारा–19 में यह स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि मध्यस्थ न्यायालय की तरह सिविल प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम की औपचारिकताओं को अपनाने के लिए बाध्यकर नहीं हैं। यदि पक्षकारों द्वारा माध्यस्थम करार में ही मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में तथा उसके द्वारा विवादों के निस्तारण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्यवस्था कर दी जाती है तो उसी के अनुसार ही मध्यस्थ को अपनी कार्यवाही करके निर्णय देना होता है। इसलिए यदि पक्षकार यह चाहते हैं कि उनके विवादों का निस्तारण दस्तावेजों के आधार पर ही कर दिया जाये तो मध्यस्थ के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह पक्षकारों का मौखिक साक्ष्य लेखबद्व करें। इसी प्रकार माध्यस्थम करार में अन्य जो भी प्राविधान किये गये हैं, उन्हीं के अनुसार ही मध्यस्थ अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवादों के निस्तारण हेतु अपना निर्णय अर्थात पंचाट दे सकता है।

(घ) पक्षकारों की रजामन्दी से सुनवाई का स्थान निर्धारित करना :–

पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर इस अधिनियम की धारा–20 में पक्षकारों को यह स्वतंत्रता दी गयी है कि वह माध्यस्थम कार्यवाही के स्थान को नियत कर सकते हैं जिसके अनुसार ही उस स्थान पर पक्षकारों के विवादों की सुनवाई की जायेगी और उसी तरह जिस भाषा में पक्षकार चाहते हैं कि उनकी यह सुनवाई की जाय, उसी भाषा का मध्यस्थ को प्रयोग करना होगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा–22 में भी यह प्राविधानित किया गया है।

(ड़) मध्यस्थ साक्ष्य को लेखबद्व करने के लिए न्यायालय की सहायता प्राप्त कर सकता है :–

मध्यस्थम कार्यवाही की सुनवाई में दस्तावेज एवं साक्ष्य लेखबद्व करना होता है। यदि मध्यस्थ यह समझता है कि किसी व्यक्ति से दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता है या किसी व्यक्ति का साक्ष्य लेखबद्व किया जाना है तो उसके लिए वह सम्बन्धित सिविल न्यायालय की सहायता लेकर साक्षी को सम्मन भिजवाने की सहायता ले सकता है, जिस पर यदि न्यायालय द्वारा भेजे गये ऐसे सम्मन की तामीली के बाद भी वह व्यक्ति साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होता है या दस्तावेज दाखिल नहीं करता है तो उस स्थिति में इस अधिनियम की धारा–27 में यह स्पष्ट व्यवस्था की गयी है कि ऐसे व्यक्ति के विरूद्व न्यायालय के अनुरूप ही दण्डित करने की कार्यवाही की जा सकती है।

(च) मध्यस्थ द्वारा सुनवाई के बाद पंचाट तैयार किया जाना :–

जब मध्यस्थ विवादों का निपटारा करने के लिए पक्षकारों की सुनवाई पूरी कर लेता है तो विवादों के निस्तारण हेतु जो वह निर्णय देता है उसको पंचाट कहा जाता है। इस पंचाट का क्या स्वरूप होना चाहिए इसकी व्यवस्था अधिनियम की धारा–31 जिसके अनुसार मध्यस्थ द्वारा जो पंचाट तैयार किया जाता है उसे लिखित रूप में होने के साथ–साथ मध्यस्थ के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इस पंचाट में उन सभी कारणो का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिनके आधार पर निष्कर्ष दिये गये थे। मध्यस्थ द्वारा दिये गये पंचाट में जिस तिथि में पंचाट तैयार किया गया वह तिथि एवं स्थान जहॉ पर उसकी सुनवाई की गयी उसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है और पंचाट की एक–एक हस्ताक्षरित प्रति सम्बन्धित पक्षकारों को दी जायेगी ताकि उनको यदि पंचाट कार्यवाही के विरूद्व कोई आपत्ति हो तो उसके लिए वह उचित कार्यवाही कर सके।

(छ) मध्यस्थ के पंचाट पर पक्षकारों द्वारा आपत्ति न किये जाने पर वह अन्तिम होने पर पक्षकारों पर बाध्यकर होता है :–

मध्यस्थ द्वारा विवादों के निस्तारण के बाद जो निर्णय दिया जाता है अर्थात जो पंचाट तैयार किया जाता है, उसका विधिवत निष्पादन विवादग्रस्त सम्पत्ति के मूल्यांकन के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी के दस्तावेज पर किया जाता है और यदि वह पंचाट अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है तो उसका रजिस्ट्रेशन किया जाना आवश्यक है परन्तु यह तभी किया जाना सम्भव है जब ऐसे पंचाट पर यदि पक्षकारों को कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति का विधिवत निस्तारण करते हुए पंचाट को बरकरार रखा गया हो। जब पंचाट के विरूद्व किसी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं होती तो उस स्थिति में पंचाट फाईनल होने के परिणामस्वरूप दोनों
पक्षों पर बाध्यकर होगा। इसके लिए न्यायालय आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे पंचाट बिना न्यायालय के आदेश के ही न्यायालय की डिक्री की तरह प्रभावी माने जायेंगे।

(ज) पंचाट को पक्षकार कब और कैसे अपास्त करा सकते हैं :–

मध्यस्थ द्वारा जो पंचाट दिया जाता है उससे पक्षकारों का प्रभावित होना स्वाभाविक ही है और यदि कोई पक्षकार यह अनुभव करता है कि मध्यस्थ द्वारा पंचाट से कोई गलती की गई है और पंचाट को आपास्त किया जाना जरूरी है तो उस स्थिति में वह अधिनियम की धारा–34 के अनुसार न्यायालय में आवेदन करके ऐसे पंचाट को अपास्त करने की कार्यवाही कर सकता है। इस धारा के अनुसार जो पक्षकार ऐसे किसी पंचाट को अपास्त कराना चाहता है तो पंचाट की प्रति मिलने से तीन महीने के अंदर ही पंचाट में आपत्तियां दाखिल करते हुए न्यायालय में इसे अपास्त कराने के लिए आवेदन करना होता है। जिस पर न्यायालय दोनों पक्षकारों को नोटिस देने के बाद एवं सुनवाई के पश्चात यदि आपत्तियों को सारपूर्ण पाती है तो न्यायालय ऐसे पंचाट को अपास्त करने का आदेश पारित कर सकती है। अतः जब पंचाट के विरूद्व दाखिल आपत्तियां खारिज कर दी जाती हैं तो वह पंचाट इस अधिनियम की धारा–35 के अन्तर्गत फाईनल मानते हुए अधिनियम की धारा–36 में ही उसे पक्षकारों पर न्यायालय की डिक्री के रूप में बाध्यकर माना जाता है।

5. सुलह विधि :–

हमारे देश में अभी भी लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि झगड़ों का सुलह के माध्यम से ही निस्तारण हो जाये और इसके लिए प्रायः अपने किसी सम्मानित रिश्तेदार को बीच में डालते हैं, जो सुलहकर्ता के रूप में दोनों पक्षकारों की बातों को सुनकर उनका आपसी समझौता कराने का प्रयास करता है, परन्तु जहां तक सुलह सम्बन्धी विवादों का प्रश्न है उसके लिए अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया था। प्रथम बार माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 को सृजित किया गया, जिसके भाग–तीन में धारा 61 से धारा 86 द्वारा सुलह को कानूनी रूप देते हुए जो समझौता माध्यस्थम की सुलह से पक्षकारों के बीच कराया जाता है, उसे माध्यस्थ के अवार्ड की तरह ही न्यायालय की डिक्री के रूप में प्रभावी बनाया गया है।

(क) सुलहकर्ता माध्यस्थ की तरह पक्षकारों के बीच साक्ष्य लेखबद्व करने एवं अन्य सुनवाई के बावत औपचारिक कार्यवाही नहीं करता :–

जहां माध्यस्थ द्वारा पक्षकारों के बीच विवादों का निस्तारण किया जाता है तो उसमें माध्यस्थम दोनों पक्षकारों को अपना–अपना जवाबदावा एवं दस्तावेज दाखिल कराने के बाद पक्षकारों की उपस्थिति में उसे साक्ष्य लेखबद्व करना होता है और उसके बाद जाकर उसे साक्ष्य पर विचार करने के बाद अपना निर्णय देना होता है, जिसे अवार्ड या पंचाट कहते हैं। जबकि सुलहकर्ता को ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करनी पड़ती है, बल्कि उसे दोनों पक्षकारों से संयुक्त रूप से मिलकर या अलग–अलग मिलकर उनसे

मशविरा करके उनके बीच सुलह के माध्यम से समझौता करवाना होता है, जिसमें सुलहकर्ता को माध्यस्थ की तरह कोई अपना फैसला नहीं देना होता है बल्कि दोनों पक्षकारों को मानकर उनकी इच्छा रूप आपस में समझौता करवाना होता है। इस प्रकार पक्षकारों के बीच सौहार्द को बढ़ाकर उनके बीच वैमनस्य को समाप्त करते हुए रजामंदी अथवा सुलह के आधार पर ही पक्षकारों द्वारा ही फैसला करवाना होता है और सुलहकर्ता द्वारा कराया गया ऐसा फैसला पंचाट के रूप में न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी माना जायेगा।

(ख) सुलह के विवादों को निपटाने की शुरूआत कैसे की जा सकती है :—

जब पक्षकारों के बीच झगड़ा उत्पन्न होता है तो उसका अभिप्राय यह है कि दोनों पक्षकार के अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच में टकराव हुआ है और वह अपने दायित्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है इसलिए जो झगड़ा उत्पन्न होता है तो उसके निस्तारण की आवश्यकता पड़ती है। जब पक्षकार अपने झगड़े को सुलह के माध्यम से निस्तारण करना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों पक्षकारों में से एक को आगे आना पड़ता है कि वह सुलह से झगड़े का निस्तारण करने की इच्छा दूसरे पक्षकार को प्रकट करे जिससे कि यदि दूसरा पक्षकार सुलह के लिए तैयार हो जाता है तभी पक्षकारों के बीच सुलहकर्ता की नियुक्ति का कार्य प्रारम्भ होता है और उसके बाद सुलह के प्रयास किये जा सकते हैं। अतः इस अधिनियम की धारा–62 के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया है कि जो पक्षकार सुलह से झगड़े के निस्तारण के लिए शुरूआत करना चाहता है, उसे दूसरे पक्षकार को लिखित रूप से अपने इस सुझाव के लिए आमंत्रित करने के लिए सूचित करना होगा और यदि निमंत्रण के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर दूसरा पक्षकार इस सुलह के माध्यम से झगड़े को तय कराने को तैयार हो जाता है, तो सुलह की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती है अन्यथा इस निमंत्रण दिये जाने के नोटिस के प्राप्त होने के 30 दिन बाद ऐसा निमंत्रण रद्द समझा जाता है।

(ग) सुलहकर्ता की नियुक्ति करने की प्रक्रिया :—

पक्षकारों के बीच सुलहकर्ता प्रायः एक ही होता है परन्तु यदि पक्षकार चाहे तो वह एक से अधिक सुलहकर्ता भी नियुक्त कर सकते हैं और उस स्थिति में इन सुलहकर्तागण को संयुक्त रूप में ही सुलह कराने के प्रयासों की कार्यवाही प्रारम्भ करनी होती है। यदि पक्षकार ऐसे किसी सुलहकर्ता के नाम पर सहमत नहीं होते तो वह किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को यह कार्य सौंप सकते हैं कि वह किसी सुलहकर्ता का नाम सुझाये और ऐसे नाम के सुझाव पर विचार करके पक्षकारों की सहमति से सुलहकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं। सुलहकर्ता की नियुक्ति की व्यवस्था अधिनियम की धारा 64 में विस्तृत रूप से दी गयी है।

(घ) सुलहकर्ता द्वारा कैसे कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी :—

सुलहकर्ता की नियुक्ति होने के बाद वह दोनों पक्षकारों को यह निर्दिष्ट करेगा कि वे लिखित रूप में अपना प्रतिवेदन दें जिसमें यह उल्लेख किया हो कि उनके झगड़े की क्या प्रकृति है और उनके आपसी मतभेदों के क्या बिन्दु हैं इस प्रकार दोनों पक्षकारों से प्राप्त हुए प्रतिवेदन की एक–एक प्रति दूसरे पक्षकार को उपलब्ध करा दी जायेगी ताकि वे एक दूसरे के मतभेदों के कारणों को समझ सकें। इस प्रकार सुलहकर्ता द्वारा यदि प्राप्त हुए प्रतिवेदनों को देखने के बाद यानि पक्षकारों को अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज या तथ्यों को देना आवश्यक समझता है तो इसके लिए वह पक्षकारों से कह सकता है। ऐसे अतिरिक्त प्रतिवेदन या जवाबदावा मिलने पर इसकी प्रतिलिपि भी दूसरे पक्षकार को उपलब्ध करायी जायेगी। पक्षकारों के जवाबदावा प्राप्त होने के बाद सुलहकर्ता सिविल प्रक्रिया संहिता या साक्ष्य अधिनियम के प्राविधानों का पालन करने के लिए बाध्यकर नहीं है। इसलिए वह दोनों पक्षकारों के बीच उनके झगड़े को निपटाने के लिए सुलह कराने में जो भी सहायता की आवश्यकता हो, करेगा और वह पक्षकारों को आपसी समझौते के लिए पहुँचाने के लिए अपने प्रस्ताव भी समय–समय पर उनको दे सकता है। यदि सुलहकर्ता यह समझता है कि पक्षकारों को संयुक्त रूप से बुलाकर उनसे और बातचीत की जाये या पक्षकारों से अलग–अलग बात करके उनके झगड़े का हल ढूँढा जाये तो ऐसा करने के लिए वह अधिनियम की धारा 69 मे कार्यवाही कर सकता है। यदि किसी पक्षकार द्वारा सूचना गोपनीय रूप में उपलब्ध करायी जाती है तो सुलहकर्ता पर यह पाबन्दी है कि वह ऐसी गोपनीय सूचना को दूसरे पक्षकार को न बतायें। इस प्रकार सुलहकर्ता पक्षकारों के बीच जो झगड़े की जड़ होती है, उसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए अपनी सहायता उपलब्ध कराकर पक्षकारों के बीच मतभेद को समाप्त करके उन्हें आपसी समझौते के लिए राजी करता है।

(ड़) सुलहकर्ता की सहमति से पक्षकारों द्वारा समझौता न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी होता है :–

सुलहकर्ता को केवल सुलह कराकर पक्षकारों को ही समझौता करने के लिए तैयार करना होता है। अतः सुलहकर्ता की कोई भी भूमिका न्यायालय के न्यायाधीश या मध्यस्थ के रूप में अपना कोई निर्णय न देना होता है परन्तु पक्षकारों द्वारा जो आपसी समझौता तैयार कराया जाता है, उसमें सुलहकर्ता मात्र इसको अधिप्रमाणित करता है और यह अभिप्रमाणित किया गया आपसी समझौता जिसकी एक–एक प्रति दोनों पक्षकारों को उपलब्ध करायी जाती है, वह इस अधिनिमय की धारा–30 के अंतर्गत न्यायालय की डिक्री के समान माना जाता है, जो दोनों पक्षकारों पर बाध्यकर होता है। इस समझौते के परिणामस्वरूप दोनों पक्षकारों के मतभेद सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं और इसके विरूद्व अपील करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) सुलह कार्यवाही चलने के दौरान कोई भी पक्षकार न्यायालय में कार्यवाही नहीं कर सकता है :–

जब पक्षकार अपने झगड़े को सुलहकर्ता द्वारा निस्तारित कराने में तैयार हो जाते हैं तो सुलहकर्ता का कार्य प्रारम्भ हो जाता है। इसलिए जब तक सुलहकर्ता के सम्मुख पक्षकारों की सुलह करने की कार्यवाही चलती रहती है तो उसके दौरान इस अधिनियम की धारा–77 में स्पष्ट व्यवस्था की गयी है कि जब तक पक्षकारों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा आवश्यक न हो सुलह की कार्यवाही चलने के दौरान कोई भी पक्षकार न्यायालय में या माध्यस्थम के समक्ष झगड़े के निपटारे सम्बन्धी कार्यवाही नहीं कर सकता है।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)

32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42	शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43	समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44	कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46	आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47	उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः— क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :—

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कार्यपालक अध्यक्ष

सदस्य—सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला – 10

मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in ukslsanainital@gmail.com

मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि

1. मोटर दुर्घटना से क्या अभिप्राय है :–

प्रायः हर व्यक्ति को यात्रा करने के लिए निजी या पब्लिक वाहन का प्रयोग करना पड़ता है। जब किसी वाहन की दुर्घटना होती है तो उसमें सवार व्यक्तियों को चोटें आना संभव है। कभी–कभी मोटर दुर्घटना होने से सवार व्यक्तियों को गंभीर चोटें ही नहीं आती बल्कि मृत्यु भी हो जाती है, जबकि वाहन में सवार व्यक्तियों का दोष नहीं होता, फिर भी ड्राईवर की गलती व लापरवाही के कारण दुर्घटना होने पर वाहन में सवार व्यक्तियों को नुकसान उठाना पड़ता है। दो पहिया या चार पहिया वाहन में सवार व्यक्ति का कोई दोष न होने पर भी मोटर दुर्घटना हो जाती है तो उसकी नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि 1988 का सृजन किया गया है। जिसके अंतर्गत जिस व्यक्ति को मोटर दुर्घटना से नुकसान होता है, वह व्यक्ति वाहन चालक, वाहन स्वामी एवं बीमा कम्पनी के विरूद्व मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में पिटीशन दायर करके दुर्घटना में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। इस प्रकार जब किसी व्यक्ति को मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिवार वालों की ओर से तथा दुर्घटना में चोटें आने पर वह व्यक्ति स्वयं न्यायालय में पिटीशन दायर कर सकता है। इसी प्रकार दो वाहनों के आपसी टक्कर से मोटर वाहन को भी नुकसान हो सकता है, जबकि इसमें दो वाहन के चालक में एक को कोई दोष नहीं होता। ऐसी दशा में दोषी चालक के विरूद्व दुर्घटना में जो नुकसान उसके वाहन को हुआ उसकी भरपाई भी न्यायालय में पिटीशन दायर कर प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार मोटर दुर्घटना से अभिप्राय यही है कि जब किसी चालक द्वारा गलती अथवा लापरवाही से वाहन को दुर्घटनाग्रस्त किया जाता है और उसमें सवार व्यक्तियों को चोटें आती हैं अथवा किसी की मृत्यु हो जाती है, इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जो मोटर वाहन में सवार न भी हो और वह सड़क पर बांई ओर रास्ते पर चल रहा हो और मोटर चालक की लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु अथवा उसे चोटें आने से जो क्षति होती है उसकी पूर्ति भी इस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। इस प्रकार जब मोटर दुर्घटना से किसी व्यक्ति को चोटें आती हैं तो सभी नुकसान की भरपाई भी इस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। अतः मोटर दुर्घटना से अभिप्राय मोटर चालक की लापरवाही से वाहन का दुर्घटनाग्रस्त करके किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है।

2. मोटर दुर्घटना होने पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए :–

जब भी कोई व्यक्ति किसी वाहन पर सफर कर रहा हो और उस वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसे चोटें आती हो अथवा किसी व्यक्ति द्वारा वाहन में सफर किराया देकर किया जा रहा हो तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने पास उस वाहन का टिकट जरूर रखें, साथ ही यदि उसके शरीर पर दुर्घटना के कारण चोटें आयी हों तो वह अपनी चोटों को डॉक्टरी मुआयना भी करवायें और डाक्टरी रिपोर्ट अपने पास रखें और जिस वाहन में वह सफर कर रहा था, उसकी दुर्घटना होने की सूचना दुर्घटनास्थल के समीप के थाने पर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस बस पर वह व्यक्ति सफर कर रहा था, उस बस का नम्बर, चालक का नाम पता और उसके साथ अन्य सफर करने वाले व्यक्तियों का पता भी मालूम कर लेना चाहिए ताकि न्यायालय से प्रतिकर प्राप्त करने में उसे आसानी हो और दुर्घटना में उसे हुई शारीरिक नुकसान की भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके। यही नहीं यदि कोई व्यक्ति सड़क पर पैदल चल रहा हो और किसी वाहन अथवा वाहन चालक की लापरवाही अथवा गलती से उस व्यक्ति को चोटें आ जाती हें तो उस व्यक्ति को तुरन्त उस वाहन का नम्बर नोट कर लेना चाहिए और वाहन अथवा ड्राइवर के विरूद्व शीघ्र निकटतम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए और यदि किसी कारणवश वह ड्राईवर बस लेकर भाग जाता है और बस का नम्बर नोट कर लिया जाता है तो बस नम्बर के साथ घटना का विवरण देते हुए निकटतम थाने में तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहि। इसके अतिरिक्त अपने चोटों का डाक्टरी मुआयना भी शीघ्र करवा लेना चाहिए और थाने से उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त कर लेनी चाहिए और ड्राईवर व वाहन मालिक के बावत भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यथाशीघ्र दर्ज करवायी जाये ताकि मोटर चालक के विरूद्व फौजदारी कार्यवाही करने के साथ क्षतिपूर्ति के लिए भी मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत दावा न्यायाधिकरण न्यायालय में पिटीशन दायर करके मोटर मालिक, मोटर चालक और बीमा कम्पनी से प्रतिकर प्राप्त किया जा सके।

यदि मोटर दुर्घटना से किसी पैदल चलने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आस–पास जिस व्यक्ति द्वारा भी दुर्घटना देखी गयी है तो वह व्यक्ति भी उस वाहन चालक के विरूद्व स्थानीय पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। जिससे थाने में रिपोर्ट दर्ज करने पर स्थानीय दरोगा घटनास्थल पर जाकर उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम कर सकें। साथ ही मृतक के परिवार वालों को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वह मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने पास रखें क्योंकि जब न्यायालय में क्षतिपूर्ति हेतु पिटीशन दायर की जाती है तो यह सिद्व करने में आसानी हो जाती है कि मृतक की मृत्यु मोटर दुर्घटना में हुई थी। वैसे तो यह पुलिस का दायित्व है कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में चोटें आने पर अथवा किसी व्यक्ति मृत्यु होने पर घटना की रिपोर्ट लिखने के बाद मुकदमे की तफतीश करें और मोटर चालक के विरूद्व दण्डनीय कार्यवाही करें लेकिन इस दशा में मृतक के परिवार वालों को प्रतिकर की राशि प्राप्त नहीं होती क्योंकि पुलिस द्वारा केवल वाहन चालक के विरूद्व ही दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। ऐसी स्थिति में मृतक के परिवार वालों को चाहिए कि वह थाने में लिखी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिनको पिटीशन दायर करने के समय पिटीशन के साथ दाखिल किया जा सके।

3. मोटर दुर्घटना से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पीटिशन दायर करने की प्रक्रिया :—

जब किसी व्यक्ति को मोटर दुर्घटना से चोटें आती हैं तो निश्चय ही उन चोटों के इलाज में ऐसे व्यक्ति को कई रूपों से नुकसान होना स्वाभाविक है और ऐसे नुकसान की भरपाई के लिए मोटर दावा न्यायाधिकरण की शरण में आकर प्रतिकर के लिए पीटिशन दायर करनी होती है। इस सम्बन्ध में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम की धारा 166 में पीटिशन दायर की जाती है जिसके अधिनियम में ही पीटिशन का प्रारूप दिया गया है जिसके अनुसार ही पीटिशन में तथ्यों को भरकर यह पीटिशन न्यायालय में दायर की जा सकती है। इस पीटिशन को न्यायालय में दायर करने के लिए 10/— रुपये का कोर्टफीस स्टाम्प लगाया जाता है, जिस पर हस्ताक्षर करके न्यायालय में दायर किया जाता है। जिसमें मुख्य–मुख्य उल्लेख इस प्रकार किया जाता है कि यदि मोटर दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिवार के लोग जो मृतक पर आश्रित थे, क्षतिपूर्ति हेतु पीटिशन दायर कर सकते हैं। जो मृतक के विधिक प्रतिनिधि, मृतक की आय पर आश्रित थे, उनका नाम पता, आयु आदि का उल्लेख करना आवश्यक होता है, यह भी उल्लेख करना आवश्यक होता है कि मृतक पर विधिक प्रतिनिधि किस प्रकार आश्रित थे, और यदि मृतक के आश्रित अवस्यक हैं तो उस स्थिति में उनकी ओर से उनके अभिभावक, माता–पिता या संरक्षक न्यायालय में प्रतिकर पीटिशन दायर कर सकता है। इस प्रकार जब न्यायालय में पीटिशन दायर की जाती है, तो न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह इस पर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करके इस पीटिशन को छः माह में निस्तारण करते हुए आवेदक को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराकर क्षतिपूर्ति अदा करावें।

4. न्यायालय में पीटिशन रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जा सकती है :—

मोटर दुर्घटना में किसी व्यक्ति की क्षति होने पर उसकी भरपाई के लिए यह आवश्यक नहीं है कि क्षतिपूर्ति की मांग करने वाला व्यक्ति स्वयं न्यायालय में आकर ही पीटिशन दायर करें, बल्कि वह व्यक्ति क्षतिपूर्ति हेतु न्यायालय में स्वयं न आकर रजिस्टर्ड डाक से अथवा अपने एजेन्ट के माध्यम से पीटिशन दायर कर सकता है।

5. न्यायालय में प्रतिकर प्राप्त करने हेतु किन–किन व्यक्तियों के विरूद्व पीटिशन दायर की जा सकती है :—

मोटर दुर्घटना में जब किसी व्यक्ति को नुकसान होता है और उसके द्वारा जब न्यायालय में पीटिशन दायर की जाती है तो निश्चय ही उक्त पीटिशन उन व्यक्तियों के विरूद्व दायर की जाती है, जो दुर्घटना से सम्बन्धित है ताकि उनके विरूद्व न्यायालय से क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सके। इसलिए मोटर दुर्घटना में मुख्य तीन व्यक्तियों के विरूद्व ही पीटिशन दायर की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम चालक, उस दुर्घटनाग्रस्त मोटर का मालिक एवं जिस बीमा कम्पनी से उक्त मोटर को बीमित किया गया था, वह बीमा कम्पनी। अतः जब भी किसी व्यक्ति द्वारा मोटर दुर्घटना पीटिशन दाखिल की जाती है, तो उसमें तीन व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है ताकि वाहन मालिक, वाहन चालक एवं बीमा कम्पनी के विरूद्व क्षतिपूर्ति की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकें। चूंकि हर मोटर वाहन का बीमा होता है, इसलिए मोटर वाहन से जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई का दायित्व बीमा कम्पनी का ही होता है। इसलिए जो न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी आदेश पारित किया जाता है, उसको बीमा कम्पनी से ही सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश मोटर वाहन का चालक का पता नहीं चलता तो मोटर वाहन के मालिक का नाम पता मालूम करना चाहिए और साथ ही आर.टी.ओ. ऑफिस से भी, मोटर मालिक व बीमा कम्पनी का पता किया जा सकता है और इस प्रकार बस मालिक, चालक व बीमा कम्पनी के विरूद्व न्यायालय में पीटिशन दायर की जा सकती है।

6. न्यायालय में पीटिशन दायर करने से पहले कौन–कौन से कागजातों को इकट्ठा करना लाभप्रद होगा :—

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि मोटर दुर्घटना न्यायालय में पीटिशन दायर करने में कोर्टफीस आवश्यक नहीं हैं इसलिए किसी भी व्यक्ति का दावा चाहे 100 रुपये का हो या 10 लाख रुपये का हो उसे मात्र 10/— रुपये के कोर्टफीस स्टाम्प के रूप में लगाना होता है। इसलिए न्यायालय में पीटिशन दायर करने में किसी को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती, परन्तु किसी पीटिशन में नुकसान की भरपाई करने के लिए सुदृढ़ कार्यवाही करने हेतु दुर्घटना से सम्बन्धित सभी मुख्य–मुख्य दस्तावेजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जिनको पीटिशन के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। ये मुख्य दस्तावेज प्रथम सूचना रिपोर्ट और यदि व्यक्ति को चोटें आयी हों तो डॉक्टरी मुआयना की रिपोर्ट तथा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गयी हो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दाखिल करना होता है, परन्तु जो तीन मुख्य दस्तावेज मोटर वाहन के मालिक के पास ही होते हैं, उन्हें पीटिशन दायर करने से पहले ही प्राप्त करना आवश्यक होता है। ये चार दस्तावेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेश सार्टिफिकेट एवं मोटर दुर्घटना की बीमा पालिसी तथा मोटर वाहन चालक का ड्राईविंग लाइसेन्स इन चारों दस्तावेजों को यदि सम्बन्धित व्यक्ति उपलब्ध नहीं कराता या वाहन का चालक ड्राईविंग लाइसेंस नहीं देता या मोटर मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिटनेश सर्टिफिकेट नहीं देता तो आवेदक इन दस्तावेजों को आर.टी.ओ. ऑफिस से प्राप्त कर सकता है। परन्तु इस बात का ध्यान देना आवश्यक है कि ये चारों दस्तावेज पीटिशन दायर करने से पहले ही प्राप्त करा लिये जायें ताकि इन दस्तावेजों को पीटिशन के साथ दाखिल किया जा सके और यदि किसी कारणवश ये दस्तावेज नहीं मिल पाते तो पीटिशन की सुनवाई के दौरान इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए न्यायालय से सहायता प्राप्त कर लेनी चाहिए।

7. जिस थाने के अंतर्गत दुर्घटना हुई है उस घटनास्थल के अंतर्गत आने वाले न्यायालय में पीटिशन दायर करना आवश्यक नहीं होता :—

यदि कोई व्यक्ति बम्बई का रहने वाला है और दिल्ली में उसे किसी वाहन से दुर्घटना हो गयी हो तो उस स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि वह दिल्ली के न्यायालय में ही पीटिशन दायर करे, बल्कि जिस स्थान पर वह निवास करता है, उस स्थान पर भी यह पीटिशन दायर की जा सकती है। उदाहरणार्थ यदि अहमदाबाद का कोई व्यक्ति यात्रा पर बद्रीनाथ आ रहा

हो और बद्रीनाथ के रास्ते में बस चालक द्वारा गलती या लापरवाही के कारण बस खाई में गिर जाती है और उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसको चोटें आ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में अहमदाबाद का व्यक्ति अहमदाबाद में ही पीटिशन दायर कर सकता है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि बद्रीनाथ के अंतर्गत न्यायालय ही पीटिशन दायर करे। इस प्रकार इस मोटर वाहन अधिनियम में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि दुर्घटना में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु पीटिशन केवल घटनास्थल वाले स्थान पर में ही नहीं की जा सकती, बल्कि वह व्यक्ति जहां निवास कर रहा है, वहां के न्यायालय में भी पीटिशन दायर कर सकता है। अधिनियम की धारा–166(2) में इसको इस प्रकार उपबंधित किया गया है कि दावाकर्ता अपने आवेदन को जिस स्थान पर दुर्घटना कारित हुई है, उसकी अधिकारिता रखने वाला दावा न्यायाधिकरण या जहां पर दावाकर्ता निवास करता है या व्यापार संचालित करता है या जहां प्रतिरक्षार्थी निवास करता है, वहां पर पीटिशन दाखिल कर सकता है।

8. मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिवार वालों को रु. 50,000/– रुपये की अंतरिम राशि तुरन्त पाने का अधिकार :–

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु मोटर दुर्घटना में हो जाती है तो उस मृतक के परिवार वालों को इस अधिनियम की धारा–140 के अंतर्गत तुरन्त अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये की राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है, चाहे मोटर चालक की इसमें गलती हो अथवा उस व्यक्ति की स्वयं गलती हो और जब कोई पीटिशन दायर की जाती है कि दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है, तो प्रथम दृष्टया मोटर दुर्घटना से ही उस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो जाता है कि मृतक की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है तो ऐसी स्थिति में मृतक के परिवार वालों को 50 हजार रुपये की राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है और बाकि धनराशि मुख्य पीटिशन के निस्तारण पर प्राप्त की जा सकती है।

9. मोटर दुर्घटना में स्थायी निर्योग्यता होने पर 25 हजार रुपये का धनराशि अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की जा सकती है :–

जिस प्रकार मोटर दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर 50 हजार रुपये की धनराशि अंतरिम क्षतिपूर्ति देय होती है उसी प्रकार इस अधिनियम की धारा 140 में ऐसे व्यक्ति को जिसे दुर्घटना के कारण स्थायी निर्योग्यता आयी है, वह व्यक्ति 25 हजार रुपये की राशि अंतरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होता है, बशर्ते कि उनके द्वारा अपना डाक्टरी दाखिल किया जाये जिससे यह सिद्व हो जाये कि दुर्घटना में उसे वास्तव में स्थायी निर्योग्यता पहुंचाने वाली चोटें आयी हैं। स्थायी निर्योग्यता से अभिप्राय किसी व्यक्ति का स्थायी रूप से अपंग होने से है, अर्थात किसी व्यक्ति की आंख, हाथ, पैर सदा के लिए बेकार हो जाता है तो उसे इस बारे में कहा जायेगा कि उसे स्थायी निर्योग्यता हुई है, इस प्रकार वह व्यक्ति इस अधिनियम की धारा–140 के अंतर्गत 25 हजार रुपये की धनराशि अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी होता है और बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए मुख्य धारा–166 के अंतर्गत पीटिशन के निस्तारण पर उसे उपलब्ध कराया जाता है। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा–142 के स्थायी निर्योग्यता में निम्नलिखित चोटों का उल्लेख किया गया है –

(क) नेत्र दृष्टि या किसी एक आंख या कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद या स्थायी विच्छेद या शरीर के किसी जोड़ का विच्छेद हुआ हो या,

(ख) किसी अंग या जोड़ों का विनाश या उसकी क्षमताओं में स्थायी कमी आयी है, या

(ग) सिर या चेहरे का स्थायी विदूषण हुआ है।

10. बीमा कम्पनी केवल तृतीय पक्षकार को दुर्घटना के नुकसान की पूर्ति करती है :–

प्रत्येक निजी वाहन का बीमा होना कानूनी रूप से आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति वाहन अपना बीमा नहीं कराती है, तो वह मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत दण्डदनीय अपराध है। जहां तक तृतीय पार्टी का जश्न है, उससे अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता है, जो वाहन में सवार यात्री या सड़क पर चलने वाला व्यकित या ऐसी गाड़ी पर सवार सभी व्यक्ति जिनकी बिना गलती से दूसरे वाहन के चालक ने लापरवाही और तेजी से गाड़ी चलाकर टक्कर मारी थी। साधारण शब्दों में वाहन दुर्घटना करता है उस वाहन का चालक यदि घायल होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह तृतीय पार्टी न होने के कारण बीमा कम्पनी का उसके नुकसान की क्षतिपूर्ति का दायित्व नहीं होता। उदाहरणार्थ– यदि स्कूटर की दुर्घटना होने से स्कूटर के चालक एवं उसके पीछे बैठे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या चोटें आ जाती हैं तो स्कूटर की बीमा कम्पनी से केवल पीछे बैठा हुआ व्यक्ति ही तृतीय पार्टी की क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी से प्राप्त कर सकता है। इसी तरह यदि किसी टैक्सी के चालक की लापरवाही के कारण टैक्सी खड्ड में गिर जाती है तो उस टैक्सी में सवार सभी यात्रियों को चोटें आने पर उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व तृतीय पार्टी के अंतर्गत बीमा कम्पनी का होगा परन्तु जहां तक चालक का प्रश्न है वह यदि टैक्सी मालिक के यहां नौकरी करता था तो उसे टैक्सी मालिक के विरूद्व वर्कमैन कम्पनसैशन अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में पीटिशन फाइल करनी होगी। इसी प्रकार यदि टैक्सी चालक स्वयं मालिक है तो उसको आयी चोटों या मृत्यु होने पर बीमा कम्पनी किसी प्रकार क्षतिपूर्ति करने के लिए पाबन्द नहीं है। इस प्रकार तृतीय पार्टी से अभिप्राय दुर्घटनाग्रस्त वाहन के अंदर या बाहर जिन लोगों को नुकसान होता है, वह बीमा पालिसी के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

11. यदि दुर्घटनाग्रस्त बस चालक या टैक्सी चालक को क्षति होती है तो उसको वाहन मालिक के विरूद्व पीटिशन कैसी देनी चाहिए :–

जिस बस के चालक या टैक्सी चालक की गलती के कारण दुर्घटना होती है तो निश्चय ही अपनी गलती से हुए नुकसान की भरपाई वाहन की बीमा कम्पनी से नहीं की जा सकती है। क्योंकि बीमा कम्पनी तृतीय पक्षकार के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा पालिसी स्वीकार नहीं करती है। ऐसी स्थिति में मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा–167 के अंतर्गत

ऐसे मृतक चालक के परिवार वाले भी बस या टैक्सी मालिक के विरूद्व पीटिशन फाइल कर उनके क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो सभी मामलों में क्षतिपूर्ति हेतु कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में पीटिशन देना होता है, जहां से प्रतिकर बस मालिक या टैक्सी मालिक से प्राप्त किया जाता है, परन्तु अब इस नये अधिनियम की धारा–167 में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम में पीटिशन नहीं दिया गया तो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में पीटिशन देकर बस मालिक या टैक्सी मालिक के क्षतिपूर्ति के रूपये प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है।

12. दावा न्यायाधिकरण में दुर्घटना कारित होने के बाद कब तक पीटिशन दायर की जा सकती है :–

जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना से नुकसान होता है तो निश्चय ही उसको प्रतिकर प्राप्त करने हेतु पीटिशन फाइल करनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में पहले यह व्यवस्था थी कि दुर्घटना कारित होने के एक वर्ष के अन्दर पीटिशन फाइल कर दी जाये परन्तु अब इसको समाप्त करते हुए दावा न्यायाधिकरण में पीटिशन को घटना कारित होने से एक वर्ष के अन्दर फाइल करना जरूरी नहीं है। अपितु यदि दावा फाइल करने में विलम्ब का संतोषजनक स्पष्टीकरण है तो पीटिशन को एक वर्ष की अवधि बीतने के बाद भी फाइल किया जा सकता है। वैसे प्रयत्न यही रहना चाहिए कि प्रतिकर प्राप्त करने का प्रतिकर दावा शीघ्र अति शीघ्र दाखिल कर दिया जाये क्योंकि दावा न्यायाधिकरण से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिकर दावा दाखिल होने पर यथासंभव 6 माह के अंदर उसका निस्तारण कर देवें।

13. मोटर यान दुर्घटना होने पर प्रतिकर निर्धारण करने की प्रक्रिया :–

जब किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से होती है तो निश्चय ही उसके परिवार वालों को क्षति स्वाभाविक होती है। जहां तक प्रतिकर की मात्रा का प्रश्न है, वह मृतक की स्थिति को देखते हुए यह भिन्न–भिन्न हो सकती है। यदि मृतक मजदूर है तो निश्चय ही उसके परिवार वालों को जितनी क्षति होगी, वह एक डाक्टर की मृत्यु से होने वाली क्षति की मात्रा से भिन्न होगी। इसी प्रकार एक नवयुवक की मृत्यु तथा एक वृद्व व्यक्ति की मृत्यु में भी क्षति की मात्रा या भिन्नता होगी चूंकि नवयुवक को प्रकृति रूप में कई वर्ष तक जीना था जबकि एक बूढ़े व्यक्ति की यदि दुर्घटना में मृत्यु होती है तो कुछ वर्षो तक बुढ़ापे के कारण और जीवित रहता, इसलिए मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने वाले व्यक्ति की आय, आयु एवं अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही प्रतिकर की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में मोटर यान अधिनियम की अनुसूची–2 में प्राणघातक/क्षतिकारित दावे हेतु तृतीय पक्षकार को प्रतिकर के भुगतान की सूची में व्यापक विवरण दिया गया है। जिसका एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया जाता है :–

जब किसी व्यक्ति को मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने पर 40–45 वर्ष की आयु थी तो उसकी जो मासिक आय होगी अर्थात यदि वह 3000/– रुपये प्रति माह कमाता था तो वह अपने पर भी खर्च करता है या देता है, प्रतिमाह आय से 1/3 राशि घटाकर 2000/– रुपये प्रतिमाह की दर से वार्षिक आय लगायी जायेगी जो कि इसमें 2000×12ंत्र24000 रुपये बनती है और इस 24000 पर 45 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिए 13 का गुणांक माना गया है। अतः 24000×13 त्र 312000 कुल इतनी धनराशि सामान्य क्षतिपूर्ति के रूप में स्वीकार की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्तयेष्टि के खर्चे के लिए रु. 2000/–, यदि मृतक हिताधिकारी पति या पत्नी रहे तो उस क्षति की रकम 5000/– रुपये में स्वीकार किया जाये और इसी तरह सम्पदा को हुए घाटे की रकम के रूप में 2500/– रुपये की रकम देय होगी। अतः इस मामले में 45 वर्ष के मृतक को उसके परिवार वालों को कुल रकम इस प्रकार देय होगी –

मृतक की मासिक आय 3000.00
जिस पर 1/3 स्वयं मृतक पर खर्च होने इत्यादि के रूप में कम कर दिया जाता है और यह 2000.00 प्रतिमाह
वार्षिक आय 2000×12 ंत्र 24000
चूंकि 45 वर्ष मृतक पर गुणांक 13 का स्वीकार है।
24000×13 त्र 312000.00
इस पर अन्तयेष्टि का खर्चा 2000.00
मृतक पति/पत्नी के साथ छूटने पर क्षति 5000.00
सम्पदा से हुए क्षति का खर्च 2500.00
कुल क्षतिपूर्ति : 321500.00
इस प्रकार अधिनियम में दिये गये अन्य गुणांक इस प्रकार हैं :–
यदि मृतक की आयु 15 से 20 वर्ष है तो गुणांक 16
.... 20 से 25 17
.... 25 से 30 18
.... 30 से 35 17
.... 35 से 40 16
.... 40 से 45 15
.... 45 से 50 13
.... 50 से 55 11
.... 55 से 60 8
.... 60 से 65 5

14. जिसकी आय की निश्चित जानकारी न हो अर्थात मजदूर हो तो प्रतिकर निर्धारण करने की प्रक्रिया :

जब किसी सरकारी नौकरी या आयकर देने वाले व्यक्ति की मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में आय की मात्रा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है क्योंकि उसको मासिक वेतन मिलता था या वह सरकार को निश्चित आमदनी के आधार पर आयकर अदा करता था परन्तु जहां मृतक कोई मजदूर हो और उसकी मजदूरी के बावत कोई निश्चित आय का अनुमान लगाना सुगम न हो तो उस स्थिति में इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे मृतक व्यक्ति के लिए उसको कम से कम 15000/– रुपये आर्थिक आय मान ली जाये तो 1/3 स्वयं पर खर्च को मानते हुए यदि उसको 45 वर्ष की आयु में मृत्यु होती है तो उस पर को 13 का गुणांक लगाते हुए कुल सामान्य नुकसानी के रूप में कुल धनराशि 1000×13=13000/– रुपये के अतिरिक्त उस पर अन्त्येष्टि के रूप में 2000/– रुपये एवं संग छूटने पर 5000/– रुपये कुल 7000/– रुपये जोड़ने पर यह राशि 137000/– रुपये होगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत गुणांक को अधिनियम की अनुसूची 2 में किया गया है जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है।

15. मोटर दुर्घटना में चोटें आने पर प्रतिकर निर्धारण करना :

जहां तक तरफ अधिनियम की धारा–140(2) के अंतर्गत जिस व्यक्ति को चोटों के कारण स्थायी निर्योग्यता होती है तो उसे उसके कारण 25000रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त आहत व्यक्ति को जीवन काल में जो विशेष नुकसान होता है उसको भी उपलब्ध कराया जाता है इसके अतिरिक्त जो उसकी दवाई पर खर्च होता है उसको मानसिक कष्ट होता है। इसके लिए भी नुकसान की भरपाई की जाती है। इसलिए आहत व्यक्ति का दवाईयों पर खर्च होने के सभी बिल रखने चाहिए और यदि वह छुट्टी पर रहता तो उसके लिए कितना वेतन के रुपये का नुकसान हुआ है और इस प्रकार के जो अन्य सामान्य और विशेष नुकसान होते हैं उन सबकी क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिकर उपलब्ध कराया जाता है।

16. लोक अदालत से मोटर दुर्घटना दावों का सुलह द्वारा निस्तारण :

प्रायः जिन वाहनों द्वारा दुर्घटना की जाती है वह सभी बीमित होती है और जब किसी वाहन का बीमा हो जाता है तो उसके द्वारा की गई क्षति को पूरा करने का दायित्व बीमा कम्पनी का होता है। अब चूंकि बीमा कम्पनी पर क्षतिपूर्ति की राशि को असीमित कर दिया गया है। अतः दावा न्यायाधिकरण द्वारा जो भी प्रतिकर की धनराशि निर्धारित की जाती है। वह पूर्ण राशि बीमा कम्पनी को ही देनी होती है। अतः बीमा कम्पनी के अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामलों को लोक अदालत द्वारा अधिक से अधिक सुलह समझौतों द्वारा निस्तारण करना चाहते हैं। चूंकि मोटरयान अधिनियम में अब मृतक की आयु के अनुसार गुणांक की मात्रा निर्धारित होती है इसलिए प्रतिकर की राशि को निर्धारित करने मे भी आर्थिक कठिनाई नही होती। इसलिए लाके अदालत के माध्यम से यदि वादों को निपटान किया जाये तो इससे दानो पक्षों को लाभ होता है। लोक अदालत मोटर प्रतिकर के दावों को तभी सुलह से निस्तारण करना संभव होता है, जब आवेदन वाहन चालक का वैध लाइसेंस, मोटर फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं वैध बीमा पालिसी के दस्तावेजों को बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराये अन्यथा बीमा अधिकारी द्वारा सुलह करने में कानूनी अड़चन आती है और सुलह करने में कतराते हैं।

17. प्रतिकर की धनराशि डिक्री होने पर उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया :–

जब दावा न्यायाधिकरण द्वारा मृतक के आश्रित परिवार वालों अर्थात् विधिक प्रतिनिधियों द्वारा की गई प्रतिकर पीटिशन या मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्ति द्वारा प्रतिकर पीटिशन स्वीकार होने के बाद निर्धारित प्रतिकर राशि को डिक्री कर दिया जाता है तो उसको प्राप्त करने के लिए वारण्ट जारी करने की व्यवस्था इस अधिनियम में इस प्रकार की गई है कि डिक्रीदार दावा न्यायाधिकरण से वारण्ट जारी कराता है जो कि जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट ऐसा रिकवरी वारण्ट रैवयू की रिकवरी के रूप में निष्पादित करता है। इसलिए एक बार दावा न्यायाधिकरण से प्रतिकर की धनराशि डिक्री होने पर उसकी वसूली आसानी से हो सकती है।

18. यदि दुर्घटना कारित वाली वाहन या उसके चालक का पता न हो अर्थात् वाहन अन्जान हो तो सोलेशियम स्कीम 1989 में प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है :–

प्रायः यह देखा गया है कि रात में गांव में आसपास सड़क के किनारे पैदल ग्रामवासियों की ट्रक या अन्य मोटर टक्कर मारकर भाग जाती है जिससे अंधेरे में न तो मोटर वाहन का पता चलता है और न ही उसके चालक की जानकारी हो पाती है। इस प्रकार कभी–कभी सड़क पर ग्रामवासियों को वाहन द्वारा कुचलकर सड़क पर मरे हुए पड़ा देखा जाता है। इस प्रकार कभी–कभी सड़क पर ग्रामवासियों को वाहन द्वारा कुचलकर सड़क पर मरे हुए पड़ा देखा जाता है इन सब वाहन से मरे या चोट खाये व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रतिकर के लिए मोटरयान अधिनियम की धारा–166 में दावा न्यायाधिकरण के सम्मुख पीटिशन फाइल करना इसलिए संभव नहीं होता क्योंकि न तो गाड़ी के नम्बर का पता है और न ही उसके मालिक एवं बीमा कम्पनी की जानकारी होती है, ऐसे मामलों को राहत देने के लिए सोलेशियम स्कीम 1989 बनाई गयी है, जिसमें प्रतिकर की कार्यवाही करने की प्रक्रिया इस प्रकार है –

(क) घटना घटित होने से छः माह के अन्दर प्रार्थना पत्र देना होगा :–

जब किसी व्यक्ति को अंजान वाहन कुचल कर उसकी मृत्यु कर गई हो और वाहन का कुछ भी पता न हो तो मृतक के परिवार वालों द्वारा घटना की तिथि से छः माह के अन्दर पीटिशन फाइल किया जाना जरूरी है। इसलिए ऐसी घटना होने पर इसकी सूचना पुलिस को कर देनी चाहिए ताकि छः माह के अन्दर पीटिशन की जा सके।

(ख) यह प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को दिया जायेगा –

जहां यह घटना घटित हुई है। उस घटना के अंतर्गत आने वाली उपखण्ड अधिकारी को यह प्रार्थना पत्र दिया जाता है जो प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद घटना से सम्बन्धित प्रथम इत्तला रिपोर्ट, पंचनामा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त करके और जहां पर किसी व्यक्ति को ऐसी अन्जान वाहन से चोट आयी हो तो उसकी आघात रिपोर्ट प्राप्त करके अपनी जांच

प्रारम्भ करता है ऐसी जांच अधिकारी जो कि उस क्षेत्र का एस.डी.एम. होता है से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रार्थना पत्र को एक माह के अन्दर जांच अधिकारी प्रार्थना पत्र का निस्तारण करके प्रतिकर की राशि को उपलब्ध कराने सम्बन्धी अपनी संस्तुति जिलाधिकारी अर्थात जिला मजिस्ट्रेट को भेजता है। तब उस अन्जान गाड़ी के मृतक के परिवार वालों को और यदि अन्जान गाड़ी से किसी व्यक्ति को चोटें आयी हो तो उस व्यक्ति को प्रतिकर की धनराशि का भुगतान कराया जाता है।

(ग) अन्जान गाड़ी से दुर्घटना होने पर प्रतिकर की राशि सीमित है :–

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अन्जान गाड़ी से होती है तो उस मृतक व्यक्ति के परिवार वाले सोलेशियम स्कीम 1989 के अंतर्गत **25,0**000/– रुपये की कुल राशि प्रतिकर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को गंभीर चोटें अन्जान गाड़ी द्वारा दुर्घटना से आती है तो वह भी प्रार्थना पत्र देकर कुल 12000/– रुपये से अधिकतम राशि प्रतिकर के रूप में प्राप्त कर सकता है।

इस प्रकार यदि मोटर वाहन दुर्घटना से जब किसी को नुकसान होता है तो उसे चाहिए कि वह इसकी क्षतिपूर्ति के लिए मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत मोटर दावा न्यायाधिकरण में पीटिशन फाइल करना न भूलें। यदि वह आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से अपने मोटर प्रतिकर की पीटिशन को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करा सकता है।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32.	सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33.	सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34.	सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35.	सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36.	सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37.	सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)

38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कार्यपालक अध्यक्ष

सदस्य–सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला – 12

भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in ukslsanainital@gmail.com

भरण पोषण प्राप्त करने की विधि

1. पत्नी का पति से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार :–

जहां एक तरफ भारतवर्ष में देवी के रूप में नारी की पूजा होती है और जगह–जगह देवी मंदिर मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर नारी का जीवन हमेशा पुरुष पर ही निर्भर रहता है। वह जन्म लेने पर पिता पर निर्भर करती है, विवाह होने पर पति पर निर्भर करती है और वृद्ध होने पर बेटे पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार जीवन के सभी आयामों में उसे पुरुष पर ही निर्भर होना पड़ता है। जब लड़की के माता–पिता बड़ा करके उसको शिक्षा देकर यौवनावस्था में अपनी लड़की का विवाह कर देते हैं तो उसके बाद वैवाहिक जीवन की शुरूआत पति–पत्नी के रूप में जीवन यापन से होती है। जब महिला पत्नी बन जाती है तो उसे अपने माता–पिता का घर छोड़कर पति के घर पर ही आकर निवास करना होता है। इसलिए माता–पिता अपनी बेटी के बारे में ध्यान देना कम कर देते हैं और उसकी जो भी तकलीफें होती हैं उनके समाधान का दायित्व उसके पति पर ही होता है। जब पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है या कष्ट दिया जाता है या उसे बेघर किया जाता है तो सहारे के लिए वह पत्नी अपने माता–पिता, भाई–बहिन दरवाजा खटखटाती है। इस प्रकार जब पति देखभाल नहीं करता तो दुःखी होकर उसे माता–पिता का सहारा ही लेना पड़ता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पति का अपनी पत्नी के प्रति कानूनी दायित्व खत्म हो जाता है बल्कि माता–पिता लड़की को इसलिए सहारा देते हैं ताकि वह अपने पति से अपनी कानूनी अधिकारों को मजबूती से मांग कर सके। माता–पिता को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि उनकी विवाहित लड़की कष्ट देने वाले या ध्यान न देने वाले पति से अधिकारों की मांग करे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार निश्चत ही भरण–पोषण का है क्योंकि रोजमर्रा में रहने–सहने एवं खान–पान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भरण–पोषण हेतु धन की आवश्यकता पड़ती है इसलिए त्वरित भरण–पोषण हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन करना परम आवश्यक है। यह बात भी सर्व विदित है कि हमारे समाज में लड़की के माता–पिता कितने भी धनवान क्यों न हों जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसकी जड़ें माता–पिता से कट जाती हैं इसलिए उसे अपने पति से ही भरण–पोषण हेतु मांग करनी होती है और इसके लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रत्येक विवाहित महिला को अपने पति के भरण–पोषण को प्राप्त करने का अधिकार उपलब्ध किया गया है। लड़की जब अपनी शादी के बाद अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करती है तो पति का घर ही उसका घर होता है इसलिए पति अपनी पत्नी की इस कमजोरी को समझते हुए कभी बिना किसी कसूर के अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हुए उसे बेघर भी कर देता है। ऐसी सूरत में पत्नी को अपने पति का घर छोड़ने पर मजबूर होकर अपने माता–पिता के पास रहना पड़ता है और यह जरूरी नहीं कि ऐसी लड़की के माता–पिता पैसे वाले हों बल्कि वे गरीब भी हो सकते हैं इसलिए ऐसे पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी को कभी–कभी किराये का मकान लेकर भी रहना पड़ सकता है और खाने–पीने, रहने–सहने के साथ–साथ मकान के किराये इत्यादि वर भी खर्च होना स्वाभाविक ही है। अतः इन सब के लिए पति से भरण–पोषण हेतु आवेदन देकर मांग की जा सकती है। इस प्रकार प्रत्येक विवाहित पत्नी को अपने पति द्वारा प्रताड़ित करने पर, दुर्व्यवहार करने पर या बिना कसूर के उसको घर से निकालने पर, पति द्वारा अपनी पत्नी के प्रति दायित्वों की पूर्ति यदि नहीं की जाती है तो प्रत्येक पत्नी अपने पति से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में धारा 125 द.प्र.सं. के अन्तर्गत आवेदन देकर भरण–पोषण की मांग कर सकती है। किसी भी पत्नी द्वारा ऐसे भरण–पोषण को प्राप्त करने के लिए उसका विवाह विधिमान्य होना जरूरी है जिसमें यदि वह स्त्री हिन्दू है तो उसके विवाह के लिए सप्तपदी की रस्म पूरी की गई थी या अग्नि परिक्रमा जैसे संस्कार को पूरा किया गया था और यदि हिन्दुओं में जहां इस प्रकार की प्रथा नहीं है वहां यदि कोई अन्य प्रथा विधिवत विवाह के लिए प्रचलित थी तो उस प्रथा के अनुसार भी वह विवाह विधिमान्य विवाह माना जाता है। प्रायः इसकी आवश्यकता तभी पड़ती है जब कोई व्यक्ति अपने विवाह को विधिवत मानने से इन्कार करता है क्योंकि यदि कोई स्त्री किसी व्यक्ति के साथ रखैल के रूप में रहती है तो वह विधिवत विवाहिता पत्नी नहीं कही जा सकती और उसे अपने पति से इस धारा 125 द.प्र.सं. के अन्तर्गत भरण–पोषण का अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए इस बात पर ध्यान देना जरूरी होता है कि प्रत्येक विवाहित पत्नी को अपने पति से भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु विधिमान्य विवाहित होना जरूरी है।

2. बच्चों को अपने माता–पिता से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार :–

मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है उसे पहले दिन से ही नहीं बल्कि बचपन से लेकर जवानी प्राप्त होने तक उसका लालन–पालन शिक्षा इत्यादि की विधिवत देखभाल करने का दायित्व भी उसके माता–पिता पर होता है। जहां जानवर का बच्चा पैदा होते ही कुछ समय तक उसकी देखभाल उसके माता–पिता करते हैं उसके बाद वह स्वयं ही अपना जीवन यापन करता है वहां आदमी के बच्चे को लाड़ प्यार से बचपन में पालना और उसको शिक्षा देकर अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु उसके माता–पिता को देखभाल करनी होती है। इसलिए कानून में भी इस बात की पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि बच्चे के भरण–पोषण में उसके माता–पिता द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय और यदि बच्चों को उनके माता–पिता भरण–पोषण उनके स्तर के अनुसार उपलब्ध नहीं कराते तो वह न्यायालय का सहारा लेकर अपने माता–पिता से ऐसे अधिकारों की पूर्ति हेतु मांग कर सकता है। भरण–पोषण में प्रायः बच्चों की देखभाल का सारा बोझ मां पर ही पड़ता है क्योंकि मां ही घर की सारी देखभाल करती है। बच्चों को नहलाती, खिलाती, स्कूल भेजती है और उनके जीवन में संस्कार डालकर उनके सामाजिक जीवन को सुदृढ़ करती है जब कि पिता का कार्य प्रायः धन कमाकर घर को चलाना होता है। यदि पिता अपनी संतान के प्रति लापरवाह हो जाता है और कमाई घर पर नहीं देता तो उसकी संतान का सारा बोझ बच्चों की मां पर पड़ जाता है, तब वह मजदूरी करके या नौकरी करके या अन्य कोई कार्य इत्यादि द्वारा घर चलाने के लिए कमाई करनी पड़ती है और बच्चों को पालना पड़ता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह अपने बच्चों के भरण–पोषण संबंधी दायित्वों के प्रति अपने पति को पूरी छूट दे बल्कि ऐसी मां को चाहिए कि बच्चों के भरण–पोषण हेतु उनके पिता से उन्हें भरण–पोषण हेतु धनराशि उपलब्ध कराए। प्रायः बच्चे चूंकि मां के पास रहते हैं इसलिए जहां पति उसको घर से निकाल देता है या भरण–पोषण हेतु अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं करता तो उसमें पति कि विरूद्व आवेदन देकर भरण–पोषण की धनराशि निर्धारित करें तो उसमें वह पत्नी के भरण–पोषण के खर्चे की धनराशि नियत करने के साथ–साथ बच्चों के खाने–पीने, कपड़े पहनने, रहन–सहन शिक्षा प्राप्त करने के साथ–साथ पिता के स्तर के अनुसार जीवन यापन के जितने खर्चे होते हैं उनका ध्यान रखकर उनको भरण–पोषण की धनराशि निर्धारित करना चाहिए। इस प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्ग केवल पत्नी को ही भरण–पोषण का अधिकार उपलब्ध नहीं कराया गया है बल्कि उनकी संतान को भी अपने रहन–सहन इत्यादि खर्चों के संबंध में भरण–पोषण के रूप में अधिकार उपलब्ध है।

3. तलाकशुदा पत्नी को अपने भूतपूर्व पति से एवं अवैध बच्चों को भी भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार है :–

पति–पत्नी का रिश्ता कानून द्वारा ही स्थापित होता है जिससे परिवार की आधारशिला रखी जाती है। कभी–कभी यह रिश्ता कायम होने के बाद चल नहीं पाता और आपसी मन मुटाव या एक दूसरे की ज्यादतियों के कारण यह रिश्ता टूट जाता है लेकिन इससे जहां तक भरण–पोषण संबंधी पत्नी के अधिकारों का प्रश्न है वह स्वतः समाप्त नहीं हो जाते है क्योंकि यदि विवाहित पत्नी का अपने पति से तलाक हो जाता है तो तलाक के बाद यदि वह दूसरी शादी नहीं करती और अपने जीवन में भी कोई जारता का कृत्य नहीं करती और उसके पश्चात् ऐसा कोई साधन नहीं है कि वह जीवन यापन करने में समर्थ हो तो उस स्थिति में निश्चत ही वह अपने भरण–पोषण हेतु अपने पूर्व पति से भरण–पोषण भत्ते की मांग कर सकती है। इसके लिए हर धर्म में चाहे वह हिन्दू हो, मुस्लिम हो, ईसाई धर्म हो या कोई और ऐसी सभी तलाकशुदा स्त्रियों को अपने तलाकशुदा पति से धारा 125 द.प.सं. में भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार उपलब्ध कराया गया है। बशर्ते ऐसा तलाकशुदा स्त्री भरण–पोषण करने में असमर्थ हों और उसने दूसरी शादी न की हो तथा वह जारता की दशा में नहीं रह रही हो।

इसी प्रकार जिन बच्चों को अपने पिता का पता न हो अर्थात उनके माता–पिता द्वारा विधिमान्य विवाह न किया गया हो परन्तु इस बात की जानकारी हो कि उनका पिता कौन था जिससे उसकी मां ने जन्म दिया था तो ऐसे अवैध बच्चे भी अपने भरण–पोषण हेतु इस अधिनियम की धारा 125 में मांग कर सकते हैं। प्रायः जब लड़कियां भटक जाती हैं या वह अत्याचार का

शिकार हो जाती है तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती हैं उस संतान का स्वयं में अपना कोई दोष नहीं होता है इसलिए जहां ऐसे संतान पैदा करने वाली मां को इस बात की ठोस जानकारी हो कि उनकी अवैध संतान किस व्यक्ति से उत्पन्न हुई तो निश्चत ही ऐसी मां का यह दायित्व हो जाता है कि वह उस संतान के भरण–पोषण हेतु उस व्यक्ति से भरण–पोषण उपलब्ध कराये जो उसे पैदा करने वाला है। इसलिए भरण–पोषण हेतु आवेदन इन बच्चों की ओर से ऐसे व्यक्ति के विरूद्व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत किया जा सकता है, जिसमें इस बात को सिद्व किया जाना आवश्यक होगा कि वह व्यक्ति वास्तव में ऐसे अवैध संतान को पैदा करने वाला है और इसके भरण–पोषण का दायित्व उसी का है इसलिए इस अवैध संतान को पैदा करने वाली मां को ऐसी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपने पास रखनी चाहिए जो ऐसे अवैध संतान की ओर से दिए गये भरण–पोषण आवेदन में पेश किया जा सकें जिससे ऐसे व्यक्ति के विरूद्व यह सिद्व किया जा सके कि वह संतान उसी की अवैध संतान है ताकि आसानी से भरण–पोषण प्राप्त किया जाना सम्भव हो सके।

4. माता–पिता को अपने बच्चों के भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार है :–

आजकल के युग में जहां परिवार नियोजन के कारण मां–बाप प्रायः दो या तीन बच्चे ही पैदा करते हैं और उनमें यदि बच्चे निकट या स्वार्थी निकल आते हैं तो माता–पिता का बुढ़ापा दुःखमय बन जाता है। भरण–पोषण में प्रायः बच्चों से मां–बाप इस बात की आशा रखते हैं कि वह उनके बुढ़ापे का सहारा होंगे और वैसे भी कोई माता–पिता अपने बच्चों का पालन करके बड़ा करने एवं शिक्षा देने में अपना जो भी मन इकट्ठा किया गया होता है वह पूरा उस पर खर्च कर देते हैं। इसलिए उनकी यह आशा करना स्वाभाविक ही है कि बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा होंगे लेकिन यह दुःख की बात है कि वर्तमान स्वार्थी युग में बच्चे अपने माता–पिता के दायित्वों को भूल जाते हैं कि बुढ़ापे में माता–पिता को उनकी जरूरत होती है तो वह उनकी अनदेखी कर देते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु अब माता–पिता इस अधिनियम की धारा 125 के अन्तर्गत अपने बच्चों से भरण–पोषण का मांग कर सकते हैं और उनको भी भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है जिसमें यदि वह अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हो तो वह अपने बच्चों से भरण–पोषण प्राप्त कर सकें। इसमें यदि ऐसे माता–पिता की संतान लड़की भी हो और वह कमाती है तो ऐसी लड़की का भी यह दायित्व है कि वह अपने माता–पिता, जो भरण–पोषण करने में असमर्थ हों, उनकी देखभाल करें और यदि वह ऐसा नहीं करती तो निश्चय ही जो माता–पिता अपने भरण–पोषण में असमर्थ हैं वह लड़के के साथ–साथ अपनी लड़की से भी भरण–पोषण की मांग करने हेतु इसे अधिनियम की धारा 125 में आवेदन कर सकते हैं।

5. भरण–पोषण हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया :–

भरण–पोषण हेतु आवेदन देने के लिए किसी प्रकार की कोई कोर्ट फीस की आवश्यकता नहीं है बल्कि एक साधारण रूप में प्रार्थना पत्र जिले के सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय में देकर भरण–पोषण की मांग की जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह न्यायालय कौन सा होता है जहां इस आवेदन को मजिस्ट्रेट के सम्मुख दिया जाना है इसके लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 126 में यह व्यवस्था की गई है कि आवेदन देने वाले व्यक्ति चाहे वह विवाहित पत्नी हो या बच्चे हों या माता–पिता हों उस जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं जिस जिले में वह निवास करता है। इसके अतिरिक्त ऐसे जिले के मजिस्ट्रेट के सम्मुख भी यह आवेदन किया जा सकता है, जहां वह व्यक्ति निवास करता है, जिससे भरण–पोषण प्राप्त किया जाना होता है या ऐसे जिले में यह आवेदन किया जा सकता है, जहां अन्तिम बार ऐसा व्यक्ति पत्नी के साथ या अधर्मज संतान की माता के साथ उसने निवास किया हो। इस तरह तीन स्थानों में से एक स्थान पर यह प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जहां भरण–पोषण का आवेदन करने वाला निवास करता है या जिसके विरूद्व आवेदन किया गया, वह निवास करता हो या जिस स्थान पर दोनों अन्तिम बार एक साथ निवास किये हो। इसलिए अब इस बात की किसी को कोई असुविधा नहीं हो सकती कि आवेदन कहीं दूर जाकर दिया जाना होगा बल्कि आवेदनकर्ता के निवास स्थान के जिले में सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाकर भरण–पोषण हेतु आवेदन किया जा सकता है।

6. भरण–पोषण के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की जा सकती है :–

नई विधि में भरण–पोषण की धनराशि की मात्रा असीमित है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह पत्नी हो, बच्चों हों या मां–बाप हों अपना जीवन यापन एवं भरण–पोषण करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। निश्चत ही भरण–पोषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के स्तर के अनुसार खर्चे की मात्रा में विभिन्नता हो सकती है। क्योंकि यदि कोई मजदूर है तो उसके भरण–पोषण की मात्रा भिन्न होगी और व्यापारी या दुकानदार होने पर उसके जीवन का स्तर भिन्न होगा, इसलिए जहां तक भरण–पोषण की धनराशि की मात्रा का प्रश्न है, वह केवल भोजन, वस्त्र, आवास की आवश्यकताओं आदि का ही ध्यान नहीं रखा जाता है अपितु पति की आय और उसकी हैसियत को भी ध्यान में रखा जाता है। न्यायालय से यह आशा की जाती है कि भरण–पोषण की राशि जीवन स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। एक मामले में प्रार्थिनी सेवा निवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी थी, जिसमें पति की मासिक आय 20,000.00 रुपये थी और ऐसी पत्नी के भरण–पोषण हेतु न्यायालय द्वारा 500.00 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई लेकिन यह भरण–पोषण की राशि इसलिए उपलब्ध कराई गयी थी क्योंकि उस समय इस भरण–पोषण की धारा 125 के अन्तर्गत अधिकतम धनराशि 500 रुपये ही दी जा सकती थी। पुरानी विधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत भरण–पोषण हेतु उपलब्ध कराई गई थी उसमें भरण–पोषण की अधिकतम राशि 500 रु. निर्धारित थी। कहने का तात्पर्य यह है कि भरण–पोषण प्राप्त करने वाले प्रार्थी के आवश्यकताएं कितनी भी क्यों न हो लेकिन न्यायालय अधिकतम राशि 500 से अधिक नहीं दे सकती थी, परन्तु अब यह स्थिति नहीं है क्योंकि अब धारा 125 को अधिनियम संख्या 50 सन् 2001 में संशोधित करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भरण–पोषण हेतु जो आवेदन किया जायेगा उसमें भरण–पोषण की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। अतः जितनी भी भरण–पोषण धनराशि दिया जाना न्याय संगत होगा न्यायालय उसे देने में सक्षम होगी। अब कोई भी व्यक्ति भरण–पोषण हेतु मांग करेगा तो उसके स्तर के अनुसार उसे जितनी भरण–पोषण की आवश्यकता होगी उतनी धनराशि न्यायालय देने में सक्षम है। जैसे ऊपर उल्लेख किया गया है कि लै. कर्नल के पत्नी के भरण–पोषण के नाम में न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरानी विधि में अधिकतम 500 रुपये ही दे सकता था। अब इस नई विधि के अनुसार जितनी भरण–पोषण की आवश्यकता हो तथा न्यायालय उचित समझता हो अर्थात् 5000 रुपये या उससे अधिक राशि जो पहले नहीं दी जा सकती थी अब वह देने में मजिस्ट्रेट सक्षम है। इस प्रकार पुरानी भरण–पोषण विधि को बदलकर अब नई भरण–पोषण विधि के अन्तर्गत धारा 125 में असीमित भरण–पोषण की धनराशि प्राप्त की जा सकती है।

7. अन्तरिम भरण–पोषण प्राप्त करने की प्रार्थना को न्यायालय द्वारा 60 दिनों के अन्दर तय किया जाना आवश्यक है :–

सर्व प्रथम यह जानकारी करना आवश्यक है कि अन्तरिम भरण–पोषण से क्या अभिप्राय है चूंकि जब भरण–पोषण का आवेदन न्यायालय में द.प्र.सं. की धारा 125 में दिया जाता है तो उसमें निश्चत ही कार्यवाही में दोनों पक्षों को सुनकर एवं साक्ष्य लेखबद्व करने के बाद उसका निस्तारण किया जाना संभव होता है। इस कार्यवाही में समय लगना स्वाभाविक है, परन्तु जहां एक भरण–पोषण की आवश्यकता का प्रश्न है, उसमें व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरा करने में इतना लम्बा इंतजार निश्चय ही कष्टदायी होता है क्योंकि उसे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अपने संबंधियों से सहायता लेनी होगी जबकि इसमें उसका कोई दोष नहीं होता है। इसलिए भरण–पोषण की कार्यवाही के दौरान न्यायालय से अन्तरिम भरण–पोषण हेतु मांग की व्यवस्था अब नई विधि के अन्तर्गत धारा 125 में की गई है, जिसमें भरण–पोषण की कार्यवाही की सुनवाई के दौरान अन्तरिम भरण–पोषण देने हेतु मांग की जा सकती है और न्यायालय का यह दायित्व है कि ऐसी अन्तरिम भरण–पोषण की प्रार्थना करने पर उसकी सुनवाई के लिए विपक्षी को नोटिस देने के बाद 60 दिन के अन्दर ही उसका निस्तारण करें। भरण–पोषण के आवेदन की सुनवाई के चलते अन्तरिम भरण–पोषण की राशि उपलब्ध कराई जाती है और इसमें न्यायालय चाहे तो पक्षकारों का साक्ष्य लिए बगैर उनके शपथ पत्रों के आधार पर ही अन्तरिम भरण–पोषण देने का आदेश कर सकता है। जिसमें न्यायालय को अपना ध्यान इस बात पर केन्द्रित करना होता है कि आवेदन के त्वरित भरण–पोषण की जरूरतों को पूरा करने हेतु अन्तरिम रूप से भरण–पोषण उपलब्ध किया

जा सके। ताकि भरण—पोषण करने में प्रार्थी को कोई कष्ट न हो। जहां पक्षकारों के बीच में विवाह होना संबंधी कोई झगड़ा नहीं होता है। अर्थात दोनों पति—पत्नी होना स्वीकार करते हैं वहां अन्तरिम भरण—पोषण का प्रार्थना पत्र तुरन्त तय हो जाता है और जहां ऐसा झगड़ा हो उसे भी निस्तारण करने में इसलिए कोई अड़चन नहीं आती क्योंकि मुख्य पीटीशन जो भरण—पोषण हेतु लम्बित है उस पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता जो केवल पक्षकारों के साक्ष्य के बाद तय किया जा सकता है। अतः न्यायालय को चाहिए कि इस नई विधि का अनुपालन करते हुए अन्तरिम भरण—पोषण के प्रार्थना पत्र का 60 दिन के अवधि के अन्दर ही निस्तारण करें ताकि जिस उद्देश्य के लिए यह नई विधि बनाई गई है, उसकी पूर्ति की जा सके।

8. अन्तरिम भरण—पोषण की धनराशि वसूल करने की प्रक्रिया :—

यदि न्यायालय द्वारा भरण—पोषण का आदेश होने के बाद उसका भुगतान करने में कोई अड़चन पैदा की जाय तो उसका उद्देश्य ही सप्ताह हो जात हैं। इसलिए जब नई विधि में यदि अन्तरिम भरण—पोषण की धनराशि को अदा करने में आनाकानी की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय जेल भेज सकता है। जिसमें न्यायालय के माध्यम से ऐसे व्यक्ति के विरूद्व गिरफ्तारी वारण्ट जारी कराकर एक माह तक जेल में भी भेजा जा सकता है। इसलिए सभी अन्तरिम भरण—पोषण प्रार्थना पत्र देने वाले प्रार्थियों को चाहिए कि जब न्यायालय द्वारा अन्तरिम भरण—पोषण आदेश दिया जाता है तो उसकी प्राप्ति के लिए उसे ऐसे व्यक्ति के विरूद्व आवश्यकता पड़ने पर वारण्ट जारी करने के लिए भी मांग कर लेनी चाहिए ताकि अन्तरिम भरण—पोषण न देने के संबंध में जो जुर्माना देने या सजा देने का प्राविधान है, उसकी शक्ति का प्रयोग करते हुए अन्तरिम भरण—पोषण की अदायगी में कोई ढील न बरती जाए। इसी प्रकार जहां तक मुख्य भरण—पोषण के आवेदन का प्रश्न है, उसका निस्तारण होने के बाद जो भरण—पोषण की धनराशि के आदेश पारित किये जाते हैं, उसे भी उपलब्ध कराने के लिए न्यायालय को चाहिए कि वह इस नई विधि के अन्तर्गत जो भरण—पोषण की राशि अदा न करने के संबंध में जुर्माना या सजा देने का प्रावधान है, उसको सख्ती से लागू करें जिससे कि भरण—पोषण की विधि के जो प्राविधान है, उसकी पूर्ति किया जाना संभव हो सके। हर भरण—पोषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके भरण—पोषण की धनराशि किसी रूप में तीन वर्ष या उसे अधिक समय से अधिक वाजिव न हो अर्थात इस अवधि से पहले ही उसे भरण—पोषण की धनराशि वसूली हेतु कार्यवाही करने के लिए सक्षम न्यायालय के सम्मुख अपना आवेदन कर लेना चाहिए।

9. भरण—पोषण की नई विधि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में दी गई है। पत्नी सन्तान और माता—पिता के भरण—पोषण के लिए आदेश :—

125, पत्नी, सन्तान और माता—पिता के भरण—पोषण के लिए आदेश :—

(1) यह पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति

(क) अपनी पत्नी का, जो अपना भरण—पोषण करने में असमर्थ है। या

(ख) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का चाहे विवाहित हो या न हो, जो अपना भरण—पोषण करने में असमर्थ है। या

(ग) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यतया या क्षति के कारण अपना भरण—पोषण करने में असमर्थ है। या

(घ) अपने पिता या माता का, जो अपना भरण—पोषण करने में असमर्थ है, भरण—पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण—पोषण करने में इंकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इंकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरण—पोषण के लिए ऐसे मौसिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करें जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय—समय पर निर्देश दें परन्तु मजिस्ट्रेट खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा

भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है यदि मजिस्ट्रेट का संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है।
(आगे यह उपबन्धित किया जाता है कि उप धारा के अधीन मासिक गुजारा भत्ता की कार्यवाही लम्बित रहते हुए अन्तरिम मासिक गुजारा भत्ता या कार्यवाही में हुए व्यय को जैसा मजिस्ट्रेट युक्तियुक्त समझे, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी, बच्चों एवं माता–पिता का अदायगी का आदेश समय–समय पर दे सकेगा। आगे यह उपबन्धित किया जाता है कि इस प्रकार के अन्तरिम मासिक गुजारे–भत्ते या कार्यवाही में हुए व्यय संबंधी आवेदन पत्र का निस्तारण जहां तक संभव हो ऐसे व्यक्ति पर नोटिस तामीली की तिथि से 60 दिन के अन्दर कर दिया जाना चाहिए।)

स्पष्टीकरण :– यह अध्याय के प्रयोजनों के लिए –

(क) अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 (1875 का 9) के उपबन्धोंके अधीन यह समझाा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है।

(ख) पत्नी के अन्तर्गत ऐसे स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है और जिसने पुर्नविवाह नहीं किया है।

(2) (इस प्रकार मासिक गुजारे भत्ते या अन्तरिम मासिक गुजारे भत्ते एवं कार्यवाही में हुए व्यय के संबंध में प्रतिकर का भुगतान आदेश की तिथि से, या मासिक गुजारे भत्ते या अन्तरिम मासिक गुजारे भत्ते एवं कार्यवाही के व्यय के संबंध में दिए गए आवेदन पत्र की तिथि से, जैसा भी मामला हो, देय होगा।)

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे आदेश दिया गया हो, उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए कोई मजिस्ट्रेट देय रकम को ऐसी रीति से उद्गृहीत किए जाने के लिए वारण्ट जारी कर सकता है, जैसी रीति जुर्माना उद्गृहीत करने के लिए उपबन्धित है और उस वारण्ट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के न चुकाए गए पूरे (गुजारा भत्ता या अन्तरिम गुजारा भत्ता एवं कार्यवाही व्यय जैसा भी मामला हो) या इसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को एक मास तक की अवधि के लिए, अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दण्डादेश दे सकता है।

परन्तु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारण्ट तब तक जारी न किया जायेगा जब तक उस रकम को उद्गृहीत करने के लिए, उस तारीख से जिसको वह देय हुई, एक वर्ष की अवधि के अन्दर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है। परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण–पोषण करने की प्रस्थापना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इंकार करती है तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इंकार के किन्ही आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्थापना के लिए किए जाने पर वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है। यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्यायासंगत आधार है।

स्पष्टीकरण :– यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह रखैल रखता है तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इन्कार का न्यायसंगत आधार माना जाएगा।

(4) कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन (गुजारा भत्ता या अन्तरिम गुजारा भत्ता एवं कार्यवाही व्यय जैसा भी मामला हो) प्राप्त करने की इकदार न होगी, यदि वह जारता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने के इन्कार करती हो अथवा यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे हैं।

(5) मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह ही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने में इंकार करती है अथवा वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे हैं।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1 उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2 पषुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3 वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4 उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5 सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6 महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7 वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8 भ्रश्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9 मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10 मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11 मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12 भरण–पोशण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13 उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14 झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15 किषोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निशेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16 मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17 बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18 नषीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19 उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20 मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21 प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22 दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24 हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25 बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26 उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27 राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)

32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस षिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों ?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीडित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,

8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।
12. HIV/एडस से सक्रमित व्यक्ति

नोटः— क्रम संख्या 1, 7, 9, 10, 11, एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :—

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

आर0 के0 खुल्बे
एच.जे.एस.
सदस्य—सचिव

न्यायमूर्ति मनोज कुमार
कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला – 13

उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in ukslsanainital@gmail.com

उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि

1. मनुष्य के मरने के बाद उसकी सम्पत्ति उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है :–

प्रायः समाज में हर व्यक्ति के पास चल और अचल सम्पत्ति होती है जिसको वह जीवित रहते हुए प्रयोग में लाता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद वह अपनी सम्पत्ति का न तो प्रयोग कर सकता है और न ही उसकी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए उसकी इस सम्पत्ति का प्रयोग एवं सुरक्षा का अधिकार उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाता है। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। इसलिए मनुष्य के मरने के बाद उसकी सम्पति के मालिक भी उनके उत्तराधिकारी होते हैं। जिस धर्म का मृतक व्यक्ति होता है अर्थात वह हिन्दू है तो हिन्दू विधि के अनुसार उसके उत्तराधिकारी मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि मुसलमान है तो मुस्लिम विधि के अनुसार मृतक व्यक्ति का वारिस सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकता है। लेकिन जहां तक मृतक द्वारा छोड़ी गई अचल सम्पति के रूप में ऋण या प्रतिभूति का प्रश्न है, उसमें मृतक व्यक्ति चाहे हिन्दू हो या चाहे मुसलमान हो या किसी और धर्म का हो, उस मृतक की ऋण या प्रतिभूति को प्राप्त करने हेतु भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा–370 के अंतर्गत उस उत्तराधिकारी को न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है, क्योंकि उत्तराधिकार प्रमाण मिलने के बाद ही ऐसे मृतक द्वारा छोड़ी गई सम्पति , उदाहरणार्थ–बैंक के लाकर में छोड़ा गया उसका धन बैंक में जमा धनराशि डिवेन्चर, बचत पत्र, शेयर, बीमा पालिसी का धन, पेंशन का धन प्राप्ति के अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है :–

मृतक व्यक्ति जो चल सम्पत्ति को अपने पीछे छोड़ जाता है, व सम्पत्ति यदि अन्य व्यक्यिों के पास होती है तो वह व्यक्ति मृतक की चल सम्पत्ति को लौटाने के लिए इस बात की सावधानी बरतेगा कि मृतक की सम्पत्ति को उसी के वास्तविक उत्तराधिकारी को ही लौटाई जाए क्योंकि यदि कोई गलत व्यक्ति मृतक की सम्पत्ति को प्राप्त कर लेता है तो उसकी जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति पर थोपी जाती है जिसने उस मृतक की अचल सम्पत्ति को दिया गया था। परन्तु जहां मृतक की चल सम्पत्ति के बावत न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाता है तो उसे ऐसे देनदार व्यक्ति के लिए दी जाती है कि वह मृतक की सम्पति को उसी व्यक्ति को दे दें जिसके नाम न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। इसलिए प्रायः देखा गया है कि जहां मृतक की चल सम्पत्ति के बावत उत्तराधिकारियों में आपस में झगड़ा होता है वहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराधिकारियों को न्यायालय में मृतक की चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा जाता है। जिस व्यक्ति के पास मृतक की चल सम्पति होती है वह बिना किसी जोखिम उठाये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में उल्लिखित धनराशि हो या जी.पी.एफ. धनराशि हो या मृतक की पेंशन हो, उसमें प्रायः मृतक द्वारा जो नामिनी नियुक्त कर दिया जाता है, यह धनराशि देय हो सकती है। संबंधित विभाग यहि चाहे तो वह बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के इस धनराशियों का भुगतान कर सकता है। परन्तु जहां ऐसे मामले में संदेह हो या एक से अधिक दावेदार हो तो निश्चय ही संबंधित विभाग अपनी–अपनी सुरक्षा के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का सहारा लेते हुए ऐसी धनराशि को उन्हीं व्यक्तियों को दे सकता है जिनका नाम न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अतः जहां पर देनदार व्यक्ति उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र के आधार पर मृतक की चल सम्पत्ति का भुगतान कर देता है तो उसका दायित्व खत्म हो जाता है।

3. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अंतर्गत कर्ज वचन पत्र प्रतिभूति इत्यादि अर्थात चल सम्पत्ति क्या अभिप्राय है :–

मृतक व्यक्ति चल एवं अचल सम्पत्ति को अपने पीछे छोड़ जाता है, जिसमें केवल चल सम्पत्ति में ऋण इत्यादि की बावत ही न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। जहां मृतक द्वारा छोड़ी गई अचल सम्पत्ति का प्रश्न है, उसके लिए मृतक के उत्तराधिकारियों को अपने–अपने हिस्से की मांग हेतु न्यायालय में वाद योजित करने की जरूरत पड़ती है। जहां पर पक्षकारों के बीच में आप में झगड़ा नहीं होता हो वहां ऐसे संबंधित उत्तराधिकारी मृतक द्वारा छोड़ी गई अचल सम्पत्ति के बावत यदि वह कृषि भूमि हो तो नामान्तरण (म्यूटेशन) हेतु प्रार्थना पत्र देकर सम्पत्ति को अपने नाम करवा सकते हैं और यदि भूमि, मकान या अन्य कोई अचल सम्पत्ति हो तो उसके लिए नगरपालिका में अपना नाम चढ़वा सकते हैं परन्तु जहां पर मृतक के उत्तराधिकारियों के बीच अपने अपने हिस्सों का झगड़ा होता है या वह उत्तराधिकारी मानने से इंकार करते हैं तो उस स्थिति में बंटवारे का मुकदमा

सिविल न्यायालय में किया जाता है, जिसमें उत्तराधिकारी अपने हक में मृतक द्वारा छोड़ी गई चल सम्पत्ति जो यदि कर्जे वचन पत्र, प्रतिभूति के अंतर्गत परिभाषा में आती है, उसके बावत केवल सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–370 के अंतर्गत मृतक द्वारा छोड़े गए कर्जे वचन पत्र इत्यादि चल सम्पत्ति की बावत ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। उसमें प्रतिभूति के अंतर्गत यह कौन–कौन चल सम्पतियों से संबंधित होती है। इस संबंध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 370 (2) में प्रतिभूति को जो परिभाषित किया गया है, वह इस प्रकार है :–

इस भाग के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूति से अभिप्रेत हैं–

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई वचन पत्र, डिवेन्चर, स्टॉक या अन्य प्रतिभूति।

(ख) भारत के राजस्व पर संसद के अधिनियम द्वारा पारित कोई बन्ध पत्र, डिबेन्चर या वार्षिकी।

(ग) किसी कम्पनी या अन्य निगमित संस्था का कोई स्टांक या डिबेन्चर या उसमें शेयर।

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसके निमित जारी किया गया कोई डिबेन्चर या धन के लिए कोई अन्य प्रतिभूति।

(ड़) कोई अन्य प्रतिभूति जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूमि के रूप में घोषित करें।

इस परिभाषा से यह विदित होता है कि मृतक द्वारा चल सम्पत्ति की प्रकृति में कर्जे जिसमें मृतक का रखा गया धन, शेयर, जेवर आदि प्रकृति की सम्पत्ति है और न्यायालय द्वारा पारित डिक्री भी ऐसे कर्जे की परिभाषा में आती है। जिसमें बावत मृतक के उत्तराधिकारियों को मृतक की ऐसी कर्जे, चल सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। अतः इसी प्रकृति की अन्य चल सम्पत्ति जो कर्ज की प्रकृति के अनुकूल हो इत्यादि के लिए केवल न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करके कर्जे वचन पत्र इत्यादि को ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके पास मृतक ने ऐसी सम्पत्ति छोड़ी हो।

4. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र किस न्यायालय में दिया जाना होगा :–

जब भी किसी मृतक व्यक्ति को कर्ज या प्रतिभूति संबंधी अचल सम्पत्ति के बावज उसके उत्तराधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है तो उसके लिए आवेदन उसी न्यायालय में किया जायेगा, जिसमें मृतक निवास करता हो परन्तु जहां पर ऐसी स्थिति हो कि मृतक का कोई नियमित निवास नहीं था उस स्थिति में जहां पर मृतक की मृत्यु हुई हो उस स्थान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में यह पिटीशन दी जा सकती है। लेकिन यहां मृतक का निवास स्थान स्पष्ट हो तो निश्चय ही प्रार्थना पत्र उसी न्यायालय में देय होगा जहां पर मृतक का निवास था। उदाहरणतया यदि मृतक चमोली का रहने वाला है और वह दिल्ली में कुछ समय के लिए नौकरी करता था परन्तु उसका निश्चित निवास स्थान नहीं था और उसके द्वारा पीछे छोड़ी गई ग्रेच्यूटी, जी.पी.एफ. या बैंक में रखी धनराशि के बावत मृतक के उत्तराधिकारियों में कोई झगड़ा है या संबंधित व्यक्ति को देने में कोई परेशानी है तो उस स्थिति में मृतक की इस सम्पत्ति के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का प्रार्थना पत्र चमोली में प्राप्त करना होगा क्योंकि मृतक स्थायी रूप से चमोली में ही निवास करता था क्योंकि मृतक का दिल्ली में कोई नियत स्थान नहीं था। जिला न्यायालय या उसके समकक्ष न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना होगा। इस बावत व्यवस्था भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 371 में की गई है जो कि उपबन्धित करता है कि प्रमाण पत्र अनुदत्त करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय वह जिला न्यायाधीश जिसकी अधिकारिता के भीतर मृतक अपनी मृत्यु के समय मामूली तौर से निवास करता था या यदि उस समय उसका कोई नियत निवास स्थान नहीं था तो जिला न्यायाधीश जिसकी अधिकारिता के भीतर मृतक की सम्पति का कोई भाग पाया जाता है। वह न्यायालय इस भाग के अधीन प्रमाण पत्र अनुदत्त कर सकेगा।

जहां तक प्रार्थना पत्र के प्रारूप का प्रश्न है उसमें मुख्यतः उन सभी उत्तराधिकारियों के नाम का भी उल्लेख किया जाना होगा एवं मृतक द्वारा छोड़ी गई चल एवं प्रतिभूति संबंधी चल सम्पत्ति में किसका कितना हिस्सा होगा उसके लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की जानी होगी। इसके लिए अधिनियम धारा–372 उपबन्धित करती है जो इस प्रकार है–

प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने हेतु ऐसे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उसके निमित्त किसी वाद को हस्ताक्षरित और सत्यापित करने के लिए विहित रीति से आवेदक द्वारा या उसके निमित हस्ताक्षरित और सत्यापित अर्जी द्वारा जिला न्यायाधीश को किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जायेगी अर्थात–

(क) मृतक की मृत्यु का समय।
(ख) मृतक का उसकी मृत्यु के समय मामूली निवास स्थान और यदि ऐसा निवास स्थान उस न्यायाधीश की, जिसे आवेदन किया गया है, अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं था, तब उन सीमाओं के भीतर जहां मृतक की सम्पत्ति है।
(ग) मृतक का कुटुम्ब या अन्य निकट के नातेदार और उस निवास स्थान।
(घ) वह अधिकार जिस पर अर्जीदार दावा करता है।
(ङ) प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए या यदि वह अनुदत्त किया गया है तो उसकी विधि मान्यता के लिए इस अधिनियम की धारा–370 या किसी अन्य उपलब्ध के अधीन किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अड़चन का अभाव। और
(च) वे ऋण और प्रतिभूतियां जिनकी बावत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है।
(2) यदि अर्जी में ऐसा कोई प्राक्कथन है जिसके उसे सत्यापित करने वाले व्यक्ति को मिथ्या होने का या तो ज्ञान है या विश्वास है या उसके सत्य होने का विश्वास नहीं है तो उस व्यक्ति के बारे में ये माना जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड सहिता की धारा 198 के अधीन अपराध किया है।
(3) उत्तराधिकारी अवयस्क है तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का प्रार्थना पत्र उनकी ओर से अभिभावक द्वारा दिया जाना होगा।

5. कोई भी उत्तराधिकारी केवल अपने हिस्से के लिए भी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम :–

किसी भी मृतक द्वारा छोड़ी गई चल सम्पत्ति के लिए उत्तराधिकार के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए जरूरी नहीं है कि सभी सत्ताधिकारी संयुक्त रूप से अपने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करें, बल्कि कोई भी उत्तराधिकारी अपने हिस्से के संबंध में सक्षम न्यायालय में आवेदन देकर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। चूंकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का प्रार्थना पत्र देने के साथ–साथ मृतक द्वारा जो चल सम्पत्ति कर्ज के रूप में छोड़ी है उसके मूल्य के अनुसार ही निर्धारित धनराशि पर कुछ प्रतिशत कोर्ट फीस जमा करनी होती है, जिस कोर्ट फीस की धनराशि से कोर्ट स्टाम्प पेपर खरीदकर न्यायालय उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करता है। इसलिए यदि किसी मृतक द्वारा एक लाख की एफ.डी.आर. अपने पीछे छोड़ी गई है और बैंक के अधिकारी मृतक की इस धनराशि को बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के भुगतान न करें और ऐसे मृतक द्वारा अपने पीछे चार उत्तराधिकारियों को छोड़ गया हो तो प्रत्येक उत्तराधिकारी पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उस स्थिति में यदि केवल एक ही उत्तराधिकारी मृतक की इस सम्पत्ति में से 25 हजार रुपये की धनराशि को प्राप्त करना चाहता है तो वह अपने हिस्से के लिए 25 हजार रुपये की धनराशि को प्राप्त करना चाहता है तो वह अपने हिस्से के लिए 25 हजार रुपये के बावत सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर इस 25 हजार रुपये की धनराशि पर कोर्ट फीस देनी होगी और न्यायालय उचित कार्यवाही करने के बाद इस 25 हजार रुपये के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम होगा।

6. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से मलिकियत (टाइटिल) का निर्धारण नहीं किया जाता :–

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का मुख्य उद्देश्य मृतक की ऋण एवं प्रतिभूति संबंधी चल सम्पत्ति के अंतर्गत कब्जा जिस व्यक्ति के पास होता है उसको सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ–साथ इस बात की भी सुविधा प्राप्त करनी होती है कि मृतक द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के बावत टम्परेरी रूप से इसका समाधान हो जाय क्योंकि यदि पक्षकारों के बीच में भविष्य में कोई झगड़ा हो तो उसमें कई वर्ष लग जाते हैं उसमें अंतिम फैसला होने तक मृतक द्वारा छोड़ी गई अचल सम्पत्ति खटाई में न पड़ सके और जहां तक देनदार व्यक्ति का प्रश्न है उसका हित भी किसी जोखिम में न रहे इसलिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र केवल मृतक की सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार की मलिकियत का निर्धारण नहीं किया जाता है। अतः यदि पक्षकारों के बीच गहरे झगड़े हो और वे एक दूसरे को मृतक का उत्तराधिकारी न मानते हो तो निश्चय ही सिविल न्यायालय द्वारा जो वास्तविक उत्तराधिकारी पाया जायेगा वह अन्ततोगत्वा मृतक की सम्पत्ति का असली वारिस माना जायेगा। यदि किसी व्यक्ति के नाम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है और उसे सिविल न्यायालय द्वारा वास्तविक वारिस नहीं पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को मृतक की सम्पत्ति को उस व्यक्ति को लौटाना होगा जो मृतक

का वास्तविक उत्तराधिकारी विधिक रूप से घोषित किया जाता है। इस प्रकार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मृतक के उत्तराधिकारियों के मलिकियत अधिकारों को अंतिम रूप से निस्तारण नहीं कर सकता।

7. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की कार्यवाही न्यायालय के समक्ष संक्षिप्त प्रकृति की होगी :—

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का दायरा बड़ा सीमित होता है क्योंकि मृतक के उत्तराधिकारियों का अंतिम निर्णय नहीं होता जो वास्तव में सिविल न्यायालय द्वारा होता है। इसलिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने में न्यायालय जिसको प्रथम दृष्टया उत्तराधिकारी पाता है, उसके हक में वह उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 373 में आवेदन सुनवाई की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है —

आवेदन की प्रक्रिया :—

(1) यदि जिला न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन को ग्रहण करने के लिए आधार है तो वह उसकी सुनवाई के लिए एक दिन नियत करेगा और आवेदन की और उसकी सुनवाई के लिए नियम दिन की सूचना।

(क) ऐसे किसी व्यक्ति पर तामील कराएगा जिसे न्यायाधीश की राय में आवेदन की विशेष सूचना दी जानी चाहिए और

(ख) न्याय सदन के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगवाएगा और ऐसी अन्य रीति से यदि कोई हो, प्रकाशित कराएगा जैसा न्यायाधीश इस निर्मित उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए ठीक समझे और नियत दिन को या उसके पश्चात् यथाशक्त शीघ्र प्रमाण पत्र के अधिकार का संक्षिप्त रीति से विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होगा।

(2) जब न्यायाधीश यह विनिश्च करता है कि उसके लिए आवेदन का अधिकार है तो न्यायाधीश उसे प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए आदेश देगा।

(3) यदि न्यायाधीश ऐसे विधि या तथ्य के प्रश्नों का अवधारण किये बिना जो संक्षिप्त कार्यवाहियों में अवधारण के लिए अधिक जटिल और कठिन प्रतीत होते हैं, प्रमाण पत्र के अधिकार का विनिश्चय नहीं कर सकता है तो भी यदि आवेदन प्रमाण पत्र के लिए प्रथम दृष्टया सर्वोत्तम हक रखने वाला प्रतीत होता है तो वह उसे प्रमाण पत्र का अनुदान कर सकेगा।

8. न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की विषय वस्तु में किन बातों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है :—

जब न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की प्रथम दृष्टया जांच बद आवेदक के नाम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करना उचित पाया गया है तो उस स्थिति में निश्चय ही आवेदक के हक में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करना होता है। यह उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अकेले या संयुक्त रूप से अलग—अलग पक्षकारों के नाम जारी किया जा सकता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 374 में स्पष्ट कर दिया गया है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में किन—किन बातों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इस बावत मुख्यतः मृतक द्वारा अपने पीछे छोड़े गए शेयर हो तो उन शेयरों पर ब्याज, स्थानान्तरण करना आदि बातों का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा ताकि ऐसे उत्तराधिकारा प्रमाण पत्र द्वारा मृतक के उत्तराधिकारी की जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनका यह व्यापक पत्र द्वारा मृतक के उत्तराधिकारी को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनका वह व्यापक रूप से उपयोग कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसके लिए निश्चय ही जितनी धनराशि की ऋण या प्रतिभूति संबंधी अचल सम्पति के बावत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी होता है, उसी मात्रा के अनुसार ही कोर्ट फीस जमा की जाती है। जिस कोर्ट फीस की धनराशि से स्टाम्प पेपर आदि क्रय कर उस पर ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस बावत पूर्ण विवरण अधिनियम की धारा 374 में है जो इस प्रकार है।

जब जिला न्यायाधीश कोई प्रमाण पत्र अनुदत्त करता है तब वह उन ऋणों और प्रतिभूतियों को विनिर्दिष्ट करेगा जो प्रमाण पत्र के लिए आवेदन में उपवर्णित है और उसके द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रमाण पत्र अनुदत्त किया गया है, प्रतिभूतियों या उनमें से किसी—

(क) पर ब्याज या लाभांश प्राप्त करने या,

(ख) परक्रामण या अन्तरण करने या,

(ग) पर ब्याज या लाभांश प्राप्त करने और उनका पराक्रामण या अन्तरण करने या उनमें से कोई कार्य करने के लिए सशक्त कर सकेगा।

9. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को रद्द भी किया जा सकता है :–

कभी–कभी गलत व्यक्ति द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र धोखे से न्यायालय से जारी कराया जाता है और जब मृतक के वास्तविक उत्तराधिकारियों की जानकारी होती है तो उनको अधिकार है कि ऐसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जिसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 288 में व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय को धोखा देकर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवा लेता है तो उसे न्यायालय द्वारा रद्द करवाया जा सकता है। कभी–कभी स्वयं न्यायालय को भी स्वतः ज्ञात हो जाय कि उसके द्वारा जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह भी धोखे से दिया गया है तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह ऐसे जारी किए गये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है।

10. प्रमाण पत्र का प्रभाव :–

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र किसी प्रकार की न्यायालय की डिक्री का रूप नहीं होता बल्कि यह मात्र एक प्रमाण पत्र होता है जो मृतक की कर्ज या वचन पत्रों की सम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकार उत्तराधिकारी को देने के साथ–साथ उस चल सम्पत्ति के देनदार को सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी बावत अधिनियिम की धारा 381 में इसके प्रभाव का उल्लेख इस प्रकार किया गया है इस भाग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिला न्यायाधीश का प्रमाण पत्र उसमें विनिर्दिष्ट ऋणेां के देनदार या ऐसी प्रतिभूतियों पर दायी है, और धारा 370 के किसी उल्लंघन या किसी अन्य त्रुटि के होते हुए भी ऐसे सभी व्यक्तियों को, उस व्यक्ति को जिसे प्रमाण पत्र अनुदत्त किया गया था, ऐसे ऋणों की बावत सद्भावित रूप से किए गए सभी संदायों या उसके साथ प्रतिभूतियों की बावत किये गये सभी व्यवहारों के संबंध में पूर्ण परित्राण प्रदान करेगा।

11. न्यायालयों द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर देय कोर्टफीस का विवरण :–

जब उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जाता है तो जितने कर्जे या बचनपत्र इत्यादि सम्पत्ति के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की जाती है तो उस सम्पत्ति पर निर्धारित कोर्टफीस न्यायालय में जमा की जाती है। जिस धनराशि से न्यायालय द्वारा स्टाम्प पेपर खरीद कर उसके ऊपर यह उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह कोर्टफीस की क्या मात्रा है, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

1.	20,000.00 रुपये तक	2.50 प्रतिशत
2.	20,000.00 रुपये से 50,000.00 रुपये तक	3.35 प्रतिशत
3.	50,001.00 रुपये से 1,00,000.00 रुपये तक	3.75 प्रतिशत
4.	1,00,001.00 रुपये से 2,00,000.00 रुपये तक	5.00 प्रतिशत
5.	2,00,001.00 रुपये से 3,00,000.00 रुपये तक	6.25 प्रतिशत
6.	3,00,001.00 रुपये से 4,00,000.00 रुपये तक	7.50 प्रतिशत
7.	4,00,000.00 रुपये से 5,00,000.00 रुपये तक	8.25 प्रतिशत
8.	8,00,000.00 रुपये से अधिक	8.75 प्रतिशत।

इस बावत प्रमाण–पत्र का क्या प्रारूप होगा। इसका वर्णन अनुसूची–8 में दिया गया है जो इस प्रकार है –

प्रमाण पत्र और विस्तारित प्रमाण–पत्र का प्रारूप .... का न्यायालय

प्रेषिती, क–ख

आपने निम्नलिखित ऋणों और प्रतिभूतियों के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग 10 के अधीन प्रमाण पत्र के लिए तारीख ३३३को आवेदन किया है, अर्थात्

ऋण

क्र. सं. ऋण का नाम आवेदन की तारीख को यदि ऋण किसी लिखित द्वारा प्रतिभूति है तो उसका वर्णन और ब्याज सहित ऋण की उसकी तारीख रकम।

——

प्रतिभूतियां

——

क्र. संख्या प्रमाण–पत्र के लिए प्रतिभूति का आवेदन की तारीख — वर्णन

सुभिन्नक संख्यांक — प्रतिभूमि का नाम शीर्षक या वर्ग — प्रतिभूमि की रकम या समतुल्य मूल्य को प्रतिभूति की बाजार मूल्य

——

तद्नुसार यह प्रमाण पत्र आपको अनुमन्य किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र आपको उन ऋणों का संग्रह करने के लिए उन प्रतिभूतियों पर ब्याज लाभांश प्राप्त करने के लिए उनका परक्रामण करने के लिए अन्तरण करने के लिए सशक्त करता है।

तारीख..

....का न्यायालय जिला न्यायाधीश।

12. उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के कुछ नमूनें :–

चूंकि मृतक द्वारा छोड़ी गई कर्ज, वचन पत्र या प्रतिभूमि सम्पत्ति अचल सम्पति के लिए ही उसके उत्तराधिकारी न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस सम्बन्ध में मृतक द्वारा छोड़ी गई सम्पति आर्मी ग्रुप इन्श्योरेंस एवं बैंक में फिक्स डिपोजिट सम्बन्ध दो नमूनेां का यहॉ उल्लेख किया जा रहा है जिसमें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आवेदन देने की प्रक्रिया का आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे आवेदन पत्र के कुछ नमूने इस प्रकार है :–

मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहने बावत् आवेदन पत्र

महोदय,

प्रार्थिनी निम्नलिखित निवेदन करती है –

1– मृतक का नाम	:	मदन लाल
2– मृतक की मृत्यु का दिनांक	:	4.12.95
3– मृतक की मृतक की मृत्यु की समय साधारण निवास स्थान	:	ग्राम पाडुलर प.क्षे. एवं तहसील कर्णप्रयाग जिला चमोली।
4– मृतक की सम्पत्ति का विवरण	:	आर्मी ग्रुप इन्श्योरेंश में 30,000.00 रूपये।
5– मृतक के रिश्तेदार व उनसे सम्बन्ध	:	श्रीमती कल्पेश्वरी देवी (पत्नी) कु. संगीता उर्फ संजू उम्र 13 वर्ष (पुत्री)
	:	मोदन उर्फ आशी उम्र 8 वर्ष (पुत्र)

6– धारा 372 किस तरह लागू है	:	प्रार्थीगण हिन्दू हैं।
7– अधिकार जिसके अन्तर्गत की	:	हिन्दू उत्तराधिकार अधिकार पत्र प्रार्थना गई दिया गया है।
8– धनराशि एवं जमानतें	:	प्रार्थिनी मृतक मदन लाल की एक मात्र विवाहित पत्नी तथा मृतक के नाबालिग बच्चों की प्राकृत अभिभावक हैं तथा प्रार्थिनी के पति महर रेजीमेंट में सेना में सेवारत थे, जिनकी मृत्य दिनांक 4–12–1995 को हुई जिसका नम्बर 9211092 है । जिनकी आर्मी ग्रुप इन्श्योरेंस स्कीम (फण्ड) में 30,000.00 रूपये तथा प्रार्थिनी उन्हे प्राप्त करने की उत्तराधिकार है।

ह. प्रार्थिनी

मैं कि प्रार्थिनी श्रीमती कल्पेश्वरी देवी उपरोक्त प्रार्थना पत्र में लिखी समस्त इमारते को अपने निजी एवं विश्वास से सही एवं विश्वास से सही एवं सत्य होना स्वीकार करती हूँ।

दिनांक :–

ह.प्रार्थिनी

मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र चाहने बाबत् आवेदन–पत्र का प्रारूप

महोदय,

प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है –

1– मृतक का नाम	:	स्व. श्रीमती माहेश्वरी देवी पत्नी स्व. कुंवर सिंह
2– मृतक की मृत्यु का दिनांक	:	27–07– 1996
3– मृतक की साधारण निवास	:	ग्राम नैन प.वृ. त्रिशूल तहसील पोखरी, जिला चमोली
4– मृतक की सम्बन्धित सम्पत्ति का फिक्स में	:	भारतीय स्टेट बैंक पोखरी में विवरण डिपोजिट सं. एस. डी. 23–ए –313539 41,774,00 रूपये।
5– मृतक के रिश्तेदार व उनसे सम्बन्ध	:	वास देव सिंह उम्र 25 वर्ष (पुत्र) संदीप सिंह उम्र 14 (पुत्र) नाबालिग
6– अधिकार जिसके	:	अन्तर्गत प्रार्थना पत्र हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम।
7– ऋण व जमानतें	:	उपरोक्त फिक्रा नं. 4 में वर्णित है।
8– अन्य विवरण	:	महोदय दिनांक 27–7–96 प्रार्थी को माता स्व. श्रीमती माहेश्वरी देवी पत्नी श्री कुंवर सिंह की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी की माता के नाम भारतीय स्टेट बैंक, पोंखरी में एम.डी. ए/23–315339 मेंकुल रकम 41,774.00 रूपये जमा है। प्रार्थी नं.1 का भाई संदीप उम्र 14 साल नाबालिक है जिस कारण नाबालिग भाई की ओर से प्रार्थी सं.1 उक्त रकम को प्राप्त करने का एकमात्र अधिकारी है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी के हक में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करने की कृपा की जाय।

दिनांक :– 22.07.2002 ह. प्रार्थी

सत्यापन

मैं वासुदेव सिंह उपरोक्त समस्त इबारतें को अपने निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही एवं सत्य होना सत्यापित करता हूँ भगवान मेरी सहायता करें।

दिनांक :– 22.07.2002 ह. प्रार्थी

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊॅगा/छुपाऊॅगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)

32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कार्यपालक अध्यक्ष

सदस्य–सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला – 15

किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in ukslsanainital@gmail.com

किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि

1— किशोर द्वारा अपराध करने से अभिप्राय :—

जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके जेल में भेजती है और ऐसे व्यक्ति के विरूद्व न्यायालय में मुकदमा विचारण करने के बाद उसे सजा दी जाती है,परन्तु जहां कोई व्यक्ति किशोर हो तो उस किशोर द्वारा अपराध करने पर पुलिस को उसे गिरफ्तार करके जेल भेजने का अधिकार नही है । और न ही न्यायालय को ऐसे किशोर को अपराध में दण्डित करके सजा देने का अधिकार है। इसका कारण यह है कि अपराध कारित करने वाला व्यक्ति किशोर है क्योंकि उसकी सोच इतनी परिपक्व नहीं होती कि उसके द्वारा किये गये कार्यो व परिणामों का वह आभास कर सके, इसलिए ऐसे किशोर द्वारा किये जाने पर पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उसे जेल भेजने के स्थान पर किशोंरों के लिए स्थापित सम्प्रेषण गृह में रखा जाता है और न्यायालय द्वारा विधि का उल्लंघन करने में सम्मिलित पाये जाने पर उस किशोर को विशेष गृह मे भेजा जाता है ताकि सजा देने के स्थान पर उसका संरक्षण, विकास एवं पुनर्वास किया जा सके। अब प्रश्न यह उठता है कि किस व्यक्ति को किशोर कहा जा सकता है। जहां एक तरफ किशोरों द्वारा किये गये अपराध के बावत पूर्ण व्यवस्था नये बनाये गये कानून किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 में की गयी है जिसके अन्तर्गत ही अपराध करने वाले किशोर के विरूद्व सारी कार्यवाही की जाती है इस अधिनियम में विधि विवादित बालक का नाम दिया गया है अतः किशोर अपराधी किशोर न कहकर विधि विवादित किशोर के नाम से जाना जायेगा। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसको एक साधारण व्यक्ति की तरह अपराधी के रूप में पुलिस एवं न्यायालय द्वारा बर्ताव करके दण्डित नहीं किया जायेगा।

2— किशोर की आयु के निर्धारण करने की प्रक्रिया :—

निश्चय ही किसी व्यक्ति के किशोर होने के लिये यह सिद्व होना आवश्यक है कि उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो तभी उसको किशोर होने का लाभ उपलब्ध कराया जा सकता है इसलिये यदि कोई व्यक्ति किशोर होने का दावा करता है तो उसे अपनी आयु के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराना आवश्यक है इसलिए किसी व्यक्ति को किशोर मानने से पहले उस व्यक्ति की आयु के सम्बन्ध में सम्यक जांच की जायेगी और इस प्रायोजन के लिये वैसा साक्ष्य लेना जैसा आवश्यक है जिसमें उसकी आयु का यथासंभव उल्लेख करते हुए इस निष्कर्ष को अभिलिखित करना होगा कि वह व्यक्ति किशोर या बालक है अथवा नहीं। ऐसी किसी जांच करने के लिए साक्ष्य लेना आवश्यक बताया गया है अतः केवल शपथ—पत्र ही पर्याप्त नहीं है।

3— पुलिस द्वारा किशोर अपराधी को पकड़ने पर जेल नहीं भेजा जा सकता है :—

जब किसी किशोर अथवा बालक द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो ऐसे किशोर को पुलिस द्वारा पकड़ने पर उसे न तो हवालात में रखा जायेगा और न ही उसे जेल भेजा जा सकता है। जहां एक तरफ किशोर को गिरफ्तार करने वाली पुलिस को भी विशेष किशोर पुलिस होनी चाहिये वहां दूसरी ओर ऐसे किशोर को पुलिस द्वारा किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख न पेश करके इस नई विधि के अन्तर्गत गठित किसी किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जायेगा और ऐसे गिरफ्तार किये गये किशोर को जेल में न भेजकर सम्प्रेक्षण गृह में भेजा जायेगा। पुलिस द्वारा ऐसे अपराध करने वाले किशोर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने में भार साधक अधिकारी द्वारा या विशेष किशोर पुलिस यूनिट द्वारा जब ऐसे किशोर अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस किशोर के माता—पिता किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उस किशोर को हाजिर करते समय उपस्थित हो सकें और इसके साथ—साथ पुलिस का यह भी दायित्व है कि वह ऐसे किशोर की गिरफ्तारी की सूचना परिवीक्षा अधिकारी को भी दे ताकि वह गिरफ्तार किये गये किशोर के पूर्व वृतान्त और पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा अन्य तात्विक परिस्थितियों को प्राप्त करके बोर्ड को अवगत करा सकें, और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जांच की जा सके। पुलिस का यह भी दायित्व है कि किशोर या बालक के पकड़े जाने की दशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी सुचना उपलब्ध कराये जाये ताकि बालक को तत्काल कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जा सके।

4— किशोर अपराधी अथवा विधि विवादित बालक की जमानत :—

जब किसी अपराध करने वाले किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के सम्मुख पुलिस द्वारा पेश किया जाता है तो बालक न्याय बोर्ड ऐसे किशोर से यह विश्वास होने पर कि यदि उसे छोड़ा जाता है तो किसी ज्ञात अपराधी के सहचर में नहीं आयेगा या उस किशोर का भविष्य नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में नहीं पडेगा या उसके छोड़े जाने से न्यायिक उद्देश्य विफल नहीं होगा तो किशोर न्याय बोर्ड ऐसे अपराध करने वाले बालक को जमानत पर छोड़ सकता है। यदि ऐसे बालक को जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं समझा जाता तो किशोर न्याय बोर्ड ऐसे बालक के विरूद्व जांच करने के उद्देश्य से जांच की लम्बित अवधि के लिये उसे कारागार भेजने के स्थान पर सम्प्रेक्षण गृह या सुरक्षा के किसी अन्य स्थान पर भेजा जायेगा । इसी प्रकार विशेष किशोर पुलिस यूनिट या पुलिस थाना के भार साधक अधिकारी को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह बालक को छोड़े जाने के लिए युक्तियुक्त आधार पाता है तो वह उसे जमानत पर छोड़ सकता है और जब तक वह जमानत पर रिहा नहीं होता, ऐसे अपराध करने वाले बालक को हवालात में न रखकर सम्प्रेषण गृह में तब तक रखा जायेगा, जब तक कि किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश नहीं किया जाता। इस प्रकार यदि बालक को जमानत पर नहीं छोड़ा जाता तो किशोर न्याय बोर्ड उसे कारागार में सुपुर्द करने के बजाय उसे संप्रेषण गृह अथवा सुरक्षा के किसी स्थान पर भेजेगा।

5— किशोर के विरूद्व अपराध के सम्बन्ध में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ही जांच की जा सकती है :—

विधि विवादित बालक के विरूद्व किसी भी अपराध के विचारण के लिए न्यायालय को कोई अधिकार नहीं दिया गया है बल्कि इस नये कानून में किशोर न्याय बोर्ड गठित करने की व्यवस्था है और केवल किशोर न्याय बोर्ड ही किसी बालक के विरूद्व अपराध की जांच करके उचित आदेश पारित कर सकता है। इस किशोर न्याय बोर्ड में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम से पद नामित होंगे। चुंकि बालक से सम्बन्धित अपराध की जांच के लिये बाल मनोवैज्ञानिक एवं बाल कल्याण की जानकारी होना आवश्यक है जिनको ध्यान में रखते हुये इसकी नियुक्ति करने की व्यवस्था की गयी ताकि बालकों की समस्याओं को समझते हुये उनके अपराध के सम्बन्ध में जांच करके उनके प्रति न्याय किया जा सके। बालक के विरूद्व अपराध की जांच अब केवल किशोर न्याय बोर्ड ही कर सकता है। इसलिये जब भी किसी बालक द्वारा अपराध किया जाता है तो विशेष किशोर पुलिस द्वारा ऐसे कि बालकों को बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना होगा जो अपराध की जांच करेगा और इस जांच की प्रक्रिया उसी प्रकार की होगी जैसा कि दण्ड प्रकिया संहिता में सम्मन केस के मामले में की जाती है। जब तक बालक के विरूद्व जांच विचाराधीन रहती है तो उस दौरान ऐसे बालक को संप्रेक्षण गृह या आर्ब्जवेशन होम में रखा जायेगा और जांच के समाप्त होने के बाद जंहा किशोर न्याय बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि बालक के विरूद्व समुचित जांच करके और उसके सलाह देने और भर्त्सना करने के बाद तथा माता—पिता या संरक्षक को परामर्श देकर बालक को घर जाने की अनुमति दे सकता है। इसके अतिरिक्त यदि बोर्ड उचित पाता है तो अपराध की प्रकृति को देखते हुये बालक को सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकता है या बालक के माता—पिता को अथवा स्वंय बालक को कोई जुर्माना अदा करने का आदेश दे सकता है, यदि वह बालक 14 वर्ष से अधिक आयु का है और धन अर्जित करता है इसके अतिरिक्त यदि किशोर न्याय बोर्ड उचित पाता है तो बालक को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देने का और उसके माता—पिता, संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखने का निर्देश दे सकता है जो प्रतिभूओं सहित या रहित जैसा कि बोर्ड अपेक्षा करे तीन वर्षो तक की अवधि के लिए बालक के अच्छे आचरण कल्याण का बन्धपत्र निष्पादित करेगा। इसी प्रकार किशोर द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए बोर्ड किसी बालक को अच्छे आचरण और कल्याण के लिए अनुकूल संस्था की देखरेख में रखने का भी निर्देश भी कर सकता है। जहां किसी ऐसे बालक को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नहीं समझा जाता तो उस स्थिति में बोर्ड को यह अधिकार है कि बालक द्वारा अपराध कारित होना पाये जाने पर वह उसे किसी विशेष गृह में भेजने का आदेश पारित कर सकता है। इस प्रकार जहां एक तरफ किसी बालक द्वारा अपराध करने पर भी किसी बालक को अपचारी किशोर न कहकर अब इन नये अधिनियम में विधि विवादित बालक के नाम से बुलाया जायेगा वहां दूसरी ओर अपराध की प्रकृति को देखते हुए बालक न्याय बोर्ड ऐसे अपराध करने वाले बालक को अच्छे आचरण पर उसके माता—पिता या संरक्षक या किसी अनुकूल

संस्था की देखरेख में छोड़ सकता है और यदि ऐसा छोड़ना उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो ऐसे विधि विवादित किशोर को जेल न भेजकर उसे विशेष गृह में ही भेजने का आदेश पारित किया जायेगा।

6– किसी भी बालक द्वारा गम्भीर अपराध करने पर विशेष गृह के स्थान पर निरोध कारावास में रखना :–

किसी भी बालक द्वारा जब कोई अपराध किया जाता है तो उसके द्वारा अपराध को कारित पाये जाने पर उसके विरूद्व जांच करने के बाद आदेश न्यायालय द्वारा न करके किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाता है लेकिन इस बात के लिये स्पष्ट व्यवस्था कर दी गयी है कि ऐसे किसी बालक को मृत्यु या आजीवन कारावास के दण्डादेश से दण्डित नहीं किया जायेगा अथवा उसे जुर्माना अदा करने में विफल होने पर कारागार में सुपुर्द नहीं किया जायेगा।

7– किसी भी बालक के विरूद्व साधारण अपराधी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही नहीं की जा सकती है :–

यदि कोई अपराध बालक एवं अन्य साधारण व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है तो उस अपराध के विचारण करने में जहां साधारण व्यक्ति के विरूद्व अपराध न्यायालय में विचारण होगा वहीं बालक के विरूद्व ऐसा अपराध न्यायालय के सम्मुख विचारण नहीं होगा बल्कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जांच की जायेगी इसलिये बालक एवं उस व्यक्ति के विरूद्व जो बालक नहीं है संयुक्त रूप से कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

8– किशोर अथवा बालक के प्रति क्रूरता करना, भीख मंगवाना, उनका दुरुपयोग करना या बालकों का मादक पेय या स्वापक औषधि एवं नशीले पदार्थ देने के लिए प्रयोग करना अपराध है :–

यदि कोई व्यक्ति किशोर या बालक का वास्तविक भार या उस पर नियंत्रण रखते हुए किशोर पर प्रहार करे, उसका परित्याग करता है, खुला छोड़ देता है या जान बूझकर उसकी उपेक्षा करता है वह उस किशोर या बालक को संभाव्यतः अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा कर सकता है। वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन बषों तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किशोर या बालक को भीख मांगने के लिए नियोजित या प्रयुक्त करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो पॉच वर्षो तक की हो सकती है। दण्डनीय होगा और जुर्माना का भागी होगा। जो कोई व्यक्ति किसी किशोर या बालक को किसी लोक स्थान में किसी स्वापक औषिधि या मनःप्रभावी पदार्थ को किसी सम्यक रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश या बीमारी की स्थिति के सिवाय देता है या देना कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो सात वर्षो तक ही हो सकती है और जुर्माने का भी दायी होगा। इसी प्रकार यदि किसी किशोर अथवा बालक का उसकि नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो उस व्यक्ति को इस नये अधिनियम में पॉच वर्ष की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। इसके अलावा यह प्रावधान भी किया गया है कि किसी बालक की पहचान जिसके संबध में कोई पांच, अन्वेषण या न्यायिक कार्यवाही गतिमान है, की पहचान से संबंध में किसी समाचार पत्र, मैगजींन, ध्वनि–दृश्य मीडिया या संचार के किसी माध्यम द्वारा सर्वजनिक नही किया जा सकता है। इसी प्रकार पुलिस द्वारा भी ऐसे बालक के चरित्र प्रमाण पत्र में बालक पर चहे किसी मामले का उल्लेख नहीं किया जा सकता। उक्त प्रावधान का उल्लंधन करने वाले व्यक्ति को 6 माह तक की अवधि का कारावास तथा जुर्माना या दोनों दण्डित किया जा सकता है।

किसी बालक की खरीद–फरोख करने वाले व्यक्ति को पॉच वर्ष तक का कारावास तथा जुमाने या दोंनों से दण्डित किया जा सकता है। किसी बालक को किसी बाल संरक्षण संस्था के कर्मचारी द्वारा शरीरिक रू‍ से प्रताणित किये जाने पर दोषी व्यक्ति दस हजार रूपये का अर्थदण्ड किया जा सकता है।

किसी बालक के उग्रवादी संगठन द्वारा इस्तेमाल करना पाये जाने पर सात साल तक की अवधि के कारावास तथा जुमाना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त कृत्य को अपराध का दर्जा दिया गया है

8– 16 से 18 वर्ष तक की आयु के विधि विवादित बालक द्वारा जधन्य अपराध व्यक्ति करने में संलिप्त होना पाये जाने पर प्रारंभिक निर्धारण।

नवीनतम किशोर न्याय विधी के अन्तर्गत ऐसे अपराधों, जिनमें न्यूनतम सात वर्ष तक की अवधि के मध्य तक कारावास से दण्डनीय अपराधी को गंभीर प्रकृति तथा तीन वर्ष तक की अवधि के 'लधु प्रकृति' ( ) के अपराधी की क्षेणी में रखा गया है।

ऐसे बालक, जो कि 16 वर्ष या इससे अधिक आयु का है, तथा किसी जघन्य अपराध करने में सम्मिलित होना पाया जाता है, तब किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ऐसे बालक का प्रांरभिक निर्धारण किया जायेगा। ऐसे प्रांरभिक निधार्रण अपराध कारित करने की बालक की मानसिक व शरीरिक क्षमता तथा / अपराध के परिणामों व परिस्थितियॉ के समक्षने की योग्यता के परिणामें में किया जायेगा। प्रांरभिक निर्धारण करने हेतु किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अनुभवी मनोचिकित्स को व मनोसमजिक कार्यकताओं की सहायता की जा सकती है। ऐसे अनुभवी विशेषतों का पैनल जिला बाल संरक्षण यूनिट द्वारा तैयार किया जायगा।

ऐसे निर्धारण उपरांत बालक के मामले का विचारण एक व्यस्क अभियुक्त के समान चलाये जाने हेतु बाल न्यायालय ( ) को संरक्षित किया जा सकता है। बाल न्यायालय, पॉस्को अधिनियम के अन्तर्गत नोटिफाईड अपर सत्र न्यायाधीश स्तर का न्यायालय होना है। जहॉ पोस्को कोर्ट पृथक से गणित नही है वहॉ पर उक्त जिले के सत्र न्यायाधीश को पोस्को न्यायालय की शक्तियॉ प्राप्त है।

यदि प्रांरभिक निर्धारण के उपरोक्त किशोर न्याय बोर्ड का यह विचार है कि ऐसे बालक का मामला बोर्ड द्वारा निस्तारित किया जाना चाहिए, तथा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ही मामले की सुनवायी करते हुए जॉच की जा सकती है।

9— नई विधि में बालक के लिए जेल के स्थान पर संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह एवं सुरक्षा के स्थान की व्यवस्था :—

यदि पुलिस या बोर्ड द्वारा किसी बालक को अपराध करने पर जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो उसकी जांच के दौरान उसे संप्रेक्षण गृह में रखा जायेगा और अपराध करना पाये जाने पर उसको जेल के स्थान पर विशेष गृह में रखे जाने की व्यवस्था है। जहां पर कोई बालक अपराध करते समय सोलह वर्ष से अधिक आयु का और 18 वर्ष से कम आयु का था तो ऐसे किशोर द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध करने पर उसे सुरक्षा के स्थान पर रखा जायेगा जो कि कारागार नहीं होता। अतः बालक के साथ अपराध करने की दशा में कैदियों जैसा व्यवहार करना मना है।

10— देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के लिये गृह की व्यवस्था :—

यदि कोई बालक गृह विहीन अथवा जीवन निर्वाह के किसी दृश्यमान साधन के बिना पाया जाता है मानसिक या शारीरिक रूप से रोगग्रस्त है, और उसका सहारा देने वाला कोई नहीं हैं या जिस बालक के माता—पिता बालक पर नियंत्रण स्थापित करने के योग्य नहीं है या उसके इच्छुक नहीं हैं या वह बालक लैंगिक दुरुपयोग अथवा अवैध कार्यो का शिकार हो रहा है या वह दैवी आपदा या किसी सशस्त्र संघर्ष का शिकार हो गया है ऐसे सभी बच्चों को अधिनियम में देख—रेख या संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से परिभाषित किया गया है। इन सबके लिए बालक कल्याण समिति की व्यवस्था की गयी है जिनका कर्तव्य इन बालकों को संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करना है।

11— देखरेख और संरक्षण वाले बालकों को बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाना :—

ऐसे बालकों को कोई पुलिस अधिकारी या विशेष पुलिस का अधिकारी या कोई लोक सेवक या रजिस्ट्रीकृत स्वयंसेवी संस्था प्रस्तुत कर सकती है या स्वयं बालक भी उपस्थित हो सकता है जिसके बाद समिति द्वारा जांच पूरी हो जाने पर यदि उस बालक का कोई परिवार या दृष्यमान सहारा नहीं है तो वह उस बालक को बालक गृह में तब तक रूके रहने की अनुमति दे सकती है जब तक कि उसके लिये उपयुक्त पुनर्वास नहीं प्राप्त कर लिया जाता अथवा वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। इस प्रकार बालक गृह को राज्य सरकार स्वयं या स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर ऐसे बालकों के प्रवेश और उसके बाद उनकी देखरेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करती है।

12— बालक श्रमिकों से जोखिम भरे काम की मजदूरी करवाना अपराध है :—

बाल श्रम (प्रतिषेध विनियम) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जिस व्यक्ति की आयु 14 वर्ष से अधिक नहीं है वह बालक कहा जाता है और ऐसे बालक जो 14 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष तक की आयु वाले बालक तथा किशोर कहा गया है ऐसे किशोर से किसी भी प्रकार श्रम कराने जाना प्रतिषेध किया गया है उक्त प्रावधान था उलल्धन करने पर न्यून्तम छः माह से तीन वर्ष तक की अवधि से आरावास तथा रू0 20,000 /— से रू0 25,000 तक के जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। यदि जोखिम भरा काम मजदूरी के रूप में कराया जाता है तो ऐसे काम कराने वाले व्यक्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 6 माह का कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो

20,000/– से कम नहीं हो सकेगा किन्तु जो रू0–30,000/– तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा। जहां तक जोखिम भरा कार्य का प्रश्न है वह इस अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि ईमारत का निर्माण कराना, सड़क बनाना, ऊन की धुलाई कराना, गलीचा बुनना, सीमेन्ट की बोरियों को अर्न्तवृष्ट करते हुए सीमेन्ट बनाना, चमड़ा निर्माण, इत्यादि सभी कार्य की मजदूरी को जोखिम भरा कहा जायेगा जो व्यक्ति किसी बालक से जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है ऐसा जोखिम भरा काम लेता है उसे दण्डित किये जाने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी या निरीक्षक को इसकी सूचना कर सकता है ताकि ऐसे बाल श्रमिक के अपराध करने वाले व्यक्ति के विरूद्व सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में परिवाद योजित करके दण्डित कराया जा सके। जहां तक किसी बाल श्रमिक की 14 वर्ष से कम आयु के निर्धारण का प्रश्न है उसके लिऐ विधिवत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र आयु के बारे में निश्चय साक्ष्य होगा।

13– बालकों के श्रम को गिरवी करना अपराध है :–

यदि ऐसे किसी बालक जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है उसके माता–पिता या संरक्षक ऐसे बालक के श्रम को गिरवी करने के लिए मौखिक या लिखित करार करके उसके बदले में कोई सुविधा या अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो वह कृत्य बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम 1933 के अन्तर्गत अपराध है जिसमें जो कोई माता–पिता या संरक्षक अपने बालक के श्रम गिरवीकरण के लिए ऐसा करार करेगा तो वह जुर्माना से जो रु0–200/– तक होगा दण्डित किया जायेगा।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद –

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
(ग) स्त्री या बालक
(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया
हुआ व्यक्ति।
(च) औद्योगिक कर्मकार
(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित
(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हो तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी
पता –
नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1 उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2 पषुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3 वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4 उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5 सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6 महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7 वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8 भ्रश्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9 मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10 मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11 मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12 भरण–पोशण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13 उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14 झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15 किषोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निशेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16 मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17 बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18 नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19 उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20 मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21 प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22 दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24 हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25 बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26 उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)

32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस षिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षझा अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीडित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,

8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।
12. HIV / एडस से पीडित व्यक्ति

नोटः— क्रम संख्या 1, 7, 9, 10, 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :—

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कार्यपालक अध्यक्ष

सदस्य—सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला – 17

बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्तव्य

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्तव्य

1— आज के बालक कल के नागरिक :—

भारत की जनसंख्या का एक तिहाई भाग बालकों का है। वह भावी नागरिक हैं और उनकी सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति में ही भारत की समृद्वि निहित है। बालकों के जीवन की नींव बाल्यकाल में पड़ती है। चूंकि बालक एक कच्चे घड़े के समान होता है और छः वर्ष की आयु आते—आते उसकी ज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक एवं अतिदर्शी जड़ें मजबूत हो जाती है इसलिए बच्चों के प्रथम छः वर्ष उसके लिए नाजुक एवं महत्वपूर्ण होते हैं। यही कारण है कि समद्विशील देशों में बच्चों के बाल्यकाल में सभी सुविधाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है ताकि निर्धनता के कारण कोई बालक अपने बाल्यकाल में कोई कमी न अनुभव करें। जबकि भारत वर्ष में अब इसकी ओर ध्यान दिया जाना प्रारम्भ हुआ है और समस्त भार बच्चों के माता—पिता को ही उठना पड़ता है। यदि बालकों को प्यार और दुलार से वंचित रखा जाता है तो वह अच्छे नागरिक के गुण प्राप्त नहीं कर सकता यदि बालकों की उन्नति और विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आप समाज के मूल्यों और मौलिकता के निर्माण के लिए बालकों के सहयोग की आशा कैसे कर सकते है। इसलिए यदि आप अच्छे मूल्यों एवं मौलिकता पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहते है तो बालकों के प्रति अन्याय को जड़ से समाप्त करना होगा।

2— ग्राम पंचायतों की बालकों के उत्थान में भूमिका :—

भारत गांवों में बसता है। इसलिए गांव की उन्नति में ही देश की उन्नति निर्भर करती है। यह सर्व विदित है कि नये पंचायत राज अधिनियम ने ग्राम पंचायत को पर्याप्त शक्तियां दी है। जिसमें ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से 1/2 भाग महिलाओं का होना अनिवार्य है। पंचायत के माध्यम से स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जाता है। प्रत्येक गांव पंचायत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बालकों एवं उनकी माताओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक निर्धारित दिन गांव के अन्तर्गत कार्यकर्ता आता हो, क्या गांव के शिशुओं को इम्यूनाहाईजेशन संबंधी टीका समय—समय पर लगाये जाते हैं, क्या गांव वालों को परिवार योजना के अन्तर्गत गर्भ निरोधक गोलियां इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है एच—आई—वी या एड्स का क्या मतलब है और इसके क्या गम्भीर परिणाम हो सकते हैं, इसका ज्ञान कराना भी परम आवश्यक है।

ग्राम पंचायत के लिए यह भी आवश्यक है कि सब सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए वहां पर स्वास्थ्य कमेटी का गठन करें, जो ब्लाक स्तर के डाक्टरों से सम्पर्क करके अपने गांवों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये व्यवस्था कर सकें और जो वहां ऐ. एन. एम. आती हैं, उससे मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी कर सकें। इस प्रकार ग्राम पंचायत को यह देखना चाहिए कि सरकारी फायदे का लाभ गांव तक पहुंचे।

(क) स्वास्थ्यकार्यकर्ता की सेवाओं का प्रयोग सुनिश्चित किया जाना :—

प्रत्येक गांव मे कम से कम महीने में एक स्वास्थ्यकर्ता का आना सुनिश्चित किया जाय जो शिशुओं की इम्यूनाईजेशन के टीके ही न लगायें अपितु निमूनियां या डायरिया जैसी बीमारी से निपटने के दवा के पाकेट उपलब्ध कराने के साथ—साथ ओरल हाइडरेशन नमक भी उपलब्ध करायें। चूंकि बच्चों की मौत का सबसे अधिक घातक कारण यही दोनों बीमारियां होती हैं, इसके अतिरिक्त विटामिन ए एवं आइरन की गोलियां गर्भवती माताओं को उपलब्ध कराने का दायित्व इसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर है। ग्राम पंचायत को चाहिए कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता से दवा एक दिन निर्धारित कर लें ताकि गांव की सभी जरूरतमन्द औरतें एवं शिशु उसका वास्तविक लाभ उठा सकें। यदि यह कार्य गांव में एक स्वास्थ्य कमेटी का गठन करके उसके सुपुर्द कर दिया जाये तो यह अधिक प्रभावी सिद्व होगा।

(ख) गांव में शिशुओं की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी की सेवाओं का प्रयोग करना :—

हमारे देश में तीन लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यरत है। आंगनबाड़ी गांव और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के बीच एक कड़ी का काम करती है। वास्तव में आंगनबाड़ी संगठित बाल विकास योजना प्रोजेक्ट का केन्द्र बिन्दु है। इसका कार्य स्वास्थ्य का चैकअप, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करना, यदि बीमारी बड़ी है तो उसको स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल में भेजना है। इसके अतिरिक्त आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पानी सम्बन्धित सुविधाओं का लाभ पंहुचाने में सहायता करना इत्यादि। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को लेडी हेल्थ विजिटर इत्यादि

द्वारा परीक्षण करवाना इत्यादि। आंगनबाड़ी का यह भी कार्य है कि वह अपने क्षेत्र में सर्वे करके देखे कि छः वर्ष से कम के सबसे गरीब और असमर्थ बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं है, उन सबको भोजन आंगनबाड़ी की ओर से उपलब्ध कराया जा सकें। इसके साथ–साथ जो भोजन इन बच्चों और माताओं को उपलब्ध कराया जाये उसमें 1200 केलरीज तक यह पौष्टिक होना चाहिए, जिसमें विटामिन ''ए'' व आयरन और आयोडीन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए।

आंगनबाड़ी गांव में या शहर के क्षेत्र में स्थित होती है। प्रत्येक आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता और उसका एक सदस्य होता है, जहां मैदानी क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या में आंगनबाड़ी होती है, वहां पहाड़ी क्षेत्र में 700 की जनसंख्या में एक आंगनबाड़ी सेन्टर होता है। इसलिये गांव वालों को आंगनबाड़ी कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने चाहिए ताकि शिशुओं के जन्म लेने, उनके विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने और स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा का लाभ गांव के शिशुओं को मिल सके। ग्राम पंचायत को चाहिए कि वह ग्रामवासियों के सहयोग से आंगनबाड़ी की सुविधा का लाभ सुनिश्चित करें।

(ग) बालकों में शिक्षा प्रसार कैसा किया जा सकता है :–

नये पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायतों को स्वतः प्रशासन के लिए व्यापक अधिकार दिये गये है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल यदि नहीं है तो क्या गांव में ऐसा कोई भवन है जो पाठशाला के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना होगा कि अध्यापक समय पर आवें और पाठशाला में जितने विद्यार्थी हैं, उनके अनुपात में वहां अध्यापक हों। यदि अम्यापक नहीं आते तो सम्बन्धित अधिकारियों से शिकायत करनी होगी ताकि इस समस्या का कारगर समाधान हो सके। यह भी देखना होगा कि स्कूल की हालत अच्छी है अर्थात् छत मजबूत है, दीवारें ठीक हैं, क्या स्कूल में पर्याप्त कक्ष हैं और खिड़की दरवाजें ठीक हैं, उसमें विद्यार्थी एवं अध्यापक रूचि लेकर पढ़ एवं पढ़ा रहे हैं।

ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि बच्चों के खेलने के लिए गांव में पर्याप्त मैदान हो और गांव में शिक्षा समिति हो जो कि अम्यापकों के साथ मासिक बैठक करके अध्यापकों द्वारा बताई समस्याओं का समाधान करें और उनके सुझावों को लागू करने में अपना सहयोग करें। यह भी देखें कि गांव में कोई भी छः वर्ष का बच्चा स्कूल में दाखिले से अछूता न रहे। इसको सुनिश्चित करने का दायित्व गांव की शिक्षा समिति पर छोड़ना चाहिए जो ऐसे बच्चों के परिवारों से मिलकर उन्हें संतुष्ट कराया जा सकें। गांव की शिक्षा समिति को यह भी देखना चाहिए कि कोई गरीब बच्चा किताबें या अन्य सुविधा न होने के कारण पढ़ाई न छोड़े इसके साथ–साथ गांव में किसी एक व्यक्ति को यह दायित्व उठाना चाहिये कि बच्चों को खेलों में प्रशिक्षित करें और बच्चों को भी गांव के निरक्षर लोगों को शिक्षित करने में उन्हें प्रयोग करना चाहिये। शिक्षा के प्रसार के लिए पंचायत को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रसाद कराना भारत सरकार का कर्तव्य ही नहीं अपितु बच्चों को यह मूल अधिकार संविधान में भी उपलब्ध है। इसलिये बच्चों को शिक्षा से वंचित रखकर उनके मूल अधिकार का हनन करने में सरकार ही दोषी नहीं है अपितु ग्राम पंचायत भी बराबर की दोषी होगी।

3– बालकों के विकास में महिलाओं का योगदान :–

(क) बालक का विकास मां की गोद से होता है :–

यदि बालक की माता स्वस्थ और खुशहाल होगी तो निश्चय ही वह शिशु के व्यक्तित्व के निखार लाने में सहायक होगी। प्रायः गांवों में महिलाओं को घर के कामकाज के अतिरिक्त उन्हें खेतों में जाकर भी काम करना पड़ता है और बच्चों के लगातार पैदा होने से वह कमजोर होने के परिणामस्वरूप बच्चों की तरफ पर्याप्त समय नहीं दे पाती जब कि पुरुष लोग यह समझते है कि बच्चों की देखरेख का सारा दायित्व केवल महिलाओं का है। प्रायः पुरुष लोग शराब पीकर धन उड़ा देते हैं और महिलाओं को पर्याप्त धन न मिलने से वह घर चलाने में कठिनाई अनुभव करती है। इसके लिए महिलाओं को शराबबन्दी के लिए संगठन बनाना होगा तभी वह अपने बच्चों को इस अभिशाप से दूर रखकर स्वच्छ वातावरण दे सकती हैं। सहेली एवं समारण नामक महिला संस्था इसमें कार्यरत है और इसी प्रकार का संगठन गांव में महिलाएं बनाये तो शिशुओं को स्वस्थ बाल्यकाल उपलब्ध कराने और बालकों को शिक्षा प्रसार करने में बहुत सहायक सिद्व होगी।

(ख) शिशु को स्वस्थपूर्ण बाल्यकाल सुनिश्चित करना :–

प्रत्येक मां को अपने शिशु को कम से कम छः माह तक अपना दूध पिलाना परम आवश्यक है, क्योंकि शिशु के जन्म लेते ही प्रकृति द्वारा उसके पोषण के लिए उसकी मां के स्तनों में दूध की व्यवस्था होती है। बच्चों को सबसे नाजुक समय अपने पैदा होने के 6–24 माह तक होता है, क्योंकि जो भी बीमारी का हमला शुरू होता है वह बच्चों के आहार में कमी होने से होता है। इसलिए दो वर्ष तक शिशु को मां की देखभाल की बहुत अधिक जरूरत होती है। इसलिए माता और बच्चों को कुपोषण के शिकार होने से बचना चाहिए।

(ग) शिशुपालन में सावधानियां :–

मां का यह कर्तव्य है कि शिशु को स्वस्थ बनाने के लिए 4–6 माह तक उसे दिन में 3–4 बार हल्का पिसा भोजन दिया जाये और इसके साथ हरी सब्जियों और फलों को भी सम्मिलित करना उचित होगा जो भी नमक का प्रयोग किया जाये तो वह आयोडीन नमक ही होना चाहिए। धीरे–धीरे खाद्य पदार्थो की मात्रा में वृद्वि करना चाहिए। यदि शिशु को स्तन का दूध पिलाया जाये या खाद्य पदार्थ का सेवन कराया जाये तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि दूध को पहले पिलाया जाये। जैसे ही बच्चा रेंगना प्रारम्भ करे तो बच्चे को चेचक का टीका एवं विटामिन ''ए'' का कार्य करना होगा। बच्चे का जन्म होने पर बी0सी0जी0, पोलियो का कोर्स जो कि टी0बी0 और पोलियो की बीमारी से सुरक्षा करता है और जन्म से 6 सप्ताह बाद डी0पी0टी0 का टीका लगाने से डीपथीरिया, काली खांसी इत्यादि से सुरक्षा होती है। नौ माह में खसरा का टीका और पांच वर्ष में डी0पी0टी0 का टीका लगाने से डीपथीरिया और टीटनेश की बीमारी से सुरक्षा होती है। यह सभी सुविधाऐं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती है इसलिए इनका लाभ प्रत्येक ग्रामवासी उठा सकता है।

4– बालकों के कल्याण हेतु चलाई जाने वाली मुख्य सरकारी योजनाऐं :–

सरकार द्वारा बालकों के कल्याण के लिये चलाई जाने वाली मुख्य–मुख्य योजनायें इस प्रकार है :

क– बाल उत्तर जीवन एवं सुरक्षित मातृत्व प्रोग्राम (सी0एस0एस0एम0)

ख– संगठित बाल विकास योजना (आई0सी0डी0एस0)

ग– कामकाजी और बीमारी महिलाओं के बच्चों के लिए शिशुगृह, दिवस देखभाल केन्द्र।

घ– राष्ट्रीय शिशुगृह कोष।

ड़– आकाशवाणी के माध्यम से बच्चों में बुद्वि विकास की प्राद्योगिक परियोजना।

च– राष्ट्रीय बालिका कार्य योजना।

ज– राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार।

(i) बालकों के लिये बाल उत्तर जीवन एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम :–

शिशुओं और उनकी माताओं के स्वास्थ्य को सुधारने के लिये यह उपरोक्त प्रोग्राम सन् 1992–93 में देश के 21 जिलों में लागू किया गया था। इस प्रोग्राम की देखभाल इमन्युजेशन, डायरिया की बीमारी से सुरक्षा के उपाय विटामिन डी की कमी का निवारण इत्यादि मुख्य है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से गर्भवती महिलाओं को प्रेरित किया जाता है कि वह अपने गर्भ का समय–समय पर परीक्षण करायें और उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाये। इस योजना के खर्च हेतु भारत सरकार के साथ–साथ विश्व बैंक और यूनीसेफ द्वारा आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रोग्राम के अन्तर्गत दाईयों को गहन ट्रेनिंग देने का अभियान प्रारम्भ किया गया है।

(ii) संगठित बाल विकास योजना:–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव स्तर पर नवजात शिशु एवं उनको जन्म देने वाली माताओं के स्वास्थ्य व आहार को अच्छा करना और स्कूल जाने के लिये बच्चों को तैयार करने के लिये अपनी आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध करना है। इस योजना का केन्द्र बिन्दु निसहाय, साधनहीन एवं निर्धन गांव के बालक एवं उनकी माताएं है। इस योजना को 1975 में प्रारम्भ किया गया था और इसका लाभ केवल छः वर्ष से कम आयु के बच्चों बच्चों और उनकी माताओं तक सीमित रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नवत् सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।

जो भी गर्भवती महिलाएं है और शिशुपालन करने वाली महिलाएं हैं और छः वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और यह सभी सामाजिक रूप से पिछड़े गांवों एवं शहरी झोपड़–पट्टी या सड़क पर रहते हैं इन सबके लिए सेवा उपलब्ध कराने की योजना होती है।

(क) पूरक आहार

(ख) प्रतिरक्षण

(ग) स्वास्थ्य परीक्षण

(घ) आरोग्य सेवा

(ङ) छोटी बीमारी का इलाज

(च) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

(छ) पूर्व स्कूल शिक्षा

इस योजना के माध्यम से भारत सरकार का यह उद्देश्य है कि छः वर्ष से कम आयु के बच्चे के आहार पोषण में बढ़ोत्तरी की जाये ताकि उनके स्वास्थ्य में और सुधार आवे जिनसे इन बच्चों का बाल्यकाल से ही शारीरिक एवं मानसिक विकास किया जा सके। सके कार्य स्वरूप स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ेगी और बीच में स्कूल छोड़ने की संख्या कम होगी। बच्चों के विकास के लए जुड़े सभी निकायों में से एकरूपता और आपसी सहयोग होगा, जिसमें बच्चों का विकास किया जाना सुनिश्चित होगा। नवजात शशुओं की माता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने से इन शिशुओं की जन्म से देखभाल अच्छी होगी तो ये बालक निश्चय ही स्वस्थ पाये जायेंगे।

(iii) किशोर बालिकाओं के लिये योजनाएं:–

देश में पहली बार किशोर लड़कियों के लिये यह स्कीम बनाई गई है जिसमें 11–18 वर्ष के आयु वर्ग की स्कूली लड़कियां जो स्कूली पढ़ाई छोड़ चुकी है उनकी पोषणीय स्वास्थ्य शिक्षा, साक्षरता मनोरंजन और विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इसके अन्तर्गत इस बात का प्रयास किया जाता है कि ऐसी किशोर बालिकाएं बेहतर भावी माता बनने के साथ–साथ कुशल साािजक कार्यकर्ता भी बन सके। यह स्कीम विश्व बैंक से आर्थिक रूप से समर्थित है। सभी राज्यों को इस परियोजना को सजग बनाने के लिए एक अनुदेशक और संचालन संबंधी कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गये हैं जो सभी राज्यों को भेजे गये हैं। इसके लिए ब्लाक स्तर एवं जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करने की आवश्यकता है।

(iv) प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा :–

यह स्कीम सन् 1982 से चल रही है, जिसको प्रारम्भिक शिक्षा स्कीम के नाम से जाना जाता है। यह स्कीम शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है। जिसका उद्देश्य स्कूली पढ़ाई छोड़ देने की दर को कम कराने के साथ–साथ स्कूलों में बच्चों द्वारा पढ़ाई जारी रखने की दर में सुधार लाने का प्रयत्न करना है। इसके अन्तर्गत बच्चों में भाषा, ज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक, बौद्विक और व्यक्ति विकास को बढ़ाता है ताकि बच्चे प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश के लिये तैयार हो सकें।

(v) कामकाजी और बीमारी महिलाओं के बच्चें के लिये शिशु गृह/एवं देखभाल :–

राष्ट्र द्वारा 1974 में अपनाये गये बाल नीति के प्राथमिक लक्ष्यों के अनुकरण में यह योजना 1975 में आरम्भ की गयी थी। इस योजना का उद्देश्य मुख्यतः कृषि निर्माण इत्यादि से जुड़े श्रमिकों के पांच वर्ष की आयु के बच्चों के लिये दिवस देखभाल सेवायें प्रदान करना हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी महिलाओं के बच्चों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जो बीमारी के कारण अक्षम है या किसी संक्रामक रोगों से पीड़ित है। यह योजना आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्ग के लोगों की सुविधा के लिए तैयार की गई है और केवल उन बच्चों को ही इस योजना में सम्मिलित किया जाता है जिनके अभिभावकों की कुल मासिक आय 12,000/–रू0 से अधिक नहीं होती। इसके अन्तर्गत शिशुओं को राशन पूरक पोषाहार, टीकाकरण, साप्ताहिक डाक्टरी जांच इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाती है। यह योजना स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा तथा भारतीय कल्याण परिषद के द्वारा देश भर में कार्यान्वित की जा रही है।

(vi) राष्ट्रीय शिशु गृह केन्द्र :–

इस कोष को सन् 93–94 में बीस करोड़ की निधि से प्रारम्भ किया गया था। इसके बाद इस कोष में वृद्धि की जाती रही है। इस कोष से पंजीकृत संगठनों और महिला मण्डलों को शिशु गृह खोलने के लिये कमेटी उपलब्ध कराई जाती है। इस स्कीम में कुछ मौजूदा आंगनबाड़ियों, सह शिशु केन्द्रों जो अधिकांश राज्य सरकार चलाती है, उनको भी कोष से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(vii) आकाशवाणी के माध्यम से बच्चों में बुद्वि विकास की प्रायोधिक (सीयर) परियोजना :–

इसके अन्तर्गत आकाशवाणी के माध्यम से प्रयोग के रूप में बच्चों में बुद्वि विकास लायक एक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य स्कूल पूर्व आयु के बच्चों का विकास करना है। यह परियोजना 2 अक्टूबर 1992 से अन्य शहरों के केन्द्रों के अतिरिक्त लखनऊ के आकाशवाणी केन्द्र से शुरू की गई थी। यह केन्द्र सभी कार्य दिवसों को आंगनबाड़ी के बच्चों के लिये विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं।

(viii) राष्ट्रीय बाल कोष :–

इस कोष की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1979 में हुई थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे निराश्रित बच्चों के पुनर्वास सहित बच्चों के कल्याण हेतु कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर सकें। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अन्तर्गत एक लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, और यह राशि किसी विशेष परियोजना हेतु ही उपलब्ध कराई जाती है जिसका विवरण इस प्रकार है :

(क) स्कूल पूर्व आयु वर्ग के बच्चों के लिए कार्यक्रम

(ख) निराश्रित बच्चों के विकास के लिये कार्यक्रम,

(ग) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों के लिए कार्यक्रम।

(घ) स्कूली पढ़ाई छोड़ चुके और उपसंगठित क्षेत्रों में लगे बच्चों के लिए कार्यक्रम।

(ड़) बाल देख भाल/विकास क्षेत्र में कम लागत की नवीन परियोजनाएं।

(च) शहरी क्षेत्रों में कामकाजी बच्चों के लिये कल्याण और शैक्षणिक सेवाएं।

(छ) समाज के कमजोर वर्गो विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के बच्चों के लिये कौशल आधारित और आयोत्पादक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ix) राष्ट्रीय वीरता पुरुस्कार :–

वीरता और पराक्रम के लिये बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरुस्कार दिये जाने की स्कीम सन् 1957 में प्रारम्भ की गई थी। इसमें प्रत्येक चुने हुए बच्चों को वीरता और पराक्रम के अनुकरणीय साहसिक कार्य के लिये राष्ट्रीय वीरता पुरुस्कार दिया जाता है। यह वीरता पुरुस्कार स्कीम भारतीय कल्याण परिषद नई दिल्ली द्वारा क्रियान्वित की जाती है। यह पुरुस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित विशेष समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा दिये जाते है। महिला और बाल विकास विभाग इस प्रयोजन के लिये भारतीय कल्याण परिषद को वित्तीय सहायता देता है, जिसमें समारोह की 50 प्रतिशत लागत तथा नकद पुरुस्कारों के लिये सम्पूर्ण लागत शामिल है।

(5) सामाजिक कार्यकर्ता गांव को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करा सकता है :–

लोगों की जिसमें भलाई होती है यदि उस ओर लोग प्रभावित हों तो उनके मन को जीतने में बहुत सहायता मिलती है। इसलिये सामाजिक कार्यकर्ता को पहले इस बात को परिचित होना चाहिये कि सम्बन्धित क्षेत्रों में लोगों की किस में सबसे अधिक भलाई हो सकती है। उदाहरणतया सफाई के लिये लोगों को घर में शौचालय बनाने के लिये प्रेरित करना या जहां बाहर खुले में ऐसी गंदगी हो उसके लिये गढ्ढे खुदवाकर गंदगी खत्म करना, माताओं को बच्चों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना, स्वच्छ पानी की उपलब्धता के बावत बताना जैसी मुख्य–मुख्य समस्याओं पर अपनी सेवा देकर लोगों के विश्वास को जीता जा सकता हैं गांव की मुख्य एवं गम्भीर

समस्याएं क्या हैं उनका निवारण लोगों की मदद से कैसे किया जा सकता है क्या साधन उपलब्ध है, कितने लोग शिक्षित हैं लोगों की मदद कैसे ली जा सकती है इत्यादि सब पर गम्भीरता से विचार करके कोई ठोस कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार कोई कार्य प्रारम्भ करने से पहले मुख्य समस्याएं अर्थात् स्वास्थ्य, पोषण, आवास और सफाई, शिक्षा भूमि एवं खाद्य के विषय में एक प्रश्न सूची तैयार करनी अधिक प्रभावी हो सकती है। जिसकी रोशनी से गांव के सभी लोगों से जानकारी प्राप्त करने के बाद कोई ठोस योजना तैयार करके कार्य शुरू किया जा सकता है।

(6) जिला अधिकारियों की सेवाएं कैसे प्रभावी बन सकती हैं :–

आई0सी0डी0एस0 हेल्थ सामाजिक संस्थाएं/एन0जी0ओ0 महिला समाख्या संस्था को मिलाकर उनके कार्य को मानीटर करके शिशुओं, बालकों, गर्भवती महिलाओं को विकास एवं उत्थान में जिला प्लान योजना तैयार की जा सकती है। जिससे सभी भिन्न–भिन्न संस्थाएं इकट्ठा होकर ग्राम का रूप धारण करके अद्वितीय सेवाएं दे सकती है। आई0सी0डी0एस0 के प्रोजेक्ट में कितनी एनम इसमें कार्यरत हैं और कितनी गर्भवती महिलाओं, छः वर्ष से कम बच्चों को इसका लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके आंकडों का समय–समय पर निरीक्षण करके जो भी सुमार की आवश्यकता हो उसके लिये पर्याप्त उपाय करना लाभकारी एवं प्रभावी सिद्व हो सकता है। आई0सी0डी0एस0 एवं हेल्थ दोनों की संयुक्त कार्य योजना अधिक लाभकारी सिद्व हो सकती है। जिला अधिकारी महिला मंगल दलों, युवा क्लबों एवं पंचायत संस्था को अपना नेतृत्व देकर एक प्रभावी सेवा खड़ी करके सरकारी योजना का लाभ इनके माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इन संस्थाओं और समूहों से प्रत्येक गर्भवती महिला का ए0एन0सी0 के यहां पंजीकृत कराना और टीके लगवाना, आयोडीन नमक का प्रयोग करना, प्रत्येक बच्चे को टीका लगाना सुनिश्चित करना तथा चार माह तक बच्चे को मां का दूध पिलाने सम्बन्धी बातों को पूरा करने के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार जो भी सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं उनको नेतृत्व उपलब्ध कराकर तथा सरकारी तन्त्र का समय–समय पर निरीक्षण करके की जाये तो कोई कारण नहीं है कि जिन निर्धन, निर्बल, असहाय एवं पिछड़े लोगों में लाभान्वित करने के उद्‌देश्य से सरकार की जो योजनाएं बनती हैं, उनका लाभ इन लोगों तक न पहंचे।

7– बाल मजदूरी समस्या और समाधान :–

(क) वर्तमान अनुपात के अनुसार भारत के कुल मजदूर शक्ति का 10 प्रतिशत से अधिक बाल मजदूरों की है और इनमें से 85 प्रतिशत बाल मजदूर शहरी क्षेत्रों में बाल मजदूरी करने में कार्यरत हैं। इन शहरी बाल मजूदरों में अधिकतर ऐसे बच्चे हैं जो झोपड़ी पट्‌टी में निवास करते हैं इसके साथ–साथ इन बाल मजूदरों में बराबर वृद्वि होती जा रही है। जहां तक उ0प्र0 राज्य का प्रश्न है कुल मजदूर शक्ति की 15 प्रतिशत के लगभग बाल मजदूर है। बाल श्रमिक पर नियन्त्रण बालकों में शिक्षा के प्रचार में किया जा सकता हैं यदि बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित किया जाये और सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें तो उनके माता–पिता अपने बच्चों से मजदूरी न कराकर उनको शिक्षा उपलब्ध करायेंगे। बच्चों से मजदूरी कराने का माता–पिता का अपना स्वार्थ रहता है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती है कि बच्चों को खाना तक नहीं खिला सकते इसलिये उनकी गरीबी पर नियन्त्रण करना होगा जिससे बाल मजदूरी में स्वतः ही कमी आ जायेगी।

उल्लेखनीय है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर दिनांक 15–8–94 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिये गये भाषण में यह उल्लेख किया था कि हमारे देश में 20 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और वह फैक्ट्रियों में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं और उन 2 करोड़ बच्चों में से बीस लाख बच्चे ऐसे है जो खतरनाक धन्धों में कार्यरत हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन बच्चों को बाल मजदूरी से छुटकारा पाने के लिए यह सुझाव दिया गया था कि बाल मजदूरों के माता–पिता को नौकरी उपलब्ध कराई जाये ताकि वह गरीबी के कारण अपने बच्चों से काम न करवायें और उन्हें स्कूल भेज सकें। यदि माता–पिता की आय में वृद्वि होगी तो वह अपने बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे और उनसे बाल मजदूरी नहीं करवायेंगे।

प्रधानमंत्री जी की इस सार्वजनिक घोषणा के पश्चात् ही भारत सरकार की और से योजना आयोग द्वारा 96–98 वर्ष में 35 करोड़ की धनराशि उपलब्ध इस आशय के साथ कराई गई कि सन् 2000 तक खतरनाक धन्धों में लगे बाल मजदूरी को पूरी तरह समाप्त कर दिया जायेगा परन्तु वह साकार नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा देश की 99 स्वयं संस्थाओं को आर्थिक

सहायता उपलब्ध कराई गई थी जिसमें उ0प्र0 श्रमिक विकास सेवा आश्रम इलाहाबाद भी थी ताकि बाल मजदूरी पर काबू पाया जा सके परन्तु उसमें भी कोई सराहनीय योगदान नहीं मिल पाया।

(ख) बाल श्रम संसाधन केन्द्र द्वारा बाल श्रमिकों पर किये गये सर्वेक्षण की एक झलक :–

राष्ट्रीय बाल श्रम संस्थान केन्द्र द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 14 वर्ष के 1/3 और शहरी क्षेत्र में 8 प्रतिशत बच्चे बाल श्रम से पीड़ित हैं। ये बच्चे रसायन, खाद्य, अधातु उत्पादों, माचिस, कांच, तम्बाकू आदि उद्योगों से जुड़े हैं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि भारत में बाल श्रमिकों को अत्यन्त कम मजदूरी, खतरनाक मशीनों और अनिश्चित कार्य अवधि की स्थितियों में मालिक सहर्ष काम पर रखते हैं। बाल श्रमिक कानूनों का क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों की उदासीनता बाल श्रमिकों की दुर्दशा का मुख्य कारण है। यह भी पाया गया है कि देश के 5–15 वर्ष आयु वर्ग के कुछ बच्चों में हर चौथा बच्चा बाल श्रमिक है। अनुमानतः देश के बाल श्रमिकों की कुल संख्या 4 करोड़ है तथा इन बच्चों का 5वां हिस्सा शहरों में विभिन्न कामों में लगा हुए बच्चों का है। राष्ट्रीय बाल श्रम संस्थान द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार कुल बाल श्रमिकों में लगभग 62 प्रतिशत व्यावसायिक बाल श्रमिक थे, जबकि मध्य और अल्प आयु के बाल श्रमिक 16.7 प्रतिशत है। जहां तक लिंग अनुपात का प्रश्न है, शहर और ग्रमीण क्षेत्रों में बालक दोनों के श्रमिकों और 1198 बाल श्रमिक पर एक हजार पुरुष बाल श्रमिक हैं एवं शहरी क्षेत्र में 1267 बाल श्रमिक पर 100 पुरुष बाल श्रमिक है। इस प्रकार शहरी क्षेत्र में पुरुष बाल श्रमिकों का यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्र से 87 प्रतिशत अधिक हैं सर्वेक्षण से आगे यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि सभी आयु वर्ग के अधिकांश बाल श्रमिकों का क्रमशः 23 प्रतिशत और 26 प्रतिशत बाल श्रमिक हैं। कुल बाल श्रमिकों का छठा भाग किचन के कामों में और शेष बाल श्रमिक बाजार से खरीदारी, कपड़े धोने और बच्चों की देखभाल के कार्यो में है।

जहां तक कार्य का प्रश्न है सर्वेक्षण में यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के कामकाजी 17 प्रतिशत बच्चे 6–7 घण्टे कार्य करते हैं और शहरों में 7 प्रतिशत बच्चे कामकाजी बच्चे प्रतिदिन 6–7 घण्टे कार्यो में रहते हैं। इन बच्चों के व्यावसायिक स्वरूप के बावत यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाशं बच्चे आकस्मिक कार्यो और कृषि कार्य में लगे हुए हैं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 46 प्रतिशत बाल श्रमिकों में 30 प्रतिशत बच्चे कृषि कार्यो में हैं और 8 प्रतिशत बाल श्रमिक परिवारिक व्यवसायों में हैं।

सम्पूर्ण भारत वर्ष के उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र से अलग–अलग किये गये सर्वेक्षण में राष्ट्रीय बाल श्रम संस्थान केन्द्र ने पाया कि उत्तरी भारत के सात राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा चंढीगढ़ का केन्द्र शासित क्षेत्र के कुल 240 लाख परिवारों में 102 लाख बाल श्रमिक के कुल परिवारों में हर छठा परिवार शहरी क्षेत्र में हैं। जहां तक इनकी पारिवारिक आय का प्रश्न है, उत्तरी क्षेत्र के बाल श्रमिकों के कुल परिवारों में 2/3 परिवार निम्न आय वर्ग से सम्बन्धित है, जबकि शहरी क्षेत्र कुल परिवारों में 1/2 परिवार निम्न आय वर्ग के है। अनुमानतः उत्तरी क्षेत्र में कुल 12.6 लाख बाल श्रमिक है जिनमें 83.1 प्रतिशत बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 16.9 प्रतिशत बाल श्रमिक शहरों में हैं, इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र में बाल श्रमिकों के अनुमानतः संख्या 8.91 लाख है। पश्चिमी क्षेत्र जिसमें गुजरात, मम्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा तथा केन्द्र शासित प्रदेश दमनदीव आता हैं, उनमे बाल श्रमिकों की अनुमानतः संख्या 10.84 लाख है। जिनमें 1/5 शहरी क्षेत्रों में है, शेष ग्रमीण क्षेत्रों में है। इसी प्रकार दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केन्द्र शासित प्रदेश पाण्डिचेरी में कुल अनुमानतः बाल श्रमिकों की संख्या 11.4 लाख है, जिनमें 1/4 शहर में और शेष ग्रामीण क्षेत्र में है। जहां तक बाल श्रमिकों के परिवार का प्रश्न है चारों क्षेत्रों में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार उत्तरी क्षेत्र में कुल 240 लाख परिवारों में हर छठा परिवार शहरी क्षेत्र में है जबकि पूर्वी क्षेत्र में श्रमिक परिवारों की कुल अनुमानित संख्या 25 लाख है जिनमें बाल श्रमिकों के परिवार की अनुमानित संख्या 7.92 लाख है जो कि कुल क्षेत्र का 84 प्रतिशत क्षेत्र ग्रमीण और शहरी है एवं पश्चिमी क्षेत्र में बाल श्रमिकों के परिवार की अनुमानित संख्या 24.2 लाख है जिनमें 8.62 लाख परिवारों में बाल श्रमिक है और इसका 26.2 लाख है जिनमें 8.62 लाख परिवारों में बाल श्रमिक है और इसका 26.2 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में और शेष परिवार ग्रामीण क्षेत्र में है। जहां तक दक्षिणी क्षेत्र का प्रश्न है उनमें अनुमानतः 29.1 लाख परिवारों में बाल श्रमिकों के 8.8 लाख परिवार है। इन आंकडों से यह स्पष्ट विदित होगा कि बाल श्रमिकों की स्थिति कितनी दयनीय एवं गम्भीर है उसके ऊपर अंतराष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की गयी है और यहां तक कि बात श्रमिकों द्वारा बनाये गये सामानों का बहिष्कार किया गया ताकि बाल श्रमिकों से काम लेने वाले लोग कुछ सबक ले सकें और अपने दायित्व को समझते हुए बाल श्रमिकों से काम न लें, ताकि इन भारतीय

बालकों का बहुमूल्य बचपन उनकी शिक्षा स्वास्थ्य और भविष्य निर्माण में लगकर वे सुदृढ़ नागरिक बन सकें।

राष्ट्रीय बाल श्रम संस्थान केन्द्र द्वारा किये गये अखिल भारतीय सर्वेक्षण में जो मुख्य सुझाव दर्शाये गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

1— आयु और लिंग के अनुसार बच्चे के श्रम साध्य कार्यो पर प्रतिबंध लगना चाहिए।

2— बाल श्रम कानूनों को बच्चों के कल्याण के लिए सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

3— बाल श्रमिकों के परिवार के कल्याण के लिये बाल श्रमिकों की बढ़ती दुर्घटनाओं की रोक—थाम करनी चाहिये।

4— बाल श्रमिकों को ऐसा कार्य दिया जाना चाहिए जिस कार्य में उनके श्रम का आंकलन किया जा सके।

5— बाल श्रमिकों को जोखिम के कार्य नहीं दिये जाने चाहिए और उनका बीमा किया जाना चाहिए।

6— बाल श्रम के उन्मूलन के लिए पहले एक संक्षिप्त कार्य योजना की आवश्यकता है फिर पारम्परिक भारतीय समाज में बच्चों के विकास की एक सुस्पष्ट वैचारिक कार्य योजना का कार्यान्वयन आवश्यक है।

7— बच्चों को कल का सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए उनकी हर संभव सहायता की जानी चाहिए।

8— ऐसे सामाजिक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें बच्चे अपने को सुरक्षित महसूस करें।

9— बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए माता—पिता तथा सरकार को उनके मार्ग दर्शन की व्यवस्था करनी चाहिए।

10— बच्चों के लिए बाल श्रमिक आवास गृह उपलब्ध होने चाहिए जहां उन्हें सर्वागीण विकास के अवसर मिलें।

11— बाल श्रमिक के कल्याण के सभी कार्यक्रम विशेषज्ञता और तकनीकी कुशलता के साथ क्रियान्वित किये जाने चाहिए।

(ग) फुटपाथी बालकों की महानगरों में स्थिति :—

बालक देश के धरोहर होते हैं यदि समाज उनके प्रति न्याय एवं सुरक्षा की भावना नहीं रखता तो निश्चय ही जब वे बालक आगे चलकर व्यस्क होंगे तो उनसे एक जिम्मेवार नागरिक की आशा करना कहां तक उचित होगा। भारत के बड़े—बड़े शहरों में प्रायः देखने मे आता है कि छोटे—छोटे बच्चे कूड़ा उठाते, बूट पालिस करते, छोटे—मोटी दुकानों में काम करते तथा घरों में काम करते हुए मिलते हैं। इस सम्बन्ध में भारत के मुख्य नगरों बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद एवं कानपुर में राष्ट्रीय बाल श्रम संस्थान द्वारा सर्वेक्षण किया गया ताकि इन फुटपाथी बच्चों की समस्याओं से अवगत होते हुए इनके निवारण कि लिये ठोस कदम उठाये जा सकें। वैसे तो फुटपाथी बच्चों की समस्या कोई नई समस्या नहीं है परन्तु भारत वर्ष में इस समस्या की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि विदेशों में इसे गम्भीर समस्या मानते हुए कई कठोर कदम भी उठाये गये और कई समाजसेवी संस्थायें इन फुटपाथी बच्चों की समस्याओं के निवारण में अपना पूर्ण सहयोग दे रही है। भारतवर्ष में भी समाज सेवी संस्थाओं ने सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया, जिनमें एक उल्लेखनीय संस्था ''डाक वास्को'' के नाम से प्रसिद्व है जो इन फुटपाथी बच्चों के सुधार के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है।

राष्ट्रीय बाल श्रम संस्थान द्वारा भारत के मुख्य सात नगरों में जो फुटपाथी बच्चों के बावत सर्वेक्षण किया गया उसका संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :—

इस संस्था की मान्यतानुसार फुटपाथी बच्चे जो कि मुख्यतः शहरों की देन है उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जायेगी क्योंकि यह अनुमान है कि इस शताब्दी के अन्त में भारत की कुल संख्या का 1/3 भाग शहरों में वास करने लगेगा। जबकि 1981 की मतगणना के अनुसार 160 मिलियन अर्थात् जनसंख्या का 23 प्रतिशत भाग इन शहरी क्षेत्रों में रहता था और जो 12 महानगरीय शहर हैं जिनमें 10 लाख अर्थात् एक मिलियन से अधिक लोग वास करते हैं जिनमें कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, अहमदाबाद, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, बंगलौर एवं पूना के शहर है।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा हैदराबाद के फुटपाथी बालकों के सम्बन्ध में किये गये सर्वेक्षण से यह पाया गया कि सन् 1962 में कुल गंदी बस्तियों की संख्या 106 थी जो कि सन् 1972 में बढ़कर 284 हो गयी सन् 1981 में यह 470 थी जो कि 1988 में बढ़कर 660 हो गई इस तरह यह बढ़ोत्तरी बड़ी तेज रफ्तार से हो रही है। सन् 1962 में हैदराबाद की जनसंख्या मात्र एक लाख थी जो कि सन् 1972 में 3 लाख सन् 1981 में पॉच लाख और 1988 में नौ लाख हो गयी और इसकी मात्रा 900 प्रतिशत हुई यदि इस जनसंख्या में स्लम जनसंख्या को देखा जाय तो वह सन् 1962 में कुल जनसंख्या का 9 प्रतिशत था जो कि 1972 में 19 प्रतिशत हुआ और 1981 में 22 प्रतिशत तथा सन् 1988 में कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत जनसंख्या का है। जहां तक फुटपाथी बालकों का प्रश्न है वह इन झुग्गी झोपड़ी जनसंख्या का लगभग 30,000 अनुमानित किया गया है यदि संसार के फुटपाथी बालकों पर प्रकाश डाला जाय तो यूनिसेफ के अनुसार यह लगभग 80 मिलियन है और एण्डी स्लमरी सोसाइटी यू0एम0 ने इनकी संख्या 31 मिलियन बतायी है इसमें भारत का बहुत बड़ा हिस्सा आता है भारत के शहरों में 30,000 फुटपाथी बच्चों में 60 प्रतिशत लड़के और बाकि लड़कियां है स्ट्रीट चिल्ड्रन के मुख्य कारण हैं :

1— शहरीकरण का सीधा प्रभाव

2— ग्रामीण गरीबी

3— प्राकृतिक आपदा

4— ग्रामीण खेती में नए यंत्रों के प्रयोग से बेरोजगारी

5— शहर में बसने की लालसा

6— गांवों में जातिवाद के कारण पलायन

हैदराबाद की जनसंख्या का 30 प्रतिशत घनी गंदी बस्ती जनसंख्या है जिसमें शहरी जनसंख्या मात्र 22 प्रतिशत है और बाकि जनसंख्या गांवों में आई है बंगलौर शहर में फुटपाथी बालकों के सम्बन्ध में किये गये सर्वेक्षण एंव अध्ययन के अनुसार यह पाया गया कि वहां लगभग 45 हजार बच्चे फुटपाथी बालक है, जिनमें 25 हजार बच्चे बेघर हैं इसके बावत यह निष्कर्ष दिया गया कि इन बच्चों की मात्रा में बराबर बढ़ोत्तरी हो रही है। क्योंकि गांवों में गरीबी के कारण जो अधिकतर जनसंख्या शहरों में पलायन करती है उनके कारण ही इन फुटपाथी बालकों की संख्या में बराबर वृद्वि हो रही है। इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि बंगलौर शहर में औसतन 12 बच्चे हर रोज गाड़ी या बस से आ रहे हैं और उनके सर पर छत न होने के कारण ये बच्चे रेलवे स्टेशनों बस अड्डों या अन्य काम करने वाले स्थानों पर ही सर छुपाने के लिये रहते हैं एवं बाद में फुटपाथी बच्चों के स्थान में सम्मिलित हो जाते हैं और इनका शोषण शुरू हो जाता हैं दिल्ली में फुटपाथी बच्चों के बावत किये गये सर्वेक्षण में यह पाया गया कि लगभग 4 लाख मजदूरी करते हैं जो कि दिल्ली शहर की कुल बाल जनसंख्या का 18 प्रतिशत है जिसमें 30 हजार बच्चे चाय की दुकानों, ढाबों आदि में कार्य करते है तथा 20 हजार बच्चे स्कूटर, कारों की मरम्मत की दुकानों में काम करते हैं और लगभग 30 हजार बच्चे दुकानों में सहायक के रूप में मजदूरी करते हैं और 40 हजार बच्चे मरम्मत, कुली इत्यादि का कार्य करते हैं तथा लगभग 1 लाख बच्चे घरों में बर्तन तथा उनके घरेलू कामों में मजदूरी करते हैं। सन् 1981 में हुए मतगणना के अनुसार दिल्ली के बाल मजदूरों की संख्या केवल 26 हजार थी और अब हुए उपरोक्त सर्वेक्षण के अनुसार यह संख्या बढ़कर 4 लाख हो गई जो स्वतः यह संकेत करता है कि बाल मजदूर महानगरों में कितना उग्र रूप धारण कर चुके हैं जिसका निवारण करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता हैं। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि दिल्ली शहर में 1961 में ऐसे लोगों की जनसंख्या जो कि बेघर थे मात्र 6586 थी जो कि 20 साल बाद सन् 1981 में बढ़कर 16870 हो गयी थी और ये सब वे लोग हैं जो सर पर छत नहीं होने के कारण फुटपाथ पर ही जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए यदि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाय तो उससे भी बाल श्रमिक समस्या पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलेगी। जहां तक कलकत्ता महानगर तथा इसी प्रकार मद्रास महानगर में फुटपाथी बच्चों के बावत किये गये अध्ययन में यह पाया गया कि वहां पर फुटपाथी बच्चों की संख्या लगभग 25 हजार है।

यदि इस प्रकार दुनिया के नक्शे पर नजर डाली जाय तो यह विदित होगा कि केवल भारत के महानगरों तक यह समस्या सीमित नहीं है बल्कि संसार के अन्य देशों में भी यह बुराई व्याप्त है और अनुमान है कि संसार के फुटपाथी बच्चों की संख्या लगभग है। इसी प्रकार जो फुटपाथी बच्चे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं जिनके स्लम पर झुग्गी–झोपड़ियों में उनके परिवार है जहां

जाकर वे रात को आराम करते हैं और इनमें कई फुटपाथी बच्चे ऐसे भी हैं जो सड़क में रहकर ही अपनी रात बिता देते हैं, उनकी छत नहीं है वे अपना पूरा बचपन और जवानी सड़क में रहकर व्यतीत करके अपना जीवन यापन करते हैं। भारत के अन्य बाल मजदूरों की तरह फुटपाथी बच्चों का शोषण भी एक गम्भीर समस्या है क्योंकि इन फुटपाथी बच्चों में से ही बाल अपराधी बच्चे बनते हैं, जो कि अपराध जगत में पर्दापण करके सामाजिक बुराईयों को बढ़ाते हैं। इसलिये फुटपाथी बच्चों की सुरक्षा एवं निर्माण की उतनी आवश्यकता है, जितनी कि अन्य भारतीय बाल मजदूरों की तरफ सुरक्षा एवं आर्थिक सुविधा उपलब्ध करना है और भी जरूरी हो जाता है।

(घ) बाल मजदूरों की समस्या से निपटने के लिए मुख्य सुझाव :—

1— बाल मजदूरों की समस्या से निपटने के लिए आम लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि हर बालक के माता—पिता समाज एवं देश के नाते बालकों के प्रति अपने दायित्व समझ सके। इसमें मजदूर संगठन, कानून बनाने वाले प्रशासकों, पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं एवं आम जनता को मिलकर बच्चों के प्रति अन्याय को खत्म करने के लिये जागरूकता रूपी अभियान शुरू करना होगा ताकि समाज का कोई भी वयस्क व्यक्ति बालकों के प्रति किये गये शोषण एवं अन्याय से जागरूक होकर इसके निवारण में अपना हाथ बंटा सकें। इसमें सबसे मुख्य बात बच्चों के माता—पिता को प्रेरित करना होगा ताकि वे बच्चों से मजदूरी न कराकर उन्हें स्कूल भेजने में आगे आ सकें। इसके लिए ऐसे बाल मजदूरों के माता—पिताओं को आर्थिक सहायता देने के लिए कुछ प्रोग्राम शुरू करने होंगे ताकि बाल मजदूर बालकों के माता—पिता के रास्ते में गरीबी की समस्या उत्पन्न न करने पाये।

2— ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर, तहसील स्तर एवं जिला स्तर के प्रशासकों, शिक्षा संस्थाओं एवं श्रमिक संघों के माध्यम से बाल मजदूरी जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने का प्रयास करना होगा इसके लिये वीडियो फिल्म, पुस्तकों एवं अन्य संचार माध्यमों का भी प्रयोग करना होगा और जहां पर बाल मजदूरी अधिक व्यापक है वहां पर नुक्कड़ सभाओं, सरकारी रैली, वाद—विवाद प्रतियोगिताओं एवं अन्य माध्यमों से बाल मजदूरी को खत्म करने के प्रति जागरूकता को बढ़ाना होगा शहर के हर इलाके में बैनरों के माध्यम से बाल मजदूरी की बुराई को फोक्स करते हुए आम जनता में जागरूकता पैदा करनी होगी।

3— बाल मजदूरी खत्म करने में लगी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिस सामाजिक संस्था या शिक्षा संस्था ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए अद्वितीय योगदान दिया है उसको पुरस्कारित करके बाल मजदूरी खत्म करने के प्रति जागरूकता लाने में सहयोग होगा।

4— जो बाल मजदूर खतरनाक धंधों में लगे हुए हैं, जहां प्रदूषित वातावरण में लम्बे समय तक कार्य करके बच्चों का मानसिक तनाव बढ़ता है एवं शारीरिक विकास रूक जाता है और सभी कठिन परिस्थितियों में बाल श्रमिकों से काम लेने वाले व्यक्ति को कानूनी रूप से दण्ड दिलाने के लिए सामाजिक संस्थाओं को आगे आना होगा और बच्चों को शिक्षा प्राप्ति करना अनिवार्य बनाया जावे तथा ऐसे बच्चों को शिक्षा सामग्री एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावे ताकि उन्हें उचित वातावरण मिल सके तथा बिना किसी रूकावट के शिक्षा ग्रहण करने के प्रति आकर्षित हो सकें।

5— जो भी बाल मजदूरी रोकने के कानून बने हैं उनका सख्ती से पालन किया जाय और कानून जो बने हुए हैं उनकी कमियों को दूर किया जाय जो भी खतरनाक धंधे हैं जिनमें बालक मजदूरी कार्य करता है वहां पर बाल मजदूरों के कार्य लिये जाने में प्रतिबंध लगाया जाय।

6— जो भी कानून बनाये गये हैं उससे निश्चय ही बाल मजदूरों की समस्या हल होना संभव नहीं है क्योंकि जो भी भारत के मजदूर हैं उनकी 75 प्रतिशत से 85 प्रतिशत संख्या अनियंत्रित है अर्थात् इन मजदूरों को कानूनी लाभ एवं सुरक्षा देने हेतु विधिवत विनियमित नहीं किये गये हैं तथा जरूरत इस बात की है कि जो धंधे जोखिमपूर्ण है उनको कानून के घेरे में लाया जाये और जो जोखिम भरे धंमे नहीं हैं जिनमें श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनको नियमित किया जाय।

7— बाल मजदूरी का निवारण निश्चय ही सरकारी नीतियों कानूनों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। परन्तु यह अनुभव किया गया है कि सरकारी नीतियों का लाभ बाल श्रमिकों तक नहीं पहुॅचता है क्योंकि इसमें कई अड़चनें होती हैं जिनको दूर करना बहुत जरूरी है और इस प्रकार जो कानून बनाये गये हैं उनको लागू करने के लिए

जो मशीनरी उपलब्ध है उसमें चुस्ती और ईमानदारी लाने की जरूरत है इन दोनों को सुचारू रूप से चलाने के लिये सामाजिक संस्थायें बहुत लाभप्रद हो सकती है। यह भी उल्लेखनीय हे कि हमारे देश में जो 12 हजार के लगभग मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थायें है उनमें से भले ही 2500 सामाजिक संस्थाओं को फर्जी बताते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है फिर भी सरकार के पास अभी तक 8500 सामाजिक संस्थायें कार्यरत हैं जिनकी सेवायें बाल मजदूरी को कम करने के लिए सरकारी योजना एवं कानून के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है यह भी उल्लेखनीय है कि बाल मजदूरी समाप्त कराने में 126 सामाजिक संस्थायें सलिय रूप से योगदान दे भी रही है। बाकि अन्य संस्थाओं को इसके लिये प्रेरित किया जा सकता है।

8— प्रशासन स्तर पर प्रत्येक जिला अधिकारी को चाहिये कि वह अपने हल्कों में बाल मजदूरों की समस्या की गम्भीरता को जानने हेतु वहां पर सर्वे करायें और जब समस्या की जानकारी हो जाये तो उससे निपटने के लिये स्थानीय लोगों, सामाजिक संस्थाओं एवं अन्य माध्यमों को लाभ प्राप्त करने के लिये कार्य योजना बनायें और उसको लागू कराते हुए समय—समय पर कमेटी के माध्यम से उसको मोनिटेरिंग करें एवं उसको सख्ती से लागू करायें।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)

32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42	शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43	समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44	कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46	आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47	उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

7. जेल／कारागार／संरक्षण गृह／किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV／एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः— क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :—

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कार्यपालक अध्यक्ष

सदस्य—सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान

विषय सूची

प्रस्तावना

भौमिक अधिकार

उद्‌गम, विकास तथा ऐतिहासिक पर्यवेक्षण
अधिनियम का लक्ष्य एवं उद्‌देश्य
खेती जमीन का उपयोग

खेती जमीन पर मालिकाना कैसे प्राप्त किया जा सकता है

क– उत्तराधिकार द्वारा
ख– खेती जमीन क्रय द्वारा
ग– खेती जमीन के पट्‌टे द्वारा
घ– वसीयत के द्वारा
ड़– दान द्वारा
च– आंबटन द्वारा
छ– चिरकाल से गैर कानूनी काबिज होने पर

खेती जमीन से संबंधित मुख्य दस्तावेज

अधिकारी अभिलेख
गांव रजिस्टर
नक्शा, खसरा, खतौनी का महत्व
खेती जमीन पर लगान की अदायगी,
लगान का दायित्व व भू–राजस्व की वसूली,
खेती जमीन के लिए कर्ज कैसे प्राप्त करें,
खेती जमीन कैसे प्राप्त की जा सकती है,
उत्तराधिकार का क्रम,
राजस्व न्यायालयों के क्षेत्राधिकार

उत्तराखण्ड राज्य में
खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान

प्रस्तावना

भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 60 प्रतिशत जनता गांव में निवास करती है, उत्तराखण्ड भारत का नया राज्य बना है, जिसकी अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है। खेती यहां का मुख्य धन्धा है, चाहे वह किसी भी स्थिति में है, जैसे फल, साग, सब्जी, अनाज आदि गॉवों की अधिकांश जनता प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से खेती से जुड़ी हुई है, कोई भी विधि जो भौमिक अधिकारों का सृजन करती है, गॉव की जनता की आर्थिक, सामाजिक दशा को निश्चित प्रभावित करेगी।

पूर्व में भूमि विधि प्रथा के द्वारा शामिल थी या एक ही व्यक्ति समस्त अधिकारों को धारण किये था, किन्तु जो व्यक्ति भूमि से जुड़े थे खेती करते थे वे मात्र मेहनताना प्रदान करने तक के अधिकारी थे और प्रजापालक वो राजा था। भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ–साथ उत्तराखण्ड राज्य तो पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर करता है। चूंकि यहॉ की अधिकांश जनता गांव में रहती है और ऐसे में उन्हें अपने कृषि भूमि संबंधी अधिकारों का कानूनी ज्ञान जो कि प्रारम्भिक ज्ञान आवश्यक है, नहीं हो पाता है इस हेतु यह पुस्तक उत्तराखण्ड के कृषकों के लिए उपयोगी सिद्व होगी, ऐसी आशा है।

भौमिक अधिकार
उद्गम, विकास तथा ऐतिहासिक पर्यवेक्षण :–

भौमिक अधिकार का उदय उस समय हुआ जब मनुष्य ने भूमि को समतल करके कृषि योग्य बनाकर उस पर कृषि प्रारम्भ किया, क्योंकि उस समय भूमि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी अतः जिसने भी उसे कृषि योग्य बनाया उसका अधिकार उस भूमि पर मान लिया गया है वास्तव में यह अवधारणा इस अध्ययन बाद या प्रथा पर आधारित है, जिसमें मनु ने कहा था कि भूमि उस व्यक्ति की होती है जो उसे कृषि योग्य बनाता है। बाद के न्यायशास्त्रियों ने भी इसी नियम का अनुमोदन किया। हेदाया के अनुसार खेती उसकी सम्पत्ति होती है जो उसे कृषि योग्य बनाता है। जैसे–जैसे समय बीतता गया मनु तथा अन्य विधि शास्त्रियों द्वारा बनाये गये ये नियम सम्पत्ति के अधिकार का आधार बनते गये। इस तरह सम्पत्ति या खेती के अधिकारी को विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता था।

सम्पत्ति अधिकार का विकास :–

प्राचीन काल में राजा भूमि का स्वामी होता था, हिन्दू न्याय शास्त्रीयों ने कहीं भी राजा को भूमि का स्वामी स्वीकार नहीं किया। राजा का अंश मात्र प्रजा की सुरक्षा प्रदान के लिए दिया जाता था। इस प्रकार प्रश्न यह उठता है कि क्या राजा अपने राज्य की भूमि दान कर सकता है ?

किन्तु इस प्रश्न पर विधि शास्त्रियों का मत रहा कि राजा दान भूमि का न करके केवल राजा द्वारा उपज के अंश को प्राप्त करने का हक होगा। इसी प्रकार धीरे–धीरे समय के साथ–साथ जोत पर कृषक का अपना अधिकार होता गया और इसी तरह भिन्न–भिन्न रूप से भू–राजस्व भी लिया जाता रहा जो कृषक को या जोतदार को उस भूमि का लगान राजा या सरकार को देना होता था। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी भूमि उसके परिवार वाले प्राप्त करते थे, भूमि पारिवारिक सम्पत्ति होती थी, उसका स्वामित्व परिवार के सदस्यों में निहित होता गया।

अन्ततः खेती पर व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त हुआ और उन अधिकारों को एक विधि का रूप दिया गया जो विभिन्न कर्तव्यों के पालन करने के साथ लागू होती रही।

अतः हम यहॉ उत्तराखण्ड में भूमि को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और साथ ही खेती सम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजों के सम्बन्ध में सूक्ष्म एवं सरल रूप में अध्ययन करते हैं।

अधिनियम का उद्देश्य :–

अधिनियम का नाम ही उसके उद्देश्यों का वर्णन करने में समर्थ है, मुख्य रूप से अधिनियम का उद्देश्य जमींदारी प्रथा का अन्त करके राज्य में नई जोत व्यवस्था करना है। अधिनियम पारित करते समय इसके मुख्य निम्न उद्देश्य थे :–

1. जमींदारी प्रथा का अन्त
2. जमींदारों के अधिकारों का अर्जन

3. जोत व्यवस्था में सुधार

4. कृषि के अधिकार की सुरक्षा

5. 12 1/2 एकड़ भूमि से अधिक भूमि अर्जन पर प्रतिबन्ध

6. ग्रामीण स्तर पर स्थानीय प्रशासन की स्थापना

7. सहकारी कृषि की स्थापना

8. जोतों के आकार को छोटे होने से रोकना

किसी भी विषय का अध्ययन करने से पूर्व यह जानना अति आवश्यक होगा कि उसका अर्थ क्या है? इसलिए यहां भूमि का अर्थ जानना आवश्यक है।

भूमि :

''भूमि का तात्पर्य धारा 109, 143 और धारा 144 तथा अध्याय सात को छोड़ कर शेष अधिनियम से ऐसे भूमि से है जो किसी के अधिकार या कब्जे में कृषि बागवानी या पशुपालन जिसमें मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन भी है, से सम्बन्म रखने वाले किसी प्रयोजन से हो'' इस तरह से भूमि शब्द को दो अर्थो में प्रयुक्त किया गया है।

(1) सामान्य :

प्रथमतः सामान्य अर्थ में भूमि का अभिप्राय जमीन से है, चाहे उस पर खेती हो रही हो या इमारत बन रही हो या बंजर जलाच्छादित एवं कब्रिस्तान ही क्यों न हो, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम या अन्य विधियों में भूमि शब्द का प्रयोग इसी सामान्य अर्थ में होता है।

(2) तकनीकी अर्थ में :

तकनीकी अर्थ में भूमि का अभिप्राय ऐसी भूमि से है जो कृषि, बागवानी और पशुपालन के प्रयोजनार्थ उपयोग में लायी जाये, अधिनियम में भूमि के अर्थ को दोनों रूप में प्रयोग किया गया है, सामान्य एवं तकनीकी धारा 109, 143, 144 एवं अध्याय 7 में भूमि का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया गया है, जिसका अर्थ है जमीन चाहे वह कृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग की जाती रही हो या खाली हो इस प्रकार भूमि शब्द का अर्थ व्यापक रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि भूमि का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का जीवन यापन है, चाहे वह किसी भी अर्थ से प्रयोग में लायी जाये।

1– खेती जमीन का प्रयोग :

खेती जमीन से तात्पर्य उस भूमि से भी है जो पशुपालन आदि के प्रयोग में ली जाती है गढ़वाल में मुख्यतः खेती जमीन का प्रयोग सदैव से कृषि के लिए किया गया है और आज भी यहॉ का मुख्य व्यवसाय खेती है किन्तु समय और परिस्थिति बदलने के साथ–साथ यहॉ खेती जमीन का प्रयोग विभिन्न व्यवसाय के लिये किया जा रहा है। इस प्रकार आज खेती जमीन का प्रयोग निम्न रूप में किया जाता है :–

(1) **कृषि हेतु जमीन का प्रयोग :** मुख्य रूप से खेती जमीन का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। कृषक की अपनी भूमि पर भी प्रतिबन्धित होगा यदि वह ऐसी फसल को बोता हो या उसे उत्पादन करता है जो समाज के हित के लिये नुकसानदायक हो, या जिसे सरकार द्वारा प्रतिबन्धित किया गया हो जैसे अफीम, सुलपा, चरस आदि। तब वह दण्ड का भागी होगा। ''बीज डालकर फसल पैदा करना मात्र कृषि नहीं है'' किन्तु खेती जमीन का मुख्य उद्देश्य कृषि करना है।

2– बागवानी :

(1) बागवानी का आशय उस भूखण्ड से है, जिसमें वृक्षारोपण इस प्रकार किया गया है, जिससे कुछ समय अथवा पेड़ों के बड़ा होने पर उसका प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये न किया जा सके। इस प्रकार भूमि पर लगाये गये पेड़ बाग कहलाते हैं, जिन पेड़ों का प्रयोग इमारती लकड़ी आदि के लिये किया जाता है।

(2) दूसरे अर्थ में बाग भूमि वह भूखण्ड है जिस पर जोतदार विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाता है, जिसमें फलदार वृक्ष, फल, साग–सब्जी, आदि पैदा करता है इस तरह से खेती भूमि का प्रयोग बागवानी के लिये भी किया जाता है।

3— पशुपालन :

खेती भूमि का प्रयोग पशुपालन के लिये भी किया जाता है चाहे वह भूमि कृषि योग्य हो या बंजर। पशुपालन में मात्र गाय, भैंस या सूअर ही नहीं बल्कि मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खरगोश आदि सभी सम्मिलित होंगे। इसमें वह भूमि भी सम्मिलित होगी जो चारागाह, निजी जंगल भी हैं, जिन पर कोई भी भू–स्वामी अपना वैध अधिकारी रखता हो।

4— इमारत के लिए :

कोई भी भू–स्वामी अपनी भूमि का प्रयोग इमारत के लिए कर सकता है भले ही वह उस भूमि पर कृषि करता हो। आज हर व्यक्ति भवन बनाकर उस पर विभिन्न उद्योग या व्यवसाय प्रारम्भ कर अपनी आजीविका करता है, किसी भी भवन स्वामी को भवन निर्माण के लिए वैध भूमि की आवश्यकता होती है, और किसी तरह पहले वह उक्त भूमि का स्वामित्व प्राप्त करेगा, तत्पश्चात उसका प्रयोग खेती जमीन पर भवन/इमारत का निर्माण करके उसे किराये पर उठाकर, स्वयं उसका प्रयोग किसी व्यवसाय के लिए करके या किसी उद्योग धन्धे को लगाकर, इसका उक्त रूप से प्रयोग कर सकता है।

5— खान के लिए :

भूमि के भीतरी भाग से खुदाई करके कोयला, लोहा, अभ्रक तथा अन्य खनिजों जिस क्षेत्र या भूखण्ड से निकाली जाती हैं व खान में जो महत्वपूर्ण सम्पादन लिया होती है, वह जमीन के भीतरी हिस्से में की जाती है। खान से तात्पर्य ऐसी खोज और खुदाइयों से है जिसमें खनिज पदार्थो की प्राप्ति का कार्य किया जाता है, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 3 (17) खान को परिभाषित करती है। लेकिन जिस भूमि में खान हो उसका स्वामित्व सरकार का होता है और जोतदार की हैसियत मात्र लेसी की होती है।

(2) खेती जमीन का मालिकाना कैसे मिलता है ? (धारा 171 से 175)

(क) उत्तराधिकारी से :—

विधान मण्डल ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम द्वारा भूमि विधि के क्षेत्र से धर्म को हटाकर बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। जोतदार की मृत्यु पर उसकी भौमिक सम्पदा धारा 171 से 175 में वर्णित उत्तराधिकारियों को जाती है, न कि उसकी वैयक्तिक विधि के उत्तराधिकारियों को। इस प्रकार इस अधिनियम में जमींदारी के साथ–साथ वैयक्तिक विधि का भी उन्मूलन किया गया। भूमि विधि से धर्म तो हट गया किन्तु लिंग भेद बना रहा, तदानुसार यदि कोई जोतदार मरता है, तो उसी भूमि का उत्तराधिकार धारा 171 के प्राविधानों के अनुसार होगा। कोई स्त्री जोतदार मरती है तो उसकी भूमि का न्यायगमन धारा 172 के प्रावधानों के अनुसार होगा। दिनांक 19–9–1997 से भूमिधर के मरने पर यदि उसकी पत्नी जीवित है तो पुत्रों के साथ उसको भी हक मिलेगा लेकिन धारा 174 में वर्णित उत्तराधिकारियों को छोड़कर स्त्री का अधिकार सीमित ही है।

भूस्वामी की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी का नाम दाखिल करने की प्रक्रिया :—

विवादरहित होने की दशा में :—जब किसी भूस्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसका वारिस उसकी मृत्यु की सूचना संबंधित क्षेत्र के पटवारी/लेखपाल को देगा और पटवारी उस तथ्य की सत्यता की संक्षिप्त जांच के उपरान्त अपने विभागीय प्रपत्र (प.क.11) भरकर विवाद रहित होने की दशा में सुपरवाइजर कानूनगो को देगा और उसके आदेश पर मृतक की संपत्ति से मृतक का नाम काटकर उसके वारिस का नाम दर्ज कर देगा।

विवादित होने की दशा में :— यदि पटवारी अथवा लेखपाल या सुपरवाइजर कानूनगो को इस बात की जानकारी होती है कि उक्त मामला विवादग्रस्त है तो वह उस मामले को तहसीलदार को भेज देगा और तहसीलदार मामले से संबंधित उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् अपना निर्णय देगा और यदि कोई पक्ष तहसीलदार के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह उसकी अपील असिस्टेंट कलेक्टर के न्यायालय में तथा इसके विरूद्व कमिश्नर के न्यायालय में कर सकेगा।

(ख) खेती की जमीन के क्रय करने पर मालिकाना :

(धारा 8/54) – खेती जमीन को संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर अधिनियम में बनाये गये नियमों के अनुसार अन्य को सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार विक्रय कर सकता है। विक्रय की परिभाषा ''विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अन्तरण है जो दी जा चुकी हो या

दिये जाने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और अन्य भाग को देने का वचन दिया हो।'' विक्रय या किसी भूमि पर क्रय द्वारा स्वामित्व प्राप्त करने के लिए या स्थावर सम्पत्ति की दशा में या किसी उत्तरभोग या अमूर्त की दशा में अन्तरण केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जा सकता है। जब एक विक्रय विलेख होता है तो सम्पत्ति अन्तरण की धारा 8 सपठित 54 की शर्तो के अधीन साधारण तौर पर विक्रेता का हक अन्य तथ्य के बारे में विचार किये बिना ही विक्रय विलेख की रजिस्ट्रीकरण के क्रेता के पास चला जाता है, इस प्रकार विक्रय रजिस्ट्रीकृत हो जाने के पश्चात् स्वामित्व क्रेता को प्राप्त होगा। किन्तु किसी भी खेती जमीन का विक्रय वैध नहीं होगा, यदि अधिनियम में प्रतिबन्धित भू– भाग का विक्रय किया गया हो या अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा अपनी अन्य जाति के व्यक्तियों को बेची गयी हो। अनुसूचित जाति का व्यक्ति अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ही भूमि का विक्रय कर सकेगा। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी को प्रार्थना–पत्र देने पर जिला अधिकारी उस प्रार्थना–पत्र की सत्यता की जांच संबंधित क्षेत्र के परगना अधिकारी से करायेगा और परगना अधिकारी अपनी जांच आख्या देने में इस बात का पता करेगा कि क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के द्वारा विक्रय की जा रही भूमि को क्रय करने के लिए उसी ग्राम तहसील जिला आदि का व्यक्ति जो कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का क्रय करने के लिए उपलब्ध है या नहीं। यदि उसी अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति क्रय करने को तैयार है तो ऐसे में भी किसी दूसरी जाति के व्यक्ति उक्त भूमि बेचने की अनुमति नहीं दी जायेगी। लेकिन जिलाधिकारी ऐसी अनुमति तभी देगा जब उसके पास 62.5 नाली भूमि हो।

(ग) खेती जमीन को पट्टे पर प्राप्त करना :

सरकार किसी भी व्यक्ति को भूमि किसी भी प्रयोजन हेतु या कृषि प्रयोजन हेतु पट्टे पर दे सकती है किन्तु इस पर प्रतिबन्ध यह है कि उस व्यक्ति के पास कुल भूमि जो पट्टे पर दी जा रही हो, उसको जोड़कर 12 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(घ) खेती जमीन की मालिकाना वसीयत द्वारा :

धारा 169 व ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 एवं लॉ आफ विल्स :– अधिनियम 1950 में जोत न्यायगम के दो ढंग बताये गये हैं।

(1) वसीयत द्वारा धारा 169 व 170

(2) र्विसीयत उत्तराधिकार द्वारा धारा 171–175

पहले प्रकार के उत्तराधिकार को वसीयत उत्तराधिकार और दूसरे प्रकार को निर्वसीयत उत्तराधिकार कहते हैं,

वसीयत भी अनु0 जाति अथवा अनु0 जनजाति का व्यक्ति अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति के व्यक्ति को ही करेगा, अन्य जाति के व्यक्तियों को नहीं करेगा।

(1) 2 (क) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर कोई भी संक्रामक अधिकारों वाला भूमिधर अपने खाते में या किसी भाग की वसीयत कर सकता है। 2(क) में अनु0जाति/अनु0 जनजाति के संक्रामक अधिकार वाले भूमिधर के सम्बन्ध में वसीयत करने के विषय में धारा 157 क, तथा 157 ख के निर्देश लागू होंगे जैसे कि उनके जीवन काल में लागू होते हैं।

(3) उपधारा (1) के निर्देशों के अधीन की जाने वाली प्रत्येक वसीयत किसी विधि आचार या व्यावहकृत प्रथा में किसी बात के रहते हुए भी लिखित और दो साक्षियों द्वारा साक्षीकृत होंगी। किसी भी असंक्राम्य अधिकारों वाले भूमिधर को या आसामी को अपने खाते या उसके भाग की वसीयत किसी वसीयतकर्ता की अपनी सम्पत्ति सम्बन्धी इरादे की विधिक घोषणा है, जिससे वह अपने मरणोपरान्त कार्यान्वित करना चाहता है। वसीयत का आशय किसी सम्पत्ति के ऐसे दान से है जो मरणोपरान्त प्रभावी हो इस अधिकार पर तीन प्रतिबन्ध हैं –

(1) कि बिना पूर्व कलेक्टर की आज्ञा के कोई अनु0 जाति का संलाम्य अधिकार वाला भूमिधर किसी गैर अनु0 जाति के पक्ष में वसीयत नहीं करेगा।

(2) कि अनु0 जाति का भूमिधर किसी गैर अनु0 जाति के पक्ष में वसीयत नहीं कर सकता।

(3) वसीयत लिखित होनी चाहिए साथ ही दो साक्ष्यों द्वारा साक्षीकृत होना चाहिए, अर्थात वसीयत द्वारा मरणोपरान्त वसीयतकर्ता की वसीयत की गई सम्पत्ति का अधिकार जिसके पक्ष में वसीयत की गई हो उसे चले जायेगा, वसीयतकर्ता अपने जीवनकाल में वसीयत सम्पदा का विक्रय, वक्शीस, बन्धक अथवा अन्तरण भी कर सकता है। इसके प्रति वसीयतकर्ता का स्वत्व समाप्त होकर अन्तरण के पश्चात् अन्य का हो जायेगा। वसीयतकर्ता मात्र अपनी सम्पत्ति

की वसीयत कर सकता है। यह बात अलग है कि अपनी सम्पत्ति के साथ अन्य की सम्पत्ति अथवा वह सम्पत्ति जिसमें उसका स्वामित्व न हो जैसे वह सम्पत्ति जो 12 वर्ष से अधिक समय तक दूसरे व्यक्ति के कब्जे में चली गयी हो और वसीयतकर्ता का स्वामित्व समाप्त हो गया हो, और ट्रांसफर विधि में बेदखल किया गया हो अर्थात सीमाबाधित हो गया हो। इन सभी सम्पत्तियों की वह वसीयत कर सकता है किन्तु वसीयतदार उसी सम्पत्ति को पाने का अधिकारी होगा जो उस समय वसीयतकर्ता के स्वामित्व में थी।

(ङ) दान द्वारा खेती जमीन की मालिकाना :

दान के विषय में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 122 के अनुसार खेती जमीन का दान, द्वारा भी मालिकाना प्राप्त किया जाता है। दान किसी वर्तमान जगम या स्थावर सम्पत्ति का वह अन्तरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को, जो अदाता कहलाता है, स्वेच्छाया और प्रतिफल के बिना किया गया हो और अदाता की ओर से प्रतिगृहित किया गया हो, ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में और अदाता की और जब तक वह देने के लिए सक्षम है करना होगा यदि प्रतिग्रहण से पूर्व अदाता मर जाता है तो दान शून्य हो जाता है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 123 एवं 129 मौखिक दान से संबंधित मामलों पर मुस्लिम विधि को अधिक्रान्त नहीं करती है। यह आवश्यक नहीं होता है कि इस प्रकार स0अ0अधि0 की धारा 123 एवं 129 द्वारा यथापेक्षित एक रजिस्ट्रीकृत लिखित होनी चाहिए। यदि लिखित में निष्पादन होता है और इसका निष्पादन दान करने के साथ समयकालीन होता है तो उस मामले में लिखित को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 के अधीन यथापेक्षित अवश्य होना चाहिये, जिस दान में वर्तमान और भावी सम्पत्ति दोनों समाविष्ट हो वह भावी सम्पत्ति के विषय में शून्य है (धारा 124 स0अ0अ0)

(च) भूमि आबंटन द्वारा प्राप्त करना धारा 195 से 198 एवं धारा 122 :

भूमि प्रबन्ध समिति परगना अधिकारी/सहायक कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति लेकर किसी भूमि में, जो धारा 132 में वर्णित भूमि के अलावा हो, किसी व्यक्ति का दाखिला असंक्राम्य अधिकारी वाले भूमिधर के रूप में कर सकती है। यदि ऐसी भूमि 132 में वर्णित है तो आसामी के रूप में कर सकती है किन्तु यह अधिनियम द्वारा विनियमित होगी, किसी अनु0जनजाति के खेतिहर मजदूर को यह भूमि प्रदान की जाती है, परन्तु 3 एकड़ से अधिक भूमि आबंटित नहीं की जा सकेगी एवं अन्य व्यक्तियों को भी यह भूमि आबंटित की जा सकेगी किन्तु एक सीमा से अधिक किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जायेगी। इस श्रेणी में भूतपूर्व सैनिक के परिवार के सदस्य, जो सैनिक सेवाकाल के दौरान मर गया हो, विकलांग सैनिक, हरिजन खेतिहर मजदूर एवं अन्य व्यक्ति जो धारा 195 के अधीन आता हो, ऐसे आबंटन सूची में ऐसे व्यक्तियों के नाम धारा 198 में निर्मारित तारतम्य में रखे जायेंगे तथा धारा 195 या 197 में निर्दिष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति को चाहे, वह असंक्राम्य अधिकार वाला हो या आसामी आबंटित की जायेगी, तथा यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा आबंटित भूमि पर इस अधिनियम का उल्लंघन कर इस भूमि पर काबिज हो वहां सहायक कलेक्टर आबंटी या पट्टेदार के आवेदन पर भूमिधर को कब्जा दिलायेगा और स्वप्रेरणा से ऐसा कब्जा दिया जा सकता है। धारा 122 के अर्न्तगत आवास स्थल के लिए भूमि का आबंटन किया जा सकता है जिस तरह मारा 198 कृषि हेतु भूमि के आबंटन का प्रावधान करती है उसी प्रकार धारा 122 के प्रावधान भी लागू होंगे। यहां पर यह भी लिखना युक्तिसंगत होगा कि कुमाऊ एवं गढ़वाल में ग्राम सभाओं में भूमि धारा 117 में निहित नहीं है।

(छ) चिरकाल से गैरकानूनी काबिज होने पर :

शासन द्वारा 16 फरवरी 1981 को इस संबंध में शासनादेश सं0–150/27/76 (806) –राजस्व–6 दिनांक 16 फरवरी 1981 के द्वारा यह आदेश जारी किया कि जिस व्यक्ति का राज्य की भूमि पर वर्ष 1975 से या इससे पूर्व का कब्जा निर्विवादित रूप से चला आ रहा हो उस भूमि से उसे बेदखल नहीं किया जायेगा बल्कि उसे मुक्त भूमि का पट्टा जारी किया जायेगा। इस प्रकार गैरकानूनी रूप से काबिज व्यक्ति को भूमि पर अधिकार प्राप्त होता है।

खेती जमीन का मुख्य दस्तावेज :

खेती जमीन के मुख्य दस्तावेजों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

(क) अधिकार अभिलेख :

प्रत्येक गॉव के लिए यह एक अधिकारों का अभिलेख होता है। यह धारा 234 के अर्न्तगत निर्मित नियमों द्वारा निर्धारित अपवादों के अधीन होता है, अधिकार अभिलेख एक ऐसा रजिस्टर होता है जो धारा 32 में वर्णित है, भू–राजस्व अधिनियम की धारा 53 के अर्न्तगत अभिलेख अधिकारी द्वारा

तैयार किया जाता है, उपर्युक्त का संशोधन बंदोबस्त अवधि के समय लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है, धारा 33 के अन्तर्गत वार्षिक रजिस्टर होता है।

(ख) गॉव रजिस्टर :

यह रजिस्टर धारा 31 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में तैयार कराया जाता है जिसमें (1) नयी प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र (2) एहतमाली खेती वाले क्षेत्र और (3) जिसकी माल गुजारी पूर्णतः या अंशतः समाप्त कर दी गयी हो वाले क्षेत्र में दर्ज होते हैं।

खेती जमीन के मुख्य दस्तावेज जो लेखपाल द्वारा तैयार किये जाते हैं :

लैण्ड रिकार्डस मैनुअल की धारा 25 के अनुसार 22 विलें हैं, में महत्वपूर्ण अभिलेख।

(1) नक्शा

(2) खसरा

(3) सीमा द्योतक चिन्हों की सूची

(4) खतौनी

(5) दिनचर्या वही

(6) आज्ञापुस्तक

(7) खेवट

(8) किसानबही

1— **नक्शा** : प्रत्येक गॉव का एक नक्शा होता है, इस नक्शे पर गॉव की चौहद्दी दर्ज रहती है, गॉव के साथ–साथ प्रत्येक खेत की चौहद्दी का पता इससे लगता है, नक्शा मोमी कागज, कपड़ा लगे कागज या ऑचल क्लाथ पर बनाया जाता है लेखपाल प्रत्येक गॉव के प्रत्येक खेत में खुद जाकर तीन बार निरीक्षण करेगा। लेखपाल के इस दौरे को राजस्व भाषा में पड़ताल कहते है। पहली खरीफ पड़ताल, दूसरी रवि पड़ताल और तीसरी जायद पड़ताल कहते हैं। प्रत्येक पड़ताल पर लेखपाल नक्शे का मिलान खेत से करेगा, सभी परिवर्तन लाल स्याही से दर्शित होंगे। भूमि का यह महत्वपूर्ण अभिलेख है यदि इसमें भूल या गलती हुई तो सभी अभिलेखों में गलती होगी लेकिन पड़ताल बंद कर दी गई है।

2— **खसरा :** खसरे में नक्शे में दिये गये खेतों का विस्तारपूर्वक विवरण होता है, यह प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है, इसमें 22 खानें होते हैं कृषि आंकड़े एवं खतौनी के लिए जितनी तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है वे सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखित होती है इस रजिस्टर में निम्न सूचनायें अंकित होती हैं।

(1) भूखण्ड का नम्बर (2) भूखण्ड (खेतों का रकबा) (3) जोतदार का नाम आदि।

3— **सीमा द्योतक चिन्हों की सूची :** इस अभिलेख से सीमा और बन्दोबस्त चिन्हों का विवरण होता है, यह कागजात किसी विवादग्रस्त भूमि या सीमा–विवाद को निपटाने में पर्याप्त मदद करता है यह अभिलेख खसरे के साथ ही नत्थी रहता है।

4— **खतौनी :**

यह शब्द उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम में कहीं भी अंकित नहीं है, किन्तु अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर ही खतौनी के नाम से जाना जाता है।

इसमें केवल 13 खाने होते हैं, जोतदार का पूर्ण विवरण कब्जे की अवधि, मालगुजारी का विवरण विशेषतया होता है आम कागजात में नहीं। जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन हो जाये, तो इस रजिस्टर में दाखिल खारिज प्रक्रिया से कब्जे के अनुसार कलेक्टर या जैसा यहॉ विदित हो तहसीलदार या कानूनगो के बिना कोई परिवर्तन के व्यवहार इसमें उल्लिखित नहीं किया जायेगा, किन्तु लैण्ड रिकार्डस मैनुअल के पैरा क–153 के अन्तर्गत लेखपाल अपने आप दो मामलों में परिवर्तन कर सकता है। (1) खेतों का **विवरण/विभाजन** के सम्बन्ध में (2) अवयस्क के मामलों में अभिभावक का नाम एवं अवयस्क की उम्र खाना दो में जब वह 18 वर्ष से कम है।

5— **दिनचर्या बही :** इसमें लेखपाल के प्रतिदिन के कार्यो/कर्तव्यों का वर्णन होता है, इसमें 60 पृष्ठ होंगे। एक वर्ष के लिए यह डायरी होगी, जो एक अगस्त से 31 जुलाई तक के लिए होगी। रजिस्टर कानूनगो के यहॉ जमा कर दिया जायेगा, पैरा 49 की घटनायें लिखी जानी आवश्यक होगी।

6— आज्ञा पुस्तक : यह एक पुस्तिका है जिसे लेखपाल सदैव अपने पास रखेगा, जिसमें कानूनगो द्वारा दिये गये सभी आदेशों एवं कार्य करने के संबंध में हिदायत लिखी होंगी।

7— खेवट : खेवट जमींदारी प्रथा के समय रखा जाता था किन्तु 1950 के पश्चात इसे बन्द कर दिया गया है, जब कोई जमींदार मर जाता था या सम्पत्ति का अन्तरण कर देता था तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया उसी प्रकार होती थी जैसा अब खतौनी से की जाती है।

8— किसानबही : किसानबही पटवारी/लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेजी पुस्तक है जो कि किसान के पास रहती है और वह तैयार कर्ताओं द्वारा मात्र 10 रू0 शुल्क दिये जाने पर किसान को उपलब्ध की जाती है। किसानबही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा व हक संबंधी विवरण होता है जिससे कि किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। इस पुस्तक में उसके भूमि के खण्डों का नम्बर भी अंकित होता है जिससे कि किसान अपनी भूमि की पहचान करता है।

खेती जमीन में खसरा और खतौनी का महत्व

किसी भी भू–स्वामी को जिसे अपनी भूमि का अधिकार प्राप्त है, यदि उसे स्वामित्व साबित करना है वह चाहे सरकार के समक्ष हो या किसी अन्य के समक्ष इसमें खसरा तथा खतौनी का विशेष महत्व होता है, जो निम्न प्रकार से है –

1— खसरे का महत्व :

खसरे में भूमिधर की भूमि का पूर्ण विवरण होता है, कृषि आंकड़े एवं खतौनी के लिए जितने तथ्यों की आवश्यकता होती है वे सभी खसरे से प्राप्त की जाती है, भले ही खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं है किन्तु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है और समस्त कृषि सम्बन्धी आंकड़ों का श्रोत है, इसमें कृषि सम्बन्धी सभी तथ्य दर्ज होते हैं, लैण्ड रिकार्डस मैनुअल का पैरा क–55 खसरा और चित्र अनुरक्षित करने के लिए लेखपाल के कुछ कर्तव्यों को नियमित करता है। भले ही आज इसका अनुपालन नाममात्र का या नहीं होता हो, खसरे से किस खेत में किसका कब्जा है उनकी मेड़ों में हुए परिवर्तन का ज्ञान होता है, इस प्रकार खेती से सम्बन्धित समस्त जानकारी खसरे से ज्ञात होती जाती है।

2— खतौनी का महत्व :

खतौनी में जोतदारों का पूर्ण वर्णन होता है, कि वे किस हैसियत से भूमि को धारण किये हैं, दाखिल खारिज में स्वामित्व प्राप्ति का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, पुरानी खतौनी से नई खतौनी तैयार की जाती है, परिवर्तन लाल स्याही से अंकित होगा जिससे ज्ञात रहे कि यह परिवर्तन हो चुका है यदि जोतदार कोई स्त्री है और उसे भूमि उत्तराधिकार से प्राप्त है तो स्त्री जोतदार के पश्चात उत्तराधिकारी का नाम लिखा होगा, इससे खेतों का विभाजन एवं एकत्रीकरण का विवरण अंकित होता है। अवयस्क का विवरण मिल जाता है, और सबसे महत्व न्यायालय की सन्तुष्टि खतौनी से की जाती है कि जोतदार उक्त भूमि का स्वामी है। ज0उ0 एवं भू0वय0अमि0 213–226 तक।

खेती जमीन पर लगान अदायगी

जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के लागू होने तथा जमींदारी प्रथा समाप्त होने के पश्चात जोतदार का सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हुआ, अधिनियम का अध्याय 10 भू–राजस्व का निर्धारण तथा उसकी वसूली सम्बन्धी नियम बनाता है, अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व भू–राजस्व निर्धारण तथा वसूली उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम 1901 के द्वारा प्रकासित होती थी, 1950 के अधिनियम के अनुसार उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम के अध्याय 5–8 तक धारा 58–188 तक तथा बीच की भी कुछ धारायें निरस्त की गयी, इस प्रकार भू–राजस्व का निर्धारण एवं वसूली उ0प्र0 ज0उ0 एवं भू0 सुधार अधि0 1950 की धारा 241–294 के अनुसार प्रकासित होती है।

मालगुजारी एक टैक्स है जो भूमि पर उसकी उपज पर लगाया जाता है और यह कर सरकार को इसलिए देय है कि वह सब भूमि का अधिपति है, उपज के बदले यह मालगुजारी नगदी में निर्धारित की गयी है, यह मालगुजारी लगभग दो शताब्दियों तक अपरिवर्तित रही, जमींदार जो भूमिकर जोतदारों से वसूल करते हैं उसको लगान कहा गया और सरकार को देय था वह मालगुजारी होती है, इस तरह देयकर दो भागों में बॉटा गया लगान और मालगुजारी।

लगान और भूराजस्व : लगान तथा भू–राजस्व सिद्वान्त एक ही है, क्योंकि दोनों ही कब्जे के कारण देय होती है, किन्तु व्यवहार में दोनों में निम्न अन्तर है।

(1) भू–राजस्व सरकार द्वारा लगाया गया कर है, जो किसी अधिनियम में बनाये गये नियमानुसार लगाया जाता है।

(2) किन्तु लगान संविदानुसार लगाया जाता है भूमिधर सरकार को भू–राजस्व देते हैं जबकि आसामी अपने असल काश्तकार को या गॉव सभा को लगान देता है।

(3) लगान संविदा की वस्तु है यह पक्षकारों के करार से परिवर्तित की जा सकती है भूराजस्व सरकार द्वारा।

भू–राजस्व देने का दायित्व (धारा 243) ''किसी जोत में सभी भूमिधर संयुक्त रूप से और पृथक रूप से तत्समय निर्धारित भू–राजस्व की अदायगी के लिये राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार होंगे'' भू–राजस्व का यह जिम्मेदारी न केवल भूमिधर पर है बल्कि उन सब पर है जो भूमिधर के स्वत्व को उत्तराधिकार, क्रय दान आदि से प्राप्त करते हैं ऐसे व्यक्ति देय भूराजस्व के बकाये के लिए जिम्मेवार होंगे।

धारा 241 : के अनुसार किसी जोत का निश्चित किया भू–राजस्व उस पर सर्वप्रथम वरीयत भार होगा उसे जोत की फसलों आदि जो पोत पर हो तथा उससे होने वाली आय चाहे वह लगान के रूप में हो अथवा सम्पत्ति के प्रयोग के लाभ, उस पर भू–राजस्व वसूल किया जा सकता है।

भू–राजस्व की वसूली : भू–राजस्व की वसूली का दायित्व राज्य सरकार पर है, राज्य सरकार जैसे उचित समझे वसूली का प्रबन्ध कर सकती है, जिले की भू–राजस्व वसूली का दायित्व जिला कलेक्टर पर है जिले की प्रत्येक तहसील का तहसीलदार अपनी तहसील की भू–राजस्व की वसूली की जिम्मेवार होता है, वसूली प्रत्येक तहसील में नियुक्ति अमीन द्वारा की जाती है, इन अमीनों का पर्यवेक्षण नायब तहसीलदार या तहसील द्वारा की जाती है, इन अमीनों का पर्यवेक्षण नायब तहसीलदार या तहसील द्वारा होती है, अमीन प्रत्येक भूमिधर के यहॉ जाकर भू–राजस्व की वसूली करेगा। प्राप्त रकम की वसूली के बदले रसीद देगा, जिस पर विस्तृत विवरण होगा, जोतदार अपना भू–राजस्व तहसील में जाकर भी जमा कर सकता है। वसूली जमाबन्दी रजिस्टर में दर्ज होगी, बकाया भू–राजस्व की वसूली धारा 279 के अधीन होगी। इसमें वसूली के सात तरीके हैं मॉग–पत्र, गिरफ्तारी, कुर्की, विक्रय और रिसीवर की नियुक्ति आदि द्वारा की जा सकती है।

खेती जमीन के लिये कर्ज कैसे प्राप्त होता है

किसी भी जोतदार को या भूमिधर को अपनी जोत या भूमि को विकसित करने के लिये यदि पर्याप्त धन उपलब्ध न हो तो वह उसके विकास के लिये विभिन्न तरीके से कर्ज ले सकता है जैसे :–

1– बैंक द्वारा : भूमिधर को सर्वप्रथम ऋण लेने की सरकार की व्यवस्था बैंक द्वारा की गई भूमिधर बैंक से सीधा कर्ज प्राप्त कर सकता है इसके लिए भूमिधर को बैंक में आवेदन करना पड़ता है, जिसके लिए भूमिधर को अपने भूस्वामित्व का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा और यह पटवारी द्वारा दिया जाता है। यदि कोई भूमिधर पेंशनर है उसे अपनी आय/पेंशन का प्रमाण–पत्र बैंक में जमा करना होगा, बैंक द्वारा तत्सम्बन्धी सभी कागजातों का निरिक्षण करने व सन्तुष्टि के पश्चात बैंक एक निश्चित सीमा तक ही ऋण देगा या फिर भूमिधर की हैसियत के अनुसार ऋण प्रदान करेगा, जिस पर बैंक एक निश्चित दर पर ब्याज लेगा और बैंक को ऋण वापसी की अदायगी किस्तों में करनी होगी, जिस तरह किस्तें जमा की जायेगी उसी तरह ऋण पर ब्याज भी घटता रहेगा। कभी–कभी भूमि ऋण अधिक मात्रा में लेना होता है तो इसके लिए दो जमानती आवश्यक हैं, उन्हे अपनी सम्पदा का पूर्व विवरण बैंक को देना होता है जिससे ऋण मूल, कर्जदार द्वारा न दिया गया तो जमानती उसके जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, बैंक यह शर्ते उसी समय तय कर देता है जब ऋण दिया जाना होता है बैंकों में इसके लिए भूमि विकास बैंक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

2– अन्य रूप में : आज भी भूमि बंधक रखकर या किराये पर देकर ऋण प्राप्त किया जाता है किसी भूमि को निश्चित समय के लिए बंधक रखा जा सकता है जिस पर बंधककर्त्ता ऋण प्राप्त करता है। सम्पत्ति अन्तरण की धारा 58 द्वारा बन्मक को परिभाषित किया गया है, बन्ध विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति में से किसी हित का वह अन्तरण है जो उधार के तौर पर दिये गये या दिये जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या बाकी ऋण के संदाय को या ऐसे वचन बंध का पालन जिससे धन सम्बन्मी दायित्व पैदा होता है प्रतिभूति करने के प्रयोजन से किया जाता है।

यह ऋण लेने की पौराणिक प्रथा है इसमें बंधक विलेख तैयार किया जाता है जिसमें किसी सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण (धन के रूप में) प्राप्त किया जाता है। जिसकी निश्चित शर्ते होती हैं और उन शर्तो में समयावधि महत्वपूर्ण स्थान रखती है जिसे बैंक के ऋण को लौटाने हेतु बैंक उसकी चल व अचल सम्पत्ति की कुर्की करके अपने धन को वसूल कर सकता है किन्तु बन्धक में ऐसा नहीं होता है, उसमें उसी स्थावर सम्पत्ति की कुर्की या विक्रय किया जा सकता है जो बंधक रखी गयी हो।

खेती जमीन को कब बेचा जा सकता है

भूमि का विक्रय स्वामित्व का स्वतंत्र अधिकार है भूमि के विक्रय के सम्बन्म में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 परिभाषित करती है ''विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अन्तरण है'' किन्तु भूमि को कब बेचा जा सकता है इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध स्पष्ट नहीं है। भूमि/सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम एवं ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 द्वारा भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में प्रतिबन्धों का विस्तृत विवरण दिया गया है। किसी भूमि का विक्रय सामाजिक परिस्थिति एवं व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। कुछ अपवादों को छोड़कर भूमि का विक्रय आवश्यकता की पूर्ति के लिये किया जाना सम्भावित है। भूमि का विक्रय निम्न रूप में किया जा सकता है :-

1– **न्यायालय के आदेश पर :** जब किसी भूमिधर के विरूद्व डिक्री पारित की जाय तो उसके लिये यह आवश्यक होगा कि उक्त डिक्री के निष्पादन हेतु भूमि का विक्रय करेगा और प्राप्त धन की अदायगी उस भूमि के विक्रय से होगी यह विक्रय आवश्यक विक्रय है, इसके विरूद्व भूमिधर कोई भी बचाव नहीं ले सकता है और विक्रय आवश्यक होगा।

2– **धन की प्राप्ति हेतु :** जब किसी भू–स्वामी को धन की आवश्यकता हो तो स्वामित्व प्राप्त भूमिधर अपनी भूमि का विक्रय रके अपनी आवश्यकता की पूर्तिकर सकता है किन्तु किसी भी भू–स्वामी को विक्रय अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन करना होता है।

3– **भवन निर्माण हेतु :** भवन निर्माण हेतु भूमि का विक्रय आवश्यक नहीं है किन्तु यह सामाजिक तौर पर किया जाने वाला विक्रय होगा, जो व्यक्ति (क्रेता) की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है किन्तु विक्रय भू–स्वामी की इच्छा पर निर्भर करता है, और यह विक्रय एक संविदा के अर्न्तगत होता है, जहां किसी व्यक्ति को भवन की आवश्यकता हो और भूमि प्राप्त न हो तो वह विक्रेता से भूमि का क्रय कर सकता है।

4– **ऋण की अदायगी के लिए :** ऋण की अदायगी के लिए किया गया विक्रय विधिक विक्रय होगा यह चाहे किसी भी रूप में किया जाये किन्तु विक्रय द्वारा प्राप्त धन से भू–स्वामी ऋण की अदायगी कर सकता है। इसमें बंधक, कुर्की आदि सम्मिलित है, भूमि ऋण किसी वित्तीय संस्था का हो तो विक्रय विधिक रूप में किया जा सकता है और यदि ऋण अन्यथा हो तो भू–स्वामी ऋण के स्थान पर भूमि का विक्रय ऋणदाता को कर सकेगा।

5– **सामाजिक संस्था की स्थापना के लिए :** जहां किसी सामाजिक संस्था की स्थापना की जा रही हो वहां भूस्वामी चाहे तो अपनी भूमि का विक्रय कर सकता है, जैसे स्कूल, अस्पताल आदि के लिए किया गया हो।

6– **उद्योग धन्धों के प्रयोजनार्थ :** जहां किसी उद्योग धन्धे की स्थापना की जा रही हो और भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर अपनी भूमि को उक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए बेच सकता है, और भूमि के स्वामी को इसके लिए प्रतिफल के रूप में धन की अदायगी आवश्यक नहीं होगी वह चाहे तो उक्त भूमि के बदले में उद्योग में अपना अंश स्वामित्व के रूप में भी ले सकता है किन्तु यह एक करार के अन्तर्गत होगा।

अन्ततः भूमि का विक्रय भू–स्वामी पर निर्भर रहता है कि वह कब और क्यों अपनी भूमि का विक्रय करेगा। किसी भी भू–स्वामी को भूमि के विक्रय करने पर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्रतिबन्ध लागू रहेंगे।

धारा 174 के अनुसार उत्तराधिकार का क्रम :

पुत्र–पति–पुत्री–नवासार पुत्री का पुत्र–पिता–माता–भाई–भतीजा–(भाई का पुत्र) बहन–बहन का पुत्र।

खेती जमीन की वसीयत की जा सकती है :

किसी भी सम्पदा की वसीयत करने से पहले यह जानना होगा कि वसीयत है क्या वसीयत का आशय है (वसीयत किसी वसीयतकर्ता की अपनी सम्पत्ति के इरादे की विधिक घोषणा है जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात कार्यान्वित करना चाहता है याने वसीयत किसी भी किस्म की सम्पत्ति का व्ययन करने का ढंग है) याने वसीयत का आशय सम्पत्ति के ऐसे परिदान से है जो मरणोपरान्त प्रभावी हो मानो एक व्यक्ति मरणोपरान्त अमुख व्यक्ति को सम्पत्ति दे दी जाये।

वसीयत कौन कर सकता है :

खेती जमीन का स्वामी अपनी सम्पत्ति व खेती जमीन की वसीयत कर सकता है उसे संक्रमणी अधिकारी वाला भूमिधर होना चाहिए याने जब किसी व्यक्ति को भूमि का सक्रमणीय अधिकार होगा तभी वह वसीयत कर सकता है।

कोई व्यक्ति कितनी भी वसीयत लिख सकता है किन्तु अन्तिम वसीयत ही प्रभावी होगी। अनु0जाति, अनु0 जनजाति का व्यक्ति अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति से भिन्न जाति के व्यक्ति को वसीयत नहीं कर पायेगा। वह अपनी जाति के व्यक्ति को वसीयत कर पायेगा। वसीयत किये जाने में किसी विशेष कानूनी प्रक्रिया का अपनाया जाना आवश्यक नहीं है, यह पंजीकृत अथवा साधारण दोनों प्रकार की हो सकती है कि किन्तु इसमें कम से कम दो गवाहों का होना आवश्यक है।

वसीयत करने का हक :

किसी भी सम्पत्ति का मालिक अपनी सम्पत्ति की वसीयत कर सकता है इसमें प्रतिबंध यह है कि वसीयत वसीयतकर्ता द्वारा स्वेच्छा से लिखी जानी चाहिए। वह स्वच्छ चित्त होना चाहिए (याने उसके द्वारा वसीयत दबाव या पागलपन में न लिखा होना चाहिए)

वसीयत करने का ढंग :

धारा 169 की उपधारा (3) स्पष्ट शब्दों में वर्णन करती है कि ''वसीयत लिखित होनी चाहिए और दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत होनी चाहिए। वसीयत का रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है, वसीयत रजिस्ट्रीकृत होने से उसे साबित किये जाने में आसानी होती है।

प्रतिबन्ध :

1– यह कि कलेक्टर की आज्ञा बिना कोई अनु0जाति का भूमिधर किसी गैर अनु0जाति के पक्ष में वसीयत नहीं करेगा।

2– अनुसूचित आदिम जाति का संलाम्य अधिकार वाले भूमिधर गैर अनु0जाति आदिम वाले व्यक्तियों के पक्ष में भूमि की
वसीयत नहीं कर सकता।

3– वसीयत लिखित और दो साक्षियों के समक्ष साक्षीकृत होनी चाहिए।

वसीयत सम्पदा : वसीयत की जाने वाली सम्पदा चल या अचल दोनों प्रकार की हो सकती है। वसीयतकर्ता किसी भी सम्पत्ति की वसीयत कर सकता है, जैसे अपने नाम की वह सम्पत्ति, जो 12 वर्ष से अधिक समय तक दूसरे व्यक्ति के गासिवाना कब्जे में चली आ रही हो और वसीयतकर्ता का स्वामित्व ही समाप्त हो गया हो।

राजस्व न्यायालयों के अधिकार और कर्तव्य

उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम 1901 अपने में एक महत्वपूर्ण संहिता है, भूमि विधि से सम्बन्धित वाद प्रार्थना–पत्र और मुकदमों में इसी विधि में दी गयी व्यवहार प्रक्रिया काम में लायी जाती है, न कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया, भले ही दोनों अधिनियम अपने आप में पूर्ण संहिता है

परन्तु राजस्व अधिनियम दीवानी प्रक्रिया संहिता से भिन्न है, अतएव जब तक स्पष्टतया वर्णित न हो, राजस्व न्यायालय एवं राजस्व अधिकारी के सम्मुख दीवानी प्रक्रिया संहिता की प्रक्रियाएं लागू नहीं होंगी, यहॉ राजस्व न्यायालय एवं राजस्व अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है।

राजस्व अधिकारी :

राजस्व विभाग के पूर्ण क्षेत्र में राजस्व बोर्ड के सदस्य मण्डलायुक्त, कलैक्टर, सहायक कलैक्टर तहसीलदार तथा सहायक तहसीलदार राजस्व अधिकारी की श्रेणी में रखे गये हैं। उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 274 में प्राप्त शक्ति के अनुसार राज्य सरकार व राजस्व बोर्ड के नियमों में विस्तृत विवरण किया गया है। राजस्व अधिकारियों के लिए भूलेख नियमावली में नियम उपलब्ध हैं। इस प्रकार राजस्व अधिकारी अपने कार्य राजस्व नियमावली भूलेख नियमावली अथवा उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 एवं उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम 1901 के अन्तर्गत हो तो उस समय वे राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, इस प्रकार सामान्य रूप में निम्न कार्य राजस्व अधिकार के हैं।

(1) अधीनस्थ अधिकारियों एवं विभाग द्वारा बनाये गये अभिलेखों का निरिक्षण।
(2) उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 190 के अनुसार भूमि का निरीक्षण।
(3) सम्पत्ति का परिमाप करना।
(4) लिपिकीय अशुद्दि को शुद्व करना।
(5) गॉव सभा तथा स्थानीय निकायों में निहित भूसम्पत्ति का निर्देशन करना।

राजस्व न्यायालयः

यद्यपि सामान्य रूप में विवादों का निर्णय देने का अधिकार सिविल न्यायालय का है, दोनों अधिनियमों 1950 एवंभू0रा0अ0 1901 में बहुत से मामलों के निपटारे और उसके विरूद्व अपील का प्रावधान राजस्व न्यायालय को दिया है। सिविल न्यायालय की प्रक्रिया काफी खर्चीली और अधिक समय लेती है, जबकि राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक होती है। इसीलिए दोनों अधिनियम राजस्व के वादों में राजस्व न्यायालयों को एकांकी क्षेत्राधिकर प्रदान करती हैं।

1– **राजस्व न्यायालय लगाने का स्थान :** धारा 189 के अनुसार कमीश्नर अपनी कमीश्नरी में किसी भी स्थान पर न्यायालय लगा सकता है, यदि वह एक से अधिक कमीश्नरी के लिए नियुक्त है तो वह अपने किसी भी स्थान में न्यायालय लगा सकता है, और मामले की सुनवाई कर सकता है, अपने जिले, तहसील के अन्दर किसी भी स्थान में न्यायालय लगा सकते हैं, तहसीलदार का कर्तव्य होगा कि वह अपने जिले की उस तहसील के सिवाय (जहां नियुक्त हैं) अन्य तहसील पर न्यायालय नहीं लगा सकता है। जबकि सहायक कलेक्टर अपना न्यायालय जिले के किसी भी स्थान पर लगा सकता है, नायब तहसीलदार को तहसीलदार की कुछ शक्तियां दी गयी हैं परन्तु वह अपना न्यायालय अपनी तहसील के मुख्यालय पर ही लगायेगा, रेवन्यु बोर्ड अपने प्रदेश के किसी भी जिले में अपना न्यायालय लगा सकता है, धारा 189 राजस्व न्यायालय को शक्ति प्रदान करती है कि वह जब अपने दौरे पर न्यायालय लगा रहे हो तो सब उसका कर्तव्य होगा कि वह एक तरफा फैसला नहीं करना चाहिए। जब पक्षकार एवं गवाहों को खेमे में बुलाया जाये तो उस स्थान एवं दिनॉक का सम्मन में स्पष्टीकरण देना आवश्यक होगा।

2– **भूमि में प्रवेश और पैमाइश करने की शक्ति :** कलेक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी तथा उसके अधीनस्थ अधिकारी भूमि में प्रवेश कर सकते हैं पैमाइश सीमा का निर्धारण और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्य के निर्वाह के सम्बन्धित प्रयोजनार्थ सभी आवश्यक कार्य कर सकते हैं।

3– **मुकदमों का अन्तरण :** रेवन्यू बोर्ड या कमिश्नर भू–राजस्व अधिनियम के अधीन अवमुक्त होने वाले किसी वांद या कार्यवाही को, जिसके अन्तर्गत विभाजन सम्बन्धी वाद भी सम्मिलित हैं किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी से किसी अन्य न्यायालय अधिकारी को जो सक्षम हो अन्तरित कर सकता है, या वर्ग में श्रेष्ठ राजस्व न्यायालय अधीनस्थ उक्त वादों को ले सकता है और स्वयं निपटारा करा सकता है।

4– **मुकदमों का एकीकरण :** जहां एक से अधिक मुकदमों के लिए सारतः एक ही प्रश्न हो और उसी वाद हेतु पर आधारित हो और वे एक या अधिक न्यायालयों में विचारधीन हो तो किसी

पक्षकार द्वारा इस न्यायालय के ऊपर वाले किसी न्यायालय में प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर एक न्यायालय में इकट्ठे कर दिये जायेंगे और वे केवल एक निर्णय द्वारा विनिश्चित किये जा सकते हैं। एकीकरण वाला प्रार्थना–पत्र ऊपर वाले न्यायालय में सीधे दिये जा सकते हैं मुकदमों को एकीकृत करने का उद्देश्य यह है कि न्यायालय का समय बचे और पक्षकारों को अधिक असुविधा न हो।

5– **साक्ष्य देने और कागजात पेश करने के लिये व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति :** कोई न्यायालय कागजात पेश करने और साक्ष्य देने के लिऐ किसी व्यक्ति को बुला सकता है परन्तु जो व्यक्ति दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 132 और 133 के अन्तर्गत दीवानी न्यायालय में हाजिर होने से मुक्त है वे यहॉ भी निजी हाजिरी से मुक्त रहेंगे। जहॉ ऐसा व्यक्ति जो साक्ष्य एवं कागजात पेश करने के लिये बुलाया गया हो और वह सम्मन का पालन न करे तो उसे गैर जमानती या जमानती आदेश से गिरफ्तार कर बुलाया जा सकता है तथा उसकी सम्पत्ति कुर्क की जा सकती है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है।

एकतरफा डिक्री : (धारा 200–201) जब कभी कोई पक्षकार सम्मन में वर्णित तिथि पर उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय को अधिकार है कि वह मुकदमे को खारिज कर दें या एकतरफा फैसला दे दें। वादी के उपस्थित न होने में वाद खारिज किया जायेगा और प्रतिवादी के उपस्थित न होने पर वादी के पक्ष में डिक्री की जायेगी किन्तु जब न्यायालय खेमे में या दौरे पर हो तो ऐसा नहीं किया जा सकता है जब तक कि पक्षकारों को समय एवं स्थान पहले से सूचित न किया गया हो किन्तु ऐसे आदेश के विरूद्व प्रतिस्थापन हेतु प्रतिवादी को 15 दिन का समय दिया जाता है और यह समय आदेश के दिन से प्रारम्भ होगा।

आदेश में गलती या चूक को ठीक करने की शक्ति (धारा 202) :

गलती या चूक जो मुकदमें में किसी सारवान भाग को प्रभावित नहीं करती, ऐसे आदेश से 90 दिनों के अन्दर ठीक की जा सकती है इससे न्यायालय द्वारा अपने आप या प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर ठीक किये जा सकते हैं।

पंच निर्णय के लिये विवादों को निर्देशित करने की शक्ति (धारा 203–207) :

तहसीलदार को छोड़कर प्रत्येक राजस्व न्यायालय को विवादों को पंच निर्णय को निर्देशित करने का अधिकार है पक्षकारों की सहमति से विवादों को पंच निर्णय के लिये ले सकते हैं। तहसीलदार जो द्वितीय श्रेणी के सहायक कलेक्टर होते हैं कोई भी विवाद पंच निर्णय को नहीं भेज सकते हैं यदि ऐसा होता है, तो यह प्रक्रिया शून्य मानी जायेगी। पंच निर्णय के लिये विवादों को निर्देशित करने की शक्ति केवल उन विवादों में है जो उ0प्र0 भू–राजस्व अधि0 1950 में उठते हैं राजस्व न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग वाद की किसी अवस्था में यहां तक कि द्वितीय अपील में भी कर सकता है।

अपीलीय न्यायालय :

(1) अभिलेख अधिकारी
(2) कलेक्टर
(3) कमिश्नर

1– **अभिलेख अधिकारी :** सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील अभिलेख अधिकारी के यहॉ होगी, और अभिलेख अधिकारी के आदेश या फैसले के विरूद्व अपील नहीं होगी, केवल धारा 219 के अन्तर्गत रेवन्यू बोर्ड को पुनरीक्षण याचिका की जा सकती है।

2– **कलेक्टर :** सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी और सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपील कमिश्नर के यहां होगी।

3– **कमिश्नर :** कलेक्टर सहायक द्वितीय श्रेणी या तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अपील कलेक्टर के यहां होगी और फिर दूसरी अपील कमिश्नर के यहां होगी। धारा 224 के अन्तर्गत आदेश के विरूद्व तहसीलदार एवं सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की शक्ति से दिये गये फैसले के विरूद्व अपील कमिश्नर के यहां की जाती है।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया
हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1 उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2 पषुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3 वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4 उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5 सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6 महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7 वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8 भ्रश्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9 मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10 मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11 मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12 भरण–पोशण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13 उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14 झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15 किषोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निशेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16 मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17 बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18 नषीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19 उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20 मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21 प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22 दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24 हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25 बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26 उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27 राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)

32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस षिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिश्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 षिक्षा का अधिकार– निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 कानून की जानकारी आखिर क्यों?

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,

11. वरिष्ठ नागरिक।

12. HIV/एड्स से सवंमित व्यक्ति।

नोटः— क्रम संख्या 1, 7, 9, 10, 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :—

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य सचिव — माननीय कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

प्रश्न : बाल विवाह क्या है ?

उत्तर :

- बाल विवाह वह है जिसमें लड़के या लड़की की कम उम्र में षादी की जाती है। यह प्रथा पुराने जमाने से हमारे देष में चली आ रही है। बच्चा एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी 18 साल का नहीं हुआ है।
- एक ऐसी लड़की का विवाह जो 18 साल से कम की है या ऐसे लड़के का विवाह जो 21 साल से कम का है बाल विवाह कहलाएगा और इसे बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

प्रश्न : बाल विवाह के लिए दोशी कौन–कौन है ?

उत्तर :

- 18 साल से अधिक लेकिन 21 साल से कम उम्र का बालक जो विवाह करता है।
- जिस बालक या बालिका का विवाह हो, उसके माता–पिता संरक्षक अथवा वे व्यक्ति जिनकी देखरेख में बालक–बालिका है।
- वह व्यक्ति जो बाल–विवाह को सम्पन्न, संचालित करे अथवा दुश्प्रेरित करे। जैसे बाल विवाह कराने वाला पंडित आदि।
- वह व्यक्ति जो बाल–विवाह कराने में षामिल हो, या ऐसे विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करे, निर्देष दे या बाल–विवाह को रोकने में असफल रहे अथवा उसमे सम्मिलित हो। जैसे बाल विवाह में षामिल बाराती, रिष्तेदार आदि।
- वह व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट के विवाह निशेध संबंधी आदेष की अवहेलना करे।

प्रश्न : बाल–विवाह के लिए क्या दंड है ?

उत्तर :

- बाल–विवाह के आरोपियों को दो साल तक का कठोर कारावास (ऐसी जेल जहां मेहनत के काम कराये जाते हैं) या एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ हो सकते हैं।
- बाल–विवाह कराने वाले (माता–पिता, रिष्तेदार, विवाह कराने वाला पंडित, काजी आदि) भी हो सकता है जिसको तीन महीने तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

प्रश्न : क्या बाल विवाह के अपराध में किसी महिला को भी दंड मिल सकता है ?

उत्तर :

- बाल–विवाह कानून के तहत किसी महिला को कारावास की सजा नहीं दी जा सकती। माता, पालक को भी इस जुर्म में कैद नहीं किया जा सकता, केवल जुर्माना भरना पड़ेगा।
- इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर–जमानती हैं।

प्रश्न : अधिनियम के अनुसार पीड़ित कौन है ?

उत्तर : बालक या बालिका जिसका विवाह हुआ हो और चाहे इसमें उसकी सहमति हो या न हो।

प्रश्न : बाल–विवाह की षिकायत कैसे होगी ?

उत्तर : जिस व्यक्ति का बाल–विवाह करवाया जा रहा हो, उसका कोई रिष्तेदार, दोस्त या जानकार बाल–विवाह के बारे में थाने जाकर पूरी जानकारी दे सकता है। इस पर पुलिस पूछताछ करके मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजेगी। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस चलेगा और बाल विवाह साबित होने पर अपराधी व्यक्तियों को सजा दी जाएगी।

प्रश्न : बाल–विवाह निशेध अधिकारी कौन है ?

उत्तर :

- इस कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी।
- अक्षय तृतीया जैसे सामूहिक बाल–विवाहों के अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट के पास बाल–विवाह निशेध अधिकारी की षक्तियां होंगी।
- आवष्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके बाल–विवाह निशेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की षक्तियां दी जायेंगी।
- बाल–विवाह निशेध कानून का पालन करने के उद्देष्य से उठाये गये किसी कदम के लिए बाल–विवाह निशेध अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।

प्रश्न : बाल–विवाह निशेध अधिकारी के कर्तव्य क्या हैं ?

उत्तर :

- उचित कार्यवाही से बाल–विवाह रोकना।
- कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण के लिए प्रमाण इकट्ठे करना।
- समुदाय में लोगों से सलाह–मषवरा करना।
- समुदाय के लोगों में जागरूकता पैदा करना।
- बाल–विवाह निशेध अधिकारी के पास बच्चों की अभिरक्षा, भरण–पोशण और न्यायिक मजिस्ट्रेट से की गई षिकायत के संदर्भ में न्यायालय में आवेदन करने की षक्ति होगी।

प्रश्न : बाल–विवाह निशेध अधिकारी के सहायक कौन होंगे ?

उत्तर : प्रत्येक राज्य सरकार निम्नलिखित को नियुक्त कर सकती है –

- कोई भी सम्मानित व्यक्ति जिसको सामाजिक कार्य करने का अनुभव हो।
- ग्राम पंचायत या नगर पालिका का कोई अधिकारी।
- किसी सरकारी या गैर–सरकारी संस्था का अधिकारी।

प्रश्न : क्या बाल–विवाह को कानूनी रूप से गैरकानूनी (अवैध) घोशित किया जा सकता है ?

उत्तर :

- विवाह बंधन में आने के बाद किसी भी बालक या बालिका की अनिच्छा होने पर उस बाल–विवाह को न्यायालय द्वारा अवैध घोशित करवाया जा सकता है।
- बाल–विवाह के बंधन में बालक/बालिका वयस्क होने के दो साल के अंदर जिला न्यायालय में अर्जी दायर कर सकते हैं।

प्रश्न : क्या बाल–विवाह षुरू से ही अवैध होता है ?

उत्तर : हां। यदि विवाह के लिए बालक/बालिका को उसके कानूनी अभिरक्षक से दूर ले जाया जाए या उसे किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर किया जाए।

या

विवाह के लिए बेचा जाए या विवाह के बाद मानव तस्करी की जाए।

या

न्यायिक आदेष का उल्लंघन करके बाल–विवाह आयोजित करवाया जाये।

प्रश्न : क्या बाल–विवाह के रद्द होने के बाद बालिका को भरण–पोशण और निवास का अधिकार है ?

उत्तर :

- जिला न्यायालय उसके पति को भरण–पोशण देने का आदेष देगा, यदि वह वयस्क है। यदि विवाह बंधन में लड़का नाबालिग है तो न्यायालय उसके मां–बाप या अभिरक्षक को यह आदेष देगा। जिला न्यायालय दोनों पक्षों को विवाह में दिए गए गहने, कीमती वस्तुऐं और धन लौटाने के आदेष देगा।
- यदि याचिका/आवेदन बालिका द्वारा दायर की गई है तो न्यायालय उसके पुनर्विवाह होने तक उसके निवास के लिए भी आदेष देगा।

प्रश्न : बाल–विवाह से संबंधित मामलों में याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है ?

उत्तर :

- बाल–विवाह कानून के तहत किसी भी राहत के लिये संबंधित निम्नलिखित जिला न्यायालय में अर्जी दी जा सकती है–
- प्रतिवादी के निवास स्थान से संबंधित जिला न्यायालय।
- बाल–विवाह के स्थान पर।
- जिस जगह पर दोनों पक्ष पहले एक साथ रह रहे थे।
- याचिकाकर्ता वर्तमान में जहां रह रहा हो, उससे संबंधित जिला न्यायालय।
-

प्रश्न : बाल–विवाह के क्या कुप्रभाव हैं ?

उत्तर :

- कम उम्र में गर्भाधान के मामलों में वृद्धि।
- समय से पहले प्रसव की अधिक घटनायें।
- माताओं की मृत्यु–दर में वृद्धि।

- गर्भपात और मृत–प्रसव की ऊंची दर।
- षिषु मृत्यु–दर और अस्वस्थता दर में वृद्धि।
- घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा।
- बच्चों के अवैध व्यापार और लड़कियों की बिक्री में वृद्धि।
- बच्चों द्वारा पढ़ाई छोड़ने की घटनाओं में वृद्धि।
- बाल मजदूरी और कामकाजी बच्चों का षोशण।
- लड़कियों पर समय से पहले घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी।

प्रश्न : क्या बाल–विवाह रोका जा सकता है ?

उत्तर : हां, समय रहते षिकायत स्वयं करने या रिष्तेदार, दोस्त आदि द्वारा मजिस्ट्रेट के पास दर्ज करने पर आदेष मिलने पर पुलिस ऐसे विवाह को रोकने की कार्यवाही करेगी और दोशी को सजा या जुर्माना हेतु केस दर्ज किया जाएगा।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,
तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
(ग) स्त्री या बालक
(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
(च) औद्योगिक कर्मकार
(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित
(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊॅगा/छुपाऊॅगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी
पता –
नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1 — उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2 — पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3 — वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4 — उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5 — सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6 — महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7 — वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8 — भ्रष्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9 — मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10 — मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11 — मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12 — भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13 — उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14 — झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15 — किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16 — मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17 — बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18 — नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19 — उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20 — मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21 — प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22 — दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23 — प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24 — हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25 — बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26 — उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27 — राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28 — घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29 — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30 — अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून

31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,

5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कार्यपालक अध्यक्ष

सदस्य–सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला – 29

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

नहीं, नहीं, कभी नहीं

गौरी के जिले में हेल्थ बोर्ड ने बच्चों को पोलियों की दवाई पिलाने की बहुत बड़ी स्कीम चलाई। गौरी और उसकी सहेलियों ने इसकी सफलता के बारे में रेडियों पर सुना। लेकिन अपने आसपास देखने से पता चला कि किसी बच्चे को दवाई नहीं पिलाई गई थी। उन्होंने स्वास्थ अधिकारी से जाकर यह जानकारी मांगी कि कितनी दवाई जिले में आई थी, कितनी पिलाई गई। स्वास्थ्य अधिकारी ने यह सब बताने से इन्कार कर दिया और कहा कि यह सारी सूचना देने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं।

एक पत्रकार ने अखबार में पढ़ा कि एक ही इलाके में एक अवधि के बीच कई बच्चों की मृत्यु किसी बीमारी से हुई थी। जब उसने गांव–गांव जाकर इसकी जानकारी ली तो उसे पता चला कि बच्चे बीमारी से नहीं, भूख से मरे है। स्वास्थ्य अधिकारियों और कलेक्टर ने इसके बारे में जानकारी देने से साफ इन्कार कर दिया।

एक इलाके के लोग कई हफ्तों से राशन की दुकान पर चावल और चीनी लेने जा रहे थे। रोज यही जवाब मिलता–आये नहीं हैं, खत्म हो गए। बार–बार परेशान होने पर लोगों ने लाला से कहा कि सामान का रजिस्टर दिखाओं हम जानना चाहते हैं कि कितना सामान आया, कब आया और कब बांटा गया लाला ने धमका कर कहा "तुम्हारे बाप की दुकान है क्या? मैं कोई रजिस्टर न रखूंगा न दिखाऊंगा। कर लो जो कर सकते हो।"

कई बड़े–बड़े अफसर और नेता अपनी कार्य की अवधि समाप्त होने के कई साल बाद तक सरकारी मकानों पर कब्जा किये बैठे थे। कईयों ने तो किराया भी नहीं दिया था बात खुलने पर इस मुद्दे की छानबीन के लिए संसद की एक समिति बनाई गई। जब कुछ पत्रकारों ने समिति से उन लोगों के नामों की सूची मांगी जो घरों पर कब्जा किए हुए थे, उन्हें जवाब मिला–"यह गुप्त मामला है, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए।"

शब्बीर और सुनील ने अपने नाम रोजगार विभाग (एम्पलायमेंट एक्सचेंज) में पांच साल पहले दिए थें। जब भी विभाग में वह अपनी स्थिति के बारे में पूछते तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। तब उन्हें पता चला कि उनके सहपाठी शंकर को नौकरी मिल गई है, जबकि उसने उन दोनों के बाद अपना नाम दिया था। उन्होनें मांग की कि उन्हें एक्सचेंज के रोल दिखाए जायें। विभाग के अधिकारियों ने कहा–"यह सरकारी सूचना है किसी को नहीं दिखाई जा सकती।"

रामलीबाई को अपने पिता की सम्पत्ति में से हिस्सा मिला था। अब उसे अपने नाम पर कराना चाहती थी। भाईयों ने कुछ झगड़ा डाला तो तहसीदार ने रामली से कहा कि जमीन से संबंधित पुराने दस्तावेजों की कापियां ले कर आओ। रिकार्ड कार्यालय में कागजों और दस्तावेजों को इतना बुरा हाल था कि रामलीबाई के दस्तावेज कई महीनों तक नही मिल पाये और उसका अधिकार मारा गया। अधिकारियों ने कहा कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते।

रामपुर गांव के लोगो ने सुना था कि गांव में से बहने वाली नदी पर एक पुल बन रहा है। तीन साल बीत गये पर कोई पुल नहीं दिखाई पड़ा। जब गांव के कुछ लोगों ने पंचायत से पुल के बारे में सूचना मांगी तो पंचायत ने उन्हें कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया। सरपंच ने कहा–

"यह हमारा मामला है, तुम लोगों को कुछ जानने का अधिकार नहीं है" लेकिन रामपुर गांव के लोगो को यह जानने का अधिकार है कि –

- पुल बनने के लिए कितना पैसा दिया गया है?
- पुल कितने समय में बनेगा?
- पुल बनाने के लिए कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने वेतन पर?
- पुल किस विषेष स्थान पर बनेगा?

- यदि बनने के बाद पुल टूट जाता है तो किसकी जिम्मेदारी है, किसका दोष है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कदम उठाये जा रहे है।

इसीलिए, रामपुर गांव के लोगो को यह जानने का अधिकार है कि पुल उस जगह बनने का निर्णय कैसे लिया गया। उन्हें यह भी जानने का हक है कि पुल बनाने के लिए कितना पैसा तय किया गया है। वे उन सब दस्तावेजों के हकदार हैं जिनसे पता चलता है कि किस समाग्री पर कितना खर्च हुआ इत्यादि।

जानना क्यों जरूरी है?

कई ऐसे निर्णय लिये जाते है जो हमारे जीवन के कई तरह से प्रभावित करते हैं। सरकारी कामों में हमारा बहुत पैसा भी लगता है। हमें यह अधिकार है कि हमें ऐसी जरूरी बातों के बारे में पता चले। यदि सारे काम के बारे में खुली जानकारी होगी तो भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। इसे कहते हैं शासन में पारदर्शिता।

सरकार और शासन लोगों के लिए हैं और कानून से बचे नहीं है। यदि काम सही ढ़ग से नहीं होता, तो शासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। रामपुर में बना पुल यदि बह जाये या टूट जाये, तो लोग यह जानने के अधिकारी हैं कि दोष किसका था और दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है। इस कहते हैं शासन की जनता को जवाबदारी।

लोकतन्त्र में शासन लोगों के लिए ही होता हैं। हम शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हम सरकार चलाने के लिए कई प्रकार के टैक्सों द्वारा पैसा देते हैं। सारा सरकारी काम हमारे लिए, हमारे ही पैसों से होता हैं।

यह काम जरूरतों के अनुसार हो, इसके लिए हमें काम की पूरी–पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसे कहते है शासन में लोगों की भागीदारी।

निर्णय जानने के लिए, अनेक तरह के मुद्दों के बारे में सूचित रहने के लिए, हिसाब मांगने के लिए, ब्यौरा मांगने के लिए और शासन को अपने काम के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए, सूचना आवश्यक है।

सूचना किसे कहते है?

सूचना कई रूप ले सकते है – वह सरकारी व शासकीय कार्यवाही और बैठकों के ब्यौरे से मिल सकती है, वह शासकीय निर्णयों, आदेशों, अधिसूचनाओं से मिल सकती है। शासकीय रजिस्टरों में एन्ट्री की कापियां, खातों की कापियां, विभागों की प्रक्रियाएं और नियम, किसी निर्माण कार्य का चित्रांकन या मानचित्र (नक्षा) सभी चीजें आम नागरिक के लिए सूचना है। खरीदे गए सामान के बिल का वाऊचर देख कर हमें यह सूचना मिल सकती है कि क्या–क्या खर्च हुआ।

इन सब चीजों का हमारे लिये उपलब्ध होना सूचना का अधिकार है –

एक सरकारी वैज्ञानिक संस्था ने रिपोर्ट निकाली कि कुछ पैक–बंद खाने की चीजों में (जैसे हल्दी, शिशुओं की दूध पाउडर इत्यादि) कीटाणु नाशक पदार्थ पाए जाते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। स्वास्थ्य–संबंधी बातों पर काम कर रही एक संस्था ने जब रिपोर्ट की कॉपी मांगी तो उन्होंने देने से इन्कार कर दिया। स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करने के लिए रिपोर्ट में दी गई जानकारी लोगों के लिए आवश्यक है।

यह अधिकार हमें किसने दिया है ?

यह अधिकार हमें हमारे देश के मूल कानून से मिलता है। देश के मूल कानून को संविधान कहते हैं। संविधान के अनुसार हमारे कुछ मूल अधिकार हैं जिनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार को इन अधिकारों का उल्लंघन करने की सख्त मनाही है। हां, कुछ खास कारणों से लोगो का ही हित देखते हुए, सामान्य सी रोक लग सकती है। इन खास अधिकारों को कहते है मौलिक अधिकार। यही अधिकार हैं जो हमें सूचना का अधिकार देते हैं।

बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार :–

इसका मतलब है कि अपनी बात खुल कर कह पाना, अपने विचार बिना किसी नाजायज रोक से व्यक्त करना। अभिव्यक्ति यानि अपने भाव प्रकट करना–चाहे वह बोलकर या लिखकर, चित्र या मूर्ति

बनाकार हो। इस अधिकार का एक जरूरी अंश है किसी भी मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करना चाहे उसके समर्थन में या विरोध में। बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार में जानने का अधिकार निहित है क्योंकि जब तक हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी हम उसके बारे में विचार नहीं व्यक्त कर सकते।

सामान्यता का अधिकार :–

सभी को कानून की नजर में समान व्यवहार का अधिकार है। इसलिए समान रूप से हर व्यक्ति को सूचना मिलना भी इसमें शामिल है, क्योकि सूचना एक व्यक्ति की शक्ति होती है। सूचना रखने वाले व्यक्ति में और सूचना से वंचित व्यक्ति में असमानता पैदा होती है।

जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार :–

इसका मतलब है वे सभी चीजें पाने का अधिकार जिनसे अपने जीवन और प्राणों की रक्षा हो सके। इसमें सम्मान से, बिना नाजायज रोक–टोक का जीवन जीने का अधिकार भी है। इसी में है अपने जीवन से जुड़ी अह्म बातों की जानकारी का अधिकार।

उड़ीसा के जिले में नहर बनने वाली थी। आपस से चर्चा होने पर वहां के लोगों को लगा कि जिस जगह वह नहर बनने वाली हैं, वहां नहर न तो उपयोगी होगी न ही पर्यावरण के हिसाब से सही। उन्होंने सिचाई विभाग को अपनी बात कहने के लिए, नहर के बारे में कुछ ब्यौरे मांगे। जवाब यह मिला कि ये उन्हें नहीं दिए जा सकते क्योंकि यह सरकारी सूचना हैं। लोगो को नहर के बारे में सूचना लेने का अधिकार है, ताकि वे नहर के बारे मे अपने विचार प्रकट कर सके।

फिर सूचना मिलती क्यों नहीं ?

सूचना अधिकारी इसलिए मना की जाती है क्योंकि –

- कुछ ऐसे कानून हैं जिनके अंतर्गत सूचना रोकी जा सकती है।

कुछ कानून जो सूचना देने को आड़े आते है
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872
शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923
इस तरह के कानून अंग्रेज सरकार ने अपने बचाव के लिए बनाए थे।
ये लोकतंत्र के नियमों के और हमारे संविधान के बिल्कुल विरूद्ध है।
इन्हें बदलने की और कुछ को हटाने की आवष्यकता है।

- शासन जटिल और उलझा हुआ होने के कारण प्रभावशाली और भ्रष्ट हो गया है। वह 'गुप्त सूचना' की आड़ में अपने को बचाना चाहता है।
- मांगी सूचना मिलनी ही मुष्किल है क्योंकि सरकारी फाईलें, दस्तावेजों और कागज रखने का ढ़ंग बहुत खराब और पुराने ढंग का है।
- लोग यह जानते ही नही कि उन्हें सूचना लेने का अधिकार है। अगर उन्हें सूचना देने के लिए कोई इन्कार करता है तो वह अपने हक को बलपूर्वक नहीं जताते। अभी की स्थिति में यह हक लेने के लिए लोगों को कोर्ट जाना पेड़गा जो कि एक लम्बा और परेशानी का रास्ता है।
- सूचना मांगने या प्राप्त करने की कोई निश्चित प्राकिया नहीं होगी।

  सूचना के अधिकार पर एक केन्द्रीय कानून संसद ने पारित किया है। इस कानून का नाम है **'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'** अंग्रेजी में इसका नाम है **'राईट टू इन्फॉरमेंशन ऐक्ट, 2005।'**

इस कानून की मुख्य बातें :–

- सूचना के अधिकार का उद्देष्य है, प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।
- हर नागरिक को लोक शक्तियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। 'लोक शक्तियां' यानि सरकारी, शासकीय संवैधानिक संस्थाएं और विभाग इसमें सरकार द्वारा दिए गए भारी मात्रा का आर्थिक सहयोग पाने वाली गैर–सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं।

- 'सूचना' का मतलब है किसी लोक शक्ति के शासकीय कार्यो या निर्णयों से संबंधित किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री।
- **सूचना कई तरीकों से ली जा सकती है :–**
- रिकार्डो का अवलोकन करने उनमें से अंश या नोट लेना।
- रिकार्डों की सत्यापित प्रतियां (सर्टीफाईड कॉपी) लेना।
- किसी सामग्री के सत्यापित नमूने लेना।
- कम्पयूटर की फ्लॉपी, डिस्केट इत्यादि जैसे माध्यमों से सूचना लेना।
  - इस कानून की एक अह्म बात है कि सरकारी विभागों और शासकीय संस्थाओं पर अब यह जिम्मेदारी है कि वे अपने रिकार्डो को सही ढ़ग से रखे जिससें उन्हें ढूंढने में सुविधा हो।
  - **अपने बारे में कुछ जानकारी स्वयं प्रकाशित करें जैसे –**
  - अपने–अपने कार्यो और कर्तव्यों की पूरी जानकारी
  - अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की शक्तियां, उनके दायित्व और उनके निर्णय लेने की कार्यप्रणाली।
  - अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक वेतन, भत्ता आदि।
  - अपने कार्य करने के लिए उनके मापदंड।
  - उनके अधीन काम करने वाले लोगों के काम करने के तरीकों से संबंधित नियम, नीति, आदेश इत्यादि दस्तावेज।
  - कोई भी अह्म निर्णय लेते समय या नीति निर्धारित करते समय, उनसे संबंधित सभी तथ्यों को प्रसारित करना।
  - अपने निर्णयों से प्रभावित लोगों को उन निर्णयों का आधार बताना।
  - कोई भी नया कार्य करने से पहले, उस कार्य के बारे में उनके पास उपलब्ध सारी जानकारी उस कार्य से प्रभावित होने वाले को देनी होगी।
  - **हर लोक शक्ति को अपने परिसरों में यह जानकारी भी स्पष्ट रूप से देनी होगी :–**
  - नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध है –
  - सूचना देने के लिए नियुक्त 'लोक सूचना अधिकारी' का नाम, पद और अन्य जानकारी (जैसे कहां बैठते हैं, कार्य करने का समय इत्यादि)
  - सूचना उपलब्ध करने के साधनों की जानकारी, जैसे वाचनालय (लाइब्रेरी) का समय, इत्यादि।

❖ **एक नागरिक सूचना कैसे मांगेगा ?**

- हर विभाग में, इस कानून के अंतर्गत सूचना देने के लिए एक या एक से अधिक 'लोक सूचना अधिकारी' नियुक्त किए गए है। इनकी जानकारी स्पष्ट रूप से विभाग के कार्यालय में लिखी होगी।
- लोक सूचना अधिकारी किसी भी सूचना की मांग का निपटारा करेंगे वे सूचना मांगने वाले को हर प्रकार से सामान्य सहायता भी देंगे।
- लोक सूचना अधिकारी अपने इस कार्य के लिए किन्ही और अधिकारियों की सहायता भी मांग सकते है। इन अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी की हर प्रकार से सहायता करनी होगी।
- कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार की सूचना चाहता है, तो उसे 'लोक सूचना अधिकारी' को लिखित में आवेदन देना होगा। इसमें उसे अपनी मांगी गई सूचना के बारे में ब्यौरा देना होगा। जैसे–किसी विभाग से संबंधित है, फाईल या दस्तावेज का नाम (पता हो तो) आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, तारीख इत्यादि।

- अगर कोई व्यक्ति लिखित आवेदन में असमर्थ है तो वह मौखिक आवेदन (बोल कर, मुंह–जुबानी) दे सकता है। लोक सूचना अधिकारी उसको लिखित में करने में सहायता करेंगे।
- सूचना का आवेदन पाने के बाद, लोक सूचना अधिकारी जितनी जल्दी हो सके और अधिकतम 30 दिन के अन्दर या तो सूचना उपलब्ध करायेंगे या कारण बताते हुए, आवेदन को नामंजूर कर देंगे।
- यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति की जान या निजी स्वतंत्रता से संबंध रखती हो, तो सूचना 48 घंटों के अन्दर दी जानी चाहिए।
- सूचना के आवेदन पर एक सामान्य शुल्क (फी) लगेगा। यह नकद, या बैंक के डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) द्वारा किया जा सकता है। अलग अलग राज्यों ने अपने शुल्क तय किए हैं। केन्द्र सरकार ने आवेदन शुल्क 10 रूपये रखा है। गरीबी रेखा के निचे वाले व्यक्तियों को यह शुल्क माफ है। मांगी गई सूचना पर भी कुछ शुल्क लगाया जा सकता है। जहां सूचना की मात्रा अधिक होगी, वहां लोक सूचना अधिकारी शुल्क भरने के लिए आवेदक को सूचित करेंगे। सूचित करने और शुल्क जमा करने के बीच की अवधि 30 दिन की गिनती में नहीं आएगी सूचना उसी रूप में दी जानी चाहिए, जिस रूप में मांगी गई हो। जैसे अगर किसी रजिस्टर की प्रति (फोटोकॉपी) मांगी गई है, तो वही देनी होगी। अगर सूचना ऐसे रूप में मांगी गई हो जिससे या तो विभाग का असामान्य समय या पैसा खर्च हो या उन दस्तावेजों को कोई नुकसान पहुंचे तो सूचना किसी और रूप में भी दी जा सकती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े दस्तावेज की छपी प्रतियाँ मांगे, जिन्हे छापने/फोटोकॉपी करने में बहुत समय लगेगा, तो कागजी प्रतियों के स्थान पर कम्प्यूटर 'फ्लॉपी' इत्यादि द्वारा वह सूचना दी जा सकती है।

- **क्या हर प्रकार की सूचना दी जाएगी ?**
- नहीं/कानून में कुछ ऐसी सूचनाओं की सूची है जिनको देने पर प्रतिबंध हैं। इसके अलावा कुछ सरकारी संस्थाएं है जिनका काम सुरक्षा और गुप्त सूचना की प्राप्ति से जुड़ा है। इस कानून के प्रावधानों द्वारा इन संस्थाओं से सूचना नहीं मांगी जा सकती।
- **सूचना का आवेदन किन आधारों पर नामंजूर हो सकता है ?**
- कुछ सूचनाएं नहीं दी जाएंगी, जैसे –
- भारत की प्रभुता, अखंडता पर विपरीत असर डालने वाली सूचनाएं वे सूचनाएं जो राज्य की सुरक्षा विषेष वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विपरीत असर डालने वाला सूचनाएं।
- सूचनाएं जो लोक सुरक्षा और शांति पर विपरीत असर करती हो, वे सूचनाएं जो किसी अपराध के पता लगाने और उसकी जांच पर विपरीत असर डालती हो, वे सूचनाएं जो किसी अपराध करने में किसी को प्रोत्साहन दें या किसी कानूनी कार्यवाही पर विपरीत असर डालें। वे सूचनाएं जो किसी की जान या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करें।
- मंत्रीमंडल, उसके सचिवों और अधिकारियों के सभी दस्तावेजों व विचार–विमर्श। ऐसी सूचानाएं निर्णय लेने या प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जन साधारण को दी जा सकती है।
- व्यापार और वाणिज्य से संबंधित ऐसी बातें जिन्हें कानूनी तौर पर गुप्त रखा जाता है। ऐसी सूचना जिसे बताने से सरकार की आर्थिक या वाणिज्य स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, या किसी व्यक्ति को नाजायज फायदा या नुकसान हो सकता है।
- ऐसी सूचना जिससे संसद या विधान सभाओं के विषेष अधिकरों की मर्यादा भंग होती हैं।
- ऐसी सूचना जिससे किसी कोर्ट के विधिवत आदेश का उल्लंघन होता हो।
- ऐसी सूचना जो किसी कोर्ट की निजी सूचना है और किसी लोक गतिविधि या जनहित से संबंध नहीं रखती, या जो दिए जाने से किसी की निजीता (प्राईवेसी) का उल्लंघन करती हो। यदि सूचना

अधिकारी को लगे कि ऐसी निजी सूचना देने से किसी जनहित की पूर्ति होती है तो ऐसी सूचना भी दी जा सकती हैं।

- कोई भी सूचना जो संसद या किसी राज्य की विधायिका को देने से मनाही नहीं हो सकती। वे सूचनायें किसी व्यक्ति को भी देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
- ऊपर दिए गए सभी विषयों पर ऐसी सूचना जो 20 साल से पहले हुई किसी घटना से संबंध रखती है, दी जाएगी।
- यदि कोई ऐसी सूचना दी जानी हो जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती हो या उसके द्वारा गुप्त मान कर दी गई हो, तो देने से पहले, लोक सूचना अधिकारी है।
- आवेदन पाने के 5 दिन के अन्दर उस अन्य व्यक्ति को लिखित में सूचना देंगे कि वे कौन–सी सूचना देने वाले हैं। और
- सूचना की प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर उस अन्य व्यक्ति के सूचना दिए जाने का विरोध करने का मौका देंगे।
- सूचना का आवेदन पाने के 40 दिन के अन्दर, अन्य व्यक्ति को सुनवाई का मौका देकर, सूचना देने या न देने का निर्णय लेंगे।
- इस निर्णय की सूचना उस अन्य व्यक्ति को लिखित में दी जाएगी, यह बताते हुए कि वह इस निर्णय के विरोध में अपील कर सकते हैं।

अगर कोई लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह क्या करें ?

कोई भी व्यक्ति अगर लोक सूचना अधिकार के निर्णय से संतुष्ट न हो या उसे लगे की दी गई सूचना पर्याप्त नहीं है या उसे कोई भी जवाब न मिले 'अपील' कर सकता हैं। अपील का मतलब है किसी उच्च अधिकारी या शक्ति से दोबारा निर्णय लेना।

यह अपील कैसे की जाएगी ?

निर्णय मिलने के 30 दिन के अन्दर अपील करनी होगी। अपील लिखित में, असंतोष के कारण बता कर करनी होगी। 30 दिन के बाद भी अपील दी जा सकती है अगर अपील सुनने वाले अधिकारी मान लें कि देर होने के पर्याप्त कारण थे।

अपील किसे दी जाएगी ?

अपील किसी वरिष्ठ शासकीय अधिकारी को दी जाएगी। इनका पद/पता संबंधित विभाग से मिलेगा। सूचना की अर्जी नामंजूर करते समय लोक सूचना अधिकारी लिखित में कारण देने के साथ, अपील अधिकारी का पूरा पता/पद इत्यादि भी देंगे।

अगर कोई इस पहली अपील से भी संतुष्ट न हो तो वह दूसरी अपील कर सकता है। यह दूसरी अपील केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को देनी होगी। यह अपील भी पहली अपील के निर्णय से 90 दिन के अन्दर देनी होगी।

पहली और दूसरी अपील को 30 दिन के अन्दर निपटाना जाएगा। अगर समय बढ़ाया जाएगा तो उसके कारण लिखित में दर्ज किए जायेंगे।

जब सूचना के आवेदन को नांमजूर किया जाएगा, तभी 'अपील' करने वाले अधिकारी को पूरा नाम/पद/पता आपको बताया जाएगा। यही भी बताया जाएगा कि अपील कितने दिनों के अन्दर की जानी चाहिए। इस नामंजूरी के आदेश में नामजूरी के कारण भी बताए जाएंगे। इन करणों के आधार पर अपनी 'अपील' तैयार कर सकते है।

शिकायत

यदि कोई विभाग सूचना का आवेदन लेने से इन्कार करे, पर्याप्त शुल्क से अधिक शुल्क लगाए, लोक सूचना अधिकारी नियुक्त न करे, अधूरी, गलत या गुमराह करने वाली सूचना दे सूचना के लिए मान करें, तो कोई प्रभावित व्यक्ति सूचना आयोग को शिकायत कर सकता है।

दण्ड

यदि कोई लोक सूचना अधिकारी सूचना का आवेदन लेने से इन्कार करे, सूचना निर्धारित समय में न दे, या बिना उचित कारण के, जान बुझकर गलत, अधूरी या गुमराह करने वाली सूचना दे जो उस पर सूचना आयोग द्वारा सूचना देने तक 250/–रूपये (ढाई सौ रूपये) प्रतिदिन का दंड लगा सकती है। यह दंड अधिक 25,000/– रूपये (पच्चीस हजार रूपये) तक का हो सकता है। इसके अलावा, कोई अधिकारी नियमित रूप से सूचना देने के लिए मनाही करे या उसके देने के आड़े आए तो आयोग उस पर लागू होने वाले अनुशासन नियमों के अनुसार कार्यवाही का आदेश भी दे सकती है।

क्या हम नांमजूरी के विरोध में अपनी बात का न्यायिक फैसला कोर्ट में केस डाल कर ले सकते हैं ?

नहीं! इस कानून के अर्न्तगत दिए गए किसी आदेश को साधारण दीवानी मुकदमा करके (सिविल कोर्ट) में चुनौती नहीं दी जा सकती। केवल ऊपर बताई गई अपीलों द्वारा सुनाई हो सकती है।

लेकिन, फिर भी, किसी भी शासकीय आदेश के विरोध में, हाई कोर्ट में अर्जी दी जा सकती है। इस अर्जी को 'रिट याचिका' कहते है। यह एक संविधानिक अधिकार है। अगर आपको लगे कि दिया गया आदेष गैर कानूनी, नाजायज या किसी और कारण से गलत है, जो हाई कोर्ट में रिट याचिका डाल सकते हैं।

- हर स्थिति में, सूचना मांगने के अधिकार का उपयोग कीजिए।
- अपने विचारों की अभिव्यक्ति कीजिए। हर विचार का मूल्य होता है।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील– जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00,000/– (तीन लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ(जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

   (ग) स्त्री या बालक

   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

   (च) औद्योगिक कर्मकार

   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित

   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था यदि हाँ तो उसका परिणाम
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता–

नाम–

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1 उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2 पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3 वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4 उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5 सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6 महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7 वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8 भ्रष्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9 मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10 मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11 मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12 भरण–पोशण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13 उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14 झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15 किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निशेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16 मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17 बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18 नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19 उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20 मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21 प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22 दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24 हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25 बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26 उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान

34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिश्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 कानून की जानकारी आखिर क्यों

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।

नोटः— क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 एवं 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :—

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य सचिव

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला – 33

बंदियों के कानूनी अधिकार एवम् कानूनी ज्ञान

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : **slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com**

बंदियों के कानूनी अधिकार एवम् कानूनी ज्ञान

भारतवर्ष में अपराध की रोकथाम, उनके सम्बन्ध में विवेचना तथा उनके निवारण का प्राविधान, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में दिए गए हैं।

अपराध क्या है ?

अपराध क्या है तथा कौन–कौन से कृत्य मुख्य रुप से अपराध की श्रेणी में आते हैं, उनका उल्लेख भारतीय दण्ड विधि (Indian Penal Code) में उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक अधिनियम पारित किये गये हैं, जिनमें कुछ कृत्यों को अपराध की श्रेणी में माना गया है। इनमें मुख्य रुप से एन0डी0पी0सी0 एक्ट, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार निवारण अधिनियम, गैगस्टर एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आदि शामिल हैं।

अपराध दो प्रकार के होते हैं:– संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध।

संज्ञेय अपराध

संज्ञेय अपराध वह अपराध है, जिनके घटित होने पर तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) अन्तर्गत धारा–154 सी0आर0पी0सी0 दर्ज की जा सकती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस के पास अभियुक्त को बिना वारण्ट गिरफ्तार करने का भी प्राविधान उपलब्ध है।

असंज्ञेय अपराध

असंज्ञेय अपराध वह अपराध है, जिनके घटित होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) को दर्ज नहीं किया जाता है। केवल गैर–संज्ञेय रिपोर्ट (एन0सी0आर0) दर्ज की जाती है।

संज्ञेय अपराध के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस के पास विवेचना करने का पूर्ण अधिकार उपलब्ध है, जबकि अंसज्ञेय अपराध में पुलिस स्वंय अपने आप से विवेचना नहीं कर सकती है, अपितु न्यायालय की अनुमति से ही विवेचना की जा सकती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट – कैसे दर्ज करे

संज्ञेय अपराध घटित होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 154 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत दर्ज की जा सकती है। पुलिस के पास यह अधिकार नहीं है कि वह संज्ञेय अपराध में घटना होने की सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज न करें। पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार करने पर पीड़ित पक्ष अपना प्रार्थना–पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक के जरिये भी भेज सकता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष द्वारा ही इसे दर्ज किया जाए, अपितु किसी अपराध के घटित होने की सूचना कोई भी व्यक्ति थाने में दे सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मौखिक भी हो सकती है तथा लिखित प्रार्थना–पत्र के रुप में भी हो सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति को प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति निःशुल्क दी जाती है।

पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार करने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा प्रेषित प्रार्थना–पत्र दिये जाने के उपरान्त् भी यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, तो, पीड़ित पक्ष के पास यह उपचार है कि वह न्यायालय में उपस्थित होकर धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय की यह सन्तुष्टि होने पर कि मामले में प्रथम दृष्टया रुप से संज्ञेय अपराध हुआ है तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थिति इस प्रकार की है कि पुलिस द्वारा विवेचना करायी जानी आवश्यक है, तब न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए जा सकते है।

परिवाद पर आधारित केश

पीड़ित पक्ष के पास यह भी उपचार उपलब्ध है कि वह न्यायालय में धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। परिवाद प्रस्तुत करने पर परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा–200 सी0आर0पी0सी0 शपथ पर अंकित किये जाते है

तथा उसके गवाहों के बयान धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत अंकित किये जाते है। प्रत्येक परिवादी/पीड़ित पक्ष साक्ष्य के रुप में दस्तावेज को भी पेश कर सकता है। यदि परिवादी किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में जोकि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तब उस परिस्थिति में परिवादी द्वारा धारा–202 सी0आर0पी0सी के अन्तर्गत अपने समस्त गवाहों व साक्ष्यों को प्रस्तुत करना होता है। धारा–202 सी0आर0पी0सी के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के पास यह क्षेत्राधिकार है कि वह मामले की जांच पुलिस से करवा सकता है।

विवेचना

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त् पुलिस द्वारा विवेचना आरम्भ की जाती है। विवेचना के दौरान सर्वप्रथम घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है तथा पीड़ित पक्ष एवं घटना से सम्बन्धित गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा 161 सी0आर0पी0सी0 अंकित किये जाते है। महत्वपूर्ण गवाहों के बयान धारा–164(5) सी0आर0पी0सी के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पर अंकित किये जाने का भी प्राविधान है। धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान भी विवेचक द्वारा अंकित किये जाते है। विवेचना के दौरान घायल व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण भी करवाया जाता है तथा मृत्यु का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाये जाने का भी प्राविधान है।

विवेचना के उपरान्त् यदि विवेचक यह पाता है कि मामले में कोई अपराध होना नहीं पाया गया है, तो वह अंतिम रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

गिरफ्तारी

विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने का प्राविधान दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपलब्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जोगिन्दर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वाले मामलों में यह निर्देश दिये हैं कि गिरफ्तारी प्रत्येक मामलों में नहीं की जानी चाहिए तथा गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अनेक दिशा–निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में दिए गए हैं। विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये बाधित नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी क्योंकि किसी व्यक्ति के स्वतन्त्रता को प्रभावित करती है, इसलिए गिरफ्तारी साधारणतयाः उन मामलों में की जानी चाहिए, जहाँ परः–

1. अपराध गम्भीर प्रकृति का हो,
2. अभियुक्त के फरार होने या न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर जाने का भय हो,
3. अभियुक्त द्वारा गवाहों व पीड़ित पक्ष को डराया या धमकाया जा रहा हो,
4. या ऐसी कोई परिस्थिति हो, जहाँ पर विवेचक का यह सदभावी मत हो कि गिरफ्तारी, विवेचना के विधिपूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक है।

विवेचक के पास यह भी अधिकार है कि वह अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु न्यायालय से गैर–जमानतीय अधिपत्र प्राप्त कर सकता है।

गिरफ्तारी के समय महत्वपूर्ण अधिकार

गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार है, जिनका उल्लेख दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय–5 में दिया गया है। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के पास इस बात का पूर्ण अधिकार है कि उसे इस बात की जानकारी हो कि उसे किस अपराध के लिए तथा किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिवार, रिश्तेदार अथवा मित्रों को दी जानी भी आवश्यक है तथा इस सम्बन्ध में फर्द तैयार किये जाने का भी प्राविधान है। इस सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट को भी इस बात की सन्तुष्टि कर लेनी चाहिए कि क्या पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिवार, रिश्तेदार अथवा मित्रों को दी है या नहीं। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी के दौरान उसका जो भी सामान बरामद किया जाता है, उसकी फर्द तैयार की जानी चाहिए तथा उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए और यदि किसी महिला अभियुक्त की तलाशी ली जानी है तो महिला पुलिसकर्मी द्वारा तलाशी लिए जाने का

प्राविधान है। गिरफ्तार व्यक्ति को इस बात का भी अधिकार है कि वह अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों को खण्डित करने के लिए चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

इसके अतिरिक्त विवेचक को भी इस बात का अधिकार है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण मामले में साक्ष्य एकत्रित करने हेतु करवा सकता है तथा इस प्राविधान को माननीय उच्चतम न्यायालय ने गैर–संवैधानिक नहीं माना है। विवेचक द्वारा कराये गये चिकित्सीय परीक्षण में अभियुक्त के रक्त, वीर्य, बाल, नाखून का हिस्सा आदि भी लिए जा सकते हैं। गिरफ्तारी के उपरान्त विधि का यह प्राविधान है कि अभियुक्त को गिरफ्तारी से 24 घण्टे के भीतर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए।

हिरासत;Custody)

अभियुक्त को दो प्रकार की हिरासत में रखा जा सकता हैः– न्यायिक हिरासत तथा पुलिस हिरासत (पुलिस रिमाण्ड)।

न्यायिक हिरासत

अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में तब रखा जा सकता है जब अभियुक्त को गिरफ्तारी के 24 घण्टे के भीतर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया हो और मजिस्ट्रेट द्वारा उसको न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश पारित किये गये हो। न्यायिक हिरासत के दौरान अभियुक्त को विचाराधीन बंदी के रुप में कारागार में रखा जाता है। न्यायिक हिरासत की अवधि के दौरान प्रत्येक 15 दिन की अवधि पूर्ण होने से पूर्व विवेचक को न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र मय् अभियुक्त प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह भी आवश्यक है कि न्यायिक हिरासत के लिए आदेश पारित करते समय तथा उसकी अवधि को बढ़ाने के समय अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। यदि अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है तब इस परिस्थिति में 10 साल की सजा से दण्डनीय अपराध की विवेचना 60 दिन के भीतर पूर्ण की जानी चाहिए। 10 वर्ष से अधिक की सजा से दण्डनीय अपराध की विवेचना 90 दिन के अन्दर पूर्ण की जानी चाहिए। इस निर्धारित अवधि में विवेचना पूर्ण न होने पर अभियुक्त के पास जमानत पर रिहा होने का अधिकार हो जाता है।

पुलिस हिरासत (पुलिस रिमाण्ड)

पुलिस हिरासत (पुलिस रिमाण्ड) अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त् केवल पहले 15 दिन तक दी जा सकती है। उसके उपरान्त् पुलिस रिमाण्ड की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस रिमाण्ड के आरम्भ होने से पूर्व अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना आवश्यक है। पुलिस रिमाण्ड की अवधि के दौरान भी अभियुक्त के साथ किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार या उत्पीड़न किये जाने/करने की अनुमति नही है तथा वह गैर–न्यायिक है। पुलिस रिमाण्ड की अवधि पूर्ण होने पर भी अभियुक्त को कारागार में वापिस दाखिल करने पर अभियुक्त का पूर्ण चिकित्सीय परीक्षण करवाया जाना अनिवार्य है। पुलिस रिमाण्ड के दौरान अभियुक्त न्यायालय की अनुमति से अपने अधिवक्ता को साथ रख सकता है, किन्तु अभियुक्त के अधिवक्ता को विवेचना में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है।

धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बयान

विवेचना के दौरान यदि अभियुक्त अपना जुर्म स्वीकार करना चाहता है तो उसके लिए, उसके द्वारा अथवा विवेचक के द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 164 सी0आर0पी0सी प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर अभियुक्त को इस बात की हिदायत दी जाती है कि अभियुक्त अपना जुर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और वह अपने प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में

सोच–विचार कर सकता है। इस सोच–विचार की अवधि में अभियुक्त का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में कारागार में रखे जाने का प्राविधान है। यदि अभियुक्त को न्यायिक हिरासत से आने पर तथा यह कहने पर कि उसने जुर्म स्वीकार करने हेतु सोच–विचार कर लिया है और वह तैयार है, तभी उसी परिस्थिति में अभियुक्त की स्वःस्वीकृति पर बयान अंकित किये जा सकते हैं।

जमानत

अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त् सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी जमानत का है। जमानत के आधार पर अपराध दो प्रकार के हैः जमानतीय तथा गैर–जमानतीय।

जमानतीय अपराध

जमानतीय अपराध में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का प्राविधान है तथा यह उसका संवैधानिक अधिकार भी है कि उसे जमानतीय अपराध में जमानत पर रिहा किया जाए। जमानतीय मामलों में जमानत, अभियुक्त के व्यक्तिगत बन्ध पत्र पर अथवा विश्वसनीय जमानती के आधार पर प्रदान की जा सकती है। विधि का यह भी सिद्धान्त है कि यदि अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी से एक सप्ताह तक जमानती प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उस परिस्थिति में अभियुक्त को निर्धन व्यक्ति माना जाता है और उसे उसके व्यक्तिगत बन्ध पत्र पर रिहा किया जा सकता है। यदि अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में जमानत की शर्त का उल्लघंन किया जाता है, तो उस परिस्थिति में जमानतीय अपराध में पुनः जमानत प्राप्त करने का अभियुक्त का अधिकार समाप्त हो जाता है।

गैर–जमानतीय अपराध

गैर–जमानतीय अपराध में जमानत प्राप्त करने का अभियुक्त का अधिकार नहीं है, अपितु वह न्यायालय के विवेकाधिकार के अधीन है। विभिन्न न्यायालयों के न्याय निर्णयों द्वारा यह सिद्धान्त स्थापित किया जा चुका है कि यह विवेकाधिकार कानून तथा नियमों के अनुरुप इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गैर–जमानतीय मामलों में जमानत दी जानी चाहिए या नहीं इसके लिए प्रश्नगत अपराध की सजा, व किसके साथ किया गया है, अभियुक्त के भागने का भय है या अभियुक्त द्वारा गवाहों को डराये या धमकाये जाने की सम्भावना जैसे बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए। मृत्युदण्ड तथा उम्रकैद से दण्डनीय मामलों में मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा जमानत प्रदान नहीं की जा सकती है।

यदि किसी मामलें में जोकि मृत्युदण्ड से दण्डित नहीं हो, अभियुक्त द्वारा अपराध की कुल सजा में से आधी अवधि विचाराधीन बंदी के रुप में बिता दी गयी हो तो उस परिस्थिति में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड राज्य में Anticipatory Bailअर्थात् गिरफ्तारी पूर्व जमानत का प्राविधान उपलब्ध नहीं है तथा इस सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता में आवश्यक संशोधन किए गए है। गैर–जमानतीय अपराध वाले मामलों में जमानत प्रदान करते समय शर्तें भी नियत की जा सकती हैं।

जमानत पर रिहा होने पर विवेचना अथवा विचारण के दौरान अभियुक्त अपनी जमातलाशी का सामान वापिस प्राप्त कर सकता है। विवेचना के पूर्ण होने पर तथा विवेचक की सन्तुष्टि पर कि मामले में प्रथम दृष्टया अपराध होने की पुष्टि हुयी है, विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जायेगा तथा आरोप पत्र के साथ उस मामलों के समस्त गवाहों के नाम प्रेषित किये जायेंगे।

शांति भंग के मामले – कार्यपालक मजिस्ट्रेट

अपराध होने पर उसकी विवेचना तथा विचारण का क्षेत्राधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का है। यदि किसी व्यक्ति के आचरण से शन्ति भंग हुयी हो या शन्ति भंग होने की आशंका हो, तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति का चालान दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय–8 के अन्तर्गत किया जाता है तथा उक्त चालान को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया जाता है तथा उक्त व्यक्ति को भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत बन्ध पत्र अथवा जमानती प्रस्तुत करने पर उक्त व्यक्ति को रिहा कर सकता है।

प्रत्येक विवेचक द्वारा विवेचना का उल्लेख केस डायरी में किया जाता है तथा उस केस डायरी का अवलोकन केवल न्यायालय तथा अभियोजन पक्ष द्वारा किया जा सकता है तथा यह केस डायरी अभियुक्त को दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

चार्जशीट न्यायालय में दाखिल होने पर उसे एक अपराधिक मुकदमें के रुप में दर्ज किया जाता है तथा अभियुक्त यदि जमानत पर है तो उसे सम्मन प्रेषित किया जाता है। अभियुक्त यदि सम्मन की तामीली पर न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तो अतिरिक्त आदेशिका प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होती है और यदि अभियुक्त न्यायालय में सम्मन की तामीली पर उपस्थित नहीं आता है तो उस परिस्थिति में न्यायालय जमानतीय वारण्ट जारी कर सकता है। जमानतीय वारण्ट की तामीली होने पर भी यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आता है तो उस परिस्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध गैर–जमानतीय वारण्ट (एन0बी0डब्लू0) जारी किए जा सकते है। गैर–जमानतीय अधिपत्र जारी करते समय अभियुक्त की जमानत को भी निरस्त किया जा सकता है। गैर–जमानतीय वारण्ट के निष्पादन में पुलिस के पास यह अधिकार है कि वह अभियुक्त को गिरफ्तार कर, न्यायालय में पेश करें।

यदि अभियुक्त जान–बूझकर सम्मन या जारी गैर–जमानतीय अधिपत्र से बच रहा है तथा न्यायालय में पेश नहीं आ रहा है तो उस परिस्थिति में अभियुक्त की सम्पत्ति को कुर्क करने की उद्घोषणा की जा सकती है तथा उद्घोषणा की तिथि से एक माह की अवधि के बीत जाने पर भी यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आता है, तो, अभियुक्त की सम्पत्ति को कुर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त की जमानत निरस्त करते समय जमानत की धनराशि को वसूलने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है तथा जमानतियों को भी निर्देश प्रेषित किये जा सकते हैं कि जमानती द्वारा अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जाए। असफल रहने पर जमानतीयों से जमानत की धनराशि वसूल की जा सकती है।

अभियुक्त की सम्पत्ति कुर्क होने के बावजूद भी अभियुक्त के गैर–हाजिर रहने पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा–299 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्राविधान है, जिसमें अभियुक्त की अनुपस्थिति में गवाहों के बयान अंकित किये जाते है और अभियुक्त को भगोड़ा घोषित किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध स्थायी गैर–जमानतीय अधिपत्र जारी किया जाता है, जोकि सम्बन्धित थानों में भी दिया जाता है और इस स्थायी गैर–जमानतीय अधिपत्र के जरिए अभियुक्त को कभी भी, किसी भी स्थान पर गिरफ्तार किया जा सकता है तथा स्थायी गैर–जमानतीय अधिपत्र केवल अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त् ही समाप्त होता है।

यदि अभियुक्त न्यायालय में आदेशिका की तामीली पर उपस्थित हो जाता है तो उस परिस्थिति में अभियुक्त को उन समस्त दस्तावेजों तथा केस डायरी के वह बयान जिन पर अभियोजन पक्ष निर्भर कर रहा है, की नकल/प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

विचारण

अपराधों को विचारण के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया हैः–

1. सम्मन केस

2. वारण्ट केस

जिन मामलों में अपराध की सजा दो वर्ष या उससे कम है, उन मामलों में सम्मन केस की प्रक्रिया अपनायी जाती है तथा ऐसे केस जिनमें सभी अपराध अथवा कोई एक अपराध ऐसा है, जिसकी सजा दो वर्ष से अधिक है, तो उस केस में वारण्ट केस की प्रक्रिया अपनायी जाती है। सम्मन केस में अभियुक्त का बयान अंकित किया जाता है, जिसमें उसके विरुद्ध आरोपों से उसे अवगत कराया जाता है तथा आरोप के सम्बन्ध में उसका उत्तर मांगा जाता है। इसके दूसरी तरफ वारण्ट केस में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाते है, जिसमें अपराध का विवरण उल्लेखित किया जाता है।

बयान मुल्जिम अथवा आरोप के विरचित किये जाने के उपरान्त् अभियोजन पक्ष का साक्ष्य अंकित किया जाता है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूर्ण होने पर अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया जाता है, जिसमें अभियुक्त को उसके विरुद्ध आये साक्ष्य से अवगत कराया जाता है तथा अभियुक्त से साक्ष्य के सम्बन्ध में उत्तर मांगा जाता है। तद्उपरान्त् अभियुक्त को अपनी सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है और अभियुक्त पक्ष की सफाई साक्ष्य पूर्ण होने पर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनी जाती है। तद्उपरान्त् मामलें में निर्णय पारित किया जाता है। अभियुक्त को दोशी पाये जाने की स्थिति में अभियुक्त को पुनः सजा के प्रश्न पर सुना जाता है और तद्नुसार सजा के सम्बन्ध में आदेश पारित किया जाता है।

दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त की जमानत निरस्त की जाती है तथा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है तथा सजा सुनाने के उपरान्त उसे कारागार भेज दिया जाता है। अभियुक्त यदि चाहे तो विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है अथवा अपील के सम्बन्ध में अपीलीय न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है। विचारण के दौरान अभियुक्त अपना अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, जोकि अभियुक्त की ओर से न्यायालय में पैरवी करता है। यदि अभियुक्त विचाराधीन बंदी है तो, उसे भी मुकदमे की प्रत्येक तिथि में सम्बन्धित न्यायालय में पेश किया जाता है।

यदि अभियुक्त के पास अधिवक्ता नियुक्त करने का कोई साधन नहीं है और वह विचाराधीन बंदी है या निर्धन व्यक्ति है, जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है अथवा वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है, या वह महिला है, या वह मजदूर है, तो उस परिस्थिति में वह न्यायालय में अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में स्वंय अथवा विचाराधीन बंदी के रुप में जेलर के माध्यम से तथा जेलर द्वारा प्रमाणित एक प्रार्थना–पत्र विधिक सहायता हेतु प्रस्तुत कर सकता है। अभियुक्त की पात्रता को देखते हुए अभियुक्त को विधिक सहायता के रुप में अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है, जोकि सरकारी खर्च पर मुकदमे में अभियुक्त की ओर से पैरवी करता है। विधिक सहायता हेतु प्रार्थना–पत्र जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्य–सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुए प्रेषित किया जाता है। जिला कारागार में निरुद्ध बंदी कारागार से ही अपील भी प्रेषित कर सकता है तथा उसके लिए भी बंदी को विधिक सहायता उपरोक्त प्राधिकरणों/समितियों के माध्यम से प्रदान करायी जाती है।

विचारण के दौरान अभियुक्त के पास यह उपचार भी उपलब्ध है कि वह अपने जुर्म को स्वीकार कर लें तथा प्ली ब्रारगेनिंग (Plea Barganing) के प्राविधानों के तहत कम सजा पा सकता है। सात वर्ष तक दण्डनीय मामले मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सुने जाते है तथा सात वर्ष से अधिक दण्डनीय मामलों की सुनवायी सत्र न्यायालय में होती है।

परिवाद पर आधारित मामलों में न्यायालय द्वारा यह पाये जाने पर कि प्रथम दृष्टया अपराध विपक्षी द्वारा किया गया है, न्यायालय उक्त विपक्षी को अपराध के लिए अभियुक्त के रुप में तलब कर सकता है। यदि मामला सम्मन केस का है तो अभियुक्त के उपस्थित होने पर अभियुक्त का बयान अंकित किया जाता है और उसके उपरान्त् वहीं प्रक्रिया अपनायी जाती है, जोकि आरोप पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त् सम्मन केस के विचारण के लिए अपनायी जाती है। अभियुक्त के साक्ष्य के स्थान पर परिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते है।

यदि मामला वारण्ट केस के रुप में विचारणीय है, तो उस परिस्थिति में अभियुक्त की उपस्थिति में परिवादी व उसके गवाहों के साक्ष्य अन्तर्गत धारा–244 सी0आर0पी0सी अंकित किए जाते है और यह पाये जाने पर कि उक्त साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अपराध पाया

जाता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाते है। आरोप के उपरान्त् परिवादी व उसके गवाहों के साक्ष्य अन्तर्गत धारा 246 अंकित किए जाते है। शेष प्रक्रिया वहीं रहती है, जोकि पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र के उपरान्त् वारण्ट केस के मामले के विचारण में अपनायी जाती है।

निर्णय की प्रति निःशुल्क अविलंम्ब प्राप्त करने का अधिकार

दोषसिद्ध बंदी को यह अधिकार प्राप्त है कि दोषसिद्धि संबधी निर्णय पारित करने वाला न्यायालय निर्णय की प्रति अविलंम्ब एवं निःशुल्क ऐसे बंदी को उपलब्ध करायेगा।

एन0सी0आर पर आधारित केस

एन0सी0आर दर्ज होने के उपरान्त् तथा न्यायालय से विवेचना की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त् वहीं प्रक्रिया अपनायी जाती है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के उपरान्त् अपनायी जाती है तथा विचारण में भी अपराध की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया अपनायी जाती है।

कारागार का निरीक्षण

कारागार में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्येक माह निरीक्षण किया जाता है तथा इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि कोई विचाराधीन बंदी बिना आधार तथा बिना तारीख के कारागार में बन्द न रहे तथा प्रत्येक विचाराधीन बंदी को अपने मुकदमे तथा उसमें नियत तिथि की पूर्ण जानकारी है तथा सभी विचाराधीन बंदियों की पैरवी हेतु व्यक्तिगत अधिवक्ता अथवा विधिक सहायता के रुप में अधिवक्ता उपलब्ध है या नहीं। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस बात को भी सुनिश्चित किया जाता है कि बंदियों को नियमानुसार प्रत्येक सुविधाएं प्राप्त हो रही है। जिला जज, जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से भी प्रत्येक तीन माह में एक बार कारागार का निरीक्षण किया जाता है तथा बंदियों की समस्याओं को सुना जाता है तथा उनके समाधान का प्रयास किया जाता है।

कारागार में अधिकार, कर्त्तव्य तथा नियम

कारागार में विचाराधीन बंदी अथवा सजा प्राप्त बंदियों को सुविधाएं उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल, प्रिजनर्स एक्ट (न्.P. Jail Manual, Prisoner's Aबज) के अनुसार अनुमन्य है। कारागार में पुरुष तथा महिलाओं के कक्ष अलग–अलग तथा पर्याप्त दूरी पर होने चाहिए। बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रत्येक जेल में डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए और मुख्य रुप से बंदियों के चिकित्सीय इलाज कारागार के भीतर ही होने चाहिए। सजा प्राप्त बंदियों से एक दिन में नौ घण्टे तक काम/परिश्रम करवाया जा सकता है।

कारागार में किए गए कुछ कृत्यों को कारागार अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि, जेल अधिकारी के निर्देश का पालन न करना, झगड़ा करना, गाली–गलौच करना, अनैतिक व्यवहार करना, परिश्रम करने से इन्कार करना, कारागार की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना, टिकट अथवा अन्य रिकार्ड को खराब करना, प्रतिबन्धित समान को रखना या मांगने की कोशिश करना। ऐसे कारागार अपराध के लिए सजा भी उपलब्ध है, जैसे कि, चैतावनी, अधिक से अधिक परिश्रम के काम, एकान्तवास, जोकि तीन माह से अधिक नहीं हो सकता, तथा अन्य सजाएं शामिल है।

कारागार में बंदियों का यह दायित्व रहता है कि जेल में साफ–सफाई बनाए रखें तथा जेल में अनुशासित रहें तथा नियमों का पूर्ण रुप से पालन करें।

कारागार में महिला बंदी अपने छः वर्ष तक के उम्र के बच्चे को अपने साथ रख सकती है। उसके उपरान्त् उक्त बच्चे को उसके परिवार तथा रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता है। कारागार में गर्भवती महिला को विशेष भोजन दिए जाने का भी प्राविधान है तथा उनके साथ रह रहे छः वर्ष तक के उम्र के बच्चे को अतिरिक्त तथा विशेष भोजन दिए जाने का प्राविधान है।

किसी बंदी को यदि दो अलग–अलग मामलों में सजा सुनायी गयी है और यदि न्यायालय द्वारा दोनों सजाओं को एक साथ चलाए जाने का आदेश पारित नहीं किया गया है, तब उस परिस्थति में दोनों सजाएं अलग–अलग चलेगी तथा दोनों सजाओं के कुल योग की सजा बंदी को पूर्ण करनी होगी। सजा प्राप्त बंदी को अकास्मिक परिस्थिति जैसे कि, परिवार में किसी की मृत्यु, विवाह आदि के लिए पैरोल (Parole) पर छोड़ा जा सकता है और Parolम की अवधि पूर्ण होने पर उक्त बंदी को जेल में वापिस आना पड़ेगा। Parole की अवधि भी कुल सजा की अवधि में शामिल होगी।

Paroleके लिए प्रार्थना–पत्र जेल अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दिया जाता है। किसी बंदी की सजा कम करने का भी प्राविधान उपलब्ध है तथा वह सजा महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा बंदी के प्रार्थना–पत्र पर कम की जा सकती है।

जेल मैनुअल के नियमों के अनुसार तीन माह से अधिक सजा प्राप्त बंदियों को प्रत्येक माह के लिए तीन दिन की छूट दी जाती है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अर्थदण्ड की सजा मुख्य सजा से अधिक भोगनी होती है। किसी भी विचाराधीन बंदी को हथकड़ी नहीं लगायी जा सकती है, केवल न्यायालय की अनुमति से ही हथकड़ी लगायी जा सकती है।

जेल में बन्द बंदियों के पास कुछ मौलिक तथा संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है जैसे कि बंदी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाए, प्रत्येक विचाराधीन बंदी के पास यह अधिकार उपलब्ध है कि उसके अपराधिक मामलों की सुनवायी व उसका निस्तारण जल्द से जल्द हो।

अपराध को साबित करने का भार

भारत में दण्डविधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को अभियोजन पक्ष अथवा परिवादी द्वारा संदेह से परे साबित किया जाता है और अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध केस को संदेह से परे साबित करने में यदि सफल हो जाता है, तो उसे संदेह का लाभ देते हुये बरी/दोषमुक्त किया जा सकता है। केवल कुछ ही मामले ऐसे हैं जैसे कि धारा–304बी0 आई0पी0सी तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जहाँ पर अभियुक्त के दोषी होने पर अवधारणा ली जा सकती है और अभियुक्त द्वारा ही इस बात को साबित करना होगा कि वह निर्दोश है।

सुधारात्मक दृष्टिकोण

कारागार का उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति को दण्डित करने का नहीं है, अपितु कारागार का यह भी उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सुधार लाया जाए, जिससे कि वह कारागार से बाहर जाने पर एक साधारण व्यक्ति तथा एक सम्मानित नागरिक की तरह जीवन यापन कर सकें। कारागार के अधिकारियों की भी यह जिम्मेदारी रहती है कि वह बंदियों को हीन–भावना से न देखें, बल्कि उनमें सुधार लाने की कोशिश करें। इसके लिए कारागार प्रशासन का यह दायित्व है कि वह कारागार में अच्छे कार्यों जैसे कि योगा आदि करवाये, जिससे कि बुद्धि व तन स्वस्थ रह सकें तथा अन्य उपयोगी कार्यों में बंदियों को नियमानुसार संलिप्त रखे, जिससे कि बंदियों में सुधार आ सके। महात्मा गाँधी जी के उन शब्दों को ध्यान में रखना सभी के लिए आवश्यक है।

''पाप से डरो, पापी से नहीं''

' ' ' '

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32.	सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33.	सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34.	सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35.	सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36.	सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37.	सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38.	सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39.	सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40.	सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41.	सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42.	सरल कानूनी ज्ञान माला–42	शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43.	सरल कानूनी ज्ञान माला–43	समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं

44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड़स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कार्यपालक अध्यक्ष

सदस्य–सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला – 34

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड़ देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन/फैक्स 05942–236552, ई–मेल : **slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com**

एक परिचय

उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2008) की धारा–65(3) व 65(4) में प्रदत्त शक्तियों के अर्न्तगत उत्तराखण्ड पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के सेनानिवृत्त न्यायाधीश प्राधिकरण के मा0 अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं।

यह प्राधिकरण स्वायत्तशासी एवं अर्द्धन्यायिक संस्था है।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का कार्यालय 28, पार्क रोड़, लक्ष्मण चौक, देहरादून में स्थित है। इसका क्षेत्राधिकार समस्त उत्तराखण्ड में रहेगा। उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 71(2) के अधीन यह प्राधिकरण पुलिस कार्मिकों के विरूद्ध गम्भीर कदाचार (मतपवने डपेबवदकनबज) जैसे पुलिस हिरासत में मृत्यु, गंभीर चोट, बलात्कार या बलात्कार का प्रयास, विधि के सम्यक प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या निरोध, मानवाधिकारों का उल्लंघन, तथा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेगा। पुलिस अवचार (डपेबवदकनबज) की शिकायतें प्राप्त होने पर उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा 71(1) के अधीन जांच एवं आगे की कार्यवाही के लिए प्राधिकरण शिकायत पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को अग्रसारित करेगा। पुलिस महानिदेशक जांच करवाने के बाद समुचित कार्यवाही की सूचना प्राधिकरण को निर्धारित समय के अन्दर उपलब्ध करवायेंगे। तत्पश्चात् प्राधिकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित करेगा।

इसके अलावा पुलिस महानिदेशक प्रत्येक तीन माह में राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध अवचार के आरोपों के निस्तारित एवं लम्बित प्रकरणों पर विभागीय कार्यवाही की प्रगति की आख्या देंगे। साथ ही ऐसे प्रकरणों, जो विभागीय जांच हेतु लम्बित हों, और यदि जांच काफी समय से लम्बित है, तो लम्बित होने के कारणों सहित समीक्षा कर, प्राधिकरण को अवगत करेगा। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्राधिकरण शासन को यथोचित कार्यवाही हेतु संसूचित करेगा।

<u>उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 के मुख्य उद्देश्य</u>

पुलिस व्यवस्था की उभरती हुई चुनौतियों, कानून का शासन लागू करने, राज्य और जनता की सुरक्षा की समस्याएं एवं मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधिष्ठान, विनियमों तथा प्रबन्धन, पुलिस की भूमिका, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पुनः परिभाषित करते हुए दक्ष व्यावसायिक, प्रभावी जवाबदेह और जनता की पुलिस को उत्तरदायी बनाए जाने के दृष्टिकोण से यह अधिनियम भारत गणराज्य के 58वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया है।

<u>प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य</u>

प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड पुलिस बल में कार्यक्षमता का संचार करना तथा पुलिस कार्मिकों के अवचार व गम्भीर अवचार के कृत्यों को रोकना है। प्राधिकरण पुलिस कार्मिकों के अवचार व गम्भीर अवचार प्रथम दृष्टया पाये जाने पर उत्तराखण्ड शासन को उचित कार्यवाही की सिफारिश करेगा। इस प्राधिकरण द्वारा शिकायत प्राप्त करने के कई माध्यम हैं। प्राधिकरण किसी भी शिकायतकर्ता से शिकायत को सीधे या डाक द्वारा भी प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार एवं महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड भी प्राधिकरण को पुलिस के विरूद्ध शिकायत जांच के लिए भेज सकती है।

प्राधिकरण की शक्तियां

उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 72

(1) प्राधिकरण, विधिक विशेषाधिकार के अधीन, ऐसे बिन्दुओं या मामलों पर, किसी व्यक्ति से सूचना प्रदान करने की अपेक्षा करने के लिए अधिकृत होगा, जो प्राधिकरण की राय में जांच के विषय में उपयोगी अथवा संगत हो सकती है और ऐसे व्यक्ति, जिससे ऐसी अपेक्षा की गयी है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 176 और 177 के अर्थान्तर्गत ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए बाध्यकारी होगा।

(2) प्राधिकरण को, इस अध्याय के अर्न्तगत, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां होगी।

(3) ऐसे मामलों में, जिनमें प्राधिकरण द्वारा सीधे जांच की जा रही हो, प्राधिकरण जांच पूर्ण होने पर, अपने निष्कर्ष से राज्य सरकार को सूचित कर सकेगी और समुचित कार्यवाही की सिफारिश कर सकेगी।

शिकायतकर्ता के अधिकार

उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 धारा 74

(1) कोई भी व्यक्ति पुलिस कार्मिकों के किसी "अवचार" अथवा "गम्भीर अवचार" से सम्बन्धित शिकायत प्राधिकरण में दर्ज करा सकेगा; परन्तु यह कि प्राधिकरण द्वारा कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जायेगी, यदि विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण अथवा किसी न्यायालय द्वारा उस शिकायत की विषयवस्तु की जांच की जा रही है।

(2) उन मामलों में, जहां किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस प्राधिकारियों से शिकायत की गयी है, वह, विभागीय जांच की किसी अवस्था में, जांच प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब के विषय में प्राधिकरण को सूचित कर सकता है।

(3) शिकायतकर्ता को, जांच प्राधिकारी (सम्बन्धित पुलिस प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण) द्वारा जांच की प्रगति के सम्बन्ध में समय–समय पर सूचित किये जाने का अधिकार होगा। जांच अथवा विभागीय कार्यवाही के पूर्ण होने पर शिकायतकर्ता को उसके निष्कर्षो के सम्बन्ध में यथाशीघ्र सूचित किया जायेगा।

शिकायत प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भिक जांच की कार्यवाही

(1) शिकायत प्राप्त होने पर प्राधिकरण को अधिकार है कि वह या तो पुलिसकर्मी के विरूद्ध अवचारों की जांच किसी जांच ऐजेन्सी या अवकाश प्राप्त सी0आई0डी0, इन्टेलिजेन्स, विजिलेन्स और किसी अन्य संस्था से करा सकता है और उनकी जांच रिपोर्ट एक नियत समय में प्राधिकरण मंगा सकता है। यह प्राधिकरण का पूर्ण कार्यक्षेत्र है कि वह पुलिस अधिकारी से भी इस मामलें में जांच करा सकता है।

(2) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध करायी जाती है और यदि रिपोर्ट शिकायतकर्ता के विरूद्ध होती है तो शिकायतकर्ता उसके सम्बन्ध में अपनी आपत्ति शपथ पत्र पर कर सकता है। वह शपथ पत्र प्राधिकरण द्वारा विहित समय के भीतर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकरण जैसा उचित समझता है वैसा निर्देश साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। यदि प्राधिकरण को यह समाधान हो जाता है कि वास्तव में इस मामले पर कुछ आगे जांच करना प्रथम दृष्टया आवश्यक है, तो वह मामले का संज्ञान लेकर प्रत्यर्थीगणों को नोटिस भेजता है।

(3) प्रत्यर्थी भी प्राधिकरण के आदेश के अधीन या तो स्वयं प्राधिकरण में उपस्थित होकर या डाक द्वारा प्राधिकरण द्वारा दिये गये समय के भीतर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत/प्रेषित साक्ष्यों व दस्तावेज से प्राधिकरण अवचार का मामला नहीं पाता है तो वह मामले को वहीं समाप्त कर सकता है।

(4) प्रतिउत्तर प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण दोनों पक्षों को अपने–अपने साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देता है और उस निर्देश के अधीन वे प्राधिकरण में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) यदि साक्ष्य शपथ पत्र में दिये गये हों तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्राधिकरण पुनः आहूत कर प्रतिपरीक्षा कर सकता है।

(6) इसके उपरान्त दोनों के तर्क वितर्क को सुनने के उपरान्त प्राधिकरण अपने निष्कर्ष शासन को प्रेषित करता है और यह भी सुझाव देता है कि सम्बन्धित पुलिसकर्मी के विरूद्ध क्या–क्या कार्यवाही की जाये। प्राधिकरण को यह भी अनुज्ञय है कि वह प्रशासनिक जांच या दण्डात्मक कार्यवाही के लिए शासन को अपनी संस्तुति भेज सकता है और शासन से उस मामले पर की गई अग्रिम कार्यवाही की आख्या मांग सकता है।

<u>परिशिष्ट "क"</u>

<u>शिकायत का प्रपत्र</u>

1. शिकायतकर्ता का नाम :

2. पिता का नाम :

3. व्यवसाय :

4. स्थायी पता :–

   (क) नाम :

   (ख) स्थान :

   (ग) डाकघर व पुलिस थाना :

   (घ) जनपद :

5. जिस पुलिस कर्मी के विरूद्ध शिकायत की जा रही है उसका नाम, पदनाम (जो मामले के विषय में शिकायत किए जाने के समय पर रहा हो) और वर्तमान पता (यदि ज्ञात हो)। :

6. दिनांक जब शिकायत का कारण उत्पन्न हुआ हो :

7. शिकायतकर्ता अग्रेतर घोषणा करता है कि शिकायत घटना के 6 माह की विहित परिसीमा अवधि के भीतर है। :

8. शिकायत विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण :

9. क्या शिकायत पहले किसी वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष की गयी थी या किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की गयी थी ? यदि हाँ तो उसका क्या परिणाम निकला, यदि नहीं, तो कृपया संक्षेप में कारण बतायें। :

10. अवचार व गम्भीर अवचार की तिथि :

11. क्या ऐसे अन्य व्यक्ति भी हैं जिन्हें शिकायत से सम्बन्धित तथ्यों के बारे में जानकारी हो, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा समन करना चाहें। :

12. शिकायत में संलग्न दस्तावेजों की सूची जिसमें शिकायत का शपथ पत्र भी सम्मिलित है। :

13. शिकायत का विवरण :

14. शिकायतकर्ता अग्रेतर घोषणा करता है कि उसने इस विषय में, जिसके सम्बन्ध में शिकायती पत्र दिया है, कोई आवेदन, रिट याचिका या वाद पूर्व में किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकरण के किसी अन्य पीठ के समक्ष दाखिल नहीं किया है और न ही कोई ऐसा आवेदन–पत्र, रिट याचिका या वाद उनके से किसी के समक्ष लम्बित है।

यदि शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में ऐसा कोई आवेदन–पत्र, रिट याचिका या वाद दाखिल किया जा चुका है तो वह प्रक्रम जिस पर वह लम्बित है और यदि विनिश्चय हो चुका है तो विनिश्यच की सूची उसके समर्थन में दिये जाने वाले अनुलग्नक की संख्या के सन्दर्भ सहित, दी जानी चाहिए।

15. संलग्नकों व दस्तावेजों की सूची :–

;पद्ध

;पपद्ध

;पपपद्ध

;पअद्ध

<u>सत्यापन</u>

मैं .... (शिकायतकर्ता का नाम) पुत्र, पत्नी, पुत्री श्री ....आयु .... निवासी .... (पूरा पता) एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि पैरा ....से .... तक की विषय वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है और पैरा ....से .... तक की विषय वस्तु के बारे में ज्ञान व दस्तावेजों के आधार पर मुझे विश्वास है कि सत्य है और कि मैंने कोई तात्विक तथ्य छिपाया नहीं है।

दिनांक : शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

नोट : शिकायत तीन प्रतियों (मूल प्रति एवं छायाप्रति) में प्रस्तुत/प्रेषित करें।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1 उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2 पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3 वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4 उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5 सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6 महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7 वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8 भ्रष्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9 मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10 मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11 मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12 भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13 उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14 झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15 किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16 मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17 बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18 नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19 उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20 मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21 प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22 दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24 हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25 बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26 उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक

39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य–सचिव **कार्यपालक अध्यक्ष**

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला – 36

श्रम कानून

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

1. कहानी – मेहनत की कीमत

मुकेष एक कपड़ा मिल में लूम चलाने का काम करता था। उसका एक ही बेटा था। सुरेष 10 वीं में पढ़ता था।

एक दिन मुकेष जब काम से लौट कर घर पहुंचा तो बेटा सुरेष अपनी पूरी मित्र मंडली के साथ घर पर किसी चर्चा में व्यस्त था।

सुरेष बोला ''लो पिताजी आ गये। उन्हीं की मदद लेते हैं''।

मुकेष को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा– ''कैसी मदद भाई? क्या बात है? कोई गंम्भीर चर्चा हो रही है?''

सब हंस पड़े।

सुरेष बोला ''पिताजी स्कूल में वार्शिक उत्सव मनाया जा रहा है। हम सबकों एक नाटक करना है। कोई विशय बताओं ना? नाटक हम लिख लेंगे।''

मुकेष मुस्कराया। अपने छात्र जीवन में वो भी नाटकों में हिस्सा लेता रहा था। मुकेष बोला–''जब हम पढ़ते थे तो हमने भी बहुत नाटक किये। लेकिन एक नाटक को मैं कभी भूल नहीं पाता।''

सुरेष ने पूछा ''क्या नाम था उस नाटक का?''

''मेहनत की कीमत''– मुकेष ने कहा।

सब बच्चे बोले– ''उसकी कहानी बता दो। नाटक हम लिख लेंगे।''

मुकेष ने बोलना षुरू किया–

एक राजा की रानी बीमार पड़ गयी। राजवैद्य को दिखाया। कोई फायदा न हुआ। दूर देष के वैद्य बुलाये गये। सब बेकार। झाड़ने फूंकने वाले आये। कुछ न हुआ। रानी की हालत बिगड़ती गई।

राजा ने पुरस्कार की घोशणा कर दी कि जो कोई मेरी रानी का उपचार कर देगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जायेगा।

पुरस्कार की खबर आसपास के राज्यों तक फैलने लगी।

राजा की निराषा बढ़ती जा रही थी।

दिन बीतते गये–महीनों बीत गये। रानी मरणासन्न हो गई। तभी किसी दूर देष से एक वैद्य आया उसने राजमहल के द्वारपाल से कहा ''मैं राजा से मिलना चाहता हूं।''

द्वारपाल ने पूछा ''किसलिए''?

वैद्य बोला– ''सम्राट को जाकर बताओं कि मैं रानी का उपचार कर सकता हूं।''

''थोड़ी देर प्रतीक्षा करो''– ये कहकर द्वारपाल राजा के पास दौड़कर गया।

कुछ देर बाद राजा स्वयं दौड़कर वैद्य को लेने आया।

वैद्य ने राजमहल में जाकर रानी की जांच की और बोला– ''रानी ठीक हो जायेगी महाराज और मेरी एक पुड़िया में ही हो जायेगी।''

राजा बड़ी प्रसन्नता से बाला–''दवा फौरन दीजिए ना वैद्यराज''

वैद्यराज ने थैले में से एक पुड़िया निकाली और कहा ''ये लो एक ही पुड़िया है'' इसे दो बूंद पसीने में मिलाकर दे देना–ईष्वर ने चाहा तो एक पुड़िया ही काम कर जायेगी।''

राजा ने पास खड़े मंत्री से कहा ''वैद्यराज को हमारे विषेश अतिथिगृह में ले जाइये। पूरे सम्मान के साथ इनके रहने की व्यवस्था करो। महारानी के ठीक होने तक ये हमारे राजकीय अतिथि रहेंगे। दवा ने काम किया जो इन्हें बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।''

वैद्यराज राजा को प्रणाम करके मंत्री के साथ अतिथिगृह चले गये।

अगले दिन राजा ने अपने मंत्रीमंडल की बैठक बुलाकर महामंत्री से कहा ''महामंत्री आप जानते हो महारानी अस्वस्थ हैं। वैद्यराज की दवा दो बूंद पसीने में मिलाकर देना है। क्या दो बूंद पसीना है आपके पास?''

महामंत्री बंगलें झांकते हुए बाला– ''महाराज मेरे पास तो नहीं है–हां मैं बहुत जल्दी पसीने की बूंदों की व्यवस्था कर दूंगा। मुझे कुछ समय दीजिए।''

राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। राजा बोला ''अगर सात दिन के अंदर दो बूंद पसीना नहीं मिला तो याद रखना आपको सूली पर लटका दूंगा। जाईये।''

मंत्री ने भी तुरंत अपने चार दूतों का दल बुलवाया और कहा–''तुम चारों लोग चार दिषाओं में जाओ। एक उत्तर में, एक दक्षिण में, एक पूरब में और एक पष्चिम में। पांच दिन में जहां से भी मिले पसीने की बूंद लेकर आओ। फौरन जाओ अभी। याद रखना यदि पसीने की बूंद लेकर नहीं आये तो मैं तो फांसी पर बाद में चढूंगा लेकिन पहले मैं तुम चारों को फांसी पर लटका दूंगा। जाओ।''

चारों दूत चारों दिषाओं में चले गये।

दूत भटकते रहे। पसीने की बूंद नहीं मिली। पसीना ना मिलने का मूल कारण यह था कि राजा के राज्य में सभी विलासिता में डूबे थे, धनी थे।

राज्य में कोई भी मेहनत नहीं करता था। सब कामचोर थे। आलसी थे।

पसीने की तलाष में भटकते–भटकते चारों दूतों को चार दिन बीत गये। निराष होकर चारों राज्य की तरफ लौट रहे थे। तभी एक नगर सेठ अपने सर पर एक गठरी रखकर ले जा रहा था। एक दूत ने पूछा ''तेरे सर पर क्या है सेठ?''

सेठ बोला–''मेरे खून पसीने की कमाई है।'' चारों दूत खुषी से उछल पड़े। चारों एक साथ बोले ''मिल गया पसीना।''

सेठ को पकड़कर वो राजमहल में महामंत्री के पास ले गये। एक दूत बोला–''महाराज इसके पास है पसीना।''

महामंत्री खुष होकर बोला ''इसे ले चलो महाराज के पास।''

तुरंत सेठ को लेकर महामंत्री राजा के पास पहुंच गया और बोला–''महाराज मिल गया पसीना–इस सेठ के पास है।''

राजा ने पूछा, क्यों नगर सेठ इस गठरी में क्या है?''

सेठ डरते–डरते बोला–''मेरे खून पसीने की कमाई है।''

''गठरी खोल कर दिखाओ''–राजा ने कहा।

सेठ ने डरते–डरते गठरी खोली तो राजा चौंक गया। उसमें रानी के गहने थे जो कुछ दिन पहले चोरी हो गये थे।

राजा क्रोध में बोले– ''ये तो चोरी के गहने हैं।''

''मुझे नहीं मालूम महाराज मुझे तो एक व्यक्ति बेच गया था।'' सेठ बोला।

राजा के क्रोध का ठिकाना न रहा। वो तिलमिला कर बोले– ''पूरे राज्य में दो बूंद पसीना नहीं मिला–फांसी का फंदा लाओ।''

दरबार के बीचों बीच फांसी का फंदा रखवाया गया।

पूरे दरबारी खड़े होकर डरे–डरे राजा की तरफ देख रहे थे।

राजा ने महामंत्री से पूछा ''बताओ फांसी पर किसे चढ़ाऊं?''

महामंत्री बोला ''महाराज मुझे चढ़ा दीजिये। मैं पसीने की दो बूंद नहीं ढूंढ सका।''

सेठ बोला ''फांसी पर मुझे लटका दीजिये महाराज मैंने चोरी का माल खरीदा।''

राजा ने आंख बंद करके चिल्लाकर कहा ''फांसी पर हम लटकेंगे।''

दरबारियों में हाहाकार मच गया।

राजगुरू बोले ''आप क्यों राजन? आपने क्या अपराध किया है।''

राजा बोले ''जिस राजा के राज्य में लोग श्रम करना भूल जाये, विलासी, आसली और निकम्में हो जायें–उस राज के राजा को जीने का अधिकार नहीं है।''

सब दरबारी षोर षराबा करने लगे।

महामंत्री बोला ''रूकिये महाराज। एक बार मुझे दरबारियों से कुछ पूछने की आज्ञा दें?''

राजा ने सिर झुका दिया।

महामंत्री ने पूछा ''आप सबके सहयोग से ही राजकाज चलता है–हमारे राजा फांसी पर चढ़ना चाहते हैं क्या राय है आपकी?''

सब दरबारी हाथ जोड़कर राजा से क्षमा याचना करते हुए बोले–''महाराज हमें क्षमा कीजिये। आप अपना निर्णय बदल लीजिए। हम षपथ लेते हैं हम आज से ही काम करेंगे। श्रम करेंगे। पूरे राज्य के लोगों को भी श्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। श्रम की रोटी खायेंगे।''

राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई।

राज्य के सभी लोग श्रम करने लगे। पसीना बहाने लगे।

रानी को पसीने की बूंद में मिलाकर दवा दी गई और रानी स्वस्थ हो गई।

देष के प्रसिद्ध नाटककार ''विजय तेंदुलकर'' की यह कहानी समाज के सामने बड़े प्रष्न खड़े करती है। सच पूछिये तो अपने हिस्से का श्रम किये बगैर हमें धरती के अन्न का एक दाना भी खाने का भी अधिकार नहीं है।

जरूरी है सभी लोग श्रम करें और श्रम का पूरा मोल भी लें।

श्रम का पूरा–पूरा मोल मिल सके इसके लिये ''श्रम कानून'' भी बने हैं जो श्रम का उचित मूल्यांकन करते हुए कामगारों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

आईये जानते हैं श्रम कानूनों को।

2. श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून

राजेन्द्र एक कपड़ा मिल में काम करता था। काम के दौरान उसका बांया हाथ एक मषीन में आने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तुरंत अस्पताल ले जाया गया। महीनों में घाव तो ठीक हो गये लेकिन बांया हाथ काम करने लायक नहीं रहा। मनीश के पिता धनबाद की एक कोयला खदान में काम करते थे। कोयला खदान धसकने से उनकी मौत हो गयी। जसबीर अहमदाबाद के एक प्रासेस हाउस में काम करता था। कपड़ों की रंगाई करते समय एक आंख में कास्टिक सोड़ा गिरने से उसकी एक आंख हमेषा के लिए खराब हो गई। इस तरह की अनेक घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं। ऐसी घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लाभ पहुॅचाने में ''श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून'' काम आता है। श्रमिक प्रतिकार अधिनियम 1923 की धारा 3 के अंतर्गत यदि किसी श्रमिक को कार्य के समय या कार्य के दौरान क्षति पहुंची है तो क्षतिपूर्ति के लिए मालिक उत्तरदायी होगा।

क्या है इस कानून में?

प्रष्न : किसी कामगार की चोट या बीमारी के कारण मृत्यु हो जाये तो क्षतिपूर्ति कैसे होगी?

उत्तर : वारिसों को मुआवजा मिलेगा।

प्रष्न : वारिस में कौन–कौन आते हैं?

उत्तर :

- कामगार की विधवा।
- नाबालिग बच्चे।
- अविवाहित लड़कियां।
- विधवा मां।
- अपाहिज लड़का या लड़की, वह बालिग हो या नाबालिग।
- मृतक की कमाई से जुड़े निम्नलिखित कामगारों को भी मुआवजा मिलेगा–
  - ➢ पिता।
  - ➢ नाबालिग बच्चे।
  - ➢ नाजायज बच्चे।
  - ➢ विधवा बहू।
  - ➢ गुजरे हुए लड़के के नाबालिग बच्चे।
  - ➢ विधवा नाबालिग बहन।
  - ➢ अविवाहित बहन।
  - ➢ यदि मृतक के माता पिता न हो तो दादा–दादी।

मुआवजे के लिए क्षेत्र के 'श्रम अधिकारी', श्रम इन्सपेक्टर आदि से सलाह मिल जाती है कि मजदूर का काम कौन सी श्रेणी में आता है और मुआवजे के लिये क्या करता है।

प्रष्न : क्षतिग्रस्त होने पर वो कौन–कौन से कार्य हैं जिसके लिए मुआवजा दिया जाता है?

उत्तर :

- किसी लिफ्ट या अन्य वाहन पर सामान चढ़ाने–उतारने, या देखभाल का काम।
- रेल, डाकखानों या फैक्ट्रियों के काम।
- इमारत, बांध, सड़क, पुल, सुरंग आदि के बनाने, गिराने या देखभाल का काम।
- ट्यूबवैल की देख–रेख व सुधारने का काम।
- बिजली की देख–रेख का काम।
- ट्रैक्टर या अन्य यंत्रों से खेती का काम।
- किसी वस्तु को बनाने, बदलने, सुधारने, सजाने के लिए किसी ऐसी जगह के काम जहां 20 से ज्यादा लोग काम करते हों।

आप जो काम कर रहे हैं वह इस कानून में आता है या नहीं यह जानने के लिए पास के कानूनी सहायता केन्द्र (लीगल एड सेंटर) या कल्याण केन्द्र से सलाह और सहायता ले सकते हैं।

प्रष्न : किस तरह की चोटों के लिए मुआवजा मिल सकता है?

उत्तर : अंग कट जाना, आंखों की रोषनी चली जाना। इसके अलावा यदि चोट इतनी गंभीर है कि व्यक्ति के कमाने की षक्ति चली गई है तो भी मुआवजा दिया जायेगा।

प्रष्न : क्या फैक्ट्री से बाहर घटी दुर्घटना का भी मुआवजा मिलता है?

उत्तर : हां, यदि पीड़ित व्यक्ति उस वक्त ड्यूटी पर रहा है।

एक लड़का गोदाम में चाय देने का काम करता था। गोदाम के काम करने वालों के लिए वो चाय लेकर जा रहा था। पुलिस वालों को गोदाम के बाहर भीड़ पर काबू पाने के लिए गोली चलानी पड़ी जिससे चाय वाले लड़के की मौत हो गयी। मालिक की कोई गलती नहीं थी। फिर भी मालिक को उस लड़के के परिवार को मुआवजा देना पड़ेगा।

प्रश्न : कई जगह मजदूरों को काम ठेकेदारों के जरिए मिलता है। क्या ठेके पर रखे गये मजदूरों को मालिक से मुआवजा मिलेगा?

उत्तर : हॉ, ठेके पर रखे गये मजदूरों को भी मालिक से उपयुक्त कानूनी धाराओं के तहत मुआवजा मिलेगा।

प्रष्न : किन कारणों में मुआवजा नहीं मिलता?

उत्तर :

- चोट के कारण 3 दिन या उससे कम अवधि के लिए कार्य करने में अयोग्य हो।
- जब दुर्घटना नषीली वस्तु का सेवन करने से हुई हो।
- जब सुरक्षा के साधनों की श्रमिक ने जानबूझकर अनदेखी की हो।
- जब दुर्घटना काम के दौरान न हुई हो।

प्रष्न : चोट लगने पर कितना मुआवजा मिलता है?

उत्तर :

- मुआवजा कितना मिलेगा यह चोट पर निर्भर करता है। अगर चोट गंभीर होगी तो मुआवजा ज्यादा मिलेगा।
- मुआवजे की रकम इससे तय की जाती है कि चोट लगने के समय वह कितना कमाता था।
- अगर काम करने वाले की उम्र कम थी तो ज्यादा मुआवजा मिलेगा क्योंकि उसकी ज्यादा लम्बे समय की कमाई का नुकसान हुआ है।

- यदि नौकरी छोड़ने के दो वर्श के भीतर ही कामगार को बीमारी लग जाती है तो मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा। बीमारी जैसे : कैंसर, टी.बी., दमा, मोतियाबिंद, सुनने की षक्ति चले जाना आदि।

प्रश्न : मुआवजा लेने के लिए क्या करना होगा?

उत्तर :

- दुर्घटना के तुरंत बाद मालिक को एक सूचना पत्र (नोटिस) देना होगा।
- नोटिस में नाम, चोट का कारण, दुर्घटना की तारीख ये सभी बातें षामिल होंगी।
- कमिष्नर को एक अर्जी देना होगी।
- अर्जी दुर्घटना के दो साल के अंदर या कामगार की मौत के दो साल के अंदर देनी होगी।

प्रष्न : काम करते समय किसी महिला श्रमिक को चोट लग जाती है या मृत्यु हो जाती है तो मुआवजा कैसे मिलेगा?

उत्तर :

- यदि किसी महिला कामगार को चोट लगती है और उसे मुआवजे की रकम इकट्ठी दी जा रही है तो वह रकम कमिष्नर के द्वारा ही दी जा सकती है।
- अगर कामगार की मृत्यु हुई हो तो भी मालिक मृतक के रिष्तेदारों को सीधा मुआवजा नहीं दे सकता। कमिष्नर के पास रकम जमा की जायेगी। कमिष्नर ही कामगार के रिष्तेदारों को पैसा देगा।

प्रष्न : कई बार मालिक मजदूर की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे लिखवा लेते हैं कि दुर्घटना के लिए मालिक जिम्मेदार नहीं है तो क्या मृतक के वारिसों को न्याय मिलेगा?

उत्तर : बिल्कुल मिलेगा। इस तरह लिखवाया गया समझौता मान्य नहीं है। दुर्घटना घटने पर कुछ जरूरी बातें याद रखें। डॉक्टरी जांच करायें। हो सके तो सरकारी डॉक्टर से करायें। डॉक्टर से रिपोर्ट की कापी भी ले लें। पास के थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराकर उसकी नकल ले लें। अगर थाने जाना संभव न हो तो किसी को भेजकर एफ.आई.आर. दर्ज जरूर करायें। मुआवजा लेने के लिए डॉक्टरी रिपोर्ट और गवाहों का होना बहुत जरूरी है। मृत्यु के मामले में कम से कम रू0 1,20,000/– तथा पूरी तरह या स्थाई अपंगता के मामले में कम से कम रू0 1,40,000/– तो होने ही चाहिये।

3. अन्तर राज्यिक प्रवासी मजदूर कानून

अक्सर देखा गया है कि वे लोग जिनके पास आजीविका चलाने के लिए अपने खुद के साधन नहीं हैं उन्हें मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है। गांव में काम न मिलने पर काम की तलाष में गांव से बाहर जाना पड़ता है। कभी इस षहर तो कभी उस षहर। कभी इस राज्य में तो कभी दूसरे राज्य में। फसल के समय तो बाहर काफी काम मिल जाता है। काम की तलाष में दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों को ''प्रवासी मजदूर'' कहते हैं। ऐसे लोगों को अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने एक कानून बनाया है जिसे ''अन्तर राज्यिक प्रवासी मजदूर अधिनियम, 1979'' कहते हैं।

फसल कटाई के समय कई बार तो दूसरे राज्यों के ठेकेदार काम कराने के लिए अपने राज्य से बाहर के मजदूरों को भर्ती करके ले आते हैं। देखने में आया है कि दूसरे राज्यों में जाकर सीधे–सादे मजदूरों का कई बार षोशण भी होता है। मजदूरी कम मिलती है। अन्य सुविधाएं जो मिलनी चाहिये वो भी नहीं मिलती। हालांकि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने नियम कानून बनाये हैं लेकिन पढ़े–लिखे न होने और जागरूकता के अभाव में मजदूरों को अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। आईये जानते हैं प्रवासी मजदूरों के हित में कानून क्या कहते हैं–

प्रष्न : दूसरे राज्य से आया यदि कोई ठेकेदार मजदूरों को काम पर ले जाने के लिए बात करता है तो क्या ठेकेदार से मिलकर काम पर जाना चाहिये?

उत्तर : हां, जरूर जाना चाहिये। लेकिन उसके साथ जाने से पहले यह सुनिष्चित कर लें कि वह असली ठेकेदार है या नहीं?

प्रष्न : यह पता कैसे चलेगा?
उत्तर : जो भी ठेकेदार दूसरे प्रदेष से 5 या उससे अधिक मजदूरों को भर्ती करके ले जाना चाहता है उसके पास प्रदेष की सरकार का दिया हुआ लाइसेंस होना चाहिये जिसमें वैधता की तारीख और मजदूरों की भर्ती की संख्या भी लिखी होगी। मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेष का ठेकेदार उत्तराखण्ड से मजदूरों को अपने यहां ले जाना चाहता है तो उसके पास उत्तराखण्ड सरकार का लाइसेंस होना चाहिये।
प्रष्न : क्या ठेकेदार के साथ ले जाने के लिए हमें कोई भी कागज या अनुबंध पत्र देता है?
उत्तर : हां, ठेकेदार एक पासबुक देता है जिसमें ये सब बातें होनी चाहिये–

- फोटो।
- नाम।
- काम की जगह।
- जब तक काम होगा उसकी तारीख।
- मजदूरी की दर।
- मजदूरी देने की तारीख।
- विस्थापन भत्ता।
- वापसी किराये की दर।
- कटौती (यदि की गई हो) और अग्रिम राषि/एडवांस (लिया हो तो)।
- भर्ती की तारीख और काम षुरू करने की तारीख।
- हाजिरी और काम की जानकारी।
- नजदीकी रिष्तेदार का नाम और पता।

प्रष्न : विस्थापन भत्ता क्या होता है?
उत्तर : अपना प्रदेष छोड़कर दूसरे प्रदेष में काम के लिए जाने वाले मजदूर को दूसरे राज्य में जाने के लिये कुछ अलग से पैसे दिये जाते हैं जो ''विस्थापन भत्ता'' कहलाता है।
प्रष्न : यह भत्ता कितना मिलता है?
उत्तर : एक महीने की मजदूरी का आधा।
प्रष्न : क्या आने–जाने का किराया भी ठेकेदार देगा?
उत्तरः हां।
प्रष्न : यदि कुछ समय बाद ही काम से हटा दिया जाता है तो कितने पैसे वापस करने पड़ेंगें?
उत्तर : नहीं। अगर ठेकेदार तय किये गये समय से पहले ही काम से छुट्टी कर देता है तो भी विस्थापन भत्ता और वापसी के टिकिट के पैसे नहीं लौटाने पड़ेंगे।
प्रष्न : पासबुक में नजदीकी रिष्तेदार का नाम और पता क्यों लिखवाया जाता है?
उत्तर : काम करते समय कई बार गंभीर दुर्घटना भी घट जाती है। उससे कभी कभी गंभीर चोट लग सकती है या जान भी जा सकती है। ऐसी हालत में ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वह तुरंत ही कामगार के नजदीकी रिष्तेदार और सरकार को सारी जानकारी तार द्वारा भेजें। मौत हो जाने पर नजदीकी रिष्तेदार को कानून के मुताबिक मुआवजे की रकम दी जाएगी।
प्रष्न : क्या हर प्रदेष में न्यूनतम मजदूरी एक समान है?
उत्तर : नहीं। हर प्रदेष की न्यूनतम मजदूरी राज्य षासन द्वारा निर्धारित होती है और ये अलग–अलग होती है परंतु महिला और पुरूश को एक समान मजदूरी दी जाती है।
प्रष्न : क्या मिलने वाली मजदूरी में कोई कटौती की जाती है?
उत्तर : नहीं। हर महीने में कम से कम एक बार मजदूरी नकद मिलती है। मजदूरी मिलते समय जिसका काम कर रहे हो उसे वहां होना चाहिये। साथ ही मालिक यह लिखकर भी देगा कि उसके सामने मजदूरी दी गयी। मिलने वाली मजदूरी में सिर्फ सरकार द्वारा तय की गई कटौतियां ही हो सकती हैं और कुछ नहीं।

प्रष्न : जब कोई अपने गांव से दूसरे प्रदेष में काम करने जाता है तो क्या यात्रा में लगने वाले समय का भुगतान मिलता है?
उत्तर : मिलता है।
प्रष्न : यदि ठंडे प्रदेष में मजदूरी करने जाना हो तो क्या ठेकेदार ठंड से बचने को गर्म कपड़ों की व्यवस्था भी करता है?
उत्तर : हां।
प्रष्न : दूसरे प्रदेष में घर–गृहस्थी के रख रखाव और जीवन यापन की दूसरी सुविधायें क्या–क्या मिलती हैं?
उत्तर :

- मकान।
- डॉक्टरी सुविधा।
- अस्पताल में भर्ती होने पर दवा, खाने–पीने और आने–जाने का खर्च।
- पीने का पानी, कपड़े धोने की सुविधा।
- षौचालय।
- कैन्टीन।
- 20 से ज्यादा औरतें यदि तीन महीने से ज्यादा समय के लिए काम करती हैं तो बच्चों के लिए बालवाड़ी की सुविधा।

प्रश्न : इतनी सारी सुविधायें मिलेंगी इसकी क्या गांरटी है?
उत्तर : कोई व्यक्ति या संस्था यदि दूसरे प्रदेष से आने वाले 5 या उससे अधिक मजदूरों से काम लेती है तो सरकार उनका पंजीकरण करती हैं ठेकेदार को एक लाइसेंस भी लेना पड़ता है। पंजीकरण और लाइसेंस देते समय सरकार यह आष्वासन लेती है कि कानून का पूरी तरह पालन किया जायेगा और उक्त सुविधायें दी जायेंगी। ठेकेदार या मालिक यदि सुविधाएं नहीं देगा तो ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।
प्रष्न : काम से जुड़ी कोई षिकायत हो तो कहां करेंगे?
उत्तर : काम की जगहों पर सरकार की तरफ से लेबर इंस्पेक्टर और लेबर ऑफिसर भेजे जाते हैं। यदि सुविधायें नहीं मिल रही हैं तो उनसे षिकायत की जा सकती है।
प्रष्न : यदि उस प्रदेष के ठेकेदार या लेबर अफसर भी मजदूरों की नहीं सुनते हैं तो क्या किया जाए?
उत्तर : मजदूरों के अपने प्रदेष का अफसर भी काम की जगह आकर जांच कर सकता है। दूसरे प्रदेष जाने से पहले अच्छा यही है कि अपने जिले के लेबर इंस्पेक्टर को जाने की जानकारी दे दी जाये।
प्रष्न : यदि दूसरे प्रदेष में जाकर एक मालिक के यहां भरपूर काम नहीं मिलता तो क्या दूसरे काम ढूंढ सकते हैं?
उत्तर : हां। लेकिन एक बार यदि ठेकेदार का काम छोड़ दिया तो ''प्रवासी मजदूर कानून'' लागू नहीं होगा। नये मालिक पर कानून में बतायी गई सुविधाएं देने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। हां न्यूनतम मजदूरी और दुर्घटना होने पर दिये जाने वाले मुआवजे और दूसरे मजदूर कानूनों के फायदे तो मिलेंगे।
प्रष्न : मालिक और ठेकेदार का अपने प्रदेष में दबाव रहता है। यदि वे कानूनों का पालन नहीं करते तो बाहर से आाये मजदूर क्या कर सकते हैं?
उत्तर : यदि काम करने वाले प्रदेष में कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो मजदूर अपने गांव लौटकर 6 महीने के अंदर संबंधित अधिकारी को षिकायत कर सकता है। षिकायत का केस मजदूर के प्रदेष में ही लड़ा जायेगा।

4. ठेका मजदूरी

''ठेकेदारी'' षब्द से सभी परिचित हैं। बहुत से काम ठेकेदारी पर कराये जाते हैं। ठेकेदार काम कराने के लिए मजदूरों को श्रम पर रखता है। वो मजदूरों के हित में काम अपने आर्थिक लाभ की तरफ ज्यादा सोचता है। अक्सर कम मजदूरी देकर ज्यादा काम कराया जाता है। मजदूर गरीबी के कारण कम पैसों में ही काम करने को मजबूर हो जाते हैं। विरोध करने पर काम से निकाले जाने का भी डर रहता है। मजदूरों की इस विवषता को समझते हुए एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है ''ठेकाश्रम (विनिमय और उत्पादन) अधिनियम, 1970''

इस कानून का कहना है–

- मालिक यदि मजदूरों को ठेकेदार के जरिये काम पर रखता है तो मालिक का पंजीकृत होना जरूरी है।
- किसी मालिक को कोई ठेकेदार 20 या उससे ज्यादा मजदूर तभी दे सकता है जब उसके पास आज्ञा–पत्र या लाइसेंस हो।

वह मालिक या ठेकेदार जो पंजीकृत हैं या जिसके पास लाइसेंस/आज्ञा–पत्र है उसे मजदूरों की भलाई के लिए जिम्मेदार माना गया है। अगर मजदूरों द्वारा उनके खिलाफ षिकायत की जाती है तो सरकार उनको ही मजदूरी और सुविधायें देने के लिए मजबूर कर सकती है।

ठेकेदार से मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएं

- काम षुरू होने के सात दिनों के अंदर ठेकेदार को मजदूरों के लिए ये सुविधायें देनी होंगी–
- पीने का पानी।
- साफ–सफाई।
- पर्याप्त संख्या में षौचालय और मूत्रालय।
- प्राथमिक चिकित्सा।
- छः साल से छोटे बच्चों के लिए ठेकेदार को कम से कम दो कमरे देने होंगे। एक कमरा बच्चों के खेलने के लिये और दूसरा सोने के लिए। बच्चों को खेलने के लिए खिलौनों की व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी होगी।
- काम यदि तीन महीने एक ही स्थान पर किया जाना है और मजदूरों को कार्यस्थल पर ही रहना पड़े तो ठेकेदार को आराम के लिए कमरे या घर का प्रबंध करना होगा। काम षुरू होने के 15 दिन में इसकी व्यवस्था होना जरूरी है।
- कमरे ऐसे हों जो गर्मी, हवा और बरसात से बचाव कर सकें।
- कमरे का फर्ष चिकना हो और अच्छा हो।
- कमरे में पीने के पानी का प्रबंध हो।
- विश्राम का कमरा कार्यस्थल के पास ही हो।
- महिलाओं के लिए अलग कमरों की व्यवस्था होना चाहिये। कमरों में समुचित हवा और प्रकाष की व्यवस्था हो।
- काम यदि 6 महीने तक चलता है और 100 या उससे ज्यादा काम करने वाले मजदूर हैं तो ठेकेदार को एक कैन्टीन या भोजनालय का प्रबंध करना होगा जिसमें उचित मूल्य पर खाने–पीने का सामान मिलना चाहिये।
- कैन्टीन में खाने के लिए बड़ा कमरा, रसोई, भंडार घर और बर्तन धोने की जगह जरूर होना चाहिये।
- फर्ष साफ–सुथरा होना चाहिये।
- कैन्टीन में सफाई होना चाहिये।
- नालियां ढकी होना चाहिये।
- कूड़ा–करकट फेंकने का निर्धारित स्थान होना चाहिये।

- खाने के कमरे का एक हिस्सा महिलाओं के लिए होना चाहिए।
- पर्याप्त बर्तन, मेज, कुर्सी होने चाहिये।
- कैन्टीन कर्मचारियों को साफ–सुथरा रखना चाहिये।
- अगर इन सुविधाओं की व्यवस्था ठेकेदार नहीं करता है तो मालिक को इसका प्रबंध करना होगा।

प्रष्न : मजदूरी कब, कैसे और कितनी मिलना चाहिये?
उत्तर :

- मजदूरी, महीने में कम से कम एक बार जरूर मिलनी चाहिये।
- मजदूरी नकद मिलनी चाहिये।
- मजदूरी में कोई कटौती नहीं की जायेगी।
- मजदूरी देते समय मालिक का एक प्रतिनिधि भी वहां होना चाहिये।
- मजदूरी देने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है।

अगर ठेकेदार मजदूरी नहीं देता है तो क्या मालिक से मजदूरी की मांग की जा सकती है?

- 'न्यूनतम' मजदूरी सरकार द्वारा तय की गई निर्धारित धनराषि है। मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिये। हां उससे अधिक हो सकती है।
- अक्सर देखने में आता है कि ठेकेदार मजदूरी में से अपना कमीषन काटकर मजदूरी देता है। यह गलत है। इस तरह काम करने वालों को वास्तव में 'न्यूनतम मजदूरी' मिल ही नहीं पाती। ठेकेदार को कमीषन मालिक देता है। इसलिए मालिकों को ठेकेदार को मजदूरी से अधिक देना चाहिये ताकि ठेकेदार मजदूरों को पूरी मजदूरी दे सके।
- मजदूरों की दिहाड़ी में से ठेकेदार कमीषन नहीं काट सकता।
- मालिक के अपने मजदूर जितना घंटा काम करते हैं ठेके के मजदूरों से उतने ही घंटे काम लिया जा सकता है। स्थाई कर्मचारियों की तरह ठेके पर काम करने वाले मजदूर भी छुट्टियों के हकदार हैं।

यदि ठेकेदार मजदूरी और सुविधाएं कानून के मुताबिक नहीं देता है तो श्रम अधिकारी या श्रम इंस्पेक्टर के पास रिपोर्ट लिखवाकर हक लिया जा सकता है।

5. बंधुआ मजदूरी

श्रम, मानव सभ्यता का आभूशण है परंतु जब कभी हम बलात् श्रम (जबरिया मजदूरी) अथवा बंधुआ मजदूरी की घटनाएं देखते हैं, तब हमारे इस आभूशण की चमक षोशण के धब्बों में खो जाती है। सभ्य समाज में प्रत्येक मनुश्य की समता पूर्ण गरिमा ही स्थायी विकास का आधार होती है। किसी समय में मानवों की खरीद–बिक्री हुआ करती थी। समय बदला, सोच बदली और धीरे धीरे कई सौ वर्शो के सतत संघर्श के बाद लगभग सारी दुनिया में ऐसी परंपराओं को समाप्त किया जा सका। जब जिस तरह आर्थिक प्रगति हुई उसी रफ्तार से षोशण ने भी अपना रूप और षैली बदली। बढ़ती गई निर्धनता से उपजी, लाचारी और अमानवीय षर्तों पर भी काम खोजने की विवषता। तीन पीढ़ी पीछे पचास रूपये के कर्ज के बदले एक परिवार के सभी सदस्यों की आजन्म मजदूरी की बात षायद आज कुछ अविष्वसनीय सी लगे पर भारत के हर हिस्से में ये षोशण का तरीका न केवल मौजूद है बल्कि कुछ हद तक रीति रिवाजों का हिस्सा बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधे पेट भोजन के बदले जमीदारों के खेतों में काम करते श्रमिक हों या दहेज के पैसों के आष्वासन में कपड़ा मिलों में काम करती जवान लड़कियां हों, या फिर लगातार बढ़ते निर्माण (कन्सट्रक्षन) क्षेत्र हेतु ईंट भट्टें में झुलसते परिवार। इन सभी में आज भी बंधक श्रम न केवल जिंदा हैं बल्कि अपने नए अवतारों के साथ आधुनिक अर्थ व्यवस्था का फायदेमंद साझेदार भी बन गया है। यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या है।

निर्धनता एवं उससे उपजी ''ऋण'' आधारित बंधक श्रम के दो और प्रमुख कारण हैंः–

- पीड़ित व्यक्ति को बंधक श्रम संबंधी कानूनी जानकारी का अभाव।
- जानकारी के पष्चात् भी कानूनों का लाभ लेने के लिये साहस का अभाव।
- केवल मारपीट या बांध कर रखे जाने पर ही बंधुआ मजदूरी नहीं कहलाती बल्कि कई अन्य षोशक परिस्थितियों को भी बंधक श्रम की श्रेणी में रखा गया है।

बंधुआ मजदूर कौन हो सकता है?

- ➢ किसी कारण हेतु लिये गये कर्ज (ऋण) के श्रम द्वारा भुगतान करने वाला बाध्य श्रमिक।
- ➢ गिरवी रखे भूखण्ड को छुड़ाने के लिये बाध्य श्रम करता हुआ व्यक्ति।
- ➢ आवष्यकता पड़ने पर अनाज के उधार को मजदूरी से चुकाने हेतु बाध्य व्यक्ति।
- ➢ किसी जाति विषेश के होने के कारण जबरन श्रम करता व्यक्ति।
- ➢ किसी कार्य विषेश (कारखाना, खदान, ईंट भट्ठा) हेतु अग्रिम भुगतान के बदले बाध्य श्रम करता व्यक्ति।

- सामाजिक रूप से बंधुआ मजदूरी के प्रचलित नामकरण जिनमें से कुछ नाम आपने भी सुने होंगेः–
- बाहरमसिया, कमिया, कुठिया, भगेला, गर्रूगालू, हाली होल्या, जना, जीठा, खुंडित–मुंडित, लखड़ी, मुंझी, पलेरू, सुमंगली, नित मजूर, संजावत, सेवक, सेरी, वेट्टी आदि।

कानून क्या कहता है?

बंधक श्रम (उत्सादन) प्रथा अधिनियम, 1976 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के बंधक श्रम/बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी ठहराया गया है, साथ ही यह एक दण्डनीय अपराध भी माना गया है। इस कानून के लागू होने के साथ समस्त बंधुआ मजदूर स्वतंत्र एवं मुक्त घोशित किये गये हैं। वे सभी ऐसे कार्यों से मुक्त हैं जिनके लिये उन्हें बंधुआ मजदूर रखा गया था। वे उन सभी परंपराओं, ऋण/कर्जे, अग्रिम भुगतान के पालन/अदायगी से भी मुक्त हैं जिनके कारण उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा था। इस सिलसिले (बंधुआ मजदूरी) में लंबित सारे मुकदमों से भी उन श्रमिकों को मुक्त घोशित किया गया। ऐसा कोई भी समझौता/करार/अनुबंध वैध नही माना जाएगा जो किसी भी व्यक्ति से बंधुआ/जबरिया मजदूरी करवाता हो। ऐसा करने पर जमीदार/ठेकेदार को अधिकतम 3 वर्श तक का कारावास और रू0 2000/– तक के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

कोई बंधुआ मजदूरी का षिकार कैसे बन जाता है?

- आवष्यकताओं (अनाज, बीज, खाद, बीमारी, षादी, श्राद्ध आदि) के खर्च के लिये जमींदार/ठेकेदार से कर्जा लेकर चुका न पाने की स्थिति में ऋणदाता द्वारा जबरिया मजदूर बनाने पर। (इसे ऋण बंधत्व/डेब्ट बांडेज कहते हैं)
- अपने गांव/कस्बे में रोजी रोटी की व्यवस्था न होने के कारण दूसरे षहरों/राज्यों में ठेकेदारों द्वारा कम मजदूरी पर काम कराने तथा जबरिया मजदूर बनाने के बाद उनकी आवाजाही रोकने पर। (यह भी एक प्रकार का ऋण बंधत्व है)
- अधिक मजदूरी के प्रलोभन में बिना विचारे कार्य की षर्तों को स्वीकार करने पर बाद में आवाजाही अवरूद्ध कर जबरिया श्रम कराने पर। (इसे कैच बांडेज कहते हैं)
- माता पिता/पुरखों द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी के बदले मजदूरी करने पर। (यह भी एक प्रकार का ऋण बंधत्व है)
- किसी जाति विषेश की परंपरा के बलात पालन हेतु करवाया जाने वाला श्रम। (इसे जाति जन्म बंधत्व या कास्ट बांडेज कहा जाता है)
- यह भी बंधुआ मजदूरी हैः–
- किसी भी इच्छा के विरूद्ध उससे मजदूरी कराना।
- उधार या ब्याज की अदायगी के लिये जबरिया मजदूरी।

- एडवांस/अग्रिम ऋण के बदले जबरिया मजदूरी।
- अपनी इच्छा की षर्तों पर काम ढूंढने और करने की पाबंदी।
- ऋण भुगतान के लिये षारीरिक रूप से अवरूद्ध या बंदी बनाना।
- नाम मात्र मजदूरी या केवल भरण पोशण के लिये जबरिया मजदूरी।

अरे मैं तो बंधुआ मजदूरी में फंस गया हूं। अब मैं क्या करूं?

अगर आप किस भी प्रकार की बंधुआ मजदूरी के षिकार हैं तो घबरायें नहीं, हमारा कानून और हमारा प्रषासन आपके साथ है। आइए जानते हैं ऐसी स्थिति में आपके क्या अधिकार हैं:–

- आप से करवायी जा रही बंधुआ मजदूरी दण्डनीय अपराध है एवं ऐसा करवाने वाले व्यक्ति को 3 वर्श तक की सजा और रू0 2000/– जुर्माना हो सकता है।
- आप तत्काल प्रभाव से समस्त बंधत्व से मुक्त है और जिस उधार के बदले मजदूरी कर रहे थे उसे लौटाना नही पड़ेगा।
- अगर ऐसी किसी कर्ज वसूली का मुकदमा चल रहा है तो उससे भी आप को मुक्ति मिल जाएगी।
- अगर उधार के बदले कोई संपत्ति (जमीन, जेवर, सामान, जानवर) जब्त या गिरवी रखी गई है तो वह भी वापस कर दी जाएगी। ऐसा होने के बाद भी अगर ऋण दाता अपने पैसों की वापसी हेतु दबाव डालता है तो उसे रू0 2000/– का जुर्माना और 3 साल की कैद हो सकती है।
- कर्जे के बदले आपको या आपके परिवार जन को अगर बंधक बनाया या मुक्त आवागमन रोका जा रहा हो तो आपको मुक्त कराने का भार प्रषासन पर है।
- मजदूरी के दौरान मिले छौर–छप्पर से बेदखल नहीं किया जा सकता।

बंधुआ मजदूरी के षिकार होने का ज्ञान होने पर यह करें–

- स्वयं अथवा किसी सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायत आदि के द्वारा इस बात की षिकायत संबंधित अधिकारी (तहसीलदार, थाना, प्रभारी, जिला मजिस्ट्रेट) से करें।
- जहां तक संभव हो अपने षोशण का सिलसिलेवार ब्यौरा तैयार रखें। बतायी गई मजदूरी से कम मिलने का हिसाब रखें ताकि आपकी षेश मजदूरी वापस दिलवायी जा सके।
- अधिक से अधिक लोगों (साथी पीड़ितों) को जागरूक कर समूह रूप में षिकायत करें।
- अगर प्राण हानि की आषंका हो तो अविलंब स्थानीय पुलिस थाने में षिकायत करें एवं अपने मूल स्थान पर मित्रों, परिजनों आदि को सूचित करें।

कानून आपके लिये यह करेगा:–

- षिकायत प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बंधक मजदूरी प्रकरण की जांच एवं पीड़ित श्रमिकों की तत्काल मुक्ति की व्यवस्था की जाएगी।
- स्थानीय जिला कलेक्टर द्वारा समस्त छुड़ाये गये पीड़ित श्रमिकों को 'रिहाई प्रमाण पत्र' दिये जाएंगे।
- श्रमिकों के षेश भुगतान हेतु नियोक्ता पर कार्यवाही एवं बंधक श्रम सिद्व होने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- कार्य स्थल से मूल स्थान तक यात्रा की व्यवस्था की जाएगी।
- षासन द्वारा निर्धारित पैकेज के अंतर्गत पुनर्वास हेतु सहायता राषि दी जाएगी।
- मुक्त बंधुआ मजदूरों हेतु केन्द्र द्वारा पुनर्वास योजनाएं:–
    - ➢ प्रत्येक मुक्त बंधुआ मजदूर को पुनर्वास सहायता के रूप में रू0 25000/– (अथवा राज्य में तय राषि) की राषि दी जाती है।

➢ षासन द्वारा क्रियान्वित अन्य लाभकारी योजनाओं जैसे मनरेगा (रोजगार गारण्टी अधिनियम), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आदिवासी विकास योजना आदि का भी लाभ लिया जा सकता है।

बंधुआ मजदूरी से कैसे बचें?

- जहां तक संभव हो स्थानीय ग्राम पंचायत या सामाजिक संस्था से बंधुआ मजदूरी, पलायन, ठेका मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, प्रवासी श्रमिक आदि के विशय में स्पश्ट जानकारी प्राप्त करें।
- अपने ही क्षेत्र में स्वरोजगार, मनरेगा आदि के माध्यम से आर्थिक आधार सुदृढ़ करें एवं ऋण पर आश्रित जीवन षैली का त्याग करें।
- आकस्मिक आवष्यकताओं की स्थिति में स्व–सहायता समूहों से जुड़ें एवं अपने समूह से ही ऋण व्यवहार करें। षादी–ब्याह एवं मृत्यु संस्कारों पर व्यर्थ का खर्च न करें।
- अपने भोजन एवं आचार व्यवहार को संतुलित रखें तथा व्यसन पर संभावित व्यय को सीमित करें।
- स्वयं जागरूक रहें और अपने परिवेष को बंधत्व मुक्त रखें।

6. कहानी – अधिकार

हरिया एक दाल मिल में काम करता था। सुबह 8 बजे काम पर पहुंच जाता था। रात के 8 बजे तक काम करता रहता। मिले के पढ़े–लिखे कामगारों से उसे मालूम चला कि मिल में काम का समय षाम 5 बजे तक ही होता है। 5 बजे के बाद अतिरिक्त समय का कोई पैसा नहीं मिलता था।

एक दिन हरिया ने अपने सुपरवाइजर से पूछ ही लिया।

हरिया बोला ''सर हम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करते हैं। हमें ओवर टाइम तो मिलना ही चाहिये।''

सुपरवाइजर बोला ''ज्यादा नेतागिरी मत करो। यहां बरसों से ऐसा ही होता आया है। काम करना है तो करो नही तो दूसरा काम ढूंढ लो।''

हरिया कुछ न बोला मन मसोसकर रह गया।

मिल में दोपहर के भोजन का समय हो गया। हरिया ने सुपरवाइजर के साथ हुई बात की चर्चा अपने साथियों से की।

हरिया के सभी साथियों की भी वहीं समस्या थी जो हरिया की थी। नौकरी छूट जाने के डर से कोई इन अन्याय के विरोध में आवाज तक नहीं उठाता था।

एक साथी रामू बोला ''मैंने सुना है कि कानून में तो बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जिनका पालन मिल मालिक नहीं करता। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलना चाहिए, नहीं मिलती। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय की हुई है पता नहीं कितनी है? हमें पूरी मजदूरी मिलती भी है या नहीं?''

हरिया बोला ''हमें तो यह भी नहीं मालूम की कानून की पूरी जानकारी कहां मिलती है? यदि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी षिकायत कहॉ करें।''

पास में बैठा गोपाल सब सुन रहा था। वह मिल के मजदूर संगठन का कार्यकर्ता था।

गोपाल उनके पास जाकर बोला ''इसीलिए मैं सब मजदूरों से कहता रहा हूं। संगठन के दफ्तर में आया करो। अपने अधिकारों को जानो। संगठन तुम्हारी ताकत है। तुम्हारी मदद के लिए है।''

हरिया और उसके साथियों के चेहरों पर एक नई चमक आ गई।

आईये अब जानते हैं श्रम कानून किस तरह मजदूरी के हितों की रक्षा करते हैं।

अपने देष में आजादी के बाद गरीब एंव मजूदरों के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाया गया है।

इस कानून को न्यूनतम मजदूरी कानून कहते हैं। कई बार गरीब, अनपढ़, मासूम मजदूरों से काम करा लिया जाता है। काम जैसेः खेत में, सड़क बनाने में, मकान बनाने में, तंबाकू या बीड़ी

कारखाने में, ईंट भट्टों, पत्थर तोड़ने, फैक्ट्री कारखाने में, दुकान धंधे में कार्यक्रम की तैयारी आदि में लेकिन दिहाड़ी या मजदूरी के एवज में या तो पैसा दिया ही नहीं जाता है या कम दिया जाता है। अनपढ़ एवं असंगठित होने से इनका षोशण किया जाता है।

7. न्यूनतम मजदूरी कानून

न्यूनतम मजूदरी कानून में कुछ पहले से तय कामधंधों में मजदूरी की दरें तय की जाती हैं। कामधंधों की लिस्ट भी बनती है कि किन कामधंधों के मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलना चाहिये। केन्द्र या राज्य की सरकार मजदूरों के लिए पांच साल में एक बार मजदूरी दरें तय करती है।

प्रश्न : मजदूरी का क्या मतलब है?

उत्तर : इस अधिनियम के अनुसार 'मजूदरी' का अर्थ उस धन से है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किये गये श्रम के बदले प्राप्त होती है। मजदूरी में नीचे लिखे सभी बिन्दु षामिल हैं–

- न्यायालय के आदेष या समझौते के तहत दी गई रकम।
- अतिरिक्त समय, या छुट्टी में किये गये काम के लिए दी गई रकम।
- बोनस या इस तरह की कोई भी रकम।
- मजदूर को सेवाएं समाप्त होने पर उसे दी गई रकम।
- किसी कानून या उसके तहत बनाई गई किसी योजना के अंदर दी गई रकम।

प्रष्न : मजदूरी में क्या–क्या नहीं आता?

उत्तर :

- कोई बोनस, चाहे किसी लाभ में हिस्सा देने की कोई योजना के अंदर हो या कोई अन्य भुगतान जो काम पूरा होने पर मिलने वाली मजदूरी का हिस्सा न हो।
- कोई भी आवास, बिजली, पानी, दवाई या अन्य सुविधाएं या किसी ऐसी सेवा का मूल्य जो राज्य सरकार के आदेष के अंतर्गत मजूदरी से अलग रखी गई हो।
- पेंषन या भविश्य निधि में मालिक का योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज।
- कोई भी यात्रा भत्ता या यात्रा में छूट।
- किसी मजदूर को उसके काम की प्रकृति के अनुसार दिया जाने वाला अतिरिक्त पैसा। उदाहरण जैसे किसी मजदूर को किसी विषेश मषीन चलाने में होने वाले खतरे के लिए जो अतिरिक्त पैसा दिया जाता हो।
- सेवाएं समाप्त होने पर मजदूर को मिलने वाली ग्रेच्युटी (उपदान) आदि।

प्रष्न : कर्मचारी कौन है?

उत्तर : इस अधिनियम के अंतर्गत वह व्यक्ति कर्मचारी माना जाता है जो भाड़े पर या इनाम के लिये कुषल या अकुषल कार्य षारीरिक या लिपिकीय कार्य करता है जिसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जा चुकी हो। इसमें वह बाहरी मजदूर भी आते हैं जो किसी भी प्रकार के परिसर में निम्नलिखित कार्य करते हैं–

- किसी वस्तु को बनाने का कार्य।
- साफ–सफाई करने का कार्य।
- मरम्मत का कार्य।
- वस्तु को बेचने का कार्य।
- हाथ से किया गया लिखा–पढ़ी का कार्य (लिपिकीय कार्य)।

प्रष्न : नियोजक / मालिक कौन होता है?

उत्तर :

- इस अधिनियम में नियोजक या मालिक वह व्यक्ति कहलाता है जो किसी कर्मचारी को कोई कार्य करने के लिए स्वयं या दूसरे के द्वारा उन प्रतिशठानों में कार्य पर लगाता है जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू होता है।
- इसके अतिरिक्त कोई भी मैनेजर या फैक्ट्री का मालिक।
- कोई भी ऐसा कार्य जिसका नियंत्रण सरकार के हाथों में है। वहां पर सरकार द्वारा नियंत्रण एवं देखरेख के लिए नियुक्त व्यक्ति मालिक कहा जाएगा। जहां ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई है वहां उस विभाग का प्रधान अधिकारी मालिक कहा जायेगा।

प्रष्न : न्यूनतम मजदूरी कौन तय करता है?
उत्तर :

- मजदूरी की न्यूनतम दर समय–समय पर सरकार द्वारा तय की जाती है। यह न्यूनतम दर रहने के खर्च के साथ भी हो सकती है और नहीं भी।
- सरकार हर पांच वर्श के अंतराल पर मजदूरी की न्यूनतम दर तय करती है।

प्रष्न : क्या हर मजदूर को समान मजदूरी मिलती है?
उत्तर : नहीं। इस कानून में चार प्रकार के मजदूर होते हैं जिन्हें उनके कार्य के अनुरूप तय की जाती है। मजदूरों के प्रकार हैं–

अकुषल	–	ऐसा मजदूर जितना और जैसा काम बताया जाता है उसी प्रकार उतना काम करेगा।
अर्धकुषल	–	जो आमतौर पर रोज एक काम करता है। जो उसे प्रतिदिन सौंपा जाता है। अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लेता।
कुषल	–	जो काम के दौरान फैसले ले सकता है, कर्तव्य उचित प्रकार से करता है तथा तकनीकी कौषल वाले काम भी करता है।
अतिकुषल	–	कुषल कर्मचारी से भी ज्यादा सक्षम होता है।

प्रष्न : मजदूरी के रूप में क्या मिलता है?
उत्तर : इस अधिनियम के अनुसार वेतन भत्ता रूपये के रूप में दिया जाएगा। लेकिन अगर सरकार को ऐसा लगता है कि किसी क्षेत्र में काम के बदले धन देने की जगह वस्तु प्रदान करने की परम्परा है तो सरकार इसे अधिसूचित कर सकती हे। इसके अतिरिक्त अगर सरकार को लगता है कि आवष्यक वस्तुओं को रियायती दरों पर देने के लिए प्रावधान बनाना है तो वो ऐसा कर सकती है।
प्रष्न : मजदूरों को मजदूरी कब मिलती है?
उत्तर :

- किसी रेलवे, कारखाने, औद्योगिक या अन्य प्रतिशठान में जहां पर एक हजार से कम व्यक्ति काम करते हैं, वहां पर मजदूरी देने के लिए निष्चित किए गए दिन के 7 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान होना चाहिए। बाकी जगहों पर 10 दिन के अन्दर।
- प्रतिशठान के बंद होने के कारण नौकरी से निकाले जाने पर मजदूरी का भुगतान निकालने के दूसरे दिन हो जाना चाहिये।
- मजदूरी काल का अधिकतम समय 30 दिन होगा। मजदूरी काल का मतलब उस समय सीमा से है जिसके बाद मजदूर, मजदूरी पाने का अधिकारी हो जाता है।

प्रष्न : यदि मजदूर से निर्धारित समय के अतिरिक्त काम कराया जाता है तो कानून क्या कहता है?
उत्तर : अधिनियम के अंतर्गत किसी मजदूर की न्यूनतम मजदूरी, कार्य के घंटे, दिन आदि तय कर दिये गये हैं और वह मजदूर काम के निर्धारित साधारण समय से ज्यादा समय तक काम करता है तो मालिक को अतिरिक्त समय (ओवर टाइम) का वेतन मजदूर को देना होगा।
प्रष्न : क्या मजदूरी में कटौती भी की जाती है?
उत्तर :

- हां। मजदूरी में से कटौती इस अधिनियम के अनुसार की जाएगी। मजदूर द्वारा मालिक या उसके एजेंट को दी गई रकम कटौती मानी जाएगी।
- अधिनियम के अनुसार मजदूरी में से कटौती के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं–
  - जुर्माना।
  - काम पर न आने की वजह के लिए।
  - मजदूर की देखरेख में रखे गये माल या पैसे में हुए नुकसान के लिए।
  - मालिक, सरकार, या किसी आवास बोर्ड बोर्ड द्वारा दी गई रहने की सुविधा के लिए। मजदूर द्वारा दिए जाने वाले आयकर के लिए।
  - न्यायालय या अन्य किसी प्राधिकारी के आदेष के अंतर्गत।
  - व्यवसाय संघ (ट्रेड यूनियन) की फीस के लिए।
  - बीमा पॉलिसी के लिए।
  - मजदूर की भलाई के लिए बनाए गए फंड के लिए।

प्रष्न : असमान कार्यों के लिए न्यूनतम वेतन कितना होता?
उत्तर :

- अगर कोई मजदूर एक से ज्यादा कार्य करता है जो एक समान नहीं है और जिनकी न्यूनतम मजदूरी की दर भी एक समान नहीं है तो मालिक को उसके कार्य के समय के अनुसार उस संबंधित कार्य की उपलब्ध न्यूनतम मजदूरी देनी होगी।
- अगर किसी कार्य की मजदूरी वस्तु बनाने पर आधारित है और उसकी मजदूरी समय पर आधारित है तो मालिक को उस समय की तय न्यूनतम मजदूरी देनी होगी।
- इस अधिनियम के अंतर्गत काम करने के घंटे तय करने के साथ मजदूरों को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी दी जाएगी।

प्रष्न : रजिस्टर एवं रिकार्ड में क्या–क्या लिखा जाता है?
उत्तर : कोई भी व्यक्ति या सेठ या ठेकेदार जो मजदूरों से काम लेता है उसको एक रजिस्टर या पंजी रखना पड़ती है जिसमे नीचे लिखी बातें होती हैं।

- मजदूरी रजिस्टर।
- मस्टर रोल (मजदूरी, मजदूर एवं पैसे)।
- जुर्माना रजिस्टर।
- नुकसान या हानि के लिए कटौती।
- निर्धारित टाइम से अधिक काम के लिए ओवर टाइम रजिस्टर।
- मिलने आने वाले या निरीक्षण की पंजी।

प्रत्येक मजदूर को मजदूरी देने से पहले उसके काम का समय एवं पैसे लिखी पर्ची जरूर मिलना चाहिये ताकि उसे पता रहे कि उसने कितना काम किया है और पैसा कितना मिला है।

प्रष्न : कार्य की निगरानी के लिये नियुक्त किये गये निरीक्षक के क्या कार्य होते हैं?
उत्तर :

- सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षक नियुक्त कर सकती है और उसके कार्य करने के अधिकार, षक्तियां और सीमाओं को निर्धारित कर सकती है।
- निरीक्षक किसी भी उस स्थान का निरीक्षण कर सकता है जहां मजदूर काम करते हों।
- वह किसी भी रिकार्ड को जब्त कर सकता है और उस रिकार्ड की छायाप्रति ले सकता है।
- निरीक्षक इस बात की भी जानकारी ले सकता है कि न्यूनतम मजदूरी क्या दी जा रही है और वह निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है या नहीं।

प्रष्न : मजदूरी के संबंध में षिकायत कौन कर सकता है?

उत्तर :

- मजदूरी में से कोई कटौती की गई हो या मजदूरी देने में देरी हुई हो, वहां पर निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं–
- मजदूर खुद या उसकी ओर से कोई वकील या
- कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ (रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन) या निरीक्षक (इंस्पेक्टर) या
- अधिकारी से अनुमति लेने के बाद कोई अन्य व्यक्ति।

प्रष्न : मजदूरी के संबंध में षिकायत कहां की जाती है?
उत्तर :

- यदि किसी मजदूर को उसकी मजदूरी न्यूनतम दरों के हिसाब से नहीं मिलती है तो वह श्रम आयुक्त के सामने उसकी षिकायत कर सकता है। सरकार श्रम आयुक्त की नियुक्ति करेगी।
- मजदूर अपने दावे के लिए स्वयं अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उसे वकील की जरूरत नही है। अगर वह चाहे तो अपने दावे को प्रस्तुत करने के लिए किसी वकील या किसी मजदूर यूनियन के अधिकारी को भी नियुक्त कर सकता है।
- यह जरूरी नहीं कि जिस दिन से न्यूनतम मजदूरी की दर न मिली हो आवेदन उस दिन के छः महीने के भीतर पेष किया गया हो।
- दावे या आवेदन लेने के बाद श्रम आयुक्त, मजदूर और मालिक दोनों के पक्ष को सुनेगा और पूरी जांच के बाद फैसले का निर्देष देगा।
- श्रम आयुक्त आवेदनकर्ता को वह रकम जो उसे न्यूनतम मजदूरी से कम मिली है देने का निर्देष दे सकता है और साथ ही मुआवजा देने का आदेष भी दे सकता है जो कि ऐसी रकम से 10 गुना से ज्यादा नहीं होगा।
- आवेदन पर सुनवाई करने वाले अधिकारी को दीवानी न्यायालय के समान माना जायेगा और वह सभी प्रक्रियाएं जो दीवानी मुकदमों में चलाई जाती हैं। इस पर भी लागू होंगी।
- इस अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने वाले अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

प्रष्न : क्या मजदूर पर किसी तरह का जुर्माना लगाया जा सकता है?
उत्तर : मजदूर पर किसी भी काम के करने या न करने की वजह से तब तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसे जुर्माने को लगाने के लिए मालिक ने राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से जुर्माना लगाने के लिए पहले से अनुमति न ले ली हो और ऐसे कामों की सूची जिन पर जुर्माना लगाया जाएगा उसकी सूचना प्रतिश्ठान या रेल के संबंध में (कारखाने को छोड़कर) किसी उचित जगह पर न लगायी गई हो।
प्रष्न : मजदूर के साथ यदि मजदूरी से जुड़ा कोई जुर्म हुआ है तो क्या दंड दिया जाता है?
उत्तर :

- अगर कोई भी मालिक किसी मजदूर को इस अधिनियम में निर्धारित व न्यूनतम मजदूरी नहीं देता है तो उसे 6 महीने की जेल या रू0 500/– जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं।
- अगर जुर्म किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तो वह व्यक्ति जो उस वक्त कम्पनी के काम का प्रभारी था कम्पनी के साथ उसके लिए जिम्मेदार माना जाायेगा।

प्रष्न : मजदूर की मृत्यु हो जाने पर मजदूरी का भुगतान किसे किया जाता है?
उत्तर :

- यदि किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मजदूरी निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक को दी जाएगी–
- मजदूर द्वारा नामित व्यक्ति को।

- जहां पर किसी व्यक्ति को नामित नहीं किया गया हो तो यह रकम संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दी जाएगी।

8. भवन निर्माण श्रमिकों के अधिकार

अपने देष एवं प्रदेष के 90 प्रतिषत से अधिक श्रमिक (मजदूर) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और इन असंगठित श्रमिकों में बड़ा वर्ग निर्माण कर्मकारों (भवन निर्माण श्रमिकों) का है।

प्रष्न : भवन निर्माण में लगे श्रमिक जो भवन, सड़कें, पुल, बांध, नहरें, बिजलीघर आदि अपनी मेहनत और पसीने से बनाते हैं उनकी क्या–क्या समस्याएं हैं?

उत्तर :

- रोजगार में अनियमितता।
- रोजगार के लिए अपना गांव–घर छोड़ने की मजबूरी।
- भवन निर्माण के खतरे।
- बीमारी या दुर्घटना होने पर इलाज एवं क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं।
- बच्चों की पढ़ाई एवं महिला श्रमिकों के छोटे बच्चों की देखभाल की व्यवस्था नहीं।
- मजदूरी का भुगतान नियम से नहीं होना आदि।

प्रष्न : इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कानून बनाये हैं?

उत्तर : समस्या निराकरण के लिए दो कानून बनाये गये हैं।

पहला – भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा षर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996

दूसरा – भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकरण अधिनियम, 1996

प्रष्न : पहले कानून में क्या है?

उत्तर :

- इस कानून में मजदूरों के काम और दषा के बारे में नियम है।
- मजदूरों की स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण के कानून हैं।

प्रष्न : यह कानून कौन–कौन से निर्माण कार्यों पर लागू होता है?

उत्तर : किसी भी व्यक्ति द्वारा खुद के रहने के लिए 10 लाख से कम लागत के मकान को छोड़कर सभी निर्माण कार्यों पर ये कानून लागू होगा।

प्रष्न : यह कानून कब लागू होता है?

उत्तर : जब उन निर्माण कार्यों में 12 महीने में किसी भी दिन 10 या अधिक मजदूरों ने काम किया हो।

प्रष्न : दूसरे कानून में क्या है?

उत्तर :

- राज्य स्तर पर कल्याण निधि की स्थापना और इसके कामकाज के लिए राज्य स्तर का कल्याण मंडल भी बनाया गया है।
- निर्माण मजदूरों के कल्याण निधि के लिए धन के प्रबंध के लिए निर्माण कार्यों पर उपकर लगाने का कानून भी बनाया गया है।

प्रष्न : यह कानून कब बना और कब लागू किया गया?

उत्तर : ये कानून 1 जनवरी 2003 को नियम बनाकर 10 अप्रैल 2003 से लागू है।

प्रष्न : इस कानून में निर्माण मजदूर किन्हें माना गया है?

उत्तर : निर्माण मजदूर उसे माना जायेगा जो भवन, नाले निकासी, नहर पुल सुरंग, बाढ़ नियंत्रण का काम, रेलवे, जलप्रदाय, विमानतल, पाइपलाइन, टावर, बिजली उत्पादन, सिंचाई, टेलीफोन लाइन आदि बांध, नहर, जलाषय बनाने के काम में लगे हैं।

श्रमिकों के कल्याण के लिए मंडल योजना लागू है जिससे अलग–अलग प्रकार से श्रमिकों को विविध क्षेत्रों में लाभ मिलते हैं।

प्रष्न : कर्मकार मंडल की कल्याण योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

उत्तर : किसी भी मजदूर को यदि कर्मकार मंडल की कल्याण योजना का लाभ चाहिए तो उसको अपना पंजीयन मंडल में कराना होगा। तभी वह हितग्राही माना चाहिए।

प्रष्न : मंडल में मजदूर का पंजीयन कब होता है?

उत्तर : 18 से 60 वर्श के नीचे का कोई भी श्रमिक हो और पिछले साल 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण में मजदूरी की हो तो पंजीयन हो जायेगा।

प्रष्न : पंजीयन कराने में कितनी फीस लगती है?

उत्तर : पंजीयन की फीस रू0 25 होगी, पासपोर्ट आकार के (माचिस बराबर) दो फोटो में जानकारी भरवाकर मंडल में आवेदन देना होगा।

प्रष्न : फीस जमा करने के बाद क्या करना होता है?

उत्तर : पंजीयन के बाद मजदूर की एक फोटो सहित परिचय पत्र मिल जायेगा। पंजीयन हो जाने के बाद हितग्राही श्रमिक को साठ साल की उम्र तक सरकार मासिक दर से बहुत कम राषि मंडल में हर महीने जमा करानी होगी। मालिक को भी मजदूरी से काटकर मंडल में भेजने के लिए कह सकता है।

प्रष्न : क्या पंजीयन समाप्त भी हो जाता है?

उत्तर : एक साल तक पैसा जमा न करने पर पंजीयन खत्म हो जायेगा।

प्रष्न : मंडल से क्या–क्या लाभ मिलेगा?

उत्तर : मंडल में नीचे लिखी सुविधाऐं श्रमिक को मिलेंगी –

वृद्धावस्था पेंषन	–	तीन साल तक पंजीयन जरूरी
परिवार पेंषन	–	तीन साल तक पंजीयन जरूरी
निःषक्त (विकलांग) सहायता	–	एक वर्श तक पंजीयन जरूरी
मकान खरीदने या बनवाने का लोन	–	पांच वर्श तक पंजीयन जरूरी
किसी बैंक से लिये गये लोन पर ब्याज अनुदान	–	तीन वर्श तक पंजीयन जरूरी
छात्रवृत्ति	–	एक वर्श तक पंजीयन जरूरी
बैंक से षिक्षा ऋण पर ब्याज अनुदान	–	तीन वर्श तक पंजीयन जरूरी
आय में बढ़ोतरी हेतु सहायता	–	तीन/एक वर्श
विवाह सहायता	–	तीन वर्श तक पंजीयन जरूरी
इलाज सहायता	–	तीन वर्श तक पंजीयन जरूरी
दुर्घटना होने पर चिकित्सा इलाज	–	लागू नहीं
प्रसूति/बाल बच्चे होने पर सहायता	–	एक वर्श
बीमा सहायता	–	एक वर्श
मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार में अनुदान	–	लागू नहीं

मंडल ऊपर लिखी सभी सुविधाऐं अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर समय–समय पर तय करेगा कि कौन सी सुविधायें दी जानी चाहिये। मंडल द्वारा किये जाने वाले अन्य कार्य इस प्रकार है–

- सर्वे और अध्ययन
- जागरूकता/प्रचार प्रसार
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के काम
- खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम

अतः भवन निर्माण के मजदूर अधिक से अधिक संख्या में मंडल में पंजीयन करायें और लाभ लें।

9. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

प्रष्न : इस अधिनियम के क्या उद्देष्य है?

उत्तर : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 सामाजिक कल्याण के लिए उठाया गया षासन का एक महत्वपूर्ण कदम है। बीमारी, प्रसूति और काम पर हुई दुर्घटना या चोट लगने की स्थिति में यह अधिनियम कर्मचारियों को लाभ पहुंचाता है। इसके साथ–सथ नौकरी के दौरान होने वाली विविध बीमारियों की अवस्था में यह अधिनियम उनके बीमे की राषि के भुगतान में मदद करता है।

प्रष्न : कर्मचारी राज्य बीमा योजना कौन चलाता है?

उत्तर :

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारियों के कल्याण के लिए यह योजना चलाता है।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम की एक 'स्टेंडिंग कमेटी' होती है एवं एक मेडिकल बेनिफिट कौंसिल भी होती है जो इसकी गतिविधियों को संचालित करने में सहायक होते हैं।

प्रष्न : इस कार्यालय के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं?

उत्तर : निम्न अधिकारी इस कार्य को संचालित करते हैं :

- महानिदेषक
- वित्तीय आयुक्त

महानिदेषक निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।

प्रष्न : चिकित्सीय बेनिफिट परिशद के क्या कार्य होते हैं?

उत्तर :

- यह परिशद निगम एवं स्टेंडिंग कमेटी को चिकित्सीय लाभ से जुड़ी प्रषासनिक सलाह देते हैं और अन्य संबंधित मामलों में प्रमाणीकरण करते हैं।
- चिकित्सकों के विरूद्ध चिकित्सीय उपचार और उपस्थिति से जुड़ी षिकायतों की जांच करते हैं।
- अधिनियम से जुड़े चिकित्सीय उपचार और उपस्थिति से संबंधित सभी कार्य करते हैं।

प्रष्न : क्या सभी कर्मचारियों का बीमा होता है?

उत्तर : उन सभी कारखानों या स्थापनाओं के सभी कर्मचारियों का बीमा होता है जहां यह कानून लागू होता है।

प्रष्न : इस कानून के क्या–क्या लाभ हैं?

उत्तर : बीमाकृत व्यक्तियों और उनके आश्रितों को निम्न प्रकार के लाभ होते हैं–

बीमारी में लाभ – बीमारी की अवस्था में बीमाकृत व्यक्तियों को किष्तों में भुगतान किया जाता है।

प्रसूति लाभ – गर्भवती महिला को बीमारी, गर्भपात या समय पूर्व प्रसव होने पर किष्तों में पैसों का भुगतान किया जाता है।

आश्रितों को लाभ – दुर्घटना, मृत्यु होने पर बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को बीमा का लाभ मिलता है।

चिकित्सीय लाभ – कार्य के दौरान घायल हुए व्यक्ति को उपस्थिति के आधार पर चिकित्सीय लाभ मिलता है।

दाह संस्कार का खर्च – बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार के सबसे बड़े सदस्य को दाह संस्कार का पैसा मिलता है।

प्रष्न : क्या लाभ संयुक्त भी हो सकती हैं?

उत्तर : एक बीमाकृत व्यक्ति को ये लाभ निम्न स्थितियों में संयुक्त मिल सकते हैं–

- बीमारी के लिए लाभ और प्रसूति लाभ।
- बीमारी लाभ और अस्थाई विकलांगता लाभ।
- प्रसूति लाभ और अस्थाई विकलांगता लाभ।

- यदि एक व्यक्ति एक से ज्यादा लाभ लेने का हकदार है तो उसे तय करना होता कि वो किस लाभ को लेना चाहता है।

प्रश्न : दावों के विवाद कैसे सुलझाये जाते हैं?

उत्तर : राज्य सरकार ने विवादों के निपटारे के लिए अलग से कर्मचारी बीमा न्यायालय की स्थापना की है।

प्रष्न : कर्मचारी बीमा न्यायालय में किस तरह के प्रकरणों का विवरण किया जाता है?

उत्तर : कर्मचारी बीमा न्यायालय में निम्नलिखित विवादों से संबंधित प्रकरणों को लिया जाता हैः

- इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति कर्मचारी है या वह कर्मचारी अंषदान जमा करने का हकदार था।
- इस नियम के अनुसार निर्धारित वेतन दर या औसत दैनिक वेतन क्या है?
- मुख्य नियोजक द्वारा जमा किये जाने वाले अंषदार की दर क्या है?
- मुख्य नियोजक कौन था या कौन है?
- किसी लाभ के लिए किसी व्यक्ति का अधिकार, धनराषि और अवधि क्या होंगे?
- आश्रितों को मिलने वाले लाभ में निगम द्वारा निर्धारित दिषानिर्देषों का आंकलन कैसे होगा?
- अंषदान, लाभ या अन्य देयक या वसूली में जुड़े किसी भी विवाद का निपटारा जो निम्नलिखित के मध्य हो–
- मुख्य नियोजक और निगम।
- मुख्य नियोजक और तात्कालिक नियोजक।
- व्यक्ति और निगम।
- नियोजक और मुख्य या तात्कालिक नियोजक।
- कर्मचारी बीमा न्यायालय के किसी निर्णय से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री या जानकारी से संबंधित।

इस प्रकार से कर्मचारी बीमा न्यायालय सामान्यतः निम्नलिखित विवादों का निपटारा करता है–

- मुख्य नियोजक के अंषदान की वसूली।
- किसी तात्कालिक नियोजक के अंषदान की वसूली।
- सेक्षन 68 के अंतर्गत किसी मुख्य नियोजक के विरूद्ध किसी दावे का निपटारा।
- उस राषि की वसूली जिसे किसी व्यक्ति ने लाभ के लिए प्राप्त किया जबकि वो इसके लिए अधिकृत नहीं था।

याद रखें कि यदि कर्मचारी बीमा न्यायालय के समय कोई याचिका दायर की जाती है तो सेक्षन 54ए(2) के अंतर्गत न्यायालय सभी मुद्दों का निराकरण करने में सक्षम है।

प्रश्न : क्या कर्मचारी बीमा न्यायालय में जाने के लिए कोई समय सीमा होती है।

उत्तर : आवेदन के समय से ही कार्यवाही प्रक्रिया षुरू हो जाती है। विवाद उत्पन्न होने की तारीख से 30 वर्श के भीतर न्यायालय को आवेदन किया जा सकता है।

प्रष्न : इस नियम के अंतर्गत किस तरह के दंड का प्रावधान है?

उत्तर : यदि किसी ने जानबूझकर कोई असत्य कथन या असत्य प्रस्तुति की है तो उसे निम्नलिखित कारणों के लिए 6 महीने की जेल या रू0 2000/– तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं–

- किसी भुगतान की राषि या लाभ बढ़ाने के लिए।
- असंवैधानिक तरीके से भुगतान लेने के लिए।
- उसके द्वारा किये गये भुगतान को रोकने के लिए।
- इस तरह के भुगतान को रोकने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए।

यदि इस धारा के अंतर्गत कोई बीमाकृत व्यक्ति आता है तो उसे इस अवधि के लिए किसी भी प्रकार का वह भुगतान नहीं किया जायेगा जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित है।

अंषदान राषि न जमा करने पर दंड

अपराध	दंड
निर्धारित अंषदान जमा नहीं करना	3 वर्श की जेल लेकिन (अ) यदि किसी कर्मचारी के वेतन से वह राषि काट ली गई है जो नियोजक निर्धारित अंषदान था तो सजा की अवधि एक वर्श और 10,000 रूपये का दंड लिया जायेगा। (ब) अन्य मामले में सजा की अवधि 6 माह और 5000 रूपये से कम का दंड नहीं होगा।
• कर्मचारी के अंषदान की राषि पूर्ण या अंष काट लेने या काटने के प्रयास। • कम्रचारी के निर्धारित लाभ या उसे मिलने वाली राषि में कटौती। • किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालना या दंड देना। • किसी रिटर्न को जमा करने से इन्कार करना या झूठा रिटर्न जमा करना। • निगम के किसी अधिकारी के काम में व्यवधान डालना। • इस अधिनियम के नियमों की अनदेखी करना।	• एक वर्श का कारावास या 4000 रूपये जुर्माना या दोनों।

प्रष्न : इन अपराधों की विवेचना किस अदालत में की जायेगी?

उत्तर : मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी ज्यूडिषियल मजिस्ट्रेट के समक्ष इन अपराधों की विवेचना की जाती है।

याद रखें

न्यायालय केवल लिखित षिकायत पर ही सुनवाई करेगा। सुनवाई तभी होगी जब बीमा आयुक्त या किसी निगम के महानिदेषक द्वारा अधिकृत निगम अधिकारी की स्वीकृति होगी।

प्रश्न : निगम के खातों की जांच कौन करता है?

उत्तर : भारत के आडिटर जनरल और कन्ट्रोलर द्वारा निगम के खातों की जांच की जाती है।

प्रष्न : ई.एस.आई. प्रावधान कहां लागू होता है?

उत्तर : निम्नलिखित श्रेणियों के कारखानों और स्थापनाओं में यह प्रावधान लागू होता है–

- ऊर्जा से चलने वाले उन 'नॉन सीजनल' कारखानों पर जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं।
- उन 'नॉन सीजनल' कारखानों और स्थापनाओं पर जो बिना ऊर्जा की मदद से चलती है और जहां 20 या इससे ज्यादा लोग काम करते हैं।
- केन्द्र या राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो इन प्रावधानों को विविध श्रेणी के कारखानों, स्थापनाओं, व्यवसायिक केन्द्रों, कृशि उपक्रमों पर भी लागू कर सकता है जैसेः दुकानें, होटल, रेस्टोरेन्ट्स, सिनेमा, मोटर ट्रांसपोर्ट, अखबार, एडवरटाइजिंग एजेन्सीज जहां 20 या इससे अधिक लोग काम कर रहे हैं।

प्रष्न : आश्रित कौन है?

उत्तर : आश्रित, बीमाकृत व्यक्ति के निम्न रिष्तेदार हो सकते हैंः

- विधवा, 25 वर्श से कम आयु का वैध या दत्तक पुत्र या अविवाहित वैध या दत्तक पुत्री,
- विधवा मां,
- बीमाकृत मृत व्यक्ति पर पूर्णतया आश्रित वैध या दत्त पुत्र एवं पुत्रियां,
- वे आश्रित जो व्यक्ति की मृत्यु के समय व्यक्ति पर ही पूरी तरह या आंषिक रूप से आश्रित थे जैसे:
- विधवा मां के अलावा माता पिता।
- अल्पवयस्क अवैध पुत्र, अविवाहित अवैध पुत्री या वैध पुत्री या दत्तक या विधवा अवैध पुत्री।
- अल्पवयस्क भाई या अविवाहित बहन या अल्पवयस्क विधवा बहन।
- विधवा पुत्र वधु।
- स्वर्गवासी पुत्र की अल्पवयस्क संतान।
- स्वर्गवासी पुत्री की अल्पवयस्क संतान जिसके माता–पिता जीवित नहीं हैं।
- छादा–दादी यदि बीमाकृत व्यक्ति के माता–पिता जीवित नहीं हैं।

प्रष्न : परिवार से क्या तात्पर्य है?
उत्तर : परिवार यानि बीमाकृत व्यक्ति के सभी पारिवारिक सदस्य जो इस प्रकार हैं–

- बच्चे
- बीमाकृत व्यक्ति पर आश्रित अवयस्क वैध या अवैध संतान।
- बच्चे जो पूरी तरह बीमाकृत व्यक्ति पर निर्भर हैं वे हैं–
- षिक्षा प्राप्त करने वाले 21 वर्श तक के आयु वाले पुत्र या पुत्री।
- अविवाहित पुत्री।
- वह संतान जो भौतिक या मानसिक रूप से अपंग है और बीमाकृत व्यक्ति की आय पर पूरी तरह आश्रित हैं।
- केन्द्र द्वारा निर्धारित आय न कमा पाने वाले माता–पिता जो पूरी तरह बीमाकृत व्यक्ति पर आश्रित हैं।
- अवयस्क भाई और बहन जो पूरी तरह बीमाकृत व्यक्ति पर निर्भर हैं और जिनके माता–पिता भी जीवित नहीं हैं।

पंजीकरण अधिकारी एवं निर्माण श्रमिकों हेतु मार्गदर्शिका

➢ **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कौन है तथा फायदाग्राही कैसे बन सकते हैं?**

सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों जैसे, पुल, सड़क हवाई–पट्टी, सिंचाई, पानी निकासी तटबन्ध, सुरंग, बाढ नियन्त्रण, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, जल–कल, तेल एवं गैस इन्स्टालेशन, बांध, नहर, जलाशय, पाइप लाईन, टावर, टेलीविजन, टेलीफोन–मोबाइल टावर आदि से संबंधित निर्माण कार्य मरम्मत, रख–रखाव आदि में कार्य कर रहे कामगार (मजदूर, मिस्त्री, प्लम्बर आदि) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार हैं।

फायदाग्राही बनने हेतु निर्माण कामगार द्वारा जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 60 वर्ष पूर्ण न किये हों, पूर्ववर्ती 01 वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप मे कार्य किया हो, अपना पंजीकरण करा सकता है। जिसके लिए पंजीकरण शुल्क रु 25.00 (रूपया पच्चीस मात्र) देय है तथा वार्षिक अभिदाय रु 75.00 (रूपया पिचहत्तर मात्र) जमा किया जाना है। पंजीकरण के समय निर्माण श्रमिक को अपने

प्रार्थना पत्र के साथ पासपोर्ट आकार के 02 फोटो, आयु का प्रमाण–पत्र तथा विगत वर्ष मे कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप मे कार्य करने का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्माण श्रमिक द्वारा अपने कानूनी वारिसों के नामांकन हेतु नामांकन–पत्र भी भरा जाना आवश्यक है।

पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र तथा नामांकन–पत्र पंजीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। पंजीकरण अधिकारी द्वारा एक पंजिका में निर्माण श्रमिक का पंजीकरण कल्याण निधि के सदस्य के रूप में किया जायेगा, जिसमें पंजीकरण प्रर्थना–पत्र तथा नामांकन–पत्र की सूचनाएं दर्ज की जायेंगी पंजिका में जिस क्रमांक पर निर्माण श्रमिक का नाम दर्ज होगा वही क्रमांक उसकी पंजीकरण संख्या होगी। पंजीकरण अधिकारी द्वारा निर्माण श्रमिक का पंजीकरण करके पहचान–पत्र भी जारी किया जायेगा।

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1– 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कामगारों को र 500.00 प्रति माह की दर से पेंशन तथा पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को र 300.00 प्रतिमाह।

2– कामगारों को मकान की खरीद/निर्माण हेतु र 50,000.00 तक अग्रिम ऋण राशि की सुविधा।

3– लकवा, कुष्ठरोग, तपेदिक अथवा दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूप से निःशक्तता पर र 500.00 प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन तथा र 30,000.00 तक की अनुग्रह राशि।

4– नियोजन (कार्य के दौरान) दुर्घटना में मृत्यु होने पर र 1,00,000.00 तथा सामान्य मृत्यु होने की दशा में मृतक कर्मकार के नामितों/आश्रितों को र 50,000.00 की आर्थिक सहायता।

5– अन्त्येष्टि संस्कार के खर्च के लिए मृतक कर्मकार के नामितों/आश्रितों को र 2000.00 की सहायता।

6– राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना के अर्न्तगत चिकित्सा सहायता तथा योजना के अर्न्तगत देय प्रीमियम का भुगतान बोर्ड की निधि से किया जाएगा।

7– कामगार के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता, शिक्षा के पाठ्क्रम तथा आर्थिक सहायता की धनराशि छः माही आधार पर निम्न प्रकार दी जाएगी :–

क– कक्षा 6 से कक्षा 8 तक	र 100.00 प्रतिमाह।
ख– कक्षा 9 से कक्षा 10 तक	र 125.00 प्रतिमाह।
ग– कक्षा 11 से कक्षा 12 तक/आई0टी0आई0	र 150.00 प्रतिमाह।
घ– पालीटैक्निक हेतु	र 300.00 प्रतिमाह।

इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा अथवा अन्य प्राविधिक पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन प्राप्त होने पर आर्थिक सहायता के संबंध में बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

8– पंजीकृत कर्मकार को र 10,000.00 की सीमा तक के टूल–किट के रूप में सहायता।

9– अपनी आश्रित दो पुत्रियों के विवाह के लिए तथा महिला कर्मकारों को स्वयं के विवाह के लिए र 11,000.00 की आर्थिक सहायता।

10– महिला कामगारों को प्रसूति की अवधि के दौरान में र 5,000.00 प्रसूति प्रसुविधा सहायता। **(यह सुविधा दो बार से अधिक प्रदान नहीं की जाएगी)**

उपरोक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा श्रम आयुक्त/सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, हल्द्वानी को आवेदन किया जा सकता है।

पंजीकरण हेतु पंजीकरण अधिकारी निम्नानुसार हैं :

1. श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्त
2. लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पेयजल निर्माण निगम, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता।
3. नगर निगम के उपनगर अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता
4. नगर पालिका/टाउन एरिया के अधिशाषी अधिकारी

उपरोक्त के अतिरिक्त श्रम विभाग के किसी भी स्थानीय कार्यालय से पंजीकरण हेतु सम्पर्क किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
श्रम भवन, हल्द्वानी

उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या 1584/टप्प्/11–99(श्रम)/2007
देहरादून, दिनांक 02 दिसम्बर, 2011

<u>अधिसूचना</u>

राज्यपाल, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 33 वर्ष 2008) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

<u>उत्तराखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2011</u>

संक्षिप्त नाम और **1.** (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक

प्रारम्भ सुरक्षा नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

परिभाषाएं **2. (1)** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **"अधिनियम"** से असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 (2008 का 33) अभिप्रेत है;

(ख) **"बोर्ड"** से अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित उत्तराखण्ड राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) **"अध्यक्ष"** से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) **"सदस्य"** से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है;

(ड.) **"धारा"** से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि **3. (1)** बोर्ड के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के उपखंड (तीन) के अधीन नाम–निर्देशित कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड विधानसभा के सदस्य न रह जाने पर बोर्ड का सदस्य नही रहेगा।

(3) धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखण्ड (एक) उपखण्ड (दो) और उपखण्ड (चार) के अधीन नाम–निर्देशित कोई सदस्य तब बोर्ड का सदस्य नही रहेगा यदि वह उस प्रवर्ग का जिससे वह इस प्रकार नाम–निर्देशित किया गया था, का प्रतिनिधितव नहीं करता है;

परंतु यह कि उपखण्ड (एक) के अधीन नाम–निर्देशित सात व्यक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक से एक–एक सदस्य होगा।

(4) कोई सदस्य पुनः नाम–निर्देशन के लिए पात्र होगा।

त्याग–पत्र **4. (1)** बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नही है, अध्यक्ष को संबोधित स्व–हस्तलिखित पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा।

(2) ऐसे सदस्य का स्थान उसके त्यागपत्र स्वीकार होने की तारीख से या त्याग पत्र की सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अवसान के पश्चात, जो भी पूर्वत्तर हो, रिक्त हो जायेगा।

(3) सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी, जो त्यागपत्र स्वीकार करने पर बोर्ड को उसके अगले अधिवेशन में प्रस्तुत करेगा।

पते में परिवर्तन 5. यदि कोई सदस्य अपने पते में परिवर्तन करता है तो वह अपना नया पता बोर्ड के सदस्य सचिव को अधिसूचित करेगा, जो तदुपरांत उसका नया पता सरकारी अभिलेख दर्ज करेगाः

परन्तु यह कि यदि सदस्य अपना नया पता अधिसूचित करने में असफल रहता है, तो सरकारी अभिलेख में पता सभी प्रयोजनों के लिए सदस्य का सही पता समझा जायेगा।

रिक्त स्थानों को भरने की रीति 6. यदि बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति होती है या होने की संभावना है तो अध्यक्ष, राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नाम–निर्देशित कर सकेगा और इस प्रकार नाम–निर्देशित व्यक्ति उस सदस्य की शेष पदावधि तक, जिसके स्थान पर वह नाम–निर्देशित किया जाता है, पद धारण करेगा।

सदस्यों के भत्ते 7. (1) बोर्ड के किसी सरकारी सदस्य का यात्रा भत्ता सरकारी कर्तव्य पर उसके द्वारा निष्पादित की गयी यात्रा के लिए उस पर लागू नियमों द्वारा शासित किया जायेगा और उसके वेतन का संदाय करने वाले प्राधिकारी द्वारा संदत किया जायेगा।

(2) बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता ऐसी दरों पर संदत किया जायेगा, जो राज्य सरकार के रुपये 7600/– ग्रेड पे के समूह 'क' अधिकारी को संदेय है और दैनिक भत्ते की गणना उनके संबंधित स्थानों में राज्य सरकार के रुपये 7600/– ग्रेड पे के समूह 'क' अधिकारियों को लागू दर पर की जायेगी।

कारबार का निपटान 8. ऐसे प्रत्येक विषय पर जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है, बोर्ड के किसी अधिवेशन में या यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश देता है तो प्रत्येक सदस्य को राय जानने के लिए आवश्यक कागजात भेजकर विचार किया जाएगा और उस विषय का बहुमत के विनिश्चिय के अनुसार निपटारा किया जायेगा;

परंतु यह कि जहां किसी विषय पर मतैक्य नहीं है और बोर्ड के सदस्य समान रुप से विभाजित हैं, अध्यक्ष का द्वितीय और निर्णायक मत होगा।

स्पष्टीकरण– उक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए "अध्यक्ष" पद के अन्तर्गत अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए नियम 9 के उपनियम (2) के अधीन नाम–निर्देशित या चुना गया कोई व्यक्ति भी सम्मिलित होगा।

अधिवेशन 9. (1) बोर्ड का अधिवेशन ऐसे स्थान और ऐसे समय पर होगा, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किये जाएं और यह अधिवेशन तीन मास में न्यूनतम एक बार होगा।

(2) अध्यक्ष बोर्ड के उस अधिवेशन की अध्यक्ता करेगा जिसमें वह उपस्थित हो और उसकी अनुपस्थिति में बोर्ड के किसी सदस्य को अपने स्थान पर और अपनी अनुपस्थिति में ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए नाम–निर्देशित कर सकेगा और अध्यक्ष द्वारा ऐसे नाम–निर्देशन के अभाव में ऐसे अधिवेशन में उपस्थित बोर्ड के सदस्य अपने में से किसी सदस्य को अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए चुन सकेंगे।

अधिवेशन की सूचना और कारबार की सूची

10. (1) प्रस्तावित अधिवेशन की बोर्ड के सदस्यों को सामान्यता 15 दिन की सूचना दी जायेगी;

परंतु यह कि अध्यक्ष, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है तो ऐसे अधिवेशन के लिए एक मास से अनधिक की अवधि की सूचना दे सकेगा।

(2) बोर्ड के अधिवेशन के लिए कारबार की सूची में सम्मिलित कारबार के सिवाय, किसी कारबार पर अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार नहीं किया जायेगा।

(3) अध्यक्ष किसी भी समय अत्यावश्यकता की दशा में विचार–विमर्श की विषयवस्तु और अत्यावश्यकता के कारणों के बारे में सदस्यों को 3 दिन की अग्रिम सूचना देने के पश्चात किसी भी समय बोर्ड का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा।

गणपूर्ति

11. (1) बोर्ड के किसी अधिवेशन में तब तक कोई कारबार का संव्यवहार नही किया जायेगा जब तक उस अधिवेशन में कम से कम छह सदस्य उपस्थित न हों जिसके अर्न्तगत उत्तराखण्ड विधान सभा का कम से कम एक सदस्य सम्मिलित होगा;

परन्तु यदि किसी अधिवेशन में छह से कम सदस्य उपस्थित हैं तो अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों को सूचित करके और अन्य सदस्यों को सूचना देकर आस्थगित अधिवेशन में कारबार का निपटान करने के लिए किसी अन्य तारीख के लिए अधिवेशन को आस्थगगित कर सकेगा चाहे गणपूर्ति हो या नहीं और उसके लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आस्थगित अधिवेशन में सदस्यों की उपस्थित संख्या को ध्यान में लाए बिना कारबार का निपटान करे।

(2) राज्य सरकार पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य को बोर्ड के अधिवेशन में भाग लेने से विवर्जित कर सकेगी; यदिः–

(क) वह अध्यक्ष को लिखित में सूचना दिये बिना और उसकी सहमति के बिना बोर्ड के तीन लगातार अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है; या

(ख) राज्य सरकार की राय में ऐसा सदस्य उस हित का प्रतिनिधित्व नही करता है, जिसके लिए वह बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने के लिए तात्पर्यित

है।

अंसगठित कर्मकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की रीति

12. अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्रारूप–1 में जिला प्रशासन को किया जायेगा।

प्ररुप–1

{नियम 12 देखें}

असंगठित कर्मकार का नाम..

पिता/पति का नाम..

व्यवसाय..

पताः–

वर्तमान..

स्थायी..

आश्रितों के नामः–

(क) पिता ....

(ख) माता ....

(ग) आश्रित बच्चे..

(घ) अन्य ....

उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या 1681/टप्प/11–680(श्रम)/2002
देहरादून, दिनांकः 12 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 10 वर्ष 1897) की धारा 21 सपठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 27 वर्ष 1996) की धारा 40 एवं धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2011 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

नियम 256 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) के वर्तमान नियम 256 को नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

राज्य से अनुपस्थितिः–256. यदि कोई सदस्य बिना अध्यक्ष को सूचना दिये कम से कम 6 माह के अवधि तक राज्य से बाहर रहता है, तब उसके द्वारा बोर्ड की सदस्यता को त्याग दिया गया समझा जायेगा।

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

राज्य से अनुपस्थितिः–256. यदि कोई सदस्य बिना अध्यक्ष को सूचना दिये कम से कम 6 माह की अवधि तक राज्य से बाहर रहता है, तब उसके द्वारा बोर्ड की सदस्यता को स्वतः त्याग दिया गया समझा जायेगा। यदि कोई सदस्य बिना पर्याप्त कारण दर्शाये बिना सूचना के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नियम 259 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 259 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1
विद्यमान उपनियम

फीस और भत्तेः– (1) बोर्ड के प्रत्येक

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

फीस और भत्तेः– (1) बोर्ड के प्रत्येक अशासकीय सदस्य को

अशासकीय सदस्य के बैठक के दिनों बैठक–फीस के रुप में एक सौ रुपया या समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिये फीस का संदाय किया जायेगा। यह फीस उप–समितियों की बैठकों पर लागू नहीं होगी।

बैठक के दिनों बैठक–फीस के रुप में दो सौ पचास रुपया या समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए फीस का संदाय किया जायेगा। यह फीस उप–समितियों की बैठक पर लागू नही होगी।

नियम 266 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 266 के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
सदस्यताः– (3). नियोजक या ठेकेदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा वेतन पर्ची या नियुक्ति पत्र, जिससे पुष्टि हो कि आवेदक सन्निर्माण कर्मकार है, रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है, तब किसी रजिस्ट्रिीकृत भवन सन्निमार्ण कर्मकार संघ का अथवा संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त द्वारा प्रदत् प्रमाणपत्र अथवा पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर भी विचार किया जा सकेगा।	**सदस्यताः– (3).** नियोजक या ठेकेदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा वेतन पर्ची या नियुक्ति पत्र, जिससे पुष्टि हो कि आवेदक सन्निर्माण कर्मकार है, रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है, तब किसी रजिस्ट्रिीकृत भवन सन्निर्माण कर्मकार संघ का अथवा संबंधित क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/उपश्रम आयुक्त द्वारा प्रदत् प्रमाणपत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत आधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी/लेखपाल/ पटवारी एवं शहरी क्षेत्र के सक्षम अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका/टाउन एरिया/नोटिफाइड एरिया/कैंट बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा कर्मकार द्वारा दिया गया स्वयं का शपथ–पत्र जो नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित हो अथवा पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर भी विचार किया जा सकेगा।

नियम 267 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 267 के उपनियम (1) व (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम (1) व (2) रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
निधि में अभिदायः– (1). प्रत्येक फायदाग्राही 20/– रुपया मासिक दर से निधि में अभिदाय करेगा। अभिदाय बोर्ड द्वारा उस जिले में, जहाँ लाभार्थी निवास करता है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये बैंकों में से	**निधि में अभिदायः– (1)** प्रत्येक लाभग्राही 75 रुपये वार्षिक निधि में अभिदाय करेगाः परंतु यह कि प्रथम वर्ष अर्थात जिस वर्ष में कर्मकार निधि सदस्यता हेतु आवेदन करता है अथवा पंजीकृत किया जाता है, उस वर्ष के अभिदाय का भुगतान आवेदन–पत्र के साथ किया जायेगा। अभिदाय बोर्ड द्वारा उस जिले में जहाँ लाभार्थी निवास

किसी बैंक में, प्रत्येक त्रैमास पर अग्रिम में प्रेषित करेगा।

करता है अथवा नियुक्त है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये बैंकों मे से किसी बैंक में प्रत्येक वर्ष में एक बार पूर्व में भुगतान किये गये अभिदाय की अवधि की समाप्ति के तीन माह के भीतर अग्रिम में प्रेषित करेगा। निर्धारित अवधि में भुगतान न करने पर कर्मकार को प्रासंगिक अवधि मे भुगतान होने वाले हितलाभ, यदि कोई हो, में से उसके अभिदाय का समायोजन किया जायेगा।

(2). यदि कोई फायदाग्राही लगातार एक वर्ष की कालावधि तक अभिदाय का संदाय करने से चूक करता है तब वह फायदाग्राही नहीं रह जायेगा। परन्तु सचिव अथवा इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से फायदाग्राही की सदस्यता प्रत्यावर्तित हो सकेगी, यदि अभिदाय की बकाया धनराशि दो रुपया प्रतिमाह की दर से जुर्माने के साथ जमा की जाए, किंतु यह प्रत्यावर्तन दो बार से अधिक आवृति पर न होगा।

(2). यदि कोई लाभग्राही उपनियम (1) के अनुसार अभिदाय का संदाय करने से चूक करता है और उसके अभिदाय का समायोजन भी उपनियम (1) के अंर्तगत संभव नही है तब वह लाभग्राही नही रह जायेगाः

परंतु यह कि सचिव अथवा इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से लाभग्राही की सदस्यता प्रत्यावर्तित हो सकेगी, यदि अभिदाय की बकाया धनराशि दस रुपये वार्षिक की दर से जुर्माने के साथ जमा की जाए, किंतु यह प्रत्यावर्तन दो बार से अधिक आवृति पर न होगा।

नियम 271 का संशोधन

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 271 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

प्रसूति प्रसुविधाः– 271. प्रत्येक महिला कर्मकार, जो निधि के अंर्तगत फायदाग्राही है, को प्रसूति की अवधि के दौरान रुपया 1000/– प्रसूति प्रसुविधा दी जायेगी। इस प्रसुविधा हेतु उसके द्वारा प्रपत्र ग्ग्प्ट में आवेदन यथा विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ बोर्ड के सचिव को दिया जायेगा।

परन्तु यह प्रसुविधा दो बार से अधिक अनुमन्य नही होगी।

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

प्रसूति प्रसुविधाः– 271. प्रत्येक महिला कर्मकार, जो निधि के अंर्तगत फायदाग्राही है, को प्रसूति की अवधि के दौरान पाँच हजार रूपये प्रसूति प्रसुविधा दी जायेगी। इस प्रसुविधा हेतु उसके द्वारा प्रपत्र ग्ग्प्ट में आवेदन यथा विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ बोर्ड के सचिव को दिया जायेगा।

परन्तु यह कि यह प्रसुविधा दो बार से अधिक अनुमन्य नही होगी।

नियम 273 का संशोधन

7. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 273 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1
विद्यमान उपनियम

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

पेंशन संदाय के लिए प्रक्रिया :–5. पेंशन की राशि एक सौ पचास रूपये प्रतिमाह होगी। पाँच वर्ष बाद इसमें दस रूपये की वृद्वि सेवा के प्रति एक वर्ष पूर्ण करने की दर से की जायेगी। बोर्ड सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात पेंशन को पुनरीक्षित कर सकता है।

पेंशन संदाय के लिए प्रक्रिया :–5. पेंशन की राशि पॉच सौ रूपये प्रतिमाह होगी। इसमें पच्चीस रूपये की वृद्वि सेवा के प्रति एक वर्ष पूर्ण करने की दर से की जायेगी। बोर्ड सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात पेंशन को पुनरीक्षित कर सकता है।

(ख). मूल नियमावली के नियम 273 के उपनियम (6) के पश्चात् एक नया उपनियम (7) निम्नवत अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

"(7) शासन की पूर्व स्वीकृति पर केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एवं स्वालंबन योजना ;छंजपवदंस च्मदेपवद ैलेजमउ दृ छच्ै सपजम ंदक ैूंसंउइंद ैबीमउमद्ध अथवा समय–समय पर निर्मित अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भी फायदाग्राही को पेंशन भुगतान किया जा सकता हैः

परन्तु यह कि एक बार में उपरोक्त उप नियम (5) अथवा उपनियम (7) के अंतर्गत देय पेंशन लाभ, जो फायादाग्राही को अधिक उपयोगी होगा, देय होगा।

नियम 275 का संशोधन

8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 275 (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उपनियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
निःशक्तता पेंशनः–(1). बोर्ड ऐसे फायदाग्राही को, जो लकवा, कुष्ठ रोग, तपेदिक, दुर्घटना आदि के कारण स्थाई रुप से निःशक्त हो गया है, एक सौ पचास रुपये प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन स्वीकृत कर सकता है। इस पेंशन के अतिरिक्त वह पाँच हजार रुपये से अनधिक अनुग्रह राशि के लिए भी पात्र होगा जो निःशक्तता के प्रतिशत तथा बोर्ड द्वारा विनिश्चत किसी शर्त के अधीन होगा।	**निःशक्तता पेंशनः–(1).** बोर्ड ऐसे फायदाग्राही को, जो लकवा, कुष्ठ रोग, तपेदिक, दुर्घटना आदि के कारण स्थाई रुप से निःशक्त हो गया है, पाँच सौ रुपये प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन स्वीकृत कर सकता है। इस पेंशन के अतिरिक्त वह तीस हजार रुपये से अनधिक आर्थिक सहायता के लिए भी पात्र होगा, जो निःशक्तता के प्रतिशत तथा बोर्ड द्वारा विनिश्चत किसी शर्त के अधीन होगा। परंतु यह कि शासन की स्वीकृति के उपरांत फायदाग्राही के लिए अन्य अधिक उपयोगी पेंशन योजनाओं के अंर्तगत भी निःशक्तता पेंशन का भुगतान किया जा सकता है।

नियम 276 का संशोधन

9. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 276

के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
औजार क्रय करने के लिए ऋणः– 276. निधि के सदस्य को पाँच हजार रुपये तक की राशि औजारों को क्रय करने के लिए ऋण के रुप में स्वीकृत की जा सकती है। ऐसे सदस्य जिन्होने निधि में अपनी सदस्यता 3 वर्ष तक पूरी कर ली है और जो अपना अभिदाय नियमित रुप से करते हैं, इस ऋण के लिए पात्र होंगे। फायदाग्राही की आयु 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऋण की धनराशि की वसूली साठ किश्तों से अधिक में नही की जायेगी। इस ऋण हेतु आवेदन प्रारुप संख्या ग्स् में बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित किया जायेगा।	**औजार क्रय करने के लिए आर्थिक सहायताः– 276.** निधि के सदस्य को उसके प्रार्थना–पत्र के आधार पर दस हजार रुपये तक की सीमा तक के टूल–किट के रुप में सहायता स्वीकृत की जा सकती है। ऐसे सदस्य जिन्होंने निधि में अपनी सदस्यता एक वर्ष तक पूरी कर ली है, जो अपना अभिदाय नियमित रुप से करते हैं और जिनकी उम्र 55 वर्ष से अनधिक है, इस सहायता के लिए पात्र होंगे। इस सहायता को प्राप्त करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व, मृत्यु को छोड़कर, निधि का सदस्य न रहने पर प्राप्त टूल–किट को बोर्ड को वापस करना अनिवार्य होगा।

नियम 277 का संशोधन

10. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 277 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अन्त्येष्टि–सहायता का भुगतानः– 277. बोर्ड, मृतक सदस्य के नामितों/आश्रितों को अन्त्येष्टि संस्कार खर्च के लिए एक हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत कर सकता है। इस फायदा के लिए आवेदन प्रारुप ग्स्‌ में प्रस्तुत किया जायेगा।	**अन्त्येष्टि–सहायता का भुगतानः– 277.** बोर्ड, मृतक सदस्य के नामितों/आश्रितों को अन्त्येष्टि संस्कार खर्च के लिए दो हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत कर सकता है। इस फायदा के लिए आवेदन पारूप ग्स्‌ में प्रस्तुत किया जायेगा।

नियम 278 का संशोधन

11. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 278 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
मृत्यु पर सहायता का संदायः– 278. बोर्ड किसी सदस्य की मृत्यु पर उसके नामितों/आश्रितों को पन्द्रह हजार रुपये की	**मृत्यु पर सहायता का संदायः– 278.** बोर्ड, किसी सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु पर उसके नामितों/आश्रितों को पचास हजार रुपये की धनराशि मृत्यु सहायता के रुप में संदाय स्वीकृत कर

धनराशि मृत्यु सहायता के रुप में संदाय स्वीकृत कर सकता है। यदि मृत्यु नियोजन के दौरान घटित दुर्घटना से कारित हुई हो तब सदस्य के नामिति/आश्रितों को मृत्यु सहायता के रुप में पचास हजार रुपया दिया जायेगा।

सकता है। यदि मृत्यु नियोजन के दौरान घटित दुर्घटना से कारित हुई हो तब सदस्य के नामितों/आश्रितों को मृत्यु सहायता के रुप में एक लाख रुपया दिया जायेगा।

नियम 280 का संशोधन

12. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 280 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

फायदाग्राहियों को चिकित्सा सहायताः– 280. बोर्ड ऐसे फायदाग्राही को, जो दुर्घटना या बीमारी के कारण 5 या अधिक दिनों से चिकित्सालय में भर्ती है, को आर्थिक सहायता स्वीकृत कर सकता है। आर्थिक सहायता की राशि प्रथम पाँच दिनों के लिए दो सौ रुपया तथा तत्पश्चात शेष दिनों में 25/– रुपया प्रतिदिन किंतु अधिकतम एक हजार रुपया तक सीमित रहेगी। यह सहायता उस फायदाग्राही को दी जा सकेगी जो दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्लास्टर पट्टी में अपने घर पड़ा है। यदि निःशक्तता दुर्घटना से कारित हुई हो, तब कर्मकार पाँच सौ रुपये तक की आर्थिक सहायता के लिए पात्र होगा किंतु यह निःशक्तता के प्रतिशत पर निर्भर करेगा। इस हेतु आवेदन प्रारुप संख्या ग्स्प् या ग्स्ट्प पर ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे।

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

फायदाग्राहियों को चिकित्सा सहायताः– 280. बोर्ड, द्वारा फायदाग्राही को, दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ;त्ैठल्द्ध के अंर्तगत चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें योजना के अंर्तगत देय प्रीमियम का भुगतान बोर्ड द्वारा प्राप्त सैस में से किया जायेगा।

परंतु यह कि शासन की स्वीकृति के उपरान्त फायदाग्राही के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य अधिक उपयोगी चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जा सकती है। इस हेतु आवेदन पत्र पारुप ग्स्प् या ग्स्ट्प अपेक्षित परिवर्तन के साथ ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे।

नियम 282 का संशोधन

13. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 282 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

विवाह हेतु आर्थिक सहायताः– 282. ऐसे

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

विवाह हेतु आर्थिक सहायताः– 282. ऐसे निर्माण कर्मकार जो

निर्माण कर्मकार जो निरंतर 3 वर्ष से सदस्य हैं, अपनी संतान के विवाह हेतु दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। निधि की महिला सदस्य भी स्वयं के विवाह हेतु इस सहायता के लिए पात्र होगी। यह सहायता फायदाग्राही को दो संतानों के विवाहों तक सीमित रखते हुए स्वीकृत की जायेगी। इस हेतु आवेदन प्रारुप ग्स्ट में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

निरंतर एक वर्ष से सदस्य हैं, अपनी आश्रित पुत्री के विवाह हेतु ग्यारह हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। निधि की महिला सदस्य भी स्वयं के विवाह हेतु इस सहायता के लिए पात्र होगी। यह सहायता फायदाग्राही को दो पुत्रियों के विवाहों तक सीमित रखते हुए स्वीकृत की जायेगी। इस हेतु आवेदन प्रारुप ग्स्ट में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

नियम 283 का संशोधन

14. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 283 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

कुटुम्ब पेंशनः– 283. पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को दी जाएगी। पेंशन की धनराशि, पेंशनभोगी द्वारा प्राप्त की गयी पेंशन का 50 प्रतिशत अथवा एक सौ रुपये जो भी अधिक हो, निश्चित होगी। इस हेतु आवेदन पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि से 3 माह के भीतर प्रारुप की संख्या ग्स्ट में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

कुटुम्ब पेंशनः– 283(क). पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को दी जाएगी। पेंशन की धनराशि, पेंशनभोगी द्वारा प्राप्त की गयी पेंशन का 50 प्रतिशत अथवा तीन सौ रुपये जो भी अधिक हो, निश्चित होगी। इस हेतु आवेदन पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि से 3 माह के भीतर प्रारुप की संख्या ग्स्ट में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(ख). मूल नियमावली के नियम 283 के खण्ड पुर्नसंख्यांकित करते हुए एक खण्ड (ख) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

"(ख). बोर्ड सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात सन्निर्माण कर्मकारों को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य कल्याण योजनाओं के अंर्तगत भी लाभ प्रदान कर सकता है।"

प्रारूप–ग्ग्टप्
रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन
{देखिए नियम 266(4)}

पासपोर्ट
सइज
का फोटो

1. नाम...

2. पता...

   ....

3. क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के हैं...

4. पिता का नाम..

5. वैवाहिक स्थिति (विवाहिता / अविवाहिता / विधवा / विधुर)..

6. जन्म तिथि ....

7. प्रतिष्ठान का नाम, पता तथा पंजीकरण संख्या, जहाँ आवेदक कार्यरत है

   ....

   ....

8. ई0 एस0 आई0 / पी0 एफ0 नं0 ....

1. सेवायोजक का नाम एवं पता ....

   ....

   ....

2. कुल सेवाकाल ....

3. अंशदान की दर ....

4. बैंक एवं उसकी शाखा का नाम जहाँ अंशदान का भुगतान किया गया

   ....

5. यदि आवेदक पहले से ही किसी कल्याण बोर्ड का सदस्य है तो उस कल्याण बोर्ड का नाम, तथा आवेदक की उक्त बोर्ड में पंजीकरण संख्या

....

....

उपरोक्त तथ्य उसकी सम्पूर्ण जानकारी और सुचना के अनुसार सत्य है।

स्थान :–

दिनांकः–

आवेदक के हस्ताक्षर

सेवायोजक का नाम और हस्ताक्षर

प्रारूप—ग्ग्टप्प्

खदेखिए नियम 266(7),

नाम निर्देशन का प्रारूप

मै अपनी मृत्यु की दशा में, कल्याण निधि से समस्त शोध्यों को मेरी ओर से प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को मेरे कानूनी वारिस के रूप में एतदद्वारा नाम निर्देशित करता हूँ।

नाम निर्देशिती/ निर्देशितीयों का नाम तथा पता	लाभार्थी सदस्य से सम्बन्ध	नाम निर्देशिती की आयु	नाम निर्देशितीयों को भुगतान किये जाने वाले शोध्यों का प्रतिशत धनराशि
1	2	3	4

स्थान :–

दिनांक

आवेदक कर्मकार का नाम व पता

पंजीकरण संख्या

साक्षी का नाम व पता

प्रारूप—ग्ग्ग्प्प् ख्देखिए नियम 266 (8),

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार का पहचान पत्र

पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय मुद्रा सहित
उसके हस्ताक्षर, पदनाम और तिथि

सदस्य का नाम..
पता ....
....
....
....
.....

पुरुष/स्त्री...
कार्य का नाम...
पंजीकरण संख्या...

जिला...

पंजीकरण का दिनांक...

बैंक एवं उसकी शाखा का नाम जिसमें अंशदान जमा होता है
....
....
....

अंशदान की दर, रुपये 75/— वार्षिक तथा पंजीकरण शुल्क रुपये 25/—

जन्म तिथि..
आयु के पूर्ण वर्ष...

सेवानिवृत्ति की तिथि

वैवाहिक स्थिति विवाहित/अविवाहित
पत्नी/पति नाम..
पता...
....
....
क्या पत्नी/पति इस कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं यदि हाँ तो उसका नाम एवं रजिस्ट्रीकरण संख्या...

नामितियों के नाम..
....
....

सदस्य के संबंध
सदस्य के हस्ताक्षर/अँगूठे के निशान

पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..

पुत्र/पुत्री/पत्नी..जो वर्तमान में..

में निवास करते हैं, मेरे अधीन...

योजना में विगत...से निर्माण श्रमिक के रुप में नियोजित

हैं/रहे हैं।

नियोजक/संस्था का नाम

स्थानः

दिनांकः

प्रतिहस्ताक्षरित

पंजीकरण अधिकारी

स्थानः

दिनांकः

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32.	सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33.	सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34.	सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35.	सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36.	सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37.	सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)

38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य–सचिव **कार्यपालक अध्यक्ष**

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला–37

उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान संबंधी)

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : **slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com**

कहानी पुलिस, अदालत व कानून की

हुकुम के पिता हाल ही में इस शहर में स्थानान्तरित होकर आये थे। एक दिन शाम को वह हुकुम को साथ लेकर पैदल–पैदल घूमने निकले। कुछ दूर चलने पर पड़ोस में रहने वाले हुकुम के मित्र नरेश व रमन भी मिल गये। वे सभी घूमते हुये एक भवन के सामने पहुंचे, जिसके द्वार पर बंदूक लिये हुये एक संतरी खड़ा था। लोहे के बड़े दरवाजे के ऊपर लिखा था पुलिस स्टेशन।

बच्चे वहां पहुँच कर कुछ सहम से गये। हुकुम बोला, ''पिताजी यहां से आगे चलिए।'' पिताजी ने कहा, ''बेटा पुलिस जनता व कानून की सहायता के लिये होती है। इससे तो कानून तोड़ने वाले व अपराधी लोग डरते हैं। तुम्हे डरने की क्या आवश्यकता है?'' यह सुन कर द्वार–पाल मुस्कराने लगा। परंतु फिर भी उसकी बंदूक व बड़ी–बड़ी मूँछें देख कर बच्चे डर रहे थे।

द्वारपाल बोला, ''बच्चों, घबराओ मत। पुलिस से डरने के स्थान पर तुम्हे उनकी सहायता करके अच्छा नागरिक बनना चाहिये।'' उसकी बात सुनकर रोहित बोला, ''क्या हम पुलिस स्टेशन को अन्दर से देख सकते है?'' द्वारपाल ने उत्तर दिया, ''यदि तुम अपना भय भगाना चाहो तो अवश्य देख सकते हो?'' अनुमति पाकर हुकुम के पिता बच्चों को भवन के अन्दर ले गये।

भवन में एक ओर लोहे की मोटी सलाखों के द्वार वाले दो कमरे थे, जिन पर लिखा था ''पुरुष बन्दीगृह'' व ''महिला बन्दीगृह''। उनमें 3 पुरुष व 2 महिलायें बंद थी। वहॉ तैनात पुलिस कर्मियों से पूछने पर उन्होनें बतलाया कि इन्हें चोरी व ठगी के आरोप मे गिरफ्तार किया गया है। हुकुम, रमन से कहने लगा कि इनके बच्चे व परिवार वाले तो इन्हें तलाश कर रहे होगें। यह सुनकर एक पुलिसकर्मी जो अधिकारी पद का लग रहा था, बोला ''बच्चों किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय कानूनी तौर पर उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को गिरफ्तारी की सूचना देना जरुरी है, साथ ही उसे यह भी बताया जाता है कि बन्दी बनाये गये व्यक्ति को कब व किस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा ताकि वह चाहे तो उसे जमानत पर रिहा कराने का प्रयास कर सकते है। साथ ही गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को यह बताना भी कानूनन आवश्यक है कि उसे किस अपराध के आरोप मे गिरफ्तार किया जा रहा है।''

रमन व नरेश पूछने लगे, ''थानेदार साहब! आप इन बंदियो को कितने दिन तक बंद रखने की सजा देगें?'' पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन्हें सजा देने का काम तो न्यायालय का है। हमारे लिये तो इन्हें गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना जरुरी है व उनके आदेश से ही इन्हें अधिक समय के लिये बंद रख सकते हैं। तो क्या ये 24 घंटे के बाद छूट जायेगे? आदित्य के इस प्रश्न का उत्तर मिला, हॉ यदि इनकी ओर से प्रस्तुत किये गये जमानत के प्रार्थना–पत्र को मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो जमानत पर छूट सकते हैं, वरना मजिस्ट्रेट के आदेश से पुलिस के पास या जेल मे बंद रहेगें।

इतने में पुलिस स्टेशन पर कोतवाल साहब आ गये व पुलिस अधिकारी बच्चों को एक ओर करके उनको आवश्यक सूचनायें देने लगे। बच्चों का कौतूहल बढ़ चुका था कि आखिर इन बंदियों को कब तक बंद रहना पड़ेगा तथा कौन व कैसे इन्हें इस बन्धन से मुक्त करायेगा ताकि ये अपने बच्चों से मिल सके। हुकुम के पिता ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुये कहा बच्चों यह काम वकीलों का होता है। ''पर इस बंदीगृह में इन्हें वकील मिलेंगे कैसे?'' हुकुम ने प्रश्न किया। पिता जी बोले, ''गिरफ्तार हुये लोगों को कानूनी सलाह प्राप्त करने और अपना वकील नियुक्त कर जमानत पर छूटने का अधिकार भी कानून ने दिया है।'' नरेश ने पूछा, ''पर यदि कोई व्यक्ति इतना निर्धन हो कि वकील की फीस नहीं चुका सके तो?'' इस पर पिता जी बोले, ऐसी परिस्थिति में उस जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सरकारी खर्चे पर वकील की सेवायें निःशुल्क दिलाई जाती हैं। यह प्राधिकरण जिला न्यायाधीश के कार्यालय मे स्थापित होता है।

यही बातें चल रही थी कि काला कोट धारण किये हुये एक व्यक्ति वहॉ पहुंचा जिन्होने बंदी महिलाओ के सम्बन्ध में न्यायालय के जमानत के आदेश कोतवाल साहब के सामने प्रस्तुत किये। उन्होनें आदेशों को पढ़कर महिलाओ को बंदीगृह से बाहर निकलवा दिया। संयोगवश वे वकील साहब हुकुम के पिता के पुराने मित्र निकले। बातचीत होने पर उन्होंने बताया कि उन्हें सरकारी खर्चे पर ही इन निर्धन महिलाओं की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया था।

बच्चों को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि अब वे महिलायें घर जाकर पुनः बच्चो को संभाल सकेंगी। रमन सहानुभूतिवश कहने लगा कि ये तो सीधी–सादी महिलायें दिखती है। इनसे अज्ञानतावश ही कोई अपराध हो गया होगा। यह सुनकर वकील साहब बोले, ''बेटा, कानून की जानकारी न होना उस अपराध की सजा से क्षमा पाने का कोई आधार नही है। यह तो प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह कानून का पर्याप्त ज्ञान रखे। अतः तुम लोग हमेशा कानूनी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना ताकि अज्ञानतावश भी अपराध न हो।''

हुकुम के पिता व बच्चे भी उन महिलाओं और वकील साहब के साथ ही पुलिस स्टेशन से बाहर आ गये। बच्चों के लिये पुलिस स्टेशन को अंदर से देखने व इस कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी पाने का यह पहला ही अनुभव था, जो उन्हें अच्छा लगा। वे उमंग से आगे बढ़ते हुये बातें करने लगे। रमन बोला, ''मैं तो बड़ा होकर पुलिस अधिकारी बनूॅंगा तथा अपराधियो को पकड़कर उन्हें दण्ड दिलवाऊंगा।'' नरेश बोला मैं तो बढ़ा होकर वकील बनूंगा तथा अपराधियो को दंड व निर्दोष व्यक्तियों को न्याय प्रदान करुगां। हुकुम के पिता बच्चों की भोली बातें सुनकर प्रसन्न हो रहे थे।

जाखी में रौनक आई

आज जाखी गॉव की चौपाल पर उत्सव का सा माहौल है। सभी ग्राम –वासी पुरुष महिलायें व बच्चे चौपाल पर बड़े उत्साह से इकट्ठे हो रहे हैं। सरपंच जी, पटवारी जी, ग्राम सेवक जी सभी मुस्तैद व व्यस्त हैं। इतने में ही थानेदार जी व तहसीलदार जी भी आ पहॅुचे।

रघु पूछ ही बैठा कि आज आखिर माजरा क्या है? तो प्रधानाध्यापक गोपाल बिष्ट जी ने बतलाया कि जिला जज साहब, ए.डी.जे. साहब, डी.एम.साहब, सी.जे.एम. व सिविल जज साहब आज गांव में आ रहे हैं। दो–चार लोगों ने कौतूहल से पूछा कि आज ये सभी किसलिए आ रहे है, तो हेड मास्टर साहब ने बतलाया कि ये बड़े–बड़े हाकिम हमें घर बैठे कानून की जानकारी देने आ रहे हैं। यह पता लगते ही रघु अपने पास–पड़ौसियों को भी वहॉ बुला लाया।

कुछ ही देर में जिला मुख्यालय से सभी न्यायिक अधिकारीगण व जिला जज साहब एवं जिलाधिकारी वहॉ पहॅुच गये। सरपंच जी व प्रधानाध्यापक जी ने माला पहना कर सभी का स्वागत किया और तुरंत ही सभा की कार्यवाही शुरू हो गई।

जिला जज साहब ने गॉववासियों को बड़े ही प्रेम से बतलाना शुरू किया कि सभी अधिकारीगण प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश महोदय तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के आदेश से आप लोगों को रोजना काम में आने वाले कानूनों की जानकारी देने यहॉ आये हैं। उन्होंने कहा कि गांव के लोग कानूनी जानकारी के अभाव में कई गलतियॉ कर बैठते हैं और मुकदमेबाजी में फॅस जाते हैं। इस परेशानी से बचने के लिये आप ऐसे शिविरों का फायदा उठायें।

जज साहब ने यह भी कहा कि अगर कोई गॉववासी पैसे के तंगी के कारण अपना मुकदमा नहीं लड़ पा रहा है और उसकी सालाना आमदनी एक लाख रूपये से ज्यादा नहीं हो तो हम उसे सरकारी खर्च पर वकील भी दिलवा सकतें हैं। उन्होंने एक फार्म भी दिया जिसमें प्रार्थना–प्रत्र लिखकर देने से यह सहायता मिल सकती है। यह भी बताया कि ये फॉर्म जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से मिल सकते हैं, जो जिला न्यायालय में हैं तथा अन्य तहसील अदालतों में स्थित तहसील विधिक सहायता समिति में भी उपलब्ध है।

गॉव के रघु ने पूछा कि और कौन–कौन लोग इस प्रकार की सहायता पा सकते हैं, तो जज साहब ने बताया कि अनूसूचित जाति या जनजाति के लोग, महिलायें, बच्चे, मानसिक रोगी, जेल मनोचिकत्सालय, हिड़जा समुदाय के लोग, वरिष्ठ नागरिक एवं किशोरगृह में बंद लोगों पर सालाना आमदनी की ये शर्त भी लागू नहीं होती हैं और ज्यादा आमदनी होने पर भी सरकारी खर्च पर वकील की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा, जैसे सूखा व बाढ़, भूकम्प आदि से पीड़ित व्यक्ति, औद्योगिक आपदाओं, साम्प्रदायिक हिंसा व नर–संहार की घटनाओं से पीड़ित व्यक्ति भी ये सहायता पा सकते हैं। औद्योगिक,

श्रमिक या बेगारी प्रथा से पीड़ित व्यक्ति भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुनते ही नन्दू की औरत कमला जिसे नन्दू ने छोड़ रखा था वह फॉर्म लेने हेतु मंच के पास पहुंच गई, जिससे फॉर्म भरवा कर जज साहब ने प्राप्त कर लिया व अगली बैठक में ही उसे सहायता मंजूर कराने का वायदा भी किया। फिर जज साहब ने कुछ खाली फार्म सरपंच जी को दिलवा दिये ताकि वह जरुरतमंद लोगों को दे सकें।

जिला जज साहब ने गॉव वालों को ये भी समझाया कि बिना फीस का वकील मिलने का मतलब यह नही निकाल लेना कि अब बात–बात पर मुकदमा करो बल्कि उन्होंने कहा कि छोटी–मोटी बातों के जो मुकदमें आपके गॉव के लोगों के बीच चल रहे हैं उन्हें आपसी भाईचारे व राजीनामे की भावना से निबटा कर फैसला कर लेना चाहिये। इसके लिये उन्होंने गॉव के मुख्य लोगों का आह्‌वान किया कि आप लोग इस प्रकार की एक कमेटी बनाओ, जो मूंछ की लड़ाई के अनावश्यक मुकदमों में राजीनामा करवाएं। गॉव वालों ने ये सुनकर उसी सभा में सरपंच जी तथा गोपाल, रघु एवं प्यारे मोहन की एक कमेटी भी घोषित कर दी, जो भविष्य में मुकदमेबाजी का फैसला राजीनामे से करवायेगी।

इस अनोखी सभा की कार्यवाही देखने व सुनने वालो में हेडमास्टर जी का लडका सुरेश भी था जो हाल ही में शहर से कानून की पढ़ाई करके आया था। उसे ये सब देख सुन कर इतना अच्छा लगा कि वह जिला जज साहब के पास आकर बोला, श्रीमान जी यदि इस सेवा कार्य में मुझे भी कुछ जिम्मेदारी सौंपे तो मैं उसे पूरा करने का भरसक प्रयत्न करुंगा। जज साहब ने उसकी पीठ थपथपा कर कहा कि हमें इसी तरह आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने वाले नौजवानों की आवश्यकता है, जो अनपढ़ व असहाय ग्रामीणो में कानूनी ज्ञान की मशाल जलाकर उनकी असहायता व मायूसी को दूर कर सकें। उन्होने घोषणा की कि ये नौजवान जाखी गॉव के विधिक चेतना केन्द्र का इन्चार्ज होगा तथा हमारे सभी कार्यक्रमों को आपके गॉव में आगे बढ़ाएगा। गॉववालों ने करतल ध्वनि से इस घोषणा का स्वागत किया। जज साहब ने सुरेश को कुछ फार्म, पुस्तकें व कानून की किताबें आदि भी दी। इस तरह जाखी गॉव में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न हुआ और साथ ही विधिक चेतना केन्द्र का शुभ मुहूर्त भी हो गया।

पार्वती की खुशहाली लौटी

इस विधिक साक्षरता शिविर के कुछ ही दिनों बाद गॉव के ईश्वर सिंह की बेटी पार्वती अपने चार वर्षीय बेटे पदम के साथ अचानक ससुराल से गॉव लौट आई। मॉ ने अचानक आने का कारण पूछा तो बताया कि उसके पति व ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। ये भी कहा कि तू दहेज कम लाई है। जब तक अपने पिता से टी.वी. व मोटर साईकिल नहीं लायेगी तब तक घर मे घुसने नहीं देंगे। ईश्वर अपनी बिरादरी के कुछ लोगों को लेकर पार्वती के ससुराल वालों को समझाने भी गया व विनती भी की, परन्तु वे नहीं माने। हारकर ईश्वर ने पंचायत के सामने यह बात रखी। एक पंच न राय दी

कि इस बारे में क्यों न पूरनचंद की राय पूछी जाये। पूरनचंद ने पार्वती से सारी बात सुनकर व जिला जज साहब द्वारा दी गई किताबें देखकर बतलाया कि कानून के अनुसार अगर पार्वती का पति उसे व उसके बेटे पदम को रखने से बिना कारण मना कर देता है और उनके कपड़े, खाने, दवाई, पढ़ाई आदि का खर्चा भी नहीं देता है, तो उसके खिलाफ परिवार न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र पेश करके गुजारे भत्ते की राशि प्राप्त की जा सकती है। जब पार्वती के पीहर वालों को और कोई चारा नजर नहीं आया तो पार्वती की ओर एक प्रार्थना पत्र परिवार न्यायालय में पेश करवाया गया। उसके लिये वकील भी जिला जज साहब द्वारा बतलाये गये प्रार्थना पत्र को भर कर देने पर सरकारी खर्चे से ही मिल गया। वकील साहब के प्रार्थना पत्र पेश करने की अगली ही पेशी पर अदालत ने पार्वती व उसके बच्चे के लिये 500–500 रु. प्रतिमाह का खर्चा दिलाने का आदेश पार्वती के पति को दिया।

फिर कुछ तारीखों पर पर पहले पार्वती की व फिर उसके पति की ओर से गवाहियाँ करवाई गयीं। दोनों तरफ के गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद अदालत ने पार्वती व उसके बच्चे का गुजारा भत्ता बढ़ाकर 1000–1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया।

कुछ महीने तक तो पार्वती के पति ने ये मासिक राशि अदा की, पर बाद में चुका नहीं पाया। पार्वती के वकील साहब ने दरख्वास्त पेश करके कुर्की की कार्यवाही करवा दी। जब पार्वती के ससुराल वालों की जमीन व मकान की कुर्की का नम्बर आया तो उन्हें गुजारे भत्ते की सारी राशि एक मुश्त चुकानी पड़ी। अब पार्वती एवं उसके बच्चे के रोजना के खर्चे व गुजारे के लिए कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। उधर उसका पति व ससुराल वाले हर माह गुजार भत्ता चुकाने में परेशान थे। उनके घर व खेत–खलिहान का काम करने वाली बहू भी नहीं थी। सारा काम पार्वती की बूढ़ी सास करते–करते परेशान थी। आखिरकार थक हार कर पार्वती का पति व ससुर ईश्वर के पास गये व अपने किये की माफी माँगते हुये राजीनामा कर लेने की बात कही। जब पार्वती के पति ने पार्वती को राजी खुशी व बिना दहेज के साथ रख लेने का वायदा किया तो भला पार्वती व उसके पिता ईश्वर को क्या आपत्ति हो सकती थी? इस प्रकार कानूनी मदद से पार्वती का घर पुनः राजी–खुशी बस गया।

औलाद का फर्ज

दुग्गड़ा गाँव के कुदंन की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह अपनी पत्नी व बाल–बच्चों सहित ठाठ से शहर में रहता था। उसके बूढे माँ–बाप गांव मे रहते थे। वे थोड़ी सी कृषि भूमि में खेती बाड़ी करके गुजर–बसर करते थे। परन्तु गत 2–3 वर्षो से अच्छी वर्षा न होने से उनके गुजारे का कोई जरिया न रहा। उन्होंने कुंदन को अपनी तकलीफ भी बतलाई, पर उसने भी शहर के खर्च अधिक बतला कर अपने माँ–बाप की सहायता करने से इंकार कर दिया। गॉव वाले भी इन बूढ़े लोगों को कब तक सहारा देते ?

आखिर ये बात लैन्सडाउन के विशन सिंह की जानकारी में आई। उसने कुंदन के माँ–बाप की ओर से अदालत में गुजारे भत्ते का प्रार्थना पत्र उसके कमाऊ बेटे के खिलाफ पेश करवाया। कानून में ऐसी व्यवस्था है कि यदि कमाने में सक्षम कोई पुत्र या पुत्री अपने माँ–बाप की देखभाल न करे, उन्हें भोजन–कपड़ा, दवाई आदि न दे तो अपनी देखभाल स्वयं कर पाने में अक्षम माँ–बाप को भी गुजारा भत्ता दिलाया जा सकता है। इसी कानून के अनुसार अदालत ने कुदंन को आदेश दिया कि वह अपनी आय में से प्रतिमाह अपने माँ–बाप के लिये 1000–1000 रुपये का गुजारा भत्ता भेजे। ऐसी भी व्यवस्था अदालत ने कर दी कि कुंदन की तनख्वाह में से ही ये राशि काट कर मनीआर्डर द्वारा सीधे उसके माँ–बाप को भेज दी जाये। अब तो दोनो बूढ़े व्यक्तियों का बुढ़ापा ठीक तरह से कटने लगा। कुदंन की पत्नी भी इस व्यवस्था में कोई अड़चन न डाल सकी। हार कर उसने कुंदन को कहा कि अपने बूढे माँ–बाप को भी शहर में लाकर अपने साथ ही रख लो। इस प्रस्ताव पर सभी सहमत थे। इस तरह विशन सिंह की कानूनी राय से यह परिवार भी हंसी–खुशी आबाद हो गया।

उपरोक्त कानूनी प्राविधानों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा एक नया अधिनियम माता–पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण तथा कल्याण हेतु वर्ष 2007 में पारित किया है। इस अधिनियम का नाम है माता–पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण एवम् कल्याण अधिनियम, 2007। इस अधिनियम के अन्तर्गत न केवल बच्चों अपितु ऐसे वरिष्ठ नागरिकों जिनके कोई बच्चा नहीं है, उनके रिश्तेदारों का भी दायित्व निर्धारित किया गया है कि वह माता–पिता या वरिष्ठ नागरिकों, जैसा भी मामला हो, को भरण–पोषण प्रदान करेंगे। ऐसे भरण–पोषण को प्राप्त करने के लिए भरण–पोषण प्राधिकरण का गठन किया गया है तथा इस प्राधिकरण में एस0डी0एम0 स्तर से निम्न स्तर का कोई अधिकारी नहीं बैठेगा तथा इसकी अपील अपीलीय अधिकारी को की जा सकेगी जिसमे जिलाधिकारी स्तर के व्यक्ति बैठेंगे।

भरण–पोषण न देने पर भरण–पोषण प्राधिकरण अपने आदेश को लागू करवा सकता है तथा इसके लिए भरण–पोषण अदा न करने वाले व्यक्तियों को सजा भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में यह भी प्राविधान दिया गया है कि सरकारी तथा सरकार से पोषित अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाऐं प्रदान की जायेगी तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार का यह भी दायित्व है कि वह ऐसे कार्य करे कि जिससे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन तथा उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा की जा सके।

यह भी प्राविधान दिया गया है कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी सम्पत्ति को इस अधिनियम के आने के बाद किसी को दान अथवा किसी ओर तरीके से अतंरित कर दी है और इस शर्त के साथ की सम्पत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसको समस्त मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करायेगा तथा बाद में वह व्यक्ति सुविधा देने से मना करता है तब उस परिस्थिति में सम्पत्ति का अन्तरण छल तथा दबाव से माना जाएगा

और वरिष्ठ नागरिक के पास यह अधिकार है कि वह भरण–पोषण प्राधिकरण के पास जाकर उक्त विक्रय को खण्डित करवा लें।

यहां पर यहा भी महत्वपूर्ण है कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के भरण–पोषण का अधिकार किसी सम्पत्ति से है और वह सम्पत्ति अतंरित कर दी जाती है तो वरिष्ठ नागरिक अन्तरण से प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी भरण–पोषण प्राप्त कर सकता है।

धारा–24 में इस बात का उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे वरिष्ठ नागरिक को जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, को, किसी स्थान पर पूर्ण रुप से त्याग कर देता है, तो उस परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को 3 माह की सजा या 5 हजार रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते है। इस अधिनियम के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त कार्यों पर स्टे देने का सिविल न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नही है।

बहू एवं उसके कानूनी अधिकार

पंडित अमरमणि जी की बेटी पुष्पलता कुछ दिनों पहले ससुराल से लौटी थी। अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी पड़ोस के गाँव में हुई थी, पर 1 साल में ही वह सूख कर कांटे जैसी हो गई। इस बार भी जब मायके आई तो टी.वी. की मरीज जैसी पीली हो रही थी। पंडिताइन को पुष्पलता ने बतलाया कि सास व ननद का व्यवहार अभी भी ठीक नही रहता है। बात–बात पर ताने देना, समय पर खाने को न देना, हर समय घर का काम करने पर भी भला–बुरा कहना व कम दहेज लाने के लिये कोसना अभी भी जारी है। इस बार भी पुष्पलता की सास ने कह कर भेजा है कि 2 तोला सोने के जेवर, कपड़े, टी.वी. के लिये 15,000 रुपये लेकर आना, वरना मत आना।

ये बातें जब गांव वालो को पता लगी तो सभी को बुरा लगा। पंडित जी बेचारे कहाँ से इतने रुपये की व्यवस्था कर पायेंगे। पहले भी वे अपने सामर्थ्य से अधिक खर्चा कर चुके थे। चौपाल पर जब इसी बारे में चर्चा हो रही थी तो कग्साली गांव के भीमदत्त भी उधर से गुजरे। उन्होंने सारी बातें सुन कर कहा कि पुष्पलता के ससुराल वालों का यह व्यवहार तो कानूनी अपराध है। उन्होंने बतलाया कि शादी से पहले, शादी के समय या बाद में ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की माँग करना या दहेज देना, लेना तथा इसके लिये किसी पक्ष पर दबाव डालना कानूनी अपराध है। पर यदि लड़की के माँ–बाप या रिश्तेदार अपनी हैसियत के मुताबिक व राजी –खुशी अपनी लडकी को कोई उपहार देते हैं तो ये अपराध नहीं है। लेकिन नियमानुसार ऐसे उपहार या भेंट की सूची बनानी जरुरी है। भीमदत्त ने बताया कि यदि ससुराल पक्ष का कोई रिश्तेदार शादी के बाद अपनी बहू के साथ जान–बूझकर ऐसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है जिससे उसकी शारीरिक या दिमागी हालत को खतरा या नुकसान हो तो ऐसे लोग तीन वर्ष तक की सजा के

भोगी होते है। इसके अलावा यदि ससुराल वाले दहेज की गैर कानूनी माँग पूरी करने हेतु लड़की के मायके वालों पर दबाव डालने के लिये बहू को परेशान करें या सताएँ तो उन्हें भी तीन साल तक की सजा व जुर्माना हो सकता है। इस कानून के अनुसार पुष्पलता के ससुराल वाले तीन वर्ष तक की सजा के भागी हो सकते है।

वहाँ बैठा गोविन्द बोला, "भैया रहने दो ये बातें। पिछले साल तो चम्पा के ससुराल वालों ने दहेज की माँग पूरी न होने पर उसे जिन्दा जला दिया, फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा।"

भीमदत्त ने समझाया कि हो सकता है उनके खिलाफ ठोस सबूत न मिलने के कारण वे बच गए हो, पर कानून के अनुसार अगर किसी महिला की शादी के 7 वर्ष के भीतर जलने से, चोट लगने से, कुएँ में कूद जाने से अर्थात् किसी भी असामान्य परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है और यह प्रमाणित हो जाता है कि उसकी मृत्यु से तुरन्त पहले उस महिला को दहेज की माँग के लिये या इस संबंध में उसके ससुराल वालों द्वारा परेशान किया जाता था, तो यह माना जाएगा कि दहेज के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है और उसे परेशान करने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती हैं।

श्यामदत्त कहने लगा कि ऐसी दशा में भी ससुराल वाले यह कह कर बच सकते हैं कि बहू ने खुद ही आत्महत्या कर ली हमने तो कुछ नहीं किया। तो भीमदत्त ने बतलाया कि अगर किसी ने आत्महत्या भी की हो और यह साबित हो जाए कि अमुक व्यक्ति द्वारा परेशान या मजबूर किए जाने के कारण उसने आत्महत्या की है तो भी उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा व जुर्माना हो सकता है।

श्यामा बोली की पड़ोस के एक गाँव में तो पूरा दहेज न लाने पर ससुराल वालों ने बहू को घर से बाहर निकाल दिया व अपने लड़के की दूसरी शादी करके खूब दहेज वसूल किया तथा पहले वाली बहू का दहेज, जेवर व कपड़े भी अपने पास रख लिए। ऐसी दशा मे बेचारी लड़की अपने मायके में जिन्दगी गुजारने को मजबूर है। भीमदत्त ने कहा कि ऐसी स्थिति में कानून की व्यवस्था की गई है। यदि कोई लड़का शादीशुदा होते हुए भी अपनी पत्नी के जिन्दा रहते हुऐ दूसरी शादी कर लेता है तो वह लड़का व दूसरी शादी करवाने वाले उसके माता–पिता व अन्य रिश्तेदार भी कानूनन दोषी है, जिन्हें 7 वर्ष तक की सजा व जुर्माना हो सकता है। अगर वह लड़का अपनी पहली शादी की बात छुपाते हुऐ दूसरी शादी करता है तो उसकी सजा 7 वर्ष के बजाए 10 वर्ष तक हो सकती है। यदि लड़की व उसके माता–पिता, लड़के की पूर्व शादी होने की तथा उसकी पहली पत्नी के जिन्दा रहने की जानकारी होते हुए भी उस शादीशुदा लड़के से विवाह करते हैं तो वे भी सजा के भागी होंगे। इस प्रकार दूसरी शादी करने वाले प्रत्येक पक्ष को सजा की व्यवस्था है।

इस पर धन सिंह बोला, "लेकिन उस मजबूर लड़की को तुम्हारे कानून से क्या मदद मिली, जिसे ससुराल वालों ने घर से निकाल कर बाहर कर दिया?" तो भीमदत्त बोला कि उसके गुजारे हेतु मदद करने

की व्यवस्था भी कानून में है। सबसे पहले तो वह लड़की और यदि उसके कोई बच्चा है तो वह भी अपने पति अथवा पिता से बिना कारण उन्हें घर से बाहर निकाल देने व उनका भरण–पोषण न करने पर गुजारा भत्ता हेतु प्रार्थनापत्र पेश करके अदालत के द्वारा भत्ता प्राप्त कर सकते है। दूसरे, उस लड़की के दहेज का जो सामान ससुराल वालो ने रोक लिया था वह स्त्रीधन होने के कारण उस पर स्त्री का ही हक होता है। अतः उसे भी वापस प्राप्त कर सकती है। अब बताओ, बहू को घर से बाहर निकालने वाला पति व ससुराल पक्ष के लोग फायदे में रहे या नुकसान में?

सभी लोगों को समझ में आ गया कि वास्तव में ऐसा अपराध करने वाला तो नुकसान में ही रहेगा। पर लोग कहने लगे कि भैया भीमदत्त, तुम जो कानूनी जानकारी देते हो उससे तो लगता है कि कानून में सभी दोषपूर्ण कामों की सजा है। लेकिन रोजाना की जिन्दगी में देखते है कि बहुत कम अपराधियों को ही सजा होती है। वे अधिकतर छूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पर भीमदत्त ने समझाया कि भैया, कानून ये कहता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जायें पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। फिर कानून दोष साबित मानने के लिये ठोस सबूत माँगता है और संदेह का लाभ अपराधी के हक में जाता है। ऐसी व्यवस्थाओं में अपराधी को सजा मिलना तभी निश्चित हो सकता है जब कि पुलिस को अपराध होने की सही जानकारी समय पर दें। घटना को बिना बात बढ़ा–चढ़ा कर न लिखें। रिपोर्ट उन्हीं लोगों के खिलाफ दर्ज करायें जो वास्तव मे घटना में शामिल रहे हैं। उस समय मौजूद गवाहों के नाम भी सही तरह से लिखें। इतना ही नहीं पुलिस को भी सभी गवाह व सबूत ठीक प्रकार पेश करें। घटना के मौके की सही जानकारी दें और पुलिस के आने तक उसमें फेरबदल नहीं करें। अपराधियो के डर से या लालच में आकर पुलिस या अदालत के सामने गलत बयान नहीं दें। अगर बयान देने हेतु थाने या अदालत में जाना भी पड़े तो इसे परेशानी न मांने या घबराएँ नहीं। अदालत में तो बयान देने जाने के लिये आने–जाने का व अन्य का खर्चा भी गवाहों को नकद दिलाया जाता है या मानीऑडर से भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग कानून की सही प्रकार से मदद करेंगे तो कानून भी हमारी मदद करेगा और कोई भी अपराधी दण्ड से बच नहीं पाएगा। फिर हमारा गाँव–मौहल्ला, समाज व देश अपराधों से मुक्त व सुरक्षित रह सकेगा। सभी गाँव वासियों को भीमदत्त की यह बातें समझ में आ गई।

विधवा को भी मिली विरासत

अगले दिन शाम के समय गाँव के कई लोग पुनः चौपाल पर इकट्ठे थे। तभी वहाँ राधा काकी की बात चल निकली। काकी गाँव की एक बुजुर्ग महिला थीं जिसके पति रामप्रसाद का स्वर्गवास करीब 10 वर्ष पहले बीमारी के कारण हो गया था। दोनों में बहुत प्रेम था। अपने पति रामप्रसाद के बिना राधा काकी को अपनी जिन्दगी बेजान व नीरस सी नजर आई। अतः रामप्रसाद की अर्थी के साथ ही उसे भी जलाकर सती करने के लिये समाज के लोग तैयारी करने लगे। ये सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सतर्क हो गया व

गाँव में पुलिस की नाकाबंदी के साथ यह घोषणा करवाई गई कि कानून के अनुसार किसी स्त्री को सती करने हेतु सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने, उकसाने या मजबूर करने वाले को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। यह भी बताया गया कि यदि वह स्त्री वास्तव में सती हो गई तो यह सजा मृत्युदण्ड तक भी हो सकती है। ये कानूनी जानकारी देने व पुलिस के चुस्त प्रबन्ध के कारण राधा काकी को सती होने से बचा लिया गया।

परन्तु 10 वर्षो के बाद राधा काकी को अपने गुजारे व घर खर्च के लिए समस्या खड़ी होने लगी। उसके न तो कोई बाल–बच्चा था और न ही खर्च चलाने का साधन। जमीन–जायदाद भी संयुक्त परिवार की ही थी जिसकी आय में से कोई हिस्सा स्वर्गीय रामप्रसाद के अन्य परिवार वाले राधा काकी को देने को तैयार न थे। इसी विषय पर गाँव की चौपाल में चर्चा चल रही थी तभी वहाँ जसपुर के दीवान भैया भी आ गए। उन्होंने सारी बाते सुनकर बताया कि काकी को भले ही पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे के लिये दावा करने का अधिकार नहीं है, परन्तु कानून के अनुसार वह उस सम्पत्ति में रहने व अपने भरण पोषण के लिए सम्पत्ति की आय में खर्चा प्राप्त करने की अधिकारी है। यह अन्य कुटुम्बियों की दया या इच्छा पर निर्भर नहीं है कि काकी को सम्पत्ति में रहने दें अथवा नहीं या उसकी आय में से गुजारे हेतु खर्चा दें अथवा नहीं दें। बल्कि इसे प्राप्त करना राधा काकी का कानूनी अधिकार है। उन्होंने ये भी बताया कि जब भी परिवार के अन्य सदस्य अपनी पैतृक सम्पत्ति का बंटवारा करेंगे तो उसमें राधा काकी का भी हिस्सा नियमानुसार अलग करके देना होगा। अगर राधा काकी के कोई बेटी होती तो उसकी शादी का खर्चा भी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में से किया जाता।

फिर दीवान भैया ने राधा काकी को जानकारी दी कि रामप्रसाद काका की मृत्यु के बाद पैतृक सम्पत्ति में उनका जो हिस्सा था, वह कानूनन उनके पुत्र, पुत्रियों, विधवा व माता में बंटने योग्य है। उस श्रेणी का अन्य कोई वारिस न होने पर ये सारा हिस्सा राधा काकी को ही मिलने योग्य है। इस प्रकार कानून ने न केवल राधा काकी को सती होने से रोका है बल्कि उन्हें पैतृक सम्पत्ति में अधिकार भी दिए हैं ताकि उनका गुजारा उचित प्रकार से हो सके।

चौपाल पर मौजूद लोगों को दीवान भैया ने जानकारी दी कि हिन्दू उत्तराधिकार कानून के दिनांक 17 जून 1956 को लागू हो जाने के दिन से जो सम्पत्ति जिस स्त्री के कब्जे में थी, वह उसकी पूर्ण मालिक मानी जाएगी। ऐसी सम्पति में भरण पोषण या उसके बकाया के रूप में प्राप्त हुई सम्पत्ति, विवाह के समय या उसके पहले या बाद में उपहार व दान में मिली सम्पत्ति या उसके कौशल या परिश्रम के द्वारा कमाई गई या खरीदी गई सम्पत्ति शामिल हो सकती है। कोई भी महिला उपरोक्त प्रकार की सम्पत्ति का मनचाहा उपभोग या उसकी वसीयत, दान, बंटवारा या बेचान आदि कर सकती है।

इसी कानून के अनुसार स्त्रियों को सम्पत्ति में उत्तराधिकार भी प्रदान किया गया है इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए मर जाता है तो उसकी स्वयं द्वारा कमाई गई सम्पत्ति के लिये उसके पुत्र, पुत्री, विधवा या माता को भी उत्तराधिकारी माना गया है। इस प्रकार रामप्रसाद काका के द्वारा स्वयं कमाई गई सम्पत्ति में राधा काकी का हक है।

जब स्वर्गीय रामप्रसाद काका के अन्य कुटुम्बियों व भाई भतीजों को यह जानकारी हुई कि राधा काकी तो कानूनन भी हमारी पैतृक सम्पत्ति व रामप्रसाद की स्वयं अर्जित सम्पत्ति में से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकती है तो वे शांत हो गए व राजी–खुशी उन्हें पैतृक घर में रखने वा उनकी इच्छानुसार खर्चे हेतु राशि देने को तैयार हो गए। तब उन्हें लगा कि विधवा की जिन्दगी भी बिना पतवार की नाव जैसी नहीं है, जिसे जो जहाँ चाहे धकेल दें।

बच्चों की शादी है बरबादी

हरेला त्यौहार आने वाला है। जैंती गाँव में चारों और खुशी व उत्साह का वातावरण है। इस बार फसल भी बहुत अच्छी होने से सभी कृषक भाई बहुत खुश हैं। नए–नए कपड़े व सामान की खरीददारी हो रही है।

दीनानाथ भी आज शहर जाकर बहुत सारे कपड़े, सन्दूक, आलमारी, टी.बी. आदि खरीद कर लाया। घर जाते समय रास्ते में लोगों ने पूछा कि काका, क्या बात है बड़ी खरीददारी कर लाए तो वह बड़े जोश मे बोला कि इस हरेला उत्सव पर अपनी बिटिया ममता की शादी कर रहा हूँ इसलिए धीरे–धीरे सामान जुटा रहा हूँ।

शाम को चौपाल पर ममता की शादी की चर्चा होने लगी। हरिप्रसाद व प्यारेमोहन ये बातें कर ही रहे थे कि तभी नारायण भैया भी वहाँ आ गए। उन्होंने पूछा कि हरिप्रसाद भैया, दीनानाथ भैया की लड़की तो अभी छोटी है। उनकी शादी अभी से हो रही है क्या? इतने में दीनानाथ भी वहाँ आ गया। वो बताने लगा कि हाँ भैया, एक अच्छा संबंध मिल गया है तो मैंने सोचा कि क्यों न इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं? सभी दीनानाथ की हाँ में हाँ मिलाने लगे। पर प्यारेमोहन भैया ने इसका विरोध किया। वह बोला "भैया, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। तुमने अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने की बात सोच ली। पर क्या ये सोचा है कि तुम 13–14 साल की ममता पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ लाद रहे हो? क्या वह अभी से घर गृहस्थी व बच्चों का बोझ व जिम्मेदारी उठा पाएगी। अभी तो खुद उसकी आयु खेलने–कूदने व पढ़ने की हैं।"

नारायण भैया भी बोले कि दीनानाथ भैया, इस आयु में ममता के विवाह की गलती भूल कर भी मत करना। प्यारेमोहन जो कह रहा है, वह बातें तो सही है ही। पर क्या आपको मालूम नहीं कि जो काम आप

करने जा रहे हो, वह कानूनी अपराध भी है। कानून के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के व 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह करना अपराध है जिसमें 3 माह तक की सजा की व्यवस्था है। यदि आपने ममता की शादी कम आयु में कर दी तो न केवल आप इस सजा के भागी होंगे, बल्कि उस विवाह में शामिल होने वाले तथा विवाह के फेरे करवाने वाले पंडित को भी सजा हो सकती हैं।

ये सुनकर दीनानाथ घबरा गया। वह बोला कि भैया संबंध पक्का हो गया है व शादी की तैयारी भी हो गई है। कुछ तरीका बतलाओ की गुपचुप में ही ये विवाह हो जाए। नारायण भैया बोले मेरी मानों तो तुम अभी ये विवाह ही छोड़ दो। यदि किसी को कम आयु के विवाह की जानकारी हो तो वह अदालत में दरख्वास्त पेश करके ऐसे बाल विवाह के खिलाफ स्टे (रोक) आदेश भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे में तुम्हारी सारी तैयारी धरी रह जायेगी और कहीं ऐसा न हो कि दरवाजे पर आई बारात बहू विदा करवाए बिना ही लौट जाए।

दीनानाथ ने सोचा कि यदि ऐसा भी हो सकता है तब तो भलाई इसी में है कि ममता की शादी अभी नहीं की जाए। अन्य सभी मौजूद लोगों ने भी सारी बातें जानकर व सोच–समझ कर उसे यही राय दी। सभी बातें सोच कर दीनानाथ ने लड़के वालों को खबर करवा दी कि जब ममता 18 वर्ष की हो जायेगी तभी वे शादी करेंगे। दीनानाथ की ये बात सुनकर रिखणीखाल में किसी ने भी आइन्दा बाल विवाह न करने की कसम उठा ली।

कानून बना पशुओं का रक्षक

गॉव के बच्चे शाम को खेलकर घर लौटे तो चौपाल पर बताया कि गॉव के बाहर सुनसान जगह पर 3–4 अजनबी लोग 15–20 गाय–बछड़ो के साथ आए हुए हैं और उन्हे कहीं बाहर ले जाने की तैयारी कर रहे है। चौपाल पर मौजूद राधेश्याम, महेश व मंगल ये खबर सुनकर चौंके और तुरन्त वहॉ पहुॅच कर सही स्थिति की जानकारी करने की योजना बनाई। जब तक ये 10–12 लोग बच्चों के साथ उस जगह पर पहुॅचे तब तक वे अजनबी जो गाय–बछड़ो के साथ थे, वहॉ से भाग चुके थे। पर गाय व बछड़े वही मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों की योजना इन गाय–बछड़ो को कसाई खाने ले जाने की थी।

अब समस्या यह खड़ी हो गई कि इन गाय बछड़ो का क्या किया जाए। यदि गॉव वालों ने इन्हे अपने घरों पर बॉध लिया और ये चोरी के जानवर हुए तो बिना बात पुलिस के चक्कर मे फंसेगे। इसी समय बदरीलाल भैया भी उधर आ गए। सभी ने इस समस्या का हल उनसे जानना चाहा। सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें देखकर उन्होंने राय दी कि हमें इस घटना की जानकारी तहसीलदार जी व थानेदार जी के मार्फत जिले के कलेक्टर साहब को भेजनी चाहिए। राज्य के गोवंश अधिनियम के तहत उन्हें ही ऐसे पशुओ को उचित स्थान पर रखने का आदेश देने का अधिकार है। इस राय पर अमल किया गया और

कलेक्टर साहब ने आदेश दिया कि इन सभी मवेशियों को गौशाला मे रखवा दिया जाए और साथ ही उन्होनें गॉव वालो को इतनी संख्या में गाय व बछड़ो को बचाने के लिये शाबासी भी दी।

इसी घटना के दौरान बदरीलाल भैया ने जानकारी दी कि हमारे राज्य मे गऊ अथवा गौ वंश जैसे गाय, बछड़े, बछिया, बैल आदि को जान–बूझकर मारने या मारने के आशय से राज्य के बाहर भेजने को गंभीर अपराध माना गया है, जिसकी सजा 10 वर्ष तक हो सकती है। ऐसे पशुओं को जान–बूझाकर चोट पहॅुचाने या इनका अंग–भंग करने को भी सजा से दण्डनीय अपराध माना गया है। यहॉ तक के गऊ–वंश का मॉस बेचना, लाना ले जाना भी अपराध है।

यह सुनकर महेश ने प्रश्न किया कि अगर अकाल के कारण गाय व बछड़ों के लिये चारे–पानी की व्यवस्था न हो सके और इस कारण उन्हें अपने राज्य से बाहर जाना पड़े तो क्या यह भी सजा के योग्य माना जाएगा। इस प्रकार भैया ने बताया कि ऐसा काम अपराध नहीं हैं, पर इन परिस्थितियों में गऊ–वंश को राज्य से बाहर ले जाने के लिये पहले जिला कलेक्टर महोदय से अनुमति व परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। वरना इन पशुओं को ले जाने वाला दण्ड का भागी होगा।

राधेश्याम ने कहा कि इसका मतलब तो सरकार ने न केवल आदमियों बल्कि जानवरो के बारे में भी कानून बना रखे है, तो बदरीलाल भैया बोले कि यह मत समझना कि जानवर बोल नही सकते तो इन पर कोई भी अत्याचार कर सकता है। सरकार ने इनकी रक्षा के लिये भी अनेक कानून बनाये हैं। न केवल गऊ–वंश, अन्य सभी जानवरों के उचित रख–रखाव और उनके दुःख–दर्द रोकने के लिये सरकार ने पशु कल्याण बोर्ड भी बनाये हैं। पालतू जानवरों पर जरुरत से अधिक बोझ लादना, उन्हे मारना–पीटना, कष्ट पहुंचाना, हानिकारक दवायें देना, छोटे से पिजरें में व छोटी सी चेन से बॉधकर रखना, खाना–पानी या छायापूर्ण स्थान नहीं देना, बीमार जानवरों को लावारिस छोड़ देना भी कानूनी अपराध है।

मंगल कहने लगा कि पहले तो पशु–पक्षियों की बलि देने की प्रथा थी, तो क्या अब वह भी कानूनी अपराध है? इस पर बदरीलाल भैया ने समझाया कि अब मंदिर या अन्य स्थानों पर किसी पशु–पक्षी की बलि नही दी जा सकती। बलि देना अब कानूनी अपराध है। ऐसी बलि देने की तैयारी की जानकारी होने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा स्टे (रोक) आदेश दिया जा सकता है। इसके बावजूद भी बलि देने पर एक वर्ष तक की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

राजेन्द्र सिह ने प्रश्न किया कि गऊ–वंश तथा पालतू जानवरों की रक्षा के लिये ही तो कानूनी पाबंदी लगाई है। परंतु जंगली जानवरों व पक्षियों के शिकार पर तो कोई पाबंदी नही होगी। बदरीलाल भैया ने बताया कि ठाकुर साहब अब शिकार करने के भी दिन नही रहे। सरकार ने जंगली जानवरों जैसे हिरण, चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंधा, शेर, रीछ, बघेरा, लोमडी, गीदड, भेड़िया जरख आदि तथा जंगली पक्षियों जैसे तीतर, बटेर, बतख, फाख्ता, जंगली मुर्गी, तिलोर, सारस, नीलकंठ, बया, बुलबुल, बगुला, कोयल आदि

को पकड़ने, मारने, शिकार करने व उनका मॉस, खाल, बाल आदि बेचने हेतु निकालने या रखने पर पाबंदी लगा दी है। राज्य में कुछ जंगलों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां ऊपर बताये गये कार्यों पर पूरी तरह पाबंदी है।

राधेश्याम ने पूछा कि भैया अगर जानवरों द्वारा खेतों व फसल को बरबाद किया जाये तो उन्हें रोकने के लिये भी कोई रास्ता है या नही? इस बार बदरीलाल ने बतलाया कि फसल को बचाने के लिये या अपनी खुद की रक्षा हेतु अगर कोई व्यक्ति जानवरों को पकड़ता है व उसके द्वारा जानवरों को मारना जरुरी हो जाता है, तो इसे कानून में अपराध नही माना गया है ।

सभी ग्रामवासियों ने ये कानूनी जानकारी प्राप्त होने पर प्रतिज्ञा की कि वे आइंदा किसी पशु, पक्षी या जानवर को नहीं मारेगे व न ही सतायेंगे और यदि ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो उसे भी रोकेगें।

मोटर टक्कर ने उजाड़ा, कानून ने बसाया

हिम्मतपुर में अचानक एक दुःखद हादसा हो गया। लाल सिंह नौकरी पर जाने हेतु साईकिल से जा रहा था कि अचानक सामने से तेज रफ्तार से आते हुये ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके पीछे जा रहे लोगों ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, पर ट्रक ड्राईवर तो और तेज गति से भाग गया। फिर भी पीछे आ रहे सतनाम ने ट्रक का नम्बर अपनी डायरी में नोट कर लिया।

इस दुर्घटना की खबर सुनकर लाल सिंह के घर मे कोहराम मच गया। वह अपने बूढे मॉ—बाप का इकलौता बेटा था। उसके परिवार में भी एक पत्नी व दो बच्चे थे। इस प्रकार कुल 5 व्यक्तियों का पेट भरने वाला वही एक अकेला था। खैर, ईश्वर के आगे हार मानते हुये रीति—रिवाज के अनुसार सभी क्रिया—कर्म सम्पन्न हुये। कुछ दिन बीतने पर घर मे खाने के फाके पड़ने लगे। इस दुःख भरे माहौल मे गॉव वालों को करम सिंह की याद आई। करमसिंह ने विधिक साक्षरता की पुस्तकों व अपने कानून ज्ञान के आधार पर बतलाया कि लाल सिंह की मोटरवाहन से हुई मृत्यु के लिये जिला मुख्यालय के मोटर दुर्घटना मुआवजा अभिकरण में प्रार्थना—पत्र पेश करके मुआवजा राशि प्राप्त की जा सकती है।

इस कार्यवाही के लिये सर्वप्रथम लाल सिंह के पिता की ओर से करम सिंह ने पुलिस थाने मे एफ. आई.आर. दर्ज करवाई। इस एफ.आई.आर. में सतनाम द्वारा नोट किया गया दुर्घटना करने वाले ट्रक का नम्बर बहुत काम आया, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। इस पर पुलिस ने कार्यवाही करके उस ट्रक के सभी कागजात जब्त किये। इस कागजात की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करके करम सिंह ने वकील साहब के मार्फत मुआवजा राशि हेतु प्रार्थना पत्र पेश करवाया, जिस पर केवल 10 रूपये की कोर्ट फीस ही लगती है। इस बार भी सरकारी खर्चे पर ही वकील साहब की नियुक्ति हुई। क्लेम पेश होने पर जिले की एम0ए0सी0टी0 अदालत ने लाल सिंह के वारिसान को तुरंत 50,000 रूपये की हर्जाना राशि उस इन्श्योरेंस कम्पनी से दिलाने के आदेश दिये जहां से ट्रक का इन्श्योरेस था। वकील साहब ने बतलाया कि दुर्घटना में

मृत्यु न होकर स्थाई अक्षमता यानि अंग–भंग होने, कान आदि अंगो की शक्ति समाप्त होने या सिर अथवा चेहरे पर स्थाई विकृति आ जाने भी मुआवजा राशि तुरंत मिल सकती है। वस्तु या सम्पत्ति मोटर वाहन दुर्घटना मे नष्ट हो जाने पर उसका भी मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है ।

ये राशि मिलने से लाल सिंह के परिवार पर छाये आर्थिक संकट के बादल कुछ समय के लिए छंट गए। फिर वकील साहब ने लाल सिंह की आय, दुर्घटना के समय उसकी आयु, आगे के वर्षो में उसे होने वाली संभावित कमाई, उसके ऊपर आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या व उनका खर्च, लाल सिंह की मृत्यु से उनके परिवार के सदस्यों को पहुचें मानसिक आघात व दुःख आदि के बारे में प्रमाण पेश किए व बयान करवाए। एम0ए0सी0टी0 अदालत ने इंश्योरेंस कम्पनी को भी अपनी सफाई में गवाही पेश करने का अवसर दिया। फिर दोनों पक्षों की गवाही को देखकर फैसला सुनाया कि इंश्योरेस कम्पनी लाल सिंह की मृत्यु के मुआवजे के रूप में चार लाख रूपये की राशि अदा करे जिसमें दो लाख रूपये उसके बच्चों के नाम बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट में रखे जाएॅ, जो उनके बालिग होने पर उनके उपयोग हेतु दिए जायेंगे।

हालांकि लाल सिंह के परिवार के लिए उसकी मौत से होने वाली कमी तो पूरी नही हो सकती थी, पर इस फैसले की राशि से लाल सिंह की आय की कमी तो पूरी हो गई और यह परिवार आर्थिक संकट से उबर गया।

कानून के हाथ ग्राहक के साथ

जगतार सिंह ट्रैक्टर से अपने खेत जा रहा था। बुवाई के समय नजदीक होने के कारण उसने पिछले महीने ही नया ट्रैक्टर खरीदा था। अचानक चलते हुये ट्रैक्टर के इंजन में से धुआं निकलने लगा और वह रूक गया। गॉव के होशियार मिस्त्री, मनजीत सिंह को बुलाकर जगतार सिंह ने ट्रैक्टर चैक करवाया। उसने बताया कि इसकी मशीनरी में ज्यादा खराबी है। ट्रैक्टर नया ही था, अतः जगतार सिंह उसे कम्पनी पर लेकर गया, जहॉ से उसने खरीदा था तो कम्पनी वालों ने मशीनरी की खराबी ठीक करने में 25 हजार रूपये का खर्चा बता दिया। जगतार सिंह ने कहा कि अभी तो ट्रैक्टर गारण्टी पीरियड में है और कम्पनी को ही ठीक करने देने की जिम्मेदारी है परन्तु वे नहीं माने और भुगतान करने पर ही ट्रैक्टर ठीक करने की बात कही।

अब जगतार सिंह बड़े परेशान मन से गॉव लौटा। इधर बुवाई का समय निकला जा रहा था और नया ट्रैक्टर खरीद कर भी वह उसका उपयोग नहीं कर पा रहा था। मरम्मत के लिये उसके पास 25,000 रूपये चुकाने को नहीं थे।

एक–दो दिन बाद जब शाम को गॉव की चौपाल पर जगतार सिंह व 7–8 आदमी इसी दुखड़े की चर्चा कर रहे थे तब अचानक हरप्रीत भैया भी वहॉ आ पहुंचे। सारी घटना की जानकारी होने पर उन्होंने जगतार सिंह को राय दी कि तुम जिला उपभोक्ता मंच मे इस बारे मे शिकायत (परिवाद) पेश कर दो। वहीं

खड़े कल्लू ने पूछा कि इसमे फीस कितनी लगेगी और वकील का कितना खर्चा आएगा। तो हरप्रीत भैया ने बतलाया कि इसकी कोई फीस नहीं लगती है और इसमें वकील करना भी जरूरी नहीं है। शिकायतकर्ता खुद ही अपनी पैरवी कर सकता है। जगतार बोला कि इसके फैसले में न जाने कितना समय लग जाएगा। अतः तुम कोई और तरकीब बतलाओ। इस प्रकार हरप्रीत ने कहा कि जिला उपभोक्ता मंच में पेश होने वाली शिकायतों पर जल्दी ही फैसला हो जाता है क्योंकि इसमें गवाहों को पेश नही करना होता, बल्कि उनके शपथ–पत्रों तथा दस्तावेजों के आधार पर ही फैसला हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जहॉ तक संभव हो फैसला तीन माह के अन्दर ही करने की कोशिश की जाती है। ये बाते सुनकर तो वहॉ खड़े सभी लोग बहुत खुश हुए और हरप्रीत भैया से इस उपभोक्ता मंच के बारे में तरह–तरह की जानकारी मॉगने लगे।

दाताराम ने पूछा कि जरा विस्तार से बताओ कि इस मंच में किस तरह के मामलों की शिकायत पेश की जा सकती है। तो हरप्रीत भैया ने वहॉ मौजूद सभी लोगों को समझाया कि यदि तुम पैसे देकर कोई चीज खरीदो या कोई सेवा प्राप्त करो तो तुम्हें उपभोक्ता माना जाता है तथा वस्तु बेचने वाले या सेवा देने वाले के द्वारा यदि बेची हुई वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता मे कोई कमी है या अधिक कीमत वसूल की गई है अथवा सेवाओं में कोई कमी या अक्षमता बरती गई है तो ऐसे मामलों में उपभोक्ता मंच के मार्फत हर्जाना भी प्राप्त किया जा सकता है व दोषयुक्त वस्तु को बदलवाया भी जा सकता है अथवा उस दोषयुक्त वस्तु की मरम्मत करवाकर उसे प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु उसके लिये यह जरूरी है कि हम वस्तुऍं खरीदते समय दुकानदार से उसकी रसीद प्राप्त करें, वरना वह दुकानदार इस बात से इंकार कर देगा कि ये वस्तु उसकी ही दुकान से खरीदी गई है। हरजिन्दर ने कहा कि हम आगे से टैक्स बचाने के लालच मे कभी भी वस्तुऍं खरीदते समय रसीद मॉगने से इंकार नही करेंगे।

हरप्रीत भैया ने बतलाया कि उपभोक्ता मंच के सामने बैंक, बीमा, बस ट्रांसपोर्ट कम्पनी, विद्युत मण्डल, आवासन मण्डल, रोडवेज, रेल आदि की सेवाओं में कमी या दोष के खिलाफ शिकायत पेश करके हर्जाना प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिले के उपभोक्ता मंच के पास 5 लाख रूपये तक के, राज्य के उपभोक्ता आयोग के पास 20 लाख से 1 करोड़ रूपये तक के तथा उसके ऊपर के मामले राष्ट्रीय आयोग के सामने पेश किए जा सकते हैं।

ये जानकारी पाकर सभी गॉववासी बहुत खुश हुए और बोले कि इस कानून के बाद तो अब दुकानदार लोग हमसे नाजायज कीमत वसूल नहीं कर पाएंगे। सभी ने जगतार सिंह को राय दी कि खराब ट्रैक्टर बेचने वाली कम्पनी के खिलाफ तो तुरन्त शिकायत पेश करो।

सभी की राय के अनुसार व हरप्रीत भैया की मदद लेकर जगतार सिंह ने ट्रैक्टर के बारे में उपभोक्ता मंच में शिकायत पत्र पेश किया। उसके व मिस्त्री मनजीत व गॉववालों के शपथ पत्रों के आधार

पर तथा ट्रैक्टर खरीद की रसीद देखकर व उस कम्पनी की बात सुनकर उपभोक्ता मंच ने कम्पनी को आदेश दिया कि जगतार सिंह को ट्रैक्टर कम्पनी अपने खर्चे पर पूरी मरम्मत करके एक माह के अन्दर ट्रैक्टर वापस करे अथवा उसे दूसरा नया ट्रैक्टर दे। इस बीच जगतार को हुए हर्जे के लिये भी मंच ने 5000 रूपये कम्पनी से जगतार सिंह को दिलवाए। इस प्रकार उपभोक्ता कानून के बल पर जगतार सिंह का बिगड़ा हुआ काम बन गया और वह राजी–खुशी अपनी खेती करने लगा।

कानून की समझ

एक दिन पुनः भगवानपुर गॉव में जिला मुख्यालय से जिला जज साहब, सी.जे.एम. साहब व उनके साथी न्यायिक अधिकारीगण पधारे। आज भी गॉव मे खूब चहल–पहल थी। आज गॉव की चौपाल पर लगे मंच पर अन्य प्रतिष्ठित बुजुर्ग व्यक्तियों के अलावा गॉव में लोकप्रिय हो चुके दीवान भैया भी उपस्थित थे। सभी गॉव वालों ने दीवान भैया द्वारा अपनी कानूनी राय व मदद से गॉव के लोगों के दुख–दर्द दूर करने की जानकारी जज साहबान को दी। उन्होंने प्रसन्न होकर दीवान भैया को शाबासी दी।

आज जज साहबान स्वयं रोजमर्रा के कानूनों की जानकारी देने पधारे थे।

एक मजिस्ट्रेट साहब ने बतलाया कि कानून के अनुसार बिना वैद्य लाइसेंस के कोई आग्नेयास्त्र जैसे बंदूक, पिस्तौल तथा गोली बारूद आदि अपने कब्जे मे रखना या लाना–ले जाना अपराध है जिसके लिए कम से कम एक वर्ष की जेल व जुर्माने की सजा हो सकती है तथा जेल की अवधि तीन वर्ष तक भी हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के ऐसे हथियारो को प्रयोग में ले अथवा उनकी मरम्मत करें बेचे या बनाए तो उसे कम से कम तीन वर्ष व अधिक से अधिक 7 वर्ष तक सजा व जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। इसलिये गॉव वालों को बिना लाइसेंस लिए ऐसा हथियार अपने कब्जे में नहीं रखना चाहिए एंव ऐसा कोई हथियार धारक हो और उसकी मृत्यु हो जाये तो उसके परिवार वालो को या तो अपने नाम से लाइसेन्स प्राप्त करना चाहिये अथवा यह हथियार सरकार को जमा करवा देना चाहिए वरना उसे भी सजा हो सकती है।

एक अन्य मजिस्ट्रेट साहब ने अपनी बातचीत मे बताया कि इसी प्रकार सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेन्स प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति शराब या नशीली दवा आदि आबकारी वस्तुयें बनाने के लिये कोई सामग्री, बर्तन, उपकरण, भट्टी आदि अपने पास रखता है या उनका उपभोग करता है तो वह सजा का भागी हो सकता है। इस प्रकार यदि कोई बिना लाइसेन्स लिये गांजे या भांग की खेती करता है, ताड़ी बनाता है या बिक्री करने हेतु शराब की बोतलें तैयार करता है तो ये भी कानूनी अपराध है। ऐसे लोगो को तीन साल व 2000 रूपया तक जुर्माना हो सकता है।

तीसरे अधिकारी ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुये गांववासियो को बतलाया कि शराब के अलावा जुएंबाजी भी बहुत खराब शौक है जिसे रोकने के लिये सरकार ने कानून बनाया है। इसके अनुसार किसी

सार्वजनिक रास्ते या जगह पर कोई व्यक्ति जुआं खेलता है या पशु–पक्षियो को लड़वाता है या उसमें मदद करता है, तो पुलिस अधिकारी उसे बिना वारण्ट के भी पकड़ सकते हैं तथा उस व्यक्ति के ऊपर 1000 रूपये तक जुर्माना या एक महीने तक की सजा हो सकती है। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करके शांति भंग करने वाले लोगों को भी इसी प्रकार से दंड दिया जा सकता है।

एक अन्य मजिस्ट्रेट साहब ने जानकारी दी कि दूध, घी, मिर्च, मसालों व अन्य सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट करना न केवल सामाजिक बल्कि कानूनी अपराध है। उन्होंने बतलाया कि खाद्य पदार्थों की बिक्री करने के लिए भी लाइसेंस लेना व उसकी शर्तों के मुताबिक ही इन वस्तुओं की बिक्री करना अनिवार्य है। यदि किसी खाद्य पदार्थ की बिक्री पर स्वास्थ्य अधिकारी ने रोक लगा दी है तो उसे बेचना भी अपराध है। उन्होंने बतलाया कि खाद्य निरीक्षक को खाद्य वस्तुओं के सेम्पल लेने से रोकना या उसे अपने गलत नाम व पते बतलाना या उसके साथ मारपीट करना भी अपराध है। यदि सेम्पल की जॉच के द्वारा उस वस्तु में मिलावट होना पाया जाता है तो इस बारे में सूचना मिलने पर उसका विक्रेता सेम्पल की दुबारा जॉच करवा सकता है जो केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा की जाती है। उस जॉच में भी सेम्पल मिलावटी पाये जाने पर विक्रेता के खिलाफ केस आगे चलता है जिसमें दोष पाये जाने पर उसे तीन वर्ष की सजा व 1000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

यह जानकारी मिलने पर गॉव के सभी दूध विक्रेताओं व खाद्य पदार्थ के अन्य दुकानदारों ने एक स्वर में सभी जज साहब को आश्वासन दिया कि आगे न तो हम बिना लाइसेन्स के खाद्य पदार्थों की बिक्री करेंगे और न ही उनमें मिलावट करेंगे।

आखिर में एक मजिस्ट्रेट साहब ने बतलाया कि आजकल न केवल शहर मे बल्कि गॉव में भी बहुत से लोग मोटर वाहन जैसे जीप, स्कूटर, मोटर साइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक, बस आदि रखते हैं परन्तु कई लोग इन वाहनों के सभी दस्तावेज संभाल कर नहीं रखते है या बनवाते ही नहीं। ज्ञान काका ने पूछा कि साहब इनके कौन–कौन से दस्तावेज बनवाना या रखना जरूरी है जरा विस्तार से बतलायें।

इस पर उन्होंने बतलाया कि ऐसे सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन व बीमा प्रमाण पत्र व चालक का लाइसेन्स बनवाना बहुत आवश्यक है। व्यावसायिक उपयोग वाले वाहनों का परमिट एवं फिटनेस प्रमाण पत्र भी बनवाना चाहिए। ऐसे सभी वाहनों का सड़क कर जमा करवाना भी जरूरी है। इन दस्तावेजों का समय पर नवीनीकरण करवाना व बीमा राशि, टैक्स आदि जमा करवाना भी आवश्यक है। यदि वाहन से कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो बीमा के अभाव में उसके मालिक पर ही दुर्घटनाग्रस्त हुये व्यक्ति को हर्जाना देने की सारी जिम्मेदारी आती है, जो बीमा राशि की तुलना में कई अधिक होती है। अतः बीमा करवाना न केवल अन्य व्यक्तियों के लिये बल्कि स्वयं वाहन मालिक के लिये भी फायदेमंद है। उन्होंने यह भी बतलाया कि वाहन चलाते समय चालक को अपना लाइसेन्स सदैव अपने पास रखना चाहिये। किसी पुलिस

अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा मांगने पर ये दस्तावेज दिखलाना आवश्यक है तथा इसके बिना वाहन चलाना अपराध है।

सरपंच ने गॉव मे पधारे हुये सभी अफसरों को धन्यवाद दिया कि आज आपने हमारे गॉव मे पधार कर कई ऐसे कानूनों की जानकारी दी जिनके अभाव मे गॉववासी कभी भी मुकदमेबाजी मे फंस सकते थे। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि हमारे गॉव मे ऐसे कोई अपराध न हों।

दलितों के अधिकार

प्रतापनगर गॉव का माहौल पिछले कुछ दिनों से तनावग्रस्त था। वैसे तो गॉव में कोई झगड़ा या मारपीट की घटना नही हुई थी पर ऐसी आशंका हमेशा बनी रहती थी कि कभी भी कुछ हो सकता है। कारण यह था कि कोई 15–20 वर्ष पहले सरकार ने ठाकुर साहब के खेतों के पास जो जमीन ऊसर व उबड़–खाबड़ सी थी, उसे अपने कब्जे मे लिया था। खाते में तो वह जमीन सरकार की ही थी लेकिन ठाकुर साहब ने उस पर अपनी बाड़ करवा रखी थी। नये तहसीलदार जी आये तो उन्होंने वह बाड़ हटवाकर जमीन वापस कब्जे में ले ली व दो–तीन साल बाद उसे भूमिहीन लोगों के नाम कर दिया। इस तरह वह जमीन होरी खटिक, रमका हरिजन, दीगू बलाई आदि के नाम हो गयी लेकिन इन लोगों ने तब से इस जमीन पर कोई फसल नहीं की थी और न ही अपनी बाड़बन्दी की थी, पर जब जाटव के पास के खेत में कुछ ही गहराई पर मीठा पानी निकल आया तो ये लोग भी सरकार द्वारा दी की गई इन जमीनों पर एक कुआं खोद कर खेती करने की सोचने लगे। तीनों ने मिलकर बैंक से लोन भी ले लिया। कुआं खोदने के लिये जैसे ही इन्होंने अपनी जमीन पर कार्यवाही शुरू की तो ठाकुर साहब के आदमियों ने आकर उन्हें धमकाया कि अगर ठाकुर साहब की जमीन की ओर ऑख उठाकर देखा तो तुम्हारे हाथ–पैर तोड़ देंगे व तुम्हें बरबाद कर देंगे।

इन लोगों ने ठाकुर साहब की भी मान–मनुहार की कि सरकार द्वारा दी हुई हमारी जमीन पर हमें कुआं खोदकर फसल कर लेने दो, पर वो नही माने। गॉव की पंचायत में भी इन्होंने ये बात उठाई पर वहां भी दो गुट हो गये। एक ठाकुर साहब के पक्ष में और दूसरा होरी, रमका, दीगू के पक्ष का। इसी कारण गॉव में हॅसी–खुशी के माहौल में तनाव आ गया।

सोमदत्त कुछ दिनों के लिये अपने ननिहाल गया हुआ था। जब वह लौटकर आया तो उसे सारा किस्सा जानकर बहुत दुःख हुआ। उसने भी होरी व रमका आदि के कहने पर ठाकुर साहब को समझाने हेतु चौपाल पर एक मीटिंग बुलाई व बतलाया कि अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत ठाकुर साहब का ये काम कानूनी अपराध होगा जिसमें पांच वर्ष तक की सजा व जुर्माना हो सकता है व कम से कम सजा भी छः माह की होगी, पर इस बार सोमदत्त की बातों पर असर होता नजर नहीं आ रहा था। मीटिंग के दौरान सोमदत्त ने गॉव वालों को ये भी बतलाया कि अनुसूचित

जाति व जनजाति के लोगों को बेइज्जत करने के इरादे से उन्हे घृणात्मक पदार्थ जैसे विष्ठा आदि खाने या पेशाब पीने को मजबूर करना, उनके पहने हुये कपड़े उतारना, चेहरा पोतकर घुमाना, घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने से रोकना, उनके खिलाफ द्वेषपूर्वक कोई झूठी कानूनी कार्यवाही करना या उसमें झूठी गवाही देना भी कानूनी अपराध है। इसके अलावा इन लोगों से बेगार करवाना, बन्धुआ मजदूर बनाना, स्त्री की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना या बल प्रयोग करना, उसकी इच्छा के विरूद्ध उसका शारीरिक शोषण या बलात्कार करना भी अपराध है। इन सभी अपराधों के लिये छः महीने की जेल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

ये बातें सुनकर होरी व दीगू कहने लगे, ''भैया कानून तो सरकार ने कुछ भी बना दिये हों, पर कार्यवाही तो कुछ होती नही है। ये सभी कागजी खानापूर्ति ही है। इस पर सोमदत्त भैया बोले, काका ऐसी बात नही है, इस कानून मे तो ये भी व्यवस्था है कि अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी इस कानून को लागू करने मे जान–बूझकर लापरवाही करता है तो उसे भी कम से कम छः महीने व अधिकतम एक वर्ष तक की सजा हो सकती है। ये सुनकर रमका कहने लगा कि अगर पुलिस ने कुछ कार्यवाही की भी तो ठाकुर साहब अपने आदमियों की अग्रिम जमानत करवा लेंगे और फिर हम पर राजीनामा करने को दबाव डालेंगे। इस पर सोमदत्त भैया ने फिर कहा कि घबराने की कोई बात नही है। इस कानून के तहत दण्डनीय अपराधों में न तो अग्रिम जमानत होती है औेर न ही राजीनामा। इन केसों की सुनवाई भी विशेष न्यायालयों में सेशन जज स्तर के ऊँचे अधिकारी ही करते हैं और दोषी पाये गये व्यक्ति को परिवीक्षा अर्थात् सुधरने हेतु जमानत पर रिहा होने पर फायदा भी नही मिलता है। इस तरह सरकार ने इस कानून के तहत अपराध करने वालो से बड़ी ही सख्ती से पेश आने की व्यवस्था की है।

मीटिंग में मौजूद ठाकुर साहब के लोगों ने उनके पास जाकर उन्हें ये बातें सुनाई तो वह भी घबराये। उन्होंने शहर जाकर एक नामी वकील से सलाह–मशविरा किया तो उन्होंने भी सोमदत्त द्वारा बताई गई बातों को सही होना बतलाया। अब तो ठाकुर साहब के हौसले भी पस्त हो गये। उन्होंने गॉव आकर अपने आदमियों से कोई भी ऐसा–वैसा कदम उठाने को मना कर दिया और आगे बढ़कर होरी, रमका व दीगू को संदेश भिजवाया कि भाई अपनी जमीन पर कुंआ खुदवाकर खेती करो और प्रेम से रहो।

ये संदेश सुनते ही सभी गॉव वाले बहुत खुश हो गये। सारा तनाव छंट गया और हॅसी–खुशी का माहौल लौट आया। अब होरी, रमका, दीगू को भी विश्वास हो गया कि वाकई कानून कागजी खानापूर्ति के लिये बल्कि गरीब व असहाय लोगों की मदद के लिये बनाये गये हैं। बस जरूरत इस बात की है कि लोगो को उनकी पूरी व सही जानकारी हो।

लोक अदालत व सुख शान्ति

साबली गॉव इस जिले का सर्वाधिक शान्तिप्रिय, सुधारवादी व प्रगतिशील गॉव बनता जा रहा था। पूरे जिले मे इसे आदर्श गॉव के रूप मे मान्यता मिलने लगी थी। पर अचानक इस बढ़ती हुई ख्याति को किसी की बुरी नजर लग गयी। हुआ यूँ कि पुराने स्कूल के पास सेठ करमचंद की जो खाली जमीन पड़ी थी उस पर सार्वजनिक उपयोग के लिये एक धर्मशाला बनाने का प्रस्ताव गॉव वालो ने रखा। उन्होंने ने भी गॉव वालों के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये अपनी जमीन धर्मशाला हेतु दान देने की बात मान ली। शर्त सिर्फ ये रखी कि धर्मशाला बन जाने पर इसका नामकरण मेरे नाम पर किया जाये। गॉव के लोग इस शर्त पर राजी थे।

इसी बीच सरपंच महोदय को विचार आया कि अगर रघुराज सिंह के खेत की जमीन में से इस धर्मशाला के लिये रास्ता मिल जाये तो गॉव के बाहर होकर जाने वाली मुख्य सड़क से ये धर्मशाला जुड़ जायेगी तथा इसकी उपयोगिता और खूबसूरती में भी चार चॉद लग जायेंगे। जब रघुराज काका से इस बारे में गॉव वालों ने बात की तो वे भी तैयार हो गये। गॉव वालों की खुशी की सीमा नही रही। सभी ने रात–दिन एक करके पैसा इकट्ठे किये और धर्मशाला का निर्माण कार्य शुरू हो गया, साथ ही रघुराज काका के खेत से पन्द्रह फीट चौड़ा रास्ता निकालने के लिये कागजी कार्यवाही करवा ली गयी।

जब मौके पर रास्ता बनाने का काम शुरू होना था उससे एक दिन पहले रघुराज काका के लड़के ने उन्हें भड़का दिया कि सेठ जी तो जमीन देकर धर्मशाला अपने नाम करवा रहे है पर आपकी जमीन तो मुफ्त मे जा रही है। रघुराज काका भी उसकी बातों मे आ गये और सरपंच के सामने शर्त रखी कि अगर धर्मशाला मेरे नाम पर बनेगी तो ही मैं खेत में होकर रास्ता बनाने दूँगा।

गॉव वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माने। जब गॉव वालों ने खेत में से रास्ता निकालने का काम शुरू किया तो चौधरी काका ने अदालत मे स्थगन की दरख्वास्त पेश करके काम रूकवा दिया। अब तो गॉव मे गुटबाजी की सी स्थिति हो गयी। बड़ी मेहनत व लगन से शुरू किया गया धर्मशाला का निर्माण कार्य बीच मे ही रूक गया। छः महीने से विवाद चल रहा था इसी कारण साबली के नाम को बट्टा लग रहा था। अदालत मे जब स्थगन के मुकदमें की पेशी आयी तो मजिस्ट्रेट साहब साबली गॉव के नाम को देखकर चौंके। उन्होंने दोंनो पक्षों के वकील साहबान को कहा कि इस गॉव में ऐसा विवाद क्यों हो गया। जब उन्हें सारी बात बताई गयी तो उन्होंने कहा कि इस मुकदमे को तो लोक अदालत की भावना से राजीनामे के जरिये निबटाया जा सकता है। अतः आइन्दा पेशी पर गॉव के सभी संबंधित लोगों को बुलवाया जाये व फाइल को लोक अदालत में रखवाया जाये।

अगली पेशी पर सरपंच महोदय एवं धर्मशाला के निर्माण मे जुटे अन्य सभी लोग अदालत मे पहुँचे। मजिस्ट्रेट साहब ने फाइल लोक अदालत की बैठक मे रखवाई। यहॉ कानूनी बारीकियों से अलग हटकर

दोनों पक्षों मे राजीनामा करवाने की भावना से जनता में प्रतिष्ठित लोगों व जज साहबान द्वारा मुकदमें के पक्षकारों को समझाया जाता है। लोक अदालत द्वारा हुआ फैसला अधिक प्रभावी व शीघ्र हो जाता है और अपील की गुंजाइश न रखने से अंतिम ही होता है। अब दोनों पक्षो की बात सुनकर जज साहब ने रघुराज सिंह व गॉव वालों को समझाया कि जब आप सभी गॉव की प्रगति व भलाई चाहते हैं, तो इतनी सी बात के लिये विवाद क्यों करते हो? विवाद का विषय वही सामने आया कि नाम की लड़ाई है। इस पर जज साहब ने प्रस्ताव रखा कि रघुराज काका अगर आप नाम ही चाहते है तो हम तहसीलदार जी से कहकर आपके खेत मे होकर धर्मशाला तक बनने वाले मार्ग का नाम आपके नाम पर रखवा देंगे तब तो आप तैयार है? यह सुनकर तो रघुराज काका भी प्रसन्न हो गये। अब उनके पास ना–नुकुर करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनके हॉ करते ही जज साहब ने तहसीलदार जी से अनुमति दिलवा दी और लोक अदालत के माध्यम से राजीनामे के जरिये केस का फैसला कर दिया। गॉव वाले भी इस तुरंत–फुरंत के निर्णय से बहुत खुश हुये व जज साहब को धन्यवाद देने लगे।

जज साहब ने कहा कि इस निर्णय का श्रेय तो लोक अदालत को जाता है। आप लोग इस माध्यम का अधिक से अधिक लाभ उठाइए व इस तरह के मुकदमें लोक अदालत में तय करवाइये, साथ ही ऐसे फौजदारी मुकदमें जिनमें कानूनी राजीनामा करने की इजाजत है, उनमें भी लोगों को तैयार करके राजीनामा करवाइये। इनमें जहॉ दोनों पक्षों का अमूल्य समय व पैसा बचेगा वहीं उनमें आपसी प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। गॉव विवाद रहित व आदर्श गॉव बन जायेगा। ये सुनकर तो सभी लोग एक साथ बोल उठे कि हम अपने गॉव को विवाद रहित आदर्श गॉव बनायेंगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने मिल–बैठकर अपने सारे विवाद आपसी समझ–बूझ व राजीनामे की भावना से तय कर लिये। इसी बीच धर्मशाला का निर्माण कार्य भी पूरी हो गया। गॉव वाले ने दोनों का उद्घाटन बड़े धूमधाम व जोश–खरोश से किया।

अब धर्मशाला का नाम सेठ करमचंद धर्मशाला व मुख्य सड़क से वहां तक जाने वाले मार्ग का नाम रघुराज सिंह मार्ग रखा गया। पर गॉव वाले उसे लोक अदालत मार्ग के नाम से ही पुकारने लगे जिस पर चलकर प्रेम, स्नेह एवं भाईचारे की प्रतीक धर्मशाला तक पहुंचा जा सकता था।

विधिक साक्षरता शिविर

अभिप्राय– साधारण जनता को आम जीवन मे आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में कानूनी जानकारी उपलब्ध करवाना।

उद्देश्य– सरल भाषा में कानूनी ज्ञान देना व सरल भाषा में लिखित कानूनी पुस्तकें एवं सामग्री वितरित करना।

विधिक सेवायें क्या है–

- विधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राधिकरण व ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्ति को कानूनी सहायता देना।
- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना एंव उसकी फीस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदाय होती है।
- मुकदमे मे प्रार्थना पत्र तैयार करवाने की फीस, गवाहों को बुलाने का खर्च एवं अन्य खर्चे भी दिये जाते है।

लोक अदालत क्या है?

- विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने का वैकल्पिक मंच है।
- आपराधिक मामले जिनमें समझौता गैर कानूनी है, वह सभी मामले लोक अदालत के माध्यम से निपटाये जाते हैं।
- लोक अदालत के निस्तारित मामलों के फैसलों को कानूनी आधार प्राप्त हो गया है एंव ऐसा फैसला सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है।
- लोक अदालत के फैसले के विरूद्ध किसी भी न्यायालय मे अपील नही की जा सकती है।
- लोक अदालत मे निस्तारित मामलों में अदा की गयी कोर्ट फीस वापिस लौटायी जाती है।

लोक अदालत मे मामला कैसे नियत करें :–

(1) जिस न्यायालय मे आपका मामला विचाराधीन हो उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करें ।

(2) दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अनुरोध करें

(3) लोक अदालत में वे ही मुकदमे निपटाये जा सकते है जिनमें मुकदमे के सभी पक्षकार सहमत हों।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील
विधिक सेवा समिति,
तहसील –   जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ°–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ°(जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
(ग) स्त्री या बालक
(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ
व्यक्ति।
(च) औद्योगिक कर्मकार
(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी
पता –
नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पषुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रश्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोशण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किषोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निशेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नषीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005

29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस षिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिश्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 षिक्षा का अधिकार– निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 कानून की जानकारी आखिर क्यों?

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

यदि ऐसे व्यक्तिः–

1– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक,
2– संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3– सभी महिलायें एवं बच्चे,
4– सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,

5– बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,

6– औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

7– जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,

8– भूतपूर्व सैनिक,

9– हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,

10– वरिष्ठ नागरिक,

11– एच0आई0वी0/एडस से संक्रमित व्यक्ति,

12– ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 3,00,000/– से कम हो।

नोट :– क्रम संख्याः 1 से 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य–सचिव **कार्यपालक अध्यक्ष**

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला – 39

वरिश्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : **slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com**

1– कहानी–कानून की ताकत।

दिवाकर एक साल बाद गॉव लौटा था। गॉव आने का मन कई बार हुआ। लेकिन हर बार टालता रहा। जब से वकालत षुरू की, मौका ही नहीं मिला। गॉव में उसके बड़े भैया है, भाभी हैं। माता–पिता बचपन में ही नहीं रहे। भैया–भाभी ने ही पढ़ा–लिखाकर वकील बनाया। वह उन्हें माता–पिता की तरह मानता है। उनकी बहुत इज्जत करता है।

दिवाकर घर पहुॅचा तो भैया–भाभी खुषी से उछल पड़े। उसे गले से लगा लिया। प्यार से बिठाया। जल–पान कराया। फिर बातें षुरू हो गई। कुछ षहर की, कुछ गॉव की। कुछ घर की, कुछ बाहर की। बातें होते–होते षाम हो गई। भैया ने कहा–'' अच्छा दिवाकर, तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं जरा गाय–बैलों को चारा–सानी कर दॅू।

इतना कहकर भैया चले गए। भाभी रसोई के काम में लग गई। अकेला होते ही उसे श्रीराम काका की याद आ गई। श्रीराम काका उसके पड़ोसी थे। बचपन में उसे अपनी गोद में खिलाया था। बहुत मानते थे उसे। सच पूछो तो उसे वकील बनाने में उन्ही का हाथ था। वे अक्सर उसके भैया से कहते थे–''इसे खूब पढ़ाओ–लिखाओ। गॉव में एक वकील होना बहुत जरूरी है।''

कई बार तो उसकी फीस भी श्रीराम काका ने भरी थी। उनका अपना लड़का तो ज्यादा पढ़–लिख नहीं था। सातवीं पढ़ने के बाद मटरगस्ती करने लगा था।

ऑगन से ही उसकी आवाज सुनकर श्रीराम काका दौड़े चले आते थे। उसे अपने गले से लगा लेते। बैठकर खूब बातें करते। उसकी पढ़ाई–लिखाई का जायजा लेते। पिछली बार काका उसे सड़क तक छोड़ने गए थे। उसे अच्छी तरह याद हैं, उनके षब्द–''दिवाकर बेटा, अब तो तू वकील बन गया है। कहीं पैसे कमाने के चक्कर में अपने काका को मत भूल जाना।''

आज श्रीराम काका क्यों नहीं आए दौड़कर। कहीं कुछ.........। नहीं–नहीं। कुछ ऐसा–वैसा होता तो भैया–भाभी जरूर बताते। उसके मन की अकुलाहट बढ़ गई। उसने भाभी

को आवाज दी। वे रसोई से बाहर आई। दिवाकर ने पूछा–''भाभी, श्रीराम काका आज क्यों नहीं आए ? घर पर नहीं हैं क्या?'' ''क्या बताऊँ लल्ला'' भाभी बोली– ''श्रीराम काका बेचारे बहुत कश्ट में हैं और घर में नहीं रहते।''

''घर मे नहीं रहते। फिर कहॉ रहते हैं ?

''गॉव के बाहर परती जमीन है। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी डालकर रहते हैं। बूढ़ा षरीर जर्जर हो चुका है। उस नालायक लल्लू ने सारी जमीन–जायदाद अपने नाम करवा ली। इस उम्र में अब वे क्या करें। मजदूरी करने लायक भी नहीं रहे। अक्सर भूखे रहते हैं। कभी–कभी लल्लू अपने बेटे के हाथ बचा खुचा खाना भिजवा देता है। कभी–कभी तुम्हारे भैया चोरी–छिपे खाना दे आते हैं।''

''क्यों ? चोरी–छिपे क्यों '' दिवाकर ने पूछा।

''क्या करें। पता चलने पर लल्लू की औरत गाली देती है। लल्लू भी लड़ने पर आमादा हो जाता है।''

दिवाकर से अब और ज्यादा बर्दाष्त करना मुष्किल हो गया था। वह उठ खड़ा हुआ। भाभी ने पूछा–''क्या हुआ बेटा? कहॉ जा रहे हो?

''श्रीराम काका के पास।''

''अच्छा ठीक है। वहॉ जा रहे हो, तो थोड़ा खाना भी लेते जाओ।''

टूटी झोपड़ी में श्रीराम काका चुपचाप पड़े थे। अंदर ॲधेरा था। बाहर चॉदनी छिटक रही थी। थोड़ी–बहुत रोषनी झिर्रियों से छनकर अंदर जा रही थी। दिवाकर ने बाहर से ही आवाज दी–''काका!''

काका ने दिवाकर की आवाज फौरन पहचान ली। वे उठने की कोषिष करते हुए बोले–''अरे, दिवाकर है क्या?'' उनकी आवाज कॉप रही थी। दिवाकर अंदर पहुॅच गया। उनके पैर छुए और बगल में बैठ गया।

काका अपने आपको रोक नहीं पाए। फूट–फूटकर रो पड़े। दिवाकर ने उनके ऑसू पोछते हुए कहा–''नहीं काका, आप रोइए नहीं। अब मैं आ गया हूॅ। सब ठीक हो जायेगा। मुझे भाभी ने सब कुछ बता दिया है। अब आगे आपको कोई कश्ट नहीं होने दूॅगा। मैं लल्लू भैया को समझाने की कोषिष करूंगा।''

''वह कुछ नहीं समझेगा बेटा। उल्टा तुझे जलील करेगा। गाली–गलौच करेगा।''

''नहीं समझेगा तो उसे घसीट कर अदालत में ले जाऊॅगा।''

''अदालत। भला अदालत इसमें क्या करेगी ''काका ने आष्चर्य से पूछा। ''दिवाकर ने कहा–''काका, अदालत इसमें बहुत कुछ कर सकती है। कोई अपने बूढ़े मॉ–बाप को यों भूखों मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसके लिए बाकायदा कानून बना है।''

''क्या। इसके लिए भी कोई कानून बना है ? जरा बताओ बेटा, क्या है इस कानून में''

श्रीराम काका थोड़ा और पास खिसकते हुए बोले।

''काका, **''माता–पिता और वरिश्ठ नागरिकों का भरण–पोशण तथा कल्याण अधिनियम, 2007''** और **फौजदारी कार्यवाही की धारा 125** में आपको अपने लड़के से गुजारा पाने का हक है।''

''अच्छा ! इस कानून में क्या है? जरा ठीक से समझाओ बेटा'' काका ने पूछा।

दिवाकर ने बताया–"जो माँ–बाप खुद अपना खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें अपनी औलाद से गुजारा पाने का हक है।''

''कितना गुजारा मिल सकता है?''

''यह संतान की कमाई या आमदनी पर निर्भर करता है। उसकी आमदनी और परिवार के खर्चो को देखते हुए अदालत गुजारे की राषि तय करती है।''

''यह गुजारा मिलेगा कैसे?''

''अदालत में केस करके।''

''अदालत के फैसले के बाद भी अगर कोई गुजारे की रकम न दे, तो?''

''तो उसके लिए अदालत में फिर से अर्जी देनी पड़ेगी।''

''उससे क्या होगा?''

''उससे अदालत रकम की वसूली के लिए वारंट जारी करेगी।''

''और फिर भी वह रकम न दे तो?''

''तो अदालत उसे जेल की सजा दे सकती है।''

दिवाकर की बातें सुनकर काका को बहुत सुकून मिला। वे बोले–''बेटा, तू बड़ा वकील बन गया है। आज मुझे भी कानून का एक गुर बता दिया। लेकिन ......''

''लेकिन क्या काका'', दिवाकर ने पूछा।

''क्या अपने ही लड़के को अदालत में घसीटना ठीक होगा? लोग क्या कहेंगे?'' काका ने चिंता जाहिर की।

देखो काका, इसमें लोगों की चिंता करना ठीक नही। क्या लल्लू भैया ने आपके साथ ऐसा व्यवहार करके ठीक किया? क्या उन्होंने ये सेाचा कि ऐसा करना गलत है या सही? क्या उन्होंने परवाह की कि लोग क्या कहेंगे? नहीं की न। फिर आप उनकी इतनी चिन्ता क्यों करतें हैं?

''लेकिन बेटा, इस उम्र में अब अदालत के चक्कर।''

''आप उसकी चिंता न करो काका'' दिवाकर ने बीच में ही टोकते हुए कहा–''मैं भी नहीं चाहता कि आपको अदालत के चक्कर काटने पड़े। पहले लल्लू भैया को समझाने की पूरी कोषिष करूॅगा। फिर भी न माने तो अदालत का रास्ता है।''

''ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो'' काका ने लम्बी सॉस छोड़ते हुए कहा।

''दूसरे दिन दिवाकर लल्लू से मिला। उसे माता–पिता और वरिश्ठ नागरिकों का भरण–पोशण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 और फौजदारी कार्यवाही की धारा–125 की बातें समझाई। अदालत और जेल की धमकी दी। लल्लू ने कहा–''देखो दिवाकर, मैं अदालत के चक्कर नहीं काटना चाहता। जेल की हवा भी नहीं खाना चाहता। मुझे इन चक्करों से तो दूर ही रखो।'' ये बातें हो ही रही थीं, तब तक लल्लू की पत्नी भी घर से बाहर आ गई। साथ में उसका लड़का भी था।

दिवाकर ने कहा– ''लल्लू भैया, अदालत से बचना चाहते हो, तो अपनी गलती सुधार लो। जरा सोचो तो, काका पर क्या बीत रही होगी। तुम यहॉ भरपेट खाते हो, वे वहॉ भूखे–प्यासे पड़े रहते है। तुम्हारा लड़का भी 6 साल का हो गया है। उसी के हाथ कभी–कभी बचा–खुचा खाना भिजवाते हो। वह उनकी हालत देखता–समझता है। तुम्हारा अपना लड़का अगर इसी तरह बुढ़ापे में तुम दोनों को बेसहारा छोड़ दे, तो क्या करोगे?''

''नहीं दिवाकर नही। ऐसा मत कहो। सभी मॉ–बाप चाहते हैं कि बुढ़ापे में उनकी संतान उन्हें सहारा दे। हमने उन्हें बेसहारा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है।''

''तो क्या तुम काका को गुजारा देने के लिए तैयार हो?'' दिवाकर ने पूछा।

लल्लू ने कहा– ''नहीं, हम उन्हें गुजारा नहीं दे सकते।''

''क्या कहा तुमने! तुम........'' दिवाकर को फिर गुस्सा आ गया।

लल्लू ने उसके कन्धे पर हाथ रख दिया– ''दिवाकर भाई वे मेरे पिता हैं। कोई गैर नही।'' सिर्फ गुजारे की रकम देने से मेरी गलती का सुधार नहीं होगा। बुढ़ापे में सेवा की भी तो जरूरत होती है। मैं उन्हें लेने जा रहा हूॅ। अब घर पर ही रखूॅगा। उन्हें अकेले नहीं रहने दूॅगा'' इतना कहते–कहते लल्लू रो पड़ा। लल्लू की पत्नी भी रो रही थी।

कहते हैं सुबह का भूला षाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। आईये अब जानते हैं माता–पिता के संरक्षण और भरण–पोशण के कानूनों के बारे में। वरिश्ठ नागरिको के कल्याण से जुड़ी जानकारियों के बारे में।

2. कानून क्या कहते हैं?

माता–पिता के संरक्षण और भरण–पोशण के अधिकार

प्रष्न : भरण–पोशण क्या है?

उत्तर : माता–पिता और वरिश्ठ नागरिकों के भोजन, कपड़ा, रहने को मकान और दवाई तथा इलाज और देखभाल की व्यवस्था भरण–पोशण कहलाता है।

प्रष्न : वरिश्ठ नागरिक किसे कहते हैं?

उत्तर : 60 साल या उससे अधिक आयु वाले स्त्री–पुरूश वरिश्ठ नागरिंक कहलाते हैं।

प्रष्न : संतान में क्या केवल लड़के आते हैं?

उत्तर : नहीं। लड़का और लड़की दोनों आते हैं। यही नहीं, लड़का–लड़की के बच्चे भी संतान कहलाते है।

प्रष्न : क्या छोटे बच्चे से भी भरण–पोशण मांगा जा सकता है।

उत्तर : नहीं। 18 साल और उससे अधिक आयु वालों से ही भरण–पोशण मांगा जा सकता है।

प्रष्न : माता–पिता से क्या मतलब है?

उत्तर : माता या पिता दोनों ही। चाहे असल माता–पिता हों, चाहे गोद लेने वाले माता–पिता हों या सौतेले पिता या माता।

प्रष्न : माता–पिता का वरिश्ठ नागरिक होना जरूरी है क्या ?

उत्तर : नहीं।

प्रष्न : यह कल्याण क्या है?

उत्तर : भरण–पोशण के अलावा वरिश्ठ नागरिक के स्वास्थ्य की देखरेख उनके मनोरंजन या मन बहलाव के लिए केन्द्र बनाना और जरूरी कई सुविधायें दिलाना कल्याण के काम कहलाते हैं।

प्रष्न : माता–पिता के भरण–पोशण के लिये क्या पहले से मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर : हां। लेकिन नये कानून में माता पिता और अधिक उम्र के लोगों को षीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है।

प्रष्न : भरण–पोशण के लिये अर्जी कहां, और कैसे लगाते हैं?

उत्तर : हर एक उपखण्ड (ब्लॉक) या अनुविभाग में एक या अधिक भरण–पोशण अधिकरण (ट्रिब्यूनल) काम करते हैं। वहां आवेदन लगा सकते हैं।

प्रष्न : अगर कोई माता पिता या वरिश्ठ नागरिक समर्थ नहीं है तो?

उत्तर : तब उसके द्वारा जिसे अधिकार दिया जाये वह आवेदन कर सकता है या कोई संगठन आवेदन कर सकता है या भरण–पोशण अधिकरण जानकारी में आने पर स्वयं भी कार्यवाही कर सकता है।

प्रष्न : क्या आपसी सुलह नहीं कराई जा सकती?

उत्तर : अधिकरण सुलह अधिकारी से सुलह कराने को कहेगा। सुलह अधिकारी आपसी भावना बनाये रखने की कोषिष करेगा। अगर षांति से समझौता हो जाता है तो अधिकरण वैसा आदेष देगा।

प्रष्न : भरण–पोशण अधिकरण कितना मासिक भत्ता दिला सकता है?

उत्तर : दस हजार रूपये तक मासिक भत्ता दिला सकता है।

प्रष्न : भरण–पोशण अधिकरण से किस पते पर संपर्क किया जा सकता है?

उत्तर : जिला कलेक्टर के कार्यालय समूह में उपखण्ड अधिकारी या अनुविभागीय अधिकारी का न्यायालय और कार्यालय होता है, वहां भरण–पोशण के लिये आवेदन किया जाता है।

प्रष्न : क्या तहसील या उपखण्ड में भी आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर : हां, जिन तहसील या उपखण्ड मुख्यालयों में उपखण्ड या अनुविभागीय अधिकारी/एस.डी.ओ. (सिविल) बैठते हैं, वहां उनके न्यायालय/कार्यालय में आवेदन करना चाहिये।

प्रष्न : भरण–पोशण आवेदन–पत्र का प्रारूप क्या है?

उत्तर : राज्य सरकारें अपने नियम बना कर आवेदन प्रारूप बनाती हैं।

प्रष्न : क्या भरण–पोशण आवेदन के लिये वकील जरूरी है?

उत्तर : नहीं। लेकिन इस कानून में वकील रखने पर कोई रोक भी नहीं है।

प्रष्न : तो क्या वकील की सहायता नहीं मिलती ?

उत्तर : मिल सकती है। चूंकि सिविल जांच, आदेष और अपील भी होती है। इसलिये वकील रखना उचित रहता है।

प्रष्न : क्या मासिक भत्ते का आदेष वापस भी लिया जा सकता है या उसमें बदलाव हो सकता है?

उत्तर : हां क्यों नहीं। अगर अधिकरण को पता चले कि गलत जानकारी देकर आदेष ले लिया गया है तो या किसी बात के बारे में गलती का पता चले तब या भत्ता पाने वाले की

परिस्थिति बदल गई हो जैसे वह अपना भरण–पोशण करने योग्य हो गया हो या सिविल अदालत ने कोई ऐसा आदेष दिया हो जिसके कारण भत्ता आदेष वापस लेना या उसमें बदलाव करना अधिकरण जरूरी समझता हो।

प्रष्न : अधिकरण के आदेष की प्रति कैसे मिलेगी ?

उत्तर : अधिकरण भत्ता और सुनवाई में हुए खर्चों के आदेष की नकल मुक्त में माता–पिता को देगा।

प्रष्न : अगर संतान या नातेदार भरण–पोशण की निर्धारित धनराषि का भुगतान न करें तो?

उत्तर : तब अधिकरण अदालत के आदेष का पालन कराने के लिये फौजदारी अदालत के अधिकार प्रयोग करेगा।

प्रष्न : जब फौजदारी न्यायालय से भत्ता आदेष मिल सकता है तो भी क्या अधिकरण से भत्ता आदेष दिया जा सकता है? और क्या दोनों जगह से आदेष मिल सकता है?

उत्तर : नहीं। दो में से किसी एक स्थान से ही भत्ता लेने की कार्यवाही की जा सकती है।

प्रष्न : भत्ते की रकम कब और कितने दिन में मिलेगी?

उत्तर : संतान या नातेदार को आदेष होते ही 30 दिन के भीतर रकम जमा करना पड़ेगी।

प्रष्नः रकम कहां जमा करना पड़ेगी?

उत्तरः जहां रकम देने या जमा करने के लिए आदेष में लिखा गया हो।

प्रष्नः मजिस्ट्रेट की अदालत में पहले से भत्ते के लिये आवेदन दे रखा हो तो?

उत्तरः अदालत से आवेदन वापस ले सकता है और अधिकरण में आवेदन लगा सकता है।

प्रष्न : क्या भत्ते की रकम पर ब्याज भी मिलती है?

उत्तर : हां आदेष की तारीख या उसके बाद की तारीख से ब्याज भी दिलाया जाता है?

प्रष्न : कितना ?

उत्तर : पांच फीसदी से कम नहीं और अठारह फीसदी से ज्यादा नहीं।

प्रष्न : क्या अधिकरण के आदेष पर अपील की जा सकती है?

उत्तर : हां, सरकार प्रत्येक जिले में अपील अधिकरण भी बनाती है।

प्रष्न : अपील कितने दिन में कर सकते हैं?

उत्तर : अधिकरण के आदेष के साठ दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।

प्रष्न : क्या साठ दिनों के बाद अपील नहीं सुनी जायेगी ?

उत्तर : अपील अधिकरण देरी के कारण से संतुश्ट होगा तो देरी क्षमा कर दी जायेगी।

प्रष्न : अपील होने पर संतान या नातेदार को भत्ता देना पड़ेगा ?

उत्तर : देना पड़ेगा। अपील सुनवाई और फैसला होने तक भी मासिक भत्ता देना पड़ेगा। हां अपील अधिकरण सुनवाई के बीच इसके लिये उचित निर्देष देगा लेकिन अपील एक महीनें में निपटाई जायेगी।

प्रष्न : क्या अपील के आदेष के ऊपर भी अपील हो सकती है?

उत्तर : नहीं, दूसरी अपील नहीं हो सकती है।

प्रष्न : क्या अधिकरण और अपील अधिकरण में वकील पैरवी करते है?

उत्तर : नहीं। दोनों जगह वकील पैरवी नहीं कर सकते। लेकिन मजिस्ट्रेट के यहां भरण–पोशण मामले में वकील लगते है ।

प्रष्न : माता–पिता या वरिश्ठ नागरिक अधिकरण में स्वयं पैरवी न कर पायें तो?

उत्तर : सरकार भरण–पोशण अधिकारी नियुक्त करती है। अगर आवेदन मांगे तो वह अधिकरण आवेदन की पैरवी करेगा।

3. वरिश्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिकार

प्रष्न : वृद्धों के लिये क्या कोई कल्याण की योजना है ?

उत्तर :

- बेसहारा बूढ़े लोगों के लिये हर एक जिले में एक वृद्धाश्रम गृह बनेगा।
- एक वृद्धाश्रम में डेढ़ सौ वरिश्ठ नागरिक रखे जा सकते हैं।
- वृद्धाश्रम बूढ़े लोगों के आसानी से पहुंचने योग्य स्थान में बनेगा।
- वृद्धाश्रम में वही रखे जा सकते हैं जिनका स्वयं का भरण–पोशण करने का साधन काफी नहीं है जो बहुत गरीब हैं।

प्रष्न : वृद्धावस्था गृह में क्या प्रबंध रहते हैं?

उत्तरः

- वहां बूढ़े लोगों के मनोरंजन के प्रबंध किये जायेंगे ताकि वे प्रसन्न रह सकें।
- यहां उनके स्वास्थ्य की देखभाल का भी उचित प्रबंध रहता है।

प्रष्न : क्या कोई वृद्ध अस्पताल में भरती किया जा सकता है?

उत्तर : हां, मर्ज बिगड़ गया हो या मौत की ओर ले जाने वाली कोई बीमारी हो जाये तो ऐसे वरिश्ठ नागरिकों के लिये सरकारी अस्पताल में और सरकारी सहायता से चलने वाले अस्पतालों में वरिश्ठ नागरिकों के पलंगों की एक कतार बनायी जाऐगी। जिससे वे आपस में बातचीत कर सकें। वृद्धावस्था के जो रोग होते हैं उनके विषेशज्ञ डॉक्टर देखभाल करेंगें।

प्रष्न : वरिश्ठ नागरिकों की संपत्ति की रक्षा कैसे होगी और उनके जीवन रक्षा के लिये क्या उपाय होंगे?

उत्तर : इस काम के लिये सरकारी अधिकारी, पुलिस और न्यायालय के अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। वे समय–समय पर देखेंगे कि वरिश्ठ नागरिकों के कल्याण के काम में कोई

ढील या लापरवाही तो नहीं की जा रही है। उनके मामले समय से निपटाये जा रहे हैं या नहीं।

प्रष्नः वरिश्ठ नागरिकों, माता–पिता या बूढ़े लोगों को कैसे मालूम होगा कि उनके कल्याण के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

उत्तरः इन उपायों को पोस्टरों से, टीवी/दूरदर्षन तथा रेडियो पर प्रचार करके बताया जाता है और पर्चे बांटकर या अखबार वगैरह में भी प्रचार किया जाता है।

प्रष्नः अगर संतान/नातेदार संपत्ति अपने नाम लिखा ले तो?

उत्तरः अगर किसी वरिश्ठ नागरिक ने अपनी संतान या नातेदार के कहने में आकर अपनी संपत्ति उसके नाम इन षर्तों के साथ लिखा दी कि संतान या नातेदार उसे रोजाना जरूरत वाली सुविधायें देगा और उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। परन्तु बाद में वह संतान या नातेदार ऐसी सुविधाये नहीं देता या षरीर की जरूरतें पूरी नहीं करता है या इन्कार करता है तो कानून में यह माना जायेगा कि वरिश्ठ नागरिक से धोखाधड़ी करने या उससे दबाव में या धमकी देकर या अनुचित प्रभाव बनाकर संतान या नातेदार ने संपत्ति अपने नाम लिखा ली थी।

प्रष्नः तो क्या वरिश्ठ नागरिक को संपत्ति वापस मिल सकती है?

उत्तरः हां, अगर वह चाहे तो संपत्ति से संतान या नातेदारी का नाम खारिज हो सकता है।

प्रष्नः अगर वरिश्ठ नागरिक को किसी जायदाद से भरण–पोशण पाने का अधिकार है और वह जायदाद किसी और के नाम कर दी जाती है तो?

उत्तरः जिसको जायदाद मिली है उससे भी वरिश्ठ नागरिक को उससे भरण–पोशण का अधिकार रहेगा। लेकिन यह तभी होगा जब जायदाद पाने वाले को यह जानकारी थी कि उस संपत्ति से भरण–पोशण किया जाना था या उसे संपत्ति कृपा करके दी गई हो। अगर संपत्ति पाने वाले ने रकम देकर संपत्ति ली है और लेने वाले को यह जानकारी नहीं थी कि संपत्ति

से भरण–पोशण का अधिकार है तो वरिश्ठ नागरिक को संपत्ति लेने वाले से भरण–पोशण पाने का अधिकार नहीं होगा।

प्रष्नः अगर वरिश्ठ नागरिक अपना अधिकार लागू कराने की क्षमता नहीं रखता और अपना अधिकार लागू कराना चाहता है तो कैसे करा पायेगा?

उत्तरः तब कोई संगठन उसकी ओर से कार्यवाही कर सकता है।

प्रष्नः यदि कोई संतान या नातेदार माता–पिता या वरिश्ठ नागरिक की देखरेख करना छोड़ दे या उसका संरक्षण करना छोड़ दे और वरिश्ठ नागरिक से पल्ला छुड़ाने के इरादे से उसे किसी स्थान में छोड़ आये तो? क्या ऐसे नातेदार या संतान को कोई सजा नहीं मिलनी चाहियें?

उत्तरः सजा मिल सकती है। माता–पिता और वरिश्ठ नागरिकों का भरण–पोशण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 24 के अनुसार ऐसे नातेदार या संतान को तीन महीने तक की जेल की सजा हो सकती है।

प्रष्नः क्या जुर्माना भी होता है?

उत्तरः हां, जेल या पांच हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है या जेल और जुर्माना दोनों हो सकतें हैं।

प्रष्नः यह मामला कहां चलेगा? क्या इसमें जमानत हो जाती है?

उत्तरः मामला तो मजिस्ट्रेट की अदालत में चलेगा और पुलिस भी चालान कर सकती है लेकिन ऐसे हर मामले में जमानत हो जाती है।

प्रष्नः ऐसा मामला तो लंबा चलता होगा?

उत्तरः नहीं, मजिस्ट्रेट को बहुत कम समय में थोड़ी सुनवाई करके फैसला देना पड़ता है।

4– वद्धावस्था पेंषन योजना

प्रष्नः वृद्धावस्था पेंषन योजना क्या है?

उत्तरः यह योजना सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आती है।

प्रष्नः इस योजना का क्या उद्‌देष्य है?

उत्तरः बेसहारा लोगों के जीवन–यापन के लिये रूपयों पैसों से मदद करना।

प्रष्नः यह पेंषन कैसे मिलता है?

उत्तरः हितग्राही/लाभार्थी को अपने निवास के क्षेत्र की ग्राम पंचायत में आवेदन देना पड़ता है।

प्रष्नः और षहरी बूढ़े लोग कहां आवेदन दें?

उत्तर नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत में जहां के क्षेत्र में रहते हैं? वहां आवेदन कर सकते हैं।

प्रष्नः क्या आवेदन फार्म की फीस लगती है?

उत्तरः नहीं, मुफ्त में मिलता है।

प्रष्नः हितग्राही/लाभार्थी को कौन चुनता है?

उत्तरः ग्राम सभा गांवों में और नगर की संस्था षहरों में हितग्राही/लाभार्थी चुनती है।

प्रष्नः ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन पत्र का निपटारा कौन करता है?

उत्तरः ग्राम पंचायत या ग्राम सभा आवेदन पत्र की जांच करके सात दिन में अपनी सिफारिष के साथ जनपद पंचायत को भेजती है।

प्रष्नः तब जनपद पंचायत क्या करती है?

उत्तरः अपनी बैठकों में ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार करती है और साठ दिन के भीतर पेंषन को स्वीकार या अस्वीकार करती है।

प्रष्नः क्या बेसहारा विधवा या पति द्वारा छोड़ी गई बूढ़ी स्त्रियों को भी सहायता मिलती है?

उत्तरः हां, लेकिन ऐसी महिलाओं के आवेदन पत्र जनपद पंचायत या नगर की संस्था जिला समिति को भेज देती है। जिला समितियां, कलेक्टर जिला पंचायत के सी.ई.ओ. और पंचायत तथा सामाजिक न्याय के संयुक्त या उप संचालक बैठक करके पेंषन स्वीकार या अस्वीकार करते हैं।

प्रष्न : पेंषन कितने रूपया महीना निर्धारित की जाती है?

उत्तरः लाभार्थी को एक सौ पचास रूपया महीना से कम पेंषन नहीं मिलती है।

प्रष्नः पेषन की रकम कैसे मिलती है

उत्तरः पेषन की रकम जमा करने के लिये हितग्राही/लाभार्थी के नाम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता खोला जाता है फिर रकम खाते में जमा कर दी जाती है। खातेदार उस रकम को निकाल सकता है।

प्रष्न : क्या पेंषन का मनिआर्डर नहीं भेजा जा सकता है?

उत्तर : मनिआर्डर से भी भेजी जा सकती है।

प्रष्नः क्या जनपद पंचायत या षहरी संस्था के आदेष के विरूद्व कोई सुनवाई नहीं होती है?

उत्तरः होती है, आवेदक स्वयं या ग्राम पंचायत या जिसका मामलें में हित हो, उपखण्ड/अनुविभाग के अधिकारी (राजस्व) को षिकायत कर सकता है।

प्रष्न : अनुविभागीय अधिकारी कैसे निपटारा करते हैं?

उत्तरः वह जांच करके योग्य आवेदक को पेंषन स्वीकार कर सकते हैं या अनुचित रूप से दिलाई गयी पेंषन को समाप्त कर सकते हैं।

प्रष्न : क्या कोई स्वयं इस बात की जांच और देख–रेख करता है कि पेंषन सही स्वीकार की जा रही है या पेंषन अनुचित रूप से अस्वीकार की गई है?

उत्तरः हां, इसके लिये हर एक उपखण्ड/अनुविभाग में बनाई गई है। अनुविभागीय अधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका एक सदस्य उपसंचालक पंचायत और समाजिक न्याय या उनके द्वारा चुना गया अधिकारी होता है और एक प्रतिनिधि जनपद पंचायत या षहरी संस्था से होता है।

प्रष्नःयह समिति क्या करती है?

उत्तरः यह समिति पेंषन बंद भी करा सकती है।

प्रष्नः क्या यह समिति पेंषन बंद भी करा सकती है?

उत्तरः हां, अगर अपात्र हितग्राही या अयोग्य लाभार्थी को पेंषन स्वीकृत की गई हो, तो यह समिति पेंषन बंद करा सकती है। व्यक्ति समाज की इकाई है। समाज में विविध जाति, वर्ग और आयु के सभी बच्चे, युवक, बूढ़े, महिला, पुरूश षामिल हैं। समाज के हर व्यक्ति को स्वस्थ और प्रसन्न रखकर ही एक विकसित समाज की बुनियाद रखी जा सकती है।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील

विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ°–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ°(जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पषुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रश्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोशण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किषोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निशेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नषीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार

25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस षिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिश्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42	षिक्षा का अधिकार– निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43	कानून की जानकारी आखिर क्यों?

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

यदि ऐसे व्यक्तिः–

1– अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक,

2– संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार / बेगार के शिकार व्यक्ति,

3– सभी महिलायें एवं बच्चे,

4– सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,

5– बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,

6– औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

7– जेल / कारागार / संरक्षण गृह / किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,

8– भूतपूर्व सैनिक,

9– हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,

10– वरिष्ठ नागरिक,

11– एच0आई0वी0 / एडस से संक्रमित व्यक्ति,

12– ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 3,00,000 / – से कम हो।

नोट :– क्रम संख्याः 1 से 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य–सचिव **कार्यपालक अध्यक्ष**

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 एवं
विकलांगों के कानून एवं
अधिकार

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : **slsa-uk@gmail.com , ukslsanainital@gmail.com**

1. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987

आदमी कभी खुष होता है, तो कभी दुःखी भी हो सकता है। कभी चिंता और डर भी सताते हैं तो कभी बेचैनी और घबराहट भी बढ़ जाती है। कभी आषा जगती है, तो कभी हम निराष भी हो जाते हैं। सभी कुछ एक सहज प्रक्रिया है। लेकिन इनमें से कोई भी लक्षण लम्बे समय तक नहीं बने रहना चाहिए। अगर निराषा लम्बी हताषा बन जाये और दुःख या डर लम्बे समय तक बने रहे, तो यह मानसिक बीमारी में बदल जाते हैं।

समय पर सही सलाह व इलाज मिलने से सामान्य मानसिक बीमारियों को जल्दी दूर किया जा सकता है। मानसिक रोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर को मनोचिकित्सक कहते है। अक्सर हमारे यहॉ इन डॉक्टरों से सलाह–इलाज लेने वालों को लोग पागल समझ बैठते हैं। परिवार वालों का रवैया भी ठीक नहीं होता है। इससे मानसिक रोग ठीक होने के बजाय बढ़ता रहता है। कई बार तो मानसिक रोगी को डॉक्टर के पास तब लाया जाता है जब पानी सिर से ऊपर हो चुका होता है।

लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना जरूरी है। सभी को यह जानना जरूरी है कि हर मानसिक समस्या गंभीर मनोरोग नहीं हैं। हर मानसिक रोगी पागल नहीं होता। हमारे समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं। इनमें मानसिक रोगी भी रहते हैं। परिवार एवं समाज के द्वारा इनके साथ किये जाने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने **मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987** लागू किया हैं। इस कानून में मानसिक रोगियों के अधिकार, कानूनी सुरक्षा व इलाज की सुविधाओं को तय किया गया है।

मानसिक रोगी किसे कहते हैं?

- इस कानून में मानसिक रोगी उसे माना गया है जो किसी मानसिक विकलांगता से पीड़ित होता है।

मानसिक रूप से बीमार कैदी किसे कहा जाता है?

- इस कानून की धारा 27 के अन्दर ऐसा कैदी जिसका इलाज किसी मनोरोग अस्पताल में भर्ती रख कर चल रहा हो, उसे मानसिक रूप से बीमार कैदी कहा जाता है।

मनोरोग नर्सिंग होम, जेल, सुधार घर या अन्य सुरक्षित जगह पर रखे गये मनोरोगी भी इसमें षामिल होते हैं।

भारत सरकार और राज्य सरकार इनके लिए कौन–कौन सी सुविधाएं देती हैं?

- भारत सरकार देष में कहीं भी मनोरोग इलाज के अस्पताल और नर्सिंग होम खोल सकती है। राज्य सरकारें भी अपने–अपने राज्य में इस तरह के अस्पताल व नर्सिंग होम खोल सकती है। इनमें मानसिक रूप से बीमार लोगों को भर्ती किया जाता है जहां उनका इलाज व बेहतर देखभाल की जाती है।
- 16 साल से कम उम्र के मनोरोगी के लिये अलग से अस्पताल खोले जाते हैं।
- षराब और अन्य नषीली चीजें लेने वाले मानसिक रोगी और किसी अपराध के दोशी मानसिक रोगियों के लिये भी अलग से मनोरोग अस्पताल एवं नर्सिंग होम खोले जाते हैं।

इन अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में इलाज के लिये भर्ती होने का तरीका क्या है?

- खुद को मानसिक रोगी समझने वाला व्यक्ति इलाज के लिए डॉक्टर से भर्ती होने का आवेदन कर सकता है। इन्हें स्वयं की इच्छा पर भर्ती होने वाला रोगी कहा जाता है ।
- अगर मानसिक रोगी बच्चा है तो माता– पिता या पालक उसे भर्ती कराने का आवेदन डॉक्टर को दे सकतें हैं।
- डॉक्टर 24 घण्टे के भीतर इनकी जांच करेगा जिससे पता चलता है कि मरीज को भर्ती करना जरूरी है या नहीं। अगर जरूरी होगा तभी भर्ती किया जायेगा।
- अस्पताल में भर्ती मरीज को वहां के नियमों का पालन करना होगा।
- मानसिक रोगी द्वारा या मानसिक रोग पीड़ित बच्चे के माता–पिता द्वारा आवेदन करने के 24 घण्टे में अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है।

विषश रोगियों के लिये भर्ती का क्या तरीका होता है?

- अगर कोई मानसिक रोगी खुद आवेदन नहीं कर सकता है, तो उसके दोस्त या रिष्तेदार यह काम कर सकते हैं। डॉक्टर जांच करता है। जरूरी हुआ तो इलाज के लिए भर्ती कर लिया जाता है।

- अस्पताल में 90 दिन से ज्यादा भर्ती नहीं रखा जा सकता है।
- रोगी की छुट्टी के लिये कोई भी दोस्त या रिष्तेदार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मिलने पर मजिस्ट्रेट उस दोस्त या रिष्तेदार को नोटिस जारी करेगा जिसने भर्ती कराया था। इस बारे में जांच–पड़ताल के बाद मजिस्ट्रेट को उचित लगेगा तो आवेदन स्वीकार होगा या खारिज किया जायेगा।

ग्रहण करने के आदेष के लिये आवेदन किसे करते हैं?

- मानसिक रोगी की स्थिति यदि चिन्ताजनक है तो उसे कभी–कभी 6 महीने से ज्यादा भी भर्ती रखना पड़ सकता है। ऐसे मरीज के लिये पति–पत्नी या किसी रिष्तेदार द्वारा आवेदन किया जा सकता है। इसे स्वागत आदेष के लिये आवेदन कहा जाता है। यह आवेदन मनोरोग अस्पताल का डॉक्टर भी कर सकता है। यह आवेदन मजिस्ट्रेट को किया जाता है।
- मानसिक रोगी की सेहत, सुरक्षा तथा वह दूसरे लोगों को हानि न पहुंचाए, इसलिये भी इन्हें अस्पताल में रखना जरूरी होता है।

मानसिक रूप से बीमार लोगों के बारे में पुलिस की क्या जिम्मेदारी है?

- मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बाहर घूमते हुए यदि अपनी देखभाल नहीं कर पा रहा है, तो पुलिस थाने का अधिकारी उसे अपनी सुरक्षा में लेगा।
- मानसिक रोगी अगर दूसरे लोगों के लिये खतरनाक हो सकता है, तो उसे भी पुलिस अधिकारी अपने कब्जे में लेगा।
- पुलिस अधिकारी ऐसे रोगी के रिष्तेदारों व दोस्तों को इस बारे में सूचना देगा।
- ऐसे मानसिक रोगी को 24 घण्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने पेष करेगा। मजिस्ट्रेट के आदेष के बिना उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

मानसिक रोगी के हित में मजिस्ट्रेट क्या कार्यवाही कर सकते हैं।

- मजिस्ट्रेट मानसिक रोगी की समझने की क्षमता की जांच डॉक्टर से कराते हैं। जांच के बाद मानसिक रोगी की सेहत व सुरक्षा के लिए उसे अस्पताल में रखा जा सकता है। लोगों के लिये मरीज के खतरनाक होने पर भी ऐसा आदेष दिया जा सकता है।

- गैर मानसिक रोगी को अपने साथ ले जाने के लिये संबंधी को मजिस्ट्रेट के यहाॅ आवेदन देना पड़ता है जिसके लिए उसे एक बंधपत्र/बांड भरना होता है।
- अगर किसी मानसिक रोगी के साथ उसके अपने संबंधी बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और उसकी सही देखभाल नहीं कर रहे है, तो इसकी सूचना पुलिस को देना जरूरी है। थाना प्रभारी इसकी सूचना तुरंत मजिस्ट्रेट को देंगे।
- ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट मानसिक रोगी को पेष करने का आदेष दे सकते है। इसके लिए रिष्तेदार को भी अपने सामने सम्मन जारी किया जा सकता है।
- आदेष के बाद भी यदि मनोरोगी की सही देखभाल नहीं होती तो संबंधी या रिष्तेदार को 2000/—रूपये जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
- मानसिक रोगी का कोई कानूनी रिष्तेदार नहीं होने पर मजिस्ट्रेट उस रोगी को मानसिक अस्पताल में रखने की कार्यवाही अपनायेगा।

क्या सरकार द्वारा जांच दल भी बनाया जा सकता है?

- हां, राज्य सरकार या भारत सरकार मानसिक रोगियों के लिये बनाये गये अस्पतालों एवं नर्सिग होम की जांच (निरीक्षण) के लिये जांच दल बनायेगी। इस दल में कम से कम पांच निरीक्षक होंगे। एक मनोरोग डॉक्टर व दो सामाजिक कार्यकर्ता होना जरूरी है।

मानसिक रोगी को अस्पताल से छुट्‌टी कब मिलती है?

- मानसिक रोगियों की अस्पताल में दो डॉक्टर रोगी की जांच करते हैं। इनमें एक मनोरोग चिकित्सक होता है। ये दोनो डॉक्टर रोगी के ठीक होने की रिपोर्ट अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर को सौंपते है। रिपोर्ट व मरीज की स्थिति से सहमत होने पर वह मरीज को छुट्‌टी देने का आदेष दे सकता है।
- मानसिक रूप से बीमार मरीज खुद भी अस्पताल से छुट्‌टी की अर्जी दे सकता है।
- अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर को यह लगता है कि मरीज दूसरे लोगों के लिये खतरनाक नहीं होगा, तो वे उसे छुट्‌टी दे सकते हैं।

इस कानून के द्वारा मानसिक रोगी की सम्पत्ति की देखभाल कैसे की जा सकती है?

- मानसिक रोगी की सम्पत्ति की देखभाल के लिये रिष्तेदार, उत्तराधिकारी, वकील की अर्जी पर कोर्ट मानसिक रोगी की जांच करवाती है।
- जांच में मरीज को सम्पत्ति की देखभाल करने लायक नहीं पाये जाने पर कोर्ट किसी को प्रबंधक बनाती है।
- प्रबंधक या पालक मानसिक रोगी, उसकी सम्पत्ति व उस पर निर्भर लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभालते है।

क्या मानसिक मरीजों के भी मानवाधिकार होते हैं?

- हॉ, मानसिक मरीजों के भी मानवाधिकार होते हैं। इलाज के दौरान इनके साथ षरीरिक या मानसिक क्रूरता नहीं की जा सकती है।
- इलाज के समय इन पर कोई प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। जब तक यह उनकी भलाई के लिये नहीं हो।

मानसिक रोगियों का अवैध अस्पताल खोलने पर क्या सजा मिलती है?

- इस कानून के खिलाफ कोई भी मानसिक रोगियों का अस्पताल नहीं खोल सकता है।
- ऐसा करने वाले को तीन महीने की जेल या 200 रूपये जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। या दोनों भुगतना करने पड़ सकते हैं।
- दोबारा ऐसा गुनाह करने पर अपराधी को 6 महीने की जेल या 1000 रूपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। या दोनों भुगतना पड़ सकता हैं।
- ऐसे गैर कानूनी अस्पताल में मानसिक रोगी को भर्ती करने पर 2 साल तक की जेल या 1000 रूपये जुर्माना भुगतना पड़ सकता हैं। या दोनों भी भुगतना पड़ सकते हैं।
- इस कानून के नियम या प्रावधानों के खिलाफ जाने पर 6 महीने की जेल या 500 रूपये जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। जेल या जुर्माना दोनों भी भुगतना पड़ सकता हैं।
- अगर किसी केस में मानसिक रोगी अपनी तरफ से वकील नहीं रख पा रहा है तो कोर्ट निषुल्क वकील की सुविधा देती है।

- राश्ट्रीय राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी मानसिक रोगी को निषुल्क कानूनी सहायता देती है।

2. विकलांगों के कानून एवं अधिकार

प्रष्न– हमारे देष में किस तरह के कितने विकलांग है?

उत्तर– दुनिया में विकलांगों की संख्या 45 करोड़ से ज्यादा है। हमारे भारत में चार करोड़ से ज्यादा विकलांग लोग रहते हैं। इनमें एक करोड़ के लगभग नेत्रहीन हैं। पच्चीस लाख लोग सुन नहीं सकतें हैं। करीब साठ लाख लोग तो ऐसे हैं जिनका कोई अंग नहीं हैं। अकेले मन्दबुद्दि लोगों की संख्या डेढ़ करोड़ के आसपास है।

प्रष्न– किन–किन कारणों से विकलांगता होती है?

उत्तर– विकलांगता के कई कारण होते हैं। विकलांगता जन्म से भी हो सकती है। काम करते हुए या सड़क दुर्घटनाओं में भी लाखों लोग विकलांग हो जाते हैं। षारीरिक और मानसिक रोग भी विकलांगता का एक बहुत बड़ा कारण है। प्राकृतिक आपदा के कारण भी लोग अपंगता के षिकार हो जाते हैं। कभी–कभी खानपान की कमी एवं नषे के कारण भी विकलांगता का षिकार होना पड़ता हैं। विकलांग लोगों को भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। उन्हें अपने अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है।

प्रष्न– विकलांगों के अधिकारों की रक्षा के लिये कौन–कौन से कानून हैं?

उत्तर– इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ''विकलांगता अधिनियम, 1995'' बनाया गया है। यह कानून उन्हें समान अवसर दिलाने एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिये बनाया गया है। यह कानून विकास से जुड़े हर कामों में इनकी पूरी भागीदारी भी तय करता है।

- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 मानसिक रोगियों के हितों की रक्षा करता है।
- मंद बुद्दि, बहु–विकलांगता, लकवा आदि से पीड़ित लोगों के कल्याण हेतु राश्ट्रीय न्याय अधिनियम, 1999 बनाया गया है।

- भारतीय पुनर्वास परिशद् अधिनियम (संषोधन) 2000 पुर्नवास तथा विषेश षिक्षा को बढ़ावा देने वाले लोगों के प्रषिक्षण आदि के लिये बनाया गया है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त विधिक सहायता का प्रावधान है।

प्रष्न– कानून में किस तरह के विकलांगों को लाभ की पात्रता होती है?

उत्तर – कानून के अनुसार नेत्रहीन, बेहद कमजोर दृश्टि के लोग लाभ के अधिकारी होते हैं।

- जिन कुश्ठ रोगियों का रोग ठीक हो चुका है लेकिन इसके कारण किसी तरह की अंपगता के षिकार लोग कानूनी लाभ पा सकते हैं।
- न सुन पाने वाले, चलने फिरने में असमर्थ, मानसिक रोगी एवं मंद बुद्धि व्यक्ति भी कानूनी लाभ के हकदार होते हैं। ऊपर लिखे सभी तरह के विकलांग लोगों को लाभ लेने के लिये डॉक्टर का प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होता है। किसी भी तरह के कम से कम 40 प्रतिषत विकलांग व्यक्ति ही लाभ के पात्र होते हैं।

प्रष्न– कानून विकलांगों को रोजगार के कौन–कौन से अवसर देता है?

उत्तर– सरकार के हर विभाग में 3 प्रतिषत पद विकलांगों के लिये आरक्षित होते हैं। इनमें नेत्रहीन या कमजोर दृश्टि, कम सुनने वाले, लकवा ग्रस्त लोगों के लिये एक–एक प्रतिषत पद होते है।

- गरीबी उन्मूलन की सभी स्कीमों मे विकलांग लोगों के लिये तीन प्रतिषत पद आरक्षित होते है। ऐसे लोगों के लिये अतिरिक्त पद भी बनाया जा सकता है।

प्रष्न– यह कानून कार्यस्थल पर विकलांगों के साथ भेदभाव को किस तरह रोकता है?

उत्तर– सरकारी विभागों में विकलांग लोगों को विकलांगता के कारण पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है। सरकारी नौकरी करते समय विकलांग होने पर नौकरी से हटाया नहीं जा सकता है। पद से नीचे भी नहीं किया जा सकता हैं।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून

31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

यदि ऐसे व्यक्तिः–

1– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक,

2– संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,

3– सभी महिलायें एवं बच्चे,

4– सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,

5– बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,

6– औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

7– जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,

8– भूतपूर्व सैनिक,

9– हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,

10– वरिष्ठ नागरिक,

11– एच0आई0वी0/एडस से संक्रमित व्यक्ति,

12– ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 3,00,000/– से कम हो।

<u>नोट</u> :– क्रम संख्याः 1 से 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य–सचिव **कार्यपालक अध्यक्ष**

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला – 43

समाज कल्याण सम्बन्धी सरकारी योजनाएं

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखण्ड
फोन : फैक्स 05942–236552, टोल फ्री नं० 1800 180 4072
ई–मेल : uaslsa_02@yahoo.co.in, ukslsanainital@gmail.com

लोक अदालतें क्या हैं ?

- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
- ऐसे अपराधिक मामलों को छोड़कर जिनमें समझौता गैर–कानूनी है, सभी मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते हैं।
- लोक अदालतों को कानूनी आधार प्राप्त हो गया है। अतः उसके फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है और वह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है।
- लोक अदालत के फैसलों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटाये जाने की भी व्यवस्था है।
- सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की जा रही है और व्यक्तियों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

लोक अदालतों में अपने मामलों को नियत कैसे करायें ?

- जिस न्यायालय में आपका मामला विचारधीन है उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करें।
- दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अनुरोध करें।
- लोक अदालत में वे मुकद्में ही निस्तारित कराये जा सकते हैं, जिनमें मुकद्में के समस्त पक्षकार सहमत हों।
- जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामले सीधे स्थाई लोक अदालत में दायर कर निस्तारित कराये जा सकते हैं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की संक्षिप्त विवरणिका

शैक्षिक सहायता एवं प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यक्रम

(01) अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति

01. कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् छात्रों को रु. 50/— प्रतिमाह व कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को रु. 80/— प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों हेतु आय सीमा का प्रतिबंध नहीं है। छात्र को गत परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कक्षा 9 व 10 में रु. 120/— प्रतिमाह तथा शिक्षण/बोर्ड फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों हेतु छात्रवृत्ति के लिए उनके माता—पिता अथवा अभिभावक की मासिक आय रु. 5,000/— से अधिक नहीं होनी चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् छात्रों को रु. 50 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति अनुमन्य है। छात्रवृत्ति उन्हीं छात्रों को अनुमन्य है जिनके माता—पिता अथवा अभिभावक की मासिक आय रु. 1,000/— अधिक न हो।

02. दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र जिनके माता—पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय रु. 2,00,000/— से अधिक न हो, उन्हें शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के साथ शासन स्तर से निर्धारित विभिन्न दरों पर छात्रवृत्ति अनुमन्य है। यह छात्रवृत्ति इण्टर व स्तानक प्रथम वर्ष में डेस्कालर को रु. 230/— हॉस्टलर को रु. 380/— स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में डेस्कालर को रु. 370 हॉस्टलर को रु. 570/— प्रतिमाह स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में डेस्कालर को रु. 530/— हॉस्टलर को रु. 820/— तथा मेडिकल इंजीनियरिंग डिग्री स्तर व स्नातकोत्तर स्तर के व्यवसायिक शोध हेतु डेस्कालर को रु. 550/— तथा हॉस्टलर को रु.1,200/— प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति अनुमन्य है।

03. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिये जाने पर कक्षा 7 व 8 में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित दरों के अनुसार विद्यालय को शुल्क क्षतिपूर्ति किए जाने का प्राविधान है।

(02) पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति

01. पिछड़ी जाति के ऐसे छात्र जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की मासिक आय रु. 1,000/– से अधिक नहीं है तथा गत परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनका मैरिट के आधार पर चयन कर कक्षा 3 से 5 तक रु. 50/– प्रतिमाह की दर से यह छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। छात्रवृत्ति कक्षा 3 में एक, कक्षा 4 में एक तथा कक्षा 5 में एक छात्र को अनुमन्य है। इसी प्रकार कक्षा 6 में तीन, कक्षा 7 में तीन तथा कक्षा 8 में दो छात्रों का मेरिट के आधार पर चयन कर रु. 80/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत् छात्र जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की मासिक आय रु. 1,000/– से अधिक नहीं है उन्हें रु. 100/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति अनुमन्य है। पूरे सत्र में यह छात्रवृत्ति अधिकतम 10 माह के लिए अनुमन्य है। आई.टी.आई. में अध्ययनरत् छात्रों को छात्रवृत्ति देय नहीं है।

02. दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्रों जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय रु.1,00,000/– से अधिक नहीं है तथा उनके द्वारा गतपरीक्षा उत्तीर्ण कर लिए जाने पर उन्हें शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के साथ छात्रवृत्ति अनुमन्य है। यह छात्रवृत्ति इण्टर एवं स्नातक प्रथम वर्ष में डेस्कालर को रु. 160/– हॉस्टलर को रु. 260 स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में डेस्कालर को रु. 160/– हॉस्टलर को रु. 260/– प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में डेस्कालर को रु. 210/– हॉस्टलर को रु. 400/– प्रतिमाह की दर से अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर स्तर के व्यवसायिक शोध हेतु डेस्कालर को रु. 350/– तथा हॉस्टलर को रु. 750/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति अनुमन्य है।

(03) <u>अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति</u>

01. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की मासिक आय गरीबी की रेखा के दुगने से अधिक नहीं है, ऐसे उत्तीर्ण छात्रों को कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाओं में छात्रवृत्ति अनुमन्य है। यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक रु. 50/– कक्षा 6 से 8 तक रु. 80/– तथा कक्षा 9 व 10 में रु. 120/– प्रतिमाह की दर से देय है।

(04) <u>विकलांग छात्रवृत्ति</u>

यह छात्रवृत्ति चयनित पात्र छात्रों को कक्षा 1 से दशमोत्तर तक प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति ऐसे छात्रों को अनुमन्य है जो गत परिक्षा में उत्तीर्ण हो तथा जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की मासिक आय रु. 2,000/– से अधिक ना हो। छात्रवृत्ति की दर कक्षा 1 से 5 तक रु. 50/– कक्षा 6 से 8 तक रु. 80/– एवं कक्षा 9 व 10 में रु. 170/– प्रतिमाह की दर से देय है। कक्षा 11 व 12 में डेस्कालर को रु. 85/– हॉस्टलर को रु. 140/– प्रतिमाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त व स्नातक स्तर पर डेस्कालर को रु. 125/– हॉस्टलर को रु. 180/– तथा स्नातकोत्तर व उच्च व्यवसायिक स्तर की शिक्षा हेतु डेस्कालर को रु. 170/– तथा हॉस्टलर को रु. 240/– प्रतिमाह निर्धारित है।

(03) <u>गौरादेवी कन्या धन</u>

इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण सभी वर्ग की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किये जाने हेतु गौरादेवी कन्या धन योजना के तहत बी0पी0एल0 श्रेणी या जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की समस्त श्रोतो से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 15,976/– तथा शहरी क्षेत्रों में रु. 21,206/– से अधिक नहीं है, से सम्बन्धित कन्या को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर रु. 25,000/– की प्रोत्साहन राशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रदान की जाती है। योजना के अर्न्तगत एक परिवार के अधिकतम् दो कन्याओं को लाभान्वित किए जाने का प्राविधान है।

सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन सम्बन्धी कार्यक्रम

01. वृद्धावस्था पेंशन

60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे निराश्रित वृद्ध व्यक्ति जो बी0पी0एल0 श्रेणी के हैं अथवा जिनकी मासिक आय रु. 1,000/– से अधिक नहीं है तथा जिनके बालिग पुत्र व पौत्र सरकारी/ अर्द्धसरकारी सेवारत न हो अर्थात् मेहनत मजदूरी से ही जीवन यापन करते हो को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी की स्वीकृति पर पेंशन दिए जाने का प्राविधान है। 60 से 79 वर्ष तक की आयु के वृद्धों को रु. 200/– राज्य सरकार द्वारा तथा रु. 200/– केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिमाह प्रदान की जाती है। बी0पी0एल0 श्रेणी के 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों को रु. 200/– राज्य सरकार द्वारा तथा रु. 500/– प्रतिमाह केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है।

02. विकलांग पेंशन

18 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे निराश्रित विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता 40% से अधिक हो और बी0पी0एल0 श्रेणी के हों अथवा जिनकी मासिक आय रु. 1,000/– से अधिक न हो तथा जिनके बालिग पुत्र व पौत्र सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवारत न हो अर्थात् मेहनत मजदूरी से ही जीवन यापन करते हो को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी की स्वीकृति पर रु. 600/– प्रतिमाह की दर से पेंशन दिए जाने का प्राविधान है। कुष्ठ रोग मुक्त विकलांग व्यक्तियों को रु. 1,000/– प्रतिमाह की दर से पेंशन अनुमन्य है।

03. विधवा पेंशन

18 वर्ष से अधिक उम्र की निराश्रित विधवा जो बी0पी0एल0 श्रेणी के हों अथवा जिनकी मासिक आय रु. 1,000/– से अधिक हो तथा जिनके बालिग पुत्र व पौत्र सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवारत न हो अर्थात् मेहनत से ही जीवन यापन करते हो को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी की स्वीकृति पर रु. 400/– प्रतिमाह की दर से पेंशन दिए जाने का प्राविधान है।

अनुदान एवं प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यक्रम

01. **अनुसूचित जाति एवं जनजाति व्यक्तियों को पुत्री की शादी एवं बीमारी इलाज अनुदान**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निर्धन व्यक्तियों के इलाज हेतु रु. 2,000/– तथा पुत्री के विवाह हेतु रु. 20,000/– आर्थिक सहायता दिए जाने का प्राविधान है। यह अनुदान उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो बी0पी0एल0 श्रेणी के हों अथवा जिनकी मासिक आय समस्त श्रोतों से रु. 1,250/– से अधिक न हो। इलाज हेतु अनुदान के लिए अनुदान बजट उपलब्धता पर देय है। योजनान्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आवेदन पत्रों पर ही अनुदान की स्वीकृति दी जाती है। योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्र 31 मार्च को निरस्त कर दिए जाने का प्राविधान है।

02. **अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार उत्पीड़न सहायता**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को सामान्य जाति के व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़ित किए जाने की दशा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के आधार पर विभिन्न मामलों में निर्धारित मुआवजे की दरों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

03. **अनुसूचित जाति एवं जनजाति अटल आवास योजना**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अटल आवास योजना के तहत् आवास विहीन परिवार जो बी0पी0एल0 श्रेणी के हो अथवा जिनकी मासिक आय रु. 2,666/– से अधिक न हो, तथा जिन्हें इन्दिरा आवास, पं0 दीन दयाल उपाध्याय आवास क्रेडिट कम सब्सिडी आवास आदि योजनान्तर्गत आवास निर्माण के लिए अनुदान न दिया गया हो, को स्वयं की भूमि पर आवास निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्र में रु. 38,500/– मैदानी क्षेत्र में रु. 35,000/– का अनुदान दिया जाता है।

04. **विकलांग व्यक्तियों को अनुदान एवं प्रोत्साहन**

विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण यंत्र, तिपहिया साईकिल, बैसाखी, जयपुरियाबूट, चश्मा आदि क्रय करने के लिए पात्र व्यक्ति को

चिकित्सक की संस्तुति पर अधिकतम् रु. 3,500/– का अनुदान दिया जाता है। पात्रता के लिए अभ्यर्थी की मासिक आय रु. 1,000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए।

05. निराश्रित विधवाओं को अनुदान एवं प्रोत्साहन

सभी वर्ग की विधवा पेंशनगृहीताओं के पुत्री के विवाह हेतु विधवा पेंशनगृहीता को रु. 10,000/– की धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। यह अनुदान उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया जाता है जिस वित्तीय वर्ष में पुत्री की शादी सम्पन्न हुई हो। लम्बित आवेदन पत्र 31 मार्च को निरस्त घोषित करने का प्राविधान है।

06. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 64 वर्ष हो की मृत्यु हो जाने पर परिवार गरीबी की रेखा के नीचे आने पर एक मुश्त रु. 10,000/– की धनराशि अनुदान स्वरूप दी जाती है। यह अनुदान मृतक की पत्नी, नाबालिक बच्चे या वृद्ध माता–पिता अथवा मृतक के अविवाहित होने पर आश्रित नाबालिक भाई–बहिन को देय है। 18 अक्टूबर, 2012 के बाद मृत्यु होने पर अनुदान की राशि को रु. 20,000/– कर दिया गया है।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / उपसमिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र / पुत्री / पत्नी / विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता / परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता / करती हूँ –

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000 / – (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ / आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–
   - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   - (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   - (ग) स्त्री या बालक
   - (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   - (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   - (च) औद्योगिक कर्मकार
   - (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   - (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–
   - (1) वाद दायर करने / प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   - (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   - (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी / व्यय होने वाली धनराशि
   - (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   - (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ / दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण / उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा / करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा / छुपाऊँगी।

प्रार्थी / प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैश्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ों को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट / गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह एवं सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32.	सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33.	सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34.	सरल कानूनी ज्ञान माला–34	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून
35.	सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36.	सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37.	सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38.	सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39.	सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40.	सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41.	सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42.	सरल कानूनी ज्ञान माला–42	शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43.	सरल कानूनी ज्ञान माला–43	समाज कल्याण सम्बन्धी सरकारी योजनाएं
44.	सरल कानूनी ज्ञान माला–44	कानून की जानकारी आखिर क्यों?

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।

नोटः– क्रम संख्या 1 से 7, 9, 10 एवं 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कँवर अमनिन्दर सिंह
एच.जे.एस.
सदस्य सचिव

न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पन्त
कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

Designed & Printed by : **Mittal Enterprises**, Delhi. # Mob: 09811340726

कानून की जानकारी आँखिर क्यों ?

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : **slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com**

विधिक साक्षरता – कानून की जानकारी

जीवन में कुछ चीजों की मौजूदगी हम खुद–ब–खुद मानकर चलते है और कानून उनमें से एक है। प्रातः बिस्तर छोड़ने से लेकर रात्रि शयन से पूर्व जाने–आनजाने हमें कई कानूनों एवं नियमों का सामना करना पडता है। जैसे कि संविदा विधि, उपभोक्ता कानून, बैक सम्बन्धी विधि, यातायात के नियम एवं कानून, रोजगार, किराया, श्रमिक व सम्पत्ति सम्बन्धी कानून आदि।

कानून साधारण भाषा में वह नियम है जो हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करने हेतु लिपिबद्ध किये गये है। जीवन में जटिलतायें बढ़ रही है और कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिस बाबत् कानून नहीं बनाया गया हो। भारत वर्ष में विविध विषयों पर अधिनियम, नियम और विनियमों की भरमार है तथा कानून बनाने की यह प्रक्रिया अनवरत जारी है।

माना जाता है कि हर नागरिक को कानून की जानकारी है, परन्तु सत्य यह है कि कानून बहुत व्यापक है और उसे समझना कठिन है और उसकी भाषा जटिल है। बी0ए0 करने के बाद व्यक्ति जब कानून की डिग्री हेतु आवेदन करता है तभी उसे कानून के बाबत् जानकारी रखने का प्रथम अवसर मिलता है स्थिति यह है कि कानून बनाने के पीछे मन इच्छा जन–उत्थान की होती है परन्तु जिस समाज या विषय पर कानून बनाया जाता है उसकी जानकारी उस वर्ग को नहीं हो पाती है जिनको लाभान्वित करने व जिनके हित के लिए कानून बनाया जाता है। ऐसे मे कानून बनाना व्यर्थ हो जाता है और कानून केवल कागजी शेर बन कर रह जाते है। उदहारण हेतु बच्चों के संरक्षण, महिलाओं के संरक्षण व कैदियों के संरक्षण तथा समाज के पिछड़े व पीडित वर्ग विषेष के संरक्षण हेतु बने इन कानूनों का उक्त वर्ग विषेष को भी ज्ञान नहीं है कहा जाता है कि भारत में कानून का राज है परन्तु कानून की जानकारी अधिकांष लोगो को न हो पाने के कारण कानून के राज की धारणा मात्र कोरी कल्पना बनकर रह जाती है। हमारे देष मे संसद और राज्य विधान मण्डल सैकडों कानून बनाते है, परन्तु सत्य है कि वकील और जज/मजिस्ट्रेट, जो कि रोज कानून से वास्ता रखते हैं भी इन ज्यादातर कानून की जानकारी नहीं रख पाते हैं, परन्तु वे जानते है कि जरूरत पड़ने पर कानून को कहां देखा जाये। इसलिए कानून की सामान्य जानकारी रखना सभ्य समाज में हर वर्ग के व्यक्ति के लिए आवष्यक है।

विधिक सेवा योजना और कार्यक्रम–क्यों, कैसे एवम् किसके लिए ?

भारतीय संविधान में यह अपेक्षा की गयी है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त हो। इस हेतु सरकार विभिन्न कानून बनाती आ रही है। अपेक्षित लाभ न मिलने पर और संविधान की मन–इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (क) में यह व्यवस्था दी गयी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक कमजोरी या असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित ना रहे। इस अनुच्छेद द्वारा यह भी निर्देषित किया गया है कि उपयुक्त विधान या योजना द्वारा सामाजिक न्याय को प्राप्त करने हेतु निःशुल्क विधिक

सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। अर्थात राज्य का दायित्व है कि वह सुनिष्चित करें कि विधि तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सर्वजन् को सुलभ होवें।

इसी उद्देष्य से आम जनता के हित को सुरक्षित रखने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का कानून बनाया गया है और इस अधिनियम के द्वारा असहाय व निर्बल वर्गो को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। विधिक सेवा के जन–उपयोगी कार्यक्रम को सफल व प्रभावषाली बनाने के लिए केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा), उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति गठित किए गये हैं। इन जनहितकारी सरकारी संस्थाओं का एक मात्र जनहित उद्देष्य है "न्याय सबके लिए"। ये संस्थायें उस प्राचीन परम्परा के निर्वाहन के लिये सृजित की गयी हैं जिसमें कहा गया है।

"सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामय,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
माँ कष्चिद् दुख भागभवेत।"

नैसर्गिक न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को अपने पक्ष को रखने का युक्तिसंगत व पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। यह तभी प्रभावी हो सकता है जब पक्षकार ऐसा करने मे पूर्ण रूप से समर्थ होवे। अर्थात उसकी कोई निर्योग्ता उसे न्याय प्राप्ति से वंचित न कर सके।

न्याय का दूसरा सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि विधि की अनभिज्ञता की दलील न्यायालय के समक्ष ग्राहय नही है। परन्तु, क्या हर काई व्यक्ति विभिन्न प्रचलित विधियों की जानकारी रखता है– उत्तर स्पष्ट है नहीं। अन्यथा भी यह अपेक्षा नही की जा सकती है कि हर व्यक्ति को उस कानून की जानकारी हो, जिसकी उसे दिन–प्रतिदिन के व्यवहार में आवष्यकता होती है।

तीसरा विधि का महत्तपूर्ण सिद्धान्त है न्याय में विलम्ब अन्याय के समान है। न्याय प्राप्ति में विलम्ब को वर्तमान परिपेक्ष्य मे न्याय प्राप्ति के पक्ष मे सबसे बड़ी बाधा माना जाता है पक्षकार यदि जागरूक है और उसे अपने हित व अधिकारों का ज्ञान भी है तो निःसन्देह वह न्याय प्राप्ति की लड़ाई अविलम्ब जीत सकता है।

उपरोक्त तीन सिद्धान्त यह व्यक्त करते है कि हर व्यक्ति का कानून के प्रति जागरूक होना आवष्यक है, अन्यथा न्याय प्राप्ति की लड़ाई कठिन होगी।

सभ्य समाज में यदि कोई नागरिक अपनी आर्थिक व सामाजिक असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंछित रह जाये तो यह समाज के लिए कलंक है परन्तु कानून की जानकारी का अभाव और न्याय प्राप्ति में विलम्ब एक कटु सत्य है और न्यायिक सुधार विषय का एक अहम बिन्दु है। पिछले कुछ वर्षो से अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या करोड़ों का आकंड़ा पार कर गई है। इसके निदान हेतु वर्तमान में न्याय प्रदान करने का कार्य अर्ह न्यायिक संस्थाओं को देने की पहल ने जोर पकड़ लिया है। सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय की मांग भी जोर पकड़ रही है। अग्रेजो की बनायी प्रक्रियात्मक विधि से विलम्ब होना स्वाभाविक मानते हुये पहल उठी है कि विधितः मान्य लोक अदालत, मध्यस्थता एवं सुलह–समझौता आदि के माध्यम से अविलम्ब, सस्ता व सरलता से न्याय प्राप्ति का मार्ग प्रषस्त हो और जनसामान्य न्याय की इस वैकल्पिक व्यवस्था का लाभ उठा सकें। इस हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विधिक साक्षरता षिविर आयोजित कर, जनसामान्य में जागरूकता लायी जा रही है,

ताकि न्याय तंत्र का उपयोग केवल धनी और सषक्त व्यक्ति तक सीमित न रहे और न्याय व्यवस्था आम आदमी को भी सुलभ हो यही विधिक सेवा प्राधिकरण का ध्येय एवं संकल्प है।

अधिवक्ता न्याय दिलाने का महत्तपूर्ण माध्यम है अतैव जन–जन तक कानून का ज्ञान पहुंचाने में अधिवक्ता की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शासन की कल्याणकारी योजनाओं एवं कानून की जानकारी के प्रचार–प्रसार का सक्रिय सहयोग आवष्यक है। अतैव विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिवक्तागण, समाज सेवक, मिडिया तथा शासन–प्रषासन आदि की सहभागिता से सर्वजन् को न्याय सरल, सुलभ और त्वरित दिलाये जाने हेतु प्रयासरत् है। न्याय सबके लिए ध्येय प्राप्ति हेतु गठित सरकारी संस्थाओं की कार्यविधि और उनके संचालन का विवरण निम्नवत् है :–

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो कि एक केन्द्रीय संस्था है, के मुख्य संरक्षक, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम् न्यायालय व कार्यपालक अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति, उच्चतम् न्यायालय होते है। यह संस्था सम्पूर्ण भारत वर्ष में विधिक सहायता कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती है, मार्गदर्षन करती है और इन कार्यक्रमों हेतु धन उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय 12/11 जाम नगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में स्थित है।

सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियत्रणाधीन सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति स्थापित की गयी है। जिसके अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तथा सचिव उच्चतर न्यायिक सेवा का अधिकारी होता है। उक्त समिति केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवाओ सम्बन्धी नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रवर्तन करती है, सर्वोच्च न्यायालय के मामलों के लिए पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक परामर्ष प्रदान करती है साथ ही लोक अदालतों का आयोजन एवं संचालन करती है तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाहन करती है जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किए जाते है। सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का कार्यालय 109, लॉयर्स चैम्बर्स, पोस्ट ऑफिस विंग, सर्वोच्च न्यायालय परिसर, नई दिल्ली में स्थित है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राज्य प्राधिकरण का इतिहास :– राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक मा0 मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय होते है एवं कार्यपालक अध्यक्ष, कार्यवाहक मा0 वरिष्ठ न्यायमूर्ति होते हैं तथा उच्चतर न्यायिक सेवा से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी को सदस्य–सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। मा0 मुख्य संरक्षक के कुषल दिषा–निर्देष व मा0 कार्यपालक अध्यक्ष महोदय की छत्रछाया में राज्य प्राधिकरण विधिक सेवा के कार्यक्रमों को आयाम प्रदान करता है। विधिक सेवा कार्यक्रमों की सफलता हेतु जनसामान्य, शासन, प्रषासन आदि के अपेक्षित सहयोग से केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवाओं सम्बन्धी नीतियों, कार्यक्रमों तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाहन करती है जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किए जाते हैं।

उत्तराखण्ड राज्य के गठन उपरान्त विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन वर्ष 2002 में किया गया। उस समय उक्त कार्यालय नैनीताल उच्च न्यायालय स्थित था। तद्उपरान्त उक्त कार्यालय का स्थानान्तरण जनपद नैनीताल से जनपद देहरादून किया

गया। जनपद देहरादून में उक्त कार्यालय का स्थानान्तरण समय–समय पर होता रहा तथा वर्ष 2008 को उक्त कार्यालय पुनः मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्थानान्तिरत किया गया।

राज्य प्राधिकरण के कतिपय मुख्य उद्देष्य एवं गतिविधियाँ

(क) पात्रतानुसार, पात्र व्यक्तियों को निःषुल्क विधिक सलाह/सहायता व निःषुल्क अधिवक्ता प्रदान कराना, ताकि जनसामान्य को सुलभ, सस्ता व त्वरित न्याय मिल सके।

(ख) लोक अदालतों का आयोजन करना जिसमें न्यायालय में दायर किये जाने से पूर्व के मामलों तथा न्यायालय में विचाराधीन मामलों का विधिसम्मत्, त्वरित एवम् सुलभ न्याय सुनिष्चित कराना।

(ग) जनसामान्य को उनके विधिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने हेतु विधिक ज्ञान का व्यापक प्रचार–प्रसार करने बाबत् निवारक एवं अनुकूलन विधिक साक्षरता कार्यक्रमों/षिविरों का संचालन करना।

(घ) सरल एवं सजग भाषा में लिपिबद्ध विधि सम्बन्धी पुसतकों/पम्पलैट्स इत्यादि का जनसामान्य को निःषुल्क वितरण करना, ताकि जनसामान्य अपने दैनिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग हो सकें।

(ङ) पारिवारिक विवादों को सुलह–समझौते के आधार पर निपटाने हेतु परामर्ष एवं सुलह–समझौता केन्द्रों की स्थापना करना।

(च) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवा योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिष्चित करना।

(छ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता सम्बन्धी षिकायतों को दर्ज कर उनका सर्वसम्बन्धित के माध्यम से उन्मूलन करना।

(ज) जनसामान्य की शासन–प्रषासन के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित प्राप्त षिकायतों को अग्रसारित कर समयबद्ध रूप से विधिसम्मत् समाधान कराना।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

राज्य प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीष होते हैं तथा सचिव, उच्चतर न्यायिक सेवा से सम्बन्धित न्यायिक अधिकरी होता है। उक्त समिति, केन्द्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवाओं सम्बन्धी नीतिओं एवं कार्यक्रमों का प्रवर्तन करती है, उच्च न्यायालय के मामलों के लिए पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक परामर्ष प्रदान कराती है साथ ही लोक अदालतों का आयोजन एवं संचालन करती है तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाहन करती है जो राज्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किए जाते है। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का कार्यालय माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्थित है।

उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति गठित है जिसके सचिव वर्तमान में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के महानिबन्धक महोदय हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

राज्य प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन जिला न्यायालय स्तर पर प्रत्येक जनपदों मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जनपद के जनपद न्यायाधीष होते हैं तथा सचिव, सिविल जज (एस0डी0)/सी0जे0एम0 न्यायिक सेवा से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी होता है। उक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केन्द्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवाओं सम्बन्धी नीतियों एवं

कार्यक्रमों का प्रवर्तन करती है, जिला न्यायालय के मामलों के लिए पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक परामर्ष प्रदान कराती है साथ ही लोक अदालतों का आयोजन एवं संचालन करती है तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाहन करती है जो राज्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किए जाते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय जिला न्यायालय परिसर में ही स्थित होता है।

उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड के हर जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किये गये हैं।

तहसील विधिक सेवा समिति

राज्य प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है सम्बन्धित तहसील में तैनात ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और कनिष्ठतम अधिकारी सचिव के रूप में कार्य करता है उक्त तहसील समितियां राज्य एवं जिला प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवाओं सम्बन्धी नीतिओं एवं कार्यक्रमों का प्रवर्तन करती है, तहसील न्यायालय के मामलों के लिए पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक परामर्ष प्रदान कराती है साथ ही लोक अदालतों का आयोजन एवं संचालन करती है तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाहन करती है जो राज्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किए जाते हैं। तहसील विधिक सेवा समिति का कार्यालय तहसील परिसर में ही स्थित होता है।

उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड के अधिकतः तहसीलों में तहसील विधिक सेवा समिति गठित है और कार्य कर रही है।

निःषुल्क विधिक सेवा के लिए हक व पात्रता

प्रत्येक व्यक्ति, जिनसे सम्बन्धित कोई मामला न्यायालय में योजित करना है या योजित कर दिया गया है या किसी मामले मे बचाव करना है, अधिनियम/नियम के अधीन, राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति से, निःषुल्क विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि ऐसे व्यकित :–

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के षिकार व्यक्ति,
3. सभी महिलायें एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाष, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एंव भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किषोर गृह एंव मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. भूतपूर्व सैनिक,
9. ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1,00,000/– (एक लाख रूपये) रूपये से कम हो,

नोटः– क्रम संख्या– 1 से 8 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

जनसामान्य के हित में सृजित कुछ कानून

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
3. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
4. मता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007
5. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
6. निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा अधिनियम, 2009
7. मोटर वाहन अधिनियम, 1939
8. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
9. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न एवं छुआछूत निवारण) अधिनियम, 1989
10. दहेज प्रतिषोध अधिनियम, 1961
11. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
12. बाल श्रम (प्रतिषोध और विनियमन) अधिनियम, 1986
13. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
14. सम्पत्ति अंतरण अधिनियम–1882
15. भारतीय संविदा अधिनियम–1872
16. उत्तराधिकार अधिनियम–1956
17. भारतीय वन अधिनियम–1972
18. रैगिंग के विरूद्ध दिषा–निर्देष

जनहितार्थ प्रचलित कुछ सामाजिक एवं कल्याणकारी योजनाएं

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
2. दीनदयाल विकलांग पुर्नावास योजना।
3. अनुसूचित जाति कल्याण की योजनाएं/कार्यक्रम
4. अनुसूचित जनजाति कल्याण की योजनाएं/कार्यक्रम
5. पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनायें
6. विकलांगजनों के कल्याणार्थ संचालित कार्यक्रम
7. सामाजिक सुरक्षा एवम् कल्याण के अन्तर्गत प्रमुख योजनायें
8. अल्पसंख्यकों हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम
9. गौरादेवी कन्याधन योजना
10. इन्दिरा आवास योजना
11. अटल आवास योजना

नोटः– जनसामान्य से सम्बन्धित सरल भाषा में लिपिबद्ध "सरल कानूनी ज्ञान माला" पुस्तकें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में निःषुल्क उपलब्ध है।

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क सूत्र

1. सदस्य–सचिव,

   उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल।

   कार्यालयः 05942–236762, 236552 फैक्स : 05942–236552

2. सचिव,

   उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

   कार्यालय : 05942–232085 फैक्स : 05942–237721

3. अध्यक्ष,

   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा

   कार्यालय : 05962–231105

4. अध्यक्ष,

   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेष्वर

   कार्यालय : 05963–221844

5. अध्यक्ष,

   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चमोली

   कार्यालय : 01372–251529

6. अध्यक्ष,

   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत

   कार्यालय : 05965–230915

7. अध्यक्ष,

   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून

   कार्यालय : 0135–2520873

8. अध्यक्ष,

   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार

   कार्यालय : 01334–239780

9. अध्यक्ष,

   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल

   कार्यालय : 05942–237159

10. अध्यक्ष,

    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल

    कार्यालय : 01368–221815

11. अध्यक्ष,

    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पिथौरागढ़

    कार्यालय : 05964–228322

12. अध्यक्ष,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रूद्रप्रयाग

कार्यालय : 01364–233796

13. अध्यक्ष,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल

कार्यालय : 01376–233424

14. अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधमसिंह नगर

कार्यालय : 05944–250682

15. अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी

कार्यालय : 01374–222711

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / उपसमिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र / पुत्री / पत्नी / विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता / परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता / करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000 / – (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ / आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने / प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी / व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ / दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण / उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा / करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊॅगा / छुपाऊॅगी।

प्रार्थी / प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32.	सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33.	सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34.	सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35.	सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36.	सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37.	सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)

38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य–सचिव **कार्यपालक अध्यक्ष**

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

आपदा प्रबंधन

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in , ukslsanainital@gmail.com

SCHEME FOR LEGAL SERVICES TO THE VICTIMS OF DISASTERS THROUGH LEGAL SERVICES AUTHORITIES

1. Background

Sub clause (e) of Section 12 Legal Services Authorities Act, 1987 makes the victims of disasters who are under circumstances of undeserved want as a result of such disaster eligible for free legal services to file or defend a case. But in a disaster of catastrophic nature whether it is natural or manmade, the victims are often taken unawares and are subjected to face the grim situation of loss of life, becoming homeless, destruction of property or damage to or degradation of environment and subject to human sufferings and damage beyond the coping capacity of the community of the affected area.

Even though it is the duty of the Government and the Administration of the locality to come to the help of the victims of disasters, Legal Services Authorities by virtue of sub-clause (e) of Section 12 can play an effective role by coordinating the activities of the State Administration in the disaster management by way of strategic interventions in an integrated and sustainable manner, reducing the gravity of the crisis and to build a platform for early recovery and development. The Legal Services Authorities shall endeavour to help the victims and the administration for reducing risk and assisting them to adopt disaster mitigation policies and strategies, reducing the vulnerabilities of the geographical and social situation and strengthening their capacities for managing human made and natural disasters at all levels.

2. Name of the Scheme

This Scheme shall be called the Scheme for Legal Services to the victims of disasters through Legal Services Authorities.

3. Objective

The objective of the scheme is to provide legal services to the victims of disaster both manmade and natural - who are under circumstances of undeserved want being victims of mass disaster, ethnic violence, caste atrocities, flood, drought, earthquake or industrial disasters.

The intervention of Legal Services Authorities shall be for coordinating the integrated, strategic and sustainable development measures taken by the Government and Disaster management Authorities for reducing the period of crises and for building a platform for early recovery and development. The thrust of the efforts for by the State Legal Services Authorities

shall be for strengthening the capacity of the victims for managing the disaster at all levels and to coordinate with the Government departments and non-governmental organisations and also for providing legal aid to the victims,

4. Strategic Intervention by the State Legal Services Authorities

The strategy for intervention by the Legal Services Authorities for helping the victims of disasters shall be on the following lines:

1. Ensuring immediate help by Governmental and Non-Governmental Agencies to the victims.
2. Coordinating the activities of different departments of the Government and the NGOs for bringing immediate relief.
3. Supervising the distribution of relief materials.
4. Supervising the construction of temporary shelter or transporting the victims to a safer place.
5. Supervising the reunion of families.
6. Supervising the health care and sanitation of the victims and preventing the spread of epidemics.
7. Supervising the needs of women and children.
8. Ensuring the availability of food, medicine and drinking water.
9. Supervising the reconstruction of damaged dwelling houses.
10. Supervising the restoration of cattle and chattel.
11. Legal Awareness Programmes in the relief camps on the legal rights of the victims,
12. Organising Legal Aid Clinics in the affected areas for assisting in restoration/reconstruction of valuable documents.
13. Assisting the victims to get the benefits of the promises and assurances announced by the Government and Ministers.
14. Assisting in the rehabilitation, care and future education of orphaned children,
15. Taking steps for appropriate debt relief measures for the victims.
16. Assisting in the rehabilitation of the old and disabled who lost their supporting families.
17. Assisting in the problems relating to Insurance Policies.
18. Arranging Bank Loans for restarting the lost business and avocations.
19. Arranging for phyciatrist's help / counselling to the victims who are subjected to physiological shock and depression on account of the disaster.

5. Machinery for Legal Services

The State Legal Services Authorities shall establish a Core group in all districts under the control of the District Legal Services Authorities to spring into action in the event of a disaster, whether manmade or natural.

The Core group shall consist of a senior judicial officer, young lawyers including lady lawyers selected in consultation with the local bar association, Medical Doctors nominated by the local branch of the Indian Medical Association and the NGOs by accredited by the State Legal Services Authority. The Secretary of the District LegalServices Authority shall maintain a Register containing the Telephone numbers and the cell numbers of the members of the Core group.

STRATEGY FOR LEGAL AID TO THE VICTIMS

6. Ensuring immediate help by Governmental and Non-Governmental agencies to the victims

The nodal agency for responding to a disaster shall be the State and District Disaster Management Authorities set up under the Disaster Management Act, 2006. The State Legal Services Authority should immediately alert the District Legal Services Authority concerned who in turn shall get in touch with the Disaster Management Authority of the State and District and gather the details of the steps taken by the latter.

(a) The Core group set up the District Legal Services Authority shall immediately proceed to the area where the disaster has occurred and get involved in the work of relief.

(b) The District Legal Services Authority and the Core team shall coordinate the activities of the relief operations by involving themselves and without causing any hindrance to the smooth flow of the relief operations.

7. Coordinating different departments of the government and the NGOs for brining immediate relief

The State Legal Services Authority at the apex level shall get in touch with the State Disaster Management Authority / Department to ensure that all the departments of the State Government including health, finance, social welfare and police are involved in the relief operations. The State Legal Services Authorities shall coordinate the implementation of the Plan of Action, if any, prepared by the Disaster Management Authorities.

(a) The State and District Legal Services Authorities shall obtain a copy of the disaster management plan, if any, prepared by the State Disaster Management Authority / District Disaster Management Authority.

(b) The State Legal Services Authority / District Legal Services Authority shall as far as practicable follow the aforesaid plan and, if necessary, make suggestions to the state administration or Disaster Management Authorities for improving the quality of relief operations.

8. Supervising the distribution of relief materials

In the event of a disaster, the first and foremost step to be taken is to ensure that the victims are provided with adequate support to tide over their undeserved wants. This includes

provision of food, safe drinking water and transferring the victims to safe shelters. The District Legal Services Authority in coordination with the Disaster Management Authority and State Government Departments, shall supervise effective and timely supply of relief materials to the victims of the disaster.

9. Supervising the construction of temporary shelters or transporting victims to safer place

District Legal Services Authority and the Core team shall supervise construction of temporary shelters and transportation of victims to such shelters to other safer places. Any lapses can be reported to the government officer incharge to ensure that the lapses are remedied immediately.

10. Supervising the reunion of families

A disaster may result in sudden disruption of the cohesive unit of families. Members of the family are likely to get separated on account of the disaster or by reason of the rescue operations or on account of medial emergencies. Separation can occur due to loss of life also.

The Core team shall visualise such probable traumatic situations in the families affected by the disaster and shall take necessary steps for consoling the victims and shall take earnest search for the missing members of the families.

11. Supervising the health care of the victims and preventing the spread of epidemics

The District Legal Services Authority shall take prompt steps for coordinating with the District Medical Officer for ensuring that the victims of the disaster are given proper medical care. The injured victims shall be given prompt treatment.

(a) When a large number of affected persons are congregated in relief camps, adequate sanitation has to be ensured. Steps shall be taken to ensure that the public health authorities are performing cleaning and sanitation of the camps on a regular basis.

(b) The District Legal Services Authority shall ensure that adequate preventive measures are taken by the health authorities against outbreak of contagious and infectious diseases and water-born diseases can occur in the relief camps.

(c) Right to health being a concomitant to the Right to Life guaranteed under Article 21 of the Constitution of India, the disaster victims are entitled to adequate health facilities and the Legal Services Authorities are duty-bound to ensure the same through appropriate measures.

12. Supervising the needs of women and children

Women and children are beneficiaries of free legal aid under Section 12 of Legal Services Authorities Act. They are the most vulnerable group amongst the victims of any

disaster. Safety of women and children in the camps and their valuables like ornaments and personal belongings are to be protected. The District Legal Services Authority shall ensure that the Police takes necessary steps for preventing theft and anti-social activities. Legal Services Authorities shall coordinate with the Police Officers to ensure the safety of women and children.

13. Ensuring the availability of food, drinking-water and medicine

The need for food, safe drinking water and medicine are basic human needs and hence are attributes of the Right to life under Article 21 of the Constitution of India. Legal Services Authorities can therefore rightfully intervene and coordinate with the State Government, District Administration and Health Authorities to ensure the availability of food, safe drinking-water and medicine to the victims living in the shelters.

14. Supervising the reconstruction of damaged dwelling houses

Housing is one of the important problems faced by the victims of disasters. Partial or total damage may occur to houses in disasters like earthquake, flood and communal riots. Assurances given by the Ministers and Government officials exgratia payment and funds for reconstruction of damaged houses of the victims may go unfulfilled or forgotten due to passage of time. Efforts shall be taken by the Legal Services Authorities to ensure that such promises are fulfilled and the promised funds or other relief measures are disbursed to the victims without delay.

15. Supervising the restoration of cattle and chattel

Loss of cattle, chattel and household articles are concomitant with all mass disasters. Thieves, looters and anti-socials have a field day during riots and ethnic violence and also during the havocs like flood, drought, pestilence and earth-quake. The District Legal Services Authority in coordination with the Police or Armed Forces shall ensure that the valuables belonging to the victims are not looted or stolen. Similarly, steps shall be taken to protect livestocks and chattel also. The Legal Services Authorities shall coordinate with the animal-husbandry department of the government to save the livestock.

16. Legal Awareness Programmes in the relief camps on the legal rights of the victims

Once the victims are relieved from the immediate shock ann impact of the disaster, the Legal Services Authority may chose a convenient time and place near the relief camps for imparting legal awareness to the victims. Women lawyers may be entrusted with the job of conducting informal legal awareness programme, mainly related to the rights of the disasters victims to avail of the relief measures from the authorities. The legal remedies available and the mode in which the benefits of the offers and schemes announced by the government are to be availed of also may be included as topics. Legal Awareness Programmes shall not be

conducted in a ceremonial manner. Inaugural function and other formalities shall be totally avoided.

The ambience of disaster and the mood of grief stricken victims should be fully taken in to account by the resource persons and the steps for legal awareness shall be taken in such a manner as to go along with the measures for consolation and redressal of the grievances of the victims. Visits by women lawyers to the camps and homes of the victim will be desirable.

17. Organising Legal Aid Clinics in the affected areas for assisting in the reconstruction of valuable documents

It is likely that the victims of disaster have lost their valuable documents like titled deeds, ration cards, identity cards, school and college certificates, certificate of date and birth, passport, driving licence etc. The District Legal Services Authority shall organise legal aid clinics in the affected areas and assist the victims to get duplicate certificate and documents by taking up the matter with the authorities' concerned. Arrangements for issuing Death Certificates of the deceased victims also shall be made.

18. Taking care of the rehabilitation and the future care and education of the orphaned children

Orphaned children are the living monuments of disasters. Loss of childhood, paternal affection are likely to haunt them for the rest of their lives. At times, the orphaned children may get affected with psychiatric problems also.

The Legal Services Authority shall seek the help of voluntary organizations Philanthropists large business houses and Corporates for sponsoring the educational needs and accommodation of such children till they attain the age of maturity. In appropriate cases, the Legal Services Authority may assist such children to be taken care of under provisions of the Juvenile Justice (care and protection) Act.

19. Taking steps for appropriate debt relief measures for the victims

Rehabilitation of disaster victims is a gigantic challenge for any administration. The adequate funds should be made available to the victims who lost everything in their life for rebuilding their avocation, buying agricultural implements and other implements required for their avocations in which they were engaged prior to the disaster. Victims belonging to fisherman community may require huge amounts for buying nets, boats and outboard engines. Such measures of rehabilitation may require the assistance of government departments concerned. The State Legal Services Authority shall coordinate with Public Sector Banks, Social Welfare Department and other departments concerned for helping the victims to restart their avocations. In appropriate cases, provisions in the laws relating to debt relief shall be invoked.

20. Rehabilitation of the old and disabled who lost their supporting families

Persons with disabilities as defined in Clause (e) of Section 2 of Disabilities (Equal Opportunity) Protection of Rights and Full Participation Act, 1995 are entitled to free legal aid under Section 12 of the Legal Services Authorities Act. Senior citizens are entitled to certain benefits under the provisions of Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act. The senior citizens and disabled persons who lost their support on account of disasters shall be identified and appropriate legal aid shall be given to them.

21. Problems relating to Insurance Policies

The Legal Services Authorities shall take up the insurance claims of the disaster victims with the Insurance Companies for settlement of such claims. Negotiations may be undertaken with the Insurance Company officials for a settlement favourable to the victims. In appropriate cases the service of Insurance Ombudsman also may be availed of.

22. Arranging Bank Loans for restarting the lost business and avocations

The victims who suffered substantial loss of their business and implements used in their avocations shall be helped by adopting proper restorative measures. For this purpose, efforts shall be made to make available financial assistance of nationalised banks and other public sector financial institutions. The Legal Services Authorities shall persuade the officials of such financial institutions to raise to the occasion for helping the victims.

23. Arranging for the services psychologists/psychiatrists help for counselling the victims suffering from psychological shock and depression on account of the disaster

Mental shock and the related psychiatric manifestations are usually seen associated with the traumatic effects of disasters on the victims and their family members. Sudden loss of human life and the horrifying experiences of the trauma of the disasters can result in mental shock and psychiatric problems not only to the victims but also to their family members. The District Legal Services Authority shall in coordination with the District Medical Officer make necessary arrangements for the services of psychiatrists and psychologists.

The District Authority shall ensure the presence of the members of the Core group at the relief camps everyday till the victims are rehabilitated.

24. District Legal Services Authority shall collect reports from the Core Group

District Legal Services Authority shall collect daily reports from the Core group working at the location of the disaster. Copies of such reports shall be sent to the State Legal Services Authority. The State Legal Services Authority shall consolidate the reports and send a comprehensive report to the National Legal Services Authority and copies thereof shall also be sent to the District Management Authorities of the State and District. Copies of the report shall be placed before the Patron-in-Chief of the State Authorities and also in the meeting of the State Authority.

If any difficulty arises in giving effect to this Scheme, the State Legal Services Authority and District Legal Services Authority or the Core group may seek guidance from the Executive Chairman of the State Authority.

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति

8. राहत एवं पुनर्वास

दृष्टिकोण

8.1.1 राहत को मात्र आनुग्रहिक सहायता अथवा समय पर आकस्मिक राहत आपूर्ति के प्रावधान के रूप में ही नहीं परिकल्पित किया गया है। इसके विपरीत ऐसे राज्यों में आपदाग्रस्त लोगों के पुनर्वास तथा प्रभावित लोगों की सामाजिक सुरक्षा तथा रक्षा हेतु सहायता के सरलीकरण की अधिमेहराबी पद्धति के रूप में विचारित किया गया है। राहत शीघ्र, पर्याप्त तथा अनुमोदित मानको के अनुसार होनी चाहिए। राहत के न्यूनतम मानकों को परिभाषित करते हुए मार्ग निर्देष एन.डी.एम.ए. द्वारा किए जाएंगें।

अस्थाई राहत षिविरों की स्थापना

8.2.1 डी.डी.एम.ए., विषेषकर आवर्ती आपदा बहुल क्षेत्रों में अस्थाई षिविरों की स्थापना के लिए अवस्थलों की पहचान करेगा। आपदा–पूर्व दौर में आवष्यक सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसियों की पहचान की जाएगी। राहत षिविरों की स्थापना के लिए शैक्षिक संस्थानों के प्रयोग को हतोत्साहित करने की आवष्यकता है।

8.2.2 अस्थाई षिविरों में पीने और नहाने के पानी, स्वच्छता तथा आवष्यक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा। जहॉ व्यावहारिक हो, वहां सामुदायिक रसोई के द्वारा भोजन का प्रावधान तथा विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी की पुनर्स्थापना के द्वारा षिक्षण के प्रावधान की संभावना को तलाषने के लिए आपदाग्रस्त परिवारों से विषेष टॉस्क फोर्सों की स्थापना की जाएगी। अपने–अपने डी.डी. एम.ए. के माध्यम से, एक समरूप मानवता शासन पद्धतियों के हिस्से के रूप में हकदारी–पत्र, लैमिनेट किए हुए पहचान पत्र आदि जैसी कुषल शासन प्रणालियां विकसित की जाएंगी।

राहत आपूर्ति का प्रबंधन

8.3.1 राहत एवं आपूर्ति के द्रुतगामी प्रबंधन के न्यूनतम मानक सुनिष्चित करना राहत कार्यों की महत्वपूर्ण विषेषताएं हैं। राहत मदों, जिन्हें व्यवस्थित तरीके से पहुॅचाने की जरूरत होती है, के प्रापण, पैकेजिंग, परिवहन, भण्डारण तथा वितरण को सुनिष्चित करने के लिए एस.ओ.पी.को यथा स्थान प्रतिष्ठित किया जाएगा। राहत षिविरों के प्रबंधन हेतु प्रभावित समुदायों एवं स्थानीय प्राधिकारियों को आगे–पीछे कार्य

करना चाहिए। नकद अथवा अन्य रूप में प्राप्त की गई दान सहायताओं में पारदर्षिता एवं जवाबदेही के प्रबंध हेतु दिषा निर्देष विकसित किए जाएंगे।

राहत के मानकों की समीक्षा

8.4.1 अधिकतम राज्यों में आपदा से प्रभावित समुदायों की समकालीन आवष्यकताओं का समाधान करने के लिए राहत के विद्यमान मानकों की समीक्षा की जानी आवष्यक है। एन.डी.एम.ए. के दिषानिर्देषों के अनुसार राहत के प्रबंध हेतु मानदण्डों, मानकों तथा मापदण्डों को निर्धारित करने के लिए एम.डी.एम.ए. राहत कोड/नियमावलियों की समीक्षा करे तथा आपदा प्रबंधन कोड तैयार करे।

अस्थायी जीविका विकल्प तथा सामाजिक–आर्थिक पुनर्वास

8.5.1 किसी भी महा–आपदा के घटित होने पर सामान्यतः प्रभावित समुदाय हेतु अस्थायी जीविका विकल्प पैदा करने की आवष्यकता उत्पन्न होती है और राज्य सरकार को चाहिए कि वे अपने डी.एम. योजना प्रक्रिया में इस पहलू को मान्यता दें। ऐसे किसी भी विकल्प में यह सुनिष्चित करना आवष्यक है कि उत्पन्न की गई सम्पत्ति, आधारिक संरचना एवं सुख–सुविधाएं जोखिम रहित, स्थायी, भरण–पोषण योग्य तथा लागत दक्ष हों।

मध्यम आश्रय–गृहों की व्यवस्था

8.6.1 सर्वनाषी आपदाओं के मामलों में, जहां तीव्र मौसम अवस्थाएं जानलेवा साबित हो सकती हैं अथवा जब आश्रम–गृहों में रहने की अवधि अधिक एवं अनिष्चित हो, वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाओं सहित मध्यम आश्रय गृहों के निर्माण की जिम्मेदारी हाथ मे ली जाएगी जिससे कि प्रभावी लोगों के लिए संतुलित गुणवत्ता की जिंदगी सुनिष्चित की जा सके। ऐसे आश्रय गृहों की बनावट र्प्यावरण अनुकूल होने के साथ–साथ स्थानीय संस्कृति के अनुरूप होगी। एस.डी.एम. हेतु यह वांछनीय होगा कि प्रषमता की अवधि के दौरान मध्यम आश्रय गृहों की रूपरेखा सुनियोजित कर लें जो लागत प्रभावी तथा स्थानीय जरूरतों के साथ बहुउपयोगी क्षमता वाली हो।

9. पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति की बहाली

दृष्टिकोण

9.1.1 पुनर्निर्माण प्रक्रिया के प्रति व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों को सुअवसर में बदला जा सके। 'पहले से बेहतर निर्माण' के लिए आपदा संवेदी विषिष्टताओं को शामिल करना मार्गदर्षी सिद्धान्त होना चाहिए। इस चरण में सभी संबंधित व्यक्तियों से अत्यधिक धैर्य और अथक प्रयास किए जाने की अपेक्षा की जाती है। इस चरण की जरूरतों के प्रति प्रषासन, पणधारियों तथा समुदायों को ध्यान संकेन्द्रित रहने की आवष्यकता है क्योंकि समय के साथ–साथ इसकी अत्यावष्यकता समाप्त होने लगती है। उचित तकनीक का चुनाव तथा परियोजना के प्रभाव का आंकलन किया जाना आवष्यक है

जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि विचाराधीन परियोजनाएं कहीं प्रभावित क्षेत्रों अथवा उनके पड़ोस के भौतिक, सामाजित–सांस्कृतिक अथवा आर्थिक वातावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं डाल रही हैं। मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता और सदमें से संबंधित परामर्ष उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था विकसित किए जाने की आवष्यकता है ताकि पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति की बहाली के दौरान इसका कार्यान्वयन हो सके।

स्वामित्व आधारित पुनर्निमाण

9.2.1 पुनर्निर्माण योजनाओं तथा मकानों की रूपरेखा बनाने में भागीदारी प्रक्रिया होने की आवष्यकता है जिसमें सरकार, प्रभावित समुदाय, गैर–सरकारी संगठन और निगमित सेक्टर सम्मिलित हों। योजना बनाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हालांकि स्वामित्व आधारित पुनर्निर्माण एक प्राथमिकता वाला विकल्प है फिर भी गैर–सरकारी संगठनों तथा कॉरपोरेट सेक्टर के योगदानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पुनर्निर्माण कार्यक्रम सरकारी द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर तथा गुणवत्तापरक विनिर्देषनों के अनुसार होगा।

त्वरित पुनर्निर्माण

9.3.1 अनिवार्य सेवाओं, सामाजिक अवसंरचना तथा मध्यम आश्रय स्थलों/षिविरों को कम से कम समय में स्थापित किया जाएगा। स्थायी पुनर्निर्माण के लिए मकानों के निर्माण सहित कार्य सामान्यतः दो से तीन वर्षों के भतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। संबंधित मत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों को चाहिए कि वे पुनर्निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समर्पित परियोजना दलों को गठित करें।

9.3.2 सामान्य अवधि के दौरान अत्यधिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाए जाने की आवष्यकता है जिसमें विभिन्न पणधारियों से परामर्ष करके वास्तुषिल्प तथा ढांचागत डिजायन शामिल हो सकती है।

सामान्य स्थिति की बहाली के साथ सुरक्षित विकास को जोड़ना

9.4.1 सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अवसंरचना तथा पिछड़े तथा अगड़े संपर्क–सूत्रों में आयी कमियों को दूर करने पर जो दिया जाना चाहिए। जीवनयापन के साधनों, षिक्षा, चिकित्सा–सेवा की सुविधाओं, बुजुर्गों, महिलाओं तथा बच्चों आदि की देखभाल में सहायता करने तथा इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्य दूसरे पहलुओं जिन पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित हैं, वे हैं, सड़कें, आवास, पेयजल, स्रोत, सफाई सुविधाओं के लिए प्रावधान, क्रेडिट की उपलब्धता, कृषि से जुड़ी जानकारी देना, खेत में तथा इससे बाहर की गतिविधियों में शामिल प्रौद्योगिकी का उन्नयन, भण्डारण, प्रसंस्करण, विपणन आदि।

जीवनयापन को पुनः बहाल करना

9.5.1 राज्य सरकारों को चाहिए कि वे आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्थायी जीवनयापन देने पर जोर दें तथा महिला मुखिया वाले घरों, षिल्पकारों, किसानों तथा हाषिए पर गए एवं कमजोर वर्गों के व्यक्तियों पर विषेष ध्यान दें।

10. क्षमता निर्माण

दृष्टिकोण

10.1.1 शामिल व्यक्तियों के सक्रिय तथा जोशपूर्ण भागीदारी से ही क्षमता विकास के प्रति एक रणनीति दृष्टिकोण प्रभावी रूप से अपनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जागरूकता सृजन, शिक्षा, प्रषिक्षण, अनुसंधान तथा विकास आदि सम्मिलित हैं। इससे आपदाओं के प्रभावी–निवारण तथा इसके प्रंबधन के लिए समुचित संस्थागत रूपरेखा, प्रबंधन व्यवस्थाओं तथा स्रोतों का आवंटन संभव होगा।

10.1.2 चूंकि इन पहलुओं में से कुछ पहलुओं की चर्चा अन्य अध्यायों में की गई है और इसलिए यह भाग, केवल जागरूकता, आपदा षिक्षण तथा प्रषिक्षण पर प्रकाष डालता है। क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना जिससे कि क्षेत्रीय असमानताओं तथा बहु–आपदा प्रवणता को ध्यान में रखते हुए उनकी विषिष्ट आवष्यकताओं के लिए समुदाय आधारित आपदा प्रंबधन प्रणालियों को विकसित किया जा सके।

- राज्यों तथा राज्य तथा स्थानीय स्तर के प्रधिकारियों से संबद्ध कार्यान्वयन के प्रभारी अन्य पणधारियों से परामर्ष करने की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों के संबंध मे अवधारणा विकसित करना।

- अपनी कुषलता सिद्ध कर चुके ज्ञान–आधारित संस्थानों को अभिज्ञात करना।

- अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

- पारंपरिक तथा विश्व स्तर की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी को अपनाना।

- टेबल–टॉप अभ्यासों, सिम्यूलेषन्स, मॉक–ड्रिलों तथा योजनाओं की जांच करने हेतु कौशल के विकास पर जोर देना।

- राज्य/जिला/स्थानीय स्तर पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विश्लेषण करना।

राष्ट्रीय प्राथमिकताएं

10.2.1 क्षमता निर्माण के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन से जुडे कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं, प्रषिक्षकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा समुदायों के प्रषिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।

10.2.2 डॉक्टरों, इंजीनियरों तथा वास्तुकारों जैसे विषेषज्ञों को आपदा प्रबंधन प्रषिक्षण तथा परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालने पर समुचित महत्व दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्कूलों सहित सभी स्तरों पर शैक्षणिक संस्थानों में व्यवहारिक आवश्यकताओं के प्रति अनुकूल बनाने सहित आपदा प्रबंधन प्रषिक्षण के विस्तार पर समुचित ध्यान दिया जाएगा।

संस्थागत क्षमता निर्माण

10.3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय प्रषिक्षण अनुसूची के विकास तथा उसके कार्यान्वयन को सुकर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। यह प्रषिक्षण के लिए क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु नोडल संस्थान भी होगा। विभिन्न राज्यों मे अनेक प्रसिद्ध संस्थान हैं जो आपदा प्रबंधन में प्रषिक्षण दे रहे हैं। इन्हें वित्तीय सहायता देकर सुदृढ़ किया जाएगाा तथा राज्य/संघ राज्य क्षे़त्र ऐसे प्रयासों का अनुकरण करेंगे। इसके अलावा सभी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस अकादमियों, ग्रामीण विकास के राज्य–स्तरीय संस्थानों, एनडीआरएफ के चार अर्ध सैनिक बल प्रशिक्षण केन्द्रों तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी में मौजूद आपदा प्रबंधन सैल आपदा प्रबंधन से संबंधित कौशल का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्षेत्रीय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के मदेनजर मौजूदा संस्थानों की क्षमता को उन्नत करने की आवश्यकता है।

समुदायों का प्रशिक्षण

10.4.1 समुदायों की क्षमता निर्मित करना, क्षमता विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि समुदाय ही आपदा को सर्वप्रथम झेलते हैं। इसमें जागरूकता, सुविज्ञ करना, अभिविन्यास, समुदायों तथा समुदाय के नेताओं के कौशल को विकसित करना शामिल है। एनडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा तथा गैर–सरकारी संगठनों/रेड क्रास एवं स्वं–सहायता दलों जैसे स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त होने वाली सहायता को प्रोत्साहन दिया जायगा। नेतृत्व तथा अभिप्रेरण की समग्र जिम्मेवारी राज्य तथा जिला प्रधिकारियों के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों की होगी।

पेशेवर तकनीकी शिक्षा

10.5.1 वास्तुशिल्प, इंजीनियरी, पृथ्वी विज्ञान तथा चिकित्सा में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों की सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाएगी जिससे कि प्रत्येक विशेषीकृत क्षेत्रों मे आपदा प्रबंधन से जुड़े तात्कालीन ज्ञान को शामिल किया जा सके। स्कूलों तथा कॉलेजों में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य में एनसीसी तथा छात्र स्काउट की भूमिका होगी। राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय तकनीकी उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में एक विशिष्ट शैक्षणिक विषय के रूप में आपदा प्रबंधन के विकास को बढ़ावा देगा।

स्कूलों में आपदा प्रबंधन संबंधी षिक्षा

10.6.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा बोर्ड के माध्यम से पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन विषय को शामिल किया गया है जिसे अपने–अपने माध्यमिक षिक्षा बोर्डों के माध्यम से सभी स्कूलों मे विस्तारित किया जाएगा। राज्य सरकार भी यह सुनिष्चित करेगी कि राज्य स्कूल बोर्डों के माध्यम से पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन शामिल हो। षिक्षण सामग्री में कौषल आधारित प्रषिक्षण, मनोवैज्ञानिक तथा नेतृत्व गुणों का समावेश होगा। स्कूलों तथा कॉलेजों में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य में एनसीसी और छात्र स्काउटों की भूमिका होगी। आपदा संबंधी शिक्षा का उद्देश्य स्कूल की आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ–साथ तैयारी तथा सुरक्षा का वातावरण विकसित करना होगा।

कारीगरों को प्रशिक्षण

10.7.1 कारीगरों के कौशल का उन्नयन करना क्षमता संबंधी निर्माण प्रक्रिया का अन्य महत्वपूर्ण भाग है। केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग यह सुनिःश्चित करेंगे कि कारीगरों के प्रशिक्षण हेतु सतत् कार्यक्रमों के लिए संसाधनों की उपलब्धता बना रहे। इस कार्यकलाप को सक्रियता से चलाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों (आई.आई.टी.) तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थानों (एन.आई.टी.) से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। औद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) तथा अन्य केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से कार्यान्वयन में मदद ली जाएगी। व्यापक भागीदारी सुनिष्चित करने के लिए ये कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। निजी निर्माणकर्ताओं, ठेकेदारों तथा गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रषिक्षित कारीगरों के उपयोग मे अहम भूमिका निभाए जाने की आशा हैं।

अन्य समूहों का प्रशिक्षण

10.8.1 पैरामेडिक्स, समाज सेवकों, प्लम्बरों सैनिटरी फिटरों तथा सुरक्षा लेखा परीक्षणकों जैसे अन्य विषेषज्ञ समूह भी समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगें। इन समूहों को भी समुचित कार्यक्रमों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

लाइसेंस देना तथा प्रमाणीकरण

10.9.1 निर्माण क्षेत्र में आपदा–रोधी निर्माण सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों के कौशल की जांच करना महत्वपूर्ण होता है। बी.आई.एम. से अनुरोध किया जाएगा कि वह विशेषज्ञ निकायों की मदद से समान कोड (युनिफार्म कोड) तथा विनिर्देशनों को विकसित करे। राज्य सरकारें एक योजना विकसित करेगी ताकि यह सुनिर्षिचित किया जा सके कि केवल समुचित रूप से अर्हता प्राप्त विषेषज्ञ ही उसके भू–भाग में काम करें। राज्य सरकारें अपने जोखिम परिदृष्य के अनुरूप अपेक्षित मानकों को बनाए रखने के लिए स्वंय अपने पंजीकरण मानदंडों को लागू करेंगी।

संख्या–485ध्ध्ग्टप्प्–(2)/2013–4(27)/10 ज्ब

प्रेषक,

एम.एस. चौहान,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड षासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड

आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास अनुभाग, देहरादून : दिनांक 05 जुलाई, 2013

विषयः– वित्तीय वर्श 2013–14 में मानसून अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के सम्बन्ध में राहत सहायता आदि उपलबध कराये जाने विशयक।

महोदय,

उपर्युक्त विशय से सम्बन्धित षासनादेष संख्याः 475/ग्टप्प्–(2)/श्/13–4(27)/2010, दिनांक 27 जून, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेष प्राप्त हुआ है कि मानसून अवधि में आपदा से हुई क्षति के सम्बन्ध में षासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– आपदा में क्षतिग्रस्त साधारण किस्म के ढाबे/अन्य दुकानों को रू0 50,000/– (अधिकतम धनराषि रू0 01 लाख) की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

2– आपदा में पूर्णतः क्षतिग्रस्त होटल हेतु रू0 2.00 लाख, रू0 2.00 लाख से रू0 10.00 लाख तक की क्षति होने पर कुल क्षति का 30 प्रतिषत, रू0 10.00 लाख से रू0 20.00 लाख तक की क्षति होने पर कुल क्षति का 20 प्रतिषत एवं रू0 20.00 की अधिक की क्षति होने पर कुल क्षति का 10 प्रतिषत की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

3– आपदा प्रभावित परिवारों, जिनके गांव पूर्णरूप से सड़क मार्गो से ब्नज.वीि हो गये है, को माह जुलाई, 2013 में प्रति 05 सदस्यों पर 15 कि0ग्रा0 चावल, 15 कि0ग्रा0 आटा, 05 कि0ग्रा0 दाल, 03 कि0ग्रा0 चीनी, 01 लीटर तेल, मसाले, नमक, माचिस एवं 10 लीटर केरोसीन तेल जिसमें परिवहन का व्यय भी सम्मिलित है, निःषुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

4– वर्तमान में आयी प्राकृतिक आपदा से अनाथ हुए बवचेम का पालन–पोशण का व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

5– वर्तमान में आयी प्राकृतिक आपदा से गन्ने की फसल की क्षति के सम्बन्ध में राहत धनराषि सदाबहार फसलों/फलों की तुलना में 50 प्रतिषत अधिक देय होगी।

6– उक्तानुसार क्षतिग्रस्त होटल की क्षति का निर्धारण किये जाने हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग के अधिषासी अभियन्ता समिति के सदस्य होंगे, जो आपदा से हुई क्षति की गणना कर सम्बन्धित जिलाधिकारी को अपनी संस्तुति उपलब्ध करायेंगे।

7– उक्तानुसार भुगतान की जानी वाली धनराषि का वहन मा0 मुख्यमंत्री राहत कोश से किया जायेगा।

8– यह आदेष वित्त विभाग के अषासकीय पत्र सं0 56 छच्ध्ग्टप्ए5द्ध13.14 की दिनांक 04.07.2013 द्वारा दी गई सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एम.एस. चौहान)
अनु सचिव

संख्या–485;1)/XVIII&¼2)/2013–4(27)/10 ज्ब तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी), ओबैराय बिल्डिंग, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास मंत्री, उत्तराखण्ड षासन।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन।

4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड षासन।
5– प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड षासन।
6– आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
7– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– अधिषासी निदेषक, डी.एम.एम.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम.एस. चौहान)
अनु सचिव

संख्या–475/XVIII-(2)/F/13-4-(27)/2010

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादून : दिनांकः 27 जून, 2013

विषय :– वित्तीय वर्ष 2013–2014 में मानसून अवधि के दौरान प्राकृतिम आपदा से होने वाले क्षति पर अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान तथा कृषि इनपुट सब्सिडी इत्यादि मदों को पुनरीक्षित दरों के आधार पर वितरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विगत वर्षो की भांति इस वित्तीय वर्ष 2013–14 में भी मानसून अवधि के दौरान राज्य में भारी वर्षा दर्ज की गई है, जिससे जान–माल की अत्यधिक क्षति हुई है। शासन द्वारा इस विषिष्ट स्थिति का संज्ञान लेते हुए सम्यक् विचारोपरान्त केवल इस मानसून अवधि हेतु राहत सहायता बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देष हुआ है कि शासनादेष संख्या– 2127/XVIII-(2)/10-4(27)/2010, दिनांक 23 सितम्बर, 2011 एवं संख्या–344/XVIII-(2)/12-4(27)/2010, दिनांक 28 जून 2012 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा बढायी गयी दरों में आंषिक संषोधन करते हुए निम्नानुसार राहत सहायता वितरित कि जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र. स.	क्षति का प्रकार	राहत सहायता				
		SDRF/NDRF के मानकानुसार राहत सहायता	वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा देय राहत सहायता	राज्य सरकार द्वारा राहत सहायता की पुनरीक्षित दरें	मा0 प्रधान मंत्री राहत कोष से प्राप्त सहायता	वर्तमान में कुल राहत सहायता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह भुगतान	1.50 लाख	3.00 लाख	–	रू. 2.00 लाख	रू. 5.00 लाख
2.	अपंगता 80 प्रतिषत से अधि	62 हजार	1.50 लाख	–	50.00 हजार	रू. 2.00 लाख
3.	अपंगता 40 से 80 प्रतिषत तक	43.50 हजार	1.00 लाख	–	50.00 हजार	1.50 लाख
4.	जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु एक सप्ताह से अधिक चिकित्सालय में रहना पड़े।	9.30 हजार	20 हजार	30.00 हजार	–	30.00 हजार
5.	जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु एक सप्ताह से कम चिकित्सालय में रहना पड़े।	3.10 हजार	10 हजार	15.00 हजार	–	15.00 हजार
6.	पूर्णतः क्षतिग्रस्त पक्का मकान	35 हजार	1.00 लाख	–	1.00 लाख	2.00 लाख
7.	तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त पक्का मकान	6.30 हजार	10 हजार	50.00 हजार	50.00 हजार	1.00 लाख

8.	क्षतिग्रस्त / नष्ट प्रति झोपड़ी	रू0 2,500	3.00 हजार	6.00 हजार	—	6.00 हजार
9.	भवन के साथ जुडी पशुषाला (प्रति पशुषाला)	रू0 1250	रू0 1250	रू0 2,500	—	रू0 2,500 (पशुषाला)
10.	प्राकृतिक आपदा के कारण जिनके घर बह गये हो अथवा जलभराव से प्रभावित हो। — कपड़े हेतु	रू0 1,300 प्रति परिवार	रू 2,600	रू0 4.00 हजार	—	रू0 4.00 हजार प्रति परिवार
	बर्तन हेतु	रू0 1,400 प्रति हजार	रू0 2,800	रू0 4,00 हजार	—	रू0 4.00 हजार प्रति परिवार
11.	कृषि भूमि में अवसाद हटाने के लिए (प्रति है0)	रू0 8,100 (प्रति है0)	10 हजार	15.00 हजार	—	15.00 हजार(प्रति है0)
12.	भूस्खलन, हिमस्खलन या नदी के मार्ग बदलने के कारण भूमि की क्षति (प्रति है0)	25.00 हजार (प्रति है0)	2,500 प्रति नाली (पर्वतीय क्षेत्र) 1.00 लाख प्रति है0 (मैदानी क्षेत्र)	कॉलम नं0–4 के अनुसार	—	कॉलम नं0–4 के अनुसार
13.	फसल नुकसान (50 प्रतिशत से अधिक होने पर) — असिंचित भूमि के लिए	3.00 हजार (प्रति है0)	3.00 हजार	5,000	—	रू0 5.00 हजार (प्रति है0)
	सिंचित भूमि के लिए	6.00 हजार (प्रति है0)	6.00 हजार	8.00 हजार	—	रू0 8.00 हजार (प्रति है0)
14.	सदाबहार फसल का 50 प्रतिषत या इससे अधिक नुकसान होने पर	8.00 हजार (प्रति है0)	10 हजार	15,000	—	रू0 15.00 हजार (प्रति है0)
15.	दुधारू पशु भैंस, गाय, ऊंट, याक आदि की मृत्यु पर (प्रति पशु)	रू0 16,400	—	रू0 20.00 हजार	—	रू0 20.00 हजार (प्रति पशु)
16.	बछिया, गधा एवं खच्चर की मृत्यु पर (प्रति पशु)	रू0 10.00 हजार	रू0 7,500	रू0 11.00 हजार	—	रू0 11.00 हजार
17.	बकरी एवं भेड़ की मृत्यु पर (प्रति पशु)	रू0 1,650	रू0 2.00 हजार	रू0 3,000	—	रू0 3,000 (प्रति पशु)
18.	कुक्कुट पालन प्रति पक्षी / मुर्गी की मृत्यु पर (अधिकतम 400 रूपये प्रति परिवार)	रू0 37	रू0 50	रू0 100	—	रू0 100

2— उपर्युक्तानुसार बढ़ाई गई राहत सहायता केवल इस मानसून अवधि हेतु ही अनुमन्य होगी तथा शेष प्रकरणों / अवधि के सम्बन्ध में भारत सरकार के शासनादेश संख्या–32–7 / 2011–NDM–1, दिनांक 16 जनवरी, 2012 एवं संख्या–32–3 / 2012–NDM–1, दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के अनुसार राहत सहायता पूर्वतः लागू होगी।

3— राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) / राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) के व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक यथावत रहेंगे। परन्तु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शर्त के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण की पुख्ता व्यवस्था कर ली जायेगी एवं सत्यापन / प्रमाणीकरण की पुष्टि हेतु समुचित एवं विश्वसनीय अभिलेख / साक्ष्य की व्यवस्था भी कर ली जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय "राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)" के व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

4– प्रभावितों की सम्यक पहिचान (Identity) एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता का वितरण किया जाये। राहत सहायता वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं दोहराव की स्थिति पाये जाने पर संबन्धित जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5– व्यय करते समय बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका आदि में इंगित नियमों तथा मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

6– उक्त बढ़ी हुई राहत सहायता का व्यय/भुगतान फिलहाल राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) सम्बन्धी लेखाशीर्षक चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–00–13–आपदा राहत निधि से व्यय–42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा तथा बढ़ी हुई दरों के कारण वांछित अतिरिक्त धनराशि की पूर्ति यथासमय शासन स्तर पर कर ली जायेगी।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–49 NP/वित्त अनु0–5/2013 दिनांक 27 जून, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या–475(1)/XVIII-(2)/F/13-4-(27)/2010 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊॅ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. अपर सिवच, वित एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेषालय उत्तराखण्ड।
11. वित अनुभाग–5
12. धन आवंटन संबंधी पत्रावली।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एम.एस.चौहान)
अनु सचिव

संख्या–344 / ग्टप्प्–(2) / 12–4(27) / 2010

प्रेषक,

संतोश बडोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड षासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग
देहरादून 28 जून, 2012

विशयः– वित्तीय वर्श 2012–13 में प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति पर अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान एवं कृशि इनपुट सब्सिडी इत्यादि के मदों को बढ़ी हुई दरों के आधार पर वितरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विशयक अवगत कराना है कि इस वित्तीय वर्श 2012–13 में प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के सापेक्ष षासन द्वारा राज्य की विषेश भौगोलिक परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार राहत सहायता बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः निम्नानुसार पुनरीक्षित दरों के अनुरूप राहत सहायता वितरित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्र. सं.	क्षति का प्रकार	राहत सहायता		
		ैक्त्थ वर्तमान मानकों के अनुसार राहत सहायता	मानसून अवधि 2010 एवं 2011 में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई राहत सहायता	वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित दरें
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह भुगतान	1.50 लाख	2.50 लाख	3.00 लाख
2.	अपंगता 80 प्रतिषत से अधिक	62 हजार	1.00 लाख	1.50 लाख
3.	अपंगता 40 से 80 प्रतिषत तक	43.50 हजार	75 हजार	1.00 लाख
4.	जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु एक सप्ताह से अधिक चिकित्सालय में रहना पड़े।	9.30 हजार	10 हजार	20 हजार
5.	जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु एक सप्ताह से कम चिकित्सालय में रहना पड़े।	3.10 हजार	4 हजार	10 हजार
6.	पूर्णतः क्षतिग्रस्त पक्का मकान	35 हजार	50 हजार	1.00 लाख

2. उपरोक्तानुसार बढ़ाई गई राहत सहायता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उक्त के अतिरिक्त षेश मदों की राहत सहायता राज्य आपदा मोचन निधि ;ैक्त्थ्द्ध के व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीन मानकों के अनुसार रहेगी।

3. राज्य आपदा मोचन निधि ;ैक्त्थ्द्ध के व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक यथावत रहेंगें।

4. राहत सहायता वितरण से पूर्व आपदा से हुई क्षति के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण की पुख्ता व्यवस्था कर ली जायेगी एवं सत्यापन/प्रमाणीकरण की पुश्टि हेतु समुचित एवं विष्वसनीय अभिलेख/साक्ष्य के आधार पर ही धनराषि लाभार्थियों को स्वीकृत की जायेगी। राहत के स्वीकृति सम्बन्धी आदेष में आपदा का प्रकार (भारत सरकार से अधिसूचित) तथा उसके घटने की स्थिति का भी विवरण दिया जायेगा।

5. राहत विरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिष्चित कराये जाने हेतु समस्त लाभार्थियों का विस्तृत विवरण एन.आई.सी. की वेबसाइट पर जिलावार अपलोड किया जाना सुनिष्चित किया जायेगा।

6. प्रभावितों के बैंक एकाउझट होने की स्थिति में राहत राषि के वितरण की कार्यवाही यथासम्भव म. इंदापदह के माध्यम से सुनिष्चित करायी जायेगी। जहॉ म.इंदापदह की सुविधा नहीं है, वहां क्मउंदक क्तंजि के माध्यम से धनराषि वितरित की जायेगी।

7. व्यय करते समय बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका आदि में इंगित नियमों तथा मितव्यता के विशय में षासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेषों का अनुपालन किया जायेगा।

8. राहत राषि का वितरण समयबद्वता को ध्यान में रखते हुए सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत की गई व्यवस्थानुसार निष्चित समय सीमा के अंतर्गत लाभार्थियों को सुनिष्चित कराया जायेगा।

9. वर्तमान वित्तीय वर्श में उक्त बढ़ी हुई सहायता का भुगतान फिलहाल ''राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)'' सम्बन्धी लेखाषीर्शक/मद से ही किया जायेगा तथा बढ़ी हुई दरों के कारण वांछित अतिरिक्त धनराषि की पूर्ति यथासंमय षासन स्तर पर कर दी जायेगी।

10. यह आदेष वित्त विभाग के अ.षा.संख्या–40 छच्/वित्त अनु0 5/2012 दिनांक 27.06.2012 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(संतोश बडोनी)
अनु सचिव

संख्या–344/ग्टप्प्प्–(2)/12–4(27)/10 तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4. समस्त कोशाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
6. निजी संचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड षासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन।
8. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट अधिकारी, बजट राजकोशीय नियोजन एवं संसाधन निदेषालय, उत्तराखण्ड।
11. अधिषासी निदेषक, डी.एम.एम.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. वित्त अनुभाग–5
13. धन आवंटन संबंधी पत्रावली।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोश बडोनी)
अनु सचिव

संख्या–32-7/2011-NDM-I

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

(आपदा प्रबन्धन प्रभाग)

लोक नायक भवन, नई दिल्ली

दिनांक 16 जनवरी, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव, समस्त प्रदेश
2. राहत आयुक्त / सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, समस्त प्रदेश

विषय– 2010–15 तक की अवधि के लिये राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund; SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (National Disaster Response Fund; NDRF) से सहायता हेतु मदों एवं मानकों का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपदा सम्बन्धित व्ययों के दृष्टिगत वर्ष 2010–15 के लिये तेरहवें वित्त आयोग एवं विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों पर भारत सरकार द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए देय सहायता हेतु मदों एवं मानकों को पुनरीक्षित किया गया है। तद्नुसार राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी. आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एन.डी.आर.एफ) से सहायता हेतु अनुमोदित मदों व मानकों की सूची संलग्न है। पुनरीक्षित मद एवं मानक तत्काल रूप से प्रभावी होंगे।

2. पुनरीक्षित मद व मानकों की सूची गृह मंत्रालय के आपदा प्रबन्धन प्रभाग की वैब साइट <www.ndmindia.nic.in> पर उपलब्ध है।

3. इस पत्र की प्रतिलिपि संलग्नकों सहित राज्यों के महालेखाकारों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

4. यह उक्त विषय पर इस मंत्रालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रों (जिनमें से अन्तिम की पत्र संख्या.32-34/2007-NDM-I 27 जून, 2007 है और जिसमें पत्र संख्या–32–31.2009-NDMI 31जुलाई, 2009 द्वारा परिवर्तन किये गये हैं) को संशोधित करता है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(देव कुमार)

निदेशक (डीएम.–ν)

दूरभाषः 24642853/फैक्स : 24603033

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. महालेखाकार, समस्त प्रदेश
2. लेखा एवं महानियंत्रक, नई दिल्ली
3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
4. स्थानिक आयुक्त, समस्त प्रदेश

प्रतिलिपि–
1. सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एन.डी.एम.ए. भवन, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली।
2. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (अंजुलि चिब दुग्गल, ए.एस. (पी.एफ.–प्प्, उत्तरी ब्लॉक, नई दिल्ली
3. कृषि मंत्रालय (श्री अटानू पुरक्यास्था), संयुक्त सचिव, (डीएम), कृषि भवन, नई दिल्ली
4. योजना आयोग (श्री टी. के. पाण्डे), संयुक्त सचिव, ;एस.पी.), योजना भवन, नई दिल्ली
5. समस्त सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/संस्थान
6. प्रधनमंत्री कार्यालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय
7. निजी सचिव, मा. गृह मंत्री/निजी सचिव मा. राज्य मंत्री (आर)

8. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा. गृह सचिव/सचिव (बीएम)/संयुक्त सचिव (डी.एम.–I)/प्रचार–प्रसार अधिकारी/राष्ट्रीय सूचना केन्द्र

<u>**संलग्नक**</u>

राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund; SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (National Disaster Response Fund; NDRF) से देय सहायता हेतु

पुनरीक्षित मदों एवं मानकों की सूची

(अवधि 2010–15, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या–32.7६2011.MDM-I दिनांक 16 जनवरी, 2012)

क्रम संख्या	मद	सहायता हेतु मानक
1.	**अनुग्रह राहत**	
अ)	मृतक व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि का भुगतान	₹ 1.50 लाख प्रति मृत व्यक्ति मृत्यु के कारण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने की स्थिति में राहत कार्यों में लगे या पूर्व–तैयारियों से जुड़े व्यक्ति के परिजन भी इस लाभ से आच्छादित हैं – किसी अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भारतीय नागरिक की किसी अन्य राष्ट्र में मृत्यु होने की स्थिति में उसके पारिवार को यह राहत अनुमन्य नहीं होगी – किसी अन्य राष्ट्र के नागरिक की भारतीय भू–भाग में अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को इस राहत राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा
ब)	हाथ–पैर, आँख या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह भुगतान	₹ 43,500 प्रति व्यक्ति अपंगता के 40 से 80 प्रतिशत के मध्य होने की स्थिति में ₹ 62,000 प्रति व्यक्ति अपंगता के 80 प्रतिशत अधिक होने की स्थिति में अपंगता के स्तर एवं कारण को किसी सरकारी चिकित्सालय या औषधालय के चिकित्सक द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है
स)	जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु चिकित्सालय में रहना आवश्यक हो	₹ 9,300 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में ₹ 3,100 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से कम की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में
द)	घर बह जाने या प्राकृतिक आपदा के कारण घर के पूर्णतः या अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाने या एक सप्ताह से	₹ 1,300 प्रति परिवार कपड़ों की क्षति के लिये ₹ 1,400 प्रति परिवार

	अधिक अवधि तक जल भराव से प्रभावित होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों के लिये कपड़े व बर्तन या घरेलू सामान के लिये	बर्तनों या घरेलू सामान की क्षति के लिये
इ)	अत्यन्त जरूरतमन्द परिवारों को आपदा पश्चात जीवन–यापन हेतु अनुग्रह अनुदान यह अनुदान केवल उन्हें ही दिया जाना चाहिये जिनके पास आरक्षित खाद्यान्न न हो या आपदा के कारण जिनके खाद्यान्न भण्डार नष्ट हो गये हो और जिनके पास जीवन–यापन के अन्य कोई साधन न हो	₹ 30 प्रति व्यस्क एवं ₹ 25 प्रति बालक प्रतिदिन प्रभावित व्यक्ति राहत शिविर में न रह रहा हो राज्य सरकार सत्यापित किया जायेगा कि - प्रभावित व्यक्तियों के पास आरक्षित खाद्यान्न नहीं है या आपदा के कारण उनके खाद्यान्न भण्डार नष्ट हो गये है - चिन्हित लाभार्थी राहत शिविर में नहीं रह रहे हैं - साथ ही राज्य सरकार लाभार्थियों के चिन्हांकन का आधार तथा प्रक्रिया का जनपदवार विवरण उपलब्ध करवायेगी अनुग्रह अनुदान दिये जाने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति ";जंजम म्गमबनजपअम ब्वउउपजजममय "म्ब्द्ध या केन्द्रीय दल ;राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोषय छंजपवदंस क्पेंजमत त्मेचवदेम थ्नदकय छक्त्थ् से सहायता दिये जाने की स्थिति मेंद्ध के आंकलन के अनुरूप होगी। सहायता दिये जाने की अवधि सामान्यतः 30 दिनों तक होगी जिसे यथा आवश्यकता पहली बार में 60 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है। सूखे एवं कीट आक्रमण की स्थिति में इस अवधि को तद्पश्चात 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है
2.	**खोज एवं बचाव प्रचालन**	
अ)	खोज एवं बचाव उपायों तथा प्रभावितों या प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के निष्क्रमण पर व्यय	वास्तविक व्यय के आधर पर जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा कि केन्द्रीय दल (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय की स्थिति में) द्वारा संस्तुत हो – केन्द्रीय दल द्वारा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने तक यह प्रचालन पूर्ण हो चुके होते हैं। अतः राज्य स्तरीय समिति तथा केन्द्रीय दल वास्तविक/वास्तविक के करीब के व्यय की संस्तुति कर सकती है
ब)	तत्कालिक राहत एवं जीवन बचाने हेतु नावों को किराये पर लिया जाना	वास्तविक व्यय के आधार पर जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा कि केन्द्रीय दल (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय की स्थिति में) द्वारा संस्तुत हो सहायता की राशि अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण अलग–थलग पड़ गये व फँसे हुये लोगो का जीवन बचाने के उद्देश्य से उपयोग में लायी गयी नावों तथा आवश्यक उपकरणों के किराये में व्यय की गयी वास्तविक राशि तक सीमित होगी
3.	**राहत उपाय**	
अ)	प्रभावित/निष्क्रमित एवं राहत शिविरों में शरण ले रहे व्यक्तियों के लिये अस्थाई आवास, खाद्यान्न, कपड़े, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य की व्यवस्था का प्रावधान	राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किये गये आवश्यकताओं के आंकलन के अनुरूप या (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय की स्थिति में) केन्द्रीय दल की संस्तुति के अनुरूप 30 दिनों की अवधि तक। राज्य कार्यकारी समिति द्वारा शिविरों की संख्या, अवधि एवं उनसे लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध करवाना होगा। सूखा, बाढ़ या अन्य आपदा के कारण हुवे वृहद विध्वंस की स्थिति में इस समयावधि को 60 दिनों तक बढ़ाया

		जा सकता है। तीक्ष्ण सूखे की स्थिति में इस अवधि को 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है चिकित्सा सुविधायें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से प्रदान की जा सकती हैं
ब)	आवश्यक आपूर्तियों को आकाश से गिरवाना	वास्तविक व्यय के आधर पर जैसा कि राज्यकार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा केन्द्रीय दल द्वारा संस्तुत हो (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में) – सहायता का परिमाण भारतीय वायु सेना द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं बचाव प्रचालनों के सम्पादन हेतु ली जाने वाली वास्तविक राशि की सीमा तक अनुमन्य
स)	ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था	30 दिनों की समयावधि तक वास्तविक व्यय के अनुरुप, जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आंकलित हो या जैसा केन्द्रीय दल (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय की स्थिति में) द्वारा संस्तुत हो। सूखे की अवधि में इस अवधि को 90 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है
4.	**प्रभावित स्थलों को अवरोध मुक्त बनाना**	
	अ) सार्वजनकि क्षेत्रों से मलबे की निकासी	राज्य आपदा मोचन निधि ै;क्त्थ्द्ध से सहायता दिये जाने की स्थिति में राज्य कार्यकारी समिति व राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता दिये जाने की स्थिति में केन्द्रीय दल के आंकलन के अनुरूप कार्य आरम्भ किये जाने से 30 दिन तक किये जाने वाले वास्तविक व्यय की सीमा तक अनुमन्य
	ब) प्रभावित क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी	राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता दिये जाने की स्थिति में राज्य कार्यकारी समिति व राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता दिये जाने की स्थिति में केन्द्रीय दल के आंकलन के अनुरूप कार्य आरम्भ किये जाने से 30 दिन तक किये जाने वाले वास्तविक व्यय की सीमा तक अनुमन्य
	स) मृतकों का अंतिम संस्कार व जानवरों के शवों का निस्तारण	वास्तविक व्यय के आधार पर; जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आकलित हो या जैसा केन्द्रीय दल द्वारा संस्तुत हो (राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून सहायता लिये जाने की स्थिति मे)
5.	**कृषि**	
;पद्ध	**छोटे एवं सीमान्त कृषकों को सहायता**	
अ	**भूमि एवं अन्य की क्षति के लिये सहायता**	
	अ) रेत या अवसाद की परत के 3 इंच से अधिक होने और इसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने की स्थिति में कृषि भूमि से अवसाद हटाने के लिये	₹ 8,100 प्रति प्रति हेक्टेयर की दर से प्रत्येक मद के लिये (लाभान्वित द्वारा किसी अन्य सहायता/सहायिकी न लिये जाने और उसके सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ उठा पाने का पात्र न होने की स्थिति में)
	ब) पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाने के लिये	
	स) मत्स्य पालन जलाशयों की सफाई/मरम्मत/पुनर्स्थापना	
	द) भू–स्खलन, हिम–स्खलन या नदी के मार्ग बदलने के	₹ 25,000 प्रति हेक्टेयर यह सहायता केवल राजस्व अभिलेखों के अनुसार विधिक रूप

	कारण अधिकांश भूमि को हुयी क्षति	से निजी स्वामित्व वाली भूमि की क्षति की स्थिति में केवल छोटे और सीमान्त कृषकों को दी जा सकती है
ब	**कृषि निवेश अनुदान (फसलों की क्षति के 50 प्रतिशत या अधिक होने की स्थिति में)**	
	अ) कृषि, बागवानी व सालाना फसलों के लिये	₹ 3,000 प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में ₹ 6,000 प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिचाई वाले क्षेत्रों में फसलों की क्षति के न्यूनतम 50 प्रतिशत होने की स्थिति में किसी भी कृषक को देय सहायता की राशि ₹ 500/– से कम नहीं होगी और यह सहायता केवल बोये गये क्षेत्र के लिये देय होगी
	ब) सदाबहार फसल	₹ 8,000 प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार की सदाबहार फसलों के लिये अनुमन्य। देय सहायता राशि ₹ 1,000/– से कम नहीं होगी
	स) रेशम कृषक	₹ 3,200 प्रति हेक्टेयर ईरी, शहतूत व टस्सर के लिये ₹ 4,000 प्रति हेक्टेयर मूँगा के लिये
;पपद्ध	छोटे व सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य के लिये कृषि निवेश अनुदान	₹ 3,000/– प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में ₹ 6,000/– प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में ₹ 8,000/– प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार की सदाबहार फसलों के लिये भू स्वामित्व पर विचार किये बिना यह सहायता फसल की क्षति के 50 प्रतिशत से अध्कि होने की स्थिति में अधिकतम 01 हेक्टेयर प्रति कृषक की सीमा तक तथा आपदाओं के निरन्तरता में होने की स्थिति में 02 हेक्टेयर प्रति कृषक तक सीमित होगी
6.	**पशुपालनः छोटे व सीमान्त कृषकों को सहायता**	
;पद्ध	दूध, कृषि एवं ढुलाई वाले जानवरों का प्रतिस्थापन	दुधारू पशु ₹ 16,400/– प्रति पशु भैंस/गाय/ऊँट/याक आदि के लिये ₹ 1,650/– प्रति पशु भेड़/बकरी के लिये कृषि व ढुलाई वाले पशु– ₹ 15,000/– प्रति पशु ऊँट/घोड़ा/बैल आदि के लिये ₹ 10,000/– प्रति पशु बछिया/गधा/खच्चर के लिये इस सहायता को आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं की वास्तविक

		क्षति तक सीमित रखा जा सकता है। पशुओं की वास्तविक क्षति पर विचार किये बिना किसी एक परिवार को देय सहायता 01 बड़े दुधारू पशु या 04 छोटे दुधारू पशुओं या 01 बड़े कृषि व ढुलाई वाले पशु या 02 छोटे कृषि व ढुलाई वाले पशुओं की सीमा तक देय होगी (क्षति का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना होगा) कुक्कुट पालन ₹ 37/– प्रति पक्षी – ₹ 400/– प्रति लाभान्वित परिवार की सीमा तक देय। सहायता के लिये पक्षियों की मृत्यु अधिसूचित प्राकृतिक आपदा द्वारा होनी आवश्यक है नोट – अन्य सरकारी योजनाओं से सहायता का पात्र होने की स्थिति में इस मद से राहत अनुमन्य नहीं होगी; जैसे कि बर्ड फ्लू या अन्य बीमारियों के कारण होने वाली पक्षियों की क्षति की पूर्ति हेतु कुक्कुट पालकों के लिये पशुपालन विभाग की पृथक योजना क्रियान्वित है
पपद्ध	मवेशी शिविर में चारे/पशु आहार हेतु	₹ 32/– प्रतिदिन बड़े पशुओं के लिये ₹ 16/– प्रतिदिन छोटे पशुओं के लिये राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की संस्तुति के आधार पर 15 दिनों तक किये गये वास्तविक व्यय की सीमा तक अनुमन्य।
पपपद्ध	मवेशी शिविर में जल आपूर्ति	राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की संस्तुति के आधर पर 15 दिनों तक किये गये वास्तविक व्यय की सीमा तक अनुमन्य
पअद्ध	दवा व टीकों हेतु अतिरिक्त व्यय	राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किये गये आवश्यकता आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की संस्तुति के आधार पर किया गया वास्तविक व्यय। इस व्यय को पशु गणना के सुसंगत होना चाहिये। साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा कि दवा एवं टीको की आवश्यकता सम्बन्धित आपदा में प्रासंगिक है
अद्ध	मवेशी शिविरों के बाहर रह रहे पशुओं के लिये चारे की ढुलाई	राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किये गये आवश्यकता आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की संस्तुति के आधार पर चारे की ढुलाई पर किया गया वास्तविक व्यय। इस व्यय को पशु गणना के सुसंगत होना चाहिये
7.	**मछली पालन**	
पद्ध	क्षतिग्रस्त या खो गयी नाव, जाल एवं अन्य की मरम्मत व पुनर्क्रय हेतु मछुवारों को सहायता – कश्ती/नाव – डोंगी – बेड़ा	₹ 3,000/– आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत के लिये ₹ 1,500/– आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत के लिये ₹ 7,000/– पूर्णतः क्षतिग्रस्त नौंकाओं के पुनर्क्रय के लिये ₹ 1,850/– पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के पुनर्क्रय के लिये

	– जाल (लाभार्थी के तत्कालिक आपदा हेतु सरकार की अन्य किसी योजना से सहायता/सहायिकी का पात्र होने या ऐसी किसी योजना का लाभार्थी होने की स्थिति में यह सहायता देय नहीं होगी)	
पपद्ध	मत्स्य पालन हेतु सहायिकी निवेश	₹ 6,000/– प्रति हेक्टेयर (कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा दी जाने वाली एक बार की सहायिकी के अतिरिक्त लाभार्थी के तत्कालिक आपदा हेतु सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सहायता/सहायिकी का पात्र या उक्त योजना का लाभार्थी होने की स्थिति में यह सहायता देय नहीं होगी)
8.	**हाथकरघा – कारीगरों को सहायता**	
	पद्ध क्षतिग्रस्त औजारों व उपकरणों की पुनर्क्रय के लिये	₹ 3,000/– प्रति शिल्पकार उपकरणों के पुनर्क्रय के लिये – राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षति एवं उक्त के प्रतिस्थापन का विधिवत् सत्यापन किया जाना आवश्यक
	पपद्ध कच्चे माल या बन रहे या बन गये उत्पाद की क्षति के लिये	₹ 3,000/– प्रति शिल्पकार कच्चे माल के लिये – राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षति एवं उक्त के प्रतिस्थापन का विधिवत सत्यापन किया जाना आवश्यक
9.	**भवन**	
	अ) पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट भवन	
	पद्ध पक्का भवन	₹ 35,000/– प्रति भवन
	पपद्ध कच्चा भवन	₹ 15,000/– प्रति भवन
	ब) तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवन	
	पद्ध पक्का भवन	₹ 6,300/– प्रति भवन
	पपद्ध कच्चा भवन	₹ 3,200/– प्रति भवन
	स) आंशिक क्षतिग्रस्त भवन झोपड़ी के अतिरिक्त कच्चा व पक्का दोनों (जहाँ कम से कम 15 प्रतिशत क्षति हो)	₹ 1,900/– प्रति भवन
	द) क्षतिग्रस्त / नष्ट झोपड़ी	₹ 2,500/– प्रति झोपड़ी (झोपड़ी का तात्पर्य अस्थाई, स्थानान्तरणीय एवं कच्चे घर से निम्न स्तरीय इकाई से है जिसका निर्माण घास–फूस, मिट्टी, प्लास्टिक आदि से किया गया हो और जिसे परम्परागत रूप से राज्य/जिला प्रशासन द्वारा झोपड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त हो) नोट–क्षतिग्रस्त भवन का अधिकृत निर्माण होने का सत्यापन

		राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है
	इ) भवन के साथ जुड़ी पशुशाला	₹ 1,250/– प्रति पशुशाला
10.	**अवसंरचना**	
	क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं की तत्कालिक मरम्मत या पुनर्स्थापना ;1द्ध सड़क एवं पुल ;2द्ध पेयजल आपूर्ति ;3द्ध सिंचाई ;4द्ध उर्जा (प्रभावित क्षेत्रों में तत्कालिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तक सीमित) ;5द्ध विद्यालय ;6द्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ;7द्ध पंचायत के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ दूर संचार एवं उर्जा जैसे अपना स्वयं का राजस्व अर्जित करने वाले तथा अपने स्वयं के संसाधनों से तत्कालिक मरम्मत व पुनर्स्थापना के लिये उत्तरदायी क्षेत्रों के लिये (विद्युत आपूर्ति की तत्कालिक व्यवस्था के अतिरिक्त) सहायता देय नहीं है	तत्कालिक प्रकृति के समस्त कार्यो की विस्तृत सूची संलग्नक के रूप में दी गयी है **आवश्यकताओं का निर्धारण** मरम्मत के लिये राज्य में प्रचलित दरों/मूल्यों/अनुदेशों के अनुरूप राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किये गये आवश्यकताओं के आंकलन या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता की स्थिति में केन्द्रीय दल की संस्तुति के अनुरूप – अतिवृष्टि, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन एवं अन्य द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों पर यातायात सुचारू करने के लिये भारत में सड़कों की मरम्मत के मानक, 2001 ;छवतउे वित डंपदजमदंदबम वि त्वंके पद प्दकपंए 2001द्ध के यथासंशोधित संस्करण को संज्ञान में लिया जायेगा। सन्दर्भ के लिये यह मानक निम्नवत् हैं: • सामान्य एवं शहरी क्षेत्रों में: साधारण मरम्मत ;व्तकपदंतल त्मचंपतए व्द्ध एवं क्रमिक मरम्मत ;च्मतपवकपबंस त्मचंपतए च्द्ध के जोड़ के 15 प्रतिशत तक • पहाड़ी क्षेत्रों में: साधरण मरम्मत ;व्द्ध एवं क्रमिक मरम्मत ;च्द्ध के जोड़ के 20 प्रतिशत तक नोट – राज्य के द्वारा सर्वप्रथम रखरखाव एवं मरम्मत के लिये की गयी बजट व्यवस्था को उपयोग में लाना होगा
11.	**क्रय**	
	आपदा प्रतिवादन हेतु आवश्यक संचार उपकरणों एवं अन्य सहित आवश्यक खोज, बचाव एवं निष्क्रमण उपकरणों का क्रय	– यह व्यय राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन के अनुरूप केवल राज्य आपदा मोचन निधि से किया जाना अनुमन्य है। इस मद के अन्तर्गत किया जाने वाला कुल व्यय राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक आवंटन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये

संलग्नक

(मद संख्या–10)

चिन्हित तत्कालिक प्रकृति के कार्यो की विस्तृत सूची

1. पेयजल आपूर्ति

हैण्ड पम्प/कुवें/जल संचयन टैंकों/सार्वजनिक नलों की क्षतिग्रस्त मुंडेरों ;चसंजवितउद्ध की मरम्मत

पद्ध क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पाइपों का नये पाइपों से प्रतिस्थापन एवं जल संग्रहण टैंकों की सफाई (रिसाव रोकने के दृष्टिगत) सहित सार्वजनिक नलों की पुनर्स्थापना

पपद्ध जलापूर्ति हेतु स्थापित पम्प उपकरणों की क्षति, जल संग्रहण टैंकों से रिसाव, क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पम्प से सम्बन्धित अवसंरचना की मरम्मत

2. सड़क

पद्ध गड्ढ़ों को भरना व टूट गयी सड़क की मरम्मत, जल निकासी हेतु पाइपों की व्यवस्था, पुश्तों का मजबूतीकरण व मरम्मत

पपद्ध टूट गये कलमठों ;बनसअमतजेद्ध की मरम्मत

पपपद्ध तत्कालिक यातायात व्यवस्था हेतु क्षतिग्रस्त / बह गये पुलों के स्थान पर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था

पअद्ध पुलों / पुश्तों तक पहुँच के लिये अस्थाई मरम्मत कार्य, पुलों की क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत, तात्कालिक यातायात व्यवस्था हेतु रपटों की मरम्मत, यातायात सुव्यवस्थित किये जाने हेतु सड़क के क्षतिग्रस्त भाग में अस्थाई मरम्मत व अन्य व्यवस्थायें

3. सिंचाई

पद्ध क्षतिग्रस्त नहर की तात्कालिक मरम्मत और रेत के बोरों, पत्थरों, चिनाई व अन्य के उपयोग से जल संग्रहण अवसंरचनाओं की तत्कालिक मरम्मत

पपद्ध कमजोर भागों की मरम्मतय जैसे कि बंधें के पुश्तों व दीवारों के छिद्रों और निकासी पाइपों की मरम्मत

पपपद्ध नहर तथा नदी–नालों से वानस्पतिक सामग्रियों / निर्माण सामग्रियों / मलबे को हटवाना

4. स्वास्थ्य

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त पहुँच मार्गो, भवन व विद्युत आपूर्ति लाइनों की मरम्मत

5. पंचायतों की सामुदायिक अवसंरचनायें

(अ) गाँव की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत

(ब) नालों / नालियों से मलबे की सफाई

(स) गाँव की आन्तरिक जलापूर्ति लाइनों की मरम्मत

(द) सार्वजनिक प्रकाश उपकरणों की मरम्मत

(ई) प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, आँगनवाड़ी केन्द्र आदि की अस्थाई मरम्मत

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1 उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2 पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3 वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4 उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5 सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6 महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7 वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8 भ्रष्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9 मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10 मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11 मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12 भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13 उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14 झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15 किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16 मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17 बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18 नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19 उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20 मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21 प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22 दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24 हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25 बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26 उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन

47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013

48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड्स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :—

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य—सचिव **कार्यपालक अध्यक्ष**

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सरल कानूनी ज्ञान माला – 47

उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013

(The Uttarakhand Victim from Crime Assistance Scheme, 2013)

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, टोल फ्री नं० 1800 180 4072

ई–मेल : uaslsa_02@yahoo.co.in, ukslsanainital@gmail.com

लोक अदालतें क्या हैं ?

- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
- ऐसे अपराधिक मामलों को छोड़कर जिनमें समझौता गैर–कानूनी है, सभी मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते हैं।
- लोक अदालतों को कानूनी आधार प्राप्त हो गया है। अतः उसके फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है और वह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है।
- लोक अदालत के फैसलों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटाये जाने की भी व्यवस्था है।
- सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की जा रही है और व्यक्तियों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

लोक अदालतों में अपने मामलों को नियत कैसे करायें ?

- जिस न्यायालय में आपका मामला विचारधीन है उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करें।
- दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अनुरोध करें।
- लोक अदालत में वे मुकद्में ही निस्तारित कराये जा सकते हैं, जिनमें मुकद्में के समस्त पक्षकार सहमत हों।
- जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामले सीधे स्थाई लोक अदालत में दायर कर निस्तारित कराये जा सकते हैं।

उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–

(1) इस योजना का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 है।

(2) यह दिनांकः 31 दिसम्बर, 2009 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. परिभाषाएं:–

इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "अधिनियम" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम सं॰ 2 वर्ष 1974) अभिप्रेत हैं,

(ख) "अनुसूची" से इस योजना के अन्तर्गत संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है,

(ग) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है,

(घ) "पीड़ित" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अपराध, ऐसिड अटैक, मानव तस्करी गम्भीर दुर्घटना आदि के कारण हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो, इसमें पीड़ित व्यक्ति का आश्रित परिवार भी सम्मिलित है।

3. अपराध से पीड़ित सहायता कोषः–

(1) राज्य सरकार, अपराध से पीड़ित एक सहायता कोष की स्थापना करेगी। योजनान्तर्गत कोष से सहायता की राशि पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति के आश्रितों को, जिनकी ऐसिड़ अटैक, मानव तस्करी, गम्भीर दुर्घटना आदि अपराधों के कारण हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो, को अनुसूची 1 मे दी गई धनराशि का भुगतान यथा रीति किया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार, इस योजना के लिए प्रत्येक वर्ष पृथक से आय–व्ययक में सहायता धनराशि आवंटित करेगी, जिसे इस हेतु स्थापित किये जाने वाले का प्रेस कार्पस फण्ड में रखा जायेगा। किसी राष्ट्रीयकृत बैक में सावधि जमा खाता खोलकर इस कोष की धनराशि जमा की जायेगी।

(3) सहायता कोष में विभिन्न स्रोतों से जो राजकीय अथवा अराजकीय हों दान, उपहार एवं अनुदान की धनराशि भी आय–व्ययक के अतिरिक्त मान्य होगी।

(4) सहायता कोष के लिए आय–व्ययक में स्वीकृति धनराशि पुलिस महानिदेशक के निर्वतन पर रखी जायेगी, जिसका भुगतान प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग उत्तराखण्ड शासन एवं पुलिस महानिदेशक के संयुक्त हस्ताक्षरों से एकाउंट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा। जनपदों में भुगतान संबंधित जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा एकाउंट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा।

4. सहायता के लिए आर्हताः–

सहायता की राशि प्राप्त करने के लिए कोई पीड़ित व्यक्ति के आश्रित अर्ह होंगे, यदि–

(क) अपराधी नहीं पकड़ा गया हो अथवा उसकी शिनाख्त नहीं होई हो किन्तु पीड़ित की शिनाख्त हो गई हो और विचारण प्रचलित नहीं हुआ हो, ऐसा पीड़ित भी अधिनियम की धारा 357– "क" की उपधारा (4) के अधीन सहायता के लिए आवेदन कर सकेगा,

(ख) पीड़ित/दावाकर्ता प्रभारी मजिस्ट्रेट या क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध की रिपोर्ट कर देता है,

परन्तु यह कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि संतुष्ट है तो रिपोर्ट में हुए विलम्ब को कारण अभिलिखित करते हुए मर्षित कर सकेगी।

(ग) पीड़ित / दावाकर्ता विवेचना एवं अभियोग के दौरान पुलिस एवं अभियोजन को सहयोग करे।

5. सहायता प्रदान करने की प्रक्रियाः—

(1) जब भी न्यायालय द्वारा कोई संस्तुति की जाती है अथवा अधिनियम की धारा 357—"क" की उपधारा (2) के अन्तर्गत पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कोई आवेदन किया जाता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मामले का परीक्षण करेगा और मामले के संसूचित आपराधिक गतिविधि के मध्य पीड़ित को उत्पन्न हुई हानि या क्षति कि दृष्टि से दावे के विवरणों को सत्यापित करेगा तथा सूचना की वास्तविकता के निर्धारण के क्रम में कोई अन्य सम्बद्ध आवश्यक सूचना को मगायेगा। दावे के सत्यापन के पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना के उपबन्धों के अनुसरण में दो माह के भीतर सहायता की मात्रा का निर्धारण करेगा।

(2) इस योजना के अन्तर्गत सहायता का भुगतान इस शर्त के अधीन किया जायेगा कि यदि विचारण न्यायालय द्वारा वाद की तारीख में अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन अभियुक्त व्यक्ति को सहायता के रूप में कोई धनराशि का भुगतान करने के आदेश पारित किये जाय तो पीड़ित व्यक्ति / दावाकर्ता आदेशित सहायता की धनराशि के बराबर की धनराशि वापस करेगा अथवा उक्त अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन आदेशित धनराशि का, भी कम हो, भुगतान करेगा। ऐसे प्रभाव के लिए पीड़िता व्यक्ति / दावाकर्ता द्वारा सहायता की धनराशि के भुगतान करने से पूर्व एक शपथ—पत्र दिया जायेगा।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित को हुई क्षति के आधार पर चिकित्सा पर आए चिकित्सा व्यय, दाह संस्कार के रूप में ऐसे आकस्मिक अधिभारों सहित पुनर्वास के लिए अपेक्षित

न्यूनतम आवश्यक धनराशि पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों को दिए जाने वाले सहायता की मात्रा को निर्णीत करेगा। सहायता पृथक–पृथक मामलों में प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर भिन्न–भिन्न हो सकेगी।

(4) योजना के आधीन दिए जाने वाली सहायता की मात्रा, पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों जैसी स्थिति हो, निधि से वितरित की जाएगी।

(5) प्रश्नगत अपराध के सम्बन्ध में पीड़ित द्वारा राज्य से प्राप्त सहायता अर्थात् बीमा, अनुग्रही अदायगी और/अथवा किसी अन्य अधिनियम अथवा राज्य द्वारा संचालित कोई योजना के अधीन प्राप्त भुगतान इन नियमों के अधीन सहायता की धनराशि के भाग के रूप में मानी जायेगी। यदि अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता धनराशि इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित सहायता धनराशि से अधिक या समतुल्य हो तो इस योजना से कोई भी सहायता धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

(6) मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम सं॰ 59 वर्ष 1988) के अन्तर्गत आच्छादित मामले जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर दिया है, इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होंगे।

(7) पीड़ित को परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण थानाध्यक्ष के प्रमाण–पत्र या क्षेत्र से सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के प्रमाण–पत्र पर तत्काल प्राथमिक सुविधा या उपलब्ध चिकित्सा लाभ निःशुल्क या कोई अन्य अनुतोष जो उचित हो, आदेश पारित कर सकेंगे।

6. आदेश अभिलेखों में रखनाः–

इस योजना के अन्तर्गत पारित सहायता धनराशि के भुगतान सम्बन्धी आदेश की प्रति विचारण न्यायालय के समक्ष रखना बाध्यकारी होगी, जिससे विचारण न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन आदेश पारित करने में सुलभता हो सके।

7. समयावधिः—

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357— "क" की उपधारा (4) के अधीन पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों द्वारा किए जाने वाला कोई दावा राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपराध के छः माह की अवधि के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा,

परन्तु यह कि राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि संतुष्ट है तो दावे को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण अभिलिखित करते हुए विलम्ब को मर्षित कर सकेगा।

8. अपीलः—

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सहायता की अस्वीकृति से व्यथित कोई पीड़ित 90 दिनों की अवधि के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है,

परन्तु यह कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि संतुष्ट है तो अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कारण अभिलिखित करते हुए मर्षित कर सकेगा।

अनुसूची–1

क्र॰ सं॰	हानि या क्षति का विवरण	सहायता की अधिकतम सीमा
1	2	3
1	बलात्कार	रू॰ 2,00,000 / –
2	मानव तस्करी से स्त्रियों और बच्चों को हुई मानसिक पीड़ा से क्षति	रू॰ 1,00,000 / –
3	मृत्यु	रू॰ 2,00,000 / –
4	गंभीर चोट के लिए भारतीय दण्ड विधान–1860 की धारा 320 में यथापरिभाषित	रू॰ 20,000 / –
5	तेजाब से हमला	
	(क) यदि चेहरा / सिर क्षतिग्रस्त हुआ हो	रू॰ 1,50,000 / –
	(ख) यदि अन्य अंग क्षतिग्रस्त हुये हों	रू॰ 30,000 / –
6	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जिससे शरीर में 40 प्रतिशत से अधिक व 80 प्रतिशत से कम विकलांगता घटित हुई हो	रू॰ 50,000 / –
7	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जिससे शरीर में 40 प्रतिशत से कम विकलांगता घटित हुई हो	रू॰ 10,000 / –
8	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जो 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो	रू॰ 1,00,000 / –
9	अप्राप्तवय का बलात्कार	रू॰ 2,50,000 / –
10	पुनर्वास	
	(क) बलात्कार पीड़िता के संदर्भ में	रू॰ 1,00,000 / –
	(ख) अन्य प्रकरणों के संदर्भ में	रू॰ 20,000 / –
11	बच्चों को साधारण क्षति या हानि	रू॰ 10,000 / –

The Uttarakhand Victim from Crime Assistance Scheme, 2013

1. Short Title and Commencement

(1) This scheme may be called the Uttarakhand Victim from Crime Assistance Scheme, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force from 31 December, 2009.

2. Definition

In this scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.2 of 1974);

(b) "Schedule" means Schedule appended to this Scheme;

(c) "State" means State of Uttarakhand;

(d) "Victim" means a person, who himself has suffered loss or injury as a result of crime, Acid attack, Human trafficking, Serious accident etc. and require rehabilitation and includes dependent family members.

3. Victim from crime assistance Fund

(1) The State Government shall establish a Victim from crime assistance Fund. Under this scheme shall be paid given amount in Schedule-1 as per manner to the victim person or his dependents, who have suffered loss or injury as a result of the crime, Acid attack, Human trafficking, Serious accident etc. and who require rehabilitation.

(2) The State Government shall allot a separate Assistance amount for this scheme which shall be deposited in a corpus fund established for this purpose. The amount of this fund shall be deposited in fixed deposit account of any Nationalised Bank.

(3) Donation, Gift and Grant in aid received from government or non-government sources shall be acceptable for Assistance Fund excluding allotted budget.

(4) The fund shall be operated by the Director General of Police and the assistance shall be paid by account payee cheque with joint signatures of the Principal Secretary/Secretary Home Department Government of Uttarakhand and Director General of Police. The payment in the District shall be made by the account payee cheque with the joint signature of the District Magistrate and Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police.

4. Eligibility for assistance

A Victim or the dependant of victim shall be eligible for the grant of assistance if,-

(a) the offender is not traced or identified, but the victim is identified, and where no trial takes place, such victim may also apply grant of compensation under sub Section (4) of Section 357-A of the Act;

(b) the victim/claimant report the crime to the Magistrate in charge or Judicial Magistrate of the area;

Provided that the District Legal Services Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing may condone the delay in reporting;

(c) the victim/claimant cooperate with the police and prosecution during the investigation and trial of the case.

5. Procedure for grant of assistance

(1) Whenever a recommendation is made by the Court or an application is made by any victim or his dependent under sub-Section (2) of Section 357-A of the Act to the District Legal Services Authority, the District legal Services Authority shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury

caused to victim and arising out of the reported criminal activity and may call for any other relevant information necessary in order to determine genuineness. After verifying the claim, the District Legal Services Authority after due enquiry shall decide the amount of assistance within two months, in accordance with provisions of this Scheme.

(2) Assistance under this Scheme shall be paid subject to the condition that if the trial court while passing judgment at later date, orders the accused persons to pay any amount by way of assistance under sub-Section (3) of Section 357 of the Act, the victim/claimant shall remit an amount ordered equal to the amount of assistance, or the amount ordered to be paid under the said sub-Section (3) of Section 357 of the Act, whichever is less, an undertaking to this effect shall be given by the victim/claimant before the disbursal of the assistance amount.

(3) The District Legal Services Authority shall decide the quantum of assistance to be awarded to the victim or his dependents on the basis of loss caused to the victim, medical expenses to be incurred on medical treatment, minimum sustenance amount required for rehabilitation including such incidental charges as funeral expenses etc. The assistance may vary from case to case depending on fact of each case.

(4) The quantum of assistance to be awarded to the Scheme shall be disbursed to the victim or his dependents, as the case may be, from the Fund.

(5) Assistance received by the victim from the State in relation to the crime in question, namely, insurance, ex-gratia and/or payment received under any other Act or State-run scheme shall be considered as part of the assistance amount under these rule and if the eligible assistance amount exceeds or is equivalent to the payments received by the victim from collateral sources

mentioned above, then no assistance amount shall be acceptable by this scheme.

(6) The cases covered under Motor Vehicle Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) wherein assistance is to be awarded by the Motor Accident Claims Tribunal, shall not be covered under the Scheme.

(7) The District Legal Services Authority, to alleviate the suffering of the victim, may order for immediate first aid facility or medical benefits to be made available free of cost on the certificate of the police officer not below the rank of the officer-in-charge of the police station or Magistrate of the area concerned, or any other interim relief as it may deem fit.

6. Order to be placed on record

Copy of the order of assistance passed under this Scheme shall be mandatorily placed before the trial Court to enable the court to pass order of assistance under sub-Section (3) of Section 357 of the Act.

7. Limitation

No claim made by the victim or his dependents under sub-Section (4) of Section 357-A of the Act shall be entertained after a period of six months of the crime by the State or District Legal Services Authority.

Provided that the State or District Legal Services Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the claim

8. Appeal

Any victim aggrieved of the denial of assistance by the District Legal Services Authority may file an appeal before the State Legal Services Authority within a period of ninety days;

Provided that the State Legal Services Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the appeal.

Schedule-1

S. No.	Particulars of Loss or Injury	Maximum Limit of Assistance
1	2	3
1	Rape	Rs. 2,00,000/-
2	Loss of injury causing, severe mental agony to women and child victim in case like Human Trafficking	Rs. 1,00,000/-
3	Loss of life	Rs. 2,00,000/-
4	Grievous hurt as defined in Section 320 of the IPC 1860	Rs. 20,000/-
5	Injury caused by acid attract	
	(a) If face/head injured	Rs. 1,50,000/-
	(b) If other organs injured	Rs. 30,000/-
6	Loss of any limb or part of body resulting 40% and below 80% handicap.	Rs. 50,000/-
7	Loss of any limb or part of body resulting below 40% handicap.	Rs. 10,000/-
8	Loss of any limb or part of body resulting 80% or above handicap.	Rs. 1,00,000/-
9	Rape of Minor	Rs. 2,50,000/-
10	Rehabilitation	
	(a) In the case of rape victims	Rs. 1,00,000/-
	(b) In other cases	Rs. 20,000/-
11	Simple Loss or injury to Child victim.	Rs. 10,000/-

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ –

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–
   - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   - (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   - (ग) स्त्री या बालक
   - (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   - (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   - (च) औद्योगिक कर्मकार
   - (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   - (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–
   - (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   - (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   - (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   - (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   - (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैश्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ों को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट / गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह एवं सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32.	सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33.	सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34.	सरल कानूनी ज्ञान माला–34	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून
35.	सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36.	सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37.	सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38.	सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39.	सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40.	सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41.	सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42.	सरल कानूनी ज्ञान माला–42	शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43.	सरल कानूनी ज्ञान माला–43	समाज कल्याण सम्बन्धी सरकारी योजनाएं
44.	सरल कानूनी ज्ञान माला–44	कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45.	सरल कानूनी ज्ञान माला–45	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46.	सरल कानूनी ज्ञान माला–46	आपदा प्रबंधन
47.	सरल कानूनी ज्ञान माला–47	उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।

नोटः– क्रम संख्या 1 से 7, 9, 10 एवं 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कँवर अमनिन्दर सिंह
एच.जे.एस.
सदस्य सचिव

न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पन्त
कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

Designed & Printed by : **Mittal Enterprises**, Delhi. # Mob: 09811340726

सरल कानूनी ज्ञान माला – 48

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016

भारत में दिव्यांगजनों की संख्या करीब चार करोड़ है। जो कि विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है। इनके अन्तर्गत नेत्रहीन, मूक–बधिर तथा ऐसे व्यक्ति भी शामिल है जिनका कोई अंग नहीं है। इसके अलावा मानसिक रूस से पीड़ित दिव्यांग भी काफी अधिक है। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति के सशाक्तिकरण हेतू सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 बनाया गया है।

दिव्यांगजन कौन है?

दिव्यांगजन से ऐसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संबंधी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसमें बाधाओं का सामना करने में अन्य व्यक्तियों के साथ समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदी में रूकावट उत्पन्न होती है।

अर्थात् दिव्यांगजन ऐसा व्यक्ति होता है, जो कि लंबी शरीरिक, मानसिक इत्यादि किसी कभी के कारण अपने व्यक्तिगत एवं समाजिक कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी कठिनाई या रोध से ऐसा कोई कारक अभिप्रेत है, जिसमें संसूचनात्क, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणात्मक, संस्थागत, राजनैतिक, सामाजिक, भाव संबंधी या अबसंरचनात्मक कारक शामिल है, जो समाज में दिव्यांगजनों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को रोकते हैं।

दिव्यांगता के संबंध में विभेद क्या है?

दिव्यांगता के संबंध में विभेद से दिव्यांगता के आधार पर कोई विभेद, अपवर्जन, निबंधन अभिप्रेत है, जो राजनैतिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल या किसी अन्य क्षेत्र में सभी मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के संबंध में अन्य व्यक्तियों के साथ किसी सामान्य आधार पर मान्यता, अपभांग या प्रयोग कम करने का प्रयोजन या प्रभाव है। जिसके अन्तगर्त सभी प्रकार के विभेद और युक्तियुक्त सुविधाओं का प्रत्याख्यान भी है।

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस नवीनतम अधिनियम का प्रमुख दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करना है। जिसमें निम्नलिखित दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभियमय के निम्नलिखित मूल सिद्धान्त सम्मिलित है–

- अंतर्निहित गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए आदर, जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति की स्वयं की पसंद की स्वतंत्रता भी है,
- अविभेद
- समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी
- मानवीय भेदभाव और मानवता के भाग के रूप में दिव्यांगजनों की भिन्नता के लिए आदर और उनका ग्रहण
- अवसर की समानता
- पहुँच
- लौंगिक समानता
- दिव्यांग बालकों की बढ़ती हुई क्षमता के लिए आदर और दिव्यांग बालकों की पहचान परीचित करने के उनके अधिकार के लिए आदर

देखरेख कर्ता किसे कहते हैं?

माता–पिता और कुटुंब के अन्य सदस्यों सहित ऐसा व्यक्ति जो संक्षय करने पर या इसके बिना, किसी दिव्यांगजन को देख–रेख, सहारा या सहायता देता है, उसे देखरेख कर्ता कहा जाता है।

पुनर्वास और विशेष रोजगार कार्यालय क्या है?

दिव्यांगजनों को, अनुकूलतम, शारीरिक, संवेरी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या सामाजिक कार्य के स्तरों को प्राप्त करने और उनको बनाए रखने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से तैयार की गयी विशिष्ट प्रक्रिया को पुनर्वास कहा जाता है। किसी दिव्यांगजन को सशक्तिकरण करने के लिए पुनर्वास का अत्यधिक महत्व है।

सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित कोई कार्यालय या स्थान, जहॉ ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जो दिव्यांगजनों में से कर्मचारियों को लगाना चाहते तथा तत्संबंधी रिक्तियों के संबंध में रजिस्टर या सूचना रखी जाती है, विशेष रोजगार कार्यालय कहा जाता है।

दिव्यांगजनों को क्या अधिकार प्राप्त है?

अधिनियम के अन्तगर्त दिव्यांगजनों को कई अधिकार दिये गये है। जो इस प्रकार हैं –

❖ **क्षमता और अविभेद –**

- दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के हकदार है।
- किसी दिव्यांगजन के साथ दिव्यांगता के आधार पर तब तक विभेद नहीं किया जायेगा। जब तक कि यह दर्शित नही कर दिया जाता है कि आक्षेपित कृत्य या लोपए विधिसंगत उद्देश्य को प्राप्त करने का आनुपातिक साधन है।
- दिव्यांग स्त्री और बालक अन्य लोगों की भॉति समान रूप से अपने अधिकारों का उपभोग करेंगें।
- दिव्यांग व्यक्ति को समुदास में जीने का अधिकार है तथा उसे किसी विशिष्ट जीवन व्यस्था में जीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता ।

❖ **कुरता, अमानवीय व्यवहार, दुरूपयोग और हिंसा से संरक्षण का अधिकार**

- सरकार दिव्यांगजन को प्रताड़ना, कुर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के होने से संरक्षित के लिए उपाय करेगी।
- कोई दिव्यांगजन स्वतंत्र और सूचित सम्मति के बिना और सरकार द्वारा गठित दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए समिति की पूर्व अनुमति के बिना किसी अनुसंधान की प्रयोग वस्तु नही होगा।
- दिव्यांगजनों को दुरूपयोग, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षित के लिए सरकार द्वारा उपाय किये जायेगें।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिले में दिव्यांगजनों के ब्यौरों किन्हीं स्थितियों से सूचित करने के लिए समुचित उपाय करेगा, जिससे आपदा तैयारियों को बढ़ाया जा सके।
- जोखिम सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों के पश्चात पुनः निर्माण कार्यकलापों में लगे हुए प्राधिकरण दिव्यांगजनों की पहुॅच अपंक्षाओं के अनुसार संबंधित राज्य आयुक्त के परामर्श से ऐसे कार्यकलापों का जिम्मा लेंगें।

❖ **ग्रह और कुटुबं में रहना तथा प्रजनन अधिकार**

- किसी दिव्यांग बालक को दिव्यांगता के आधार पर, सिवाय किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के, यदि बालक के सर्वोत्तम हित में अपेक्षित हो, उसके अभिभावकों से पृथक नही किया जायेगा।
- जहॉ अभिभावक दिव्यांग बालक की देखभाल में असमर्थ है, तो सक्षम न्यायालय ऐसे बालक को उसके नजदीकी नातेदारों के पास रखेगा और ऐसा ना होने पर सरकार या गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे आप्रय स्थलों में रखेगा।
- सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दव्यिांगजन की प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में समुचित जानकारी तक पहुॅच हो। किसी दिव्यांगजन को ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया के अधीन नही किया जाएगा, जिसका परिणाम उसकी संसूचित सहमति के बिना बांझपन होता है।

❖ **मतदान में पहुॅच का अधिकार**

भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्या निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेंगें कि सभी मतदान केन्द्र दिव्यांगजनों की पहुॅच में हो और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए सहजता से समक्षने योग्य और उनकी पहुॅच में हो।

❖ **न्याय तक पहुँच का अधिकार**

दिव्यांगना के आधार पर विभेद के बिना किसी न्यायालय, अधिकरण, आयोग या कोई अन्य न्यायिक या अर्द्धन्यायिक या अन्वेषण शक्तियों रखने वाले निकाय तक दिव्यांगजन अपनी पहुँच के अधिकार का प्रयोग करने के लिए समर्थ है। राष्टीय तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांगजन, की अन्य व्यक्तियों कें समान ही प्रस्तावित किसी स्कीम, कार्यक्रम, सुविधा या सेवा तक पहुँच हो उपबंध करेंगें।

उत्तराखंण्ड राज्य में सभी दिव्यांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतू पात्र व्यक्तियों की क्षेणी में रखा गया है। अतः दिव्यांग व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील विधिक सेवा समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

❖ **विधिक सामर्थ्य**

दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान रूप से यथावर या जंगम संपत्ति का स्वामित्व या विरासत उनके वित्तीय मामलों के नियन्त्रण का अधिकार रखेगें और बैंक ऋण, बंधक वित्तीय प्रन्यय के अन्य रूपो तक पहुँच रखेगें।जब सहायता करने वाले किसी व्यक्ति और किसी दिव्यांगजन के मध्य वित्तीय या आर्थिक संव्यवहार को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाना है तब ऐसी सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उस संव्यवहार में दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने से अलग रहेगा। दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति असम्यक् असर का प्रयोग नही करेगा और उसकी स्वायता, गरिमा और निष्ठा का सम्मान करेगा।

❖ **दिव्यांगजन के साथ हिंसा, शोषण या दुरूपयोग की दशा में कार्यपालक माजिस्ट्रेट एवं पुलिस का कर्त्तव्य –**

- ऐसा कोई व्यक्ति या रजिस्टर्ड संगठन, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि दुरूप्रयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य किसी दिव्यांगजन के विरूद्ध हुआ है या हो रहा है या किऐ जाने की संभावना है तो, वह स्थानीय अधिकारिता प्राप्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, उसके बारे में सूचना दे सकेगा।?
- कार्यपालक मजिस्ट्रेट सूचना प्राप्ति पर उसके होने को रोकने या उसको निवारित करने के लिए तुरंत उपास करेगा या दिव्यांगजन के संरक्षण के लिए सुरक्षित अभिरक्षा, पुनर्वास, भरण पोषण अपलब्ध कराने संबंधी आदेश पारित करेगा।
- कोई पुलिस अधिकारी, दिव्यांगजन के दुरूप्रयोग, हिंसा या अत्याचार की कोई शिकायत प्राप्त करता है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है तो, व्यक्ति को निम्नलिखित जानकारी देगा।
  - ✓ संरक्षण के लिए आवेदन करने के एसके अधिकार और सहायाता प्रदान करने की अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट का विशिष्टियों के बारे में।
  - ✓ दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे निकटतम संगठन या संस्था की विशिष्टयों के बारे में
  - ✓ निःशुल्क विधिक सहायाता के अधिकार के बारे में
  - ✓ शिकायत फाइल करने के अधिकार के बारे में
- यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट पाता है कि अभिकथित कृत्य या व्यवहार कोई अपराध गठित करता है, तो वह इस प्रभाव की शिकायत न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा।

❖ **संरक्षकता के लिए अपबंध**

इस नवीन अधिनियम में दिव्यांगजन को विधिक रूᳰ से **आबहुकर** विनिश्चयों को लेने में सहायता प्रदान करने के लिए सीमित संरक्षक नियुक्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है। सीमित संरक्षकता और दिव्यांगजन के मध्य आपसी संमझदारी

और भरोसे पर प्रचलित है, जो कि विशेष अवधि और विनिश्चय तक सीमित होगी और दिव्यांगजन की इच्छानुसार कार्य करेगी।

कोई जिला न्यायालय या अभिहित प्राधिकारी यह पाता है कि कोई दिव्यांगजन जिसे पर्याप्त और समुचित सहायता प्रदान की गयी थी, किंतु वह विधिक रूप से **आबहकर** विनिश्चयों को लेने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति के परामर्श से विहित रीति में उसकी ओर से विधिक रूप से **आबद्धकर** विनिश्नय लेने के लिए सीमित संरक्षक की ओर सहायाता प्रदान की जा सकेगी।

परन्तु जिला न्यायालय या अभिहित प्रधिकारी ऐसी सहायता की अपेक्षा रखने वाले दिव्यांगजन के लिये पूर्ण सहायता प्रदान कर सकेंगे या सीमित संरक्षकता वार–बार प्रदान किए जाने की दशा में इसका पुनविलोकन किया जाएगा।

यदि कोई संरक्षक किसी दिव्यांगजन के लिए इस कानून के लागू होने से पहले किसी कानून के तहत नियुक्त प्रत्येक संरक्षक को, सीमित संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए कमक्षा जायेगा। दिव्यांगजन अभिहित प्राधिकारी द्वारा विधिक संरक्षक नियुक्त किए जाने संबंध निर्णय के विरुद्ध संरक्षक नियुक्त किए जाने संबंध निर्णय के विरूद्ध अपीलीय प्रधिकारी के समझ अपील कर सकेगा।

❖ **शिक्षा**

- इस कानून में दिव्यांगों की शिक्षा के लिए भी समुचित प्रावधान किये गये है। सरकार व स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित पोषित व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाऍं दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें। दिव्यांग बालकों की पहचान करने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं को अभिनिश्चित व पूरा करने इत्यादि के संबंध में स्कूल जाने वाले बालको का हर पॉच वर्ष में सर्वेक्षण किया जायेगा। पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया जायेगा। संदर्भित दिव्यांग छात्रों को 18 वर्ष की आयु तक पुस्तकें, अन्य विद्या साम्रगी आदि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने और समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान रकने के बारे में भी उपबंध किया गया है।

❖ **कौशल विकास और नियोजन**

- सरकार दिव्यांगजनों के लिए नियोजन विशेषकर उनके व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वानियोजन को सुकर बनाने और उसमें सहायता करने के लिए, जिसमें रियायती दरों पर ॠण उपलब्ध कराना भी है, स्कीम और कार्यक्रम बनाएगी।
- कोई भी सरकारी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी मामले में दिव्यांगजन के विरूद्ध विभेद नही करेगा। परन्तु कार्यों के प्राकर को देखते हुए इससे किसी स्थापन को छूट दी जा सकती है।
- केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोन्नति से इंकार नही किया जा सकता और ना ही उसकी रैंक में कभी की जा सकती है।
- सरकार दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए नीति बना सकती है।
- प्रत्येक स्थापन प्रस्तावित समान अवसर नीति से संबंधित उपायों को अधिसूचित करेगा और मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के पास उक्त नीति की एक प्रति रजिस्टर करेगा।
- प्रत्येक रोजगार कार्यालय रोजगार चाहने वाले दिव्यांगों के अभिलेख रखेगा।

❖ **नियोजन के संबंध में शिकायत**

- प्रत्येक सरकारी स्थापन दिव्यांगजनों के लिए नियोजन इत्यादि के लिए एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करेगा और मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को इस नियुक्ति की सूचना दी जायेगी।

- नियोजन में विभेद किये जाने से व्यक्ति कोई व्यक्ति शिकायत प्रतितोष अधिकारी को शिकायत दर्ज करा सकेगा। अधिकारी उसका अन्वेषण करेगा और सुधार कार्यवाही के लिए स्थापन से मामले को विचार में लेगा।
- शिकायतों का एक रजिस्टर रखा जायेगा तथा शिकायत की जॉच इसके रजिस्ट्रीकरण के दो सप्ताह के भीतर की जायेगी।
- यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्यवाही से समाधान नही होता है , तो वह जिला स्तर दिव्यांगता समिति के पास जा सकता है।

❖ **समाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद–प्रमोद**

स्रकार दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा–संबर्धन, स्वास्थ्य देखरेख, पुनर्वास तथा बीमा इत्यादि स्कीमें बनाएगी। इसके अलावा सभी दिव्यांगजनों हेतू अन्य व्यक्तियों के समान आमोद–प्रमोद, खेलकुद गतिविधियों में प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय किए जाएंगें।

❖ **संदर्भित दिव्यांगजना कौन है?**

'' संदर्भित दिव्यांगजन'' से प्रामणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के 40 प्रतिशत से अन्यून का व्यक्ति अभिप्रेत है, जहॉ विनिर्दिष्ट परिभाषित नही की गयी है। इसमें ऐसा दिव्यांगजन भी सम्मिलित है, जहॉ विनिर्दिष्ट दिव्यांगता, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा परिभाषित की गयी है अर्थात् कम से कम 40 प्रतिशत प्रमाणित विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति को ''संदर्भित दिव्यांगजन'' कहा जाता है।

❖ **संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध**

- संदर्भित दिव्यांग बालक का निकटवर्ती विद्यालय या उसकी पसंद के किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा।
- संदर्भित दिव्यांग बालक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक समुचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की पहुॅच होगी।
- उच्च शिक्षा की सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए कम से कम पॉच प्रतिशत स्थानों को आरक्षित रखेगी। साथ ही उपरी आयु सीमा में पॉच वर्ष तक शिथिलता दी जायेगी।
- सरकार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण हेतू स्थापन में पदों की पहचान करेगी तथा पहचाने गए पदों का तीन वर्ष से अधिक अंतराल पर आवधिक पुनर्विलोकन करेगी।
- राकार प्रत्येक सरकारी स्थापन में नियुक्ति के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों द्वारा भरे जाने के लिए आशयित पदों के प्रत्येक समूह से प्रवर्ग में कुल रिक्तियों की संख्या का चार प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित करेगी।
    - ✓ अंध और निम्न दृष्टि
    - ✓ बाधिर और श्रवण शक्ति में हास
    - ✓ चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तगर्त प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है।
    - ✓ स्वपरायगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिनियम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता
    - ✓ उपरोक्त सभी के अधीन व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर, अंधता भी है।
- प्राइवेट सेक्टर में नियोजको को उनकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर उनके कार्यबल में कम से कम पॉच प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजनों को रखे जाने के लिए प्रोत्याहित किया जायेगा।

❖ उच्च सहायता की आवश्कता वाले दिव्यांगजन कौन है?

इस अधिनियम की धारा–58 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रमाणित संदर्भित दिव्यांगजन, जिसे उच्च सहायता की आवश्यकता है, को उच्च सहायता की आवश्यकता वाला दिव्यांगजन कहा जाता है। इस प्रामण पत्र की पूरे भारत में मान्यता होती है।

❖ उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनो हेतू विशेष उपबंध

उच्च सहायता की आवश्यता वाले संदर्भित दिव्यांगजन या उसकी और से कोई व्यक्ति या संगठन, अधिक सहायता प्रदान किये जाने के लिए अनुरोध करते हुए अधिसूचित प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। ऐसा आवेदन प्रद्त होने पर प्राधिकारी, इसे केन्द्रीय सरकार द्धारा विहित रीति से निर्धारित बोर्ड को भेजेगा। निर्धारण बोर्ड मामले को निधारण करेगा और अधिक सहायता की आवश्यकता और इसकी प्रकृति को प्रामाणित करके, अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा। उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति पर, प्राधिकारी रिपोर्ट के अनुसार और सरकार की सुसंगत स्कीमों और आदेशों के अधीन सहायता प्रदान करने के लिए उपाय करेगा।

❖ विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का प्रकाणन

- सरकार अपेक्षित अर्हताए और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के रूप में पदाभिहित करेगी, जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम होंगे।
- कोई विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन, अधिकारिता प्राप्त प्रमाण कर्ता प्राधिकारी को ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्धारा विहित की जाए, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी करने कलए आवदेन कर सकेगा।
- आवेदन प्राप्ति पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, अधिसूचित सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धान्तो के अनुसार संबंधित व्यक्ति की दिव्यंगता का निर्धारण करेगा और विहित प्रारूप में दिव्यांगता का एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। अथवा लिखित में सूचित करेगा कि आवेदन को कोई दिव्यांगता नही है।
- उपरोक्त दिव्यांगता प्रमाणपत्र संपूर्ण देश में मान्य होगा।

❖ विशेष न्यायालय तथा विशेष लोक अभियोजक

- तवरित विचारण प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अधिसूचना द्धारा प्रत्येक जिले के लिए एक **संशन** न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।
- राज्य सरकार अधिसूचना द्धारा प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए उस न्यायरलय में मामलों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता का नियुक्ति करेगी जो सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा हो।

❖ अपराध और शास्तियॉ

कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का उल्लंधन करता है, पहले उल्लंघन के लिए दस रूपये तक के जुर्माने तथा पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए कम से कम 50000/–रूपये से पॉच लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

जो कोई कपटपूर्वक, संदर्भित दिव्यागजनों के लिए आशयित किसी फायदे को लेता है, या लेने का प्रयास करता है, वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा या दोनो से दण्डनीय होगा।

जो कई किसी लोक दृष्टिगोचर स्थान में दिव्यांगजन को साशय अपमानित करता है या अपमान करने के आशय से अभित्रस्त करता है, बल प्रयोग करता है या दिव्यांग महिला की लज्जा भंग करता है, दिव्यांगजन पर प्रभार या नियंत्रण रखते हुए, जानबूझकर भोजन इत्यादि देते से इंकार करता है, दिव्यांग बालक या महिला का लौंगिक रूप से शोषण करने के लिए उनकी इच्छा को अधिशासित करने की अपनी स्थिति का दुरूप्रयोग करता है, दिव्यांगजन के किसी अंग या इन्द्रीय या सहायक युक्ति के उपयोग में स्वेच्छ या क्षति पहुॅचाता है या बाधा डालता है, किसी दिव्यांग महिला पर कोई ऐसी चिकित्सीय प्रक्रिया करता है या कराता है, जिससे उसकी सम्मति के बिना गर्भावस्था की समाप्ति होनी है या समाप्त होने की संभावना है, त बवह ऐसे कारावास से लिसकी अवधि छः मास से कम की नही होगी किन्तु जो पॉच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

❖ **अपराध का संज्ञान**

कोई न्यायालय समुचित सरकार के पूर्वानुमोदन या इस निमित्त उसके द्धारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्धारा फाइल किए गए किसी परिवाद के सिवाय, समुचित सरकार के किसी कर्मचारी द्धारा किए जाने के लिए अभिकथित किसी अपराध का संज्ञान नही लेगा।

❖ **विनिर्दिष्ट दिव्यांगता किसे कहते है?**

अधिनियम के अंत में दी गयी अनुसूची में वर्णित दिव्यांगताओं को विनिर्दिष्ट की क्षेणी में रखा गया है जो कि इस प्रकार है :–

1. **शरीरिक दिव्यांगता –**

(अ) – गतिविषयक् दिव्यांगता (सुनिश्चित् गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति को असमर्थता जी स्वयं और वस्तुओं की गतिशीलता से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाल् और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ है), जिसके अंतर्गत –

(क) '' कुष्ठ रोगमुक्ति व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो गया है किंतु निम्नलिखित से पीड़ित है –

1. हाथ या पैरों में सुग्रहीकरण का हास के साथ–साथ आंख और पलक में सुग्राहीकीण का हास और आंशिक बात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं है:
2. व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे वह सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है:
3. अत्यंत शारीरिक विरूपता के साथ–साथ वृद्ध जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और ''कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा:

(ख) ''प्रमस्तिष्क घात'' से कोई गैर–प्रगामी तन्त्रिका स्थिति का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के संचलन की और पेशियों के समन्वयन की प्रभावित करती है, जो मस्तिस्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पनन होता है जो साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात् होता है,

(ग) ''बौनापन'' से कोई चिकित्सीय आनुवंशिक दशा अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप् किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फीट इस इंच (147 से0मी0) या उससे कम रह जाती है,

(घ) ''पेशीयदुष्पोषण'' से वंशानुगत, आनुवंशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीरन को संचलित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है

जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता प्रगामी कंकाल पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है,

(ड़) ''तेजाी आक्रमण पीड़ित'' से तेजाब या समान संक्षारित पदार्थ को फेककर किए गए हिंसक हमले के कारण विदूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है,

(आ) **दृष्टिगत हास –**

(क) ''अंधता'' से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई उक स्थिति विद्यमान होती है,

1. दृष्टि का पूर्णयता अभाव, या
2. सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि सुतीक्षणता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम, या
3. 10 डिग्री से कम के किसी कोण पर कक्षांततिर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा,

(ख) ''निम्न दृष्टि'' से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात् :–

1. बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 के अनधिक या 20/60 से कम से 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक दृश्य सुतीक्षणता, या
2. 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक की कक्षांतरित दृष्टि की क्षेत्र परिसीमा,

(इ) ''श्रवण शक्ति का हास''–

(क) ''बधित'' से दोनों में संवाद आवृत्तियों में 70 डेसिबिल श्रव्य वाले व्यक्ति अभिप्रेत हैं,

(ख) ''ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति'' से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों से उद्भूत स्थायी दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

(ई) ''वाक् और भाषा दिव्यांगता'' से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों वाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2 ''बौद्धिक दिव्यांगता'' से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या, समाधान) और अनुकूलित व्यवहार, दानों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य कोशलों की रेंज है, जिसके अंतर्गत –

(क) ''विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं'' से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्धारा आलेचान करने की कमी विद्यमान होती है जो समक्षने, बोलने, पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अफेसिया जैसी स्थितियां भी हैं,

(ख) ''स्वरायणता स्पैक्टम विकार'' से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्टः जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति को संपर्क करने की, संबंधों को समक्षने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभविक करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या धिसे–पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

3 मानसिक व्यवहार–

''मानसिक रूग्णता'' से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशंषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4 निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता–

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे–

(i) ''बहु–स्केलेरोसिक'' के प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर की हड्डी का मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक–दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है:

(ii) ''पार्किंसन रोग'' से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जो कम्प, पेशी कठोरता और धीमा, कठिन संचलन द्वारा चिन्हाकिंत होता है जो मुख्यतया मस्तिष्क के आधारीत गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामई के हास संबद्ध मध्य और वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है:

(ख) रक्त विकृति–

(i)''हेमोफीलिया'' से एक आनुवंशकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरूषों को ही प्रभावित करता हैं किन्तु इसे महिला द्वारा अपने नर बालकों को संचालित किया जाता है, इसकी विषेपता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससें छोटे से घाव का परिणाम भी घातक रक्तभ्रात हो सकता है:

(ii)''थैलेसीमिया'' से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अभाव है:

(ii)''सिक्कल कोशिका रोग'' से होमोलेटिक विकृति अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्व टिशुओं ओर अंगो को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं मे परिलक्षित होता है: ''हेमोलेटिक'' लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5. बहुदिव्यांगता (उपरयुक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं) जिसके अंतर्गत बधिरता,अंधता, जिससे कोई ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्ति के श्रव्य और दृष्य के सम्मिलित हास के कारण गंभीर संप्रषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं अभिप्रेत है।

6. कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील
विधिक सेवा समिति,
तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ°–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ°(जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
(ग) स्त्री या बालक
(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
(च) औद्योगिक कर्मकार
(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी
पता –
नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पषुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रश्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोशण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निशेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नषीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस षिकायत प्राधिकरणः एक परिचय

35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिश्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42	षिक्षा का अधिकार– निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43	कानून की जानकारी आखिर क्यों?

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

यदि ऐसे व्यक्तिः–

1– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक,
2– संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3– सभी महिलायें एवं बच्चे,
4– सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5– बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6– औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7– जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8– भूतपूर्व सैनिक,
9– हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
10– वरिष्ठ नागरिक,
11– एच0आई0वी0/एडस से संक्रमित व्यक्ति,
12– ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 3,00,000/– से कम हो।

<u>नोट</u> :– क्रम संख्याः 1 से 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य–सचिव **कार्यपालक अध्यक्ष**

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल